लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 60
Date 2/11/2K

(खण्ड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 1999/26 अग्रहायण, 1921 (शक)

का

शुद्धि पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
237	नीचे से 9	पंक्ति के शुरू में (क) जोड़िए ।	
487	नीचे से 7	(गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों केलिए (*	(गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक *
505	5	सभापति महोदय (श्री पी॰ एम॰ पाडियन)	सभापति महोदय

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

शारदा प्रसाद
वरिष्ठ सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 शक

अंक 15, शुक्रवार, 17 दिसम्बर 1999/26 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय		कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	.....	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 285	.....	2-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या 281 और 286 से 300	.....	31-50
अतारांकित प्रश्न संख्या 2714 से 2943	.....	50-402
सभा पटल पर रखे गये पत्र	.....	402-420
सभा का कार्य	.....	420-427
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों में "वाई 2 के" की समस्या तथा देश में इसके लिए तैयारी		
श्री प्रमोद महाजन	.....	444-446
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन)विधेयक	.....	446
नियम 193 के अधीन चर्चा	.....	446-466
सरकार की विनिवेश नीति		
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	.....	446-450
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	.....	450-451
श्री अरुण जेटली	.....	451-466
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	.....	467-496
(एक) गौवध प्रतिषेध विधेयक		
योगी आदित्यनाथ	.....	467-472
(दो) संविधान (संसोधन) विधेयक		
(अनुच्छेद 44 आदि का लोप)		
योगी आदित्यनाथ	.....	472-481
(तीन) संविधान (संसोधन) विधेयक		
(अनुच्छेद 1 आदि का संशोधन)		
योगी आदित्यनाथ	.....	481-482

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(चार) गर्म मसाला और नकदी फसल कीमत आयोग विधेयक

श्री रमेश चेन्नितला 482

(पाँच) संविधान (संसोधन) विधेयक

(दसवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 482-483

(छह) मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 आदि का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 483

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला 483-484

(आठ) अनिवार्य मतदान विधेयक

श्री विलास मुत्तेमवार 484

(नौ) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संविधान) विधेयक

(अनुसूची का संशोधन)

श्री विलास मुत्तेमवार 484

(दस) राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड विधेयक

श्री विलास मुत्तेमवार 485

(ग्यारह) युवा कल्याण विधेयक

श्री विलास मुत्तेवार 485

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 44 क का अंतः स्थापन)

श्री पी. सी. थामस 485-486

(तेरह) रबड़ उत्पादक (संरक्षण विधेयक)

श्री पी. सी. थामस 486

(चौदह) गंदी बस्ती क्षेत्र तथा झुग्गी–झोपड़ी क्षेत्र उन्मूलन विधेयक

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी 486-487

(पन्द्रह) रोजगार का उपबंध विधेयक

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी 487

(सोलह) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं
(गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले
माता–पिता के बच्चों के लिए) विधेयक
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी 487-488
(सत्रह) भारत की विदेशी सहायता निधि विधेयक
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी 488
(अठारह) अनिवार्य मतदान विधेयक
श्री पी. सी. थामस 488-489
(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 85 का संशोधन)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 489
(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अनुच्छेद 31 का अंतः स्थापन)
डॉ. वी. सरोजा 489-490
(इक्कीस) जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक
डॉ. वी. सरोजा 490
(बाईस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
(नई धाराओं 26 क और 26 ख का अंतःस्थापन)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 490-491
(तेईस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 51 क का संशोधन)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 491
(चौबीस) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक
(अनुसूची का संशोधन)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 491-492
(पच्चीस) बाढ़ नियंत्रण विधेयक
श्री वैको 492
(छब्बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अनुच्छेद 9 क का अंतः स्थापन)
श्री वैको 492-493

विषय कॉलम

(सत्ताईस) अनिवार्य मतदान विधेयक

श्री वैको 493

(अट्ठाईस) अंतराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक

श्री वैको 493-494

(उन्तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 103 आदि का संशोधन

श्री अनंत गंगाराम गीते 494

(तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 75 क आदि का अंतः स्थापन)

श्री अनंत गंगाराम गीते 494-495

(इक्तीस) वृद्ध व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक

श्री सुशील कुमार शिंदे 495

(बत्तीस) जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण विधेयक

श्री सुशील कुमार शिंदे 495-496

आतंकवादी और विध्वसंकारी क्रियाकलाप (निवारण)

(विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक 496-534

विचार करने के लिए प्रस्ताव 496

श्री जी. एम. बनातवाला 496-524

श्री अनादि साहू 525-531

श्री रमेश चेन्नितला 531-533

आधे घंटे की चर्चा 534-550

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की

वित्तीय स्थिति तथा विमानों की खरीद

श्री किरीट सोमैया 534-537

प्रो. रासा सिंह रावत 537-538

प्रो. राजीव प्रताप रूडी 538-541

श्री वरकला राधाकृष्णन 541-542

श्री शरद यादव 544-550

लोक सभा

शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 1999/26 अग्रहायण 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री कृष्णलाल शर्मा के निधन की दुखद सूचना देनी है।

श्री कृष्णलाल शर्मा 1996 से अप्रैल, 1999 तक ग्यारहवीं और बारहवीं लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहरी दिल्ली संसदीय-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1990 से 1996 के दौरान राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री शर्मा एक योग्य सांसद थे और राज्य सभा तथा लोक सभा की अपनी सदस्यता के कार्यकाल के दौरान वह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। वर्ष 1996-99 में वे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने सदन की कार्यवाही में गहन रुचि ली और इसमें बहुमूल्य योगदान किया।

श्री शर्मा एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने समाज के कमजोर और दलित वर्गों के सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पीड़ित और असहाय व्यक्तियों की सहायता हेतु निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों में विशेष रुचि ली।

श्री शर्मा ने देश-विदेश की यात्रा की और वह मारीशस में हुई अंतर-संसदीय यूनियन कांफ्रेंस के भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री शर्मा ने एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को राहत देने और उनके पुनर्वास कार्य में मदद की। वह 1953 में कश्मीर आंदोलन तथा 1970-71 के दौरान बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए थे। श्री शर्मा एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आंतकवाद के संकट के दौरान बहुमूल्य योगदान किया।

श्री कृष्ण लाल शर्मा का 74 वर्ष की आयु में आज तड़के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में निधन हो गया।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.09 बजे

[अनुवाद]

सीमा क्षेत्रों से होने वाला व्यापार

+

***282. श्री समर चौधरी:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और उनसे सटे देशों के बीच सीमा क्षेत्रों से होने वाले व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कोई निर्णय किया गया है;

(ख) इस संबंध में राज्य-वार क्या निश्चित् कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार, पूर्वोत्तर राज्यों और आस-पास के देशों के बीच सीमा-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न राज्यों से निर्यात (जिसमें सीमा-व्यापार भी सम्मिलित है) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ ये भी सम्मिलित हैं- महत्त्वपूर्ण अवस्थापना संतुलनकारी योजना के अंतर्गत अवस्थापना के

विकास के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देना, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों (इपीआईपी) की स्थापना करना, अवस्थापना विकास के लिए भू–सीमाशुल्क केन्द्रों का अभिनिर्धारण करना और वस्तु बोर्डों के कार्यालय खोलना।

असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में चार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क मंजूर किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्य सरकारों से निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निवेदन किया गया है।

बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ व्यापार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15 भू–सीमाशुल्क केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

एक्जिम नीति, 1996-2002 के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक्सपोर्ट हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस कुल व्यापार के 1% पर उस स्थिति में अतिरिक्त विशेष आयात लाइसेंस लेने के पात्र हैं यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र से कुल निर्यात सामान का कम–से–कम 10% सामान निर्यात किया जाता हो।

स्थापित मानदंडों में ढील देते हुए, प्रत्येक राज्य के एक राज्य निगम को एक्सपोर्ट हाउस के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था है।

पूर्वोत्तर में अर्थात् अगरतला, सिल्चर, गुवाहाटी, इम्फाल में स्थित हवाई अड्डों से अन्नानास के निर्यात के लिए वर्धित हवाई–इमदाद देने की व्यवस्था है।

वस्तु बोर्ड और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) उत्पादन और निर्यात कार्यकलापों से सम्बद्ध कृषि/बागवानी/बागान को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

श्री समर चौधरी : क्या माननीय मंत्री जी सभा को अवगत कराएंगे कि त्रिपुरा और बंग्लादेश में क्या व्यापार हो रहा है। इस समय मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि बंग्लादेश के कुछ व्यापारियों ने त्रिपुरा का दौरा किया है और त्रिपुरा के भी कुछ व्यापारियों ने बंग्लादेश का दौरा किया है। राज्य सरकार और बंग्लादेश सरकार ने कुछ चर्चा भी की है। इसका क्या परिणाम निकला। केन्द्र द्वारा बंग्लादेश और त्रिपुरा के बीच व्यापार को आसान और सुचारु करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, हम सीमावर्ती और नियमित व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। पूर्वोत्तर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 37 भू–सीमा शुल्क केन्द्रों की शिनाख्त की गई है। उदाहरण के लिए, बंग्लादेश के सम्बन्ध में असम में 13, मेघालय में 10, त्रिपुरा में 7, म्यांमार के सम्बन्ध में मणिपुर में एक, मिजोरम में एक और एक अरुणाचल प्रदेश में है; और भूटान के सम्बन्ध में असम में तीन केन्द्रों की पहचान की गई है।

महोदय, तथापि बंग्लादेश सीमा पर व्यापार नहीं होता है। भारत और बंग्लादेश दोनों दिसम्बर 1998 में ढाका में हाल ही में सम्पन्न हुई व्यापार समीक्षा वार्ताओं में इस बात पर सहमत हुए हैं कि संयुक्त कार्य दल सीमा व्यापार के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा और अपनी उचित सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यह स्थिति है। मिजोरम में भारत–म्यामांर के सम्बंध में चम्फाई रेल क्षेत्र में एक अन्य स्थान से व्यापार शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचा सृजित किया जा रहा है। म्यामांर के साथ किए गए समझौते में परस्पर निर्णय के अनुसार किसी भी अन्य स्थान से व्यापार शुरू करने की व्यवस्था है।

श्री समर चौधरी : क्या माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि त्रिपुरा पूरी तरह से स्थल–रुद्ध है और वहां पर संचार व्यवस्था प्रायः नहीं होती है ? सामान और अन्य वस्तुएं जिनका त्रिपुरा में उत्पादन किया जा रहा है मुख्यतः बागवानी उत्पाद हैं। इन्हें बंग्लादेश और त्रिपुरा के बीच व्यापार के वर्तमान समझौते में भी शामिल नहीं किया गया है। क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। न केवल त्रिपुरा बल्कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों की बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि उनकी 98 प्रतिशत सीमाएं भूटान, चीन, म्यांमार और बंग्लादेश जैसे देशों से लगी हुई हैं। हमारे पास केवल 22 कि.मी. का संकरा मार्ग है। इसलिए वे इस भौगोलिक स्थिति से परेशान हैं।

उनके पास अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन हैं। वास्तव में, हम इन राज्यों में रबड़, कॉफी और चाय बागान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मसाले उपजाने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी और पुष्पकृषि भी की जा सकती है। यदि रबड़ उगाई जाती है तो मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा कोट्टायम की तरह रबड़ का एक अन्य मुख्य केन्द्र बन जाएगा। इसलिए हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यापार सम्बंधों को बढ़ाने के हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भौगोलिक सीमा कैसे पार की जाये; इसकी जांच की जा रही है।

श्री समर चौधरी : महोदय, मैं एक अन्य पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं केवल एक पूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह तरीका नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री विजय हान्दिक : अध्यक्ष महोदय, सीमा पार से व्यापार का विकास और संवर्धन केवल एक योग मात्र ही नहीं है बल्कि औद्योगिकीकरण का एक विकल्प भी है जिसे पूर्वोतर के कुछ पर्वतीय राज्यों में प्रभावकारी रुप से नहीं किया जा सकता।

क्या मैं माननीय मंत्रीजी ये बात जान सकता हूं कि क्या सरकार बंग्लादेश के लिए मिजोरम जैसे स्थलरुद्ध राज्य से मार्ग खोलने के लिए बंग्लादेश को प्रस्ताव करेगी ताकि बंग्लादेश और मिजोरम दोनों परस्पर अपने व्यापारिक हितों को बढ़ावा दे सकें ? क्या माननीय मंत्री से मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार दूसरे विश्व युद्ध में बनाए गए 'स्टील वैल रोड़' का पुनर्निर्माण करेगी ताकि असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड म्यांमार और इसके पड़ोसी देशों के साथ अपने व्यापारिक हितों को बढ़ा सकें।

श्री मुरासोली मारन : मिजोरम सरकार ने भारत सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि वह मिजोरम के तलबंग/देमागिरी से कर्णफूली नदी मार्ग से बंग्लादेश के चटगांव तक नदी व्यापार मार्ग शुरू करने की अनुमति दे। उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि विभाजन से पूर्व यह नदी मार्ग उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पारंपरिक व्यापार मार्ग था। मिजोरम सरकार ने यह बताया है कि देमागिरी में एक औपचारिक सीमा शुल्क चौकी के अभाव और कर्णफूली नदी को व्यापार तथा पारगमन हेतु जलमार्गों की प्राधिकृत सूची में शामिल नहीं किए जाने के कारण वहां उत्पादित अदरख को बंग्लादेश को निर्यात नहीं किया जा सकता। इस समय बंग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किए गए अंतर्देशीय जलमार्ग समझौते के प्रोटोकॉल के अंतर्गत केवल आठ नदी मार्ग प्राधिकृत हैं।

हम उस राज्य की कठिनाइयों को समझते हैं। हम बंग्लादेश सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।

सड़क मार्ग का प्रश्न जल भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित है।

श्री विजय हान्चिक : "स्टील–वेल" सड़क के संबंध में क्या हुआ ?... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, हालांकि यह प्रश्न पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है फिर भी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ऐसा भी है जहां तिब्बत के साथ व्यापार किए जाने की व्यापक संभावना है। उत्तरांचल प्रदेश का नीती तथा माना मार्ग तिब्बत के लिए पारंपरिक मार्ग रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसे विभिन्न कारणों विशेषकर 1962 में हुए युद्ध के कारण बंद कर दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे तिब्बत के लिए नीती तथा माना व्यापार मार्ग, जिसके संबंध में स्थानीय व्यक्तियों तथा मेरे द्वारा भी मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया गया है, को पुनः शुरू करने पर विचार करेंगे ?

श्री मुरासोली मारन : यह मेरे ध्यान में नहीं आया है। हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उनका ध्यान योजना आयोग द्वारा वर्ष 1992 में कराये गए अध्ययन जिसमें हल्दिया से चटगांव और चटगांव से अखवड़ा तक बंग्लादेश रेलवे द्वारा थोक सामग्रियों के परिवहन के लिए समुद्री नौवहन का उपयोग किए जाने की सिफारिश की गई थी, की ओर दिलाया गया है। अखवड़ा अगरतला के निकटस्थ है। इससे उनकी लागत में एक–तिहाई की कटौती होगी। वह एक महत्त्वपूर्ण कदम था ...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा एक दूसरा प्रश्न है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं दूसरा नहीं।

(व्यवधान)

डॉ. नितिश सेनगुप्ता : महोदय, यह इसका भाग 'ख' ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के लोग पारंपरिक रूप से चल रही प्रथा के अनुसार म्यांमार में 10 कि.मी. अंदर तक प्रवेश कर वहां 48 अथवा 72 घंटे रह सकते हैं तथा म्यांमार के व्यक्तियों द्वारा भी यही किया जाता है। राष्ट्रीय आंकड़ों में अनौपचारिक रूप से किए गए बहुत से व्यापार की गणना नहीं की जाती है।

श्री मुरासोली मारन : माननीय सदस्य की बात ठीक है। अंतर्देशीय जल परिवहन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पूर्वोत्तर क्षेत्र में ढुलाई का प्रमुख साधन था। अब यह संभव नहीं है। अतः बंग्लादेश की सरकार के साथ चटगांव पत्तन के माध्यम से व्यापार शुरू करने हेतु नई पहल की गई है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बातचीत जल्द ही पुनः शुरू की जायेगी।

श्री संतोष मोहन देव : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि असम और अन्य राज्यों तथा अन्य देशों के बीच व्यापार अधिकारिक रूप से किए जाने की तुलना में अधिकतर अनौपचारिक तथा अनैतिक रूप से किए जाते हैं। इसका कारण है कि भारत सरकार ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार आने से पूर्व सीमा व्यापार कार्यालय नीति शुरू नहीं की थी। श्री चिदम्बरम द्वारा इन कार्यालयों को खोलने का कार्य शुरू किया गया। मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसे पंद्रह कार्यालय खोले जा चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उन क्षेत्रों में गहन अध्ययन कराया जाए जहां ऐसे कार्यालय खोले जाने हैं तथा इस प्रणाली में त्वरित कार्य होना चाहिए। यदि मैं बंग्लादेश में कुछ भेजना चाहता हूं और यदि मुझे इसके लिए आवेदन करके पंद्रह दिन तक इंतजार करना पड़ता है तो ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है। मैं पांच दिन में सीमा शुल्क विभाग की मिलीभगत से सामान भेज सकता हूं और धन अर्जित कर सकता हूं। यही हो रहा है। हम इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि हम उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। जब हम अपने लोगों को सीमा शुल्क विभाग में भेजते हैं तो उनके द्वारा तरह–तरह की औपचारिकताओं और प्रमाण पत्रों की मांग की जाती है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए प्रक्रिया को सरल बनायेंगे ताकि सरकार को अधिक आय हो सके तथा व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके। मान लीजिए कि हमारी सिगरेट अथवा साबुन बंग्लादेश भेजी जाती है और वहां इसे 200 प्रतिशत ऊँचे दाम पर बेचा जाता है। लेकिन आपको रिकार्ड देखकर यह पता चलेगा कि वहां कुछ भी नहीं भेजा जा रहा है। त्रिपुरा में बनी हुई बीड़ी बंग्लादेश भेजी जाती है। यदि आप सीमा शुल्क कार्यालय में जायेंगे तो इसकी मंजूरी मिलने में अत्यधिक समय लगेगा। अतः मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि इस व्यापार हेतु मंजूरी की सरल प्रक्रिया होनी चाहिए तथा अधिक कार्यालय खोले जाने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि वे इसे कबतक पूरा करने जा रहे हैं।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। वे उस क्षेत्र के हैं इसलिए उन्हें वहां व्याप्त स्थिति की अधिक जानकारी है। वहां कई तरह के अवैध कार्य हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अतः हमें इन्हें रोकना होगा। इसके लिए हमारे द्वारा त्वरित निपटान किए जाने की आवश्यकता होगी। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं लेकिन सीमा शुल्क विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्वाभाविक रूप से मैं इसे वित्त मंत्रालय के साथ उठाऊंगा और मैं जहां तक संभव हो सकेगा अधिक–से–अधिक अधिकारी तैनात करूंगा तथा मैं शीघ्र ही उन्हें सीधे सूचित करूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र से तुरंत निर्यात किए जाने योग्य वस्तुओं के संबंध में कोई नया अध्ययन कराया है। जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में इस मंत्रालय का पांच वर्षों तक कार्यभार देख रहा था तो मुझे वहां उन बुनियादी वस्तुओं की पहचान करने के लिए तैनात किया गया था जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग थी और मैंने पाया कि विभिन्न जनजातियों द्वारा तैयार किए गए रंग–बिरंगे नागा शालों की फ्रांस, कनाडा और अमरीका में अच्छी दर पर अत्यधिक मांग थी। लेकिन बागवानी संबंधी मदों तथा नागा शालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण इनका उस समय विपणन नहीं किया जा सका। क्या मंत्री महोदय इस मुद्दे पर पुनः विचार करते हुए यह पता लगायेंगे कि क्या इसे पुनः शुरू किया जा सकता है ? बागवानी संबंधी मदें गुवाहाटी विमानपत्तन पर बुनियादी साधनों के अभाव, तथा वहां आवश्यक कार्गो के नहीं होने के कारण बाहर नहीं भेजे जा सकते। इसके बाद इन शालों का भी कोई विपणन नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि उस समय हम फ्रांस, अमरीका और कनाडा में 10 शाल ले गए थे तथा हमने एक प्रदर्शनी में पाया कि एक दिन में इसके 2000 खरीददार थे। इसकी इतनी अधिक मांग थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे वाणिज्य मंत्रालय के सभी प्रयासों के साथ इस अवसर का लाभ उठायेंगे ?

श्री मुरासोली मारन : मैं माननीय सदस्य और भूतपूर्व मंत्री को उनके सुझावों के लिए बधाई देता हूं। हमने कल ही भौगोलिक उपदर्शन विधेयक को मंजूरी दी है। इसे राज्य सभा में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा। यदि हम विधेयक पारित कर देते हैं तो हम अपने भौगोलिक उपदर्शन की सुरक्षा कर सकते हैं और 'नागा शालों' पर अपनी मुहर लगा सकते हैं। तथापि मैं इस पहलू पर विचार करके पता लगाऊंगा कि हम इस प्रकार की वस्तु के निर्यात को किस प्रकार अत्यधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्यधिक कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में 'ले फार्गे' नामक एक फ्रांसीसी कंपनी के लिए एक आई. पी. बी. ने 25 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी है। यह कंपनी बंग्लादेश में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने जा रही है जिसके लिए मेघालय से 'कन्वेयर बेल्ट' के द्वारा चूना पत्थर भेजा जायेगा। इस 'कन्वेयर बेल्ट' की लम्बाई मात्र 15 किलोमीटर की होगी जबकि सड़क मार्ग का उपयोग करने की स्थिति में इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर की होगी। एफ. आई. पी. बी. ने अपनी मंजूरी दे दी है और गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय सीमा पार संबंधी गतिविधियों की कतिपय औपचारिकताओं पर विचार कर रहे हैं। इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। अतः मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सांगतम कृपया बहुत ही संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री के. ए. सांगतम : महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नागालैंड में चार व्यापारिक केन्द्रों का पता लगाया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय पक्ष ने मयन्मार को इन व्यापारिक मार्गों का सुझाव दिया है क्योंकि इन केन्द्रों को जोड़ने के लिए अभी कोई सड़क नहीं है। इन व्यापारिक केन्द्रों का पता लगाए अब चार वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। भारतीय पक्ष को इन केन्द्रों को जोड़ने के लिए कोई सीमावर्ती सड़क नहीं मिली है। अतः मैं यह जानता चाहता हूं कि क्या इस संबंध में मयन्मार सरकार के साथ कोई पत्र व्यवहार किया गया है।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, सड़कों से संबंधित मामला मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है लेकिन मैं इस मामले को जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ उठाऊंगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से एक और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। मैं बोडोलैंड से आता हूं। बोडो महिलाएं और लड़कियां इस किस्म के बोडो पोशाक, जिसे मैंने इस समय पहन रखा है, को बनाने में निपुण हैं और यह बहुत कीमती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे विदेशों में बोडो कपड़े, वस्त्र, हथकरघा आदि विशेषरूप से इंडी क्लाथ (इरी कपड़े) का निर्यात करने के बारे में विचार करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नीति संबंधी मामला उठाया जाएगा अथवा नहीं। .... *(व्यवधान)* केवल नागा शालों का क्यों निर्यात किया जाता है, बोडो शालों का क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इससे लाखों बोडो महिलाओं और लड़कियों को रोजगार मिलेगा।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, यह कपड़ा बहुत सुंदर है।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि वे जिस बोडो शाल को ओढ़े हुए हैं वह बहुत सुन्दर है यदि सरकार को बोडो उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई बोर्ड गठित करना पड़े, तो हम उन्हें उसका अध्यक्ष बना देंगे।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : धन्यवाद।

श्री पी सी. थामस : आप प्रत्येक सदस्य को एक शाल भी दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

कृषि क्षेत्र को ऋण

+

*283. **श्री कृष्णमराजू :**

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उनके द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले कुल ऋण में से कृषि क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन बैंकों ने निदेशों का पालन नहीं किया है;

(ङ) सरकार द्वारा उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या उक्त निदेशों के आधार पर ऋण उपलब्धता के बावजूद कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं जुटाई जा सकी; और

(छ) यदि हां, तो किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यद्यपि छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, तथापि उन्हें कृषि एवं कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत शामिल किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 5 एकड़ तक जोत वाले लघु एवं सीमांत किसानों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्यक्ष अग्रिम राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	संवितरित राशि	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
1995-96	3954	8620
1996-97	4468	9927
1997-98	4701	10499

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार, देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र से तहत कृषि के लिए अपने शुद्ध बैंक ऋण का 18 प्रतिशत ऋण दें।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों, जिन्होंने मार्च 1999 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, के नाम क्रमशः अनुबंध-I एवं II में दिए गए हैं।

(ङ) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र और साथ ही कृषि के लिए ऋण हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करें। जो बैंक शुद्ध ऋण के 18 प्रतिशत का कृषि ऋण उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं करते, उनसे उपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा रखे गए ग्रामीण बुनियादी विकास निधि (आर आई डी एफ) में शुद्ध बैंक ऋण के अधिकतम 1.5 प्रतिशत के अध्यधीन कृषि के लिए उप-लक्ष्य प्राप्त करने में अपनी कमी के बराबर अंशदान करें। तदनुसार, चूककर्ता बैंक आर आई डी एफ शुरू होने के समय से ही इस निधि में अंशदान करते रहे हैं।

(च) कृषि के लिए कुल ऋण प्रवाह में काफी वृद्धि हो रही है। पिछले तीन वर्ष के दौरान सभी एजेंसियों अर्थात् सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए बुनियादी स्तर का ऋण प्रवाह निम्नलिखित है :

वर्ष	राशि	वृद्धि दर प्रतिशत (करोड़ रुपए)
1996-97	26411	20
1997-98	31698	20
1998-99	38054	20

(छ) छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए ऋण प्रवाह और संदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे उधारकर्ताओं के लिए मार्जिन राशि की आवश्यकता, प्रतिभूति मानदण्डों आदि के संबंध में कुछ छूट प्रदान की है, इन छूट में ये शामिल हैं :

(1) बैंक छोटे तथा सीमांत किसानों को दिए गए 10,000 रुपए के फसल ऋण/मियादी ऋण के लिए मार्जिन राशि पर जोर न दें।

(2) बैंक 10,000 रुपए तक के फसल ऋणों के लिए पार्श्विक प्रतिभूति/तीसरे पक्ष की गारंटी पर जोर न दें। फसलों के दृष्टिबंधक को प्रतिभूति के रूप में माना जा सकता है।

(3) 10,000 रुपए से अधिक ऋणों के संबंध में,

मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।

(4) ब्याज की अदायगी पर, निर्धारित की गई ऋण किस्तों की वापसी अदायगी के समय ही, जोर दिया जाए।

(5) बैंक, मियादी ऋणों के संबंध में देय न होने वाली किस्तों तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के संबंध में चालू देयों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाएं।

(6) अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में छोटे और सीमांत किसानों के खातों में नामें डाला गया ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुबंध – I

सरकारी क्षेत्रों के उन बैंकों के नाम जिन्होंने मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार निवल बैंक ऋण का 18% कृषि क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया है

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
5. इलाहाबाद बैंक
6. बैंक आफ महाराष्ट्र
7. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
8. कॉर्पोरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
13. सिंडिकेट बैंक
14. यूनियन बैंक आफ इंडिया
15. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
16. यूको बैंक
17. विजया बैंक

अनुबंध – II

गैर सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम जिन्होंने मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार अपने निवल बैंक ऋण का 18% कृषि क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया है

1. जम्मू व कश्मीर बैंक लि.
2. बैंक आफ राजस्थान लि.
3. कर्नाटक बैंक लि.
4. वैश्य बैंक लि.
5. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
6. धनलक्ष्मी बैंक लि.
7. फैडरल बैंक लि.
8. लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.
9. नेडुगंडी बैंक लि.
10. साउथ इंडियन बैंक लि.
11. रत्नाकर बैंक लि.
12. सांगली बैंक लि.
13. युनाइटेड वेस्ट्रन बैंक लि.
14. बैंक आफ मदुरै लि.
15. भारत ओवरसीज बैंक लि.
16. करूर वैश्य बैंक लि.
17. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
18. सिटी यूनियन बैंक लि.
19. तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.
20. बरेली कॉर्पोरेशन बैंक लि.
21. बनारस स्टेट बैंक लि.
22. नैनीताल बैंक लि.
23. सिक्किम बैंक लि.
24. एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.
25. यूटीआई बैंक लि.
26. इंदुसिंघ बैंक लि.
27. आईसीआईसीआई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लि.

28. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.

29. सेन्चुरियन बैंक लि.

30. बैंक आफ पंजाब लि.

31. टाइम्स बैंक लि.

32. डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.

33. आईडीबीआई बैंक लि.

श्री कृष्णमराजू : महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को मार्जिन राशि की आवश्यकता और प्रतिभूति मानदण्डों के संबंध में कुछ छूट प्रदान करने जिससे किसानों को फायादा होगा, के लिए बधाई देता हूं।

मेरा प्रश्न यह है : कृषि ऋणों को संवितरित करने के लिए पंजाब और सिन्ध बैंक ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया है, अर्थात् किसान को 12 वर्ष की अवधि तक ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी पूरी भूमि अथवा उसके एक भाग को गिरवी रखना पड़ता है। और तत्पश्चात् ऋण के लिए समूची पात्रताएं निर्धारित होती हैं। दूसरे शब्दों में, उस किसान को ऐसे समझा जाता है जैसे कि किसी शहरी उद्योग, जिसमें समर्थक प्रतिभूति की आवश्यकता पड़ती है, को ऋण दिया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे दूसरे सभी बैंकों द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र को ऋण संवितरित करने संबंधी पंजाब और सिन्ध बैंक के दृष्टिकोण को लागू किए जाने के बारे में विचार करेंगे।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, जहां तक छोटे और सीमान्त किसानों का संबंध है, उनके मामले में किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा समर्थक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल ऋण की राशि पर निर्भर करता है। यदि ऋण की राशि अधिक होती है तो किसी वस्तु को गिरवी रखने अथवा समर्थक जमानत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि पंजाब और सिन्ध बैंक किसी व्यक्ति को परेशान करता है अथवा बैंक की ओर से कोई बाधा डाली जाती है तो मैं निश्चित तौर पर उस मामले की छानबीन करूंगा।

श्री कृष्णमराजू : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र के लिए सुधारु ढंग से ऋण देने के मामले के बारे में आर. वी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। गुप्ता समिति को क्रियान्वित करने से ऋणों को आसानी से जारी करने में काफी मदद मिलेगी। वर्तमान में 'मल्टी-एजेन्सी नेटवर्क जिसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं, के माध्यम से कृषि ऋण संवितरित किए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे कि इस संबंध में समेकित दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि विभिन्न एजेन्सियों के बीच और समन्वय स्थापित किया जाए जिससे ग्रामीण ऋण के प्रवाह में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हो ?

मेरे प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर के बारे में, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) को चूककर्ता बैंकों से अंशदान के रूप में कितनी राशि मिलती है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए 18 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुछ बैंक भुगतान करने में चूक जाते हैं। अतः अर्थदण्ड के रूप में हम ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास कोष में शेष राशि जमा कर देते हैं। अतः अब तक के लिए उन्हें बुनियादी संरचना विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपए का अंशदान करना होगा। इसके अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्यों तथा ग्राम पंचायतों को ऋण दिया जाता है और दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वाभाविक रूप से, शेष राशि संवितरित की जाएगी।

अब तक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 16.5 प्रतिशत राशि संवितरित की गई लेकिन यह प्रश्न समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित है। हम कमजोर वर्गों को कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत भाग मुहैया कराते हैं। प्रश्न का पहला भाग यह है कि गुप्ता समिति ने कृषि ऋणों को संवितरित करने की प्रणाली को कुछ सरल बनाने के संबंध में सिफारिश की थी। अब बैंकों को हिदायतें दी गई हैं लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि एक ही जगह सब काम निपटाने वाली 'एकल खिड़की' प्रणाली को किस प्रकार लागू किया जाए ताकि किसानों को ऋण लेने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में न जाना पड़े। जहां तक दीर्घावधि के ऋणों का संबंध है हमने भूमि विकास निधि प्रणाली को अपनाया हुआ है और जहां तक मध्यावधि और अल्पावधि के ऋणों का संबंध है, कोई व्यक्ति इनके लिए वाणिज्यिक बैंक और कोई व्यापारिक बैंक की ओर भागता है। महोदय, यह किसान की इच्छा पर निर्भर करता है।

श्री आदि शंकर : अध्यक्ष महोदय, कृषि संबंधी कार्यों के लिए ऋण लेने के अलावा, छोटे और सीमान्त किसानों को अपने फुटकर खर्चों जैसे कि डॉक्टरी इलाज करवाने, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और विवाह जैसे पारिवारिक समारोहों के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है।

इन सभी उद्देश्यों के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को भारी ब्याज पर ऋण प्राप्त करने के लिए गांव के साहूकारों के पास जाना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थितियों को टालने के लिए क्या सरकार के पास लघु और सीमान्त किसानों को विविध ऋणों की स्वीकृति के लिये कोई विशेष योजना है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, एक परिवार की जरूरतों के लिये 500 रुपये तक का ऋण देने की एक योजना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक योजना के तहत सभी जरूरतें पूरी नहीं की जा सकतीं, लेकिन सरकार लघु और सीमान्त किसानों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ऋण देती है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, किसी क्षेत्र में जो ऋण दिए जाते हैं, उसके लिए आर.बी. आई. की गाइडलाइन है। मंत्री जी ने पंद्रह प्रतिशत का जिक्र भी किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किन–किन राज्यों में उस गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हो रहा है ? यदि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपालन हो रहा है तो उसका अनुपात क्या है ?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश सभी राज्यों पर एक समान रूप से लागू नहीं किये जा सकते। बात यह है कि वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित होते हैं परन्तु सहकारी बैंक संगत राज्यों की सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। अतः कभी–कभी वे ऋण अवश्य देते हैं। चूंकि इस मामले में ऋण की सीमा मुख्य मुद्दा है, मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है ऋण की मात्रा राज्य सरकारें तय करती हैं और वाणिज्यिक बैंकों में ऋण की मात्रा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के आधार पर संबंधित बैंक तय करता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : विभिन्न राज्यों में उसका अनुपात क्या है ?

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : हम बाद में जानकारी देंगे क्योंकि यह अभी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को जानकारी दे सकते हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि क्षेत्र, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को मिलने वाले बैंक–ऋणों का संबंध है, हालात उतना अच्छे नहीं हैं जितना माननीय मंत्री महोदय प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र के लिये नियत 40% में से 18% कृषि क्षेत्र को मिलना चाहिये। कृषि क्षेत्र में भी ज्यादातर ऋण कार्पोरेट कृषि को मिल जाते हैं न कि लघु और सीमान्त किसानों को।

यही कारण है कि इस प्रश्न का वास्तविक अर्थ है कि छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिये अन्यथा ये लोग खेती नहीं कर सकते।

दूसरा पहलू जिस पर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये वह वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त हो रहे स्वर्ण (गोल्ड) ऋण हैं जिनका कृषि ऋण के रूप में भी वर्गीकरण किया गया है। ऐसा नहीं है अधिकांश स्वर्ण (गोल्ड) ऋणों को कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसी कारण मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन वर्षों में किन बैंकों ने कृषि क्षेत्र को 18% ऋण नहीं दिया है। कई बैंक अभी भी 13 से 14% ही ऋण दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले को देखेंगे और यदि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं हुआ है तो सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

दूसरी बात . . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिये कि आप केवल एक पूरक पूछ सकते हैं, दो नहीं। यह क्या है ? आधे घंटे में हमने केवल दो ही प्रश्नों पर चर्चा की है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, यह मेरे प्रश्न के भाग (ख) से संबंधित है। वह यह है कि क्या कृषि ऋणों से स्वर्ण ऋण हटाये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : जहां तक छोटे और सीमान्त किसानों का संबंध है, लिखित वक्तव्य में हमने वितरित और बकाया राशि का ब्यौरा दिया है। 1997–98 में वितरित राशि 4,701 करोड़ और बकाया राशि 10,499 करोड़ की थी। इसीलिये हम समय–समय पर बैंकों पर दबाव डालते रहे हैं और विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड यह निगरानी कर रहे हैं कि किस प्रकार लघु और सीमान्त लाभान्वित हों। इसके साथ ही अगर विवरण के भाग छः (6) को देखें तो आप पायेंगे कि लघु और सीमान्त किसानों के लाभार्थ हमने उन्हें ये छूट दी हुई है कि उनके खातों में डाला गया ब्याज अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में मूलराशि से अधिक नहीं हो।

जहां तक स्वर्ण (गोल्ड) ऋणों का संबंध है, आप निश्चित रूप से सही हैं। कुछ मामलों के साथ ऐसा ही हो रहा है और हम इसकी जांच करेंगे। 18% ऋण के मानदण्ड का पालन न करने वाले बैंकों की सूची लंबी है। मैं आपको सूची दूंगा। समय–समय पर हम इसकी जांच करते रहे हैं। उन्हें 18% ऋण देने के नियम का पालन करना चाहिये और वे अगर राशि वितरित करते हैं तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है हम उनसे यह राशि निकलवाकर ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिये दे रहे हैं ताकि कृषि ऋणों का विस्तार हो और वसूली पहले से अधिक हो।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मैं आपकी संरक्षा चाहती हूं। यदि न वितरित की गई राशि आधारभूत ढांचे हेतु दी जाये तो किसानों को क्या लाभ मिलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को सूचना भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी

ने अपने उत्तर में कहा है कि लघु और सीमान्त कृषक के लिए बैंकों में ऋण देने के लिए इनके यहां कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। कृषि और वीकर सैक्शन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित है, उसी के अन्दर यह मान लेते हैं कि यह स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को ऋण मिलेगा। उसमें भी 18 प्रतिशत जो कृषि में ऋण इनका निर्धारित है, उस लक्ष्य का भी बैंकों ने पालन नहीं किया है। यह अपनी सूची में यह बात स्वीकार करते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि खासकर लघु कृषक और सीमान्त कृषकों को लोन देने के लिए हमने कुछ छूट दी है।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, यह तो ऑलरेडी पूछ लिया न।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ये लघु कृषक और सीमान्त कृषक के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं या नहीं और कृषि के लिए जो बैंक 18 प्रतिशत तक अनुपालन नहीं करेंगे, उन पर ये क्या कार्रवाई करेंगे ? ऋण स्वीकृति के पश्चात् भी किसानों को जो वहां परसेंटेज और घूस देनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है, इसके लिए सरकार कौन–सी सख्त कार्रवाई करेगी, जिससे लघु कृषक और सीमान्त कृषकों को ऋण मिल सके और परेशानी न उठानी पड़े, सहज में ऋण मिल जाये, वह हम सरकार से जानना चाहते हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सीमान्त किसान को, छोटे किसान को बैंकों से ऋण मिलने में परेशानी हो रही है, उसके बारे में उन्होंने केस दिया था, उसको देख लेते हैं कि उनमें कौन–सी परेशानी है, वह दूर करने की कोशिश हो जायेगी। लेकिन अभी किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन लघु और सीमान्त किसान को उसका फायदा हो सकता है। उनको ऋण लेने के लिए बार–बार बैंक में आने की जरूरत नहीं है और साल के अन्दर वे किसी भी वक्त ऋण वापस भी कर सकते हैं और चाहिए तो ले भी सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इसीलिए दिया है। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर राष्ट्रीय इन्श्योरेंस स्कीम है, उसके कारण भी हमारा जो बकाया होता है, वह बकाया चुकाने में इन्श्योरेंस के कारण उनको सहूलियत मिलेगी। वह लोन का रिपेमेण्ट भी इन्श्योरेंश के माध्यम से कर सकते हैं, उसका ज्यादा–से–ज्यादा फायदा लघु और सीमान्त किसान को हो रहा है और होगा।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि गरीबों की सहायता करने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक का भी बैंक है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों ने उनके लिये नियत लक्ष्य को लागू या पूरा नहीं किया है। अब सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वापक, आयकर और बैंकों पर नियंत्रण रखने के कारण वित्त मंत्रालय सबसे अधिक अधिकार संपन्न मंत्रालयों में एक है।

महोदय, अधिकारियों के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और अगर वे लक्ष्य न पूरा करें तो उनके गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन बैंकों के शीर्षस्थ अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए निवेशों का पालन नहीं किया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन बैंकों के शीर्षस्थ अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, हम लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अपने स्तर पर उनकी जांच करता है। समय–समय पर यदि कोई कमी हो तो इसे देखने के लिए समीक्षा भी करता है। मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं।

इसलिए जहां तक कार्रवाई किए जाने का प्रश्न है मैं कहना चाहूंगा कि न केवल कार्रवाई किया जाना ही समाधान नहीं है बल्कि किसानों तक ऋण पहुंचाना ही समाधान है। हम इसकी प्रखंड स्तर से शीर्ष स्तर तक बहुत कड़ाई से जांच कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें।

महोदय, जहां तक कार्रवाई किए जाने का प्रश्न है, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमने 17 बैंकों के बारे में सूचना उपलब्ध करा दी है और मैं उस बात से सहमत हूं कि ये 17 बैंक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके। हमें देखना है कि इन लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। अगर बैंक की ओर से कोई कमी है अथवा बैंक हमें सहयोग नहीं करता है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असफल है तो वह कार्रवाई करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर कोई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आपने एक पूरक प्रश्न पूछा है माननीय मंत्री महोदय उस का उत्तर दे रहे हैं और आप मंत्रीजी को उनका उत्तर नहीं देने दे रहे हैं आप यह कौन सी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, माननीय सदस्य ने कार्रवाई करने के बारे में पूछा है। हम इस पर भविष्य में विचार कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करता है तो क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, इस समय कार्रवाई करने की कोई परिपाटी नहीं है। लेकिन हम निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और हम उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे जो दोषी है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा घुमा–फिरा कर दिए गए उत्तर से निश्चित रूप से खुश नहीं हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट रूप से 17 राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनमें स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक दर्शाए गए हैं, जो 18 प्रतिशत का लक्ष्य सीमांत और लघु किसानों को 18 प्रतिशत का लक्ष्य जो ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने का है, वह नहीं करा पा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि जो बैंक 18 प्रतिशत का ऋण किसानों को मुहैया नहीं करा सकते, उनको रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में नाबार्ड के माध्य से पैसा जमा कराना है। बैंकों की शाखाएं सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जब तक यह प्रावधान बनाकर रखेंगे कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उस पैसे को उठाकर रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में नाबार्ड के माध्यम से डाल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : बिहार जैसा प्रांत, जिसका **सी. डी.** रेशो सबसे कम है, वह प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि उसको मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए। आप इस प्रकार नहीं पढ़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरा प्रश्न यह है कि जो सीमांत और लघु किसानों के बारे में पांच व्यवस्थाएं बताई हैं,

[अनुवाद]

"लघु और सीमान्त किसानों को फसली ऋणों/आवधिक ऋणों के लिए दिये गये 10,000/– रुपये तक के ऋण के लिए बैंक मार्जिन धन पर जद्दोजहद न करें।" ये सभी चीजें यहां उल्लिखित हैं। लेकिन आम आदमी अथवा यहां तक कि साहूकार भी यह जानते हैं कि उन्हें इन दिशा–निर्देशों का पालन करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं। श्री रेड्डी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

क्या उसको पूरे भारतवर्ष में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई नियमन करके भारतवर्ष के किसानों को बताएंगे कि बैंकों के लिए भी ये नियम लागू हैं ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : जहां तक प्रचार का सवाल है, उसके लिए कुछ किताबें और ब्रोशर छपी हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार हो सकता है, जिससे आम लोगों तक यह पहुंचे। यह भी थोड़ा ठीक है कि बैंक पूरी सहूलियत नहीं जानते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्री जी कबूल कर रहे हैं कि बैंक भी नहीं जानते हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मेरा अनुभव यह है, लेकिन हमने सब केन्द्रों पर प्रचार के लिए नोटिस बोर्ड पर भी लगाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके काम में खलल न डालें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : लघु और सीमान्त किसानों को दी जा रही रियायतों को सूचना पर प्रदर्शित कर दिया जाता है।

प्रश्न का पहला भाग ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि से संबंधित है। यह वाणिज्यिक बैंकों का ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को योगदान है। यह सिर्फ ऋण नहीं है। वे आवश्यकता के अनुसार सिर्फ 'नाबार्ड' को योगदान देते हैं और 'नाबार्ड' राज्यों को ऋण देता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो सके।

दूसरे, माननीय सदस्य को 18 प्रतिशत के बारे में विशेष रुचि है। मैं पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। ....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : आवश्यक जमा अनुपात।

अध्यक्ष महोदय : रूडी जी आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप मंत्री महोदय को सहयोग करें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं सदस्य को सभी बैंकों के आवश्यक जमा अनुपात का ब्यौरा उपलब्ध करा दूंगा।

बचत खाते पर ब्याज दर

***284. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार बचत खाते की अल्प लागत वाली निधि के मुख्य स्रोत से लाभ उठाने के लिए बाजार के रुझानों के आधार पर बचत खाते पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बैंकों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह किस हद तक सहायक होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर, जो वर्तमान में 4.5 प्रतिशत वार्षिक है, का विनियमन एवं उसकी समीक्षा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक का बचत बैंक खातों पर ब्याज की दर को अविनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, बैंकों को बचत खातों पर ब्याज दरों को निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि ये खाते अधिकांशतः बहुत छोटे निवेशकों के होते हैं। छोटे निवेशक बचत बैंक खातों में अपनी गाढ़ी कमाई द्वारा अर्जित धन राशि को जमा करते हैं। यदि बैंक इन खातों पर अधिक ब्याज नहीं देता है तो छोटे निवेशकों का बचत स्वरूप प्रभावित हो सकता है और बैंक अतिरिक्त धन–राशि का भी संग्रह कर सकते हैं। इससे देश की अर्थ–व्यवस्था भी नियंत्रित होती है। मेरे प्रश्न के भाग (ग) के बारे में तो माननीय मंत्री महोदय ने साफ–साफ कह दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि मैं कहना चाहता हूं कि छोटे निवेशकों को अधिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने से देश की अर्थव्यवस्था में इसरो सहायता तो मिलती ही है। अतः मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि छोटी जमा राशि पर उच्च ब्याज दर को निर्धारित करने हेतु बैंकों को अनुमति प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव डालें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, हम भारतीय रिजर्व बैंक के दिन, प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह समय–समय पर ब्याज दर की समीक्षा करता है। हम इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को कोई दिशा–निर्देश नहीं दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ही दिशा–निर्देश देता है हम इस प्रक्रिया को नहीं उलट सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर ग्राहकों के हित में ब्याज दर निर्धारित करता है। जहां तक बड़े बैंकों का प्रश्न है, वे ब्याज को विनियंत्रित करते हैं। पन्द्रह दिनों से अधिक समय की जमा के लिए 4.5 प्रतिशत की ब्याज दर धीरे–धीरे एक वर्ष तक बढ़ जाती है। ब्याज दर निर्धारित है।

जहां तक सावधिक जमा राशि का प्रश्न है, मेरे पास ब्याज दर की सारणी है। अगर सदस्य इसे देखना चाहें तो मैं इसे उन्हें उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : वे सावधिक जमा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वे बचत खातों के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं पहले ही कह चुका हूं कि बचत खातों के लिए ब्याज दर 4.5 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, ऐसा लगता है कि आप श्री विवेकानन्द रेड्डी की ओर से बात कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं उनके ही आगे बैठा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री विवेकानन्द रेड्डी, कृपया अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, मुझे कोई दूसरा पूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यकीन है कि मंत्री महोदय यह जानते हैं कि आई सी आई सी आई जैसे बैंकों ने बचत खातों पर 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर छोड़ना शुरू कर दिया है और खाता धारकों को किसी भी समय धन निकासी की सुविधा देना शुरू कर दिया है। अगर धन राशि बैंक के पास 16 दिनों से अधिक दिन तक रहती है तो ब्याज की उच्च दर दी जाती है। अगर वे बैंक ऐसा कर सकते हैं तो अनुसूचित बैंक क्यों नहीं कर सकते हैं ?

चूंकि हम इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हम सचमुच में उन लोगों के लिए क्या सुनिश्चित कराने जा रहे हैं जिनका खाता अनुसूचित बैंक में है तथा उनके लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि उन्हें भी बेहतर और अच्छी सेवा मिल सकें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : जहां तक जो सूचनाएं मैंने एकत्रित की हैं का सवाल है तो मेरे पास आई सी आई सी आई से संबंधित कोई सूचना नहीं है। मैं इसे एकत्र करूंगा और फिर इसे देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां बात यह है कि जहां तक लघु बचतों का सम्बंध है, भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं ब्याज दरों को नियंत्रित कर रहा है। इसलिए जहां तक बचतों पर ब्याज का सवाल है हमारे पास नियंत्रण का कोई काम नहीं है। हम इससे परे नहीं जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, आरबीआई और विभिन्न ट्रेड और बिजनैस संगठनों ने टोटल डिपॉजिट्स, बौरोइंग्स के इंट्रैस्ट रेट कम करने के लिए क्या सरकार से कोई निवेदन किया है? साथ ही सरकार ने भी स्माल सेविंग्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर इंट्रैस्ट रेट कम करने का क्या कोई विचार किया है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : आरबीआई का सरकार से निवेदन करने का कोई संबंध नहीं है। आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। वह खुद ही निर्णय लेती है और लोगों को बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जहां तक दूसरा सवाल है, स्माल सेविंग के क्षेत्र में ब्याज दर में कटौती करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : ब्याज दर केवल 4.5 प्रतिशत है। अधिकांश नियोजित कर्मकार तथा शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी इन अनुसूचित बैंकों में अपनी छोटी–छोटी बचतें जमा करते हैं। वे वाणिज्यिक बैंकों में नहीं जाते हैं। वहां ब्याज की दर बहुत ही कम है। इससे नौकरी से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, छोटी–छोटी बचत योजनाओं के लिए एजेन्ट भी हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की कम दरों के कारण वे भी आगे नहीं आ रहे हैं। मेरे पूरे राज्य में यह आम शिकायत है कि निर्धारित की गई ब्याज की दर बहुत कम है और यह बाजार की स्थितियों से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से ब्याज की दर बढ़ाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक को इसे बढ़ाने का निदेश देने का अनुरोध करता हूं। जब आप उदारीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था और ऐसी अन्य नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर छोटी–छोटी बचतों के मामले को लेकर इतने कठोर क्यों हैं ? इसके साथ ही, आप छोटे लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी बचतों पर बाजार की ब्याज दर नहीं लेने देते हैं। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार क्यों नहीं करती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक अनुरोध है, न कि पूरक प्रश्न।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन जहां तक सावधिक जमा का प्रश्न है, यह 11.5 प्रतिशत है। चालू खाते की छोटी बचतों पर ब्याज केवल 4.5 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पूर्व में छोटी–छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए महिला प्रधान अभिकर्ताओं की नियुक्ति आवर्ती जमा खाता खोलने के लिए कर रखी है ? इनके नियमों में क्या 4.11.1999 को कोई परिवर्तन किया गया है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महिलाओं के लिए खाता खोलने के लिए तो पहले बता दिया है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि नियम एक है। अगर सदस्य को और जानकारी चाहिए तो मैं विवरण उनको भेज दूंगा, उसमें अलग से कोई परिवर्तन नहीं है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, छोटे और मझले निवेशकों के लिए बैंकों की तरफ से कोई पहल नहीं है। इसलिए लोगों ने पिछली बार अपना पैसा शेयर और प्रोपर्टी में लगाया जिससे हर्षद मेहता जैसा कांड हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छोटे और मझले निवेशकों के लिए आप ब्याज का रेट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। यह जो हमारे अर्बन कोओपरेटिव्ज बैंक हैं उनके ब्याज की दर सेविंग रखने वालों के लिए 15 प्रतिशत होती है और वे आगे बढ़ते जा रहे हैं जबकि लोगों का नेशनलाइज बैंकों से विश्वास उठता जा रहा है। इनसे लोन लोगों को मिलता नहीं है न ही निवेशक उनमें पैसा रखना चाहता है। यह जो परसेप्शन जनता में बढ़ता जा रहा है उसको बदलने के लिए क्या आप कोई आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, 15 परसैंट सेविंग रेट पर इंटरस्ट नहीं है। बैंक बचत खातों पर ब्याज की दर समूचे देश में सभी बैंकों में एक समान है।

आप जिस फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, वह टर्म डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है। हरेक बैंक के अलग–अलग नियम होते हैं। कोई 15 परसैंट रखता है और कोई 14 परसैंट रखता है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अरबन कोआपरेटिव बैंक एक साल का 15 परसैंट इंटरस्ट देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

कृपया सावधिक जमा बचतों और बचत बैंक खातों के बीच फर्क कीजिए। सावधिक जमा बचतें और बचत बैंक खाते दो भिन्न–भिन्न चीजें हैं। कृपया दोनों मुद्दों को आपस में मत मिलाइए। जहां तक सावधिक जमा बचतों का संबंध है, बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से संबंधित विनियमन समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, वे जमाकर्ताओं को अपनी आवश्यकतानुसार ब्याज दे सकते हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात के लिए कोटा संबंधी नीति

*285. **श्री राजो सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात के लिए कोई कोटा संबंधी नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के उद्देश्य और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले इस संबंध में संबंधित निर्यातकों और अन्य एजेंसियों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में निर्यातकों द्वारा की गयी शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा उक्त नीति में क्या संशोधन किए जाने का विचार है ?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दो नीति अधिसूचनाओं नामतः परिधान व निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति 2000–2004 तथा यार्न, फैब्रिक्स और मेड–अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति 2000–2004 को अधिसूचित किया है। इन नीति अधिसूचनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं :

(I) परिधान व निटवियर निर्यात के मामले में वर्ष 2000–2004 के लिए आबंटन की प्रणाली निम्नानुसार होगी :

आबंटन की प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत (2000–2004)
विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी. पी. ई.) प्रणाली	70%*
नई निवेशक हकदारी (एन. आई ई.) प्रणाली	15%
गैर–कोटा हकदारी (एन. क्यू. ई.) प्रणाली	5%
पहल आओ पहले पाओ (एफ. सी. एफ. एस.) हकदारी प्रणाली	10%

* इस प्रणाली के अंतर्गत उच्च मूल्य हकदारी के 5% आरक्षण को हटा दिया गया है।

(II) यार्न, फैब्रिक्स और मेड–अप्स के मामले में आबंटन की प्रणाली निम्नानुसार होगी :

	आबंटन की प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
	1	2
1.	**यार्न :**	
	(1) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी. पी. ई.) प्रणाली	55%
	(2) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम. ई. ई.) प्रणाली	15%
	(3) तैयार माल हकदारी (आर. जी. ई.) प्रणाली	30%
2.	**फैब्रिक्स (3, 3क/ई.यू., 31क और 32क/कनाडा श्रेणियों के अतिरिक्त) :**	
	(1) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी. पी. ई) प्रणाली	55%
	(2) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम. ई. ई.) प्रणाली	15%
	(3) विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पी. ई. ई.) प्रणाली	15%
	(4) तैयार माल हकदारी (आर. जी. ई.) प्रणाली	15%
3.	**फैब्रिक्स (ई.यू./श्रेणी 3, 3क; कनाडा श्रेणी 31क और 32/क के लिए) :**	
	(1) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी. पी ई.) प्रणाली	55%
	(2) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम. ई. ई.) प्रणाली	15%
	(3) तैयार माल हकदारी (आर. जी. ई.) प्रणाली	30%
4.	**मेड-अप्स (हथकरघा) संयुक्त राज्य अमरीका में मात्रात्मक प्रतिबंधों के अंतर्गत) :**	
	(1) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी. पी. ई.) प्रणाली	55%
	(2) तैयार माल हकदारी (आर. जी. ई.) प्रणाली	45%

1		2
5.	मेड-अप्स (मिल-निर्मित/विद्युतकरघा) :	
(1)	विगत निर्यात निष्पादन हकदारी (पी. पी. ई.) प्रणाली	55%
(2)	विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम. ई. ई.) प्रणाली	15%
(3)	विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पी. ई. ई.) प्रणाली	15%
(4)	तैयार माल हकदारी (आर. जी. ई.) प्रणाली	15%

(III) नई नीति की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में कोटे का चरणबद्ध उपयोग, कोटे को ऐसे नए निवेश के साथ जोड़ना जो कि ऐसे नए संयंत्र और मशीनों में किए गए निवेश के साथ है जो कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के पात्रता मानदण्ड को पूरा करते हैं तथा नई निवेश कोटा हकदारियों को अहस्तांतरणीय बनाना शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार ने 1.1.2000 से 31.12.2004 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालिक कोटा (निर्यात हकदारी) वितरण नीतियों पर सिफारिश करने के लिए एक कार्यबल स्थापित किया था। इस कार्यबल ने निर्यात संवर्धन परिषदों, प्रमुख व्यापार संघों और परिसंघों से कोटा नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थीं। कार्यबल ने नई दिल्ली और मुंबई में विभिन्न निर्यातकों और संबंधित संघों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए दो खुले सदन अधिवेशनों का भी आयोजन किया था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कार्यबल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले व्यापक स्रोतों से इनपुट पर विचार किया था। नई कोटा नीति बनाते समय उस रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया था।

समय-समय पर वस्त्र/परिधान निर्यातकों के विभिन्न संघों से प्राप्त सुझावों पर विधिवत विचार किया गया तथा जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं ताकि कोटा प्रणाली को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं है। वस्त्र निर्यात संबंधी कोटा नीति बनाने का निर्णय कर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। इन नीति को निर्धारित करने से पूर्व नीति संबंधित सिफारिश करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया था। इस कार्य दल ने शायद कुछ वस्त्र निर्यातकों या उनके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया में किन-किन लोगों को आमंत्रित किया गया था? विचार-विमर्श के मुद्दे क्या थे तथा उस समय वस्त्र निर्यातकों द्वारा की गई किन सलाहों का समावेश इस नीति में किया गया है और किन का नहीं किया गया? इन बातों की विस्तृत जानकारी सदन को दी जाए।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नई कोटा पॉलिसी बनाने के लिए टास्क फोर्स कमेटी बनायी थी। उस कमेटी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि जो भी इस बारे में कहना चाहता है तो अवश्य कह सकता है। बहुत सारी एसोसिएशन्स जो एक्सपोर्ट से संबंधित हैं उन्होंने टास्क कमेटी के सामने सबमिशन्स दी। अगर माननीय सदस्य इसकी लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें ई.पी.सी.,टी.ई.एक्स.पी.आर.ओ.सी.आई.एल. और पी.डी.ई.एक्स.सी.आई.एस. ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : मैंने पूछा था कि कार्य बल में कौन-कौन से मैम्बर थे ? उनके नाम बताएं और बताएं कि उसने क्या सिफारिशें की थीं?

श्री काशीराम राणा : चूंकि बहुत लम्बी सिफारिशें हैं। इसलिए उनका पूर्ण रूप से उल्लेख करने में बड़ा समय लग जाएगा।

श्री राजो सिंह : पहले नाम तो बता दें।

श्री काशीराम राणा : संयुक्त सचिव की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। उसमें हमारी मिनिस्ट्री के सदस्य थे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है वस्त्र निर्यात उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अधिकाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति इस उद्योग से होती है। विदेश में भारतीय वस्त्रों की भारी मांग है। इस स्थिति में निर्यातकों के ऊपर सीमा निर्धारित करने से किस प्रकार के परिणाम सरकार प्राप्त करना चाहती है? निर्यातकों द्वारा इस नीति की घोषणा के बाद प्राप्त हुए सुझावों का क्या विवरण है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने क्या निर्णय लिया है? इन सब का विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें क्योंकि इसका भारी विरोध हो रहा है।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, हमने नई कोटा पॉलिसी इसलिए बनायी कि दिसम्बर 2004 में हमारा मल्टी फाइबर एग्रीमैंट फेज आउट होने वाला है। जनवरी 2005 से वर्ल्ड की पूरी टैक्सटाइल मार्किट फ्री हो जाएगी। वहां टैक्सटाइल सैक्टर प्रतियोगिता में आ सके इसलिए नई कोटा पालिसी जो 1.1.2000 से शुरू होगी, वह बनायी गई। हमारा वर्ल्ड में तीन परसैंट शेयर है जबकि चाइना का वर्ल्ड शेयर 23 परसैंट है।

तो हमारी नई कोटा पालिसी के अंदर जो पावरलूम मैनुफैक्चरर्स हैं, जो नये इन्वैस्टर्स हैं, उनके लिये 5 परसेंट बढ़ाया है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने जो नई टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बनाई है, उसे इस नई कोटा पॉलिसी से जोड़ने की कोशिश की है। इसमें पूरा टैक्साइल सैक्टर और हमारा एक्पोर्ट बढ़े, इसे ध्यान में रखकर यह पूरी पॉलिसी बनाई गई है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने एक टैक्सटाइल कमेटी बनायी थी :

[अनुवाद]

"वर्ष 1997 और 1998 के लिए पावर–लूम निर्यातकों के अधिकार (पी.ई.ई.) संबंधी प्रणाली के अंतर्गत कोटे के आबंटन के मूल्यांकन तथा उसकी उपयोगिता हेतु किए गए सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट" इनकी कमेटी ने रिकमंडेशन की हैं।

"पी. ई. ई. कोटे को "क्लबिंग" के बहाने बेचा जा रहा है। कुछ इकाइयों द्वारा यह बताया गया कि "क्लबिंग" हेतु सादे आवेदन फार्मों पर हस्ताक्षर किये गये और उन्हें एजेंटों को दिया गया" और दूसरी सत्यम कमेटी की रिपोर्ट है

"यदि स्वच्छन्द दुरुपयोग का पता चलता है तो समिति वास्तव में कोटा उपयुक्त रूप से कम करने का पक्ष लेगी जो वास्तविक प्रत्यक्ष निर्यात क्षमता के आनुपातिक होगा तथा साथ दुरुपयोग को रोकने हेतु पर्याप्त कदम उठाने का भी पक्ष लेगी।"

[हिन्दी]

जब आपने अपनी टास्क फोर्स कमेटी बनाई, उस कमेटी के बनाते समय जो रिपोर्ट उस कमेटी ने दी है, क्या आपने उस विचार कर लिया है? आपने पावरलूम के लिये 10 परसेंट से 15 परसेंट किया लेकिन कौन उसका इस्तेमाल करे, उसके लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। समय बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार क्या करेगी?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स कमेटी और सत्यम कमेटी दोनों अलग–अलग हैं और इन दोनों ने जो सिफारिशें की हैं, अभी सरकार के कंसीडेशन में हैं। उन्हें अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि अगले बजट सैशन से पूर्व नई टैक्सटाइल पॉलिसी इस सदन के सामने रखेंगे। जो टास्क फोर्स कमेटी ने सिफारिशें की हैं, और हमारे पास पी. डी. ई. एक्स. आई. एल. का जो सबमिशन है या रिप्रेजेंटेशन मिला है, उसमें परसंटेज बढ़ाने के लिए अवश्य कहा है। इसे क्लब्बिंग करने से वे उसका लाभ उठा रहे हैं। जो कोटा बढ़ाने के लिये कहा है कि यह 10 से 25 प्रतिशत किया जाये, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि इतना ज्यादा देने से हमारे जो गारमेंट कैटेगरी बनाने वाले हैं, उनका बड़ा नुकसान हो जायेगा। मैं सदन और माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहता हूं कि सभी एसोसिएशंस ने मिलकर कहा है कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 10 परसेंट से 15 परसेंट किया गया है और उसके लिये उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। अतः मैं यह कहूंगा कि क्लब्बिंग के बाद वे उसका लाभ उठा रहे हैं।

श्री मोहन रावले : लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जो मिसयूज करते हैं, उन एक्सपोर्टर्स को ब्लैकलिस्टेड करते हैं। इतना ही नहीं, जो छोटे–छोटे मैनुफैक्चरर्स हैं, उन्हें इसका लाभ मिला है। इसलिये हमने यह क्लब्बिंग सिस्टम किया है।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : वस्त्र एवं वस्त्र निर्मित वस्तुओं से संबंधित निर्यात नीति के अंतर्गत आने वाली मदों में अत्यधिक कमी आई है। जब अन्य देशों, विशेषरूप से यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धात्मक वस्त्र बाजार है तो क्या मैं जान सकता हूं कि गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात में वास्तव में कितने प्रतिशत की कमी आई है ? वस्त्र अथवा सूत इत्यादि के निर्यात के मामले में वास्तविक कमी कितने प्रतिशत आई है ? सरकार ने इसे ठीक करने के लिए तथा निर्यात पुनः सामान्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

श्री काशीराम राणा : मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि हमारे निर्यात में कमी नहीं आई है। मैं आपको कुछ ब्यौरे देता हूं। 1996–1997 में हमारा निर्यात 41,828.20 करोड़ रुपए का था, 1997–1998 में यह 46,092.50 करोड़ रुपए का था, 1998–99 में यह निर्यात 52,720.00 करोड़ रुपए का था जिसका तात्पर्य हुआ कि निर्यात में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अतः मंत्रालय यूरोपीय संघ तथा अमरीका को भी निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रहा है।

12.00 बजे मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत के वस्त्र उद्योग की यूरोपियन कंट्रीज में लोकप्रियता को देखते हुए इस उद्योग को विदेशी लोगों ने श्रम के साथ जोड़कर इस पर कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है और अगर ऐसा है तो सरकार ने अपने इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए हैं?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री से संबंधित है। यह सही है कि हमारे खरीदार देश हमारे ट्रेड को कभी चाइल्ड लेबर के साथ जोड़कर और कभी डाइज का मुद्दा उठाकर खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐडवर्स इफेक्ट हमारे ऐक्सपोर्ट पर नहीं हुआ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

***281. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 1999–2000 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात से अर्जित आय का लाभ शिल्पकारों को दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्यात से अर्जित आय का लाभ शिल्पकारों को दिलाने और दस्तकारों को समय पर आदानों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 16.72 प्रतिशत एवं 17.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1999–2000 के लिए निर्यात का लक्ष्य 8280.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, इस प्रकार 17 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

अप्रैल से नवम्बर, 1999 के दौरान हुए 5174.72 करोड़ रुपये के निर्यात से 62 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो गया है।

(ख) निर्यात के आंकड़े राज्य–वार नहीं रखे जाते। पिछले दो वर्षों के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :–

1997–98	6014.76 करोड़ रुपये
1998–99	7072.34 करोड़ रुपये

(ग) से (ङ) यद्यपि निर्यात के लिए कार्य कर रहे कारीगरों की आय के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि 1991–92 की समान कीमतों पर कारीगरों की प्रति व्यक्ति आय 3739 रुपये की तुलना में वर्ष 1995–96 में बढ़कर 5141 रूपये हो गई। इस प्रति व्यक्ति आय में निर्यात उत्पादों से अर्जित आय भी शामिल है। सरकार शिल्प बाजार, शहरी हाट, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, व्यापार उद्यम एवं निर्यात प्रबंध में शिल्पियों को प्रशिक्षण, शिल्प विकास केन्द्र आदि जैसी स्कीमों के अन्तर्गत सहायता प्रदान करती है, जो अन्य बातों के साथ–साथ कारीगरों की आय बढ़ाने एवं आवश्यक सामग्री की पूर्ति में उन्हें सीधे सहायता देती है।

भारतीय सीमेंट निगम की क्षमता

***286. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में भारतीय सीमेंट निगम की इकाइयों की लगभग 85 प्रतिशत उत्पादन क्षमता विद्युत कटौती के कारण प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सीमेंट निगम के पास अपनी इकाइयों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए समान मात्रा में रक्षित विद्युत नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 10 इकाइयां हैं जिनमें से कर्नाटक में स्थित कुर्कुन्टा इकाई सहित 6 इकाइयों में इस समय उत्पादन कार्य बंद है। सी.सी.आई. की इकाइयों में उत्पादन कार्य विद्युत की कटौती और विद्युत आपूर्ति को काटने सहित विभिन्न कारणों की वजह से प्रभावित हुआ है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक ने 1992–93 से 1998–99 की अवधि के दौरान मांगने पर 10% से 55% और ऊर्जा पर 20% से 70% के बीच कटौती लागू की थी। मध्य प्रदेश ने 1992–93 से 1997–98 तक मांगने पर 30% से 40% के बीच कटौती की थी और अधिक विद्युत भार पर प्रतिबंध जारी है।

(ग) और (घ) सभी इकाइयों के लिए विद्युत की कुल अपेक्षा 84.25 मेगावाट है जिसके मुकाबले 3.8 मेगावाट प्रति क्षमता के दो डीजल जनरेटिंग सैट्स जिन्हें 29 करोड़ रुपए की बजट संबंधी सहायता के जरिए 1999 के दौरान तांदूर और आदिलाबाद में लगाया गया था, को मिलाकर 37.2 मेगावाट की स्थापित केप्टिव जनरेटिंग क्षमता है।

[हिन्दी]

कालीनों के निर्यात में कमी

***287. श्री रामशकल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कालीनों के निर्यात में अभूतपूर्व कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके निर्यात में भारी कमी आने के क्या कारण हैं;

(ग) कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या निश्चित कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश से कितने मूल्य के कालीनों का निर्यात किया गया और कुल निर्यात आय में कालीन निर्यात से अर्जित राजस्व की प्रतिशतता कितनी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) अप्रैल से नवम्बर, 1999 की अवधि में कालीन का निर्यात अनन्तिम रूप से 1406.62 करोड़ रुपये का हुआ है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) कालीन का निर्यात बढ़ाने हेतु कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से उठाये जाने वाले विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों में अर्न्तराष्ट्रीय मेलों में भाग लेना और बिक्री–सह–अध्ययन दल भेजना, निर्यातकों को विपणन फीड–बैक मुहैया कराना, भारत में वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय कालीन मेले आयोजित करना, कालीन उद्योग में मानव संसाधन विकास और अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना की सहायता से डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना शामिल है।

(घ) निर्यात के आंकड़े राज्य–वार नहीं रखे जाते। तथापि, अनुमान है कि भारत से होने वाले कालीनों के निर्यात में उत्तर प्रदेश का लगभग 65 प्रतिशत अंश है।

[अनुवाद]

विकास केन्द्रों की समीक्षा

***288. श्री जी. जे. जावीया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में उद्योगों के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के संबंध में विकास केन्द्र योजना का समग्र योगदान क्या है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के पिछले छः महीनों के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा विकास केन्द्रों के लिए वर्ष–वार और राज्य–वार कितनी राशि आबंटित की गई तथा वास्तव में खर्च की गई;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार विकास केन्द्रों की विशेषकर गुजरात में, क्या स्थिति है;

(घ) क्या सरकार का विचार विकास केन्द्र योजना की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्यों के औद्योगिकीकरण में इन केन्द्रों से किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत, 68 विकास केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं। 23 विकास केन्द्रों में भू–खण्डों का वितरण आरंभ हो गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ विकास केन्द्रों में औद्योगिक कार्यकलाप शुरू हो गया है और इनमें रोजगार का भी सृजन हुआ है। शेष केन्द्र अवसंरचानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है।

30.9.99 की स्थितिनुसार इस योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार द्वारा अपने तीन विकास केन्द्रों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति को निम्न रूप में सूचित किया गया है :–

वागरा (जिला भड़ूच) इस परियोजना में कुल 4940 लाख रुपये व्यय हुए हैं, जिसमें पूर्ण जारी केन्द्रीय राशि 10 करोड़ रुपये की है और शेष राशि राज्य की है। इस विकास केन्द्र में अब औद्योगिक भूखंड का आबंटन शुरू हो गया है।

गांधीधाम (जिला कच्छ) और पालनपुर (जिला बनासकंठा) के विकास केन्द्रों के संबंध में, राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के लिए 500 लाख रुपये की राशि जारी की है।

अनुमोदित विकास केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता की राशि राज्य द्वारा विकास केन्द्र के क्रियान्वयन में सूचित भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 1997–98, 1998–99 और वर्ष 1999–2000 में विकास केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार का बजटीय आबंटन क्रमशः 25 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये था। विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में 30.9.99 तक की अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि राज्य द्वारा जारी की गई और इस संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। योजना के क्रियान्वयन को नौवीं योजनावधि अर्थात् 1997–2002 तक के लिए अग्रसारित कर दिया गया है।

(च) विकास केन्द्र योजना का उद्देश्य औद्योगिक अवस्थापनापरक सुविधाएं मुहैया करना है ताकि राज्य अभिकरण औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित कर सकें। केन्द्र सरकार की भूमिका अवस्थापनापरक सुविधाएं जुटाने की है और इसकी भूमिका सीधे तौर पर औद्योगिकीकरण करने की नहीं है। स्थापना स्थल पर योजना का क्रियान्वयन करना और प्रमुख वित्तीय योगदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उनके औद्योगिक

विकास निगमों की होती है। औद्योगिक भू–खण्डों की बिक्री औद्योगिक इकाइयों, आदि को आकर्षित करने जैसी औद्योगिकीकरण करने संबंधी प्रक्रिया में राज्य सरकारों को भूमिका अदा करनी होती है।

अतः राज्यों में इन विकास केन्द्रों द्वारा औद्योगिकीकरण के संबंध में कितनी सहायता प्रदान की जाएगी, यह अधिकांशतः राज्य सरकारों की पहल पर निर्भर करता है।

विवरण–I

विभिन्न राज्यों में विकास केन्द्रों के विकास पर जारी की गई निधियों तथा खर्च किये गये व्यय के ब्यौरे।

(1997–98)

(लाख रुपये)

क्र.सं	राज्य का नाम	केन्द्र द्वारा जारी	राज्य द्वारा जारी *	किया गया व्यय *
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	150	100	1171
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	118	73
3.	असम	50	5	32
4.	बिहार	50	168	108
5.	गोवा	150	शून्य	320
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	50	25	1072
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	168
9.	जम्मू एवं कश्मीर	50	शून्य	395
10.	कर्नाटक	60	360	6121
11.	केरल	200	838	1143
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	694	2207
13.	महाराष्ट्र	1300	663	1291
14.	मणिपुर	50	127	8
15.	मेघालय	शून्य	75	65
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य	182	114
19.	पांडिचेरी	50	शून्य	शून्य
20.	पंजाब	शून्य	शून्य	128
21.	राजस्थान	120	शून्य	526
22.	तमिलनाडु	शून्य	1000	460
23.	त्रिपुरा	शून्य	193	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	220	75	242
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य

* राज्य सरकार द्वारा बताए गए आंकड़े।

विवरण–II

विभिन्न राज्यों में विकास केन्द्रों के विकास पर जारी की गई निधियों तथा खर्च किये गये व्यय के ब्यौरे।

(1998–99)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्र द्वारा जारी	राज्य द्वारा जारी *	किया गया व्यय *
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	300	शून्य	203
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	19	114
3.	असम	शून्य	315	419
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू एवं कश्मीर	50	360	375
10.	कर्नाटक	120	शून्य	2632
11.	केरल	532	905	1304
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	30	703
13.	महाराष्ट्र	250	914	1368
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	500	317	367
18.	उड़ीसा	100	शून्य	1124
19.	पांडिचेरी	शून्य	675	457
20.	पंजाब	शून्य	शून्य	79
21.	राजस्थान	100	शून्य	1150
22.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	2239
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य

* राज्य सरकार द्वारा बताए गये आंकड़े।

विवरण–III

विभिन्न राज्यों में विकास केन्द्रों के विकास पर जारी की गई निधियों तथा खर्च किये गये व्यय के ब्यौरे।

[1999–2000, (30. 9. 1999 तक)]

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्र द्वारा जारी	राज्य द्वारा जारी *	किया गया व्यय *
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	100	39
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	250	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	18	278
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू एवं कश्मीर	100	117	205
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	201
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	37	237
13.	महाराष्ट्र	200	245	292
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	99
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य	10	21
19.	पांडिचेरी	250	शून्य	3
20	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
21.	राजस्थान	250	250	307
22.	तमिलनाडु	50	शून्य	825
23.	त्रिपुरा	शून्य	60	30
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	420	852
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य

* राज्य सरकार द्वारा बताए गये आंकड़े।

भारतीय स्टेट बैंक

***289. श्री सी. कुप्पुसामी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू और विदेशी बाजारों में शेयरों की एक साथ बिक्री करके भारतीय स्टेट बैंक की निवल पूंजी को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बाजार में इसके शेयरों की बिक्री के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाने का विचार है;

(ग) क्या शेयरों के परिणामस्वरूप प्रदत्त पूंजी की शेयरधारिता में सरकार की भागीदारी के 50 प्रतिशत से नीचे आ जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार किस तरीके से भारतीय स्टेट बैंक पर नियंत्रण सुनिश्चित करेगी; और

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों को जनता को देने के क्या कारण हैं जबकि भारतीय स्टेट बैंक का पूंजी पर्याप्तता का अनुपात (सी ए आर) अच्छा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (बालासाहिब विखे पाटील) : (क)

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि घरेलू और विदेशी मार्किट में शेयरों की एक साथ बिक्री करके बैंक की पूंजी में तत्काल वृद्धि करने का कोई विशेष प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी में भारत सरकार की कोई शेयरधारिता नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी में भारतीय रिजर्व बैंक की 59.73 प्रतिशत शेयरधारिता है। विद्यमान संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता 55 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती। भारतीय स्टेट बैंक जब कभी सार्वजनिक निर्गम जारी करने का निर्णय लेता है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इसकी पूंजी पर्याप्तता का अनुपात ने केवल भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक है बल्कि विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की विद्यमान, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में इसकी स्थिति और कारोबार के विस्तार की आवश्यकता के अनुकूल है। भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता को 50 प्रतिशत से कम करने के लिए किए जाने वाले किसी परिकल्पित संवैधानिक संशोधन के कारण भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता का स्तर कम होने की स्थिति में भी न केवल भारतीय स्टेट बैंक के वृहद शाखा नेटवर्क के कारण बल्कि अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के फलस्वरूप सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना सम्भव होगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कोयला खानों को बंद करना

***290. श्री विकास चौधरी :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के प्रबंधन नें 64 कोयला खानों को बंद करने के लिए एक वर्ष पहले एक संकल्प स्वीकार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के संकल्प को अभी तक मंजूरी नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त संकल्प की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में अत्यंत आवश्यक उत्तम किस्म के कोयले की वृद्धि हेतु इन भूमिगत खानों की उत्पादन प्रणाली की नवीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) महोदय, कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. ने ई.को.लि. के एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं के एक समूह, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई सी आई सी आई) को नियोजित किया। इस पैकेज में ई.को.लि. के पुनरुद्धार के लिए संयुक्त उपायों को रेखांकित किया गया है, जिसमें उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि, जिसके लिए पूंजी के निवेश अपेक्षित हैं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपकर की वसूली में कटौती, श्रमशक्ति में कमी और अत्यधिक अनुत्पादी खानों को बंद करना शामिल है।

इसी बीच वर्ष 1998-99 के वित्तीय वर्ष के अंत में नकारात्मक निवल मूल्य के कारण ई.को.लि को स्वयं को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भगत करना पड़ा था।

विदेशी उद्यम

***291. डा. नीतिश सेनगुप्ता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शेयरधारकों को सभी नए विदेशी उद्यमों के साथ सहयोजित करने की पहले की नीति को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय शेयरधारक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। वे उन क्षेत्रों को छोड़कर, जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) की अनुमति नहीं दी गई है, सभी क्षेत्रों में विदेशी भागीदार रख सकते हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों की निवेश अपेक्षा को पूरा करने के लिए शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति भी दी गई है। इन क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण, राजमार्गों, यातायात-पुल, महसूल सड़कों, यातायात-सुरंगों, पत्तनों और बन्दरगाहों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

ताप बिजली घरों में कोयले का भंडार

***292. श्री मानसिंह पटेल :**

श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी और इसकी ढुलाई संबंधी कठिनाइयों के कारण देश के विभिन्न ताप बिजली घरों में कोयले का भंडार केवल कुछ ही दिनों के लिए उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इन बिजली घरों में कोयले के भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 10. 12. 1999 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बिजली घरों में कुल स्टॉक 10.48 मिलियन टन है।

(ग) कोयला कंपनियां देश में सभी बिजली घरों में कोयले की संयोजित मात्रा की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनियां परस्पर संपर्क बनाए रखती हैं। अंतर–मंत्रालयीय समिति द्वारा कोयले की आपूर्ति की भी समीक्षा नियमित रूप से की जाती है और जहां कहीं भी अपेक्षित हो, कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

प्रत्यक्ष कर कानून

***293. डॉ. अशोक पटेल :**

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) प्रत्यक्ष कर कानूनों का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर बजट में कानून में अनेक परिवर्तन किए जाते हैं। कभी–कभी बाहरी विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होने पर प्रायः विभागीय समितियां गठित की जाती हैं जो संबंधित विषयों का अध्ययन करके उनमें परिवर्तनों की सिफारिश करती हैं।

(ख और (ग) वर्ष 1996 में आयकर कानून को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। उक्त विशेषज्ञ दल ने फरवरी, 1997 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और आयकर विधेयक का कार्य मसौदा जुलाई, 1997 में प्रस्तुत किया था। उपर्युक्त रिपोर्ट तथा मसौदा आयकर विधेयक में निहित अनेक महत्त्वपूर्ण सुझावों को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा किए गए व्यापक संशोधन के जरिए वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 में शामिल किया गया था।

मूल्य वृद्धि

***294. श्री जे. एच. बराड़ :**

श्री शंकर सिंह बाघेला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 नवम्बर, 1999 के "द बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "फूड प्राइसेज पुश अप इनफ्लेशन रेट टू 3.01%" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या दैनिक उपयोग की वस्तुओं विशेषकर खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि के परिणामस्वरूप आम आदमी का मासिक घरेलू बजट गड़बड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्य वस्तुओं के समूह (जिसका थोक मूल्य सूचकांक में भारांश 17.38 प्रतिशत है) द्वारा दर्शाए गए खाद्य मूल्य एक वर्ष पहले जब समूची वार्षिक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 3.01 हो गई थी, की तुलना में 6. 11. 99 को समाप्त हुए 32वें सप्ताह में 1.7 प्रतिशत तक बढ़ी थी। खाद्यानों को छोड़कर, जिनके मूल्य 11.8 प्रतिशत तक बढ़े थे, दैनिक उपयोग की अन्य सभी अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य पिछले एक वर्ष की तुलना में या तो कम थे अथवा उनमें बहुत मामूली वृद्धि हुई।

खाद्यानों, विशेषतया गेहूं और चावल, के मूल्यों में अधिकांशतः वृद्धि, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 7.8 प्रतिशत और चावल के मूल्य में 6 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। दैनिक उपयोग की अन्य अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य इस वर्ष कम रहे। 6–11–99 को समाप्त हुए सप्ताह में चीनी की वार्षिक मूल्य वृद्धि 1 प्रतिशत थी जबकि मूंगफली के तेल और तोरिया एवं सरसों के तेल के मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 26.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

(घ) 27–11–99 को समाप्त हुए 35वें सप्ताह के लिए अद्यतन थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर 2.46 प्रतिशत (अनन्तिम) है। यह गिरावट फलों, सब्जियों और दैनिक उपभोग की अन्य मदों के मूल्यों में गिरावट के साथ ही साथ हुई। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी. पी. आई (आई डब्ल्यू) की वार्षिक वृद्धि दर, जो नवम्बर,

1998 में बढ़कर लगभग 19.7 प्रतिशत के अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, निरन्तर घटते हुए अक्टूबर, 1999 में 0.9 प्रतिशत के रिकार्ड न्यून स्तर पर पहुंच गई, जो दैनिक उपयोग की खाद्य तेलों और दालों जैसी अनिवार्य वस्तुओं के फुटकर मूल्यों की सामान्य अद्योगामी प्रवृति को दर्शाती है।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें
(बिन्दु–दर–बिन्दु)

(प्रतिशत)

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित (आधार 81–82) (बिन्दु–दर–बिन्दु)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) पर आधारित (आधार 1982) (माह/माह)
1998-99		
नवम्बर	8.1	19.7
दिसम्बर	6.3	15.3
जनवरी	4.7	9.4
फरवरी	5.3	8.6
मार्च	5.0	8.9
1999-2000		
अप्रैल	4.3	8.4
मई	3.8	7.7
जून	3.1	5.3
जुलाई	2.3	3.2
अगस्त	2.2	3.1
सितम्बर	2.7	2.1
अक्टूबर	2.6 (अनन्तिम)	0.9
नवम्बर	2.8 (अनन्तिम)	

(ङ) वर्ष 1999–2000 के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबन्धन की कारगर नीतियां अपनाई गई हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ नीतिगत पहलें निम्नलिखित हैं :–

* अनिवार्य जिंसों के मूल्यों के घट–बढ़ पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव के अधीन एक उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य मानीटरिंग बोर्ड की स्थापना की गई है।
* फसलों के अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक पूर्वानुमानों के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा एक फसल पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की गई है।
* अनिवार्य जिंसों के फुटकर मूल्यों की मानीटरिंग करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग में एक विशेष मूल्य मानीटरिंग सेल की स्थापना की गई।
* नैफेड को प्याज और दालों के मूल्य स्थिर रखने के लिए उनके अल्पावधि बफर स्टाक का सृजन करके बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों को सप्लाई किए जाने के लिए खाद्य तेल का सरकारी खाते की मद में आयात किया गया।
* राज्य सरकारों को अनिवार्य जिंसों के जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

[अनुवाद]

खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कृषि उत्पादों का आयात

***295. श्री आर.एल. जालप्पा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कितने कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति है;

(ख) भारतीय किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) देश के किसानों के हितों की रक्षा हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भुगतान–संतुलन कारणों से 2714 टैरिफ लाइनों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध अधिसूचित किए गए थे। इनमें से 1298 टैरिफ लाइनों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं जिनमें से 425 टैरिफ लाइनें कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। शेष टैरिफ लाइनों पर मात्रात्मक प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। तथापि, सार्क देशों के लिए ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंध दिनांक 1.8.98 से सभी मदों पर से हटा दिए गए थे। कृषि मदों पर आयात–नीति के ब्यौरे, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "निर्यात और आयात मदों का आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण" में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं। तथापि ऐसे सभी आयात पर सीमा शुल्क की लागू दरें लगाई जाती हैं। इस प्रकार टैरिफ तंत्र के माध्यम से देशी किसानों को सुरक्षा उपलब्ध है। देशी किसानों पर टैरिफ के वर्तमान स्तर का गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपिनियों द्वारा एकत्रित धनराशि

***296. श्री पी. एस. गढ़वी :**

श्री सी. पी. राधाकृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कार्यरत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के पास जमा की गई सार्वजनिक धनराशियों के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भूमिगत हो गई कंपनियों सहित इन कंपनियों द्वारा एकत्रित की गई कुल धनराशि अनुमानतः कितनी है;

(ग) क्या अनेक कंपनियां बिना किसी लाइसेंस अथवा प्राधिकार के आम जनता से धन एकत्रित कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कंपनियों द्वारा एकत्र की गई भारी धनराशि की सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंसिंग योजना लागू की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गैर–लाइसेंसशुदा कंपिनियों के पास अभी भी कितनी धनराशि है;

(छ) क्या निवेशकों के धन की सुरक्षा हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) के पास जमा सार्वजनिक जमाराशियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	जमाराशियां (करोड़ रुपए)
31.3.1998 की स्थिति के अनुसार	23,150
31.3.1999 की स्थिति के अनुसार	21,519 (अनंतिम)

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार शुरू करने या जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवेश के समय न्यूनतम 25 लाख रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि निर्धारित की गई थी। इसे दिनांक 21. 4. 1999 से बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भावी जमाकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान का भी सहारा लिया है। इस अभियान में जनता को, अन्य बातों के साथ–साथ, यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और उन कंपनियों के पास धनराशियां जमा न करें, जिन्हें सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती।

(छ) और (ज) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड को चूककर्ता कंपनियों को वापसी अदायगी करने का निर्देश देने की विशिष्ट शक्तियों सहित जमाकर्ताओं के दावों के न्यायनिर्णयन के लिए प्राधिकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित कार्य दल ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों के विधायी एवं नियामक ढांचे में कई परिवर्तनों की सिफारिश की है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ पंजीकरण के लिए न्यूनतम 25 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता की समीक्षा, पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्रों के अनुमोदन और नामंजूरी के संबंध में राज्य सरकारों को अवगत कराना, अप्राधिकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनियमित वित्तीय मध्यस्थों द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति को संज्ञेय अपराध बनाना, अनियमित निकायों द्वारा जमाराशियों की प्राप्ति हेतु विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाना, जमाकर्ता शिकायत निवारण प्राधिकरण की स्थापना करना, जमाकर्ताओं की जागरूकता के लिए प्रचार अभियान आदि शामिल हैं। इन सिफारिशों के आधार पर, निवल स्वाधिकृत निधियों की 25 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दिया गया है, राज्य सरकारों को उन गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें पंजीकरण मंजूर किया गया है और जिन्हें पंजीकरण करने से इनकार कर दिया गया है आदि। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक अलग विधान अधिनियमित करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।

वस्त्र नीति के संबंध में अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लि. का अनुरोध

*** 297. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्र सरकार से नई वस्त्र नीति बनाने की सत्यम समिति की सिफारिशें स्वीकार न करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा उठायी गई आपत्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हथकरघा बुनकरों की सहायता करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्य आपत्तियां हैंक यार्न बाध्यता आदेश तथा हथकरघा आरक्षण अधिनियम पर सिफारिशों से संबंधित है। समिति ने बताया कि यदि हैंक यार्न बाध्यता और हथकरघा आरक्षण अधिनियम लागू रहते हैं तो हथकरघा क्षेत्र के लिए मुख्य समस्याएं आएंगी जो कि पहले ही विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा है, अतः सरकार को सिफारिशों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

जब नई वस्त्र नीति को अंतिम रूप दिया दिया जायेगा तब अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र (फैब्रिक) विपणन सहकारी समिति द्वारा उठाये गये मामलों को ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से हथकरघा बुनकरों हेतु कई विकासात्मक तथा कल्याणकारी स्कीमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों में प्रोजेक्ट पैकेज, निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास और उनका विपणन, कार्य–शाला–सह–आवास, थिपट फंड स्वास्थ्य पैकेज, समूह बीमा, नई बीमा, विपणन विकास सहायता आदि शामिल हैं।

पूंजीगत सामान संबंधी शुल्क मुक्त आयात ढांचा

*** 298. श्री के. मुरलीधरन :**

श्री आर.एल. भाटिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू उद्योग के लिए कार्य करने का समान अवसर उपलब्ध करने हेतु पूंजीगत सामान के संबंध में शुल्क मुक्त आयात ढांचे की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) शुल्क का भुगतान किए बिना पूंजीगत सामानों के आयात की सुविधा निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना और निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की योजनाओं के तहत उपलब्ध है। पूंजीगत सामान के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति वृहद विद्युत परियोजनाओं, उर्वरक संयंत्रों इत्यादि को भी दी जाती है। उपरोक्त योजनाओं के तहत, पूंजीगत सामान की आपूर्ति करने वाले घरेलू विनिर्माता माने गए निर्यातों का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इन लाभों में शामिल हैं (क) पूंजीगत सामान के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात हेतु विशेष अग्रिम लाइसेंस (ख) माने गए निर्यात की वापसी (ग) सीमावर्ती उत्पाद शुल्क की वापसी और (घ) एफ.ओ.आर. मूल्य के 6% की दर पर विशेष आयात लाइसेंस।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना की समीक्षा इस समय विचाराधीन नहीं है।

तम्बाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*** 299. श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू क्षेत्र में शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तम्बाकू क्षेत्र में अब तक कितने शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की गई है तथा इनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के प्रस्तावों पर विचार करने संबंधी विद्यमान दिशा–निर्देशों में उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित क्षेत्रों में, जिनमें सिगरेटें भी शामिल हैं, अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। तथापि, चूंकि सिगरेट क्षेत्र में अभी तक 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन का कोई पूर्वोदाहरण विद्यमान नहीं है, अतः दिनांक 27 अगस्त, 1998 के प्रेस नोट संख्या II (1998 शृंखला) के माध्यम से इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा गया कि सिगरेट विनिर्माण हेतु 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसीकरण से संबंधित उपबंधों की शर्तों के अध्यधीन विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

तत्पश्चात्, तंबाकू और सिगरेट उद्योग में विदेशी निवेश किए जाने संबंधी दिशा–निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कपास के मूल्यों में गिरावट

*** 300. श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कपास के मूल्यों में कमी होने और उसके परिणामस्वरूप किसानों को हुए भारी नुकसान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किस सीमा तक मूल्यों में गिरावट आई है;

(ग) सरकार ने किसानों को विशेषकर महाराष्ट्र के किसानों को कपास का लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(घ) भारतीय कपास निगम ने देश में राज्य–वार कितने खरीद केन्द्र स्थापित किये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) वर्ष 1997–98 से पूर्व भारत में कपास की कीमतें सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में कम स्तर पर प्रचलित थीं। तथापि वर्ष 1997–98 के दौरान कपास की घरेलू कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई तथा ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अधिक स्तर पर प्रचलित रहीं। चालू वर्ष के दौरान, जबकि कीमतें पिछले दो वर्षों की तुलना में कम हैं, फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अभी भी अधिक हैं और साथ ही सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्यों से भी अधिक हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार मासिक भारित औसत कीमतों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास (बिनौला) की औसत कीमत निम्नानुसार है :

वर्ष	औसत कीमत (प्रति क्विंटल रुपयों में)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर	औसत न्यूनतम समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल रुपयो में)
1999–2000 (अक्टूबर–14 दिसम्बर)	1988	– 5%	1698
1998–99	2091	– 5%	1576
1997–98	2198	+15.87%	1461
1996–97	1898	—	1313

सरकार प्रत्येक वर्ष कपास (बिनौले) की न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। जब कभी भी कपास की बाजार कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाती है तो सरकार महाराष्ट्र, जहां कि राज्य सरकार की एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना प्रचालन में है, को छोड़कर कपास उपजाने वाले सभी राज्यों में भारतीय कपास निगम के माध्यम से मात्रा संबंधी किसी प्रकार की सीमा के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास (बिनौले) की खरीद करती है।

महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। महाराष्ट्र में उपजाई जाने वाली सभी प्रकार की किस्मों और ग्रेडों की कपास के लिए मौसम के आरंभ में ही राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। वर्ष 1999–2000 के कपास मौसम में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिप्राप्ति की कीमतें सामान्यतः पिछले वर्ष के दौरान प्रस्तावित कीमतों की तुलना में अधिक हैं।

(घ) भारतीय कपास निगम द्वारा देश में स्थापित अधिप्राप्ति केन्द्रों की राज्य–वार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
1	2
पंजाब	14
हरियाणा	7
राजस्थान	32
मध्य प्रदेश	38
गुजरात	42
आंध्र प्रदेश	51
कर्नाटक	21
पश्चिमी बंगाल	1
उड़ीसा	6
तमिलनाडु	3
कुल	215

इंडियन बैंक

2714. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक के पुनरुद्धार हेतु यूनियनों से समझौता ज्ञापन की शर्तों को इण्डियन बैंक के प्रबंधन द्वारा लागू न किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुप्रयोज्य आस्तियों को कम करने के नाम पर बकाया ऋणों को व्यापक स्तर पर बट्टे खाते डाला जा रहा है;

(घ) क्या उन शीर्ष कार्यपालकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जिन्होंने अनियमितताएं की हैं और जिसके कारण इंडियन बैंक की स्थिति खराब हुई;

(ङ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक के कार्य निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि बैंक के पुनरुज्जीवन के लिए बैंक के प्रबंधन द्वारा यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ किए समझौते ज्ञापन के क्रियान्वित किया जा रहा है तथापि, कुछ क्षेत्रों में समझौते ज्ञापन द्वारा अपेक्षित स्तरों को प्राप्त करना संभव नहीं है।

(ग) इंडियन बैंक ने सूचित किया है कि अनुपयोज्य आस्तियों के संबंध में एक वारगी निपटान के प्रस्तावों पर विचार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देश नीति के आधार पर किया जाता है। नीति का उद्देश्य न्यूनतम हानि द्वारा अधिकतम संभव राशि की वसूली करना है। बट्टे खाते में डालने पर विचार केवल उन मामलों में किया जाता है जिनमें बैंक के पास वसूली का कोई अन्य विकल्प नहीं बचता और बैंक को देय राशियों को पूरा करने के लिए बैंक को प्रभारित आस्तियां पर्याप्त नहीं होती। ऐसा कोई प्रमाण नजर नहीं आया जिससे पता चले कि अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

(घ) जिन लेखों में अपराधिता का प्रथम दृष्ट्या उल्लेख मिलता है, उनके संबंध में सी बी आई द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों के अतिरिक्त जिन कर्मचारियों ने ये अनियमितताएं की हैं, के विरुद्ध कई मामलों में विभागीय कार्रवाई भी की गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीयकृत बैंकों, विशेषकर कमजोर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा समय–समय पर सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। बोर्ड स्तर के अधिकारियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। तथापि, सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई समीक्षा से उत्पन्न विशिष्ट कार्रवाई बिन्दुओं को उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एवं इनके माध्यम से निदेशक मंडल को किया जाता है।

आयकर-विवरणियों की अन्वीक्षा

2715. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर नियमों के अनुच्छेद 143(2) के तहत आयकर विवरणियों के अन्वीक्षण के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है;

(ख) ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जिनमें कर–विवरणियों का चयन आयकर कर्मचारियों द्वारा कोई ड्रा निकाले बिना, हाथ से ही कर लिया गया;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर नियमों के अनुच्छेद 143(2) के तहत कितनी आयकर–विवरणियों का अंकेक्षण किया गया; और

(ङ) किसी व्यक्ति या कंपनी से संबद्ध आयकर विवरणी को कितनी बार अंकेक्षण हेतु लिया जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण हेतु मामलों के चयन के लिए प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं जिसके अन्तर्गत अनिवार्यअन्वीक्षण के अन्तर्गत मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां आती हैं।

(1) तलाशी और अभिग्रहण मामले।

(2) वे मामले जिनमें धारा 133 क के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया जाता है।

(3) वे मामले जिनमें धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण अपेक्षित है।

(4) राजनीतिक दलों के मामले; और

(5) वे मामले जिनमें कर निर्धारण को अलग रखा जाता है अथवा जहां कर निर्धारण न्यायालय के निर्देश के अनुसार अनिवार्य है।

उपर्युक्त के अलावा, धारा 143(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी और उसके अगले वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा विवेक का इस्तेमाल करने के बाद विश्वसनीय और विशिष्ट सूचना के आधार पर कर निर्धारण के लिए मामलों का चयन किया जाता है। मामलों का चयन लिखित रूप में चयन के लिए कारणों को रिकार्ड करने के पश्चात् किया जाता है और नए अनुदेशों के अन्तर्गत लाटरी निकालने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अन्तर्गत संवीक्षित आयकर विवरणियों की कुल संख्या निम्नलिखित है :

वित्त वर्ष	धारा 143(3) के अन्तर्गत कर निर्धारणों की कुल संख्या
1999–2000 (अक्टूबर, 99 तक)	91,777
1998–99	1,91,338
1997–98	3,22,305
1996–97	3,52,276

प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवरणीगत आय में वृद्धि की गई है। प्रत्येक मामले के नतीजे के विवरण अलग से संकलित नहीं किए गए हैं।

(ङ) धारा 143(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण के लिए मामलों का चयन विश्वसनीय और विशिष्ट सूचना के आधार पर होने के कारण किसी भी करदाता के मामले को उत्तरवर्ती कर निर्धारण हेतु कई बार चुने जाने के लिए कोई रोक नहीं है।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र

2716. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को संयुक्त/निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा (जिला गौतम बुद्ध नगर) में स्थापित करने हेतु एक निर्यात संसाधन क्षेत्र को अनुमोदित किया गया है, जिसके लिए कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा जमीन को इंगित कर दिया गया है।

(ख और (ग) निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में स्थापना के लिए चार निर्यात संसाधन क्षेत्रों का अनुमोदन किया गया है, जो इस प्रकार है :

प्रवर्तक का नाम	स्थान
मै. डायमण्ड एंड जेम डिवेलपमेंट कारपोरेशन, मुम्बई	सूरत, गुजरात
मै. के. फोम लिमिटेड, मुम्बई	काण्डिवेली (पूर्व), मुम्बई
मै. कोलेनेक इंटरनेशनल (प्रा.) लि.	ग्राम सिंगिडिवाकम, कांचीपुरम, तालुक तमिलनाडु
मै. टिडको लिमिटेड, मद्रास	नांगुनेरी, जिला तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु

सूरत में निजी निर्यात संसाधन क्षेत्र ने 2. 1. 96 से कार्य करना शुरू कर दिया है और इस क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए अब तक 10 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अन्य निजी/संयुक्त क्षेत्र के निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा अभी कार्य शुरू किया जाना है।

देना बैंक में धोखाधड़ी

2717. श्री रामसागर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अप्रैल, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "एफ.आई.आर' "ज अगेंस्ट थ्री बैंक आफिसर्स इन रुपीज 2 करोड़ फ्राड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मायापुरी स्थित देना बैंक शाखा के तीन अधिकारियों और अन्य के विरुद्ध चार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थीं;

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा प्रक्रियाओं का राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा प्राइवेट बैंकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) देना बैंक ने सूचित किया है कि मायापुरी शाखा में कई नकदी ऋण खातों में अधिकारियों ने प्रत्यायोजित अधिकारों की अवहेलना करके सीमा से अधिक धनराशि की निकासी की अनुमति दी थी। जांच के पश्चात् बैंक ने दो शाखा प्रबंधकों तथा एक लेखाधिकारी को निलम्बित कर दिया और उनके तथा इसमें शामिल अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की है।

(घ) धोखाधड़ियों को रोकने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाया जाना, निरंतर आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की पुनरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा शुरू करना जिसमें बैंक कारोबार के 50 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी शाखाओं को शामिल किया गया हो, 10 लाख रुपए या अधिक नकदी जमाराशियों और निकासियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखा कार्य एवं व्यवस्था में सुधार किया जाना तथा परिचालनात्मक कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। इन्हें बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। बैंकों में घटित धोखाधड़ियों के प्रत्येक मामले में वसूली कार्रवाई, जांचकर्ता एजेंसी के पास शिकायत दर्ज किए जाने तथा कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की कार्रवाई पूरी होने तक भारतीय रिजर्व बैंक उन पर निगरानी रखता है।

अटारी में सीमाशुल्क और आव्रजन

2718. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत–पाक सीमा पर अटारी में सीमा–शुल्क और आप्रव्रजन के लिए उपयुक्त स्थान जैसी बुनियादी आवाजाही सुविधाओं के अभाव की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने लोगों और वस्तुओं की सीमा पार सुगम आवाजाही में सहायता करने हेतु बुनियादी आवाजाही सुविधाओं को प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) सरकार को अटारी भूमि कस्टम स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता की जानकारी है।

(ख) सरकार मौजूदा सुविधाओं के अलावा सौ अतिरिक्त ट्रालियां प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को सुविधाएं

2719. डॉ. वी. सरोजा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भांति विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए एक बैंक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि और ग्रामीण उद्योगों में सुधार लाने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नही। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देना अपेक्षित है। कृषि भी प्राथमिकता क्षेत्र का हिस्सा है और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार, निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र को देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 1999 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के ग्यारह बैंकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

2720. श्री सानछुमा चुंगुर बैसीमुथियारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सात गैर–सरकारी बैंकों से अपने नामितों को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन गैर–सरकारी बैंकों के क्या नाम हैं जो संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और लोकहित में नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक को हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36–क ख में भारतीय रिजर्व बैंक को गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने के अधिकार दिए गए हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक की यह राय हो कि बैंकिंग नीति के हित में या जनता के हित में या बैंकिंग कंपनी या इसके जमाकर्ताओं के हित में बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त निदेशकों के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकता है। तथापि, यदि भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंकों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है और प्रबंधन नीति के सुधार से भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है तथा बोर्ड बिना किसी प्रमुख समस्या के सुसंगत तरीके से कार्य कर रहा है तो भारतीय रिजर्व बैंक अपने नामित निदेशकों को हटा सकता है। तदननुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सात बैंकों से अपने नामित निदेशकों को हटा दिया है।

(ग) से (ङ) गैर–सरकारी क्षेत्र के उन 15 बैंकों, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक कार्य करना जारी रखे हुए हैं, के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. बैंक आफ राजस्थान लि.
2. बनारस स्टेट बैंक लि.
3. भारत ओवरसीज बैंक लि.
4. तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.
5. कैथोलिक सिरियन बैंक लि.
6. लार्ड कृष्णा बैंक लि.
7. सांगली बैंक लि.
8. जम्मू और कश्मीर बैंक लि.
9. वैश्य बैंक लि.
10. रत्नाकर बैंक लि.
11. गणेश बैंक आफ कुरूंदवाड लि.
12. नैनीताल बैंक लि.
13. धनलक्ष्मी बैंक लि.

14. फैडरल बैंक लि.

15. नेडुंगाडी बैंक लि.

टिप्पणी : सिक्किम बैंक लि. उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि यह अधिस्थगन के अधीन है।

भारतीय रिजर्व बैंक के नामिति इन बैंकों में उनकी असंतोषजनक वित्तीय स्थिति अर्थात् कम पूंजी आधार, कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात, अनुपयोज्य आस्तियों के ऊंचे स्तर या कुछ अन्य विशिष्ट समस्या के कारण बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक लि. के मामले में राज्य की विशिष्ट स्थिति के देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक को जारी रखा जाएगा। उपर्युक्त 15 बैंकों के संबंध में प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि इस समय इन बैंकों के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को हटाने का कोई विचार नहीं है।

आयात नियंत्रण

2721. श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने की प्रक्रिया में बहुत–सी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लाइसेंस की शर्तों को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयात नियंत्रण में रियायत देने पर सरकार को किस सीमा तक मदद मिली है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) वर्ष 1997 में भारत ने डब्ल्यू टी ओ को 2714 टैरिफ लाइन अधिसूचित की थीं जिनका आयात भुगतान संतुलन के कारण से मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन था। हमारे अलग–अलग व्यापारिक साझेदारों के साथ इन प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की एक योजना पर वार्ता की गई थी और इसकी अधिसूचना डब्ल्यू टी ओ को भी भेजी गई थी। चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की उक्त योजना के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 1285 टैरिफ लाईनों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को पहले से ही समाप्त किया जा चुका है जिनमें से कुछ टैरिफ लाइनों में उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं तथापि, सभी आयात, लागू सीमा शुल्क दरों के अधीन होता है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है। मुक्त व्यापार के द्वारा उपभोक्ताओं को प्रतियोगी कीमतों पर गुणवत्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, इससे सरकार को सीमा शुल्क वसूली के जरिए अपने राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलती है। जिन मदों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। उन्हें "निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एस एच) वर्गीकरण" में तथा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में दर्शाया गया है। ये सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय स्टांप अधिनियम का उल्लंघन

2722. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को जालसाज चिटफंड और गैर–बैंकिंग कंपनियों के जाल से बचाने के लिए क्या विशेष प्रयास किये गये हैं जो लोगों से धन जमा कराते हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहारा आदि जैसी कुछ गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमा रसीद पर राजस्व टिकट का प्रयोग न कर भारतीय स्टांप अधिनियम का उल्लंघन कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण सरकारी राजकोष की कितनी क्षति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) चिट फंड और गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों वित्तीय मध्यस्थता में शामिल दो अलग–अलग श्रेणियों वाली संस्थाएं हैं। गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी क्षेत्र का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने तथा जमाकर्ताओं को उपलब्ध संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से विधायी अधिनियमन तथा विनियमों को अधिसूचित किए जाने सहित समय–समय पर कई कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों में, अन्य बातों के साथ–साथ गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, प्रवेश स्तरीय न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि का निर्धारण जिसे वर्ष 1997 के 25 लाख रुपए से बढ़ाकर दिनांक 21. 4. 1999 से प्रभावी रूप से 200 लाख रुपए कर दिया गया है, जमाराशियों की वापसी अदायगी के लिए चूककर्ता गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों को निदेश देने हेतु कंपनी विधि बोर्ड को प्राधिकृत करना, कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के लिए मुकदमा चलाना आदि शामिल है। साथ ही साथ, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के भावी जमाकर्ताओं को उन पहलुओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिस ओर गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों में जमाराशियां जमा करने से पूर्व उनका ध्यान जाना चाहिए। इस अभियान ने इस तथ्य को उजागर किया है कि जमाकर्ताओं को अपंजीकृत गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों तथा उन कंपनियों से बचना चाहिए जिसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई है। जहां तक चिटफंडों का संबंध है, कोई भी चिट राज्य सरकार, जिसके क्षेत्राधिकार में इसे शुरू या आयोजित किया जाना है, या इसके लिए सरकार की ओर से शक्ति प्राप्त ऐसे अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना तथा जब तक कि चिट फंड अधिनियम, 1982 के उपबंधों के अनुसार उस राज्य में उक्त चिट को पंजीकृत नहीं किया जाता है तब तक, शुरू नहीं किया जाएगा।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहारा नाम की कोई गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी नहीं है। यह संदर्भ शायद सहारा समूह की अवशिष्ट गैर–बैंककारी कंपनी के बारे में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समूह से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवन्यू टिकटों का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जाता है।

कपड़ा क्षेत्र की इकाइयां

2723. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कितना हथकरघा, विद्युतकरघा, कृत्रिम धागा, सिले–सिलाए वस्त्र और हौजरी इकाइयां कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर उक्त क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) इन इकाइयों में उत्पादित कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) देश के भीतर हथकरघा, विद्युतकरघा तथा संश्लिष्ट यार्न की संख्या निम्नानुसार है :

विद्युतकरघा*	संश्लिष्ट यार्न*	हथकरघा**
364,654	285 एककें	3,486,308

* वस्त्र आयुक्त, मुंबई के कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार।

** हथकरघा जनगणना (1995–96) –अनंतिम के अनुसार

मंत्रालय सिलेसिलाए परिधान तथा हौजरी क्षेत्रों जो विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हैं, में एककों की संख्या के ब्यौरे नहीं रखती है। इसके अलावा, जनजातीय तथा अनुसूचित जनजाति प्रभावी क्षेत्रों में विभिन्न एककों पर आंकड़ा पृथक रूप में नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की भूमिका सुलभकर्ता के रूप में है। विकास आयुक्त (हथकरघा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड जैसे क्रियान्वयन करने वाली अभिकरणों के द्वारा, सरकार वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए अधिकांश योजनाओं के लिए निधि प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, ऐसी योजनाओं पर योजना के अंतर्गत व्यय क्रमशः 233.50 करोड रुपए, 238.69 करोड़ रुपए तथा 239.33 करोड़ रुपए थी। 1999–2000 के लिए वस्त्र मंत्रालय का योजना बजट 266 करोड़ रुपए है। सरकार द्वारा निर्यात संवर्द्धन के लिए उठाए जा रहे अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(1) सरकार ने वस्त्र तथा पटसन उद्योगों कें लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना शुरू की है जो 1/4/99 से पांच वर्षों तक अर्थात 31/3/2004 तक चालू है। इस योजना के अंतर्गत निधि देने पर कोई रोक नहीं है। यह एक मुक्त छोर वाली योजना है जो बैंक ग्राह्य तथा प्रौद्योगिकीय–आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों में निधियों को समाहित करने के लिए उद्योग की क्षमता पर निर्भर करेगा। योजना में योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदात्री अभिकरण द्वारा प्रभारित ब्याज का 5% बिन्दु की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। 31 अक्टूबर, 1999 की स्थिति अनुसार, 1188.03 करोड़ रुपए टी यू एफ एस के अंतर्गत 91 पात्र एककों को स्वीकृत किया गया है। योजना राज्य विशिष्ट अथवा क्षेत्र विशिष्ट नहीं है।

(2) सरकार विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए वस्त्र उद्योग को दिशा प्रदान करने के लिए वस्त्र नीति पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नई वस्त्र नीति तैयार कर रही है।

(3) लदान–पूर्व तथा लदान पश्चात् ऋण निधि पर ब्याज दर को निर्यातकों को सस्ता वित्त उपलब्ध कराने के लिए घटाकर 10% कर दिया गया है।

(4) कुछ यूरोपीय संघ देशों ने विशिष्ट एजोडाइज के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वस्त्र व्यापार तथा उद्योग के बीच पारि–अनुकूल अवधारणाओं का संवर्द्धन करने तथा वस्त्र उत्पादन को प्रतिबंधित डाइज तथा रसायनों तथा अन्य पारि–प्राचलों के रूप में परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश में महत्त्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों पर पारि–गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

(5) अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत 33% का न्यूनतम मूल्य योग की आवश्यकता को वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए समाप्त कर दिया गया है। 100% इ ओ यू/डी पी जेड के लिए निर्यात के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा आय 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है।

(6) वस्त्र तथा परिधान मशीनरी के जीरो शुल्क डी पी सी जी आयात के लिए आंरभिक सीमा भारतीय वस्त्र निर्यात को निश्चित प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 20 करोड़ रुपए से घटाकर 01 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(7) कोटि के फैब्रिक्स तथा अन्य कच्चे सामानों तक आसान पहुंच के लिए, निजी बंधुआ वेयरहाउस की योजना भारत के निर्यात–आयात नीति में शामिल किया गया है।

(8) टैग्स, लेबल्स, पोली बैग्स, बटन तथा बेल्ट्स के अलावा पोलीवेडिंग तथा पास्टेटनर्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गयी है।

(9) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) वस्त्र मंत्रालय द्वारा मूल्य वर्द्धित परिधानों के निर्यात का संवर्द्धन करने के लिए अपैरल उद्योग तथा निर्यातकों के डिजायन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैशन डिजायनर्श तथा फैशन टेक्नोलोजिस्ट को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया है।

(10) सिले–सिलाए परिधान बनाने वाले उद्योग को प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से, अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्रों की स्थापना देश के विभिन्न भागों में की गयी है।

रुग्ण चाय कंपनियां

2724. श्री एस.डी.एन.आर.वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों के साथ–साथ भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा चलाए जा रहे कुछ चाय बागान रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चाय बागानों का ब्यौरा क्या है और रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन चाय बागानों को पुनः चलाने और पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ख) जी, हां। वर्ष 1998 के उतरार्द्ध में चाय बोर्ड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार असम की बाराक घाटी और पश्चिम बंगाल में लगभग 46 चाय बागान रुग्ण/कमजोर पाए गए। इन चाय बागानों की रुग्णता/कमजोरी के प्रमुख कारण स्वामित्व संबंधी विवाद, प्रबंधकीय कमियां, वित्तीय कुप्रबंध तथा दीर्घकालिक मुकदमेबाजी बतलाए गए हैं।

टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., (टीटीसीआई) जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की एक पूर्णस्वामित्व वाली कंपनी है, के अंतर्गत असम तथा पश्चिम बंगाल राज्य में 5 चाय बागान हैं। चूंकि टीटीसीआई को हानि हो रही है, इसलिए इसे गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह अपने दायित्वों को पूरा करने तथा अपने बागानों को पुनर्जीवित करने में असमर्थ है।

(ग) और (घ) रुग्ण/कमजोर चाय बागानों को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से चाय बोर्ड ने निम्नलिखित लाभ प्रदान किए हैं –

1. नए प्रबंधन द्वारा रुग्ण बागानों के अधिग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए नेशनल टी रिसर्च फाउंडेशन को दिए जाने वाले अंशदान से छूट।

2. वित्तीय सहायता के लिए ऐसे बागानों के आवेदनों पर विचार करना, चाहे संचयी भविष्यनिधि देयता 10,000/– रुपए से अधिक क्यों न हो। (नियमित बागानों के लिए सामान्य परिस्थितियों में बोर्ड की वित्तीय सहायता उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होती है जब भविष्य निधि बकाया देय राशि 10,000/– रुपए से अधिक होती है)।

3. टी रिसर्च एसोसिएशनों की सदस्यता में रियायत ताकि उन्हें नए प्रबंधन द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

4. बोर्ड की चल रही योजनाओं के तहत लिए गए सभी विगत ऋणों की बकाया देय राशि के पुनर्भुगतान के लिए ऋण–स्थगन की अवधि को बढ़ाना।

[हिन्दी]

मिलों का आधुनिकीकरण/पुररुद्धार

2725. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में राज्य–वार कितनी मिलों का विदेशी सहायता से पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण किया गया है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अभी तक कितनी विदेशी सहायता राशि प्राप्त हुई है, साथ ही सहायता देने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) देश में विशेषकर गुजरात में अभी भी कितनी मिलें बंद पड़ी हैं; और

(घ) वर्ष 2000–2003 तक घरेलू और विदेशी सहायता से राज्य–वार कितनी मिलों का पुनरुद्धार किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के प्रति किए गए निवेशों के संबंध में राज्य–वार आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) 30. 9. 99 की स्थिति अनुसार, देश में बंद पड़ी 331 सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों में से, गुजरात राज्य में बंद मिलों की संख्या 75 थी।

(घ) अपनी इकाइयों के आधुनिकीकरण/नवीकरण की इच्छा रखने वाली वस्त्र मिलें आम तौर पर बैंक ग्राहय योजना तैयार करती है तथा आवश्यक ऋण योजना आदि वित्तीय संस्थानों से स्वयं प्राप्त करते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय करी का पेटेंट

2726. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 सितम्बर, 1999 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "पेटेंट इगल्स टारगेट इंडियन करी इन जापान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जापान के पेटेंट कार्यालय में "भारतीय कढ़ी (करी)" शीर्षक से किसी आवेदन–पत्र के दायर किए जाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 'हाउस फूडकार्पोरेशन' नामक एक जापानी कंपनी ने, प्राप्त सूचना के अनुसार, पेटेंट की मंजूरी के लिए 'कढ़ी पकाना' शीर्षक से एक आवेदन–पत्र जापानी पेटेंट कार्यालय में प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन 28. 4. 1994 को दायर किया गया था और यह 7. 11. 1995 को प्रकाशित किया गया था।

पेटेंट संबद्ध सरकारों द्वारा अपने–अपने पेटेंट कानूनों के अधीन प्रदान किए जाते हैं। जब कभी ऐसे उत्पादों पर पेटेंट लेने के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, जिन्हें पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है तो ऐसी स्थिति में इस आशय का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या प्रदान किए गए पेटेंट को चुनौती दी जा सकती है।

विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

2727. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वित्तीय सहायता का क्षेत्र–वार और राज्य–वार विशेष रूप में महाराष्ट्र राज्य द्वारा किये गये उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वित्तीय सहायता के कम उपयोग/उपयोग न करने के क्या कारण हैं और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विदेशी सहायता के प्रभावी और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) चालू वर्ष और नौवीं योजनावधि के दौरान विकास कार्यक्रमों के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992–93 से 1996–97) के दौरान कुल बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विदेशी सहायता (सरकारी खाते में ऋण/उधार/अनुदान) 48282.01 करोड़ रुपए थी। इस सहायता का क्षेत्र–वार और राज्य–वार उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विदेशी सहायता का संभावित उपयोग से अपेक्षाकृत कम उपयोग होने का कारण निधि संबंधी रुकावटों, प्राप्ति और संविदा संबंधी विलम्ब तथा परियोजना से सम्बद्ध विशिष्ट मामले हैं। सरकार द्वारा सहायता उपयोग में सुधार लाने के लिए किए गए कुछ उपाय–विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु पर्याप्त प्रावधान का सुनिश्चय करना, प्राप्ति संबंधी पद्धतियों को सरल बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता के प्रवाह के संबंध में मध्यस्थों को हटाना, कार्यकारी एजेंसियों के साथ तिमाही समीक्षा करना, आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबन्धन एकक स्थापित करना, नौ राज्यों और पांच केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना प्रबन्धन एककों/परियोजना मनीटरिंग सेलों को सुदृढ़ बनाना, राज्यों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना और प्रारम्भ में गुणवत्ता के संबंध में परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करना है। परियोजनाओं के महत्त्वपूर्ण कार्यकलापों की तिमाही मानीटरिंग करने की एक प्रणाली भी शुरू की गई है।

(घ) 1997–98 (नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष) से सरकारी खाते में प्राप्त कुल विदेशी सहायता (उधार/ऋण/अनुदान) निम्नानुसर है :–

अवधि	राशि (करोड़ रु. में)	
1997–98	8498.38	(वास्वतिक)
1998–99	9924.93	(वास्तविक)
1999–2000	9684.54	(1999–2000 बजट अनुमान)

नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सम्भावित सहायता की मात्रा का तभी पता चलेगा जब तैयार हो रही परियोजनाओं की पुष्टि की जाएगी तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

8वीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त कुल विदेशी सहायता
(1992–93 से 1996–97)

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्रवार उपयोग	राशि	राज्यवार उपयोग	राशि
कृषि	3971.68	केन्द्र	28137.44
ऊर्जा	16013.76	आंध्र प्रदेश	2741.25
उद्योग एवं वित्त	3593.59	असम	0
आधारभूत ढांचा	4177.02	बिहार	147.92
सामाजिक क्षेत्र	4647.68	गुजरात	1112.02
शहरी विकास	2489.89	हरियाणा	291.13
संरचनात्मक समायोजना	7492.22	हिमाचल प्रदेश	35.61
(द्रुत संवितरण)		जम्मू और कश्मीर	0
जल संसाधन प्रबंधन	3922.15	कर्नाटक	1082.05
पर्यावरण और वानिकी	391.13	केरल	317.3
अन्य	1582.89	मध्य प्रदेश	118.51
		महाराष्ट्र	3476.82
		उड़ीसा	615.75
		पंजाब	336.38
		राजस्थान	702
		तमिलनाडु	2211.1
		उत्तर प्रदेश	1928.56
		पश्चिम बंगाल	533.58
		दिल्ली	0
		बहुराज्य	4494.59
जोड़	48282.01	जोड़	48282.01

रेशम उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

2728. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में शहतूत की खेती और रेशम तन्तु उद्योगों के संबंध में अधिक संभावनाओं वाले रेशम उत्पादन अनुसंधान और विकास केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999 – 2000 के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में रेशम उत्पादन के विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास तमिलनाडु के धरमपुरी जिला में रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं विकास केन्द्र शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। धरमपुरी में रेशम उत्पादन के विकास के लिए आर एंड डी सहायता सलेम में क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्राप्त की जा रही है।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान रेशम बोर्ड को 83.00 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय प्रदान किया है जिसमें विभिन्न राज्यों के लिए उत्प्रेरक विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियां शामिल हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कर्नाटक और तमिलनाडु को आबंटन हेतु वर्ष 1999–2000 के दौरान रखा गया प्रावधान क्रमशः 32.61 करोड़ रुपए तथा 5.26 करोड रुपए है।

निर्यात प्रतिबंधों का हटाया जाना

2729. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में गेहूं, धान, कुछ ताजा सब्जियों तथा फलों के निर्यात से प्रतिबंध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) एग्जिम नीति के अनुसार गेहूं का निर्यात डी जी एफ टी द्वारा समय–समय पर घोषित की जाने वाली मात्रात्मक सीमाओं के अधीन रहते हुए मुक्त रूप से किया जाता है। वर्ष 1999–2000 के लिए अधिकतम एक मिलियन टन गेहूं की और गेहूं उत्पादों की असीमित मात्रा की घोषणा की गई है। धान का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, ठेकों के पंजीकरण के अधीन रहते हुए चावल (बासमती और गैर–बासमती दोनों) को मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति एपीडा के पास है। ताजे फलों एवं सब्जियों (प्याज को छोड़कर) का मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है। प्याज के निर्यात की अनुमति नेफेड के जरिए और अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों और उसके पास पंजीकृत सहयोगी शिपरों के जरिए प्रदान की जाती है। जुलाई–अगस्त, 1999 में सरकार ने मैसर्स कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लि. के जरिए दो महीने तक (7 सितम्बर 99 तक) 5000 (पांच हजार केवल) मी. टन बंगलौर रोज प्याज का निर्यात करने और नेफेड के जरिए 30 सितम्बर, 99 तक श्रीलंका और मॉरीशस को 5000 मी. टन प्याज (पोडुसु और बंग्लौर रोज किस्मों को छोड़कर) का निर्यात करने की भी अनुमति दी थी। इसके अलावा, सरकार ने नेफेड और अन्य चार निर्दिष्ट सरणीयन एजेंसियों के जरिए 1.12.99 से 31.1.2000 तक के दो महीनों के दौरान सभी किस्मों के प्याज की 100000 मी. टन की मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी है।

कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति देश की निर्यात आयात नीति का एक अभिन्न अंग है। कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा की चिंताओं, कृषि आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यवहार्य बनाने के लिए, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, तदनुसार नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा हेतु विश्व बैंक ऋण

2730. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से 650 करोड़ रुपए के ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की योजना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को विश्व बैंक को भेजने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) विश्व बैंक से यह ऋण कब तक मिल जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विश्व बैंक से 650.00 करोड़ रुपए के नए ऋण की मांग के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के 9 जिले विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हैं। इस कार्यक्रम के चरण–I के अन्तर्गत 5 जिले और चरण-II के अन्तर्गत 4 जिले कवर किए गए थे। कुल परियोजना लागत 338.21 करोड़ रुपए है, जिसका 85 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण द्वारा वित्तपोषित है और शेष 15 प्रतिशत की भागीदारी राज्य सरकार द्वारा की गई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2731. श्री विजय संकेश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत विभिन्न नगरों की जलापूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की योजना–वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्वीकृति में शीघ्रता हेतु कार्रवाई आरम्भ की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) कर्नाटक के विभिन्न शहरों को जलापूर्ति करने के विभिन्न प्रस्ताव कार्यान्वयनाधीन/विचाराधीन हैं। उनकी प्रास्थिति तथा की जा रही कार्रवाई नीचे दी गई है :

(i) **कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंध तथा नगरपालिका को मजबूत बनाना** : विश्व बैंक के साथ 1.5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के विद्युत क्रय करार (पीपीएफ) पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। राज्य में शहरी बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने की प्रबंध–व्यवस्था करने में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को सुधारने के उद्देश्यों से विश्व बैंक की अनन्तिम सहायता लगभग 150 मिलियन अमरीकी डालर होगी।

(ii) **कर्नाटक शहरी विकास तथा तटीय पर्यावरण प्रबंध** : एशियाई विकास बैंक ने दि. 26. 10. 1999 को 175 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण की मंजूरी दी है। यह परियोजना अन्य बातों के अलावा दस शहरों की जलापूर्ति योजनाओं में तत्काल सुधार किए जाने की जरूरत को पूरा करेगी। यह दस शहर हैं:–कारवाड़, अंकोला, सिरसी, दांडेली, भटकल, कुण्डापुरा, उडुपी, मंगलोर, उल्लाल, पुट्टूर। एशियाई विकास बैंक हस्ताक्षर हो जाने तथा प्रभावी घोषित कर दिए जाने के बाद ऋण संवितरित करेगा।

(iii) **कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास** : एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना (85 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की) दि. 10.5.96 से कार्यान्वित की जा रही है। इसका एक संघटक है 4 शहरी क्षेत्रों अर्थात् चन्नापटना, मैसूर, रामानगरम तथा तुमूर में पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार लाना जिनमें जलापूर्ति एक उप–संघटक है। यह परियोजना कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास वित्त निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) **बंगलोर जलापूर्ति परियोजना** : जापान से सहायता प्राप्त इस परियोजना (28452 मिलियन जापानी येन मूल्य की) हेतु दि. 25.1.1996 को हस्ताक्षर किए गए थे। दि. 31.8.1999 तक की स्थिति के अनुसार, 2664.1 मिलियन जापानी येन का उपयोग किया जा चुका है। यह परियोजना दि. 26.3.2004 तक समाप्त हो जाएगी।

(v) **डेनमार्क से सहायता-प्राप्त जलापूर्ति योजनाएं** : क्षेत्र सहायता कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा था लेकिन आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के कारण अस्थगित कर दिया गया।

(vi) **बंगलोर हेतु जलापूर्ति और मल-व्यवस्था तंत्र** : फ्रांस ने इस परियोजना के लिए 50 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक का क्रेडिट मुहैया कराया है। बंगलोर जलापूर्ति और मल–व्यवस्था बोर्ड तथा फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं के बीच क्रय संविदाओं के मसौदे पर कार्रवाई की जा रही है।

कारों की चोरी के दावे

2732. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

डॉ. अशोक पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जनवरी, 99 से 31 अक्टूबर, 99 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से यूनाइटेड इंश्योरेंस आफ इंडिया में कार चोरी के कुल कितने मामले महीना–वार दर्ज किए गए;

(ख) इंश्योरेंश कंपनी द्वारा कार चोरी के मामले में दावेदारों को भुगतान किए जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा क्या इसके लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों में से कितने मामलों में भुगतान किया गया, कंपनी के पास कितने मामले लंबित हैं लंबित मामलों में भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) जनवरी से अक्टूबर तक यूनाइटेड इंश्योरेंश कंपनी के निरीक्षण अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला धन

2733. **श्री मोइनुल हसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईडीआरसी) कनाडा के सहयोग हेतु भारत में मुख्य कार्यालय खोल रहा है और क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र उन विकास संबंधी परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है जिन्हें भारत सरकार अथवा भारत संघ की किसी राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो किस सक्षम प्राधिकारी ने अप्रैल, 1994 के बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा वित्त पोषित "सीडी–रोम ऑफ एशियन इन्फॉरमेशन ऑफ हैल्थ एण्ड दि इनवाइरनमेंट" नामक परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा किस संगठन को पहला, दूसरा और बाद के भुगतान किये गये हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने निश्चित अवधि के बाद उक्त परियोजना के अनुदान का भुगतान रद्द कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कितनी भुगतान राशि का भुगतान किया गया है और वर्ष–वार भुगतान की अवधि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) आईडीआरसी भारत में अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है। सामान्यतः संगठन अपने प्रस्तावों को आईडीआरसी को प्रस्तुत करते हैं। आईडीआरसी प्रस्तावों को स्वीकार करने से पहले आर्थिक कार्य विभाग से कोई आपत्ति सम्बन्धी प्रमाण प्राप्त नहीं करता।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीब लोगों को आवास निर्माण हेतु ऋण

2734. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में बिहार में बैंकों ने ऐसे कितने व्यक्तियों को ऋण दिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी योजनाएं बनाने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अलग से कोई ऋण योजना नहीं तैयार की गई है। तथापि, इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अन्तर्गत सरकार इस श्रेणी के लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

2735. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोधपुर से ऊन बोर्ड का कार्यालय अन्यत्र ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डिपॉजिट इंश्योरेंश कॉर्पोरेशन

2736. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असफल बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए एक पृथक् डिपॉजिट इंश्योरेंश कार्पोरेशन नियुक्त/गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंश में सुधारों पर कार्य दल" की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है,

(घ) यदि हां, तो इस दल की सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बैंकों में जमाकर्ताओं की बीमा की धनराशि की सीमा को एक लाख से दो लाख तक बढ़ाए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) किसी असफल बैंक के जमाकर्ताओं के लिए एक पृथक निक्षेप बीमा निगम (डिपॉजिट इंश्योरेंश कार्पोरेशन) गठित करने का कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बैंकों के जमाकर्ताओं के हित विद्यमान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम द्वारा पहले से ही सुरक्षित हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में निक्षेप बीमा में सुधार के संबंध में एक सलाहकार दल का गठन किया था, जिसने अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की है कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम से प्रत्यय गारंटी का कार्य वापस ले लिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिफारिशों की जांच की जाएगी।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय बीमा रक्षा (इंश्योरेंश कवर) की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब नेशनल बैंक

2737. श्रीमती निशा चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों विशेषकर पंजाब नेशनल बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैंकों के गोदामों के उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त करने के लिए प्राइवेट मालिकों/भू–मालिकों के किराए पर परिसर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अधिकतर परिसरों का लम्बे समय से उपयोग नहीं हो रहा है और बैंक प्राधिकारी भू–मालिकों को नियमित रूप से किराया दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा इन परिसरों के किराए के रूप में वर्ष–वार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) बैंकों को ऐसे खर्चों से बचाने के लिए ऐसे परिसरों को उनके मालिकों को देने के लिए बैंक प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) परिसर का किराए पर लिया जाना बैंक और भू–मालिकों के बीच करार का मामला है। सरकार के पास बैंकों द्वार परिसर किराए पर लिए जाने संबंधी सूचना नहीं रहती है। तथपि, पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चांदनी चौक, फतेहपुरी, रंगमहल, भागीरथ पैलेस, सदर बाजार, पहाड़गंज, सदर बाजार में बस्ती हरफूल सिंह, सब्जी मण्डी, मैदानगढ़ी तथा साउथ एक्सटेंशन में इस उद्देश्य के लिए परिसर किराए पर लिए हैं। केवल एक मामले में, जहां कि मकान मालिक की मृत्यु हो गई है और दावा करने वाला कोई नहीं है, किराए का नियमित आधार पर भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 1996–97 और 1997–98 के प्रत्येक वर्ष के लिए बैंक द्वारा 47,439.36 रुपए के किराए का भुगतान किया गया। वर्ष 1998–99 के दौरान 34,839.36 रुपए के किराए का भुगतान किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने आगे सूचित किया है कि सभी परिसरों का सही उपयोग किया जा रहा है और कोई भी परिसर बिना उपयोग के नहीं है।

रबड़ उत्पादक

2738. श्री एस. अजय कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केरल के रबड़ उत्पादकों के उत्थान के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केरल के रबड़ उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए रबड़ के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी खाते से 30,000 मी. टन रबड़ की खरीद करने का प्राधिकार दिया है ताकि रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल सके। अग्रिम लाइसैंस के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर भी फरवरी, 1999 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ग) वर्तमान एक्जिम नीति (1997–2002) के तहत प्राकृतिक रबड़ का निर्यात मुक्त है।

चीन को लौह अयस्क का निर्यात

2739. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) ने चीन सरकार के साथ देश से लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने हेतु वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो चीन को कितना अतिरिक्त लौह अयस्क निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा लौह अयस्क के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करना प्रत्याशित है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। एमएमटीसी ने भारत से चीन को लौह–अयस्क के निर्यातों को बढ़ाने के लिए चीन सरकार के धातुकर्म मंत्रालय में चीनी राज्य प्रशासन के उपमंत्री की अध्यक्षता में दौरा करने वाले चीनी शिष्टमंडल के साथ विचार–विमर्श किया था।

(ख) और (ग) एमएमटीसी ने अप्रैल से नवम्बर, 99 के दौरान चीन को पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान किए गए 1.7 मिलियन टन निर्यात की तुलना में 2.4 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया। एमएमटीसी द्वारा चीन को वित्तीय वर्ष 1998 में किए गए 2.5 मिलियन टन निर्यात की तुलना में वित्तीय वर्ष, 99 में 3.5 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किए जाने की संभावना है – वर्ष 1999–2000 के दौरान आय में 40% की वृद्धि के साथ लगभग 51 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है।

बैंक जमा राशियां

2740. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक जमाराशियों की वृद्धि में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) घट रही बैंक जमाराशियों का अर्थव्यवस्था और बैंकिंग उद्योग पर क्या असर पड़ेगा; और

(घ) लोगों को अपनी बचत बैंकों में जमा कराने के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान दिनांक 19 नवम्बर, 1999 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियों में 55605 करोड़ रुपए (7.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह वृद्धि 72445 करोड़ रुपए (12.1 प्रतिशत) थी। पिछले वर्ष 1998-99 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशियों में हुई वृद्धि का एक बड़ा कारण 17945 करोड़ रुपए के रिसर्जेंट इंडिया बांडों (आरआईबी) को अन्तर्वाह था।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष में जमाराशियों की वार्षिक वृद्धि की बुनियादी प्रवृत्ति सकल जमाराशियों की परिकल्पित वार्षिक वृद्धि के समानुरूप थी। सकल जमाराशियों में वृद्धि और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कटौती के कारण इस प्रणाली में सुविधानजनक द्रव्यता रही है।

कागज उद्योग

2741. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

श्री चन्द्रकान्त खैरे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कागज उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कागज उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है तथा साथ ही कौन–कौन सी कागज इकाइयां बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या अखबारी कागज के नाम पर बहुत बड़ी मात्रा में लेखन/मुद्रण की अच्छी गुणवत्ता वाले कागज का आयात नगण्य–शुल्क दर पर किया जा रहा है, जिससे घरेलू कागज उद्योग प्रभावित हो रहा है;

(घ) क्या सरकार पूर्व में वस्त्र उद्योग के लिए गठित कोष की तरह कागज उद्योग के लिए तकनीकी विकास निधि स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा कागज उद्योग के पुनरुद्धार के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) कागज उद्योग के सामने आ रही मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं :

(1) कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता तथा उसकी लागत।

(2) अप्रचलित प्रौद्योगिकी।

(3) महंगी तथा अपर्याप्त ग्रिड पावर।

(4) उद्योग का पूंजी–प्रधान स्वरूप।

(ख) कागज उद्योग जिसमें लुगदी, कागज तथा गत्ता शामिल है, एक लाइसेंसयुक्त उद्योग है। इस समय 380 से ज्यादा कागज मिलें हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 49 लाख मी.टन है। वर्ष 1998–99 के दौरान कागज का उत्पादन 31.07 मी.टन था। 1998–99 में कागज उद्योग की क्षमता उपयोग लगभग 68% थी।

(ग) अखबारी कागज का आयात करने की अनुमति, बिना किसी आयात लाइसेंस के ही वास्तविक–उपयोगकर्ता–शर्त के अध्यधीन, भारतीय अखबारी कागज के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये अखबारी कागज के आयात की पात्रता का प्रमाण–पत्र धारण करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। अखबारी कागज का आयात 5% की सीमाशुल्क के तहत किया जाता है। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि लिखाई तथा छपाई के कागज का आयात, जिस पर अखबारी कागज की तुलना में काफी अधिक सीमा शुल्क लगता है, अखबारी कागज के नाम पर किया जाता है।

(घ) कागज उद्योग के लिए तकनीकी विकास निधि की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) कागज मिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :

(i) स्थापना–स्थल संबंधी नीति के अध्यधीन कागज उद्योग को पूर्णतया लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ii) 75% से अनधिक अपरम्परागत कच्चे माल से विनिर्मित कागज पर 8% की दर से रियायती उत्पाद शुल्क उद्गृहीत किया जाता है।

(iii) काष्ट आधारित कागज तथा गत्ते पर उत्पादन शुल्क को 1999–2000 में 18% से घटाकर 16% कर दिया गया है।

(iv) कागज तथा रद्दी कागज पर मूल आयात शुल्क इस समय 5% है।

(v) घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयातित कागज पर मूल सीमा शुल्क को 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

2742. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजनाएं संतोषजनक कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

बिहार से खनिजों का निर्यात

2743. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिहार से खनिजों के निर्यात में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन–कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान खनिजों के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नौवीं योजना अवधि के दौरान खनिजों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) महोदय, निर्यात एवं आयात के आंकड़ों का एकत्रीकरण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है और निर्यातों एवं आयातों के राज्य–वार आंकड़े नहीं रख जाते हैं।

(ग) से (ङ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1992–93 से लेकर वार्षिक लक्ष्य एवं निष्पादन निम्नानुसार रहा है :

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	लक्ष्य	निष्पादन
1992–93	उपलब्ध नहीं	697.16
1993–94	उपलब्ध नहीं	888.15
1994–95	उपलब्ध नहीं	998.32
1995–96	1129.0	1175.01
1996–97	1361.3	1145.9
1997–98	1250.0	1066.12
1998–99	1252.0	891.1
1999–2000	913.0	–

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को वित्तीय सहायता

2744. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों विशेषकर हरियाणा को कुछ वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 1999–2000 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को 45 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आबंटित की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भागीदार राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण मुहैया कराता है जिससे कि क्षेत्रीय योजना प्रस्तावों को लागू किया जा सके। अब तक दिनांक 1.4.1999 से 1.12.1999 तक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने भागीदार राज्यों को 162.71 करोड़ रुपए ऋण सहायता के रूप में जारी किए हैं, जिनमें से 109.39 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार तथा इसकी क्रियान्वयन एजेंसियों जैसे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने वर्ष 1999–2000 के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को पुनः 37 करोड़ रुपए जारी करने की भी स्वीकृति दी है। बोर्ड को बजटीय सहायता से अधिक मिलने वाली अतिरिक्त राशि उसके आंतरिक उपार्जनों तथा बाजार से बॉण्डों के रूप में बजटेतर संसाधनों से उगाही गई राशियां हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड ने अपने ऋण अनुमोदन के अनुसार पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वर्ष 2000–2001 के दौरान 134.0 करोड़ रुपए जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजू उद्योग का विकास

2745. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू उद्योग का सामान्यतः देश में और विशेषकर केरल राज्य में विस्तार एवं विकास करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने काजू के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उचित कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) काजू के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयोजन से वर्ष 1999–2000 के लिए 17.50 करोड़ रुपए परिव्यय से काजू के एकीकृत विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अधीन नए बाग लगाने, पुनर्रोपण, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने, गहन कीट नियंत्रण उपाय, गुणवत्ता वाली बागान सामग्रियों के उत्पादन के लिए क्षेत्रीय नर्सरियों की स्थापना और किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना को केरल सहित सभी काजू उत्पादक राज्यों में लागू किया जा रहा है। काजू के निर्यात के जरिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रयोजन से अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करने, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करने, प्रकाशनों और परिपत्रों के द्वारा सूचना मुहैया कराने, जाँच सुविधाओं की स्थापना करने, निर्यात के लिए काजू की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अद्यतन पैकेजिंग प्रणाली प्राप्त करने और आईएसओ 9000/एचएसीसीपी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को अपनाकर काजूगिरी के गुणवत्ता मानदंडों में सुधार करने तथा काजू प्रसंस्करण एककों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/प्रक्रिया उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

विदेशी बैंक

2746. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऋणों की वसूली के लिए कुछ विदेशी बैंकों द्वारा अपनाई गई इस कार्यपद्धति से अवगत है जिसमें वे अपने कर्जदारों से पैसे की वसूली के लिए "उपभोक्ता सहायक विशेषज्ञ" नामक एजेंटों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऋण वसूली के लिए उनकी पिटाई करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और उन्हें अपने गुर्दे और अन्य अंगों को बेचने के लिए बाध्य भी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विदेशी बैंकों द्वारा अपनाए गए इन गैर–कानूनी तरीकों को कारगर ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : *(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ विदेशी* बैंकों ने अपनी देयराशि वसूल करने के लिए निजी वसूलीकर्ता एजेंट नियुक्त किए हैं। एक विदेशी बैंक के मामले में वसूलकर्ता एजेन्ट के जरिए धन की कथित वसूली पर प्रेस में प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को बताया कि ऐसी प्रतिकूल रिपोर्ट चिन्ता का विषय है और बैंक को इस प्रणाली की पुनरीक्षा करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि एजेन्टों की नियुक्ति पूरी जांच के बाद की जाती है और एजेन्टों से आशा की जाती है कि वे अपेक्षित आचार संहिता का पालन करें। कुछ विदेशी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को बताया है कि ऐसी संभावना भी है कि कुछ चूककर्ता, जिन्हें वापसी अदायगी करनी है, वे वसूलीकर्ता एजेन्टों के विरुद्ध झूठे आरोप लगा रहे हैं, ताकि वसूली प्रक्रिया में बाधा डाली जा सके। बल प्रयोग या धमकी वाले मामले में, यदि बल प्रयोग देश के कानून के अनुरूप न हो, तो प्रभावित पक्ष उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसिसों के जरिए शिकायत दर्ज करके ऐसे वसूलीकर्ता एजेंटों से राहत दिलाने की मांग कर सकते हैं।

विशेष आयात लाइसेंस

2747. श्री पी.सी. थामस :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) की वापसी पर आयात की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नागार्जुन तेल कंपनी को ऐसी छूट दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कंपनी को कितने रुपये की बचत हुई;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र की किसी अन्य कंपनी ने भी ऐसी किसी छूट के लिए आवेदन किया है;

(च) यदि हां, तो अन्य मामलों में ऐसी छूट न देने के क्या कारण हैं; और

(छ) इस तरह आयातित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष आयात लाईसेंस (एस आई एल) तथा प्रतिबंधित लाईसेंस (आर आई एल) के अंतर्गत आने वाली मदों का आयात, आयातों के सी आई एफ (लागत, बीमा तथा माल–भाड़ा) मूल्य की तीन गुणा मूल्य के बराबर के एस आई एल की सुपुर्दगी पर किया जाता है। एस आई एल को जमा करवाने के पीछे यह उद्देश्य है कि बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को निष्प्रभावी कर दिया जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि ऊपर पैरा (ख) में उल्लेख किया गया है, आयातों के सी आई एफ मूल्य के तीन गुणे मूल्य के बराबर का एस आई एल जमा करने पर प्रतिबंधित आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं। तथापि, मै. नागार्जुन ऑयल कारपोरेशन लि. के मामले में एस आई एल को जमा करने की शर्त हटा दी गई थी, क्योंकि उसने इस आधार पर पुराने तेल–शोधक के आयात के लिए लाइसेंस की मांग की थी कि यह आयात, प्रमुख क्षेत्र की परियोजना के लिए किया जा रहा है और इस बात के कारण भी कि इस आयात के लिए अग्रिम भुगतान दिनांक 31.3.1999 जब से पुराने पूंजीगत सामान के आयात के लिए एस आई एल को जमा करने की शर्त लागू की गई है, से पहले किया जा चुका था। यदि कोई बचत की गई होगी तो वह जमा किए जाने वाले एस आई एल पर प्रीमियम के कारण हुई होगी जिसका नियंत्रण बाजारी शक्तियों द्वारा होता है और सरकार द्वारा इसका फैसला या निर्धारण नहीं किया जाता है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। प्रमुख क्षेत्र में पुराने पूंजीगत सामान के किए जाने वाले आयात के लिए, जिसका अग्रिम भुगतान दिनांक 31.3.1999 के पहले किया जा चुका हो, ऐसा कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें इस प्रकार की छूट के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया गया हो।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अतिशेष भूमि की बिक्री

2748. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) के अधीन चल रही मिलों की मुंबई स्थित अतिशेष भूमि को बेचकर प्राप्त राशि से उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से अर्थक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राशि एन टी सी की उक्त वस्त्र इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त होगी; और

(घ) उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिनका सरकार द्वारा पुनरुद्धार करने के लिए चयन किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सरकार ने 1995 में एन टी सी मिलों के लिए 2005.72 करोड़ रुपए की लागत पर एक सर्वांगीण सुधार नीति मंजूर की है। योजना को एन टी सी की बेशी भूमि/परिसंपतियों की बिक्री से निधियों को प्राप्त कर क्रियान्वित किया जाना था। इस भूमि का प्रमुख भाग मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने बेशी भूमि की बिक्री के लिए अभी मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा एन टी सी के चार सहायक निगमों अर्थात एन टी सी (यू पी), एन टी सी (गुज.), एन टी सी (डब्ल्यू बी ए एंड ओ) तथा एन टी सी (एम पी) के मामलों में, बी आई एफ आर ने उनकी निवल पूंजी के निर्धारित अवधि के दौरान सकारात्मक न होने के आधार पर योजना को मंजूर नहीं किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

एन टी सी द्वारा किये गये एकक–वार अर्थक्षमता के आधार पर, सरकार एन टी सी के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ–साथ उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधिक सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है जिसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवल पूंजी के सकारात्मक होने के बी आई एफ आर के मानदंडों को ध्यान में रखा जा रहा है। कामगारों के हित को पुनरुद्धार योजना में ध्यान में रखा जाएगा।

अनु. जा./अनु. जन. जा. के लिए रिक्त पद

2749. श्री राजनारायण पासी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधीन विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न श्रेणी के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में नई भर्तियों के अतिरिक्त उसमें कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार और आज की तिथि तक विभिन्न श्रेणियों में की गयी नियुक्तियों का श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न श्रेणियों में की गयी भर्तियां और पदोन्नतियां इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित रिक्त पदों को भरने तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नतियां इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार

2750. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क की वापस अदायगी तथा वस्त्र शुल्क की वापस अदायगी के कितने घोटालों के मामले वर्ष-वार, कस्टम-हाऊस-वार तथा शुल्क-पत्तन-वार प्रकाश में आए;

(ख) उन मामलों में शामिल सीमा शुल्क तथा शुल्क पत्तन के वरिष्ठ अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो आयकर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पत्तनों एवं हवाई अड्डों आदि में वर्तमान नियुक्ति निर्धारित कार्य अवधि से अधिक समय से कार्यरत हैं तथा उनके तुरंत हस्तांतरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनन्जय कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए सीमाशुल्क वापसी के झूठे मामले और वस्त्र शुल्क वापसी के झूठे मामलों की संख्या, वर्ष-वार, सीमा शुल्क गृह-वार और शुल्क पत्तन-वार और उनमें अंतर्ग्रस्त शुल्क वापसी की राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) धोखाधड़ी के मामलों में प्रथम दृष्टया में अंतर्ग्रस्त सीमाशुल्क और शुष्क पत्तनों के वरिष्ठ अधिकारियों के ब्यौरे और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ-साथ आयकर विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों के संबंध में विनिर्धारित कार्यकाल नियमों/दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। तथापि, लोक हित के साथ-साथ गम्भीर स्वरूप के अनुकंपा आधार के मामलों में उपवादों की अनुमति दी जाती है।

विवरण-I

(सभी राशियां लाख रुपयों में)

क्र. सं.	धोखाधड़ी से वस्त्रों पर शुल्क वापसी के मामले		धोखाधड़ी से शुल्क वापसी के अन्य मामले		धोखाधड़ी से शुल्क वापसी के कुल मामले		सीमाशुल्क गृह/शुष्क पत्तन का नाम
	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त वापसी की राशि	मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त वापसी की राशि	मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त वापसी की राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 1997-98							
1.	11	175.27	2	14.83	13	190.10	आईसीडी, तुगलकाबाद
2.	–	–	1	14.06	01	14.06	कोचीन सीमाशुल्क गृह
3.	1	65.22	1	190.00	02	255.22	दिल्ली, सीमाशुल्क गृह
4.	9	582.79	1	02.00	10	584.79	मुम्बई, सीमाशुल्क गृह
5.	1	11.09	–	–	01	11.09	जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट (नावा शेवा)
6.	–	–	1	10.25	01	10.25	आईसीडी, अहमदाबाद

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	4	148.23	1	17.5	05	165.73	चेन्नई सीमाशुल्क गृह
8.	4	309.08	–	–	04	309.08	चेन्नई एअरकार्गो परिसर
9.	2	5009.00	–	–	02	5009.00	मुम्बई एअरकार्गो परिसर
10.	2	17.50	6	46.84	8	64.34	कलकत्ता सीमाशुल्क गृह
वर्ष 1998-99							
1.	2	51.65	–	–	02	51.65	आईसीडी, जयपुर
2.	27	361.62	1	0.39	28	362.01	आईसीडी, तुगलकाबाद
3.	–	–	3	433.00	03	433.00	दिल्ली, एयर कार्गो कॉम्पलैक्स
4.	4	31.72	–	–	04	31.72	चेन्नई कस्टम हाऊस
5.	2	189.59	–	–	02	189.59	आईसीडी, तिरुपुर
6.	1	0.94	–	–	01	0.94	आईसीडी, कोयम्बटूर
7.	1	15.40	1	21.94	02	37.34	कांडला कस्टम हाऊस
8.	2	282.43	–	–	02	282.43	बंगलौर कस्टम हाऊस
9.	8	333.53	2	3.00	10	336.53	मुम्बई कस्टम हाऊस
10.	–	–	1	.09	01	0.09	हैदराबाद
11.	1	234.00	–	–	01	234.00	जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट (न्हावा शेवा)
वर्ष 1999-2000							
1.	10	28.28	–	–	10	28.28	आईसीडी, तुगलकाबाद
2.	01	16.49	–	–	01	16.49	कोचीन कस्टम हाउस
3.	01	37.77	–	–	01	37.77	कलकत्ता कस्टम हाऊस
4.	02	42.75	–	–	02	42.75	चेन्नई कस्टम हाऊस
5.	11	593.00	13	97.00	24	690.00	मुम्बई कस्टम हाऊस
6.	1	16.32	–	–	01	16.32	कलकत्ता कस्टम हाऊस

विवरण – II

धोखाधड़ी के मामलों में अंतर्ग्रस्त प्रथम–दृष्ट्या में पाए गए सीमाशुल्क गृहों और शुष्क पत्तनों के वरिष्ठ अधिकारियों के ब्यौरे और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :

(i) एक सहायक आयुक्त के विरुद्ध एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दायर की गई है। उनका गैर–संवेदी प्रभार में स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

(ii) दो मूल्य–निरूपकों के विरुद्ध एफआईआर दायर की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

(iii) एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

(iv) दो अधीक्षकों को उनके व्यवहार के स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उनको निलंबित भी कर दिया गया है।

राज्य सरकारों को धनराशि

2751. डॉ. जयंत रंगपी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुच्छेद 275 (1) (क) और अनुच्छेद 275 (1) (ख) के उपबंध के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) संबंधित वर्षों के दौरान ऐसी धनराशि से कौन–सी योजनाएं शुरू की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों में वित्तीय व्यवस्था

2752. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर वित्तीय व्यवस्था हेतु सरकार ने कुछ राज्य सरकारों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन–कौन से हैं;

(ग) इनमें से किन राज्यों ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है;

(घ) क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राजस्थान सरकार के साथ समझौते की क्या शर्तें निर्धारित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 19.02.1999 को आयोजित 48वीं बैठक में कई राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय तंगहाली से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय लिया था कि केन्द्रीय वित्त मंत्री, राज्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों और राज्यों द्वारा शुरू की गई मध्यम अवधिक राजकोषीय नीति के बारे में विचार–विमर्श करेंगे। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए नौ राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों को तैयार किया है। ये राज्य, पंजाब, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम हैं। इन राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों का मानीटरन और समीक्षा करने के लिए एक सरकारी समिति का भी गठन किया गया है। राज्यों द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया में, राजकोषीय स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय और मानीटरन (संचालन) योग्य कार्यक्रम को तैयार और कार्यान्वित करने पर विचार किया गया है। ये कार्यक्रम राज्य विशेष के हैं और इनको सरकारी समिति के साथ विचार–विमर्श के बाद राज्यों द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है।

आयात शुल्क का पुनः वित्त पोषण

2753. श्री. के. करुणाकरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992–93 के दौरान एस्सार द्वारा भुगतान किये गये आयात शुल्क को पुनः वित्त–पोषित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, हो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शुष्क पत्तनों की स्थापना

2754. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात–निर्यात व्यापार में वृद्धि को देखते हुए देश में कुछ शुष्क पत्तन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु राज्य–वार कौन–कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) देश में ये शुष्क पत्तन कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) शुष्क पत्तन (जिन्हें इनलैंड कन्टेनर डिपो (आई सी डी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी एफ एस) के रूप में भी जाना जाता है) व्यापार को नियत स्थलों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में सुविधाजनक स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। सरकार वाणिज्य मंत्रालय में कार्यरत एक ही स्थान पर निपटान प्रक्रिया के जरिए आई सी डी/सी एफ एस स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त होते ही उन पर विचार करती है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र ऐसे उद्यमों में भाग ले सकते हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत आई सी डी/सी एफ एस की एक राज्य–वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। लगभग 80 सुविधाएं पहले ही प्रचालन में हैं और अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	शुष्क पत्तनों का स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	सन्त नगर, गुन्टूर, चिराला, अनावरती, काकीनाडा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम
2.	असम	अमीनगांव
3.	बिहार	जमशेदपुर
4.	दिल्ली	तुगलकाबाद, पटपड़गंज
5.	गोवा	वरना
6.	गुजरात	साबरमती, सूरत (2), अहमदाबाद, कांडला, दशरथ (बड़ौदा), वापी, भरूच
7.	हरियाणा	पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव (2), रिवाड़ी
8.	कर्नाटक	वाईटफील्ड (बंगलौर), न्यू मंगलौर, पानमबर, मैसूर
9.	केरल	कोचीन(3), आरूर
10.	मध्य प्रदेश	मलानपुर, रायपुर, इन्दौर
11.	महाराष्ट्र	वाडीबन्दर, चिन्चवाड़, भान्दूप, पुणे(2), मुलन्द, नावाशिवा/द्रोणागिरी नोडे(8), नासिक(2), औरंगाबाद, नागपुर(2), जलगांव, वालुज, मिराज
12.	उड़ीसा	पारादीप पत्तन, बालासोर
13.	पांडीचेरी	पांडीचेरी
14.	पंजाब	अमृतसर, भटिन्डा, लुधियाना(2), जालन्धर, डेराबस्सी (निकट चंडीगढ़)
15.	राजस्थान	जयपुर(2), जोधपुर(2), उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, श्रीगंगानगर, आबू रोड
16.	तमिलनाडु	चेन्नई(में/लगभग–8), रोयापुरम, वीरूगम्बकम, तोन्दियारपेट, तिरूवोट्टीयूर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन(5), सेलम, सिंगनाल्लूर, मदुरई, तिरूपुर
17.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद, कानपुर(2), वाराणसी, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, रूद्रपुर, दादरी (ग्रेटर नोएडा), भदोही, लोनी, सूरजपुर
18.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता(2), सिलीगुड़ी, हल्दिया, कोस्सीपोर रोड

• कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

वस्त्रों का आयात

2755. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात की जा रही वस्त्रों की किस्में क्या हैं;

(ख) इन वस्त्रों के आयात के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक आयात की गयी किस्मों, मात्रा तथा इनका मूल्य क्या है;

(घ) उक्त वर्षों के दौरान वर्ष–वार तथा मूल्य–वार इस तरह के आयातों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी; और

(ङ) विदेशी मुद्रा की बचत हेतु देश में उक्त वस्त्रों के उत्पादन के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इन वस्त्रों के आयात को कब तक रोके जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयात की जा रही वस्त्रों की किस्मों में रेशम, ऊन, सूती, पलेक्स/पटसन, मानव–निर्मित फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स, सूती तथा मानव–निर्मित फाइबर का पाइल फैब्रिक्स, सिले सिलाए परिधान तथा मेडअप्स हैं।

(ख) आयात अनेक कारणों, मुख्यतः वाणिज्यिक कारकों के कारण, के कारण होता है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आयात के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

वर्ष	मूल्य लाख रु. में
1996–97	263,987.28
1997–98	301,268.88
1998–99	*329,729.21*
1998–99 (अप्रैल–जुलाई)	128,540.44
1999–2000 (अप्रैल–जुलाई)	113,673.67

स्रोत : डी जी सी आई एस, कलकत्ता

वस्त्र के किस्म–वार आयात नीचे दिये गये हैं :

मद (मिलियन किग्रा. में)	1996–97	1997–98	1998–99
सूती फैब्रिक्स	4.01	4.16	3.15
मानव–निर्मित फैब्रिक्स	5.64	8.27	5.54
ऊनी फैब्रिक्स	0.16	0.32	0.26
रेशमी फैब्रिक्स	0.23	0.24	0.31

(ङ) उदारीकरण के वातावरण में, आयात समय–समय पर लागू आयात–निर्यात नीति के अधीन बाजार शक्तियों द्वारा शासित होता है। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को आधुनिकीकृत करने तथा उन्नयन करने जैसे, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि गुणवत्ता उत्पादों के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। स्थानीय उद्योग को आयात के किसी हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत पाटन–विरोधी, सहायता राशि तथा प्रतिकारी उपायों आदि जैसे करार मौजूद हैं।

[अनुवाद]

भूटान में सीमेंट कारखाने की स्थापना

2756. श्रीमती मिनाती सेन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में भारत के सहयोग से एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय भारतीय क्षेत्र में होने वाले पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) जी, हां। भूटान नरेश के विशिष्ट अनुरोध पर भारत ने दक्षिण–पूर्वी भूटान के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए सहायता हेतु भूटान के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति दी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार ने 5 मार्च, 1996 को दक्षिण–पूर्वी भूटान में नगंगलम् स्थित दुंगसुन सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

(ख) दुंगसुन सीमेंट संयंत्र एक शुष्क–प्रक्रिया–सीमेंट संयंत्र है जिसकी क्षमता 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी। 1996 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत की ओर से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दुंगसुन सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए भूटान की शाही सरकार को 100% अनुदान–आधार पर कुल 400 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे। कुल अनुदान में से 300 करोड़ रुपये सिर्फ परियोजना के लिए ही होंगे और 100 करोड़ रुपये भारतीय क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए होंगे।

(ग) परियोजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व दुंगसुन सीमेंट संयंत्र को स्थापित करने संबंधी पारिस्थितिकीय कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया गया है।

(घ) भारतीय सीमेंट निगम, जिन्होंने 1992 में दुंगसुन सीमेंट संयंत्र के लिए प्रस्तुत की गयी प्रथम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी, ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी आवश्यक उपायों की पहचान की थी।

कॉटन बोर्ड की स्थापना

2757. श्री राजैया मल्याला :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाडूडे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से हैदराबाद में कॉटन बोर्ड की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां पर कॉटन बोर्ड कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनंजय एन. रामचन्द्रन) :

(क) से (ग) अक्टूबर, 98 में, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कपास के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए तम्बाकू बोर्ड की तरह अखिल भारतीय कपास बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव दिया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था कि कपास क्षेत्र की वृद्धि का ध्यान रखने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर), कपास विकास निदेशालय, भारतीय कपास विकास परिषद (आई सी डी सी) तथा कपास सलाहकार बोर्ड (सी ए बी) जैसे कुछ निकाय/अभिकरण पहले से ही हैं तथा पृथक् कपास बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.)

2758. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए विश्व व्यापार समझौते को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए इस संबंध में कोई योजना लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विभिन्न डब्ल्यू टी ओ करारों का लक्ष्य एक खुली, न्याय संगत और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के जरिए व्यापार का उदारीकरण करना है। मुख्य रूप से कृषि करार, व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के पहलुओं (ट्रिप्स) और स्वच्छता और फाइटो–स्वच्छता उपाय संबंधी करार (एस पी एस) का कृषकों से सीधा संबंध है। कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार में बाजार पहुंच, घरेलू सहायता और निर्यात इमदाद के क्षेत्रों में प्रावधान हैं। ट्रिप्स करार में यह अपेक्षा की गई है कि विभिन्न पौधों का संरक्षण या तो पेटेंट के जरिए या अद्वितीय पद्धति के जरिए या इन दोनों के जरिए किया जाना चाहिए। एस पी एस करार में मानव, पशु पौधे जीवन या स्वास्थ्य का संरक्षण न्यूनतम व्यापार प्रतिबंध के प्रावधान हैं।

सरकार ने डब्ल्यू टी ओ की भावी वार्ताओं में खासकर खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के बारे में भारत के हितों की सुरक्षा करने के विभिन्न उपाय किए हैं। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्तमान में चल रही सही नीतियां एवं कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया गया है कि वे डब्ल्यू टी ओ करारों से लाभान्वित हो सकें। कृषि संबंधी करार पर होने वाली भावी वार्ता में देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए भारत ने घरेलू नीतियों को लागू करने में ढील की मांग की है। उच्च टैरिफ बाध्यता और कीमत सहायता तंत्रों के जरिए कृषकों को पर्याप्त संरक्षण भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, भारत ने विभिन्न पौधों पर पेटेंट की मंजूरी न देने का निर्णय लिया है, बल्कि एक अद्वितीय संरक्षण प्रणाली परिकलित की है जो वाणिज्यिक विपणन प्रणाली के अंतर्गत पुनर्बीजरोपण हेतु बिक्री को छोड़कर संरक्षित किस्म के अपने कृषि उत्पाद की रक्षा करने, बदलने, हिस्सा बटाने के कृषकों के अधिकार बरकरार रखेगा। कृषिजन्य उत्पादों की निर्यात–आयात नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं, कृषि आय और विदेशी मुद्रा आय को अधिकतम करने की जरूरत और ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बचा कर प्रदान करते हुए और कृषि उत्पादों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने से शासित होती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में वेतनमान

2759. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा के सहायक निदेशकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बारे में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 1997 में उल्लिखित 7500–250–12000 रुपए का वेतनमान मिल गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह वेतनमान उन्हें कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) इस वेतनमान के कब से प्रभावी होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सहायक निदेशकों के मौजूदा 145 पदों में से केवल 65 पदों को 7500–250–12000 रुपए के उच्चतर प्रतिस्थापन वेतनमान में रखा जाना था। बाकी पदों को 6500–200–10500 रुपए के सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमानों में रखा जाना है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की उक्त सिफारिश को स्वीकृत और 30 सितम्बर, 1997 को जारी केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियमावली में अधिसूचित कर दिया था। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की उक्त सिफारिश में बदलाव और केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सभी सहायक निदेशकों को उच्चतर प्रतिस्थापंन वेतनमान दिए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के कर्मचारियों की शिकायतें

2760. श्री राधा मोहन सिंह :

श्री रामनायडू दग्गुबाटि :

श्री राजैया मल्याला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली स्थित शाखाओं के कर्मचारियों की समस्याओं के संदर्भ में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) : जी, हां। स्टेट बैंक आफ इन्दौर के दिल्ली में तैनात एक कर्मचारी की सेवा मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अनुसार संबंधित कर्मचारी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने निर्णय किया है कि दिनांक 4.6.1985 से 31. 12. 1987 तक की अनुपस्थिति अवधि अर्थात् समझौता कार्यवाहियों की अवधि को जांच के अधीन मामलों के बराबर माना जाए एवं कर्मचारी को नीचे दिए अनुसार जीविका के लिए कुछ आर्थिक प्रतिपूर्ति भी दी गई :

1. पहले तीन महीनों (4.6.1985 से शुरू) के लिए एक तिहाई वेतन एवं भत्ते।
2. अगले नौ महीनों के लिए आधा वेतन एवं भते
3. इसके बाद 31.12.1987 तक बाकी बची अवधि के लिए पूर्ण भत्ते।
4. 1.1.88 से 31.12.89 की अवधि के लिए स्वीकार्य छुट्टी।

इसके अतिरिक्त, स्टेट बैंक आफ इंदौर ने दिनांक 4.10.94 के अपने आदेश द्वारा कर्मचारी को निरन्तर सेवारत के रूप में माना है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर आयकर

2761. श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बचत को प्रोत्साहन देने हेतु या आयकर की सीमा को बढ़ाने के लिए या वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर आयकर कम करने हेतु आयकर बचत सीमा को 60,000 रुपये से एक लाख रुपये सालाना तक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : सरकार वार्षिक बजट कार्रवाई के भाग के रूप में प्रत्यक्ष कर उपबंधों सहित का विभिन्न पहलुओं पर विचार करती है। एक ओर संभव सीमा तक कर आधार को व्यापक बनाने के उपरान्त प्रत्यक्ष कर राजस्वों को बढ़ाने के समग्र उद्देश्य तथा दूसरी ओर घरेलू बचत आदि को प्रोत्साहित करने जैसे सामाजिक लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन पर विचार किया जाता है। उसी समय कराधान दरों की स्लैब की भी समीक्षा की जाती है। ऐसा आयकर सीमा को बढ़ाकर अथवा स्लैब दरों को कम करके किया जाता है। सरकार सभी ऐसे विकल्पों की जांच करती है और इसकी प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, को वर्ष 2000–2001 के वार्षिक बजट प्रस्तावों में सन्निहित किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की जूट मिलों को फिर से चालू किया जाना

2762. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जूट मिलों को फिर से चालू किये जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल के एन जे एम सी के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मिलों को फिर से चालू किये जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार को पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित एन जे एम सी मिलों के विभिन्न एककों के कर्मचारियों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। ज्ञापन में एन जे एम सी के मामलों से संबंधित विभिन्न मांगें हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ वरिष्ठ बोर्ड स्तर के पदों को भरना, कामगारों को समय पर मजदूरी एवं वेतन का भुगतान, मिलों में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उठाये जाने वाले कदम तथा अप्रचलित मशीनरी का नवीकरण, मिलों में सतत उत्पादन के लिए जे सी आई से कच्चे पटसन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, नये वेतन ढांचों का क्रियान्वयन तथा निगम के पुनरुद्धार योजना शामिल है।

(ग) एन जे एम सी सरकारी क्षेत्र का रुग्ण उपक्रम है जिसका मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा गया है। इन मिलों की रुग्णता के कारणों में वर्षों पुराना संयंत्र और अप्रचलित प्रौद्योगिकी वाली मशीनरी, बेशी श्रम बल आदि हैं।

2. बी आई एफ आर द्वारा रुग्ण कंपनी के रूप में घोषित किये जाने के पश्चात्, मंत्रालय ने एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए समय–समय पर सर्वांगीण सुधार योजनाओं पर विचार किया है। बी आई एफ आर के मानदंडों पर आधारित कार्यचालन अभिकरण द्वारा तैयार की गयी संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना की जांच की जा रही है।

3. यद्यपि मिलें घाटा उठा रही हैं, सरकार कंपनी को वेतन तथा मजदूरियों के प्रति अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु निधियों को भी प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का दुरुपयोग

2763. श्री रामपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय योजनाओं का कार्य देखने वाले संबंधित मंत्रालय इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। योजना आयोग भी इन योजनाओं की आवधिक समीक्षा करता है।

[अनुवाद]

बैंकों के कार्यकरण की निगरानी हेतु समेकित ढांचा

2764. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बीमा कंपनियों के कार्यकरण की निगरानी हेतु एक समेकित ढांचा तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पीडीईएक्ससीआईएल द्वारा हथकरघा आरक्षण आदेश का विरोध

2765. श्री अजित सिंह :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत करघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद (पीडीएईपी) ने हथकरघा आरक्षण आदेशों के क्रियान्वयन के लिए विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर यह विरोध किया गया है;

(ग) क्या इन आधारों का अध्ययन करने के बाद सरकार ने कोई निर्णय लिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हथकरघा उद्योग श्रमिक आधारित कुटीर उद्योग है जिसे सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। पीडेक्सिल ने सरकार को हथकरघा आरक्षण आदेश वापस लेने हेतु अभ्यावेदन दिये हैं।

(ख) उनके अभ्यावेदनों के आधार थे :

(1) विद्युतकरघा क्षेत्र अधिक लागत प्रभावी है;

(2) इसके पास उत्पादन और उत्पादकता के लिए उच्च क्षमता है;

(3) भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, हथकरघा अधिनियम और आदेश का निर्यात बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(4) हथकरघा आरक्षण आदेश के क्रियान्वयन का विद्युतकरघा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) और (घ) सरकार ने हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 घोषित किया। अनेक याचिकाएं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गयी हैं जहां स्थगन आदेश प्रदान किये गये। तदंतर, इन मामलों को उच्चतम न्यायालय ले जाया गया था। जहां एक पक्षीय स्थगन 31.3.1987 से मंजूर किया गया। तदुपरांत, हथकरघा आरक्षण अधिनियम एवं आदेश को अंततः 05.02.1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया। तब से अधिनियम लागू है। 22 वस्त्र मदों को आरक्षित करते हुए 1986 का हथकरघा आरक्षण आदेश जारी किया गया था। अनेक अभ्यावेदन विभिन्न विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। पांच उपसमूहों को सरकार द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र अध्ययन शुरू करने तथा अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था। इन सिफारिशों के आधार पर, सलाहकार समिति ने विशेष रूप से हथकरघा के उत्पादन हेतु 11 वस्त्र मदों के आरक्षण की सिफारिश की। इसे दिनांक 26.07.1996 के हथकरघा आरक्षण आदेश के द्वारा अधिसूचित किया गया था। तदुपरांत, सलाहकार समिति वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा दिये गये ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठक करती है। अतः हथकरघा आरक्षण आदेश की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) जी, हां।

(च) हथकरघा उद्योग श्रम उन्मुखी लघु उद्योग है। यह अधिकांशतः विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार प्रदान करता है। इसे सरकार से संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि यह अपने अंतर्निहित असुविधाओं के कारण विद्युतकरघा/मिल क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है। अतः 1985 के वस्त्र नीति के अनुसरण में तथा हथकरघा क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 घोषित किया है जिसके अंतर्गत इस समय 11 वस्त्र मदों को हथकरघा पर उत्पादन के लिए अलग से आरक्षित किया गया है।

[अनुवाद]

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2766. श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री किरीट सोमैया :

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुदरा बिक्री के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की कोई बाध्यताएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा खुदरा बिक्री के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को निर्णय के विरुद्ध भारतीय वस्त्र उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ङ) व्यापार के लिए स्वतः अनुमोदन प्रणाली के जरिये 51% तक का विदेशी निवेश अनुमत्य है जो इस शर्त के अधीन है कि संबंधित उपक्रम प्रवृत्त निर्यात–आयात नीति के उपबंधों के तहत पंजीकृत एक निर्यात गृह होना चाहिए। निम्नलिखित कार्यों के व्यापार के लिए 100% विदेशी इक्विटी अनुमत्य है :

(1) निर्यात;

(2) निर्यात/निर्बाध बिक्री घरों एक्सबांडेड वेयर हाउस सेल्स के साथ बल्क आयात;

(3) नकद तथा 'कैरी' थोक व्यापार;

(4) अन्य वस्तुओं या सेवाओं का आयात बशर्ते कि कम–से–कम 75% प्रापण तथा वस्तुओं की बिक्री व सेवाएं उसी समूह की कंपनियों में हो।

विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों की प्राप्ति और उनका निपटान वर्तमान में लागू नीति के अनुसार एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

(च) और (छ): विभिन्न उद्योगों से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच वर्तमान नीति को ध्यान में रख कर की जाती है।

[हिन्दी]

कोयले की उत्पादन लागत

2767. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री शंकर सिंह बाघेला :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले के उत्पादन पर किये गये व्यय का तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान समय में उत्पादन की ज्यादा लागत को देखते हुए उत्पादन लागत को कम करने से संबंधित सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देने का कार्य एक विदेशी कंपनी को सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो कंपनी का नाम क्या है और इस उद्देश्य के लिए उक्त कंपनी का चयन करने के मानदंड और कार्यविधि क्या है; और

(ङ) इस कंपनी को पारिश्रमिक के रूप में कितनी धनराशि दिये जाने की संभावना है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) : जी नहीं, कोल इंडिया लि. (कोइंलि) द्वारा किए जा रहे कोयले के उत्पादन की लागत विश्व के कई क्षेत्रों में किए जा रहे उत्पादन की लागत से अपेक्षाकृत कम है। तथापि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कोयले की प्रेषित कीमत में भाड़ा रायल्टी/उपकर, कर उत्पादन लागत के अलावा कर शामिल हैं। आयतित कोयले रायल्टी/उपकर और बिक्री कर जैसे घरेलू लेवी के अधीन नहीं है। आयातित कोयले को रियायती रेलवे भाड़े के साथ–साथ नाम मात्र के कस्टम शुल्क का भी लाभ मिलता है।

(ग) को.इं.लि. द्वारा उत्पादन लागत में कमी लाने से संबंधित पहलुओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी विदेशी कंपनी को नियोजित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. द्वारा श्रमिकों के कल्याण पर व्यय

2768. श्री कमलनाथ : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला खान श्रमिकों के आवास निर्माण, जल आपूर्ति और चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यवस्था पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया;

(ख) क्या कोयला खान श्रमिकों को वर्ष 1994–95 में जारी किये गये स्वास्थ्य कार्डों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि. और उसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा गृह निर्माण, जलापूर्ति, चिकित्सीय और शिक्षा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था पर अब तक किए गए खर्च की कुल राशि निम्नलिखित है :

पूंजी	2042.49 करोड़ रु.
राजस्व	7767.67 करोड़ रु.
जोड़	9810.16 करोड़ रु.

(ख) और (ग) इतनी बड़ी श्रमशक्ति के लिए तिमाही आधार पर स्वास्थ्य कार्डों को अद्यतन करना संभव नहीं है। तथापि इसे कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य परीक्षा के दौरान किया जाता है।

[हिन्दी]

बैंकों को नुकसान

2769. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केनरा बैंक म्युचुअल फंड, एसबीआई म्युचुअल फंड, बैंक आफ इंडिया म्युचुअल फंड और एलआईसी म्युचुअल फंड जैसे म्युचुअल फंडों की वजह से गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) सरकार ने भविष्य में ऐसे घाटों को रोकने/पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसे नुकसान की रोकथाम और उसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दलगांव में पटसन मिल

2770. श्री माधव राजवंशी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा क्या करेंगे कि :

(क) क्या दलगांव/मंगलडोई (असम) में एक पटसन मिल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रस्ताव अभी भी सरकार के सक्रिय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को चालू वित्त वर्ष में शामिल करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस समय देश में मौजूदा पटसन मिलों के पास स्थानीय आवश्यकता एवं निर्यात मांग दोनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।

अब सरकार की देश में किसी नई पटसन मिल की स्थापना हेतु कोई योजना नहीं है।

किराए के भवनों में चल रही बैंक शाखाएं

2771. डॉ. बलिराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और मुम्बई में किराए के भवनों में कौन–कौन से राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं चल रही हैं और कब से;

(ख) वे बैंक कौन–कौन से हैं जिनके मकान मालिकों ने अपने परिसर खाली करवाने का अनुरोध किया था और बैंकों द्वारा उनके अनुरोध ठुकरा दिए जाने के बाद वे मामले को न्यायालय में ले गए थे;

(ग) क्या सरकार का विचार मकान मालिकों के अनुरोध पर परिसर खाली करने के लिए बैंकों को कोई निदेश देने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) वर्ष 1969 और तत्पश्चात् 1980 में वाणिज्यिक बैंकों के

राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा नेटवर्क में यथेष्ट विस्तार के परिणामस्वरूप वर्तमान समय में बड़ी संख्या में बैंक शाखाएं किराए के परिसरों में कार्य कर रही हैं। चूंकि बैंक शाखाओं के स्थान के लिए गैर-सरकारी परिसर किराए पर देना-लेना मकानमालिक और संबंधित बैंक के बीच का संविदात्मक मामला है, इसलिए किराए के परिसरों में स्थित शाखाओं की संख्या के बारे में जानकारी न तो भारत सरकार और न ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है। सरकार द्वारा उन मामलों से संबंधित जानकारी भी नहीं रखी जाती है जिनमें मकान मालिकों ने बैंकों से परिसर खाली करने का अनुरोध किया था और संबंधित बैंकों द्वारा अनुरोधों को ठुकरा दिए जाने के परिणाम स्वरूप इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया था। बैंकों द्वारा किराए के परिसरों का अभिग्रहण और ऐसे परिसरों को खाली किया जाना या खाली किए जाने से मना कर देना बैंकों और मकान मालिकों द्वारा आपसी विचार-विमर्श से निपटाए जाने वाले मामले हैं। जब कभी सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसे बैंक के पास उनके द्वारा निर्धारित परिसर संबंधी नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुसार निपटारे के लिए भेज दिया जाता है। मकान मालिकों के अनुरोध पर परिसरों को खाली कराने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन

2772. श्री विजय गोयल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन ने कितना मुनाफा अर्जित किया;

(ख) क्या हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन में सभी नियुक्तियां कर ली गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और किस तिथि से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) ऐसी रिक्तियां न भरने के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन (एचपीसी) ने निम्नानुसार लाभ अर्जित किया :-

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपये में)
1996-97	6.91
1997-98	11.51
1998-99	9.32

(ख) और (ग) निदेशक (विपणन) के पद को छोड़कर बोर्ड स्तर पर सभी वित्तीय निदेशकों की नियुक्ति कर ली गई है। इस पद को अगस्त 1999 में पुनः सृजित किया गया था और इस पर भर्ती करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड स्तर से नीचे के वरिष्ठ स्तर के पद खाली हैं अर्थात् :-

पद	रिक्ति की तारीख
कार्यकारी निदेशक (नयागांव पेपर मिल)	अप्रैल, 1997
कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)	जून, 1999
महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं)	मई, 1998
महाप्रबंधक (कार्य), कछार पेपर मिल	दिसम्बर 1997
उप महाप्रबंधक (वित्त), नयागांव पेपर मिल	जनवरी, 1999
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त/आंतरिक लेखा)	फरवरी, 1998
वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी)	जनवरी, 1997

(घ) खाली पदों को भरने के लिए कार्रवाई नियमानुसार आरंभ कर दी गई है। हालांकि प्रायः उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव से कार्रवाई में विलम्ब हो जाता है।

जाली नोट

2773. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी मात्रा में नकली नोट चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नकली नोटों के इस प्रचलन को रोकने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार नकली नोटों की छपाई और प्रचलन में लिप्त कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उनसे अब तक कितने मूल्य के नकली नोट पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान, बंग्लादेश और श्रीलंका से जाली नोटों की तस्करी के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अब तक कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और दिनांक 1.1.1999 से 31.10.1999 के बीच तस्करी के पकड़े गये नकली नोटों का ब्यौरा क्या है और ऐसे तस्करों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंडिया डेवलपमेंट फोरम की बैठक

2774. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान द्वारा पोखरन परीक्षण के पश्चात् आर्थिक उपायों की समीक्षा के लिए निर्धारित तिथि के बाद आयोजित की जाने वाली "इंडिया डेवलपमेंट फोरम" की बैठक रद्द कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित होने वाले तकनीकी और अन्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम क्या हैं और चालू परियोजनाओं के वित्त पोषण के विकल्प क्या हैं;

(ग) क्या सरकार यह दर्शाकर कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषक एजेंसियों से प्राप्त धन निर्धारित परियोजनाओं पर ही खर्च किया जा रहा है, आर्थिक प्रतिबंधों का लाभ उठाने का व्यापक प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों से सम्पर्क किया गया और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक विकास

2775. श्री थावर चन्द गेहलोत :

श्री होलखोमांग हौकिप :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर मणिपुर में औद्योगिक विकास के लिए कोई योजना का कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) 1998 से कार्यान्वित उदारीकरण की नीति के कारण हुए औद्योगिक विकास का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1998–99 और 1999–2000 के दौरान उद्योगों की स्थापना में निवेश घरेलू और विदेशी पूंजी का अलग–अलग राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) मणिपुर सहित देश में औद्योगिक विकास के लिए शुरू किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति देश के कुछ पहाड़ी, दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में परिवहन राजसहायता योजना तथा विकास केन्द्र योजना भी शामिल है।

(ख) चालू वर्ष में परिवहन राजसहायता योजना तथा विकास केन्द्र योजना के लिए क्रमशः 85 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये का बजट अनुमान आबंटित है।

(ग) वर्ष 1998–99 तथा वर्ष 1999–2000 (अप्रैल–अक्टूबर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर क्रमशः 4.0% तथा 6.9% है।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा घरेलू निवेश आशयों (औ.उ.ज्ञा. तथा आशय पत्रों) के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

विवरण–I

राज्य–वार औद्योगिक निवेश प्रस्ताव (करोड़ रुपये)

राज्य	औ.उ.ज्ञा. आशय पत्र	
	1998–99 (अप्रैल–मार्च)	1999–2000 (अप्रैल–अक्टूबर)
1	2	3
महाराष्ट्र	42063	9232
गुजरात	5236	11895
उत्तर प्रदेश	3229	1798
तमिलनाडु	3950	4459
आंध्र प्रदेश	4810	2252
हरियाणा	1409	824
मध्य प्रदेश	6012	3852
राजस्थान	1550	330
पंजाब	1313	12352
पश्चिम बंगाल	751	1138
कर्नाटक	3480	1050
दादरा तथा नागर हवेली	483	539

1	2	3
दमन और दीव	154	89
दिल्ली	1	19
केरल	1127	88
हिमाचल प्रदेश	151	202
पांडिचेरी	59	109
बिहार	1136	85
गोवा	522	102
उड़ीसा	2624	5436
असम	340	32
जम्मू और कश्मीर	182	35
चंडीगढ़	28	36
मेघालय	7	17
सिक्किम	0	0
अंडमान और निकोबार	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
नागालैंड	17	0
त्रिपुरा	0	1
लक्षद्वीप	0	0
मिजोरम	0	0
मणिपुर	0	0
एक से अधिक राज्य	9	24
कुल	80643	55996

विवरण—II

राज्य–वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा घरेलू निवेश आशय (करोड़ रुपये) नीचे दिये गये हैं :

राज्य	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1998–1999 (अप्रैल–मार्च)	(राज्य–वार) 1999–2000 (अप्रैल–अक्टूबर)
1	2	3
महाराष्ट्र	3598.56	3905.65
गुजरात	1820.23	656.69
उत्तर प्रदेश	290.70	548.98
तमिलनाडु	3012.59	822.07
आन्ध्र प्रदेश	2287.81	685.15
हरियाणा	671.60	225.38
मध्य प्रदेश	2246.20	213.09
राजस्थान	88.49	147.63
पंजाब	101.84	15.14
प. बंगाल	221.16	233.28
कर्नाटक	5281.01	1065.13
दादरा तथा नगर हवेली	6.72	33.60
दमन और दीव	10.46	.0.27
दिल्ली	5657.03	688.63
केरल	56.77	194.70
हिमाचल प्रदेश	15.91	0.57
पाण्डिचेरी	25.31	17.29
बिहार	644.45	0.10
गोवा	65.29	33.19
उड़ीसा	182.87	217.18
असम	–	0
जम्मू तथा कश्मीर	–	0.40
चंडीगढ़	65.48	1.53
मेघालय	44.46	–
सिक्किम	–	–

1	2	3
अंडमान तथा निकोबार	–	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–
नागालैण्ड	–	–
त्रिपुरा	0	–
लक्षदीप	–	–
मिजोरम	–	–
मणिपुर	–	–
एक राज्य से अधिक	7512.84	2795.27
कुल	33920.58	12500.92

चक्रवात से नुकसान

2776. श्री अमर रायप्रधान : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चक्रवात से इस मंत्रालय को कितना नुकसान हुआ; और

(ख) इस मंत्रालय/मंत्रालयाधीन विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उठाए जा रहे कदमों तथा प्रत्येक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित लोगों को सुविधाओं की तुरन्त बहाली के लिए दी जा रही मदद का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. बल्लभभाई कथीरिया) : (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रम कार्यरत हैं और सरकारी क्षेत्र का इनमें से कोई भी उपक्रम चक्रवात से प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर पता लगाए गए अनुसार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यों के लिए तुरन्त राहत सहायता उपलब्ध कराने के निदेश दिए गए हैं :

(i) पेयजल उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।

(ii) खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करना और तैयार भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करना।

(iii) कपड़े/कम्बल/बरतनों की आपूर्ति करना।

(iv) स्वास्थ्य–महामारी को फैलने से रोकना और

(v) अस्थायी तौर पर आवास की व्यवस्था करना और पालीथीन सीट्स की आपूर्ति करना।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों ने कृषि मंत्रालय के परामर्श से संलग्न विवरण के अनुसार प्रभावित ब्लॉकों/जिलों में राहत कार्य आरंभ कर दिया है।

विवरण

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों को राहत–कार्य के लिए उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित ब्लॉक/जिले आबंटित किए गए हैं :

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जिला	ब्लॉक
1	2	3	4
1.	एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	भद्रक	सदर
2.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	(i) बालासोर	सोर
		(ii) भद्रक	असुराली
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	(i) जगतसिंहपुर	अरसमा
		(ii) भद्रक	सदर
4.	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि.	केन्द्रपारा	इन्दुपुर
5.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	गंजम	गोपालपुर
6.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	कियोंझार	आनन्दपुर

कारों का आयात

2777. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना महानिदेशालय ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आयात–निर्यात नीति विनियमों का उल्लंघन करके मंहगी कारों का आयात करता था और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचता था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी कारों का आयात किया गया और सरकार को कितनी राजस्व राशि का नुकसान हुआ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या ऐसी कारों के आयात और घरेलू बाजार में उनके विक्रय को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) राजस्व आसूचना निदेशालय और कतिपय अन्य सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी निर्यात–आयात नीति विनियमों का उल्लंघन करके कार आयात करने के अनेक मामलों, जिनमें से अधिकांश आयात अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं का पता लगाया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 में (आज तक) राजस्व आसूचना निदेशालय और अन्य सीमा शुल्क कार्यालयों द्वारा निर्यात–आयात नीति का उल्लंघन करते हुए कारों के आयात के क्रमशः 22105 और 40 मामलों का पता लगाया गया है जिनमें अनन्तिम रूप से 111.40 लाख रु. के शुल्क अपवंचन का प्रयास किए जाने का अनुमान है। जांच–पड़ताल के बाद उन कुछेक मौजूदा मामलों को छोड़कर जिनमें जांच–पड़ताल चल रही है संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं उनमें या तो पहले ही न्याय–निर्णयन हो चुका है। (उपयुक्त जुर्माना और अर्थदण्ड लगाते हुए), अथवा उन पर न्याय–निर्णयन कार्रवाई की जा रही है। करविवाद समाधान योजना के अन्तर्गत 4,48,917, रुपए का भुगतान करने पर एक मामले का निपटान कर दिया गया था।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आदिवासी लोगों को ऋण

2778. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में आदिवासियों को ऋण प्रदान करने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किन–किन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी शाखाएं स्थापित की हैं और वे राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासियों को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। सरकार ने गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कार्य कर रही हैं और विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है :

1. इलाहाबाद बैंक
2. आन्ध्रा बैंक
3. बैंक आफ बड़ौदा
4. बैंक आफ इंडिया
5. बैंक आफ महाराष्ट्र
6. केनरा बैंक
7. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
8. कॉरपोरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. इंडियन बैंक
11. इंडियन ओवरसीज बैंक
12. ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स
13. पंजाब एंड सिंध बैंक
14. पंजाब नेशनल बैंक
15. सिंडिकेट बैंक
16. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
17. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
18. यूको बैंक
19. विजया बैंक

[अनुवाद]

पूंजीगत सामान के लिए कर प्रोत्साहन

2779. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वस्त्र उद्योग में पूंजीगत सामान के साथ–साथ कच्चे माल को कर प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : विगत कुछ वर्षों से, सरकार आम तौर पर पूंजीगत सामानों तथा कच्चे मालों के संबंध में तथा विशेषकर वस्त्र के संबंध में आयात–निर्यात नीति तथा वित्तीय नीति दोनों जैसी अनेक नीतिपरक पहल कर रही हैं। वे निम्नानुसार हैं :

(1) इनपुट्स पर कर ढांचा (उत्पाद और सीमा शुल्क दोनों) का सुव्यवस्थीकरण।

(2) कर वापसी योजना का सुव्यवस्थीकरण।

(3) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान (ई पी सी जी) योजना, के अंतर्गत पूंजीगत सामानों के आयात के लिए आरंभिक सीमा 20 करोड़ रुपए से घटाकर 01 करोड़ रुपए करना।

(4) रियायती आयात शुल्क के अंतर्गत विशिष्ट (159) वस्त्र मशीनरी का आयात।

(5) अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत निर्यात सामान के विनिर्माण के लिए कच्चे मालों का शुल्क मुक्त आयात।

(6) 100% इ ओ यू योजना तथा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के अंतर्गत एककों द्वारा सभी आवश्यक इनपुट्स को शुल्क मुक्त आयात।

रेशम आयात पर प्रतिबंध के लिए निवेदन

2780. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम उत्पादकों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रेशम उत्पादकों की रेशम और रेशम धागे के आयात पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने रेशम के घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) रेशम का आयात प्रतिबंधित सूची में है। तथापि निर्यात को उत्कृष्ट रेशम प्रदान करने के लिए शुल्क छूट योजना के अंतर्गत शहतूती अपरिष्कृत रेशम का आयात करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मांग में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अक्टूबर, 1999 में दिनांक 8 अक्टूबर, 1998 को सार्वजनिक सूचना द्वारा कुछ मनोनीत एजेंसियों द्वारा शहतूती अपरिष्कृत रेशम का आयात करने की अनुमति दी है।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें सरकार को इस निर्णय की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना को रद्द कर दिया है तथा विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत केवल ग्रेड–2 ए और उससे अधिक ग्रेड की शहतूती अपरिष्कृत रेशम के आयात की अनुमति इस शर्त पर दी है कि अभ्यर्पित रेशम का सी आई एफ (लागत, बीमा और भाड़ा) मूल्य आयातित सामान के सी आई एफ मूल्य से तिगुना होगा ताकि बढ़िया ग्रेड की रेशम की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उसके बाद शहतूती अपरिष्कृत रेशम के आयात का बारीकी से मानीटर करने के लिए सरकार ने दिनांक 8 जुलाई, 1999 की अपनी अधिसूचना द्वारा केवल निम्नलिखित संगठनों के सरणीकरण के माध्यम से ग्रेड–2 और उससे अधिक ग्रेड की शहतूती अपरिष्कृत की आयात की अनुमति दी है :

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम;

(2) हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि.

(3) राज्य हथकरघा विकास निगम

(4) हथकरघा, विद्युतकरघा और रेशम का कार्य करने वाले अन्य राज्य निगम

(ग) घरेलू रेशम उद्योग के हित की रक्षा करने के लिए रेशम का आयात, निरंतर आयात की प्रतिबंधित सूची में है। इसके अतिरिक्त राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड, रेशम के विकास को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। इनमें अनुसंधान व विकास के विस्तार, प्रशिक्षण, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क के माध्यम से अवस्थापनक तथा विस्तार सहायता की योजनाएं तथा उत्कृष्ट रेशम का उत्पादन करने के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विकासात्मक/प्रोत्साहनजनक/वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है।

जस्टिस मोहन समिति की सिफारिशें

2781. श्री अधीर चौधरी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी केन्द्र सरकार के विरुद्ध है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई वेतन वृद्धि जस्टिस मोहन समिति की सिफारिशों से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार जस्टिस मोहन समिति की सिफारिशों को पूर्णतः लागू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यपालकों (निदेशक मण्डल स्तर, निदेशक मण्डल से नीचे के स्तर तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षक स्तर) के लिए न्यायाधीश मोहन समिति द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भविष्य निधि की ब्याज दर

2782. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, योजना आयोग के सुझावानुसार, भविष्य निधियों और लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में, आम आदमी की चिन्ता पर विचार किया है, जिसकी बचतों का एक प्रमुख हिस्सा इन्हीं दो स्रोतों से आता है; और

(घ) - यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) श्रीमान, फिलहाल लघु बचत योजनाओं और भविष्य निधि पर ब्याज दरें कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। लघु बचत योजनाएं और लोक भविष्य निधि आम आदमी के लिए हैं तथा ये शून्य जोखिम, आकर्षक प्रतिलाभ, नकदीकरण और कर–रियायतों का लाभ देती हैं; ये योजनाएं शहरी, ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में वर्षपर्यन्त उपलब्ध रहती हैं तथा इनमें निवेश के लिए नाममात्र की न्यूनतम सीमाएं हैं।

हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें

2783. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री सुरेश चन्देल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा क्षेत्र के लिए किन–किन मदों को आरक्षित किया गया है;

(ख) क्या इन आरक्षित मदों का उत्पादन गैर–हथकरघा क्षेत्रों में भी किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गैर–हथकरघा क्षेत्र में आरक्षित मदों के उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार हथकरघा बुनकरों को कोई विपणन सुविधा प्रदान कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो बुनकरों के तैयार माल के विपणन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि वे अपने माल की बिक्री कर सकें ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिनमी एम. रामचन्द्रन): (क) हथकरघा आरक्षण आदेश के का.आ. 557 (ई) दिनांक 26. 7. 97 तथा का. आ. 408 (ई) दिनांक 2. 6. 99 में दर्शायी गई तकनीकी विशेषताओं के साथ केवल हथकरघा पर उत्पादन के लिए वस्त्र वस्तुओं की 11 श्रेणियों को आरक्षित रखा गया है अर्थात् 1. साड़ी 2. धोती 3. तौलिया गमछा और अंगवस्त्रम् 4. लुंगी 5. खेस, बैडशीट, बैडकवर, पलंगपोश, फर्नीशिंग (जिसमें टैपेस्ट्री, अपहोजरी शामिल हैं) 6. जामाकालम दरी या डरट 7. ड्रेस मेटेरियल 8. बैरक कम्बल, कम्बल या कम्बली 9. शाल, लोई, मफलर, पंखी इत्यादि 10. ऊनी कपड़ा (वूलन ट्वीड) 11. चादर, मेखला/फणिक।

(ख) जी, हां। उल्लंघन के कुछ मामले समय–समय पर ध्यान में आये हैं।

(ग) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण अधिनियम), 1985 तथा हथकरघा आरक्षण आदेश का सख्ती तथा प्रभावी कार्यान्वयन करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात राज्यों/संघ शासित राज्यों को निर्देश जारी किये गये हैं। क्योंकि इस अधिनियम को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना उनका मुख्य दायित्व है।

केन्द्रीय प्रवर्तन मशीनरी जिसका मुख्यालय दिल्ली में है के साथ–साथ 3 क्षेत्रीय प्रवर्तन कार्यालय; कलकत्ता, चेन्नई तथा अहमदाबाद में स्थापित किये गये हैं।

केन्द्र तथा राज्यों/संघ शासित राज्यों की सरकारों के प्राधिकृत अधिकारियों को इस अधिनियम/आदेशों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

पावरलूम इकाइयों/मिलों की प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उनके निरीक्षण के दौरान उल्लंघनों का पता लगाने के पश्चात् संबंधित पुलिस स्टेशन में कानूनी औपचारिकताएं जैसे कि पंचनामा तैयार करना, नमूने जब्त करना आदि पूरा करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) लिखवाई जाती है।

(घ) और (ङ) विभिन्न हथकरघा अभिकरणों को संशोधित विपणन विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार हथकरघा अभिकरणों/बुनकरों द्वारा हथकरघा एक्सपो, जिला स्तर पर मेलों के आयोजन, विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शनियों तथा मुख्य राष्ट्रीय स्तर पर मेलों जैसे सूरज कुंड आदि में भाग लेने हेतु विपणन सहायता भी प्रदान कर रही है।

हथकरघा अभिकरणों को सहायता प्रदान करने हेतु उनके हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए विपणन काम्पलैक्सों को भी स्थापित किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2784. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) सरकार ऐसे बैंकों, विशेषतः उड़ीसा में बालनगीर जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बालनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक के पुनर्गठन के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार घाटा उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) सरकार ने वर्ष 1994–95 से पुनः पंजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है और छः वार्षिक चरणों में वित्तीय दृढ़ता हेतु अब तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 175 बैंको को लिया गया है, जिसमें 2076 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता अन्तर्ग्रस्त है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले 175 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 158 का पूर्णतः पुनः पूंजीकरण किया गया है, जबकि 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आंशिक रूप से पुर्नपूंजीकरण किया गया है। चालू वर्ष के दौरान बालनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक को पुनः पूंजीकरण सहायता देने पर विचार किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यसंचालन के लिए किए गये अन्य महत्त्वपूर्ण उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) एक नियोजित तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य–निष्पादन में सुधार करने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजनाएं/समझौता ज्ञापन शुरू करना।

(ii) आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड लागू करना;

(iii) व्यावसायिक क्रियाकलापों का विविधीकरण;

(iv) अतिरिक्त गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) के निवेश के लिए अधिक अवसर;

(v) घाटे वाली शाखाओं को अन्य स्थान पर ले जाने एंव उनके विलय सहित शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण।

(vi) जिन किसानों का पिछला कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा हो, उनके लिए संमिश्र ऋण सुविधाएं शुरू करना तथा किसान क्रेडिट क्राडों की शुरुआत;

(vii) ब्याज दर संरचना का पूर्णतः अधिनियमन; और

(viii) विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका संबंधी जिम्मेदारी में स्पष्टता तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन कार्य में, संबंधित प्रायोजक बैंकों की भूमिका को और बढ़ाना।

विवरण

31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्य–वार विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या	हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	16	–
2	असम	5	2
3	अरुणाचल प्रदेश	1	–
4	बिहार	22	12
5	गुजरात	9	1
6	हरियाणा	4	–
7	हिमाचल प्रदेश	2	–
8	जम्मू एवं कश्मीर	3	2
9	कर्नाटक	13	–
10	केरल	2	–
11	मध्य प्रदेश	24	8
12	महाराष्ट्र	10	3
13	मणिपुर	1	1
14	मिजोरम	1	–
15	मेघालय	1	–
16	नागालैण्ड	1	–

1	2	3	4
17	उड़ीसा	9	5
18	पंजाब	5	–
19	राजस्थान	14	7
20	तमिल नाडु	3	–
21	त्रिपुरा	1	1
22	उत्तर प्रदेश	40	2
23	पश्चिम बंगाल	9	5

[हिन्दी]

भारत में विदेशी तम्बाकू कंपनियां

2785. श्री बालकृष्ण चौहान :

श्री रामदास आठवले :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने देश में सिगरेट के उत्पादन में विदेशी तम्बाकू कंपनियों के प्रवेश के संभावित दुष्परिणामों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अध्ययन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार प्रणाली से संबंधित सेमिनार

2786. श्री श्रीपाद येस्सो नाईक: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नयी दिल्ली में " उरूग्वे दौर की बातचीत के बाद दक्षिण एशियाई देशों के लिए विश्व व्यापार प्रणाली" से संबंधित सेमिनार आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेमिनार में उत्पादों के उन्नयन के लिए सुझाव दिये गये; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार ने 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर 1999 तक सिएटल, यू एस ए में हुए तृतीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारी के लिए विचार–विमर्श प्रक्रिया के रूप में "उरूग्वे दौर की संभावनाओं के बाद दक्षिणी एशियाई देशों के लिए विश्व व्यापार प्रणाली" के बारे में कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जर्मनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.)

2787. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1999 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "जर्मन इन्वेस्टमेंट कन्टीन्यू टू डिकलाइन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत में प्रत्यक्ष जर्मनी निवेश में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1996–1997 में जर्मनी भारत में निवेश करने वाले 15 बड़े विदेशी निवेशकों की सूची में 5वें, स्थान से 9वें स्थान पर आ गया है;

(घ) क्या भारत में जर्मनी के निवेश को जर्मनी में भारतीय अधिकारियों द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जर्मनी के गिरते निवेश को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण): (क) से (ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान जर्मनी के संबंध में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा तथा कुल अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में जर्मनी के रैंक का विवरण इस प्रकार है :

अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (राशि मिलियन में)

वर्ष (जन.–दिसं.)	जर्मनी सहित (रुपये में)	वर्ष–वार रैंक
1996	15378.9	5वां
1997	21558.1	5वां
1998	8537.6	9वां
1999 (जनवरी–अक्तूबर)	10880.6	8वां
योग	78483.7	6वां (संचयी)

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार निरंतर रूप से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती है, जैसे कि :

(1) वैबसाइटों के माध्यम से "प्रस्ताव के लिए उपलब्ध परियोजनाएं" से संबंधित सूचना प्रदान करना।

(2) विभिन्न उद्योग असोसिएशनों के परामर्श तथा सहयोग से विदेशों में संगोष्ठियों का आयोजन करना।

(3) उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ संपर्क स्थापित करना।

(4) परियोजनाओं को त्वरित रूप से कार्यान्वित करने हेतु संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना।

(5) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति की समय–समय पर समीक्षा करना ताकि उसे अधिकाधिक निवेशकानुकूल बनाया जा सके।

चाय का निर्यात

2788. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कुल चाय बगान क्षेत्र कितना है;

(ख) परंपरागत, सीटीसी और दार्जीलिंग चाय की कुल कितनी उत्पादन क्षमता है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2010 तक चाय की घरेलू खपत की आवश्यकता का अध्ययन करने हेतु किसी कार्य दल का गठन किया है और निर्यात के लिए कितनी अतिरिक्त चाय है; और

(घ) यदि हां, तो देश में चाय का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारत में चाय की खेती के तहत कुल 436057 हैक्टेयर क्षेत्र हैं। राज्य–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

प्रमुख चाय उत्पादक राज्य	चाय के तहत हैक्टेयर में क्षेत्र
असम	230978
पश्चिम बंगाल	104226
तमिलनाडु	49085
केरल	36809
त्रिपुरा	6100
हिमाचल प्रदेश	2325
कर्नाटक	2099
अरुणाचल प्रदेश	2000
उत्तर प्रदेश	1068
नागालैंड	456
मणिपुर	400
उड़ीसा	219
सिक्किम	172
बिहार	120
सारे भारत में योग	436057

(ख) वर्ष 1998 के दौरान, भारत में चाय का उत्पादन 870.4 मिलियन किग्रा. था, जिसमें 759.5 मिलियन किग्रा. सी टी सी चाय, ९6 मिलियन किग्रा. ग्रीन चाय तथा 102.3 मिलियन किग्रा. आरथोडॉक्स चाय थी, जिसमें 10.7 मिलियन किग्रा. दार्जिलिंग चाय शामिल थी।

(ग) 9वीं योजना के लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड ने इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के सहयोग से घरेलू उपभोग के लिए चाय की मांग का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया था। निर्यात की संभावना का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप भी स्थापित किया गया था। उपर्युक्त अध्ययनों की रिपोर्टों के आधार पर 9वीं योजना के लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए :

9वीं योजना अवधि के अन्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य

1.	घरेलू खपत	730	मिलियन किग्रा.
2.	निर्यात	265	मिलियन किग्रा.
3.	पाइपलाइन स्टॉक	5	मिलियन किग्रा.
		1000	मिलियन किग्रा.

(घ) सरकार/चाय बोर्ड द्वारा चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में चाय बोर्ड द्वारा चाय उद्योग का विस्तार – रोपण, पुनर्रोपण, नवीकरण, कटाई–छंटाई, इनफीलिंग, सिंचाई सुविधाओं की स्थापना और जल–निकासी इत्यादि को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी अनेक विकासात्मक योजनाओं के जरिए दी जा रही वित्तीय सहायता शामिल है।

वस्त्र उद्योग का विकास

2789. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कौन–सा स्थान है;

(ख) देश में इस समय विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र में हथकरघा, विद्युतकरघा, कृत्रिम सूत, सिले–सिलाए वस्त्र और होजियरी की राज्य–वार कितनी इकाइयां कार्यरत हैं; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान आज तक देश में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए राज्य–वार कितना धन खर्च किया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) वस्त्र क्षेत्र के संबंध में राज्यों का स्थान निर्धारण करने की सरकार की कोई प्रणाली नहीं है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के संबंध में वस्त्र संबंधी महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. स.		अखिल भारत	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश
1.	सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर एस एस आई)			
	1. मिलों की संख्या	1,824	201	72
	2. स्थापित क्षमता			
	(क) तकुए (000 में)	34,722	5,020	2,003
	(ख) रोटर्स	382,779	43,044	9,232
	(ग) करघे	122,504	36,104	11,391
2.	स्पन यार्न का उत्पादन (000 किग्रा.)	2,807,850	354,401	94,890
3.	फैब्रिक मिल क्षेत्र का उत्पादन (000वर्ग मी.)*	1,494,232	692,409	39,873
4.	विद्युतकरघों की संख्या	1,619,689	692,603	65,366
5.	करघों की संख्या	3,486,308	39,900	189,570

*विशिष्ट सुताई एककों के फैब्रिक उत्पादनों को छोड़कर

(ख) मंत्रालय सिलेसिलाए परिधान और होजरी क्षेत्रों जो कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में हैं, में एककों की संख्या के ब्यौरे नहीं रखता है। देश में 285 सिंथेटिक यार्न का उत्पादन करने वाले एकक हैं (236 शत–प्रतिशत गैर–सूती स्पन यार्न, और 49 फिलेमेंट यार्न) जिनमें से 16 और 22 सिंथेटिक यार्न विनिर्माता एकक क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों में करघों का राज्य–वार (महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित) वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की भूमिका सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में है, यह विकास आयुक्त

(हथकरघा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और केन्द्रीय रेशम बोर्ड जैसी अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करती है। वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान ऐसी योजनाओं पर योजना के अंतर्गत क्रमशः 238.69 करोड़ रुपए और 239.33 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। वर्ष 1999–2000 के लिए वस्त्र मंत्रालय का योजना बजट 266 करोड़ रुपए है।

विवरण

हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों का राज्य–वार वितरण

क्र.सं.	राज्य	विद्युतकरघा 30.9.99 की स्थिति अनुसार	हथकरघा 1995–96 की जनगणना के अनुसार (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	42924	202100
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	39592
3.	असम	2726	1322056
4.	बिहार	2894	46220
5.	दिल्ली	1102	7027
6.	गोवा	122	43
7.	गुजरात	308165	20550
8.	हरियाणा	9882	22718
9.	हिमाचल प्रदेश	1302	47631
10.	जम्मू और कश्मीर	65	18154
11.	कर्नाटक	64422	70835
12.	केरल	3418	49508
13.	मध्य प्रदेश	43130	22536
14.	महाराष्ट्र	692603	39900
15.	मणिपुर	शून्य	281496
16.	नागालैण्ड	शून्य	87878
17.	उड़ीसा	3301	92869
18.	पांडिचेरी	830	3106
19.	पंजाब	22542	6556
20.	राजस्थान	32868	34343
21.	तमिलनाडु	317128	413174
22.	त्रिपुरा	शून्य	117792
23.	उत्तर प्रदेश	65366	189570
24.	पश्चिमी बंगाल	4361	350654
25.	सिक्कम	शून्य	शून्य
26.	मेघालय	शून्य	शून्य
27.	मिजोरम	शून्य	शून्य
28.	दादरा एवं नगर हवेली	496	शून्य
29.	दमन और द्वीप	शून्य	शून्य
30.	लक्ष्यद्वीप	शून्य	शून्य
31.	अण्डमान और निकोबार	शून्य	शून्य
32.	चण्डीगढ़	42	शून्य
	कुल	1619689	3486308

पाकिस्तान को सर्वाधिक प्राथमिकता वाले देश का दर्जा

2790. श्री नरेश पुगलिया : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को सर्वाधिक प्राथमिकता वाले देश का दर्जा दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को सर्वाधिक प्राथमिकता वाले देश का दर्जा दिए जाने की अपनी नीति की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत

सुरक्षा प्रावधानों के उपयोग हेतु पाकिस्तान के विरुद्ध व्यापार प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) पाकिस्तान ने भारत को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया है। सरकार ने अनेक मौकों पर पाकिस्तान सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया है। अलग से सार्क प्रक्रिया के जरिए पाकिस्तान के साथ विचार–विमर्श हुए हैं ताकि भारतीय उत्पादों के लिए उनकी आयात व्यवस्था को उदार बनाया जा सके। इस बारे में कुछ प्रगति भी हुई है। तथापि समय–समय पर इस स्थिति की समीक्षा की जाती है और भारत सरकार के पास अपने व्यापार हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है जिसमें डब्ल्यू टी ओ के तहत विवाद निपटान प्रक्रिया का रास्ता अपनाए जाने का विकल्प भी शामिल है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान की सिफारिशें

2791. डॉ. एस. जगतरक्षकन :

श्री कृष्णमराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एन. आई. पी. एफ. पी.) ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यावधि समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा में जिन प्रमुख कार्यों की पहचान की गई है उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या समीक्षा में दिए गए सुझावों के अनुसार सरकार का कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यावधि समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन करते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को इंगित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जिन मुख्य विशेषताओं को उजागर किया गया है, ये इस प्रकार है : विकास में तेजी, अल्प मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की पर्याप्त रूप से संतोषजनक स्थिति। मध्यावधि समीक्षा में सरकार के लिए चिह्नित कार्य हैं : राजकोष में सुदृढ़ता लाना जिसके लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाने की आवश्यकता होगी, कर छूटों और रियायतों के समूचे दायरे की जांच–पड़ताल की जरूरत और व्यय की प्राथमिकताओं का पुनःनिर्धारण और ढांचागत सुधार जिनमें सुधार कानूनों का अधिनियमन, 2000 तक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का विनियंत्रण, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विनिवेश बढ़ाने तथा सरकारी साझेदारी को कम करके 33 प्रतिशत तक करने की जरूरतें शामिल हैं। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को बारीकी से मानीटर किया जाता है तथा उनकी लगातार संवीक्षा की जाती है और उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में कर जब भी आवश्यक हो उपयुक्त नीतिगत कदम उठाए जाते हैं।

कपास के आयात पर प्रतिबंध

2792. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने और कपास के मूल्य में कमी के मद्देनजर किसानों की सहायता के लिए अधिक निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) इस वर्ष कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार को कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार ने भारतीय कपास निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता परिसंघ और निजी व्यापारियों को अपरिष्कृत कपास का पांच लाख गांठों (प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.) का निर्यात कोटा रिलीज किया गया है।

[हिन्दी]

सी. सी. टी. कोयला धुलाई के लिए मशीन का उपयोग

2793. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. के करगली और बोकारो क्षेत्र के अंतर्गत करगली, धोवनशाला में सी. सी. टी. कोयले की धुलाई के लिए मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार मशीनरी के पुनप्रयोग का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) कारगली वाशरी के क्रॉस कंट्री कन्वेयर परिवहन (सी सी सी टी) वर्तमान में उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं।

(ख) कारगली वाशरी स्थित सी. सी. सी. टी. बोकारो ओ. का. और भूमिगत खानों से कोककर कोयले का परिवहन कारगली वाशरी के लिए करता था, लेकिन कारगली वाशरी को 1. 6. 99 से कोककर कोयले की वाशरी से अकोककर कोयले की वाशरी में बदले जाने से इस प्रणाली को चलाए जाने की अब यहां आवश्यकता नहीं रही है।

(ग) और (घ) कन्वेयर ढांचा और सी. सी. टी. के अन्य भागों को खोला जा रहा है और उनका, यथापेक्षित, कंपनी में उपयुक्त स्थलों में उपयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु

2794. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं । सरकार ने नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. के अंतर्गत विद्यालय

2795. श्री नवल किशोर राय :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कुल कितने विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) इन विद्यालयों में श्रेणी-वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) क्या इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों ने अपने वेतनमान के बारे में संबंधित अधिकारियों को कोई ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा रखी गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मांगों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि. के नियंत्रणाधीन कोई स्कूल नहीं चल रहे हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

अधिक मूल्य वाले/कम मूल्य वाले बीजक

2796. श्री रामानन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक मूल्य दिखाकर/कम मूल्य दिखाकर बीजकों के माध्यम से देश से बाहर जा रही पूंजी पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या विभाग ने इस संबंध में अमेरिका और अन्य विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किये गये अनुसंधान के बाद प्रकाशित की गयी रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ग) धन का बाहरी देशों में जाने से देश को क्या नुकसान हो रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनञ्जय कुमार) : (क) जी, हां। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीमा शुल्क विभाग जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से अधिक मूल्य एवं कम मूल्य के बीजक बनाने के जरिए देश से पूंजी को बाहर जाने से रोकने के लिए उपाय किए हैं।

(ख) सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के फलोरिडा अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विद्यालय में डॉ. जॉन एस. डेनोविक्ज तथा दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापारित सभी वस्तुओं के औसत

मूल्य और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा विश्व के बीच व्यापारित सभी वस्तुओं के औसत मूल्य का चयन करने के लिए विश्व मूल्य मैट्रिक्स का उपयोग किया गया है।

(ग) सरकार ने आयातों से अधिक मूल्य के बीजक बनाने और निर्यातों के कम मूल्य के बीजक बनाने के जरिए होने वाली पूंजी उड़ान के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाए हैं।

विदेश व्यापार

2797. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत का विदेश व्यापार गत वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ा है;

(ख) उक्त वृद्धि कितने प्रतिशत थी;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसे और बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार उन मुख्य व्यापारिक देशों के नाम जिनके साथ पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत के निर्यात एवं आयात में अमरीकी डॉलर के रूप में वृद्धि हुई है, इस प्रकार हैं :

भारत का निर्यात : 1998–99 में

देश	निर्यात वृद्धि %
1	2
बेल्जियम	6.7
डेनमार्क	19.1
फ्रांस	10.9
ग्रीस	4.8
आयरलैंड	1.4
लक्जमबर्ग	20.3
स्पेन	15.6
फिनलैंड	27.3
बंग्लादेश	26.0
सऊदी अरब	12.0
संयुक्त अरब अमीरात	9.5
इजरायल	0.4
मिस्र	8.2
नाइजीरिया	14.4
कनाडा	10.4
यू एस ए	7.8

भारत के आयात : 1998–99

देश	आयात वृद्धि %
1	2
डेनमार्क	11.7
आयरलैंड	18.9
इटली	18.7
नीदरलैंड	5.0
स्पेन	31.3
यू के	5.0
फिनलैंड	2.0
स्विटजरलैंड	8.7
बंग्लादेश	25.2
नेपाल	49.2
श्रीलंका	29.1
आस्ट्रेलिया	0.5
हांगकांग	40.7
इन्डोनेशिया	11.3
जापान	11.2
कोरिया	14.3

1	2
मलेशिया	33.2
सिंगापुर	13.9
थाइलैंड	16.1
इजरायल	0.5
नाइजीरिया	5.6
दक्षिण अफ्रीका	171.9

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकेन्द्रीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय शामिल हैं। बहुपक्षीय एंव द्विपक्षीय प्रयासों के जरिए तथा थ्रस्ट सैक्टरों एवं फोकस क्षेत्रों की पहचान करके निर्यात को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

भारतीय कपास निगम की कपास खेती योजना

2798. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम ने देश में बेहतर कपास से खेती के लिए एक महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार किन–किन गांवों का चयन किया गया है; और

(घ) इसके अंतर्गत गांवों के चयन के क्या मानदंड हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1995–96 से भारतीय कपास निगम ने देश में बेहतर कपास उत्पादन के लिए एक विकास/विस्तार क्रियाकलाप संबंधी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में शामिल हैं :

- प्रमाणित लेवल बीजों कीटनाशकों का उत्पादन/वितरण
- ग्राम अपनाने का कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी का प्रसार, क्षेत्रीय दिवसों तथा संगोष्ठियों आदि का आयोजन।
- एकीकृत कपास कंटक प्रबंधन,
- कपास फसल निगरानी और कपास विस्तार सेवा
- कृषि विद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की अनुसंधान व विकास की परियोजनाओं को सहायता
- उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल से सुन्दरवन के क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग, तमिलनाडु में तंजावुर जिले जैसे गैर–परंपरागत क्षेत्रों में कपास कृषि बढ़ाना। मौजूदा जी एंड पी फैक्टरियों में सुधार तथा आधुनिक कार्यशालाओं और गोदामों का निर्माण आदि।

(ग) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा चुने गये गांवों की राज्य–वार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	गांवों की संख्या	
	1997–98	1998–99
राजस्थान	12	25
हरियाणा	18	32
पंजाब	25	18
गुजरात	38	41
मध्य प्रदेश	05	–
आंध्र प्रदेश	24	32
कर्नाटक	32	69
कुल	154	217

(घ) ग्रामों को चयन करने का मापदंड निम्नानुसार है :

- ऐसे ग्राम जिनकी उत्पादकता राज्यों की समग्र उत्पादकता से निम्न है।
- विशेषकर वर्षाबाहुल्य क्षेत्रों मामूली और प्रायोगिक किसानों से बाहुल्य ग्राम।
- ऐसे ग्राम जिनके किसान "एक किस्म–एक ग्राम अवधारणा" को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

[*हिन्दी*]

बीमा कम्पनियों में धोखाधड़ी

2799. श्री भाणिकराव होडल्या गावित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम और

सामान्य बीमा निगम और इनके सहायक कार्यालयों में कितनी धोखाधड़ी हुई;

(ख) प्रत्येक मामले का कंपनी–वार और सहायक कंपनी–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी जालसाजियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प के विकास/वस्त्रों पर व्यय की गई राशि

2800. श्री दिग्गा पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान आज तक देश के विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में हस्तशिल्प और वस्त्रों के विकास पर राज्य–वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) हस्तशिल्प–विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार, देश में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण कारीगरों को प्रचुर मात्रा में प्रोत्साहन तथा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस सम्बंध में क्या आवश्यक कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1998–99 के दौरान और आज तक गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य सहित देश में हस्तशिल्पों एवं वस्त्रों के विकास पर व्यय की गई राशि के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए सरकार अनेकों योजनाएं कार्यान्वित करती है। इन योजनाओं में प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, विपणन सम्बंधी कार्यक्रम, शिल्प विकास केन्द्र एवं एम्पोरियमों की स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र एवं वर्कशेड–सह–आवास आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार, देश में हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों सहित, समग्र देश के कारीगरों को प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान कर रही है। इन प्रोत्साहनों में उत्कृष्ट शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित करना शामिल है। पुरस्कार में 25,000/–रुपये नकद, एक अंगवस्त्रम एवं एक ताम्रपत्र दिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिल्पियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर आयोजित प्रदर्शनियों पर किए गए व्यय की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को दरिद्रावस्था में 500/– रुपये की दर से मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	वर्ष 1998–99	वर्ष 1999–2000 (आज तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1235.05	768.70
2.	अ. नि. द्वीप समूह	–	2.70
3.	अरुणाचल प्रदेश	28.90	11.75
4.	असम	1492.84	286.36
5.	बिहार	42.84	17.52
6.	दिल्ली	315.15	31.12
7.	गोवा	3.22	5.99
8.	गुजरात	404.65	171.93
9.	हरियाणा	90.18	35.03
10.	हिमाचल प्रदेश	154.26	58.09
11.	जम्मू एवं कश्मीर	121.94	50.30
12.	कर्नाटक	347.74	119.15
13.	केरल	974.27	12.96
14.	मध्य प्रदेश	229.71	80.48
15.	महाराष्ट्र	873.07	289.33
16.	मणिपुर	234.65	146.31
17.	मेघालय	10.60	14.56

1	2	3	4
18.	मिजोरम	36.36	–
19.	नागालैण्ड	167.03	160.91
20.	उड़ीसा	536.39	535.29
21.	पंजाब	162.23	13.37
22.	पाण्डिचेरी	32.22	70.48
23.	राजस्थान	285.84	120.25
24.	सिक्किम	100.00	2.81
25.	तमिलनाडु	2582.52	1054.93
26.	त्रिपुरा	67.59	177.27
27.	उत्तर प्रदेश	1114.10	467.41
28.	पश्चिमी बंगाल	529.33	132.98
	कुल	12272.68	4837.38

कृषि उत्पादों का निर्यात

2801. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिशार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात में संभावित वृद्धि वाले कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात हेतु प्रस्तावित वस्तुओं की कमी नहीं होने के लिए क्या देश के उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति देश की निर्यात आयात नीति का एक अभिन्न अंग है। कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित नीति मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा की चिंताओं कृषि आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होती है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यवहार्य बनाने के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाता है, तदनुसार नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं।

निर्यात की गई प्रमुख कृषि वस्तुएं हैं–दाल, चावल गेहूं, अनाज, तम्बाकू, मसाले, काजू, तिल और रामतिल, मूंगफली, स्प्रिट और पेय पदार्थ, ग्वारमम खाद्य, तेल खाद्य, चपड़ा, चीनी, मांस, और मांस से बनी वस्तुएं, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद, पुष्पोत्पाद, फल एवं सब्जियों के बीज, ताजे फल एवं सब्जियां, प्रसंस्कृत एवं जूस और सब्जियां इत्यादि।

प्रत्यक्ष कर अपवंचन

2802. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय को मिली जानकारी के मुताबिक गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनियों द्वारा बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष कर अपवंचन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जालसाजी, प्रतिवर्ष अनुमानित कर अपवंचन और बड़े अपवंचन में लिप्त कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पहले ऐसे मामलों में कर अपवंचन फिर अंततः कर–निर्धारण और गत तीन वर्षों के दौरान कर अपवंचन के महत्त्वपूर्ण मामले के संदर्भ में आमतौर पर राज्य–वार और विशेषकर महाराष्ट्र में कर उगाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुमानित कर अपवंचन के कारण और वास्तविक कर उगाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनन्जय कुमार) : (क) से (घ) कर–अपवंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना के आधार और तलाशीपूर्व आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद तलाशी कार्रवाइयां की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों के मामलों में भी तलाशी कार्रवाइयां की गई थीं और ऐसे मामलों में अप्रकटित आय पर कर अधिरोपित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत समुचित कार्रवाइयां शुरू की गई हैं।

अपवंचन और अन्तिम तौर पर वसूले गए करों की मात्रा अधिनियम के अध्याय XIV-ख के अन्तर्गत दस वर्ष की अवधि तक किए जाने वाले नियमित कर–निर्धारण पर निर्भर करती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवासी भारतीय

2803. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवासी भारतीयों को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें अनिवासी भारतीय नियुक्त किए गए हैं और नियुक्ति की तिथि क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्याज पर कर छूट

2804. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात पर कर से छूट प्रदान करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

2805. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई; और,

(ख) उनमें से कितनी इकाइयों को उत्पादन शुरू करने के लिए ढांचागत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान निर्यात अभिमुख इकाइयों की स्थापना के लिए 359 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 347 का अनुमोदन कर दिया गया था।

(ख) आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए संबद्ध राज्य सरकार जिम्मेदार हैं।

भारतीय सीमेंट निगम की अकालतारा इकाई

2806. डॉ. चरणदास महंत : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम की अकालतारा इकाई कब से बंद पड़ी हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके लाभ और हानि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त इकाई को बेचने या इसे पट्टे पर देने का है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त इकाई को चालू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर इसे अर्थक्षम नहीं बनाया जा सकता है;

(ङ) क्या उक्त इकाई के कर्मचारीगण अपने वेतन समय पर नहीं पा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) उत्पादन की अक्षमता के कारण सी. सी. आई. की अकालतारा यूनिट में उत्पादन कार्य 09. 12. 96 से बंद है। हालांकि, यूनिट को अभी तक बंद नहीं किया गया है।

(ख) यूनिट को 1998–99 के दौरान 21.55 करोड़ रुपए (अनंतिम) का निवल घाटा हुआ है। यूनिट का 31. 3. 1999 तक सकल घाटा 177.60 करोड़ रुपए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। यूनिट की बिक्री करने के लिए पहले ही विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

(ङ) और (च) सी. सी. आई. द्वारा वित्तीय संकट का सामना करने के कारण अपने कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन का भुगतान करने में कभी–कभी विलम्ब हो जाता है। सरकार सांविधिक देयताओं इत्यादि सहित सी. सी. आई के कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी का भुगतान करने के लिए नगद घाटे को पूरा करने के एक भाग के रूप में कंपनी को गैर–योजना सहायता उपलब्ध कराती रही है।

कोष को खर्च करने के लिए कार्यविधि

2807. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मंत्रालय/विभाग निधियों को व्यय करने की नियत कार्यविधि का पालन नहीं करते और सामान्यतया उन्हें वित्तीय वर्ष के अंतिम मासों में व्यय करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रक्रिया/नियमों का कड़ाई

से पालन कराने और अनावश्यक व्यय से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय में तीव्र वृद्धि से बचने के लिए उपबंध हैं। इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमों/अनुदेशों का कमोबेश अनुपालन किया जाता है। वित्तीय अनियमित्तताओं के विशेष मामले लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में सामने लाये जाते हैं तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों और लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जांच की जाती है।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों हेतु निधियां

2808. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं की निधि को सिक्ता पंचायतों और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना सीधे ग्राम पंचायतों को भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है या इस मुद्दे को अन्तर्राज्यीय परिषद् या राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष लाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित परियोजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-म्यांमार सीमा व्यापार

2809. श्री होलखोभांग हौकिप : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-म्यांमार व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यह दोनों देशों के लिये किस प्रकार से लाभदायक है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जनवरी, 1994 में हस्ताक्षरित भारत-म्यांमार सीमा व्यापार करार, अप्रैल, 1995 से प्रभावी हो गया था। अप्रैल, 1995 से मार्च, 1999 तक दोनों देशों के बीच हुआ सीमा व्यापार 173.24 करोड़ रुपए का रहा है।

भारत सरकार ने मणिपुर में मोरेह से होकर सीमा व्यापार को सुकर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें बैंकिंग, सीमाशुल्क, आप्रवास तथा अन्य व्यापार व्यवस्थाएं शामिल हैं।

स्थानीय व्यापारियों के लिए शोरूम-सह-बिक्री काउंटर हेतु स्टॉल उपलब्ध करवाने, एक निर्यात-आयात सूचना प्रकोष्ठ खोलने, दूरभाष, एस टी डी/आई एस डी, टैलेक्स, फैक्स, जैसी दूर-संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने, कम्प्यूटर केन्द्र, निर्यात-आयात प्रशिक्षण/सेमिनारों जैसी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सम्मेलन कक्ष तथा निर्यात-आयात से संबंधित अन्य सरकारी/अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए कमरे उपलब्ध करवाने के लिए मोरेह में एक व्यापार केन्द्र का निर्माण किया गया है।

आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना (सी आई बी) संबंधित अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा मोरेह में बाह्य सड़कों के विकास के लिए 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गयी है।

म्यांमार सरकार से भारत में चम्पई तथा म्यांमार में रीह स्थित द्वितीय सीमा मार्ग को शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय पक्ष की ओर से मिजोरम में चम्पई के नजदीक जोखावथार में एक नगर-क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

2810. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर स्थित एन. टी. सी. और बी. आई. सी. मिलों के कर्मचारियों के गैर-पर्यवेक्षक संवर्ग के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो कानपुर में पर्यवेक्षक कर्मियों के प्रति ऐसे भेद-भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कानपुर में गैर-पर्यवेक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए रिपोर्ट लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) :

(क) से (ग) पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें केवल ऐसे कर्मचारियों के संबंध में लागू होती हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति सी डी ए वेतन ढांचे से शासित हैं। एन. टी. सी. (उ. प.) लि., कानपुर में ऐसे 775 कर्मचारी लाभान्वित हुए। बी आई सी के मामले में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती क्योंकि यहां कोई भी कर्मचारी सी डी ए वेतनमान में नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

2811. श्री हरीभाउ शंकर महाले :

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक विदेशी मुद्रा का कितना भंडार है और इसमें अप्रवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) की बैंक जमा का कितना हिस्सा है;

(ख) गत तीन वर्षों के मुकाबले में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसे बढ़ाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) 3 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार स्वर्ण एवं एस डी आर सहित 34288 मिलियन अमरीकी डालर है। अनिवासी भारतीय जमा खातों के सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार सितम्बर, 1999 के अन्त में विभिन्न अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं के तहत प्रत्यावर्तन के लाभों सहित बकाया राशि जिसमें उपार्जित ब्याज भी शामिल है, 15193 मिलियन अमरीकी डालर है। यह विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के वर्तमान स्तर का लगभग 44.3 प्रतिशत है।

(ख) मार्च 1997, मार्च, 1998 और मार्च, 1999 के अन्त में प्रत्यावर्तनीय अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं के तहत भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार और बकाया राशि से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है :

	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (मिलियन अमरीकी डॉलर)	प्रत्यावर्तनीय अनिवासी भारतीय जमा स्कीमों के तहत बकाया राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)	कॉलम (2) की तुलना में कॉलम (3) का अनुपात (प्रतिशत)
के अंत में			
मार्च, 1997	26423	14785	56.0
मार्च, 1998	29367	14105	48.0
मार्च, 1999	32490	14543	44.8

(ग) और (घ) अनिवासी भारतीय जमा खातों के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता से निबटने के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार के वर्तमान स्तर को पर्याप्त माना गया है।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

2812. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नर्मा और कपास के निर्यात के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कपास के मूल्य में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय कपास निगम का विचार कपास की खरीद शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने चालू कपास मौसम 1999–2000 (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान अपरिष्कृत कपास की पांच लाख गांठों (प्रत्येक गांठ 170 कि. ग्रा.) का निर्यात कोटा पहले से ही जारी किया है।

(ग) और (घ) सरकार कपास मौसम के शुरू होने से पूर्व कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सरकार बाजार में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न चली जाए। ऐसी परिस्थितियों में सरकार कपास उपजाने वाले सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान शुरू करती है। इनमें महाराष्ट्र शामिल नहीं है क्योंकि वहां राज्य सरकार की कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना प्रचालन में है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम कपास उपजाने वाले सभी राज्यों में कपास की खरीदारी करता है जिनमें महाराष्ट्र शामिल नहीं है क्योंकि वहां राज्य सरकार की कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना प्रचालन में है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की कार्यावधि

2813. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की कार्यावधि समाप्त हो चुकी है और रिक्तियों को भरने के लिए अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन इस प्रकार है :

(1) उद्योग सचिव (सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग);

(2) वित्त सचिव;

(3) वाणिज्य सचिव;

(4) सचिव (आर्थिक संबंध) विदेश मंत्रालय।

बोर्ड आवश्यकतानुसार भारत सरकार के अन्य सचिवों तथा वित्तीय संस्थानों, बैंकों के उच्च अधिकारियों और उद्योग एवं वाणिज्य के व्यवसायी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड में रिक्तियों को भरने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शाखाएं

2814. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम धन जुटाने के लिए इन्दौर, शिमला, शिलांग, नागपुर, रांची, कोयम्बटूर और अन्य स्थानों पर अपनी शाखाएं पुन : खोलने/खोलने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण पर अधिक बल देने के लिए अपने गुवाहाटी शाखा कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय बनाने पर विचार कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी. आई.) ने सूचित किया है कि इन्दौर, शिमला, शिलांग, नागपुर, रांची और कोयम्बटूर में उसका कोई कार्यालय/शाखा नहीं है और इस समय इन स्थानों पर कार्यालय खोलने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आई. एफ. सी. आई. ने सूचित किया है कि उसके गुवाहाटी कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर इसे क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना

2815. श्री राजो सिंह : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज–आधारित औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए तैयार की गई प्रमुख परियोजना स्कीम की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी.ई.पी.बी. योजना

2816. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषध रसायन और भेषज के निर्यात संबंधी 'ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक' योजना को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने घरेलू भेषज उद्योग के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) औषध, रसायन तथा भेषज के निर्यात संबंधी शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचारधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात संवर्धन योजना

2817. श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन योजना को सरल कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यातक किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार ने भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा व्यवसाय लागत और समय को कम करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं ताकि भारतीय निर्यातकों को निर्बाद्ध प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सके। इन उपायों में शामिल हैं : वस्त्र क्षेत्र तथा रसायनों के कतिपय उपक्षेत्रों में शून्य शुल्क ई.पी.सी.जी. योजना को लागू करना, समुद्री तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क ई.पी.सी.जी योजना के तहत अतिरिक्त सीमाशुल्क में छूट, वार्षिक अग्रिम लाइसेंस योजना शुरू करना ; ई.ओ.यू./ई.पी.जैड. योजना को युक्ति संगत बनाना; सेवाओं के निर्यात हेतु स्वीकृति; निर्णय लेने के काम का विकेन्द्रीकरण, आवेदनों की विभिन्न श्रेणियों को समयबद्ध निपटान में स्वचलन और विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण। ये परिवर्तन निर्यातकों और सरकार के बीच समय लगने वाली प्रक्रिया को कम करने की दृष्टि से प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं।

स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो

2818. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उल्लंघन के संबंध में राज्य-वार कितने व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए; और

(ग) उन्हें दण्डित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) महोदय, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एन.सी.बी.) ने नशीले पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों तथा आरंभिक कच्ची सामग्रियों की बड़ी मात्रा में जब्ती की है तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गत तीन वर्षों के दौरान 94.324 कि. ग्रा. अफीम, 430.259 कि. ग्रा. हेरोइन, 7452.450 कि. ग्रा. गांजा, 1053.390 कि. ग्रा. हशीश, 7.243 कि. ग्रा. कोकीन, 317.196 कि. ग्रा. मेथाकालोन तथा 1981.600 लीटर एसिटिक एनहाइड्राइड की जब्ती की गई थी। इस अवधि में एन.सी.बी. ने 321 लोगों को गिरफ्तार किया तथा एन.सी.बी नशीले पदार्थों के अवैध विनिर्माण में संलिप्त चार इकाइयों की पहचान करने एवं उन्हें नष्ट करने में भी सफल रहा है। पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु राज्यों में 219 एकड़ भूमि में अफीम एवं केनबिस की अवैध खेती को नष्ट किया गया। इसी अवधि में एन.सी.बी. ने 335.25 लाख रुपए की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों को अवरुद्ध कर दिया है। नोडल केन्द्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में, एन.सी.बी., देश में नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ समन्वय की दृष्टि से समन्वय समिति की बैठकें करता रहा है। इस अवधि में, इटली एवं तुर्की सरकारों के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 15 देशों के साथ द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य विभिन्न चरणों में है। विदेशों ने नशीले पदार्थ संबंधी संपर्क अधिकारियों के सहयोग से 36 नियंत्रित सुपुर्दगी अभियान चलाए गए। एन.सी.बी. विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए नशीले पदार्थों संबंधी कानून के प्रवर्त्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनार भी आयोजित करता रहा है।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य की कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में

राज्य–वार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को दर्शाने वाला विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सभी गिरफ्तार व्यक्तियों पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अभियोजन चलाया जाएगा। गत तीन वर्षों के दौरान, नशीले पदार्थों के व्यापार में संलिप्त 7494 व्यक्तियों पर अपराध प्रमाणित हो गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के राज्य–वार ब्यौरे।

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष		
		1997	1998	1999 (नवम्बर, तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	80	309	138
2.	गोवा	13	35	10
3.	गुजरात	231	308	114
4.	हरियाणा	199	270	121
5.	हिमाचल प्रदेश	71	123	66
6.	जम्मू और कश्मीर	72	82	63
7.	कर्नाटक	–	–	–
8.	केरल	412	282	121
9.	मध्य प्रदेश	889	409	105
10.	महाराष्ट्र	848	878	574
11.	मणिपुर	178	89	64
12.	मेघालय	–	18	–
13.	मिजोरम	17	66	29
14.	नागालैंड	221	41	45
15	उड़ीसा	1	–	2
16.	पंजाब	298	312	275
17.	राजस्थान	825	344	411
18.	तमिलनाडु	2711	2926	2554
19.	त्रिपुरा	1	4	3
20.	उत्तर प्रदेश	6320	5661	3890
21.	पश्चिम बंगाल	67	178	16
22.	दिल्ली	852	522	413
23.	पांडीचेरी	–	–	–
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	4
25.	चंडीगढ़	30	31	13
26.	लक्षद्वीप	–	–	–
27.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
28.	असम	222	107	92
29.	दमन और दीव	–	–	–
30.	सिक्किम	–	–	–
31.	बिहार	1	110	21
32.	अरुणाचल प्रदेश	5	18	2

सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन

2819. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री' द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि बड़ी संख्या में सरकारी उपक्रमों के अभ्यर्थी अधिकारियों ने निजीकरण के बजाय पुनर्गठन को प्राथमिकता दी है क्योंकि 85 प्रतिशत अभ्यर्थी यह मानते हैं कि निजीकरण के बिना पुनर्गठन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यक्त किए गए उनके विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में चिन्हित किए गए कुछ पुनर्गठन योग्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण द्वारा अभिज्ञात पुनर्संरचना योग्य क्षेत्र हैं–व्यवसाय, संगठनात्मक, वित्तीय और श्रम पुनर्संरचना। सर्वेक्षण के प्रत्यर्थियों का यह मत था कि इन क्षेत्रों में पुनर्संरचना उद्यम के मूल्य को बढ़ाएगी और सरकार को शेयरों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी।

नागपुर में वस्त्र-प्रसंस्करण गृह

2820. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1999 में नागपुर में वस्त्र प्रसंस्करण गृह प्रारंभ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कुल परिव्यय कितना है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) इस वस्त्र–प्रसंस्करण गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ङ) इसके द्वारा किन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा;

(च) निजी समूहों को ये सुविधाएं कहां तक प्रदान किये जाने का विचार है;

(छ) क्या बंद हो गई नागपुर जिला वीणाकार सहकारी कताई मिल के 1044 पूर्व–कामगार प्रसंस्करण–गृह में उन्हें पुनर्वसित किए जाने का आग्रह कर रहे हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस प्रसंस्करण–गृह के प्रमुख का नाम क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (झ) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय का नागपुर सहित भारत में किसी वस्त्र प्रसंस्करण गृह की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

नए निर्यात बाजार

2821. डॉ. वी. सरोजा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स ने नए बाजारों का पता लगाने और मौजूदा बाजारों में निर्यात के हमारे हिस्से को समेकित करने के लिए मध्यकालिक योजना बनाने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पी. एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने "भारतीय निर्यात–मुद्दे और कार्ययोजना" विषय पर एक अध्ययन किया है।

(ख) मंत्रालय ने विश्व निर्यात में 1 % हिस्सा प्राप्त करने के लिए उत्पाद क्षेत्र–वार तथा दिशापरक पहलुओं को शामिल करते हुए एक मध्यकालिक कार्य योजना तैयार की है। उत्पाद क्षेत्र–वार कार्य योजना में उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट के मुद्दों का विवेचन किया गया है और इन उत्पाद क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है। दिशापरक कार्य योजना में मौजूदा बाजारों में हमारे निर्यातों को बढ़ाने के अलावा, अफ्रीका, लेटिन अमरीका और सी.आई.एस. देशों में उभरते हुए बाजारों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा का कार्यालय

2822. श्री मोइनुल हसन :

श्री कृष्णमराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतराष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आई.डी.आर.सी.), कनाडा का कार्यालय भारत में वित्त मंत्रालय के समझौता ज्ञापन के तहत 1983 में ही स्थापित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यालय की स्थापना के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आई.डी.आर.सी.) ने भारत और दक्षिण एशिया क्षेत्र तथा कनाडा स्थित अपने मुख्यालय में अपने कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आईडीआरसी तथा आर्थिक कार्य विभाग के बीच दिनांक 2 जून, 1983 के विनिमय पत्र के तहत अपना क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली ने अब तक विभिन्न भारतीय संस्थाओं/संगठनों की लगभग 240 अनुसंधान परियोजनाओं को 60 मि. कनाडी डालर अधिक राशि की वित्तीय सहायता से वित्तपोषित किया है।

महाराष्ट्र में कोयले की खोज

2823. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के सहयाद्रि पहाड़ी क्षेत्र में कोयले की संभावनाओं की खोज हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, जी.एस.आई. द्वारा महाराष्ट्र के सहयाद्री पर्वतीय क्षेत्र में कोयले के होने की संभावनाओं के अन्वेषण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। इस क्षेत्र में बड़ी मोटाई के दक्कन असिताश्म विद्यमान हैं अतः जी.एस.आई. द्वारा डीलिंग शुरू नहीं की गयी है। भू–गर्भीय और खनन निदेशालय महाराष्ट्र द्वारा रत्नगिरी और उसके आस–पास के क्षेत्रों में डीलिंग की गई है जहां 29 बोर होलों को ड्रिल किया गया और अधिकतम 0.85 मीटर की मोटाई के लिग्नाइट भंडारों को काटा गया। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जी.एस.आई. महाराष्ट्र के रत्नगिरी क्षेत्र में और कोई अन्वेषण किए जाने पर विचार नहीं कर रहा है।

विश्व बैंक की संशोधित नीति

2824. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को दी जाने वाली सहायता/ऋणों के संबंध में नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में हीरों के भंडार की खोज

2825. श्री एस. डी. एम. आर. वाडियार : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के कुछ क्षेत्रों में हीरों की नई खानों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों में पाए गए हीरों के भण्डार की अनुमानित मात्रा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले और आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में हीरे की मौजूदगी वाले किम्बरलाइट पाइपों के नए प्राप्ति–स्थानों की रिपोर्ट मिली है। तथापि, अब तक किया गया प्रारंभिक कार्य हीरे के भण्डार का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में विलय

2826. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमुख वित्तीय संस्था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई) के तेजी से गिरते–लाभ और इसकी अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही अनुप्रयोज्य परिसम्पत्तियों को देखते हुए अग्रणी वित्तीय संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में इसके विलय पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई) का किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक में विलय होने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हीरो होंडा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

2827. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होंडा कम्पनी देश में हीरो होंडा मोटर्स लि. में निवेश किया गया अपना विदेशी निवेश वापस ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड इसके परिणामस्वरूप तदर्थ/अस्थायी आधार पर कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों को स्थायी नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने कर्मचारी तदर्थ/अस्थायी/दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क)

और (ख) मै. होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, जापान को स्कूटरों मोटर साइकिलों तथा उनके संघटकों फालतू पुर्जों के विनिर्माण तथा बिक्री–पश्चात् सेवाओं के लिए 43.00 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि की 100% विदेशी इक्विटी सहित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। सरकार ने आवेदक कंपनी द्वारा मै. हीरो होंडा सहित भारत में उनके मौजूदा संयुक्त उद्यम भागीदारों से उनके प्रस्ताव के बारे में "अनापत्ति" प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही अनुमति प्रदान की थी।

(ग) से (ङ) निजी क्षेत्र की कंपनी का प्रबंधन/प्रशासन भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं होता है तथा यह प्रवर्तकों तथा कर्मचारियों के बीच का मामला है। तथापि, किसी शिकायत के मामले में, अपकृत पक्ष श्रम आयुक्त से तथा इस मामले में प्राधिकृत अन्य एजेंसियों से शिकायत का निवारण करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह

2828. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने हेतु कौन–कौन से कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अपना ग्रामीण शाखाओं के बकाया ऋण नीचे दिए गए अनुसार मार्च 1995 के 28,183 रुपए की तुलना में बढ़कर मार्च, 1999 में 41,193 रुपए हो गया है :

को समाप्त वर्ष	बकाया ग्रामीण ऋण (50 करोड़ में)
मार्च 1995	28183
मार्च 1996	29122
मार्च 1997	32372
मार्च 1998	36697
मार्च 1999	41193

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह आई.आर.डी.पी., ट्राइसेम डी. डब्ल्यू.सी.आर.ए. आदि सहित सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन सभी योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाई गई है जिसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जे.एस.वाई.) का नाम दिया गया है। इस योजना के मार्ग–निर्देशों में योजना के अंतर्गत स्थापित विभिनन समितियों के माध्यम से बैंक के स्तर पर और साथ ही ब्लाक/जिला/राज्य तथा केन्द्र के स्तर पर निगरानी की व्यवस्था है। वाणिज्यिक बैंकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृषि सहित प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उप–लक्ष्यों को प्राप्त करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे पिछले बेहतर कार्य निष्पादन रिकार्ड वाले किसानों को संमिश्र ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नकदी ऋण सुविधाएं प्रदान करें तथा कृषक। उधारकर्ताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करें।

ग्रामीण आधारभूत ढांचे से संबंधित जारी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई है। इस निधि समूह में घरेलू बैंकों द्वारा कुल प्राथमिकता क्षेत्र उधार/कृषि क्षेत्र उधार में कमी के बराबर अंशदान किया गया यह आशा की जाती है कि आरआई डीएफ योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अब तक मंजूर किए गए ऋण के पूर्ण उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण खपत क्षमता में वृद्धि होगी जिससे कारीगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों सहित कृषिक्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि होगी।

निवासी भारतीयों के विदेशों में खाते

2829. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विनिमय निदेशालय को सरकारी अनुमति के बिना विदेशों में खाता खुलवा चुके निवासी भारतीयों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच पड़ताल के राज्य–वार क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) महोदय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली क्षेत्र से संबंधित 10 शिकायतें और मुम्बई क्षेत्र से संबंधित 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) की गई जांच के आधार पर दिल्ली क्षेत्र के संबंध में 1 मामले में और मुम्बई क्षेत्र के संबंध में 14 मामलों में न्याय निर्णयन कार्रवाई आरम्भ की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2830. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) तैयार की है; और

(ख) वर्ष 1998–99 और चालू वर्ष के दौरान कितने कर्मचारियों ने ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना के प्रस्ताव को स्वीकार किया है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए एक आदर्श स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है। 31–3–1998 तक की जानकारी उपलब्ध है, तब तक 227113 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया था। वर्ष 1997–98 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 26853 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना था। वर्ष 1998–99 के दौरान ऐसी सेवानिवृत्तियों की संकलित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

श्रम मानक

2831. श्री आर. एल. भाटिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका द्वारा विश्व व्यापार संगठन को विश्व व्यापार संगठन अथवा अनेक सूचनात्मक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाले निकाय के भीतर ही श्रम मानकों संबंधी दल का सृजन करने के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु एक कार्य दल गठित करने को बाध्य करने के कारण भारत को गहरा झटका पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत श्रम मानकों के शामिल होने का विरोध करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सिएटल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए जेनेवा में डब्ल्यूटीओ की महापरिषद् में तैयारी प्रक्रिया के सबसे अंतिम चरण में अमरीका और यूरोपीय संघ, दोनों ने श्रम संबंधी मानकों पर प्रस्ताव किए थे। यद्यपि अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन के भीतर श्रम संबंधी मुद्दे पर विचार–विमर्श करने के लिए एक कार्यदल का गठन किए जाने का प्रस्ताव किया था तथापि, यूरोपीय संघ का प्रस्ताव एक संयुक्त डब्ल्यूटीओ–अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन(आई.एल.ओ.) कार्य मंच की स्थापना करने का था जिसमें उसके स्थान के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। सिएटल में भारत और अनेक विकासशील देशों ने व्यापार को श्रम मानकों के साथ जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया था। चूंकि आम सहमति पर आधारित किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का कार्य स्थगित कर दिया गया था।

(ख) और (ग) भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि श्रम मानक एक गैर–व्यापारिक मुद्दा है और इसे डब्ल्यूटीओ के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए।

डब्ल्यूटीओ के भीतर व्यापार को श्रम मानकों के साथ जोड़े जाने के किसी प्रस्ताव का विरोध किए जाने का प्रस्ताव है।

हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहन

2832. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2005 में बहु–तंतु समझौते (मल्टी–फाइबर एग्रीमेंट) का चरणबद्ध नियोजन करने के पूर्व वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धात्कम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्रों को क्या सहायता और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एम. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने उद्योग के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने तथा उसे अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए स्वतः उन्नत करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना जैसी योजनाएं पहले से शुरू की हैं। निर्यात हकदारी (कोटा) नीति की अधिसूचना में भी विनिर्माता निर्यातक हकदारी और नई निवेशक हकदारी प्रणालियों को शामिल किया गया है ताकि वस्त्र क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके।

(ग) मुख्यतः हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र एम.एफ ए. द्वारा प्रभावित नहीं है। सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनमें परियोजना पैकेज, कार्यशाला सह–आवास, बचत निधि, स्वास्थ्य पैकेज, सामूहिक बीमा, निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनका विपणन, राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों का आयोजन, प्रदर्शनियों, मेलों और हाटों में सहभागिता करना आदि शामिल हैं।

जहां तक हस्तशिल्प क्षेत्र का संबंध है सिद्धहस्त शिल्पकारों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए टी.ए/डी. ए. के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे शिल्पकारों को जो कि वृद्धावस्था और अपंगता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, पैंशन प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट शिल्पकारों और बुनकरों को उनके शिल्प कौशल के मान्यता स्वरूप राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं। ऐसे पुरस्कारों में 25000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक ताम्र पत्र और एक अंग वस्त्रम् शामिल है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के शिल्पकारों को पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति और निशुल्क परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्राकृतिक रबर पर कर

2833. श्री रमेश चेन्नितला :

श्री पी. सी. थामस :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को राज्य व्यापार निगम द्वारा ली जा रही प्राकृतिक रबर से बिक्री कर हटाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा केरल सरकार को बिक्री कर के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने किसानों से प्राकृतिक रबर प्राप्त करने के लिए केरल सरकार के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं । तथापि, भारत सरकार ने केरल सरकार से यह अनुरोध किया है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) द्वारा खरीदी गई प्राकृतिक रबड़ की बिक्री/खरीद पर लगने वाले खरीद-कर को हटा दिया जाए।

(ख) राज्य सरकार ने दिनांक 30 नवम्बर, 1999 को भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत रबड़ की खरीद से संबंधित योजना के तहत एसटीसी द्वारा दिनांक 1-9-97 से 31-10-99 के दौरान खरीदी गई रबड़ को कर से मुक्त करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

(ग) दिनांक 31-10-1999 की स्थिति के अनुसार एसटीसी ने केरल सरकार को खरीद-कर के रूप में अब तक 5.63 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात लाभ

2834. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक ने वर्ष 1996 के दौरान निर्यातकों को उनके समयबद्ध प्रस्तुत दावों के आधार पर निर्यात लाभों और नगर प्रतिभूति सहायता के लिए कई करोड़ रुपये का भुगतान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यातकों को अनुचित लाभ देने के लिए इससे संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) यह सच है कि विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक, सीएलए, नई दिल्ली ने 12 फर्मों को, उनके लिए द्वारा किए गए दावों के आधार पर माने गए निर्यात का लाभ प्रदान करने हेतु 2.04 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इन फर्मों के नाम निम्नानुसार है :

1.	मै. माइक्रोप्रो इंडिया लि., नई दिल्ली
2.	एडवांस स्टील टसूब्स लि., साहिबाबाद
3.	मै. महाराष्ट्र सीमलैस लि. नई दिल्ली
4.	मै. एसएई इंडिया लि. नई दिल्ली
5.	मै. इंडियन एल्यूमिनियम केबल्स लि., नई दिल्ली
6.	मै. सैमटल कलर लि., नई दिल्ली
7.	मै. इनालसा लि., नई दिल्ली
8.	मैं. इंड्योर लि., नई दिल्ली
9.	मै. विर्गैड इंडिया प्रा., लि., नई दिल्ली
10.	मै. ग्लोबल इंजिनियरिंग, नई दिल्ली
11.	मै. सीमेन्स लि., नई दिल्ली
12.	मै. बी. एच. ई. एल. नई दिल्ली

(ग) लेखा–परीक्षा ने उपर्युक्त फर्मों को किए गए भुगतान पर इस आधार पर आपत्ति की थी कि इन दावों की समयावधि समाप्त हो चुकी है। ये अभिमत अब सीएजी रिपोर्ट, 1999 की सं.–2 का हिस्सा है। उपर्युक्त मामलों में से प्रत्येक मामले की जांच की जाएगी और विधिवत जांच–पड़ताल के पश्चात् अधिकारियों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कृत कार्रवाई रिपोर्ट, लेखा–परीक्षा द्वारा उसकी विधिवत विधीक्षा के पश्चात् संसद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

"ओ.ई.सी.एफ." से सहायता

2835. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ओवरसीज इकॉनामिक कोऑपरेशन फंड" की सहायता से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशों को किए गए प्रस्तावों और इन कार्यस्थलों के संरक्षण और आधुनिकीकरण हेतु विदेशों द्वारा दिखाई गई रुचि का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) चल रही ओ.ई.सी.एफ. (अब जे.बी.आई.सी.) सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मई, 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद, जापान सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए सभी येन ऋण रोक दिए हैं।

विवरण

चल रही जे.बी.आई.सी. (पूर्व में ओ.ई.सी.एफ.) सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(मिलियन जापान येन)

क्रम सं.	आई.डी.पी.सं. तथा परियोजना का नाम	केन्द्र/ राज्य	हस्ताक्षर करने/ बंद करने की तारीख	ऋण की राशि
1	2	3	4	5
1.	आई.डी.पी.सं–40 टीस्टा कैनाल एच.ए.पी.	पं. बंगाल	18.12.86/31.3.2000	8025
2.	आई.डी.पी.–53 घाटघर पंपेंड स्टोरेज़ परियोजना	महाराष्ट्र	15.12.88/20.1.2003	11414
3.	आई.डी.पी.–66 पावर सिस्ट्म इम्प्रूवमेंट एंड स्माल हाइड्रो परियोजना	केन्द्र	23.1.91/5.2.2002	24379
4.	आई.डी.पी.–72 टीस्टा कैनाल एचईपी–II	प. बंगाल	23.1.91/31.3.2000	6222
5.	आई.डी.पी.–73 इंदिरा गांधी एफोरेस्टेशन	राजस्थान	23.1.91/5.2.2000	7869
6.	आई.डी.पी.–79 अर्बन सिटी जलापूर्ति परियोजना	केन्द्र	9.1.92/31.3.2000	6788
7.	आई.डी.पी.–80 अरावली पहाड़ियों में वन रोपण परियोजना	राजस्थान	9.1.92/31.3.2000	8095
8.	आई.डी.पी.–81 राष्ट्रीय राजमार्ग–2 सुधार परियोजना	केन्द्र	9.1.92/30.9.2000	4855
9.	आई.डी.पी.–82 अजन्ता एलोरा संरक्षण तथा पर्यटन विकास परियोजना	केन्द्र/महाराष्ट्र	9.1.92/30.3.2002	3745

1	2	3	4	5
10.	आई.डी.पी.–84 यमुना कार्य योजना परियोजना	केन्द्र	21.12.92/19.4.2000	17773
11.	आई.डी.पी.–85 श्रीसेलम विद्युत पारेषण प्रणाली	आन्ध्र प्रदेश	21.12.92/19.4.2000	3806
12.	आई.डी.पी.–88 अन्पारा "ख" ताप विद्युत परियोजना चरण'–5	उत्तर प्रदेश	24.1.94/11.3.2001	17638
13.	आई.डी.पी.–90 फरीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	केन्द्र	24.1.94/11.3.2001	23536
14.	आई.डी.पी.–91 नैनी के पास यमुना नदी पर पुल	केन्द्र	24.1.94/11.3.2001	10037
15.	आई.डी.पी.–92 राष्ट्रीय राजमार्ग–5 की चार लेन बनाना	केन्द्र	24.1.94/11.3.2001	11360
16.	आई.डी.पी.–94 श्री सेलम लैफ्ट आन्ध्र प्रदेश बैंक विद्युत परियोजना–II	आन्ध्र प्रदेश	28.2.95/12.4.2001	22567
17.	आई.डी.पी. श्री सेलम विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना–II	आन्ध्र प्रदेश	28.2.95/12.4.2001	9546
18.	आई.डी.पी.–96 असम गैस टर्बाइन विद्युत स्टेशन पारेषण परियोजना–II	केन्द्र	28.2.95/12.4.2000	15821
19.	आई.डी.पी.–97 बक्रेश्वर ताप विद्युत यूनिट–3 विस्तार परियोजना	प. बंगाल	28.2.95/12.4.2001	8659
20.	आई.डी.पी.–98 पुरूलिया पंपेड स्टोरेज परियोजना	प. बंगाल	28.2.98/12.4.2003	20520
21.	आई.डी.पी.–99 काठगोदाम "ए" टी.पी.एस. रिहैबिलिटेशन परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	28.2.95/12.4.2002	5092
22.	आई.डी.पी.–100 राष्ट्रीय राजमार्ग–5 सुधार परियोजना–II	केन्द्र	28.2.95/12.4.2002	5836
23.	आई.डी.पी.–101 राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजना	केन्द्र	28.2.95/12.4.2002	4827
24.	आई.डी.पी.–102 मद्रास सीवरेज रैनोवेशन एंड फंक्शनल इम्प. परियोजना	तमिलनाडु	28.2.95/12.4.2001	17098

1	2	3	4	5
25.	आई.डी.पी.–103 लेक भोपाल संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना	मध्यप्रदेश	28.2.95/12.4.2002	7055
26.	आई.डी.पी.–104 राजस्थान वन विकास परियोजना	राजस्थान	28.2.95/12.4.2002	4219
27.	आई.डी.पी.–105 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	प. बंगाल	28.2.95/12.4.2001	1525
28.	आई.डी.पी.–106 आई.सी.आई सी.आई.– औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्र	28.2.95/12.4.2000	3000
29.	आई.डी.पी.–107 एन.एच.पी.सी. धौलीगंगा एच.ई.पी.	केन्द्र	25.1.96/23.5.2000	5665
30.	आई.डी.पी.–108 अन्पारा विद्युत पारेषण परियोजना	उत्तर प्रदेश	25.1.96/26.3.2000	12020
31.	आई.डी.पी.–109 बंगलौर जलापूर्ति	कर्नाटक	25.1.96/26.3.2004	28452
32.	आई.डी.पी.–110 शहरी जलापूर्ति एवं सफाई सुधार कार्यक्रम	केन्द्र	25.1.96/28.6.2004	8670
33.	आई.डी.पी.–111 अट्टापैडी वेस्टलेंड डेवलपमेंट	केरल	25.1.96/26.3.2005	5112
34.	आई.डी.पी.–112 गुजरात वन परियोजना	गुजरात	25.1.96/26.3.2004	15760
35.	आई.डी.पी.–113 कुरनूल कुडुप्पा कैनाल आधुनिकीकरण परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	25.1.96/26.3.2003	16049
36.	आई.डी.पी.–115 पिपावाव शिप–ब्रेकिंग विकास परियोजना	गुजरात	25.1.96/26.3.2003	7046
37.	आई.डी.पी.–116 उत्तरी भारत पारेषण प्रणाली परियोजना	केन्द्र	25.2.97/3.6.2006	8497
38.	आई.डी.पी.–117 प. बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	प. बंगाल	25.2.97/29.5.2004	11087
39.	आई.डी.पी.–118 उमियाम जल विद्युत स्टेशन नवीकरण	मेघालय	25.2.97/10.6.2004	1700
40.	आई.डी.पी.–119 तुइरियल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर स्टेशन परियोजना	केन्द्र	25.2.97/18.6.2009	11695

1	2	3	4	5
41.	आई.डी.पी.–120. सिंहाद्री ताप विद्युत परियोजना	केन्द्र	25.2.97/24.6.2007	19817
42.	आई.डी.पी.–121 दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना	केन्द्र	25.2.97/21.10.2007	14760
43.	आई.डी.पी.–122 कलकत्ता परिवहन आधार ढांचा विकास परियोजना	प. बंगाल	25.2.97/29.5.2004	10679
44.	आई.डी.पी.–123 केरल जलापूर्ति परियोजना	केरल	25.2.97/3.6.2006	11997
45.	आई.डी.पी.–124 पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	कर्नाटक	25.2.97/29.5.2005	15968
46.	आई.डी.पी.–125 तमिलनाडु वन–रोपण परियोजना	तमिलनाडु	25.2.97/29.5.2005	13324
47.	आई.डी.पी. 126 राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	25.2.97/29.5.2006	13222
48.	आई.डी.पी.–127 सिंहाद्री एवं विजाश पारेषण प्रणाली परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	12.12.97/19.2.2003	10629
49.	आई.डी.पी.–128 श्री सेलम लैफ्ट बैंक पावर स्टेशन III परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	12.12.97/16.2.2003	14499
50.	आई.डी.पी.–129 धोलीगंगा हाईड्रो इलैक्ट्रिक II परियोजना	विद्युत मंत्रालय	12.12.97/9.2.2003	16316
51.	आई.डी.पी.–131 बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना–II	प. बंगाल	12.12.97/9.2.2003	34151
52.	आई.डी.पी.–132 टूटीकोरिन पोर्ट ड्रेजिंग परियोजना	भूतल परिवहन मंत्रालय	12.12.97/19.8.2003	7003
53.	आई.डी.पी.–132 पंजाब वनरोपन परियोजना	पंजाब	12.12.97/16.2.2003	6193
54.	आई.डी.पी.–133 मध्य प्रदेश रेशम उत्पादन परियोजना	मध्य प्रदेश	12.12.97/5.2.2005	2212
55.	आई.डी.पी.–134 मणिपुर रेशम–उत्पादन परियोजना	मणिपुर	12.12.97/28.7.2005	3962

1	2	3	4	5
56.	आई.डी.पी.–135 रंगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	12.12.97/5.2.2003	7760
57.	आई.डी.पी.–137 बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट–3 विस्तार परियोजना–(II)	प. बंगाल	24.3.99/28.4.2004	11537

काली मिर्च का उत्पादन

2836. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान देश में राज्य–वार काली मिर्च का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) कितने प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात से कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान देश में कालीमिर्च का राज्य–वार उत्पादन निम्नानुसार है :–

(उत्पादन' 000 टन में)

राज्य	1997–98	1998–99*
1	2	3
कर्नाटक	0.92	1.04
केरल	55.52	64.34
तमिलनाडु	0.80	0.52
पाण्डिचेरी	0.01	0.01
अण्डमान	0.08	0.08
योग	57.33	65.99

*अनन्तिम

स्रोत : आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।

(ख) निर्यात किए गए उत्पादन का प्रतिशत 1997–98 में 62.6% और 1998–99 में 52.8% है।

(ग) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान भारतीय कालीमिर्च के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि लाख रुपए में
1997–98	49635.70
1998–99	63811.28

(स्रोत–मसाला बोर्ड कोचीन)

[हिन्दी]

पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी

2837. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 नवम्बर, 1999 के हिन्दी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स "पी एन बी के प्रबंध निदेशक सहित कई करोड़ों रुपये के गबन का मुकदमा दर्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है पी.एन.बी. कैपिटल सर्विसिज लि. (पी.एन.बी. कैप्स) द्वारा दो कंपनियों को उनके अधिकार निर्गमों के विरुद्ध कुल 13 करोड़ रुपए की अल्पावधिक जमा सुविधाएं प्रदान की गईं और बाद में इस राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया। इस प्रस्ताव पर विचार करते समय पी.एन.बी. केप्स मंडल तथा कथित रूप से इन कंपनियों के असंतोषजनक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखने में असफल रहा और तथाकथित रूप

से इसकी स्वीकृति और बट्टे खाते में डालने के निर्णय बिना उचित समीक्षा के लिए गए तथा इसमें कर्त्तव्यनिष्ठा की कमी थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 28.10.1999 को पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पी.एन.बी. कैप्स के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध नियमित केस दर्ज किया है।

[अनुवाद]

कोयला खानों में दुर्घटनायें

2838. श्री भर्त्रुहरि महताब :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक किन कोयला खानों में दुर्घटनायें घटी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष–वार प्रत्येक खान में कितनी दुर्घटनायें घटीं और साथ ही इनमें कितने लोग मारे गये;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(घ) इस माभले में कितने लोगों को दोषी पाया गया है और उन्हें क्या सजा दी गई ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में पिछले दो वर्षों से लेकर आज तक हुई कुछ दुर्घटनाओं के साथ–साथ अपमृत्यु की संख्या दुर्घटना के कारण और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का खान–वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण–I और विवरण–II में दर्शाए गए हैं।

विवरण-I

कोल इंडिया लि.

कंपनी	कोलियरी	वर्ष	मारे गए	कारण	जिम्मेवार	दंड
1	2	3	4	5	6	7
बीसीसीएल	अकाशकिनारी	1997	1	व्यक्तियों का गिरना	6	चेतावनी 5, दोषमुक्त 1
बीसीसीएल	अंगारपथरा	1997	1	ट्रक	4	निलंबित 1, चेतावनी 3
बीसीसीएल	अंगारपथरा	1997	1	हॉलेज	मृतक	
बीसीसीएल	बसंतीमाता	1998	1	हॉलेज	मृतक	
बीसीसीएल	बसताकोला	1998	2	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	बसताकोला	1998	1	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	बेरा	1999	1	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	भालगोरा	1997	1	बिजली	1	निलंबित
बीसीसीएल	भाटडीह	1999	1	हॉलेज	मृतक	
बीसीसीएल	भौरा नार्थ	1998	1	विस्फोटक	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	भौरा साउथ	1998	1	डंपर	2	जांच प्रगति पर
बीसीसीएल	भौरा साउथ ओसीपी	1997	1	डंपर	3	चेतावनी 2, निलंबित 1
बीसीसीएल	भौरा साउथ भू/ग	1997	1	हॉलेज	1	चेतावनी

1	2	3	4	5	6	7
बीसीसीएल	भौरा नार्थ	1997	1	छत गिरना	2	निलंबित 2
बीसीसीएल	ब्लाक–4 ओसीपी	1998	1	डम्पर	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	ब्लाक–4 भूग	1998	1	हॉलेज	2	दोषमुक्त 2
बीसीसीएल	बुरड़ागढ़ भूग	1999	1	छत गिरना	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	बुसेरिया भूग	1997	1	बंद करना	1	निलंबित
बीसीसीएल	दहीबाड़ी	1997	1	हॉलेज	2	चेतावनी 1, निलंबित 1
बीसीसीएल	दामोदा	1998	1	हॉलेज	1	वेतनवृद्धि पर रोक 1
बीसीसीएल	धनसार	1997	1	डम्पर	2	निलंबित 2
बीसीसीएल	दोबारी	1997	1	विविध	मृतक	
बीसीसीएल	ईस्ट बुसेरिया	1998	1	हॉलेज	3	निलंबित 3
बीसीसीएल	ईस्ट बुसेरिया	1998	1	एम.सी.अपरिवहन	मृतक	
बीसीसीएल	गनूडीह	1999	1	विस्फोटक		आईएसओ जांच में प्रगति
बीसीसीएल	गनूहीड	1997	2	छत गिरना	2	दोषमुक्त 2
बीसीसीएल	गनूहीड	1997	1	एम.सी.अपरिवहन	1	निलंबित
बीसीसीएल	गोधूर	1999	1	दीवार गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	गोधूर	1999	1	व्यक्ति का गिरना		आईएसओ जांच में प्रगति
बीसीसीएल	गोंडूडीह	1998	1	डम्पर	1	निलंबित
बीसीसीएल	गोंडूडीह	1999	1	छत गिरना	1	प्रशासनिक जांच में प्रगति
बीसीसीएल	गोंडूडीह	1999	1	जलमग्न		आईएसओ जांच में प्रगति
बीसीसीएल	गोपालीचक	1998	1	दीवार गिरना	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	जीलगोरा	1997	1	छत गिरना	कोई नहीं	
बीसीसीएल	जीलगोरा	1999	1	हॉलेज	मृतक	
बीसीसीएल	जीलगोरा	1999	1	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	जयरामपुर	1997	1	छत गिरना	2	दोषमुक्त 2
बीसीसीएल	काच्छी बलिहारी	1998	1	दीवार गिरना	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	काच्छी बलिहारी	1998	1	दीवार गिरना	2	निलंबित 2

1	2	3	4	5	6	7
बीसीसीएल	केशलपुर	1997	1	छत गिरना	2	निलंबित 2
बीसीसीएल	खरखरी	1998	1	बंद करना	मृतक	
बीसीसीएल	खास कुसुंडा	1997	1	दीवार गिरना	3	सावधान किया 1, पदोन्नति पर रोक 2
बीसीसीएल	कुस्टोरे	1999	1	विस्फोटक	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	कुस्टोरे	1999	1	हॉलेज	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	कुस्टोरे	1999	1	कन्वेयर	मृतक	
बीसीसीएल	लोडना	1998	1	दीवार गिरना	1	चेतावनी 1
बीसीसीएल	लोडना	1999	1	छत गिरना		आईएसओ जांच में प्रगति
बीसीसीएल	लोहापट्टी	1997	1	हॉलेज	2	चेतावनी 2
बीसीसीएल	लोहापट्टी	1998	1	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	लोयाबाद	1999	1	बंद करना	4	निलंबित 2, चेतावनी 2
बीसीसीएल	महेशपुर	1999	1	छत गिरना	5	निलंबित 2, प्रशा. जांच में प्रगति 2
बीसीसीएल	मूनीडीह	1998	1	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	मूनीहीड	1998	1	व्यक्ति/वस्तु का गिरना	2	निलंबित 2
बीसीसीएल	मूनीडीह	1999	1	दीवार गिरना	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	मुरईडीह ओसीपी	1997	1	डम्पर	1	पदावनति 1
बीसीसीएल	मुरलीडीह	1997	1	व्यक्ति का गिरना	मृतक	
	20/21 पिट					
बीसीसीएल	नुडखुरकी	1999	1	वस्तु का गिरना	1	प्रशासनिक जांच में प्रगति
बीसीसीएल	नीचितपुर	1997	1	छत गिरना	3	दोषमुक्त 2, प्रगति पर 1
बीसीसीएल	नुडखुरकी	1999	1	व्यक्ति का गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	पाथरडीह	1997	1	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	पाथरडीह	1999	3	दीवार गिरना		आईएसओ जांच में प्रगति
बीसीसीएल	फुलारीटांड	1997	1	व्यक्ति का गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	फुलारीटांड	1999	1	व्यक्ति का गिरना		आईएसओ जांच में प्रगति
बीसीसीएल	पुटकी	1998	1	दीवार गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	राजापुरओसीपी	1997	1	डम्पर	1	चेतावनी 1

1	2	3	4	5	6	7
बीसीसीएल	राजापुरओसीपी	1999	1	डम्पर	मृतक	
बीसीसीएल	रामकनाली	1997	1	छत गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	सेन्द्राबांसजोरा	1997	1	बिजली	मृतक	
बीसीसीएल	सेन्द्राबांसजोरा	1998	1	बंद करना	मृतक	
बीसीसीएल	सेन्द्राबांसजोरा	1999	1	विविध	मृतक	
बीसीसीएल	सा.गोविंदपुर	1998	1	बंद करना	1	सावधान किया
बीसीसीएल	सुदामडीह इन्क्.	1998	1	हॉलेज	2	दोषमुक्त 2
बीसीसीएल	सुदामडीह इन्क्.	1998	1	छत गिरना	2	निलंबित 2
बीसीसीएल	सुदामडीह सैफ्टमाइन	1998	1	व्यक्ति/वस्तु का गिरना	मृतक	
बीसीसीएल	तेतुलमारी	1997	1	एम.सी.अपरिवहन	1	निलंबित 1
बीसीसीएल	तेतुलमारी	1997	1	हॉलेज	2	चेतावनी 1, दोषमुक्त 1
सीसीएल	अमलो	1999	1	व्यक्ति का गिरना		आईएसओ जांच में प्रगति
सीसीएल	आरा	1997	3	छत गिरना	7	निलंबित 3, ज्ञापित 1 और प्रशासनिक जांच में प्रगति 1
सीसीएल	आरा	1998	1	छत गिरना	4	निलंबित 5, चेतावनी 1
सीसीएल	अरगदा	1999	1	धूल, गैस आदि		आईएसओ जांच में प्रगति
सीसीएल	अशोक ओसीपी	1997	1	बिजली	6	चेतावनी 2 और निलंबित 4
सीसीएल	हुटार	1997	1	हॉलेज	6	निंदा 1, सावधान 2, चेतावनी 1, निलंबित 1, वेतनवृद्धि पर रोक 1
सीसीएल	जारंगडीह	1997	1	छत गिरना	2	निंदा 1, निलंबित 1
सीसीएल	काबरीबाद	1997	1	धूल,गैस आदि	मृतक	
सीसीएल	काबरीबाद	1999	1	विविध		आईएसओ जांच में प्रगति
सीसीएल	कारो ओसोपी	1997	1	व्यक्ति का गिरना	1	निंदा
सीसीएल	कारो ओसोपी	1998	1	व्यक्ति/वस्तु का गिरना	16.7.99 की डीजीएमएस सूची के अनुसार गैर खनन दुर्घटना	
सीसीएल	कथारा	1999	1	व्यक्ति का गिरना		आईएसओ में प्रगति
सीसीएल	के.डी.एच.	1997	1	विविध	3	सावधान 1, चेतावनी 2

1	2	3	4	5	6	7
सीसीएल	केडला ओसीपी	1997	1	डम्पर	1	वेतनवृद्धि पर रोक
सीसीएल	कूजू	1998	5	छत गिरना	7	निलंबित 7, पुनः ए.एम.एन. जांच में प्रगति
सीसीएल	पुंडी	1997	1	एम.सी.अपरिवहन	4	निलंबित 1, चेतावनी 3
सीसीएल	राजरप्पा ओसीपी	1999	1	ट्रक	1	सेवा से हटाए गए
सीसीएल	राय–बचरा	1998	1	छत गिरना	4	निंदा 1, चेतावनी 2, निलंबित 1
सीसीएल	रोहिणी ओसी	1999	1	ट्रांसपोर्ट से भिन्न एमसी		आईएसओ जांच में प्रगति
सीसीएल	सौंदा "डी" ओसीपी	1997	1	ट्रक	3	निंदा 2, निलंबित 1
सीसीएल	सयाल "डी"	1999	1	विस्फोटक	2	प्रशासनिक जांच में प्रगति 2
सीसीएल	सिरका	1998	1	ट्रक	1	सेवा से हटाए गए
सीसीएल	सिरका, ओसी	1997	5	छत गिरना	5	निलंबित 5
सीसीएल	तपिन नार्थ	1998	1	डम्पर	4	चेतावनी 3, वेतनवृद्धि पर रोक 1
सीसीएल	टोपा ओसीपी	1999	1	ट्रांसपोर्ट से भिन्न एमसी	8	सावधान 3, निलंबित 2, प्रशासनिक जांच में प्रगति 3
सीसीएल	उरीमरी	1997	1	धूआं,गैस आदि	2	चेतावनी 1, निंदा 1
सीसीएल	उरीमरी	1997	1	विस्फोटक	5	निलंबित 2, चेतावनी 2, निंदा 1
सीसीएल	उरीमरी ओसी	1999	1	डम्पर	3	सावधान 2 और प्रशासनिक जांच में प्रगति 1
ईसीएल	अमृतनगर	1998	1	कन्वेयर	1	निलंबित 1
ईसीएल	बदजना	1998	1	छत का गिरना	4	सावधान 1, निलंबित 3
ईसीएल	बदजना	1998	1	छत का गिरना	1	सावधान
ईसीएल	बहुला	1998	1	हॉलेज	1	निलंबित 1
ईसीएल	बहुला	1999	1	छत का गिरना	6	चेतावनी 2 और प्रशा. जांच में प्रगति 4
ईसीएल	बहुला	1999	1	छत का गिरना	9	प्रशा. जाचं की प्रक्रियान्तर्गत 9
ईसीएल	बंकोला	1999	1	हॉलेज		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	चापापुर–II	1997	1	छत गिरना	4	निलंबित 2, दोषमुक्त 2
ईसीएल	चपुईखास	1997	1	विस्फोटक	1	निलंबित

1	2	3	4	5	6	7
ईसीएल	चिनाकुरी–1	1998	2	छत गिरना	4	निलंबित 1, प्रशा. जाचं में प्रगति 3
ईसीएल	चिनाकुरी–2 पिट	1998	1	दीवार गिरना	6	सावधानी 1,चेतावनी 1, निलंबित 2, प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत 2
ईसीएल	चिनाकुरी नं. 1	1997	1	हॉलेज	मृतक	
ईसीएल	चिनाकुरी नं. 3 पिट	1997	1	हॉलेज	मृतक	
ईसीएल	चौरा 10 पिट	1999	1	कन्वेयर	मृतक	
ईसीएल	चौरा ओसीपी	1997	1	डम्पर	मृतक	
ईसीएल	दामरा	1997	1	बिजली	2	सावधान 1, निलंबित 1
ईसीएल	धेमोमेन	1997	1	विस्फोटक	6	चेतावनी 3, निलंबित 3
ईसीएल	घूसिक	1997	1	अपरिवहन एम.सी	2	चेतावनी 2
ईसीएल	गोपीनाथपुर	1999	1	बिजली		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	हरिपुर	1998	1	छत गिरना	1	चेतावनी 1
ईसीएल	जामबाद	1998	1	दीवार गिरना	4	चेतावनी 2, प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत 2
ईसीएल	जयकेय नगर	1997	1	बंद करना	3	चेतावनी 2, निलंबित 1
ईसीएल	जयकेय नगर	1997	1	वस्तु का गिरना	2	सावधान 2
ईसीएल	झांझरा 1 और 2	1999	1	विविध	मृतक	
ईसीएल	कापासरा	1997	1	हॉलेज	5	निलंबित 5
ईसीएल	खैराबाद	1997	2	छत गिरना	4	चेतावनी 1, दोषमुक्त 1, सावधान 2
ईसीएल	खांदा	1998	1	बिजली	2	निलंबित 2
ईसीएल	खोटाडीह	1997	3	छत गिरना	कोई नहीं	
ईसीएल	कुमारडीह "बी"	1999	1	छत गिरना		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	कुमारडीह "बी"	1998	1	छत गिरना	1	निलंबित 1
ईसीएल	कुमारडूबी	1997	1	व्यक्ति का गिरना	मृतक	
ईसीएल	कुनुस्टोरिया	1999	1	एम.सी.परिवहन से भिन्न		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	लखीमाता	1999	1	छत गिरना		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	लोअर केंदा	1999	1	ट्रक गिरना	1	ठेकेदार के मजदूर की जिम्मेदारी। ठेकेदार को कार्रवाई करने के लिए सुझाव दिया गया।

1	2	3	4	5	6	7
ईसीएल	माधवपुर	1999	1	हॉलेज		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	माधईपुर	1998	2	छत गिरना	3	सावधान 2, निलंबित 1
ईसीएल	मधुजोरे	1997	1	हॉलेज	2	निलंबित 2
ईसीएल	मंडेरबोनी	1997	1	हॉलेज	3	सावधान 3
ईसीएल	मंडेरबोनी	1998	1	विविध	4	सावधान 3, निलंबित 1
ईसीएल	मीठापुर	1998	1	छत गिरना	5	चेतावनी 3, निलंबित 2
ईसीएल	नाबाकजोरा	1998	1	छत गिरना	7	निलंबित 2, सावधान 3, प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत 2
ईसीएल	नाबाकजोरा	1998	1	हॉलेज	2	प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत 2
ईसीएल	नरसामुंडारा	1998	1	हॉलेज	मृतक	
ईसीएल	निंघा	1997	1	व्यक्ति का गिरना	मृतक	
ईसीएल	निंघा	1998	1	छत का गिरना	2	निलंबित 2
ईसीएल	निंघा	1999	1	बंद करना	1	निलंबित 1
ईसीएल	नार्थ सियरसोले	1997	1	छत गिरना	3	सावधान 2 और निलंबित 1
ईसीएल	नूतूनडंगा	1997	1	दीवार गिरना		प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	पांडेश्वर	1999	1	छत गिरना		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	पारसकोली (प.)	1999	5	विविध		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	परसिया	1998	1	बंद करना	3	निलंबित 3
ईसीएल	पटमोहना	1997	1	हॉलेज	3	दोषमुक्त 3
ईसीएल	पोईडीह	1998	1	गैर–परिवहन एम/सी	4	सावधान 2, चेतावनी 2
ईसीएल	सतग्राम इन्क.	1997	1	छत गिरना	3	परामर्श 1, निलंबित 2
ईसीएल	सौदेपुर 9 और 10	1999	1	हॉलेज	मृतक	
ईसीएल	सोनपुर बाजारी	1999	1	डम्पर	मृतक	
ईसीएल	सोनपुर बाजारी	1999	1	एम.सी.परिवहन से भिन्न		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	सोनपुर बाजारी	1999	1	एम.सी.परिवहन से भिन्न		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
ईसीएल	श्रीपुर	1997	1	छत गिरना	3	निलंबित 3
एमसीएल	बेलपहाड़, ओसी	1997	1	बिजली	मृतक	
एमसीएल	भरतपुर, ओसीपी	1998	1	एम.सी.अपरिवहन	2	निलंबित 1, प्रशा.जांच में प्रगति 1

1	2	3	4	5	6	7
एमसीएल	भरतपुर, ओसीपी	1999	1	ट्रक	2	प्रशासनिक जांच प्रक्रियान्तर्गत 2
एमसीएल	भरतपुर, ओसीपी	1999	1	बिजली		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
एमसीएल	देऊलबेरा	1997	1	छत गिरना	मृतक	
एमसीएल	देऊलबेरा	1997	1	छत गिरना	मृतक	
एमसीएल	जगन्नाथ ओसीपी	1997	1	डम्पर	1	
एमसीएल	जगन्नाथ ओसीपी	1997	1	ट्रक	मृतक	
एमसीएल	जगन्नाथ ओसीपी	1997	1	ट्रक	1	ठेकेदार का चालक निलंबित
एमसीएल	जगन्नाथ ओसीपी	1999	1	कन्वेयर	3	सावधान 1, वेतनवृद्धि पर रोक 1, पदावनति 1
एमसीएल	लखनपुर ओसीपी	1999	1	डम्पर		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
एमसीएल	लिंगराज ओसीपी	1997	1	ट्रकर	मृतक	
एमसीएल	लिंगराज ओसीपी	1998	2	अपरिवहन एम/सी	6	प्रशासनिक जांच प्रक्रियान्तर्गत 6
एमसीएल	नंदिरा	1999	1	बिजली	5	प्रशासनिक जांच प्रक्रियान्तर्गत 5
एमसीएल	ओरिएंट नं. 2	1998	3	छत गिरना	4	निलंबित 2, प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत 2
एमसीएल	ओरिएंट नं. 2	1998	1	हॉलेज	मृतक	
एमसीएल	समलेश्वरी ओसीपी	1998	1	ट्रक	1	नौकरी से निकाले गए (ठेकेदार चालक)
एमसीएल	तलचर	1999	1	वस्तु का गिरना		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
एनसीएल	अमलोहरी	1998	1	गैर परिवहन एमसी	मृतक	
एनसीएल	दुधीचुआ	1998	1	डम्पर	मृतक	
एनसीएल	दुधीचुआ	1999	1	बिजली	मृतक	
एनसीएल	जयंत	1998	1	डम्पर	1	निलंबित
एनसीएल	जयंत	1998	1	गैर परिवहन एमसी	2	निलंबित 1, चेतावनी 1
एनसीएल	जयंत	1999	1	ट्रक	1	निलंबित
एनसीएल	झिंगुर्दा	1999	2	डम्पर	मृतक	
एनसीएल	झिंगुर्दा ओसीपी	1997	1	कन्वेयर	मृतक	
एनसीएल	खादिया ओसीपी	1997	2	डम्पर	4	निंदा 4

1	2	3	4	5	6	7
एनसीएल	निगाही	1998	1	गैर परिवहन एमसी		निंदा
एनईसी	बारागोलाई	1998	1	छत गिरना	1	निलंबित
एनईसी	लेडो	1997	1	छत गिरना	कोई नहीं	
एनईसी	टिकाक ओसी	1999	1	ट्रक	1	प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत
एनईसी	तिरप ओसी	1998	1	दीवार गिरना	मृतक	
एसईसीएल	अमलई	1999	1	ट्रक	मृतक	
एसईसीएल	बलरामपुर	1999	1	ट्रक	मृतक	
एसईसीएल	भट्टा भू/ग	1997	2	गैस, धूल आदि	5	पदावनति 2, सावधान 3,
एसईसीएल	चिरीमिरी ओका	1998	1	विविध	मृतक	
एसईसीएल	चुर्चा वेस्ट	1999	1	छत गिरना	4	प्रशासनिक जांच प्रक्रियान्तर्गत 4
एसईसीएल	चुर्चा वेस्ट	1999	1	छत गिरना	मृतक	
एसईसीएल	धनपुरी ओसीएम	1999	1	डम्पर		आईएसओ जांच में प्रगति
एसईसीएल	धनपुरी भूमिगतम	1999	1	बिजली		आईएसओ जांच में प्रगति
एसईसीएल	दीपिका औग.	1997	1	ट्रक	मृतक	
एसईसीएल	दीपिका ओसी	1999	1	ट्रक	मृतक	
एसईसीएल	दुमनहिल	1999	1	ट्रक	1	प्रशासनिक जांच के प्रक्रियान्तर्गत्
एसईसीएल	दुमनहिल कोलियरी	1998	1	ट्रक	1	बर्खास्त (ठेकेदार के मजदूर)
एसईसीएल	गेवरा	1999	1	ट्रक	3	सावधान 3
एसईसीएल	गेवरा ओसी	1997	1	कन्वेयर	3	सावधान 2, चेतावनी 1
एसईसीएल	गेवरा ओसी	1997	1	डम्पर	1	पदावनति
एसईसीएल	गेवरा ओसी	1998	1	डम्पर	मृतक	
एसईसीएल	गेवरा परि.	1998	1	वैगन	मृतक	
एसईसीएल	हरद इन्क.	1998	2	दीवार का गिरना	7	दोषमुक्त 2, प्रशासनिक जांच, प्रक्रियान्तर्गत 5
एसईसीएल	जयनगर 3 और 4	1999	1	छत का गिरना	6 प्रक्रियान्तर्गत 4	निलंबित 2, प्रशासनिक जांच
एसईसीएल	जयनगर	1997	1	छत का गिरना	1	निलंबित
एसईसीएल	झिलीमिली	1999	3	विस्फोटक	8	निलंबित 4 और प्रशासनिक जांच प्रक्रियान्तर्गत 4

1	2	3	4	5	6	7
एसईसीएल	कपिलधारा	1998	1	ट्रक	2	सावधान 2
एसईसीएल	कोट्मा ओसी	1997	1	डम्पर	2	सावधान 2
एसईसीएल	कोट्मा ओल्ड	1997	1	छत गिरना	मृतक	
एसईसीएल	कोट्मा वेस्ट	1997	1	वस्तु का गिरना	1	निलंबित
एसईसीएल	कोट्मा वेस्ट	1999	1	छत का गिरना	मृतक	
एसईसीएल	कुम्दा 7 और 8	1998	2	छत का गिरना	9	सावधान 4, चेतावनी 1, वेतनवृद्धि पर रोक 4
एसईसीएल	कुसम्दा ओसी	1998	1	डम्पर	2	चेतावनी 1, वेतनवृद्धि पर रोक 1
एसईसीएल	लक्ष्मण ओसी	1997	1	ट्रक	1	बर्खास्त 1
एसईसीएल	लक्ष्मण ओसी	1999	1	डम्पर		आईएसओ जांच में प्रगति
एसईसीएल	मानिकपुर ओसी	1997	1	ट्रक	1	ठेकेदार का चालक निलंबित
एसईसीएल	मीरा इन्क्.	1997	1	छत का गिरना	1	निलंबित
एसईसीएल	नार्थ चिरीमिरी	1999	1	छत का गिरना	मृतक	
एसईसीएल	नौरोजाबाद वेस्ट	1999	2	छत का गिरना		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
एसईसीएल	पांडवधारा	1997	1	दीवार का गिरना	4	सावधान 2, निलंबन 2
एसईसीएल	पिनौरा	1999	1	छत का गिरना		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
एसईसीएल	राजेन्द्र भू.ग.	1998	1	विविध	मृतक	
एसईसीएल	राजनगर ओल्ड इन्क्.	1997	1	हॉलेज	मृतक	
एसईसीएल	राजनगर आर. ओ.	1999	1	विस्फोटक	3	निलंबित 1, प्रशा. जांच प्रक्रियान्तर्गत 2
एसईसीएल	सुराकाचर5व6इन्क्.	1997	1	छत गिरना	3	वेतनवृद्धि पर रोक 2, निंदा 1
एसईसीएल	सुराकाचर	1998	1	हॉलेज	3	सावधान 2, निलंबित 1
एसईसीएल	सुराकाचर मेन	1997	1	व्यक्ति का गिरना	3	दोषमुक्त 3
एसईसीएल	वेस्ट जे.के.डी.	1997	1	छत का गिरना	2	निलंबित 2
डब्ल्यूसीएल	अमबारा	1999	1	छत का गिरना	3	चेतावनी 1 निलंबित 1 वेतनवृद्धि पर रोक 1
डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर 3व4पिट	1998	1	विस्फोटक	5	चेतावनी 4, वेतनवृद्धि पर रोक 1
डब्ल्यूसीएल	बल्लारपुर 3व4पिट	1997	1	व्यक्ति का गिरना	4	चेतावनी 4

1	2	3	4	5	6	7
डब्ल्यूसीएल	बल्लापुर सीएचपी	1999	1	कन्वेयर		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
डब्ल्यूसीएल	भाटाडीह ओसी	1997	1	विविध	3	चेतावनी 2, निलंबित 1
डब्ल्यूसीएल	चिंज भू.ग.	1997	1	छत का गिरना	5	चेतावनी 2, निलंबित 3
डब्ल्यूसीएल	दामुआ	1997	1	व्यक्ति का गिरना	2	चेतावनी 1, निलंबित 1
डब्ल्यूसीएल	दुर्गापुर ओ.का.	1997	1	कन्वेयर	5	चेतावनी 2, निलंबित 3
डब्ल्यूसीएल	दुर्गापुर ओ.का	1998	1	डम्पर	1	बर्खास्त
डब्ल्यूसीएल	दुर्गापुर रैयतवाड़ी	1997	1	हॉलेज	4	चेतावनी 2, निलंबित 2
डब्ल्यूसीएल	गनपति	1997	1	दीवार का गिरना	1	निलंबित
डब्ल्यूसीएल	घोरावाड़ी	1999	1	ट्रक	1	बर्खास्त, ठेकेदार के मजदूर
डब्ल्यूसीएल	घुगुस ओसीपी	1999	1	विविध	मृतक	
डब्ल्यूसीएल	गोंडेगांव	1998	1	गैर परिवहन एम/सी	मृतक	
डब्ल्यूसीएल	एच.एल.सी.	1998	1	विविध	4	चेतावनी 4
डब्ल्यूसीएल	एच.एल.सी. –1	1999	1	बंद करने	1	प्रशासनिक जांच में प्रगति
डब्ल्यूसीएल	एच.एल.सी –3	1999	1	एम/सी ट्रांसपोर्ट से भिन्न		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
डब्ल्यूसीएल	काम्पटी	1998	1	छत का गिरना	4	डीजीएमएस द्वारा दंडित 4
डब्ल्यूसीएल	काम्पटी भूमिगत	1998	1	दीवार का गिरना	4	चेतावनी 2, वेतनवृद्धि पर रोक 2
डब्ल्यूसीएल	महादेवपुरी	1997	1	हॉलेज	1	निलंबित
डब्ल्यूसीएल	महाकाली	1998	1	विविध	1	चेतावनी 1
डब्ल्यूसीएल	मथानी	1999	1	छत का गिरना	6	निंदा 2, सावधान 1, वेतनवृद्धि पर रोक 1, प्रोन्नति पर रोक 2
डब्ल्यूसीएल	नक्कोदा	1998	1	दीवार का गिरना	4	चेतावनी 4
डब्ल्यूसीएल	नंदन–1	1997	1	छत का गिरना	5	चेतावनी 3, निलंबित 2
डब्ल्यूसीएल	नंदन–2	1998	1	दीवार का गिरना	6	निलंबित 2, वेतनवृद्धि पर रोक 2 निंदा 2
डब्ल्यूसीएल	नंदगांव	1999	1	हॉलेज	मृतक	
डब्ल्यूसीएल	पदमपुर	1999	1	बिजली		आईएसओ जांच प्रक्रियान्तर्गत
डब्ल्यूसीएल	पाटनसाउंगी	1998	1	छत का गिरना	6	चेतावनी–3, वेतनवृद्धि पर रोक 3

1	2	3	4	5	6	7
डब्ल्यूसीएल	पौउनी ओसी	1999	1	बिजली	3	प्रशासनिक जांच के प्रक्रियान्तर्गत
डब्ल्यूसीएल	राजूर पिट्स	1998	1	दीवार का गिरना	1	चेतावनी 1
डब्ल्यूसीएल	रावनवारा खास	1998	1	छत का गिरना	5	चेतावनी 5
डब्ल्यूसीएल	शोभापुर	1997	1	गैर परिवहन एम.सी.	2	चेतावनी 2
डब्ल्यूसीएल	तावा	1997	1	छत का गिरना	3	चेतावनी–3
डब्ल्यूसीएल	वालनी भूमिगत	1998	2	छत का गिरना	2	वेतनवृद्धि पर रोक 2

विवरण–II

सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.

खान का नाम	दुर्घटनाओं की सं.	मारे गए व्यक्तियों की सं.	दुर्घटना के कारण	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	दिए गए दंड
1	2	3	4	5	6
वर्ष - 1997					
पोलामपल्ली	2	2	डिपिल्लर क्षेत्र में छत गिरना	2	सरदार की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
एसएमजी–1 इन्क्.	4	4	बंप सेट राइडिंग के कारण टब सेट की दीवार गिरने से पलट गए।	3	ट्रैमर 10 दिनों के ओ.एम. एस. के लिए निलंबित और एच. ओ.एम. प्रत्यावर्तित।
जीडीके–11 ए इन्क्.	2	2	साइडफालिंग डिपिल्लरिंग शाट फायरिंग है।	6	वेंटिलेशन अधिकारी ने एम. एस. और एस.एफ. को चेतावनी दी। वेतन–वृद्धि पर रोक।
के.के. 5 इन्क्.	3	3	साइड फाल, रोप हॉलेज	6	10 दिनों के लिए एम.एस.ओ.एम. निलंबित और 3 एक माह के लिए व्यक्तियों की नौकरी समाप्त।
जीडीके–10ए इन्क्.	1	1	व्यक्तियों का गिरना	3	सभी 3 व्यक्तियों को निलंबित कर दिया गया।
एसआरपी–1इन्क्.	1	1	–वही–	1	– शून्य–
एसआरपी–3 एण्ड 3 "ए" इन्क्लाइन	1	1	बिजली	1	12 दिनों के लिए निलंबित
जीडीके–इन्क्.	2	2	छत गिरना और डिप, क्षेत्र में वायु विस्फोटन	2	अवर प्रबंधक को चेतावनी और एम.एस. 10 दिनों के लिए निलंबित।
मेडापल्ली ओसीपी	2	2	अन्य "हैम" और वस्तु का गिरना	4	ठेकेदार के मजदूर नौकरी से निकाले गए और एक को चेतावनी भी दी गई।

1	2	3	4	5	6
एसएमजी–3 इन्क.	2	2	डिपिल्लर क्षेत्र में छत गिरना	6	एम.एस., एच.ओ.एम. निचले ग्रेड में प्रत्यावर्तित, शॉट फायरर 10 दिनों के लिए निलंबित, यू.एम. प्रबंधक के प्रत्यावर्तन की सिफारिश।
सांथीखानी	1	1	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	1	एम.एस 10 दिनों के लिए निलंबित।
जीडीके–2ए इन्क.	1	1	–वही–	3	सभी 3 कर्मी 40 दिनों के लिए निलंबित।
ओ. सी.–III आरएमजी	3	3	टिप्पर द्वारा इन ओवरी डंपर कैबिन में आग	3	ठेकेदार के मजदूर नौकरी से हटाए गए। डी.डी.एम.एस. द्वारा जांच की कार्रवाई, पुलिस की भी जांच चल रही है।
आर.के. 6 इन्क.	1	1	हॉलेज रोप से टक्कर	1	ट्रेमर 30 दिनों के लिए निलंबित
जीडीके–8 इन्क.	2	2	वस्तु का गिरना। अनधिकृत क्षेत्र से दीवार का गिरना।	1	10 दिनों के लिए ओ. एम. निलंबित।
जे.के.5–इन्क.	1	1	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	3	यू.एम. को चेतावनी, ओ.एम. निलंबित, एम.एस. की दो वेतनवृद्धि में कटौती।
केके–2 इन्क.	1	1	टब से टक्कर	2	10 दिनों के लिए दोनों ही निलंबित।
जीडीके–5ए इन्क.	1	1	डिप्पिलर क्षेत्र में छत का गिरना	2	30 दिनों के लिए निलंबित
आरके 4 इन्क.	1	1	बिजली	स्वयं	शून्य
जीडीके–6ए इन्क.	1	1	डिप्पिलर क्षेत्र में दीवार का गिरना	1	वेतन वृद्धि पर रोक।
जीडीके–1 इन्क.	1	1	सेटराइडिंग	स्वयं	शून्य
एनजीके–1 इन्क. वर्ष 1998	1	1	व्यक्ति का गिरना	स्वयं	शून्य
शांतिखानी	2	2	शाट फायरिंग और सेटराइडिंग	2	इंजीनियर को चेतावनी फिटर 10 दिनों के लिए निलंबित।
वी. के.–7 इन्क.	1	1	वस्तु का गिरना	2	जांच प्रगति पर है।
एसएमजी–3 इन्क.	2	3	सेटराइडिंग और डिप्पलर क्षेत्र में छत का गिरना	स्वयं	क्रेन आपरेटर की वेतनवृद्धि पर रोक
आरजी–ओसी–2	1	1	ऊपर के बैंच से लोअर बैंच पर क्रेन का गिरना	1	शून्य
जीडीके–2 इन्क.	1	1	सेटराइडिंग	स्वयं	शून्य
केके–5ए इन्क.	1	1	दीवार गिरना	स्वयं	शून्य
एमईडी ओसीपी	1	1	ट्रक से टक्कर	2	दोनों नौकरी से निकाले गए

1	2	3	4	5	6
आरके–8 इन्क.	1	1	टब से टकरा	2	–वही–
आईके–1 इन्क.	1	2	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	2	ओ.एम. और एम.एस. निलंबित
जीडीके–5 इन्क.	1	1	साइड रीविंग	2	दोनों ही निलंबित
नं. 21 इन्क. वाईस्ड.	2	2	छत गिरना और शार्ट फायरिंग	4	10 दिनों के लिए ओ. एम. और एम. एस. निलंबित एस.एफ. को निचले ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।
आरजी ओसी–1	1	1	टिप्पर द्वारा टकरा	1	ड्राईवर नौकरी से हटाया गया
जीडीके–10 इन्क.	1	3	काले डैम्प के ढेर जहां खड़े वाले क्षेत्र थे, उसमें प्रविष्टि	स्वयं	शून्य
जीडीके–11ए इन्क.	1	1	सीधे हॉलर शेप से टकरा	2	एक प्रत्यावर्तित और दूसरा निलंबित
आरके प्यूटेक	1	1	व्यक्ति का गिरना	स्वयं	शून्य
एमके–4 इन्क्लाइन	1	1	घूमते हुए टब और पिल्लर के बीच दाब	2	एक प्रत्यावर्तित और दूसरा निलंबित
गोलेटी–2 इन्क.	1	1	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	2	ओ एम और एम.एस. 17 दिनों के लिए निलंबित
एमवीके–6 इन्क.	1	1	–वही–	2	ओ एम और एम एस 29 दिनों के लिए निलंबित
एसआरपी–2ए इन्क.	1	2	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	5	डीजीएमएस द्वारा कोर्ट में मामला दर्ज ।
एसएमजी–1 इन्क.	1	1	दीवार गिरना	3	सभी तीन व्यक्ति 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए
आर.के.–3 इन्क.	–	–	टब से टकरा	3	शून्य
जीडीके–6 इन्क.	1	1	हॉलेज शेप कवायल के बीच फंसना	स्वयं	शून्य
ओसी–3 आरजीएम	1	1	डम्पर से गिरना	स्वयं	शून्य
आरके–5 इन्क.	1	1	सख्त वस्तु पर व्यक्ति का गिरना	स्वयं	शून्य
आरके–1 इन्क.	1	1	डिप्पिलर क्षेत्र में छत का गिरना	2	ओ एम और एम एस 10 दिनों के लिए निलंबित
गोलेटी–1 इन्क. वर्ष 1999	1	1	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	1	एम एस 10 दिनों के लिए निलंबित।
पीके ओसी–2	1	1	सोते समय डम्पर ने कुचल दिया	1	ई.पी. आपरेटर बर्खास्त
आरजी ओसी–2	1	1	सोते समय कोलिंग ढेर में दब गए	1	सुपरवाइजर बर्खास्त
एसआरपी–1 इन्क.	1	1	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	4	ओ एम को चेतावनी, एम. एस. को निचले ग्रेड में प्रत्यावर्तन। 2 टिम्बरमैन की वेतनवृद्धि में कटौती।

1	2	3	4	5	6
जीडीके–8 इन्क्.	1	1	डिप्पिलर क्षेत्र में छत का गिरना	कोई नहीं	शून्य
जे.के.–5 इन्क्	2	2	दीवार गिरना और सेटराइडिंग	3	एम एस 10 दिनों के लिए निलंबित। ओएम को चेतावनी।
जीडीके–2ए इन्क्.	3	4	टब का पटरी से उतरना, वस्तु का गिरना। डिप्पिलर क्षेत्र में छत का गिरना	3	20 दिनों के लिए ट्रैमर निलंबित, एम एस और ओ एम की वेतनवृद्धि में रोक।
केके–5ए इन्क्.	1	1	छत गिरना	2	दोनों को चेतावनी।
जीके ओसी	2	3	आग वाले क्षेत्र में गिर जाना और टिप का गिरना	1	जांच प्रगति पर है।
एसआरपी–2 इन्क्.	1	1	विकसित क्षेत्र में छत का गिरना	2	28 दिनों के लिए ओ. एम. और एम. एस. निलंबित।
जीडीके–6 इन्क्.	1	1	रोबिंग के समय दीवार का गिरना	स्वयं	शून्य
वीके–7 इन्क्.	1	1	अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश और काले डैम्प में फंसना	1	एम एस को चेतावनी
एसएमजी–1 इन्क्.	2	2	छत का गिरना और ड्रैसिंग के समय दीवार का गिरना।	–	जांच प्रगति पर है।
आरजी ओसी–1	1	1	टिप्पर का गिरना	स्वयं	शून्य
जीडीके–10 इन्क्.	1	1	दीवार का गिरना	–	जांच प्रगति पर है।

कर्नाटक को फ्रांस से सहायता

2839. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर के जी.टी.टी.सी. मैसूर में पॉवर लेज़र इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन केन्द्र की स्थापना के लिए फ्रांस से सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने फ्रांस से सहायता संबंधी प्रस्ताव को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सहायता के कब तक मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में 10 करोड़ रुपए (लगभग) की लागत पर जी. टी.टी.सी. में लेंजर आधारित उत्पादन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण देने और जानकारी का प्रचार करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रस्ताव अप्रैल, 1998 में फ्रांस सरकार को भेजा गया था। जब भी जी.टी.टी.सी. द्वारा फ्रांस आपूर्तिकर्ता के साथ परियोजना के लिए हस्ताक्षरित संविदा कर्नाटक सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजी जाएगी और भारत सरकार और फ्रांस सरकार दोनों द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी, तथा इंडो–फ्रैंच प्रोटोकॉल (1998) के संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, सहायता उपलब्ध हो जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युतकरघा क्षेत्र का वस्त्र निर्यात कोटा

2840. श्री रामशकल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युतकरघा क्षेत्र के निर्यात कोटा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात कोटा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विद्युतकरघा क्षेत्र और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने दिनांक 12 नवम्बर, 1999 को संख्या 1/129/99/निर्यात–1 द्वारा अधिसूचित यार्न, फैब्रिक्स और मेड–अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति 2000–2004 के अनुसार विद्युकरघा निर्यात हकदारी को ऐसे देशों को जहां कि ऐसे निर्यात वस्त्र और क्लोदिंग के करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं, के संबंध में फैब्रिक और मेड–अप्स (मिल निर्मित व विद्युत करघा) के निर्यातों के लिए मात्राओं के वार्षिक स्तर को पहले से ही मौजूदा 10% के वार्षिक स्तर से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है।

(ख) और (ग) विद्युतकरघा उद्योग मशीनों पर वस्त्र फैब्रिकों का प्रमुख उत्पादक है और बुनकर प्रत्यक्ष रूप से निर्यात में भागीदारी कर सकते हैं। बशर्ते कि उनको कोटा उपलब्ध कराया जाए। विद्युकरघा कोटे को बढ़ाने के कारण और अधिक विद्युतकरघा बुनकर निर्यात में भागीदार बन जायेंगे तथा क्रेता–विक्रेता के बीच सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा। कोटा में वृद्धि करने से इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलेगा जो कि भारी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेशकों के लिए पैकेज

2841. श्री जी. जे. जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अनिवासी भारतीयों सहित विदेशी निवेशकों के लिए किसी आकर्षक पैकेज का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन प्रस्तावों से कौन–कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे;

(घ) क्या सरकार ने गुजरात में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु राज्य में इस निवेश के कुछ भाग का उपयोग करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ उद्योग का विनियमन तथा नियंत्रण करने की ओर लक्षित आर्थिक सुधार नीति के समनुरूप चार और उद्योगों नामतः (i) कोयला तथा लिग्नाइट (ii) पैट्रोलियम (कच्चे के अतिरिक्त) तथा इसके आसवन उत्पाद (iii) चीनी उद्योग तथा (iv) पांच प्रपुंज औषध के लाइसेंस समापत कर दिए गए हैं। अब केवल छः उद्योग ही पर्यावरणात्मक, सामरिक तथा सुरक्षा की दृष्टि के आधार पर आवश्यक लाईसेंस प्रणाली के अन्तर्गत हैं। विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र में तथा सड़कों एवं राजमार्गों, पत्तनों तथा बंदरगाहों और यातायात सुरंगों तथा पुलों में 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी को स्वतः अनुमोदन के लिए पात्र बनाया गया है बशर्ते कि विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रुपए से अधिक न हो। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/अनिवासी भारतीय/समुद्रपारीय कारपोरेट निकाय निवेश के अन्तर्प्रवाह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा तथा एफ.आई.पी.बी./सरकारी अनुमोदन/के पश्चात् विदेशी निवेशकों को शेयरों के निर्गम की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

कतिपय गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को और संशोधित किया गया है तथा उन गतिविधियों के लिए जो निधि आधारित नहीं हैं, 0.5 मिलियन अमरीकी डालर के न्यूतम पूंजीकरण मानदंडों की व्यवस्था की गई है।

अनिवासी भारतीयों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल निवेश माहौल तैयार करने के लिए, (i) उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में 100 प्रतिशत तक स्वतः अनुमोदन, (ii) आवासीय तथा स्थावर संपदा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक निवेश, (iii) किसी कंपनी में एकल द्वितीय बाजार निवेश सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तथा सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा किसी कंपनी में कुल निवेश 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की अनुमति दे दी गई है।

(घ) और (ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई) सामान्यतः निजी उद्यमियों/कंपनियों के माध्यम से होता है। गुजरात राज्य की सरकार ने इस बाबत कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, गुजरात में इस मार्ग से 10,891.14 करोड़ रुपए मूल्य के 825 प्रस्तावों (सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम शामिल हैं) को अगस्त, 1991 से सितम्बर, 1999 तक अनुमोदित किया गया है।

विद्युतकरघा/हस्तकरघा क्षेत्र

2842. श्री सी. कुप्पुसामी :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युतकरघा और हस्तकरघा उद्योग के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में अलग–अलग प्रति वर्ष कितने वस्त्र का उत्पादन हुआ; और

(ग) गत तीन वर्षों में क्षेत्र–वार कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में वस्त्र का निर्यात किया गया और साथ ही इन वर्षों में वर्ष–वार कितनी पूंजी का निवेश किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिये गये हैं।

(ख) विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कपड़े की मात्रा निम्नानुसार हैं :

(मिलियन वर्ग मी. में मात्रा)

	1996–97	1997–98	1998–99
विद्युतकरघा	19352	20951	20690
हथकरघा	7456	7603	6792

(ग) विगत तीन वर्षों में क्षेत्र–वार निर्यातित कपड़े का मूल्य और मात्रा का ब्यौरा संलग्न विविरण–II में दिया गया है। हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों की विकेन्द्रीकृत प्रकृति के कारण इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश का संकलन और आंकलन अत्यंत कठिन है।

विवरण–I

राज्य–वार विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	विद्युतकरघा	हथकरघा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	107310	490616
2.	असम	6815	2322268
3.	बिहार	7235	167707
4.	गोवा	305	25
5.	गुजरात	770412	57936
6.	हरियाणा	24705	22810
7.	हिमाचल प्रदेश	3255	65099
8.	जम्मू और कश्मीर	162	51847
9.	कर्नाटक	161055	177562
10.	केरल	8545	63153
11.	मध्य प्रदेश	107825	56106
12.	महराष्ट्र	1731507	80901
13.	उड़ीसा	8252	246782
14.	पंजाब	56355	13160
15.	राजस्थान	82170	71915
16.	तलिमनाडु	792820	607675
17.	उत्तर प्रदेश	163415	420684
18.	पश्चिमी बंगाल	10902	686254
19.	सिक्किम	शून्य	–
20.	दिल्ली	2755	6708
21.	नागालैण्ड	शून्य	126228
22.	त्रिपुरा	शून्य	291761
23.	मेघालय	शून्य	–
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	53473
25.	मणिपुर	शून्य	462087
26.	मिजोरम	शून्य	–
27.	चण्डीगढ़	105	–
28.	दादरा और नगर हवेली	1240	–
29.	पांडिचेरी	2075	7369
30.	दमन और दीव	शून्य	–
31.	लक्षद्वीप	शून्य	–
32.	अण्डमान और निकोबार	शून्य	–
	कुल	4049222	6550126

विवरण-II

राज्य–वार विगत तीन वर्षों में निर्यातित कपड़े का मूल्य और मात्रा निम्नानुसार है :

मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में
और कोष्ठक में करोड़ रुपए में
मात्रा मिलियन वर्ग मी. में

क्रम सं.	मद	1996–97		1997–98		1998–99	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	सूती फैब्रिक्स						
	क. विद्युतकरघा	1270.94	563.60	1315.80	589.25	1461.20	545.45
			(2002.10)		(2190.82)		(2294.16)
	ख. हथकरघा	47.69	65.50	43.01	59.14	39.90	53.14
			(232.66)		(219.87)		(223.49)
2.	मानव–निर्मित फैब्रिक्स*						
	विद्युकरघा/निटवियर/	60172.12	478.23	69971.51	511.48	71644.48	479.19
	मिल निर्मित	**	(1691.51)	**	(1899.13)	**	(2013.82)
3.	ऊनी फैब्रिक्स						
	क. विद्युकरघा/निटवियर/	13.28	44.68	9.41	39.05	4.11	19.38
	मिल निर्मित*		(158.69)		(145.19)		(81.51)
	ख. हथकरघा	0.07	0.24	0.08	0.52	0.53	1.96
			(0.87)		(1.94)		(8.25)

टिप्पणी* : क्षेत्र–वार निर्यात के अलग–अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

** मात्रा टन में

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2843. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार विशेषकर गुजरात जिले के जामनगर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) ऐसे बैंकों की स्थापना करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे और बैंक खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) देश में कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं जिनकी कुल 14,486 शाखाएं हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य–वार संख्या और उनके स्थान का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जिसकी 53 शाखाएं हैं, गुजरात राज्य के जामनगर और राजकोट जिलों में कार्य कर रहा है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत वर्ष 1975 में शुरू की गई थी, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाकलाप, ऋण और अन्य सुविधाएं, विशेषतौर से लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, हस्तशिल्पियों तथा छोटे उद्यमियों को प्रदान कर उनका विकास करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन का मुख्य उद्देश्य बैंक रहित/कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) की राज्य–वार सूची और उनके स्थान

राज्य का नाम	क्षे.ग्र.बैंकों की संख्या	स्थान
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	16	खाम्मे, कुड्डापाह, श्रीकाकुलम, अनन्तापुर, चित्तूर, अदिलाबाद, महबूबनगर, मेडक, नेल्लोर, कोंडा रामनगर, तेनाली जिला गुन्टूर, करीमनगर, हैदराबाद, निजामाबाद, दुदावादा, राजामुन्दरी
2. असम	5	जिला कामरम, गोलाघाट, कछार, जिला कर्बी–अंगलौंग नौर्थ लखिमपुर
3. बिहार	22	जिला भोजपुर, पूर्वी चम्पारन, गया, पूर्षिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, संथाल परगना, मधुबनी, जिला नालंदा, चाइवासा, दरभंगा, जिला समस्तीपुर, जिला पलामू, रांची, गोपालगंज, छपरा, सिवान, गिरिडीह, हजारीबाग, पटना, भागलपुर, बेगुसराय
4. गुजरात	9	भूज, जामनगर, मेहसाणा, पंचमहल, सुरेन्द्रनगर, बलसाद, भरुच, हिम्माईनगर, जूनागढ़
5. हरियाणा	4	भिवानी, गुड़गांव, हिसार, अम्बाला
6. जम्मू व कश्मीर	3	जम्मू, श्रीनगर, बारामूला
7. कर्नाटक	13	बेल्लारी, धाड़वार, मैसूर, गुलवर्गा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, कोलार, बीजापुर, चिकमगलूर, शिमोगा, मेंगलोर, दुमटा, मंद्या
8. केरल	2	मुल्लापुरम, कन्नूर
9. मध्य प्रदेश	24	होशंगाबाद, बिलासपुर, रीवा, टिकमगढ़, सतना, सरगुजा, जगदलपुर, राजनांदगांव, झबुआ, रायगढ़, शिवपुरी, दमोह, देवास, खड़गांव, मांडला, छिंदवाड़ा, भोपाल नाका, शाहडौल, मन्दसौर, मौर्निया, नरसिंहपुर, उज्जैन, दतिया, विदिशा
10. महाराष्ट्र	10	नान्देड़, औरंगाबाद, चन्द्रपुर, अकोला, रत्नागिरि, सोलापुर, भंडारा, यवतमाल, बुलधाना, थाणे
11. मणिपुर	1	इम्फाल
12. मेघालय	1	शिलांग
13. नागालैंड	1	कोहिमा
14. उड़ीसा	9	पुरी, बोलानगीर, कटक, जयपुर, कालाहांडी, मयूरभंज, बालासोर, गंजम, ढेंकानल
15. पंजाब	5	होशियारपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, संगरूर, भटिंडा
16. राजस्थान	14	जयपुर, पाली, सिकर, चूरू, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, डुंगरपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर
17. अरुणाचल प्रदेश	1	पूर्वी सियांग
18. तमिलनाडु	3	विरूधूनगर, धरमपुरी, कुंड्डालोर
19. त्रिपुरा	1	अगरतला

1	2	3
20. उत्तर प्रदेश	40	मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहगढ़, सीतापुर, बलिया, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, इटावा, बदायूं, मैनपुरी, वाराणसी, बस्ती, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फैजाबाद, फतेहपुर, बरेली, गोण्डा, अलीगढ़, बांदा, एटा, जोनपुर, जालौन, झांसी, बिजनौर, शाहजहांपुर, नैनीताल, मिरजापुर, लखिमपुर खीरी, आगरा, मुजफ्फरनगर, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, गाजियाबाद
21. पश्चिम बंगाल	9	मालदा, बांकुरा, बीरभूम, कूचबिहार, नाडिया, कलकत्ता, बरवाड़, हावड़ा, मुर्शिदाबाद
22. मिजोरम	1	ऐजवाल
23. हिमाचल प्रदेश	2	मण्डी, चम्बा

[अनुवाद]

भूटानी मुद्रा का प्रचलन

2844. श्रीमति मिनाती सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भूटानी मुद्रा व्यापक रूप से प्रचलन में है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय भू–भाग में भूटानी मुद्रा के प्रचलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

[हिन्दी]

कर छूट

2845. श्री मानसिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को कर छूट अवधि प्रदान करने के लिए जिले की अपेक्षा ताल्लुक को समग्र मापदण्ड के रूप में अपनाए जाने संबंधी गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार) : (क) और (ख) जिले के अलावा तालुका/तहसील सहित अन्य क्षेत्रों को पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एक आधार मानने हेतु राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर समय–समय पर विचार किया गया है।

(ग) औद्योगिकीकरण के बढ़ावा देने तथा उद्योगों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन हेतु वित्त मंत्रालय में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए दिशा–निर्देश सुझाए गए थे। अध्ययन दल ने मानक विश्वसनीय और एक समान मानदण्ड लागू करके पहचान की आवश्यकता का उल्लेख किया था। इसने उप–जिला अर्थात् तालुका स्तर पर पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव का भी उल्लेख किया था।

तालुका स्तर पर विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़ों के अभाव के कारण अल्प समय अवधि में आधारभूत नीति विनिर्माण में परिवर्तन पर पुनर्विचार करना व्यावहारिक और संभव नहीं पाया गया है।

चाय का निर्यात

2846. डॉ. अशोक पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय चाय उत्पादक इस वर्ष चाय के निर्यात के बारे में बहुत चिंतित हैं क्योंकि विदेशी खरीदारों विशेषकर जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के खरीदारों ने चाय की गुणवत्ता के बारे में कुछ आशंका जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी के चाय उत्पादकों के एक शिष्टमंडल ने इस संबंध में असम के चाय बागानों का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो असम के चाय बागानों का दौरा करने के बाद चाय की गुणवत्ता के बारे में जर्मनी के चाय उत्पादकों के शिष्टमण्डल द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गए ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं। सरकार को चाय उत्पादकों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका को चाय के निर्यात के बारे में चिंता व्यक्त की गई हो। असम में उत्पादित चाय और यू.

एस.ए. तथा जर्मनी को निर्यातित चाय सहित भारतीय चाय की गुणवत्ता के बारे में किसी प्रकार की गंभीर चिंता की बात नहीं है क्योंकि निर्यात के लिए भारतीय चाय गुणवत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होती है।

(ख) चाय बोर्ड के तत्वावधान में हाल ही में जर्मनी के किसी भी चाय आयातक ने असम के चाय बागानों का दौरा नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन. आर. आई. निवेश

2847. श्री जे. एस. बराड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1999 के 'इकॉनोमिक टाइम्स' में "एन.आर.आई." इनफ्लोज़ टिल अगस्ट ड्राप 69 परसेंट डिसपाइट कनशेसन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के निवासियों द्वारा भारत में किए जा रहे निवेश में लगातार कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो 1996–97, 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान उनके द्वारा कितना निवेश किया गया; और

(घ) 1999–2000 की प्रथम छमाही के दौरान निवेश की अनुमानित राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जी, हां। हालांकि, इस वर्ष सितम्बर के अन्त तक उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान अनिवासी भारतीय प्रत्यक्ष निवेशों में गिरावट रही थी, 1999 के दौरान किए गए निवेश 1998 की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होंगे।

वर्ष 1996–97 से अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश योजनाओं में अन्तर्प्रवाह वर्ष–वार ब्यौरे निम्नानुसार है :

1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000*
			* अनन्तिम
			(करोड़ रुपए)
1871.10	878.35	272.70	166.32 (सितम्बर)

[अनुवाद]

कर्नाटक में नए आयकर निर्धारिती

2848. श्री आर. एल. जालप्पा :

श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान देश में कितने आयकर दाता हैं;

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित छः में से एक मानदण्डों को पूरा किए जाने से कर्नाटक तथा देश के अन्य राज्यों में कितने नए कर निर्धारिती आयकर के दायरे में आ गए हैं;

(ग) क्या कर्नाटक में सभी नए कर निर्धारितियों को स्थायी खाता संख्या जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसको जारी किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान देश में आयकरदाताओं की संख्या 1,82,26,238 थी।

(ख) वित्त वर्ष 1998–99 के दौरान छः में से एक स्कीम के परिणामस्वरूप कर्नाटक प्रभार (गोवा सहित) और देश में नये कर निर्धारितियों की संख्या क्रमशः 51,004 और 4,67,075 है। इसके अलावा वित्त वर्ष 1999–2000 (30.11.99 तक) में कर्नाटक प्रभार (गोवा सहित) और देश में फार्म 2ग में प्राप्त विवरणियों की संख्या क्रमश : 79,120 और 2,52,817 है।

(ग) कर्नाटक प्रभार (गोवा सहित) में दिनांक 9.12.99 तक स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए प्राप्त कुल 7,97,396 आवेदन में से नये कर निर्धारितियों सहित 6,22,008 कर निर्धारितियों को स्थाई खाता सं. (पैन) का आबंटन कर दिया गया है।

(घ) कर्नाटक प्रभार में जहां कहीं आवेदन पत्र सभी तरह से पूर्ण हैं, वहां स्थाई खाता संख्या के आबंटन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। आवेदन पत्रों में अधूरी सूचना दिए जाने के कारण आवेदकों को त्रुटि पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि आवेदन पत्र में पाई गई कमियों को दूर किया जा सके।

सीमेंट की मांग और उत्पादन

2849. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की राज्य–वार कुल उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सीमेंट की मांग और उत्पादन क्या रहा; और

(ग) देश की मांग को पूरा करने हेतु कितनी अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) 2,97,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक क्षमता वाली इकाइयों के संबंध में राज्य–वार उत्पादन क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके

अतिरिक्त, छोटे सीमेंट संयत्रों की अनुमानित क्षमता 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बड़े सीमेंट संयत्रों के संबंध में सीमेंट की मांग तथा उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	सीमेंट की मांग	सीमेंट का उत्पादन (मि.टन में)
1996–97	68.16	69.98
1997–98	73.74	76.74
1998–99	79.77	81.67

छोटे सीमेंट संयत्रों के उत्पादन संबंधी आकड़ों को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) सीमेंट उद्योग के पास आगामी पांच वर्षों के लिये प्रक्षेपित मांग को पूरा करने की क्षमता है तथा वे आवश्यक सीमा तथा क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है।

विवरण

क्षेत्र/राज्य	क्षमता (मिलिटन टन)
उत्तरी क्षेत्र	
पंजाब	1.04
दिल्ली	0.50
हरियाणा	0.17
हिमाचल प्रदेश	3.47
जम्मू तथा कश्मीर	0.20
राजस्थान	15.07
उत्तर प्रदेश	4.05
योग उत्तरी	24.50
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	4.62
उड़ीसा	2.66
पश्चिम बंगाल	1.13
असम	0.20
मेघालय	0.20
योग पूर्वी	8.81
दक्षिणी क्षेत्र	
तमिलनाडु	7.59
आन्ध्र प्रदेश	16.50
कर्नाटक	6.92
केरल	0.42
योग दक्षिण	31.63
पश्चिमी क्षेत्र	
महाराष्ट्र	6.41
गुजरात	12.59
मध्य प्रदेश	26.03
योग पश्चिम	45.03
कुल योग	109.97

वस्त्र क्षेत्र को कर-प्रोत्साहन

2850. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वस्त्रों के और अधिक निर्यात को सुगम बनाने के लिए बुनियादी विकास हेतु वस्त्र उद्योग में पूंजीगत माल और कच्चे माल के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार) : निर्यात को और अधिक सुसाध्य बनाने के लिए आधार संरचना के विकास के लिए विशेष तौर पर वस्त्र उद्योग हेतु कोई कर प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तथापि, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा आयकर अधिनियम, दोनों के अधीन आधार संरचना के विकास हेतु निवेश के लिए कतिपय प्रोत्साहन उपलब्ध है। वस्त्र उद्योग द्वारा भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

प्रत्येक निर्यातक के लिए भी निर्यात को अधिक सुसाध्य बनाने हेतु मशीनों तथा कच्चे सामान दोनों के आयात के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अधीन अनेक कर प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। वस्त्र उद्योग में कार्यरत निर्यातक भी इनका लाभ उठा सकते हैं।

केरल में केन्द्रीय निवेश

2851. श्री के. मुरलीधरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल राज्य की, विशेषरूप से औद्योगिक क्षेत्र में उपेक्षा कर रही है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में केन्द्रीय निवेश गत 25 वर्षों के दौरान 3.5 प्रतिशत से कम होकर एक प्रतिशत रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राजय में केन्द्रीय निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों पर सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की वार्षिक रिपार्ट 1972–73 के अनुसार 31.3.1973 तक केन्द्र सरकार की औद्योगिक एवं खनन परियोजनाओं में केरल राज्य की भागीदारी 2.69 प्रतिशत थी। सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण के अनुसार 1997–98 में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सकल निवेश में केरल राज्य की हिस्सेदारी 31.3.1998 तक 1.50 प्रतिशत थी

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय निवेश की योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन की ओर काफी बल दिया जाता है बशर्ते तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को नजरअंदाज किया जा सके। सार्वजनिक उपक्रम के सर्वे में प्रकाशित सूचना के अनुसार सकल निवेश में केरल राज्य की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती रही है, जैसे– 31.3.1995 में 1.28 प्रतिशत से 31.3.1996 में 1.32 प्रतिशत फिर 31.3.1997 में बढ़कर 1.40 प्रतिशत और अब 31.3.1998 में 1.50 प्रतिशत।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

2852. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष से दिये जाने वाले ऋण की वर्तमान शर्तें और प्रक्रिया में छूट देने की कोई मांग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नये निर्णय लिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) वस्त्र और पटसन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को 01 अप्रैल, 1999 को 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत नोडिया एजेंसियों/सहयोजित संस्थानों द्वारा अपने निजी स्रोतों से योजना के अनुरूप परियोजनाओं के लिए उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को ऋण प्रदान करते हैं। वस्त्र मंत्रालय के उद्योग संघों/विशिष्ट एककों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तरमंत्रालयीय संचालन समिति (आई.एम.एस.सी) की स्थापना की गई है। वस्त्र उद्योग संघों/विशिष्ट एककों द्वारा उठाए गये मुद्दों के आधार पर आई.एम.एस.सी. ने अनेक निर्णय लिये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(1) 1.4.1999 से पूर्व स्वीकृत ऐसे ऋण जिनको वितरित नहीं किया जा सका है, उन पर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत नये मामलों के रूप में विचार किया जा सकता है। बशर्ते कि वे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के प्राचलों को अन्यथा पूरा करते हों।

(2) आंशिक वितरित ऋणों के मामले में यदि ऋणी चाहता है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के लाभों के लिए उन पर विचार किया जाये तो मौजूदा ऋण मामलों को समाप्त करने के बाद प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के मानदण्डों के अनुरूप नई परियोजना ऋणदाता एजेंसी को प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों, बहिस्राव निरूपण संयंत्रों तथा जल निरूपण संयंत्रों को निवेश संबंधी किसी प्रकार की उच्चतम सीमा के बिना स्थापित किया जा सकता है।

(4) प्रारम्भिक तथा प्रचालन पूर्व खर्चों तथा कार्यशील पूंजी पर बढ़ने वाली मार्जन धनराशि को योजना के अन्तर्गत पात्र निवेश के रूप में शामिल किया गया है। प्रशिक्षण संबंधी खर्चे तथा विदेशी तकनीशियनों को शुल्क का भुगतान भी योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।

(5) यार्न प्रसंस्करण को नई अथवा बढ़ाई गई कताई में निवेश के लिए अतिरिक्त पात्र निम्नस्तर मूल्य संवर्द्धन क्रियाकलाप बनाया गया है।

(6) पहली बार गांठ प्रैसिंग मशीन को बदलने अथवा गांठ प्रैसिंग मशीन स्थापित करने वाले एकक को केवल एक स्तरीय स्वचल गांठ प्रैसिंग मशीन की स्थापना करना ही अपेक्षित होगा। "बैलिंग प्रैस" मानक का निर्धारण अभी हाल ही में संशोधित बी.आई.एस विनिर्देशन के अनुरूप होना चाहिए।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क-प्रमुख के विरुद्ध आरोप

2853. श्री रामसागर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1999 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "कस्टम्स चीफ गोज ऑन हाइड–अप चार्जेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट किए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी हां।

(ख) उक्त समाचार में, इस बात का उल्लेख करते हुए कि वित्त मंत्रालय ने राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 100 करोड़ रुपए के प्रतिअदायगी घोटाले का भंडाफोड़ किए जाने के कारण ही श्री कृष्ण कांत का मात्र दिखावे के लिए तबादला किया था, यह अटकलबाजी लगाई गई है कि सोनी इंडिया द्वारा आयातों की तथाकथित रूप से गलत घोषणा किए जाने से संबंधित मामले में उनके द्वारा दिए गए निर्णय के कारण ही उनका तबादला किया गया होगा, जो कि ठीक नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सोनी इंडिया के मामले में दिए गए निर्णय के कारण तबादला नहीं किया गया है।

ऋणों को बट्टे खाते डालना

2854. श्री प्रभु नाथ सिंह :

श्री पी. सी. थामस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक–वार अब तक कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली गई है; और

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिसकी दस लाख रुपए से अधिक रुपए की धनराशि बट्टेखाते डाल दी गई है और उक्त अवधि के दौरान जिन पर एक करोड़ रुपए तक की बैंकों की गैर–अदायगी परिसम्पत्तियां देय थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997–98 और 1998–99 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक उन आधार खातों की सूची प्रकाशित करता है जिनके विरुद्ध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की निधियों की वसूली के लिए मुकदमे दायर किए हैं। 31.3.99 की स्थिति के अनुसार ऐसी सूची की एक प्रति जिसमें ऐसे उधार खातों की स्थिति दर्शाई गई है, तत्काल संदर्भ के लिए संसद पुस्तकालय में रखी गई है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई बैंक ऋण राशि

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र सं.	बैंक का नाम	1997–98	1998–99
1.	इलाहाबाद बैंक	46.61	88.42
2.	आन्ध्रा बैंक	72.58	@
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	157.30	294.76
4.	बैंक ऑफ इंडिया	309.29	@
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	121.26	@
6.	केनरा बैंक	47.18	467.10
7.	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	154.62	253.62
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	13.69	40.56
9.	देना बैंक	67.87	@
10.	इंडियन बैंक	1.37	10.38
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	201.76	@
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.13	68.95
13.	पंजाब नेशनल बैंक	372.70	218.66
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	16.98	10.29
15.	सिंडिकेट बैंक	109.16	75.73
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	16.55	@
17.	यूको बैंक	176.34	@
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	29.90	7.96
19.	विजया बैंक	6.72	4.91

@ इन बैंकों से सूचना प्रतीक्षित है।

बैंकों को स्वायत्तता

2855. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन–कौन से बैंक हैं और उन्हें किस तरह की स्वायत्तता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने स्वायत्तता देने के लिए कुछ और बैंकों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने नवम्बर, 1997 में निम्नलिखित मानदंड पूरा करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सशर्त स्वायत्तता दी थी :

(i) पिछले तीन वर्षों में शुद्ध लाभ;

(ii) 8 प्रतिशत से अधिक पूंजी पर्याप्तता अनुपात;

(iii) शुद्ध अनुपयोज्य आस्तियों का स्तर शुद्ध अग्रिम राशियों के 9 प्रतिशत से कम हो; और

(iv) 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम स्वाधिकृत निधियां।

सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के बोर्डों, जो निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं, को उप महाप्रबंधक के स्तर तक उनके प्रशासनिक कार्यालयों के लिए पदों के सृजन, समापन, उन्नयन/अशोधन, विशिष्ट अधिकारियों की भर्ती और साथ ही पारिवीक्षाधान अधिकारियों की अपेक्षाओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय से सीधी भर्ती, क्लब सदस्यता के लिए मनोरंजन खर्च तथा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अर्हता एवं हकदारी के मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन एंव स्वायत्तता दी गई है।

उन बैंकों के नाम, जो वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान स्वायत्तता योग्य हो गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वायत्तता के लिए योग्य बैंकों की सूची

31.03.1997 के अनुसार		31.03.1998 के अनुसार	31.03.1999 के अनुसार
1		2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	
3.			स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
4.			
5.			
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	स्टेट बैंक आफ पटियाला	स्टेट बैंक आफ पटियाला
7.			स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर		
9.			
10.		आन्ध्रा बैंक	आन्ध्रा बैंक
11.	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ बड़ौदा
12.	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ इंडिया

1	2	3
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	बैंक आफ महाराष्ट्र
14.	केनरा बैंक	केनरा बैंक
15.		
16. कॉर्पोरेशन बैंक	कॉर्पोरेशन बैंक	कॉर्पोरेशन बैंक
17.	देना बैंक	देना बैंक
18.		
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक
20. ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स
21.		
22.		पंजाब नेशनल बैंक
23.	सिंडिकेट बैंक	सिंडिकेट बैंक
24.		
25. यूनियन बैंक आफ इंडिया	यूनियन बैंक आफ इंडिया	यूनियन बैंक आफ इंडिया
26.		
27.		विजया बैंक
कुल दस	चौदह	सतरह

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

2856. श्री अशोक प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के उद्यमियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिनको प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से कितना कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाल्यासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% के आरक्षण का प्रावधान है। वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1997 के दौरान कराये गए क्षेत्रीय अध्ययन से पता चलता है निम्नानुसार है :

(i) सरकारी एजेंसियां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उधारकर्ताओं के आवेदन पर्याप्त संख्या में नहीं भेज रही थीं।

(ii) प्रायोजित की गई बहुत सी परियोजनाएं/कार्यकलाप अर्थक्षम नहीं पाए गए।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के अनुरोध पर बैंक/एजेंसियों से कहा है कि वे बहुत बड़ी संख्या में इन श्रेणियों से संबंधित आवेदकों से अर्थक्षम प्रस्ताव प्राप्त करने/प्रायोजित करने का विशेष प्रयास करें जिससे कि उनके लिए निर्धारित उप-लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

विवरण

लक्ष्य तथा कुल ऋण मंजूरियों में से अ. जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों की मंजूरियों की संख्या और विगत तीन वर्षों (31 मार्च को समाप्त वर्ष) के दौरान पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत बैंकों के राज्य-वार कार्य निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के नाम	1996-97		1997-1998		1998-1999	
	कुल लक्ष्य के 22.5% की दर से अ.जा./अ.ज.जा. के लिए लक्ष्य	कुल में से अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण	कुल लक्ष्य के 22.5% की दर से अ.ज.जा./अ.ज.जा. के लिए लक्ष्य	कुल में से अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण	कुल लक्ष्य के 22.5% की दर से अ.जा./अ.ज.जा. के लिए लक्ष्य	कुल में से अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	7178	4971	7695	4335	7695	3819
अरुणाचल प्रदेश	101	81	68	62	101	54
असम	3375	1310	3015	1479	3375	2152
बिहार	4984	2291	4838	2589	4613	2060
गुजरात	1913	1133	2835	2634	3285	2530
गोवा	124	9	135	20	135	15
हरियाणा	1620	630	1418	587	1868	900
हिमाचल प्रदेश	473	257	518	325	540	296
जम्मू एवं कश्मीर	788	86	788	238	1125	174
कर्नाटक	3983	1983	4950	2247	4928	2331
केरल	3375	1381	3600	1270	4500	1447
मणिपुर	675	296	193	44	304	160
महाराष्ट्र	8078	4604	9585	4991	9563	5792
मध्य प्रदेश	6086	5292	7088	5065	6930	4943
मेघालय	186	109	124	115	124	158
मिजोरम	84	34	90	34	79	28
नागालैंड	101	97	101	118	56	57
उड़ीसा	1856	839	2081	1241	2273	1052
पंजाब	1935	1417	2025	1526	2025	1504
राजस्थान	2340	1500	3218	1932	3668	1845

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	45	25	23	19	34	52
तमिलनाडु	4905	2114	6233	2268	4163	2170
त्रिपुरा	439	380	293	63	293	140
उत्तर प्रदेश	8058	3827	10170	6106	11610	6238
प. बंगाल	5153	898	5175	599	5175	526
रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	1024	152	1058	143	1058	94
अंडमान एंड निकोबार	23	2	23	12	23	19
चण्डीगढ़	34	8	45	10	23	8
दादरा एवं नगर हवेली	34	7	11	22	11	9
दमन एवं दीव	23	–	11	3	11	3
लक्षदीप	12	36	11	47	11	33
पाण्डिचेरी	113	35	101	41	124	49
समस्त भारत	69118	35804	77669	40185	79723	40658

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध मामले

2857. श्री श्यामा सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम में कथित रूप से करोड़ों रुपये के चूना लगाने के आरोप में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन अधिकारियों ने किस तरह करोड़ों रुपये का चूना लगाया;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई और कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच. सी. एल.) के अधिकारियों के विरुद्ध चार मामले दर्ज किए हैं। इन चारों मामलों में से एक मामले में कम्पनी को कथित रूप से एक करोड़ रुपए से भी अधिक का घाटा हुआ है। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जबलपुर शाखा ने, एक डी. जी. एम. तथा दो ए.जी.एम. के खिलाफ घोर कदाचार के लिए रेगुलर केस नं. आर. सी – 13 (ए)/99–जे. बी. आर. रजिस्टर्ड किया है जो आपस में मिलकर, एक निजी फर्म के साथ मिली–भगत करके एक षडयंत्र रच रहे थे। इस षडयंत्र के तहत् उन्होंने एच.सी.एल. के साथ 1,97,40,382/– रुपए की धोखाधड़ी की। इस षडयंत्र के तहत् उन्होंने कार्य–निष्पादन रिपोर्ट को कायम नहीं रखा तथा निजी फर्म को दिए गए रबड़ लाइनर के नौ सप्लाई आर्डर की वसूली नहीं की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण बुनियादी विकास निधि द्वारा ऋण

2858. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड की ग्रामीण बुनियादी विकास निधि से ऋण

वितरण करने में तेजी से गिरावट आयी है यद्यपि वर्ष 1995–96 से प्रतिवर्ष सरकारी निधि में वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण बुनियादी विकास निधि के सरकारी धन से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए ऋण में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बुनियादी विकास निधि कोष या किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से कृषि ऋण देने में विकासशील या अत्यंत पिछड़े जिलों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए; और

(च) यदि हां, तो इस योजना के तहत कितने अति पिछड़े जिलों का चयन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के आधार पर ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत निधि संवितरित करता है। अतः आर आई डी एफ के तहत निधियों का संवितरण राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन पर निर्भर करता है। आर आई डी एफ के तहत मंजूरियां एवं संवितरण की स्थिति नीचे I से V तक दर्शाई गई हैं :

(करोड़ रु. में)

आर.आई.डी.एफ.	समूह यू एस	मंजूरी एन एस	दिनांक 30.1.99 तक संचयी संवितरण
I	2,000	1829.69	1572.37
II	2,500	2602.46	1676.28
III	2,500	2677.56	986.04
IV	3,000	3134.61	365.42
V	3,500	1865.01	36.37

(ग) और (घ) आर आई डी एफ के तहत परियोजनाएं शुरू करने का एक मुख्य उद्देश्य कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि को सुकर बनाना है। चालू वर्ष के दौरान आर आई डी एफ के तहत वित्तपोषण के लिए गुंजाइश बढ़ाई गई है, ताकि ग्राम पंचायतों स्व–सहायता समूहों और अन्य पात्र संगठनों द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाएं इसमें शामिल की जा सके। आर आई डी एफ V समूह को भी 3500 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और इसी तरह वापसी अदायगी की अवधि भी 5 से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है।

(ङ) और (च) आर आई डी एफ के तहत परियोजनाओं का चयन राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। इसके अतिरिक्त, किसी जिले/क्षेत्र विशेष में बैंकों द्वारा कृषि ऋणों का संवितरण तथा नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त का संवितरण अवस्थापना, कृषि विकास के चरण, क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, आदि जैसे कुछ कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों तथा पिछले कार्य निष्पादनों पर निर्भर करते हुए देश के प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष एक जिला ऋण योजना तैयार की जाती है और बैंक लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

खिलौनों का निर्यात

2859. श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान कितने मूल्य के खिलौनों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या देश में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं को देखते हुए खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खिलौना उद्योग के विस्तार में आ रही कठिनाइयों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1998–1999 के दौरान निर्यात किए गए खिलौनों का मूल्य 75 करोड़ रुपए था (स्रोत इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्)।

(ख) और (ग) निर्यात आयात नीति के अंतर्गत उपलब्ध 100% निर्यातोन्मुखी एकक, निर्यात संसाधन क्षेत्र, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, अग्रिम लाइसेंस तथा शुल्क हकदारी पासबुक योजना जैसी सभी निर्यात संवर्धन योजनाएं खिलौना क्षेत्र पर भी समान रूप से लागू होती हैं। खिलौनों के निर्यातकों को बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(घ) खिलौना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) द्वारा यह क्षेत्र अपटैक नाम की एक योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उन्नयन है।

बेहतर समन्वित ढंग से इस क्षेत्र का संवर्धन करने और लागत मितव्ययी वृद्धि सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में खिलौना शहर (टॉय सिटी) की स्थापना के लिए 120 एकड़ भूमि इंगित की गई है। समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् तथा खिलौना एसोशिएशन के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श किए जाते हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग

2860. श्री सी. पी. राधाकृष्णन :

डॉ. वी. सरोजा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) की शर्तों के कार्यान्वयन के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के मद्देनजर घरेलू वस्त्र उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) सरकार वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा कर रही है जिससे वस्त्र क्षेत्र में डब्ल्यू टी ओ की शर्तों का क्रियान्वयन निर्धारित है।

(ख) (1) सरकार सभी उपर्युक्त मंचों पर वस्त्र और क्लोदिंग के करार के अन्तर्गत तेजी से एकीकरण करने का प्रयास कर रही है।

(2) हाल ही में यू.एस. और ई.यू. के साथ बैठकें हुई हैं यहां बाजार में अत्यधिक प्रवेश दिलाने के लिए हमारे मामले पर बल दिया गया है।

(3) डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय में टर्की द्वारा लगाये गये कोटा प्रतिबंधों को चुनौती दी गई और मामले का निर्णय भारत के पक्ष में दिया गया है।

(4) सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। वस्त्र क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाई निम्नानुसार है :

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 सं प्रौद्योगिकीय उन्नय निधि योजना लागू की गई है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में इसे अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके।

(2) वस्त्र निर्यात में स्थिरता, निरंतरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में वर्ष 2000-2004 तक की अवधि के लिए नई निर्यातक हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गई है।

(3) भारतीय वस्त्रों के अपेरेल क्षेत्र – मूल्य वर्द्धित भाग में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोटा और गैर-कोटा देशों को गैर-कोटा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-कोटा हकदारी प्रणाली बनाई रखी गई है।

(4) कुछ विशिष्ट वस्त्र मशीनों के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ई.पी.सी.जी.) की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(5) निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई.पी.जैड.)/ई.पी.सी.जी. एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात को उदार बनाना।

(6) कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग और अलंकरण का शून्य शुल्क आयात।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

2861. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों से पटसन की खरीद बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पटसन उत्पादक पटसन की बिक्री निर्धारित कीमतों से कम करने को विवश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बिक्री में आई मंदी को दूर करने तथा पटसन उत्पादकों को बचाने के लिए किए गए उपचारी उपायों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पटसन मौसम के प्रारंभ से ही अर्थात् जुलाई, 1999 से भारतीय पटसन निगम पश्चिम बंगाल राज्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चला रहा है।

(ग) और (घ) इस समय सभी स्थानों पर कच्चे पटसन की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक प्रचलित है और भारतीय पटसन निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी मात्रा की खरीदारी रखने के लिए बाजार में सक्रिय है।

(ङ) भारतीय पटसन निगम के सभी केन्द्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रचालन करने के लिए तैयार हैं।

अखबारी कागज पर शुल्क का लगाया जाना

2862. श्री पी. सी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज पर सीमा और उत्पाद शुल्क लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अखबारी कागज पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घरेलू अखबारी कागज को तत्परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) इस समय अखबारी कागज पर 5.5% सीमा शुल्क लगता है। अखबारी कागज पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है।

(ग) अभी हाल ही में अभिहित प्राधिकारी से अखबारी कागज के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने के बारे में कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

पटसन का उत्पादन

2863. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान पटसन का राज्य–वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा एवं मूल्य के पटसन उत्पादों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) देश में पटसन के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान पटसन उत्पादों की 2,97,000 मिट्रिक टन की कुल मात्रा और वर्ष 1998–99 में 1,94,9000 मिट्रिक टन की कुल मात्रा का निर्यात किया गया था। जिनका कुल मूल्य क्रमशः 842 करोड़ रुपये और 628.9 करोड़ रु. था।

(ग) देश में पटसन के उत्पावन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये :

सरकारी खाते पर खाद्यानों के पैकिंग के लिए खरीदे जा रहे पटसन ब्यौरों लागत जन आधार पर खरीदारी को जारी रखना, पटसन उत्पादों की चुनिन्दा श्रेष्ट निर्यात मदों निर्यात बाजार सहायता प्रदान करना, क्रेताओं में पटसन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश में और विदेशों में जे. एम. डी. सी. द्वारा विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, खाद्यान्नों, चीनी, और उर्वरक की पैकिंग पटसन बौरों में करने के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 बनाना, 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू करना। पटसन उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने तथा लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय पटसन प्रौद्योगिकी मिशन नामक एक बहुआयामी परियोजना तैयार कर रहा है।

विवरण

राज्य	कच्चे पटसन का उत्पादन (000 गांठ में)	
	1997–98	1998–99
आन्ध्र प्रदेश	585	464
असम	829	807
बिहार	1110	1031
मेघालय	52	54
उड़ीसा	410	337
त्रिपुरा	55	66
पश्चिमी बंगाल	7621	7436
अन्य	82	80
	10844	10275

ग्रेनाइट का निर्यात

2864. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का ग्रेनाइट के निर्यात में प्रमुख स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रेनाइट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) महोदय, वाणिज्य विभाग ने "ग्रेनाइट की पहचान एक "थ्रस्ट क्षेत्र" के रूप में की है, इस प्रकार ग्रेनाइट का अड़चन रहित निर्यात करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। हालांकि, "लघु खनिज" होने के कारण ग्रेनाइट राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है जो कि पट्टे पर देने, रायल्टी अनिवार्यभाटक आदि के संबंध में विभिन्न नीति अपनाते हैं। वाणिज्य विभाग द्वारा ग्रेनाइट से संबंधित विभिन्न मामलों को सुलझाने के लिए नवम्बर, 1997 में एक राज्यों के खान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में विभिन्न संकल्प पारित किए गए थे, जिनके उद्देश्य थे : (क) ग्रेनाइट निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई.ओ.यू.) के रफ इलाकों के आपूर्तिकर्ताओं को 80 एच.एच.सी. का लाभ प्रदान करना। (ख) निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना (ई.पी.सी.जी.) के अंतर्गत ग्रेनाइट के लिए पूंजीगत उपकरणों के शुल्क–मुक्त आयात की वित्तीय सीमा को कम करना।

(ग) उद्योग के पिछड़े एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रेनाइट निर्यातोन्मुखी इकाइयों की निजी खदानों को सीमाशुल्क बांडिंग प्रदान करना आदि। खान विभाग ने पूरे भारत में ग्रेनाइट के सुव्यवस्थित विकास, वैज्ञानिक खनन् तथा संरक्षण के नियमों को अधिसूचित किया है।

आयात-निर्यात

2865. श्री किरीट सोमैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भुगतान संतुलन खाते में भारी घाटा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापार खाते में घाटे को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1998–99 के दौरान व्यापार संतुलन–13246 मिलियन अमरीकी डालर तथा चालू खाता संतुलन–4038 मिलियन अमरीकी डालर का अनुमान है।

(घ) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन उपाय लगातार किए जा रहे हैं, जिनमें विकेन्द्रीकरण के जरिए कारोबार लागत मे कमी, क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय शामिल हैं। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय पहल करके तथा प्रमुख उत्पाद–समूहों एवं प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के जरिए भी निर्यात संवर्धन के उपाय किए गए हैं।

राज्य वित्त निगम

2866. श्री कृष्णमराजू :

श्री भर्तृहरि महताब :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वित्त निगमों ने देश में छोटे और मझौले उद्योगों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य वित्त निगमों द्वारा वित्तपोषित छोटे और मझौले उद्योग अपने ऋणों की अदायगी करने में असमर्थ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप राज्य वित्त निगमों की लाभप्रदता प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कमजोर राज्य वित्त निगमों के पुनर्गठन हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि राज्य वित्त निगम (एस एफ सी) अपने संबंधित राज्यों में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आई.डी.बी.आई. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1998 की समाप्ति तक एस. एफ. सी. द्वारा संचयी संस्वीकृतियां एवं संवितरण क्रमशः 29139 करोड़ रुपये एवं 23259 करोड़ रुपये थे।

(ग) और (घ) आई. डी. बी. आई. ने सूचित किया है कि कुछ लघु एवं मध्यम उद्योग जिन्हें एस. एफ. सी. ने वित्तपोषित किया है –

ऋण चुकौती करने में असमर्थ हुए हैं जिनक परिणामस्वरूप, कम वसूलियां एवं अधिक अनुपयोज्य आस्तियां हुई हैं और जिससे एस. एफ. सी. की लाभप्रदत्ता प्रभावित हुई है।

(ङ) एस. एफ. सी. की समग्र कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 में एस. एफ. सी. के शेयरधारिता आधार को बढ़ाने को ध्यान में रखकर एक व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसने उन्हें अधिक कार्य स्वायत्तता एवं परिचालन लोच तथा बदलती वित्त प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता मिल सके। प्रस्तावित संशोधन तैयारी के अंतिम चरण में हैं।

जीवन बीमा निगम में दावा न किया गया धन

2867. श्री सी.एन. सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में जीवन बीमा निगम के पास पालिसी समाप्त हो जाने के बावजूद कितनी राशि का दावा नहीं किया गया है; और

(ख) जीवन बीमा निगम किस ढंग से इस धन का उपयोग कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) पालिसी प्रदत्त मूल्य को प्राप्त करने के साथ या प्राप्त किए बगैर समाप्त हो सकती है। पालिसीधारक अपनी पालिसी के प्रदत्त मूल्य को प्राप्त करने का हकदार तभी होगा जब पालिसी तीन वर्ष के पश्चात् समाप्त हो जाती है। प्रदत्त मूल्य को प्राप्त करने के पश्चात् समाप्त हुई पालिसियों के मामले में, पालिसी की शर्तों और निबंधनों के अनुसार राशि का भुगतान मृत्यु होने या पालिसी के परिपक्व होने पर किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां प्रदत्त मूल्य निर्धारित किए बगैर रह जाता है तो उस राशि को जीवन बीमा निगम की बहियों में 5 वर्ष के लिए रखने के पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम के "जीवन निधि खाते" के जमा में डाल दिया जाता है। इन 5 वर्षों के दौरान जीवन बीमां निगम स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देकर और व्यक्तिगत स्तर पर पत्रों के माध्यम से पालिसीधारकों का पता लगाने के अथक प्रयास करता है। जीवन निधि में दावा न की गयी वापस जमा करायी गयी राशि निगम की जीवन निधि का एक भाग बन जाती है। तथापि, पालिसीधारकों को देय चुकता पालिसी के अन्तर्गत दावा न की गयी राशि केवल इस कारण से समय-बाधित नहीं हो जाएगी कि उनके द्वारा समय पर दावा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यपगत जीवन बीमा पालिसी को प्रथम चुकाए न गए प्रीमियम की देय तारीख से 5 वर्ष के अंदर पुनः आरम्भ किया जा सकता है।

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर जीवन निधि का बीमांकक द्वारा निगम की कुल देयता के संदर्भ में मूल्यांकन कराया जाता है और इस प्रकार अतिरिक्त शेष राशि बोनस के रूप में पालिसीधारकों को 95 प्रतिशत के अनुपात में और शेष 5 प्रतिशत सरकार को इसके शेयर के रूप में संवितरित कर दी जाती है। इस प्रकार, निधियों का उपयोग पालिसीधारकों के हितों के लिए किया जाता है।

जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1998-99 के लिए चुकाए गए दावों सहित दावों के कारण वापस निधि में डाल दी गयी राशि *15.47 करोड़* रुपए थी।

नेवेली लिग्नाइट निगम के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

2868. श्री नरेश पुगलिया : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम (एन.एल.सी.) के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/ किए जाने का विचार है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता बर्मा) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रबर की कीमत

2869. श्री के. करुणाकरन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राकृतिक रबर का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक रबर की कीमतें गिरी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किसानों के लिए आकर्षक कीमतें बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) प्राकृतिक रबर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्राकृतिक रबड़ (आर.एस.एस. IV ग्रेड) की कीमत, जो जुलाई 1994 में लगभग 30 रुपए प्रति किग्रा. थी, जून 1995 में 60 रुपए प्रति किग्रा. से भी अधिक हो गई थी। तथापि, नवम्बर, 1996 से इन कीमतों में गिरावट शुरू हुई इस समय 28–30 रुपए प्रति किग्रा. के बीच चल रही हैं।

(घ) सरकार ने सरकारी खाते से 30,000 मी. टन रबड़ की खरीद करने का प्राधिकार दिया है ताकि रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल सके। अग्रिम लाइसैंस के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर भी फरवरी, 1999 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ङ) वर्तमान एक्जिम नीति (1997–2000) के तहत प्राकृतिक रबड़ का निर्यात मुक्त है।

मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र

2870. श्री रामानन्द सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ए.सी.सी. कैमोर जिला कटनी, जे.पी. सीमेंट रीवा, तथा प्रिज्म सीमेंट मानकहरि जिला रीवा में कितने टन सीमेंट का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रत्येक कंपनी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) उनमें कितने मजदूर कार्यरत हैं;

(घ) वर्तमान वर्ष में कितने मजदूरों की छंटनी की गई; और

(ङ) उनकी छंटनी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : पिछले तीन वर्षों के दौरान ए.सी.सी. कैमोर, जे.पी. सीमेन्ट रीवा तथा प्रिस्म सीमेन्ट, मानकहारी द्वारा उत्पादित सीमेन्ट की मात्रा टनों में नीचे दी गई है :–

	1996–97	1997–98	1998–99
ए.सी.सी. कैमोर	1220990	1209376	1134671
जे.पी. रीवा	2153883	1916490	1879980
प्रिज्म	शून्य	673533	1405249

(ख) से (ङ) यह सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

वाई 2के अनुकूल होना

2871. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वाई2के को चुनौती से मुकाबला करने के लिए विशेषकर कर्नाटक में कार्यरत बैंकों में इस समस्या से निपटने के लिए आकस्मिक योजना और अन्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो वैसे राष्ट्रीयकृत बैंक कौन–कौन से हैं, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप वाई2के तैयारी पूरा कर ली है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि वाई2के अनुकूलन की प्राप्ति के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूरी तैयारी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कर्नाटक में कार्यरत बैंकों सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए सुधार एवं परीक्षण के ढांचे के अनुरूप वाई 2के तैयारी पूरी कर ली है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत आधार पर बैंकों के वाई 2के अनुपालन को मॉनीटर किया जाता है।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कंपनियों को ऋण

2872. श्री शीशराम सिंह रवि :

डॉ. बलिराम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन ने कुछ कंपनियों के लिए अल्पकालिक ऋण स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी को स्वीकृत की गई धनराशि के ब्यौरे सहित इन कंपनियों के नाम क्या–क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की स्वीकृति देना निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन है और इन ऋणों के एन. पी. ए. में परिवर्तित किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1998, 30 सितम्बर, 1998 तथा 31 मार्च, 1999 को समाप्त अर्द्ध वर्ष के लिए अर्द्ध वार्षिक अन्तराल पर पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा विवेकाधीन ऋण देने से संबंधी संवीक्षा के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सी. एम. डी.), पंजाब नेशनल बैंक (पी. एन. बी.) द्वारा अल्पकालीन ऋण की स्वीकृति देने में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

औद्योगिक नीति

2873. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान औद्योगिक नीति में किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं;

(ख) इन परिवर्तनों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) देश में विशेषकर गुजरात में इन परिवर्तनों से किस सीमा तक औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने और औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक निवेश हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखने की सरकार की नीति के अनुरूप, सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें अन्य कदमों के साथ–साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) अनिवार्य लाइसेंस वाली मदों की सूची की समीक्षा करने के फलस्वरूप, चार और क्षेत्रों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। ये हैं : कोयला और लिग्नाईट, पैट्रोलियम और इसके आसवन उत्पाद, चीनी और पांच अधिसूचित बल्क दवाएं।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से कोयला तथा लिग्नाइट और पैट्रोलियम एवं उसके आसवन उत्पादों को भी हटा दिया गया है।

(3) स्वतः अनुमोदन के पात्र प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची का विस्तार करके घरेलू निवेश को अनुसमर्थन देने के लिए प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने पर और अधिक बल दिया गया है।

(4) बहु–पक्षीय वित्तीय संस्थाओं को निजी क्षेत्र के बैंकों में 40% तक इक्विटी अंशदान करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

(5) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के विकास आयुक्तों को और अधिक शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

(6) प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने की समय–सीमा को छः सप्ताह से घटाकर तीस दिन कर दिया है।

सरकार द्वारा की गयी पहलों तथा आर्थिक क्षेत्र की अन्य सकारात्मक घटनाओं के फलस्वरूप अप्रैल–अक्टूबर, 1999 के दौरान औद्योगिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत हो गयी है।

[हिन्दी]

फलों/सूखे मेवों का निर्यात

2874. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ताजा फलों/मेवों के निर्यात से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) सरकार ने फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ताजा फलों और मेवों के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ताजे फलों/मेवों के निर्यात के जरिए अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1996–97	241.17
1997–98	268.98
1998–99*	260.04

*अनंतिम स्रोत : डीजीसीआई एंड एस/एपीडा

(ख) सरकार विभिन्न समर्थन/सहायता योजनाओं के जरिए ताजे फलों/मेवों समेत बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देती आ रही है। इस संबंध में उपलब्ध करवाई जा रही सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

के अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी, प्लेटफार्म, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद प्रशीतन पूर्व/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) निर्यात एककों में आई एस ओ 9000/एचएसीसीपी प्रणालियों को अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

(5) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(6) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना। नष्ट होने वाले उत्पादों की संरक्षण अवधि को बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित/नवीकृत वायुमंडलीय प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीकी के उपयोग हेतु अनुसंधान प्रयास चल रहे हैं;

(7) क्रेता विक्रेता बैठकों और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह–भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों कार्गोसंचालन और शीत भंडार की स्थापना करना;

(9) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण; पैकेजिंग परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान एपीडा की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत ताजे फलों/मेवों के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रदान की गई इमदाद की कुल राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1996–97	762.13
1997–98	698.90
1998–99	1196.62

(स्रोतः एपीडा)

[अनुवाद]

यू.टी.आई. संबंधी समिति की रिपोर्ट

2875. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यू.टी.आई. योजनाओं और संगठन के वाणिज्यिक आधार पर पुनर्गठित करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा क्रियान्वित किया है तथा इसके क्या प्रभाव होंगे;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कार्य–निष्पादन की तुलना में चालू वर्ष में यू.टी.आई. का कार्य–निष्पादन क्या है; और

(घ) यू.टी.आई. के लिए 1999–2000 तथा अन्य तीन वर्षों के लिए कार्य योजना तथा विकास वृद्धि अनुमान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। यू. एस.–64 के कार्यकरण की व्यापक पुनरीक्षा करने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में गठित यू. एस.–64 संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 25 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत की। समिति की जिन सिफारिशों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने कार्यान्वित कर लिया है, उनमें शामिल

हैं : विशेष यूनिट योजना 99 (एस.यू.एस. 99) का सृजन तथा सरकार द्वारा अभिदत्त एस.यू.एस. 99 को पी.एस.यू. स्टॉकों का अन्तरण, वृद्धि स्टॉकों की इक्विटी में निवेश हेतु नई यू.टी.आई. योजना की शुरुआत, निवल परिसम्पत्ति मूल्य आधारित कीमत निर्धारण की ओर परिवर्तन, न्यासियों को अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व तथा प्राधिकार देना, विभिन्न योजनाओं के लिए पृथक तथा स्वतंत्र कोष प्रबन्धकों की नियुक्ति, इत्यादि। ये उपाय भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण का और अधिक व्यावसायीकरण कर देंगे।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कार्य निष्पादन निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

संकेतक	1997–98	1998–99	1999–2000*
बिक्री	13179	18978	5188
यूनिट पूंजी	50493	55707	57500
निवेश्य कोष	60979	63548	65826

* नवम्बर, 1999 के अन्त तक। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष एक जुलाई से अनुवर्ती वर्ष की 30 जून तक है।

(घ) वर्ष 1999–2000 के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मुख्य कारपोरेट उद्देश्यों में आय तथा इक्विटी योजनाओं के तहत अपेक्षाकृत उच्च बिक्री राशि जुटाना, यू.एस.–64 को पुनर्व्यवस्थित करना तथा पुनर्खरीद पर रोक लगाना, 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर निवेश कोष बढ़ाना, इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

2876. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनिन्दा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात हेतु अनुमति देने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आयात के लिए कोई शर्तें निर्धारित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू उत्पादन और लघु उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) वर्ष 1997 में भारत ने डब्ल्यूटीओ को 2714 टैरिफ लाइन अधिसूचित की थीं जिनका आयात भुगतान संतुलन के कारण से मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन था। हमारे अलग–अलग व्यापारिक साझेदारों के साथ इन प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की एक योजना पर वार्ता की गई थी और इसे डब्ल्यूटीओ को भी अधिसूचित किया गया था। चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की उक्त योजना के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, एक बड़ी संख्या में टैरिफ लाइनों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया जा चुका है जिनमें से कुछ टैरिफ लाइनों में उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं। तथापि सभी आयात लागू सीमाशुल्क दरों पर होता है। इस प्रकार हालांकि मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया जा रहा है, तो भी घरेलू उत्पादकों और लघु उद्योगों को टैरिफ तंत्र के जरिए संरक्षण उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरी निर्धारण संबंधी वार्ता हेतु दिशा-निर्देश

2877. श्री विकास चौधरी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक उद्यम विभाग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरी निर्धारण संबंधी वार्ता हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिशा–निर्देश की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान संघों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की ओर दिलाया है;

(घ) क्या नवरत्न सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के अध्यक्षों ने दिशा–निर्देशों की समीक्षा हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1–1–1997 से मंजूरी निर्धारण सम्बन्धी वार्ता के छठे दौर के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का प्रबंधन निम्नलिखित विनिर्देशों के शर्ताधीन कामगारों के लिए मंजूरी निर्धारण सम्बन्धी ढांचे के लिए वार्ता करने हेतु स्वतंत्र होना।

(i) सरकार द्वारा मजूरी में वृद्धि के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(ii) सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार प्राप्त अथवा लगभग एकाधिकार प्राप्त उद्यम अथवा वे उद्यम जो कि प्रशासित मूल्य ढांचे के अन्तर्गत कार्यपालन कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंजूरी में किसी भी वृद्धि से उनकी वस्तुओं और सेवाओं के प्रशासित मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(iii) उत्पादन का प्रति वास्तविक इकाई की मजदूरी लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के पास पंजीकृत रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में, औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड द्वारा पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन होने पर, मजूरी और वेतन के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिसमें मजूरी में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधान होगा।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यात निष्पादन

2878. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998–99 तथा चालू वर्ष के लिए निर्यात निष्पादन की समीक्षा क्षेत्र–वार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्यात प्रसंस्करण जोनों और निर्यात संवर्धन योजनाओं की क्या समीक्षा की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की निष्पादन समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1999–2000 के दौरान निर्यात में तेजी लाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों और शुरू की गई/शुरू की जाने वाली नई पहल का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं, निर्यात संसाधन क्षेत्रों, निर्यात संवर्धन, परिषदों इत्यादि की निष्पादन समीक्षा सहित निर्यात निष्पादन की समीक्षा निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि की संभावना वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक वस्तु विश्लेषण और व्यापार की दिशा शामिल होती है।

निर्यात संवर्धन परिषदों के बजट अनुमानों पर विचार करते समय अनुदानग्राही संस्थानों के निर्यात निष्पादन की विस्तार से समीक्षा की जाती है। इन संस्थानों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों और लेखों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर भी रखा जाता है।

(घ) सरकार द्वारा लगातार निर्यात संवर्धन के उपाय किए जा रहे हैं जिनमें शामिल हैं : विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सौदों की लागत में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय प्रयासों के जरिए थ्रस्ट क्षेत्रों तथा फोकस क्षेत्रों का पता लगाकर निर्यातों को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. द्वारा रेलवे को भुगतान

2879. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक कोयले की विलंब से की गयी ढुलाई और अन्य कारणों से सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. ने रेलवे को कितने वार्षिक अतिरिक्त/विलंब शुल्क का भुगतान किया; और

(ख) सरकार ने कंपनियों में मितव्ययता बनाये रखने के लिए कौन–कौन से सकारात्मक कदम उठाये हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा विलम्ब शुल्क के किए गए भुगतान का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रु. में)

वर्ष	विलंब शुल्क का भुगतान
1996–97	251.54
1997–98	396.14
1998–99	444.84
1999–2000 (अक्टूबर, 1999 तक)	361.81

(ख) कोयला कंपनियों के राजस्व बजट को तैयार करते समय निम्नलिखित संयमितमितव्ययिता के उपाय अपनाए गए हैं :

(i) पिछले वर्ष की तुलना में टेलीफोन वाहन को भाड़े पर लेने जैसे अन्य विविध व्ययों में 20% कटौती।

(ii) कम लदान/अधिक लदान और विलंब शुल्क में कटौती।

(iii) पिछले वर्ष की तुलना में गुणवत्ता में कम-से-कम 10% सुधार।

(iv) परिवहन लागत में वृद्धि न करना।

(v) ओवर टाइम लागत को सीमित करना।

(vi) अनुरक्षण कार्य को समायोजित करना जिससे कि अनुरक्षण कार्य के लिए रविवार को कर्मचारियों की तैनाती को न्यूनतम स्तर पर सीमित रखा जा रहा है।

(vii) अत्यधिक उत्पादकता वाली ओपनकास्ट खानों में उत्पादन के लिए रविवार को मजदूरों की तैनाती को सीमित करना।

[अनुवाद]

आयकर धनवापसी के मामले

2880. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वेतनभोगी संबंधी आयकर धन वापसी के कई मामले मूल्यांकन वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में, विशेष रूप से सर्कल 9(4) में लम्बित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मामलों को उनकी रसीद और पंजीकरण संख्या के अनुसार निपटाने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं या किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो बकाया मामलों को निपटाने में देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनञ्जय कुमार) : (क) दिल्ली के वेतनभोगी करदाताओं के मामले में भुगतान किए गए अतिरिक्त आयकर की वापसी के कुछ मामले कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए लंबित हैं। तथापि, कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए देय लगभग सभी वापसियां जारी कर दी गई हैं।

(ख) मंडल (सर्कल) 9(4) में कर निर्धारण वर्ष-वार लंबित वापसी मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

कर निर्धारण वर्ष	लंबित वापसियों की संख्या
1997-98	शून्य
1998-99	496
1999-2000	859

(ग) निश्चित समय सीमा के भीतर सभी लंबित वापसियों को निपटाने के लिए सरकार के निदेश के अलावा मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली ने विवरणियों की प्रक्रिया को सरल बनाने और कर-दाताओं की वापसी से संबंधित शिकायतों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) कर-निर्धारण अधिकारियों को, क्रमानुसार विवरणियों पर कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं।

(ii) उन्हें वापसियों का दावा करने वाली विवरणियों को अलग करने और गैर-वापसी मामलों के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं जिससे कि इस वित्त वर्ष के अन्त तक वापसी का दावा करने वाली 31 मार्च, 1999 तक प्राप्त कोई भी विवरणी वापसी जारी करने के लिए लम्बित न रह सके।

(iii) कम-से-कम 31 मार्च, 1999 तक प्राप्त सभी विवरणियों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से उन अधिकारियों जिन्होंने अपने लंबित मामले पहले ही निपटा दिए हैं को लंबित मामलों के बैकलॉग को निपटाने के लिए अन्य अधिकारियों की सहायता हेतु समधिकारी प्रभार सौंपा गया है।

(घ) लंबित वापसी दावों की प्रक्रिया में विलम्ब मुख्यतया पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वेतन विवरणियों की संख्या [1997-98 में 2,11,376 से 1999-2000 (नवम्बर, 1999 तक) में 4,44,648 तक] में वृद्धि के कारण से है। हालांकि वापसी दावों के शीघ्र और त्वरित निपटान के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। कर-निर्धारण अधिकारी जो वापसी दावों को हाथ से तैयार करते हैं, को कार्यभार, उपलब्ध जनशक्ति, चालानों के भुगतान के सत्यापन के लिए लिया गया समय आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर वापसी दावों की प्रक्रिया के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। इन्हीं कारणों की वजह से विवरणी दायर करने की तारीख और वापसी को जारी करने की तारीख के मध्य कुछ समय अन्तराल हो जाता है। कुछ मामलों में विलम्ब विवरणी में त्रुटियों के कारण से होता है जिसकी वजह से वापसी तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि कर-निर्धारिती द्वारा त्रुटियों को संशोधित नहीं कर दिया जाता।

मोडवेट

2881. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने वर्तमान मोडवेट कानून की समीक्षा करवायी है और इसमें उसे कई बड़ी कमियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कमी के कारण प्रति वर्ष अनुमानतः 15000 करोड़ रुपये की राशि का नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में मोडवेट के दुरुपयोग को रोकने के उपायों का पता चलाने के लिए निविष्टि/उत्पादन अनुपात और अन्य संगत पहलुओं के बारे में अनुसंधान और विकास संबंधी अध्ययन का कार्य एक संगठन को सौंपा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई आयात निर्यात-नीति में संशोधन

2882. श्री राजो सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने हाल ही में घोषित की गई नई आयात निर्यात–नीति में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) एग्जिम नीति में संशोधन करने के लिए बिहार सरकार से हाल में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि निर्यात संवर्धन उपायों की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और किसी प्रकार का संशोधन करने से पहले प्राप्त किए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

चाय का निर्यात

2883. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष के दौरान चाय के निर्यात में पिछले वर्ष की तदनुरूप समयावधि की तुलना में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में जनवरी से सितम्बर 1999 की तुलना मे पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाय के अन्य विश्व–उत्पादक, गुणवत्ता के साथ–साथ मूल्यवर्धित चाय की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करेंगे, सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा समुद्रपारीय खरीदारों के साथ–साथ भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती आकांक्षाओं और परिवर्तित होती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) चाय–बोर्ड द्वारा, चाय उत्पादकों को संपोषणीय तथा लाभकारी कीमत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी से सितम्बर, 1999 के दौरान भारत से हुए चाय के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में 29.39 मिलियन किग्रा. तक की गिरावट आई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान जनवरी से सितम्बर तक की अवधि में किए गए चाय के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अवधि	मात्रा (मिलियन किग्रा में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
जनवरी–सितम्बर, 1997	140.16	1179.87
जनवरी–सितम्बर, 1998	152.36	1726.57
जनवरी–सितम्बर, 1999	122.97	1231.03

(ग) चालू वर्ष के दौरान चाय बोर्ड निर्यात योग्य गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए चाय उद्योग के साथ निरन्तर संपर्क बनाए हुए है। चाय बोर्ड दिसम्बर, 1998 में भारत और रूस के बीच यथा सहमत ऋण पुनर्भुगतान प्रणाली से संबंधित प्रोटोकोल

के अंतर्गत भारत से शीघ्र चाय उठाने के लिए रूसी आयातकों के साथ बातचीत कर रहा है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार और चाय बोर्ड संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए देश–वार चाय के निर्यात का विश्लेषण कर रहे हैं। चाय बोर्ड अलग–अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आने वाली अड़चनों, जब कभी उनका पता चलता है, को दूर करने की कार्रवाई भी करता है। चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदमों में शामिल हैं:

(i) विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(ii) विशिष्ट भंडारों/प्रमुख बाजारों में जाकर नमूने लेना;

(iii) भारतीय चाय की विशिष्टता के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और चाय बोर्ड के विपणन चिन्ह, जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना;

(iv) भारत और चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान।

(घ) चाय उद्योग, सरकार/चाय बोर्ड की मदद से विदेशी क्रेताओं और भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई अभिलाषाओं और बदलती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए–नए तरीके अपना रहा है। जिसके परिणामों में शामिल हैं– फ्लेवर युक्त चाय, शीघ्र ब्रू होने वाली काली चाय, कार्बनिक चाय, पीने के लिए तैयार चाय, जमी हुई चाय के आदर्श के रूप में दक्षिण भारतीय चाय का संवर्धन करना इत्यादि।

(ङ) चाय की कीमतें सरकार/चाय बोर्ड द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं। कीमतों का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है जो मांग और आपूर्ति संबंधी कारकों पर निर्भर होता है। तथापि, चाय बोर्ड चाय की मांग को बढ़ाने की दृष्टि से चाय का निर्यात और इसकी खपत बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इससे उत्पादकों को दीर्घकालिक और लाभकारी कीमतें प्राप्त होंगी। इनमें से कुछ कदमों में शामिल हैं– विकास योजनाओं के जरिए चाय उद्योग को वित्तीय सहायता देना, नीलामी आदि के जरिए उत्पादित चाय के 75 प्रतिशत हिस्से की अनिवार्य बिक्री करना।

कोयला भण्डार

2884. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोककारी और गैर–कोककारी कोयले का कितना भण्डार है;

(ख) यह भण्डार कब तक के लिए पर्याप्त होगा; और

(ग) सरकार द्वारा इन भण्डारों की समाप्ति पर क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई आकस्मिक योजना का ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रो. रीता वर्मा) : (क) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1.1.99 को देश में कोककर और अकोककर कोयले के भंडार 1200 मीटर की गहराई तक 0.5 मीटर और उससे अधिक मोटाई के सीम में हैं। उक्त ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :–

बिलियन टन में भंडार

कोककर कोयला	अकोककर कोयला	जोड़
31.24	177.51	208.75

(ख) और (ग)। यद्यपि नए भंडारों का पता लगाने के लिए कोयले की गवेषणा एक अनवरत प्रक्रिया है, तथापि अब तक प्राप्त कोयले के भंडारों को, बढ़े हुए उत्पादन की दर पर भी 100 वर्ष से अधिक समय तक कायम रहने की संभावना है। अतः फिलहाल किसी आकस्मिक योजना को तैयार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तथापि ऊर्जा के विकल्प के संभावित स्रोत हाइड्रेल, परमाणु शक्ति चलित संयंत्र है। गैर–पारंपरिक ऊर्जा के भी उपयोग की आवश्यकता है।

चमड़े के परिधानों का निर्यात

2885. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री अण्णासाहेब एम. के. पाटील :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान चमड़े के परिधानों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चमड़े के परिधानों के निर्यात में वृद्धि के संबंध में अध्ययन और सिफारिशें करने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान चमड़े के परिधानों का निर्यात निम्नानुसार है :

वर्ष	(करोड़ रु. में)	(मिलियन अमरीकी डालर में)
1996–97	1506.5	424.37
1997–98	1580.3	425.21
1998–99	1572.8	368.60

रुपए की दृष्टि से चमड़े के परिधानों के निर्यात में 4.40% की वृद्धि हुई है जो 1996–97 के 1506.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 1998–99 के दौरान 1572.8 करोड़ रुपए के हो गए।

(ख) अन्य देशों द्वारा दी गई प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें, प्रमुख बाजारों में मंदी और प्रतिस्पर्द्धी देशों की तुलना में कच्चे माल/संघटकों के आयात की ऊंची लागतें इस मद के निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारक हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, चमड़ा निर्यात परिषद ने चमड़ा–परिधानों की निर्यात–वृद्धि में गिरावट के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक "चमड़ा परिधान संबंधी पैनल" का गठन किया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा

2886. श्री मोइनुल हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा भारत के नोडल मंत्रालयों के सहयोग से विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करता है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृति प्रदान करने वाले वे प्राधिकारी और एजेंसियां कौन–कौन सी हैं जिनके माध्यम से परियोजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ङ) वर्ष 1992 से 1999 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा भारत में वित्तपोषित सभी परियोजनाओं की परियोजना–वार और वर्ष–वार वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) कनाडा भारत में अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आई.डी.आर.सी.) से अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों को या तो गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा या अनुदान प्राप्त करने से पहले गृह मंत्रालय से उक्त अधिनियम के अधीन पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। सामान्यतः संगठन अपने प्रस्तावों को आई.डी.आर.सी. को प्रस्तुत करते हैं। आई.डी.आर.सी. प्रस्तावों को स्वीकार करने से पहले आर्थिक कार्य विभाग से कोई आपत्ति सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता।

(घ) और (ङ) आई.डी.आर.सी. ने आज की तारीख तक विभिन्न संस्थानों की लगभग 240 अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध करायी है। जिनमें उसकी वित्तीय सहायता 60 मिलियन कनाडी डालर है। वर्ष 1992 से नवम्बर, 1999 के दौरान आई.डी.आर.सी. द्वारा भारत में परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी निधि को परियोजना–वार तथा वर्ष–वार दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1992 से नवम्बर, 30, 1999 तक आई.डी.आर.सी. परियोजनाओं की स्थिति

तारीख और वर्ष	परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	प्राप्तकर्ता का नाम/पता	अनुदान की राशि (कनाडियन डालर में)	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5
13, मार्च 1992	कोस्टल एग्रोफोरेस्ट्री (इंडिया)–यह परियोजना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पद्धति विकसित करेगी जो तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितीय स्थिरता और तटीय समुदायों की जीविकोपार्जन सुरक्षा को सम्बद्ध करने में सहायता करेगी।	एम.एस. स्वामिनाथन अनुसंधान संस्था	74,560 डालर	बंद

1	2	3	4	5
31 मार्च, 1992	जन संचार में संचार अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण योजना– यह परियोजना संचार अनुसंधानकर्ताओं का क्षेत्रीय कार्य कौशल संबंधी प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षित फील्ड कार्यकर्ताओं का दल सृजित करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता देगी।	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	55,739 डालर	बंद
31 मार्च, 1992	युवा महिलाओं के लिए पोषाहार शिक्षा (भारत)– चरण–2–यह परियोजना कतिपय विवेचित क्षेत्रों के परिवारों के पोषाहार व्यवहार में आए परिवर्तन को मापकर पैकेज और डिलीवरी प्रणाली की कारगरता का मूल्यांकन करेगी।	न्यूट्रीशिन फाउन्डेशन आफ इंडिया	176,750 डालर	बंद
4 जून, 1992	बाल स्वास्थ्य का मनोसामाजिक अध्ययन (भारत) परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में उन वाह्य स्वास्थ्य कर्मचारियों और समुदाय के सदस्यों के व्यवहार और धारणाओं की जांच करना है जो स्वास्थ्य संबंधी मध्यस्थों की डिलीवरी को प्रभावित करते हैं।	सेंटर फार रिजर्व इन हेल्थ	89,240 डालर	बंद
19 जून, 1992	राजकोषीय सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन–इस परियोजना में सात देशों के अनुसंधानकर्ता अपने–अपने देशों में गत और आगत राजकोषीय सुधारों का विश्लेषण करेंगे।	इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट	955,114 डालर	बंद
12 अगस्त, 1992	पश्चिम बंगाल में सामाजिक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग–उपक्रमों और जानकारी प्रणाली को समझना।	विश्वभारती, बोलेपुर, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल	84,600 डालर	बंद
23 सितम्बर, 1992	अंतर–शहरी विकेन्द्रीकरण का मूल्यांकन (भारत)– यह परियोजना पांच मध्यवर्ती शहरों में डिलिवरी और नागरिक भागीदारी पर विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक प्रणालियों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।	राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्था	62,000	बंद
12 अक्टूबर, 1992	औषधीय पौधे (भारत) यह परियोजना उन दस बहु–उपयोगी औषधीय पौधों का मूल्यांकन करेगी जिनका व्यापक तौर पर उपयोग होता है, उनके बढ़िया स्टाक चुनेगी और उनके प्रसार के चिरस्थायी तकनीकों को विकसित करेगी।	आर्या विद्याशाला कोट्टाकल	224,880	सक्रिय

1	2	3	4	5
27, नवम्बर, 1992	उत्तरी बिहार में सिंचाई के लिए जल का संयुक्त उपयोग (भारत)– यह परियोजना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्तरी बिहार में संयुक्त सिंचाई प्रणाली को विकसित करने का प्रयास करेगी।	जल संसाधन केन्द्र पटना विश्वविद्यालय पटना	245.173 डालर	सक्रिय
21 जनवरी, 1993	हिमालय पारिस्थिति की पुनर्वास–यह परियोजना भूमि के उन सभी सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा क्षतिग्रस्त हुई भूमि का पता लगाकर उसका परिमाणन करेगी। बदल–बदल कर खेती करने और खनन से क्षतिग्रस्त हुई भूमि को सुधारने के लिए सामाजिक–आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पारिस्थितिकीय दृष्टि से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।	भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून	500,000 डालर	सक्रिय
21 जनवरी, 1993	भौगोलिक सूचना प्रणाली, बिहार–आंकड़ों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण करने की भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी तकनीकों का प्रदर्शन करना।	सोन कमांड एरिया डेवलेपमेंट एजेंसी बिहार, भारत	504,769 डालर	बंद
21 जनवरी, 1993	लेशमनियासिस कंट्रोल नेटवर्क (ग्लोबल)	इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च	147,240 डालर	सक्रिय
21 जनवरी, 1993	पर्यावरण और ग्रामीण प्रौद्योगिकी जागरूकता (भारत)–चरण–2 यह परियोजना सी.डी.आर.टी. के सूचना क्रियाकलापों को पुनर्बलित करके भारत की ग्रामीण आबादी के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देगी और एक सूचना तंत्र विकसित करेगी।	अभियांत्रिकी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्था	183,950 डालर	सक्रिय
8 फरवरी, 1993	रिसर्च फार प्रोडक्ट डिजायन एंड टेस्ट मार्किटिंग आफ मार्केटिंग इंफार्मेशन–यह परियोजना लक्षित ग्राहकों अर्थात् शिक्षाविदों और व्यवसाय तथा उद्योग के कार्यपालकों के लिए टेस्ट मार्केट मैनेजमेंट इंफार्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिज का डिजाइन तैयार करेगी।	इंडियन इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद	234,880 डालर	सक्रिय
11 मई, 1993	नीम इंडिया–नीम के लाभों पर अनुसंधान और दस्तावेज तैयार करना।	विट्ठल मलाया साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन एंड यूनिवर्सिटी आफ अल्बेर्टा	498,813 डालर	सक्रिय

1	2	3	4	5
31 मई, 1993	रिसोर्स कोस्ट्स फार अंडर न्यूट्रिशन एंड मोर्बिडिटी–इस परियोजना का प्रयास आर्थिक उदारीकरण की अवधि में कर्नाटक के उन लोगों की स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी समस्याओं का आर्थिक विश्लेषण करने के लिए एक अवधारणात्मक ढांचा तैयार करना है जहां नकारात्मक सामाजिक परिणामों के बारे में चिंताए बढ़ी हैं।	सेंटर फार मल्टी डिसीप्लीनरी डेवलेपमेंट रिसर्च	136,090 डालर	बंद
11 जून, 1993	लैंड रिस्टोरेशन थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट (यू.डब्ल्यू.ओ/भारत)–अनुसंधानकर्ता, अपस्तरीय भूमि को सुधारने की एक पद्धति के रूप में वेस्ट मैनेजमेंट के तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे।	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा	101,716 डालर	बंद
22 जुलाई, 1993	डिवलेपमेंट आल्टरनेटिव्स इंफार्मेटिक्स नेटवर्क–परियोजना ने पर्यावरण से संबंधित एक स्वतंत्र सूचना तंत्र की उपयोगिता और व्यवहार्यता की जांच की है और सामूहिक कार्यक्रमों के साथ उनमें से अनेकों के साथ सक्रिय सूचना का आदान–प्रदान किया है।	डिवलेपमेंट आल्टरनेटिव्स इंटरनेशनल	330,082 डालर	बंद
3 अगस्त, 1993	पर्यावरणीय शिक्षा के लिए लघु अनुदान–चरण–III-तीसरे चरण की यह परियोजना उन छोटी, नई अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए पुरस्कारों के लिए अनवरत सहायता प्रदान करेगी जो ज्ञान और पर्यावरणीय जागरूकता तथा शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती हैं।	साउथ वियु प्रोडेक्शन	200,000 डालर	बंद
3 अगस्त, 1993	पर्यावरणीय शिक्षा के लिए लघु अनुदान–चरण–II–दूसरे चरण की यह परियोजना उन छोटी, नई अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए पुरस्कारों के लिए अनवरत सहायता प्रदान करेगी जो ज्ञान और पर्यावरणीय जागरूकता तथा शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती हैं।	इंस्टीटयूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ	200,000 डालर	बंद
24 अगस्त, 1993	लोकल स्पेशिफिक इनवायरमेंटल एजूकेशन (इंडिया) फेज–II–यह परियोजना पुनः इनवायरमेंटल एजूकेशन बैंक का परीक्षण और मूल्यांकन करेगी तथा यह पता लगाएगी कि कैसे इसके क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र	130,860 डालर	बंद
2 सितम्बर, 1993	टेक्नॉलोजी इनफोरमेशन सिस्टम–जे.पी.एस. (इंडिया)– यह परियोजना छोटे और मध्यम आकार के विनिर्माण उद्योगों में मौजूदा स्थानीय और विदेशी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को	जे.पी.एस. एसोसिएटस मैनेजमेंट	257,000 डालर	बंद

1	2	3	4	5
	बढ़ाकर जो पर्यावरणिक दृष्टि से सुदृढ़ हैं, नयी प्रौद्योगिकी के प्रवेश को प्रोत्साहित करेगी अथवा मौजूदा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करेगी।			
30 सितम्बर, 1993	स्पेशल डाटा टेक्नोलोजिज फार लोकल लेवल प्लानिंग–यह परियोजना स्थल परीक्षण के जरिए विकेन्द्रित विकास आयोजना के संबंध में आकाशीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रम को सहायता प्रदान करेगी तथा हरियाणा राज्य में जिला स्तर पर इन प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करेगी।	राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान	478,460 डालर	बंद
6 अक्टूबर, 1993	डेवलपिंग माडूलर टेक्नोलॉजी किट्स फॉर फार्म वीमेन (इंडिया)–यह परियोजना पर्यावरणिक दृष्टि से उपयुक्त लगभग 50 किटों का विकास करेगी तथा ग्रामीण स्त्रियों के लिए दीर्घकालिक उपयोग हेतु खेती की कारगर प्रौद्योगिकियों को संवर्धित करेगी और मौजूदा प्रसार कार्यकर्ताओं को उनके उपयोग हेतु प्रशिक्षित करेगी।	इण्टरनेशनल फेडरेशन फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर		
3 नवम्बर, 1993	इनडिजिनस नालेज एंड इनोवेशन नेटवर्क (ग्लोबल)–यह परियोजना औपचारिक तथा अपचयन विज्ञान के मध्य समग्र अथवा अनौपचारिक विज्ञान के साथ स्थानीय पारिस्थितिकीविज्ञान व्यवस्था को निहित करते हुए संबंध स्थापित कर "सृष्टि" को सहायता प्रदान करेगी।	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	247,170 डालर	बंद
26 नवम्बर, 1993	डिवलेपमेंट ऑफ रूलर माइक्रोइण्टरप्राइजेज (इंडिया)–यह परियोजना कागज तथा अन्य उत्पादों के राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल उत्पादन तथा विपणन सुविधा का विकास करेगी जो प्रमाण्य रूप से स्व–वित्तपोषित तथा पर्यावरणिक दृष्टि से स्थायी हो।	डेवलेपमेंट आल्टरनेटिव्स इण्टरनेशनल	325,000 डालर	बंद
3 दिसम्बर, 1993	उड़ीसा में विस्थापन और पुनर्वास विकास–यह परियोजना विस्थापन से संबंधित चार दशक का विकास, विस्थापन से संबंध परियोजना डाटा बेस का एकत्रीकरण, प्रभावित लोगों पर विस्थापन के प्रभावों और परिणामों की पहचान तथा विस्थापन संबंधी मौजूदा राज्य नीति की समीक्षा हेतु व्यवस्था करेगी तथा विस्थापन और दरिद्रता के मौजूदा संबंध को समाप्त करने हेतु चालू नीति तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन की सिफारिश करना।	सामाजिक आर्थिक विकास संस्थान	61,730 डालर	बंद
20 दिसम्बर, 1993	समुदाय आधारित–मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान (इंडिया) II–चरण–II यह परियोजना मानसिक स्वास्थ्य मेनुअल का	शाइजोफ्रेनिया रिसर्च फाउण्डेशन	99,560 डालर	बंद

1	2	3	4	5
	विकास तथा फील्ड जांच करेगी जिसे साधारण स्वयंसेवकों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा उन लोगों की पहचान हेतु उपयोग में लाया जाएगा जो मनो–सामाजिक व्यवहार संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं।			
19 जनवरी, 1994	भारत में जनसंख्या वृद्धि की गिरावट की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप– यह अध्ययन मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपभोक्ताओं और स्थानीय स्तर प्रबन्धकों, दोनों को निर्देशित करने वाली सूचना, शिक्षा और संचार के सिद्धांतों पर आधारित हस्तक्षेपों का डिजाइन तथा कार्यान्वयन करेगा।	भारतीय जनसंख्या फाउंडेशन	194,570 डालर	बंद
26 जनवरी, 1994	शिफ्टिंग कल्टिवेशन हेतु स्थाई भूमि उपयोग विकल्प (नागालैण्ड) 1994	कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय नागालैण्ड	490,000 डालर	सक्रिय
31 जनवरी, 1994	भारत में मानव विकास हेतु नीतियां और वित्तपोषण–स्वास्थ्य और शिक्षा में पहुंच और उसका मूल्यांकन	यू.एन.डी.पी. नई दिल्ली, भारत	75,000 डालर	सक्रिय
31 जनवरी, 1994	भारत में मानव विकास मानीटरिंग–यह परियोजना समय–समय पर कल्याण के वृहद सूचकों की पहचान करेगी तथा पिछले समय में इन सूचकों में हुए परिवर्तनों को मानीटर करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण करेगी।	राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	530,000 डालर	सक्रिय
9 फरवरी, 1994	काष्ठ प्रतिस्थापन (भारत)–यह परियोजना अंतिम प्रयोक्ताओं के बड़े भाग के लिए उपयुक्त नए मूल्यवर्धित उत्पादों के माध्यम से बॉस मैट बोर्ड की काष्ठ प्रतिस्थापन क्षमता को बढ़ाने हेतु और आगे अनुसंधान करने के लिए है।	भारत प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	149,800 डालर	सक्रिय
24 फरवरी, 1994	तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र (दक्षिण एशिया)–यह परियोजना तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली को सुधारने के विषय पर ध्यान देगी और परीक्षित प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ तटों के प्रतिरूपी क्षेत्रों की अवस्था पर संयुक्त सूचना के साथ भाग लेने वाले देशों की सरकारों और स्थानीय समुदायों की भूमि की सतह को सुधारने के लिए अधिकृत करेगी तथा इस प्रकार तटीय क्षेत्र के एकीकृत प्रबंधन के लिए रणनीति तैयार करेगी।	अरोविल फाउंडेशन विधान चंद्र विश्वास विद्यालय	193,457 डालर	सक्रिय

1	2	3	4	5
9 मार्च, 1994	भारत में शहरी मलेरिया	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, भारत	44,450 डालर	बंद
9 मार्च, 1994	औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक/नीतियां–भारत एशिया से क्या सीख सकता है– यह परियोजना चयनित एशियाई देशों में चार क्षेत्रीय वर्गीकरणों, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, वित्तीय क्षेत्र नीति और मानव संसाधन नीति की परिस्थितियों तथा नीतियों की जांच करेगी।	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	248,000 डालर	बंद
18 मार्च, 1994	स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में एशियाई सूचना का सीडी–रोम – आठ संस्थान जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित प्रमुख एशियाई आंकड़ा आधारित और सूचना संस्थानों के मालिक हैं, एक संघ बनाने के लिए तैयार हो गए हैं जो विकासात्मक क्षेत्र जिसे एजेण्डा 21 कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण माना गया है, में क्षेत्र को सर्वप्रथम सी.डी. रोम तैयार करेगा।	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	650,000 डालर	परियोजना बंद होने की सूचना प्राप्तकर्ता को दे दी गई और औपचारिकताओं को वित्तीय रिपोर्टों के प्राप्त होने और निपटाए जाने के बाद ही पूरा किया जाएगा।
25 मार्च, 1994	मिनीसिस संसाधन केन्द्र (भारत) चरण–II–भारत में मिनीसिस का संवितरण तथा इसका प्रयोग	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्व–विद्यालय, महाराष्ट्र	177,780 डालर	सक्रिय
25 मार्च, 1994	स्थाई विकास, पर्यावरणात्मक सुरक्षा और निरस्त्रीकरण अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग के प्रतिमान का विकास	शान्ति, सुरक्षा और विकास अध्ययन हेतु समिति, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भारत	150,000 डालर	बंद
5 अप्रैल, 1994	जल प्रदूषण उपशमन हेतु राजकोषीय उपकरण (भारत)–यह परियोजना जल प्रदूषण प्रबन्धनों हेतु साध्यता राजकोषीय उपकरणों तथा संस्थागत प्रबन्धनों को निर्धारित करेगा।	आर्थिक विकास संस्थान	37,517 डालर	बंद
1 जून, 1994	पश्चिमी घाटों में पाये जाने वाले विभिन्न औषधीय पौधों और खेती के लिए प्रचार पद्धतियों का विकास का प्रलेखन	कार्रवाई अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे	19,523	बंद

1	2	3	4	5
1 जून, 1994	पश्चिमी हिमालय में पाये जाने वाले विभिन्न औषधीय पौधों और खेती के लिए प्रचार पद्धतियों का विकास का प्रलेखन	आई.सी.एफ.आई. ई., देहरादून	20,000	बंद
1 जून, 1994	जनजातियों द्वारा अपनाई गई जादू–टोनों से संबंधित विभिन्न पद्धतियों तथा उनकी मान्यता और सुरक्षा के विकास का प्रलेखन	एसबीआर्ट कालेज त्रिरूपति, भारत	55,232	बंद
13 सितम्बर, 1994	भारत में गरीबी–जनजाति हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान	आर्थिक और राजनीति विज्ञान लंदन विद्यालय लंदन, यूके	100,000	सक्रिय
1 अक्टूबर, 1994	निम्नस्तर भूमि के लिए बांस कृषि–वानिकी प्रौद्योगिकी	आईसीएफआरई देहरादून	33,000 डालर	बंद
28 अक्टूबर, 1994	सूचना उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए नियमावली–इस उद्देश्य विकासशील देश की संस्थाओं द्वारा हुई वास्तविक अनुभवों पर आधारित विकासशील देशों में सूचना उत्पादों और सेवाओं के विपणन के संबंध में व्यापक तथा व्यावहारिक नियमावली तैयार तथा प्रकाशित करना है।	भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबार	114,310 डालर	बंद
21 नवम्बर, 1994	पेस एटेंड्स टर्मिनल हेतु एक निर्यात विपणन नीति	पेस आटोमेशन लि.	741,166 डालर	बंद
25 नवम्बर, 1994	औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन प्रबन्ध–चरण–II भारत में उन कम्पनियों की जांच करना जिन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।	औद्योगिकी संबंध और मानव संसाधन श्रीराम केन्द्र, नई दिल्ली	58,650	सक्रिय
25 नवम्बर, 1994	दक्षिण एशिया तरजीह करार–यह परियोजना उन उत्पादों को निर्धारित करेगी जिस पर भारत से निर्यात तथा इस क्षेत्र से आयात दोनों के संबंध में बातचीत की जा सकती थी।	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	13,935 डालर	बंद
1 दिसम्बर, 1994	नागालैंड पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास–यह परियोजना राज्य में अनुसंधानकर्ताओं को उन विकल्पों को अपनाने के लिए ग्रामीण समुदायों के साथ काम करने में सहायता करेगी जो भूमि आधारित संसाधनों, स्थानीय नवप्रवर्त्तन और आनुवांशिकी पर आधारित संसाधनों तथा राज्य के बाहर से उपयोग विचारों के प्रयोग में गहन बढ़ावा देते हैं।	कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय, नागालैण्ड	5,303,193	सक्रिय
6 दिसम्बर, 1994	समुदाय अनुसंधान और शिक्षा पारिस्थितिकी स्वास्थ्य–पर्यावरण गिरावट के प्रभाव को निर्धारित करना	साऊथ सोलिडेरिटी, नई दिल्ली, भारत	150,000	सक्रिय

1	2	3	4	5
19, जनवरी, 1995	फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन नेटवर्क (ग्लोबल)–इस परियोजना में किसी देश विशेष के संबंध में किए गए अध्ययन और विषयक अध्ययनों के मिले–जुले रूप द्वारा वित्तीय उदारीकरण की प्रक्रिया के नीतिगत प्रभावों से संबंधित मुद्दों को जांचा–परखा जाएगा।	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	610,910 डालर	सक्रिय
17 फरवरी, 1995	गंदी बस्तियों में सामुदायिक आधार पर ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध (भारत)–भारत में गंदी बस्तियों में ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंध तंत्र का निर्माण करना तथा प्रायोगिक परीक्षण करना	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय महाराष्ट्र	175,000 डालर	सक्रिय
1 मई, 1995	प्राकृतिक वन–आधारित बांस के उत्पादन से खपत प्रणाली तक का विश्लेषण	आईडी आरसी– संस्थान्तर्गत विषय अध्ययन	25,944 डालर	बन्द
5 जनवरी, 1996	हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में औषधीय पौधों का सर्वेक्षण	पर्यावरण अनुसंधान और कार्रवाई, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, भारत	14,507 डालर	सक्रिय
22 फरवरी, 1996	सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क (एसडीएन) इंडिया– यह परियोजना स्थायी विकास नेटवर्क को विकसित करके सभी संबंधित पक्षों में सूचना को संगठित रूप से पहुंचाकर और उनमें सूचना के आदान–प्रदान के जरिए भारत में स्थायी विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देगी।	पर्यावरण और वन मंत्रालय	281,620 डालर	सक्रिय
6 मार्च, 1996	एसटी–फ्लाई एश मैनेजमेंट–इस परियोजना के भारत में तथा इस क्षेत्र में सकारात्मक अन्तर्निहित पर्यावरणीय तथा सामाजिक परिणाम होंगे।	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	229,915 डालर	सक्रिय
6 मार्च, 1996	भारत में शहरी गंदी बस्तियों में जीवन–स्तर–समुदाय पर आधारित प्रक्रिया को मजबूत तथा व्यापक बनाना।	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	102,750 डालर	सक्रिय
21 मार्च, 1996	बृहत्–आर्थिक समायोजन नीतियां, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करना, उनका उपयोग और गुणवत्ता (भूमंडलीय)–इस परियोजना में दक्षिण में स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने, उनकी गुणवत्ता और उपयोग पर एमएपी के प्रभाव को जांचा–परखा जाएगा।	विकास अध्ययन केन्द्र	1,495,000 डालर	सक्रिय

1	2	3	4	5
29 मार्च, 1996	एसएमई और स्थायी प्रौद्योगिकियों के स्रोतों के बीच संपर्क–कड़ियां	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ	240,000 डालर	सक्रिय
30 जुलाई, 1996	कृषि वैविध्य अनुसंधान पुरस्कार कार्यक्रम का प्रयोग करना–अनुसंधान पुरस्कार देने के लिए कार्यक्रम स्थापति करना	सोसायटी फॉर रिसर्च एण्ड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टैक्नोलॉजीस अहमदाबाद, गुजरात, भारत	322,600 डालर	सक्रिय
16 अगस्त, 1996	इकोनॉमिक्स ऑफ शिफिटंग फ्रॉम टोबैको–सूक्ष्म स्तर का अध्ययन और कार्यक्रम–इस परियोजना में प्रेरकों की मदद से ऐसे किसानों की पहचान की जाएगी जो तंबाकू की खेती से हटने को तैयार हैं।	सेन्टर फॉर मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्च	242,560 डालर	सक्रिय
28 अगस्त, 1996	जलापूर्ति और संरक्षण प्रबंध हेतु स्थानीय रणनीतियां	इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, मद्रास और नेहरू फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेंट	302,612 डालर	सक्रिय
13 दिसम्बर, 1996	टेलीवर्क इन इंडिया–रोजगार, व्यापार और सामाजिक समानता पर प्रभाव–परियोजना पूर्व हुए विचार–विमर्शों के निष्कर्षों को शामिल करना तथा भारत और मलेशिया में टेलीवर्किंग के प्रभाव का विश्लेषण।	यूएनयू इन्स्टीट्यूट फॉर न्यू टैक्नो–लॉजीस नीदर–लैण्ड्स	233,320 डालर	सक्रिय
23 जनवरी, 1997	डेसर्ट मार्जिन्स इनिशिएटिव (अफ्रीका)	इन्टरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट फॉर सेमीएरिड ट्रापिक्स	483,170 डालर	सक्रिय
1 फरवरी, 1997	खनिज विकास में पर्यावरणीय/सामाजिक कार्यनिष्पादन के संकेतक और वहनीयता के संसूचक–स्वास्थ्य संसूचकों की पारिस्थितिकी व्यवस्था का विकास करना।	टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट और बाथ विश्वविद्यालय	207,460 डालर	सक्रिय
6 मार्च, 1997	स्थायी प्राकृतिक संसाधान प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन उपाय सृजित करना–इस परियोजना में ऐसे सामाजिक समूहों जिन्हें सामान्यतः जैव–विविधता के लाभों का बराबर हिस्सा नहीं मिलता, के बौद्धिक संपत्ति तथा परंपरागत संसाधन अधिकारों के प्रति दृष्टिकोणों के विकास में योगदान देने की क्षमता है।	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	252,490 डालर	राक्रिय

1	2	3	4	5
1 मई, 1997	निम्न कोटि की भूमि के लिए बांस की कृषिवानिकी प्रौद्योगिकी	उत्थान–सेन्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलेपमेंट एण्ड पावर्टी एलिविएशन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	44,235 डालर	बन्द
30 सितम्बर, 1997	ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रभाव–इस परियोजना में ई–मेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब जैसी इन्टरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और इसमें एक ऐसा अध्ययन भी शामिल किया जाएगा कि इन अधिक आधुनिक उपकरणों का ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।	एम.एम. स्वामीनाथन रिसर्च इन्स्टीट्यूट	214,120 डालर	सक्रिय
10 अक्टूबर, 1997	सीएआरई–बीएआईएफ/एमईआर सिस्टम टेस्ट–1997– कुछ विकास परियोजनओं के संबंध में सीएआरई कनाडा द्वारा विकसित मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और सूचित करने (एमईआर) की प्रणाली का परीक्षण करना।	बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे	92,493 डालर	सक्रिय
30 अक्टूबर, 1997	पीएएन–पैन एशिया आर एण्ड डी ग्रांट्स प्रोग्राम–इस का उद्देश्य अनुसंधान तथा विकास हेतु "लघु अनुदानों" की वित्त योजना को सक्रिय बनाकर ऐसे नेटवर्किंग प्रयोगों, नीतियों, विनियामक मुद्दों और प्रौद्योगिकियों में लगाना है जिनका उद्देश्य एशिया–प्रशांत क्षेत्र में परिभाषित विनिर्दिष्ट समस्याओं का समाधान करना है।	फाउण्डेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट	150,000 डालर	सक्रिय
1 जनवरी, 1998	एमएपी–जेन्डर नेटवर्क–इस परियोजना में पांच दक्षिण एशियाई देशों में-समन्वित और व्यवस्थित तरीके से आर्थिक सुधार में लिंग संबंधी आयाम का विश्लेषण और पूर्वा पर संबंध स्थापित करने के लिऐं अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।	इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट नई दिल्ली	489,020 डालर	सक्रिय
29 जनवरी, 1998	अकाउंटेबिलिटी एण्ड गवर्नेंस–भारतीय तंत्र की जवाबदेही और शासन के संबंध में कार्यशाला हेतु सहायता	डॉ. रवि कठपालिया नई दिल्ली और आईडी आरसी, एसएआरओ, नई दिल्ली	10,000 डालर	बन्द
4 मार्च, 1998	वर्चुअल इन्फार्मेशन सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलेपमेंट	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया	100,470 डालर	सक्रिय

1	2	3	4	5
10 मार्च, 1998	कृषिखाद्य के विकास के जरिए ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाना–कृषि खाद्य क्षेत्र के विकास के जरिए ग्रामीण आजीविका के सुधार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना।	बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूणे और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन	452,260 डालर	सक्रिय
1 अप्रैल, 1998	21वीं सदी की परंपराओं–कार्यक्रम उपाय का विकास	आईडी आरसी–संस्थांतर्गत विषय अध्ययन	15,500 डालर	बन्द
1 अक्टूबर, 1998	ग्रामीण युवाओं और महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से हरियाली का संवर्धन।	एमएसएसआरएफ–चेन्नई, भारत	17,595 डालर	बन्द
20 नवंबर, 1998	एसएमई संपर्क कड़ियों से संबंधित फिक्की परियोजना की मॉनीटरिंग।	आईडी आरसी–संस्थांतर्गत परियोजना	5,500 डालर	सक्रिय
26 नवम्बर, 1998	वीमेन्स हैल्थ एण्ड एम्पावरमेंट–बीएआईएफ के साथ सीडा परियोजना का निर्माण।	आईडी आरसी–संस्थांतर्गत परियोजना	10,850 डालर	सक्रिय
18 फरवरी, 1999	दक्षिण एशिया में सूचना क्षेत्र में महिला कामगारों पर क्षेत्रीय नीति संगोष्ठी।	आईडी आरसी–संस्थांतर्गत परियोजना	34,500 डालर	सक्रिय
1 अप्रैल, 1999	गढ़वाल जिले के पहाड़ी इलाकों में औषधीय पौधों का संरक्षण तथा खेती।	सोसायटी फॉर हिमालयन एन्वायरनमेंटल रिसर्च, एसएचईआर, देहरादून, उत्तर प्रदेश, भारत	23,775 डालर	सक्रिय
26 मई, 1999	मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों का सामुदायिक आधार पर स्थायी प्रबंध।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल, मध्य प्रदेश	26,021 डालर	सक्रिय
31 मई, 1999	मैट घास की उत्पादन तथा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास–इसका उद्देश्य अधिक उत्पादकता के लिए मैट घास की उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण करना है।	चाइल्ड एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी	19,600 डालर	सक्रिय

1	2	3	4	5
4 जून, 1999	पर्ल मिलेट उत्पादों का उत्पादन और विपणन।	एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट सायंस	21,500 डालर	सक्रिय
28 जुलाई, 1999	माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनियशिएटिव	पश्चिम बंगाल सरकार	3,150,000 डालर	सक्रिय
29 जुलाई, 1999	माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव	गुजरात सरकार	3,000,000 डालर	सक्रिय
15 नवंबर, 1999	परंपरागत स्वास्थ्य प्रथाओं को मजबूत करना और जिला कित्तूर की महिलाओं और शहरी चिकित्सकों को औषधीय पौधों की खेती का प्रशिक्षण देना।	पीपुल्स क्लिनिक ट्रस्ट, कित्तूर, आंध्र प्रदेश	28,196 डालर	सक्रिय

उड़ीसा में कीमती पत्थरों की खोज

2887. श्री एस.डी.एम.आर. वाडियार : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेषकर कालाहांडी जिले में कीमती और कम कीमती पत्थरों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के पत्थर वहां पाये गये हैं; और

(ग) इन पत्थरों के पूर्ण दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) कीमती एवं अर्ध कीमती पत्थर उड़ीसा के कालाहाण्डी, संबलपुर, बोलनगीर और कोरापुट जिलों में कहीं–कहीं पाए जाते हैं। कालाहाण्डी जिले में गारनेट, एक्वामेसाइन, सेपहायर, रुबी, आयोलाइट और क्राइसोबेरील की मौजूदगी की रिपोर्ट मिली है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कोई भी भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम,1957 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, खनन पट्टा प्राप्त करने के पश्चात्, खनिज भण्डारों को विदोहन कर सकता है।

शहरी सहकारी बैंकों को हानि

2888. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों में हानियों का पता लगाने के लिए पहले ही कोई चेतावनी प्रणाली लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो लागू की गई ऐसी चेतावनी प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम जनता को ऐसे बैंकों के प्रबन्धक वर्ग की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक देश में शहरी सहकारी बैंकों पर समुचित निगरानी रखने के लिए अन्य किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का विचार रखता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी सहकारी बैंकों में घाटों का पता लगाने के लिए उसके द्वारा अलग से कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं स्थापित की गई है। तथापि, वर्तमान प्रणाली के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में कतिपय सांविधिक विवरणियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत करें जिसमें प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार इन शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को दर्शाते हुए फार्म IX में मासिक विवरण शामिल हों। यह विवरण आस्तियों और देयताओं के संचलन तथा विवरणी की तारीख के अनुसार बैंकों के लाभ/हानि की स्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, सभी शहरी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ऋण खातों की आय की पहचान के सिद्धान्त के आधार पर चार श्रेणियों अर्थात् मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत करें। इन बैंकों द्वारा ऋणों के ऐसे वर्गीकरण का एक वार्षिक विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणित करा कर भारतीय रिजर्व बैंक को देना होता है।

(ग) और (घ) शहरी सहकारी बैंकों को संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सहकारी समितियों के रूप में स्थापित किया जाता है। ऐसे बैंकों के प्रबंधन बोर्डों का शेयरधारकों द्वारा चयन किया जाता है और सदस्यों के अधिकारों को सहकारी समिति अधिनियम में परिभाषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जनता को शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंधन पर निगरानी रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है क्योंकि ऐसे बैंकों के प्रबंधकीय पहलू सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र में आते हैं। पर्यवेक्षण की वर्तमान प्रणाली के अनुसार, "कमजोर बैंक" के रूप में वर्गीकृत किए गए शहरी बैंकों का प्रत्येक वर्ष (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अनुक्रम में) सांविधिक निरीक्षण किया जाता है जबकि अन्य बैंकों का दो वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है। कार्य स्थल पर निरीक्षण शहरी बैंकों के कार्यकरण के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख शहरी बैंकों के लिए स्थलेतर निगरानी की प्रणाली शुरू करने का भी प्रस्ताव किया है।

बीमा क्षेत्र में यू.टी.आई. का प्रवेश

2889. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.टी.आई. का यू.टी.आई बैंक के साथ मिलकर एक बीमा कम्पनी शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यू.टी.आई. के लिए बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की व्यावसायिक अनिवार्यताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू.टी.आई. ने बीमा क्षेत्र की लाभप्रदता का अनुमान लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। इस समय यू.टी.आई. का यू.टी.आई. बैंक के सहयोग से कोई बीमा कम्पनी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल संघर्ष का प्रभाव

2890. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल ऑपरेशन ने सरकार की वित्तीय स्थिति पर अपना असर डालना शुरू कर दिया है और भविष्य में भी डालता रहेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कारगिल संघर्ष के परिणामस्वरूप कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) कारगिल में हुए खर्च को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार के वित्तीय संसाधन कई प्रकार के राजकोषीय मानदंडों द्वारा प्रभावित होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ कुल व्यय में वृद्धि, कुल राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां आदि शामिल हैं और यह किसी एक विशिष्ट कारक पर आधारित नहीं है।

(ग) क्या रक्षा बजट में समग्र वृद्धि के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

(घ) केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति की प्रवृत्ति का बारीकी से अनुवीक्षण किया जाता है और उसकी लगातार समीक्षा की जाती है। अतिरिक्त व्यय विभागों द्वारा व्यय में मितव्ययिता और बेहतर व्यय प्रबन्धन तथा बढ़ी हुई प्राप्तियों के माध्यम से बचतों द्वारा पूरा किया जाएगा।

कमजोर बैंकों संबंधी एम.एस. वर्मा समिति

2891. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ बैंकों की यूनियनों की केन्द्रीय यूनियन "युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स" ने रुग्ण बैंकों संबंधी एम. एस. वर्मा समिति की कुछेक सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबंधित अपनी आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) परिचर्चा का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

बैंक यूनियनों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, गवर्नर श्री जालान ने कहा कि बैंक यूनियनों के राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर और वर्मा समिति की सिफारिशों पर उनके विचार सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि व्यापकजन चर्चा हेतु रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। रिपोर्ट सरकार को भी प्रस्तुत कर दी गई है, क्योंकि कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार को निर्णय लेने पड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था और उसने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसलिए यूनियनों के नेताओं के विचार सुनने का एक अच्छा अवसर है।

गवर्नर ने आगे कहा कि बैंकिंग क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण देश के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता थी। एक सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र कर्मचारियों के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण था जितना स्वामी के रूप में सरकार के लिए और नियंत्रक के रूप में रिजर्व बैंक के लिए। इसलिए सामान्य हित में कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने और साथ–ही–साथ कमजोर बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिए नीतियों को तैयार करना था।

बैंक कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधि इस बात से सहमत थे कि बैंकिंग प्रणाली को और सुदृढ़ करना अनिवार्य है। तथपि, वे वर्मा समिति द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के सरासर विरुद्ध थे। वे इस बात से क्षुब्ध थे कि समिति ने अशोध्य ऋणों को वसूल करने और अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के प्रमुख मामले पर कतई ध्यान नहीं दिया। उनका तर्क था कि यही मूलभूत कारण था जिससे तथाकथित कमजोर बैंक कमजोर हो गए। इस संबंध में उन्होंने इंगित किया कि वे वर्मा समिति द्वारा प्रस्तावित परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निधि के साथ–साथ कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार अशोध्य ऋणों को वसूली पर ध्यान देना अनिवार्य है। इस संबंध में उन्होंने जोर दिया कि अशोध्य ऋणों की शीघ्र वसूली हेतु कानूनी आधार को मजबूत करने के लिए अतिशीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है।

इन मामलों पर ध्यान देने की बजाए, वर्मा समिति ने कमजोर बैंकों के पुनर्निर्माण का सम्पूर्ण भार बैंक कर्मचारियों पर डाल दिया है, जो बैंकों को कमजोर करने के लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं थे। बैंक यूनियनों ने यह भी कहा कि बैंकों की सार्वजनिक क्षेत्र की प्रकृति को बनाए रखने के लिए वे अटल थीं और उनके निजीकरण के पक्ष में नहीं थी, जिस दिशा में बैंकिंग क्षेत्र को ले जाने की वर्मा समिति की मंशा प्रतीत होती थी। अपनी ओर से यूनियनों ने आश्वासन दिया कि बैंकिंग प्रणाली के परिचालन में सुधार लाने के लिए बेहतर उपभोक्ता सेवा, कार्य कुशलता और उत्तरदायित्व के प्रति वे पूर्णरूपेण कटिबद्ध हैं।

अन्त में गवर्नर ने यूनियनों के विचारों पर उनका आभार प्रकट किया और उनको आश्वासन दिया कि वर्मा समिति की सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम रूप दिए जाते समय उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कमजोर बैंकों को सुदृढ़ करने के विभिन्न पहलुओं पर समिति द्वारा दी गई सभी सिफारिशों पर समेकित रूप से ध्यान देने के लिए भी यूनियनों से आग्रह किया। इन बैंकों के दीर्घावधिक हितों के लिए सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से एक संतुलित कार्रवाई करनी होगी।

शहद का निर्यात

2892. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ देशों को शहद का निर्यात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान देश–वार प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में शहद का निर्यात किया गया और उसका क्या मूल्य था ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं। शहद का निर्यात उन निर्यातकों द्वारा किया जाता है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास पंजीकृत होते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए शहद की कुल मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (मी.टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1996–97	580.8	329.9
1997–98	751.9	368.5
1998–99*	1413.0	747.5

*अनन्तिम स्रोत : डी जी सी आई एंड एस/एपीडा

शहद का निर्यात मुख्य रूप से जर्मनी, नीदरलैंड, मलेशिया, बंगलादेश, सिंगापुर, यूएई, यू.के. और यू एस ए को किया गया है। निर्यातों के देश–वार ब्यौरे डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के आंकड़ों मासिक/वार्षिक बुलेटिनों में उपलब्ध होते हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी जाती हैं।

उड़ीसा में निकेल संयंत्र

2893. श्री भर्तृहरि महताब : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में, विशेषकर जाजपुर जिले के सुकिन्डा में, एक निकेल संयंत्र लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य के वे अन्य स्थान कौन–कौन से हैं जहां ऐसे संयंत्र लगाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या अर्थक्षमता रिपोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संयंत्र में उड़ीसा राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) जी, नहीं। फिलहाल, उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुकिन्दा स्थान पर निकिल निष्कर्षण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई. आर.) ने क्रोम अयस्क के निष्कर्षण के बाद, अपशिष्ट के रूप में एकत्र क्रोमाइट पछोड़न से निकिल धातु के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया विकसित की है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा सी.एस.आई.आर. के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर होने के बाद, दस करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से सी.एस.आई.आर. की भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में, सुकिन्दा घाटी से 10 टन क्रोम अयस्क/पछोड़न प्रतिदिन परिष्करण क्षमता वाला एक पाइलेट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सुकिन्दा घाटी में क्रोम पछोड़न अपशिष्ट से निकिल निष्कर्षण की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता का पाइलेट प्लांट के प्रचालन के दो वर्ष बाद आकलन किया जा सकेगा जब पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो चुके होंगे।

औद्योगिक उत्पादन

2894. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री राजीव प्रताप रूडी :

श्री राजीव सिंह चौटाला :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1999 में आज की तारीख तक क्षेत्र–वार कुल कितना औद्योगिक उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में मई, 1999 से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2000–2001 के दौरान कितना औद्योगिक उत्पादन होने की आशा है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अप्रैल–अक्टूबर, 1999–2000 के दौरान क्षेत्र–वार औद्योगिक उत्पादन की विकास दर निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है :

(प्रतिशत विकास दर)

वर्ष	खनन	विनिर्माणकारी	विद्युत	समग्र
1996–97 (पूरा वर्ष)	–1.9	6.7	4.0	5.6
1997–98 (पूरा वर्ष)	5.9	6.7	6.6	6.6
1998–99 (पूरा वर्ष)	–1.8	4.4	6.4	4.0
1999–2000 (अप्रैल–अक्टूबर)	0.2	7.5	8.1	6.9

(ख) सरकार ने औद्योगिक विकास दर के वर्ष–वार लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया है।

(ग) और (घ) विकास दर के क्षेत्र–वार ब्यौरे निम्नानुसार है :

अवधि	1998–99				1999–2000			
	खनन	विनिर्माणकारी	विद्युत	समग्र	खनन	विनिर्माणकारी	विद्युत	समग्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	(–) 2.9	4.9	11.0	4.8	(–) 2.0	5.7	6.0	5.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मई	(–) 3.0	3.4	9.9	3.7	0.3	9.1	3.3	7.7
जून	2.3	4.6	9.8	4.8	(–) 1.7	6.2	4.1	5.3
जुलाई	2.9	3.1	6.5	3.4	0.1	7.1	6.2	6.4
अगस्त	0.66	4.5	6.8	4.4	1.7	6.9	10.9	6.8
सितम्बर	(–) 4.9	3.9	0.5	2.8	4.7	7.8	16.7	8.4
अक्टूबर	(–) 0.9	0.1	(–) 0.1	0.0	(–) 1.7	9.7	10.3	8.7

(ङ) सरकार ने 2000–2001 के दौरान औद्योगिक विकास का अनुमान नहीं लगाया है।

तम्बाकू उत्पादकों को ऋण

2895. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों को कोयले, उर्वरक और अन्य आदानों हेतु ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए ऋण की धनराशि कितनी है तथा राज्य में कितने तम्बाकू उत्पादकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है;

(ग) क्या तम्बाकू उत्पादकों ने मांग की है कि इन ऋणों की अदायगी तीन किश्तों में करने की अनुमति दी जाए; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों की बैंक शाखाओं के कर्मचारी

2896. श्री रामशकल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन बैंकों की ग्रामीण शाखाओं व अन्य शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों को तैनात करने हेतु क्या–क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का बैंक कर्मचारियों के लिए ग्रामीण शाखाओं में निश्चित समय अवधि तक कार्य करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में आमतौर पर कर्मचारियों की कमी की कोई सूचना/रिपोर्ट नहीं है। सरकार ने समय–समय पर बैंकों से कहा है कि अवर्तनीय स्थानांतरणों को क्रियान्वित करके तथा अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में मानव शक्ति की पुनर्तैनाती करके ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में कर्मचारियों की कमी को पर्याप्त ढंग से पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने मार्ग–निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल–IV में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों का ग्रामीण/अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम तीन वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ऋण जाल

2897. श्री जे. एस. बराड़

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अगस्त, 1999 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' 'यू.पी. ब्लेम्स सेन्टर फॉर डेब्ट ट्रैप' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों की सहायता करने के

लिए वर्तमान केन्द्र–राज्य आर्थिक संबंधों में सुधार लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित अखबारी खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में केन्द्रीय नीतियों को संदर्भित किया है।

अपनी विचारणीय शर्तों के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद–280 के तहत् भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। केन्द्र राज्य सरकारें वित्त आयोग के समक्ष अपने विचार रखने को स्वतंत्र हैं। भारत सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग के समक्ष किए गए आत्मनिवेदन पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझती।

(ग) और (घ) भारत सरकार राज्य सरकारों से स्वस्थ आर्थिक संबंध बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत नियुक्त वित्त आयोग, और राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जैसे निकायों, जिनमें केन्द्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं, द्वारा केन्द्र–राज्य के आर्थिक संबंधों की समय–समय पर पुनर्समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

गुजरात में लिग्नाइट का भंडार

2698. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेषरूप से कच्छ क्षेत्र में भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा बड़ी मात्रा में लिग्नाइट के भण्डार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाए गए भंडार की गुणवत्ता और मात्रा तथा उनका स्थल–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों में खनन संबंधी कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) गुजरात में अनुमानित लिग्नाइट भंडारों की मात्रा और उसकी गुणवत्ता के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

गुणवत्ता

स्थल	आ. (%)	रा. (%)	वा.प. (%)	नि.का. (%)	कै.वै. (कि.कै./कि.ग्रा.)	मात्रा (मि.टन में)
कच्छ क्षेत्र						
पननधरो	30–40	6–10	27–33	22–25	3300–3500	98
अकृमोटा	30–35	18–24	30–35	20–22	3000–3200	82
उमरसर	28	13	37	22	4084	11
मतनोमध	30–35	15–20	20–25	20-25	2000-2500	34
लखपत	18	29	33	20	3274	14
कैयाड़ी	19	29	33	19	4312	45
भावनगर क्षेत्र	13.56	23.98	37.41	26.90	3882	326
सूरत क्षेत्र	13.00	17.38	34.26	28.99	4488	219
भड़ौच क्षेत्र	6–25	5–37	28–46	10–37	2988–5500	644

आ. = आर्द्रता, रा. = राख, वा.प. = वाष्पशील पदार्थ, नि.का. = निर्धारित कार्बन, कै.वै. = कैलोरिफिक वैल्यू।

(ग) अन्वेषण के लिए भंडारों को आर्थिक रूप से लाभकारी पाए जाने, उनके अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने, बैंक ग्राह्य परियोजना रिपोर्टों के तैयार करने और आवश्यक निवेशों को निर्धारित करने के तुरंत बाद खनन क्रिया कलापों को शुरू किए जाने की संभावना है।

किराए के भवनों में चल रहे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कार्यालय

2899. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किराए के भवनों में चल रहे केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क मंडलीय अधिकारियों के कार्यालयों की स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन कार्यालयों हेतु कितने किराए का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क के मंडलीय कार्यालयों के किराए का भुगतान विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र के पूना शहर में, संबंधित स्वामी को पिछले एक वर्ष से नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा किराए की बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ङ) केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है औ सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्रों का निर्यात

2900. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान उसी अवधि की तुलना में 1999–2000 के प्रथम छः महीनों के दौरान वस्त्रों का निर्यात 7 प्रतिशत तक बढ़ा है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ कोटा निर्धारित किए जाने वाले देशों को निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत तक कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों का नाम क्या है;

(घ) क्या कोटा निर्धारित किए गए उन देशों की बजाय जिनके लिए कोटा निर्धारित नहीं है देशों का निर्यात मूल्य ज्यादा होता है;

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान कोटा निर्धारित देशों तथा कोटा न निर्धारित किए गए देशों को पृथकतः कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(च) सरकार द्वारा कोटा न निर्धारित किए गए देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) वर्ष 1999–2000 के पूर्वार्द्ध (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान वस्त्रों के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुये निर्यात (डालरों में) की तुलना में 2.5 प्रतिशत (डालरों में) की वृद्धि हुई है। कोटा देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को निर्यात में मामूली कमी आयी है। कोटा देशों और गैर–कोटा देशों को वस्त्रों के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है :

(आंकड़े अमरीकी मिलियन डालरों में)

	1998–99 (अप्रैल–सितम्बर)	1999–2000 (अप्रैल–सितम्बर)
कोटा देश	2378.4	2248.2
गैर कोटा देश	1755.7	2010.3

स्रोत : अपेरेल निर्यात संवर्द्धन परिषद् और सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्

(च) सरकार की इस समय गैर कोटा देशों को गैर कोटा निर्यात और कोटा देशों को समग्र वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात हकदारी (कोटा नीति) के अन्तर्गत गैर कोटा हकदारी प्रणाली है। सामान्यतया निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्रवाई निम्न के अनुसार हैं :

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना लागू की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में इसे अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके।

(2) कुछ विशिष्ट वस्त्र मशीनों के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ई.पी.सी.जी.) की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(3) निर्यातोन्मुख एक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र (ई.

पी.जैड.)/ई.पी.सी.जी. एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात को उदार बनाना।

(4) कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग और अलंकरण का शून्य शुल्क आयात।

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना

2901. श्री रमेश चेन्नितला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पहले कार्यान्वित की गई स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वी. डी. आई. एस.) सफल रही थी;

(ख) यदि हां, तो यह किस सीमा तक सफल रही थी;

(ग) इस योजना को जारी न रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की योजना को दुबारा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) स्वैच्छिक आय प्रकटन स्कीम (वी. डी. आई. एस.) 1997 के अन्तर्गत 33,289 करोड़ रुपये से अधिक की आय घोषित की गई थी। इन प्रकटनों पर 9,745 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कर और ब्याज के रूप में वसूल की गई थी।

(ग) स्वैच्छिक आय प्रकटन स्कीम, 1997 वित्त अधिनियम, 1997 का एक अंग थी। वित्त अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत उक्त स्कीम को सीमित अवधि के लिए लागू किया गया था और इसे 31.12.1997 को अथवा इससे पूर्व समाप्त किया जाना था।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना

2902. श्री टी. गोविन्दन : क्या वस्त्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना के तहत आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे प्रतिवर्ष लाभान्वित होने वाले कामगारों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) वस्त्र आयुक्त के पास प्रतिपूर्ति हेतु लंबित आवेदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) मांग के आधार पर वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी. डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) के लिए वस्त्र मंत्रालय के बजट में प्रत्येक वर्ष प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में, चालू वर्ष के लिए टी.डब्ल्यू.आर.एफ. योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए (बजट प्राक्कलन) का प्रावधान है।

(ख) योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और क्षेत्र-वार लाभान्वित कामगारों की संख्या निम्नानुसार है :

क्षेत्र/राज्य-वार लाभान्वित कामगारों की संख्या

वर्ष	गुजरात	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	दिल्ली	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1988-89	1213	–	–	–	–	1213
1989-90	5278	–	–	741	–	6019
1990-91	5697	942	–	1045	4499	12183
1991-92	3940	422	–	--	331	4693
1992-93	7023	331	–	104	337	7795
1993-94	4686	540	–	–	–	5226
1994-95	2531	11	–	–	–	2542
1995-96	1203	2	–	–	–	1205
1996-97	2316	3	–	–	2	2321
1997-98	2560	–	–	2287	–	4847
1998-99	2282	732	3297	276	–	6587
1999-2000	2573	–	74	1	–	2648
कुल	41302	2983	3371	4454	5169	57279

(ग) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में टी.डब्ल्यू.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति/लाभ के लिए क्षेत्र-वार लंबित आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :

क्षेत्र	30.11.99 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदनों की संख्या
गुजरात	697
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	187
तमिल नाडु	65
कुल	950

(घ) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय राज्य सरकार, सरकारी परिसमापक आदि के साथ लंबित आवेदन और योजना के अंतर्गत अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए निरन्तर संपर्क रखे हुए हैं ताकि पात्र कामगारों को निधियों के संवितरण में सुविधा हो।

डीजल पर उपकर

2903. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल और पेट्रोल पर चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक उपकर से अब तक एकत्रित धनराशि कितनी है और 1999–2000 के लिए कितना धन एकत्रित किए जाने की उम्मीद है;

(ख) क्या इस धनराशि को सड़क विकास के अभीष्ट उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के बजाय वित्तीय घाटे को पूरा करने हेतु उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क की राशि जिसे उपकर में बदला जाना है, सितम्बर, 1999 तक 2510 करोड़ रुपए है। वर्ष 1999–2000 के दौरान अनुमानित संग्रह 3377 करोड़ रुपए होगा।

(ख) और (ग) ये प्राप्तियां भारत की समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं और संसद के अनुमोदन के अनुसार इसमें से खर्च की जाती हैं।

शेयर अन्तरण अभिकर्ता

2904. श्री अशोक प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (दिल्ली) द्वारा कुल कितने श्रेणी–दो (शेयर अन्तरण अभिकर्ता) वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं;

(ख) बोर्ड ने कुल कितने मामलों को अस्वीकृत किया है, और उनकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं; और

(ग) सेबी (दिल्ली शाखा) के कार्यकरण और कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सेबी (दिल्ली) द्वारा विगत तीन वर्षों में श्रेणी–दो (शेयर अंतरण अभिकर्ता) के रूप में प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

	नए पंजीकरण	नवीकरण
1996–97	12	0
1997–98	8	7
1998–99	1	3
1999–2000 (अब तक)	0	3

(ख) सेबी दिल्ली द्वारा अस्वीकृत किए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

1996–97	20
1997–98	8
1998–99	शून्य
1999–2000 (अब तक)	शून्य

अस्वीकृतियों का कारण आवेदकों द्वारा सेबी (निर्गम पंजीयक तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता) नियमावली तथा विनियम, 1993 के विनियम 4, 6 तथा 7 का अनुपालन न करना अर्थात् अपेक्षित सूचना न देना, पर्याप्त आधार ढांचा न होना तथा पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूरा न करना है।

(ग) सेबी, इसकी दिल्ली शाखा समाहित, अपनी दक्षता तथा प्रभावात्मकता को सुधारने के उद्देश्य से अपने कार्यकरण की निरंतर समीक्षा करता है।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण

2985. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार और परियोजना–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ऋणों के मिलने में विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को समुचित रूप से तैयार किए गए प्रस्तावों में आवश्यक स्वीकृतियों को सम्मविष्ट करते हुए अग्रेषित करने के बाद परियोजनाओं के सम्बन्ध में विदेशी सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में चालू परियोजनाओं की संख्या में अन्तर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या के कारण और निधि उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति में भिन्नता के कारण है। तथापि, भारत सरकार सभी राज्यों में परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए दाता देशों को प्रोत्साहित करती है।

विवरण

बहुउद्देशीय तथा द्विपक्षीय ऋणों का राज्य–वार तथा परियोजना–वार विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	मुद्रा	ऋण/ अनु– दान राशि	वर्ष 97–98 के दौरान संवितरण	वर्ष 97–98 के दौरान संवितरण	वर्ष 1998–99 के दौरान संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश							
1.	आ.प्र. आपदा प्रशमन और आपातिक चक्रवात	आईडीए	अम.डालर	100	–	8.595	19.719
2.	आ.प्र. आपदा प्रशमन और आपातिक चक्रवात	आईबीआरडी	अम.डालर	50	–	–	0
3.	ग्रामीण विकास के लिए सिंचाई उपस्करों का आयात	जापान	जापा. येन	195.6	–	–	195.6
4.	यू.के./भारत आ.प्र.ग्रामीण जीवनोपार्जन	यू.के.	यू.के.पौंड	40.176	–	–	–
5.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी	आई.डी.ए.	अम.डालर	77.4	14.085	15.909	13.148
6.	पोटाश म्यूरेट का आयात (ईपीटीआरआई) के लिए सेवाएं	जापान	जापानी येन	1.1	–	–	0
7.	अनुवीक्षण के लिए उपस्करों का आयात	जापानी	जापानी येन	2.4	–	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	ईपीटीआरआई चरण–2	स्वीडन	स्वीडन क्रोनर	16	–	0	–
9.	आन्ध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र	आईबीआरडी	अम.डालर	210	–	–	10.169
10.	श्रीसेलम बांया बांध विद्युत स्टेशन, चरण–2	जापान	जापनी येन	26101	2733.5	3677.5	431.4
11.	श्रीसेलम विद्युत सम्प्रेषण प्रणाली	जापान	जापानी येन	3806	344.6	160.7	1345.7
12.	श्रीसेलम बांया बांध विद्युत स्टे. परि.–II	जापान	जापानी येन	22567	3933.7	4814.7	2633.9
13.	श्रीसेलम विद्युत सम्प्रेषण प्रणाली परियोजना–II	जापान	जापानी येन	9546	8.9	328.5	2012.2
14.	कोठागुड़म तापीय विद्युत स्टे. पुनर्स्थापन	जापान	जापान येन	5092	1546	1323	415.1
15.	सिंहाद्रि और विजाग सम्प्रेषण प्रणाली	जापान	जापानी येन	10629	–	0	0
16.	श्रीसेलम बांया बांध विद्युत स्टे.	जापान	जापान येन	14499	–	688.9	1352.3
17.	आन्ध्र प्रदेश ऊर्जा कार्यकुशलता	यू.के.	यू.के.पौंड	42.7	1.5	3	0.665
18.	रायलसीमा तापीय विद्युत	एडीबी	अमरीकी डालर	190	26.432	0.138	
19.	आन्ध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	350	–	12.347	10.33
20.	हैदराबाद जलापूर्ति तथा स्वच्छता	आईडीए	अमरीकी डालर	73.542	16.468	9.95	6.753
21.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई–III	आईडीए	अमरीकी डालर	150	–	58.831	8.719
22.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	175	–	–	0
23.	कुर्नूल कुड्डप्पा नहर	जापान	जापानी येन	16049	0	0	103.9
24.	आन्ध्र प्रदेश परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली	आईडीए	अमरीकी डालर	133	6.123	18.628	30.704
25.	आ.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आईडीए	अमरीकी डालर	241.9	–	–	29.108
26.	आ.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	301.3	–	–	32.384
27.	आ. प्र. जनजातीय विकास	आईएफएडी	अमरीकी डालर	21.935	2.486	4.279	1.85
28.	आ.प्र. जनजातीय विकास	आईएफएडी	अमरीकी डालर	7	–	0.182	1.602
29.	आ.प्र. भागीदारी जनजातीय विकास	आईएफएडी	अमरीकी डालर	26.71	1.799	1.874	2.637
30.	पर्यावरण प्रशिक्षण परि. हैदराबाद	स्वीडन	स्वी. क्रोनर	15	0.339	0	–
31.	आन्ध्र प्रदेश विद्यालय भवन	यू. के.	यू. के.पौंड	27.9	0	0	–
32.	यू.के./भारत आ. प्र. जिला प्राथमिक शिक्षा	यू.के.	यू.के.पौंड	42.5	0	2.783	4.092

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	हैदराबाद आवास चरण-2	यू.के.	यू.के.पौंड	14.94	0.182	0	–
34.	विजयवाड़ा आवास सुधार परि.	यू.के.	यू.के.पौंड	16.25	1.619	[illegible]	[illegible]
35.	आन्ध्र प्रदेश विद्यालय स्वास्थ्य	यू.के.	यू.के.पौंड	6.69	0	0.266	–
36.	छिनागदिली क्षेत्र सुधार	यू.के.	यू.के.पौंड	1.5	0	0	–
37.	आ.प्र. गरीबों के लिए शहरी सेवा सुधार	यू.के.	यू.के.पौंड	68.086	–	–	0
	असम						
1.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा	आईडीए	अमरीकी डालर	126	–	1.628	6.935
	बिहार						
1.	बिहार पठार विकास	आईडीए	अमरीकी डा.	117	5.847	13.597	23.694
2.	बिहार में सहकारी ग्रामीण भंडारण केन्द्र	ईसी	यूरो	21.2	0.039	0.019	0
3.	पूर्वी गंडक नहर हाइड्रो	जापानी	जापानी येन	1630	9.1	–	–
4.	डीपीईपी-III	आईडीए	अम. डालर	152	–	4.5	7.891
	गुजरात						
1.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	आईडीए	अम. डालर	99.423	0.439	–	–
2.	कृषि में महिला प्रशिक्षण-गुजरात चरण-2	नीदरलैंड	डच गिल्डर	6.611	–	0	0.474
3.	नाबार्ड आदिवासी कार्यक्रम, गुजरात	जर्मनी	ड्यूशमार्क	26	1.227	1.721	0
4.	पर्यावरण प्रबन्धन क्षमता निर्माण	आईडीए	अमरीकी डालर	50	0	3	0.858
5.	गुजरात वानिकी	जापान	जापानी येन	15760	1285.2	3330.9	3215.5
6.	पिपावव में जहाज तोड़ने का विकास	जापान	जापानी येन	7046	282.2	1771	2425.3
7.	जल संसाधन विकास प्रबन्ध	नीदरलैंड	डच गिल्डर	1.45	–	0	–
8.	अनुदान भारत 1996-06 गोधा क्षेत्रीय जलापूर्ति	नीदरलैंड	डच गिल्डर	19.369	–	0	0
9.	गुजरात स्वास्थ्य देखभाल के लिए ओआरईटी परियोजना	नीदरलैंड	डच गिल्डर	39.826	–	14.935	0
10.	गुजरात स्वास्थ्य देखभाल के लिए ओआरईटी परियोजना	नीदरलैंड	डच गिल्डर	59.739	–	0	35.354
11.	नीदरलैंड अनुदान	नीद. (आईडीए)	अ.डा.	25.8	–	1.627	3.58

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	गुजरात सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबन्ध	एडीबी	अम.डालर	250	100	0	0
	हरियाणा						
1.	मेवात क्षेत्र विकास	आईएफएडी	अम. डालर	15.08	0	0.417	1.404
2.	अरावली पहाड़ियों में साझा भूमि पुनर्वास	ईसी	यूरो	23.2	3.372	1.889	1.768
3.	हरियाणा विद्युत पुनर्संरचना	आईबीआरडी	अम. डालर	2	0	0	
4.	हरियाणा समुदाय वानिकी	ई.सी	यूरो	23.3	–	–	0
5.	जल संसाधन समेकन	आईडीए	अमरीकी डालर	258	30.863	28.441	19.12
	हिमाचल प्रदेश						
1.	हि.प्र. में झींगा पालन प्रायोगिक परि.	नार्वे.	क्रोनर	10	0	0.105	0.046
2.	हि.प्र. वानिकी परियोजना	यू.के.	यू.के.पौंड	3.03	0.387	0.497	0.666
3.	प्रिकुशन टाइप ड्रिलिंग केबल का आयात	जापान	जापा. येन	457.8	–	–	451.5
4.	शिमला मल निकासी परियोजना	ओपेक	अम.डालर	10	–	–	0.101
5.	पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे	नार्वे क्रोनर	12	5.179	2.485	1.049
	कर्नाटक						
1.	भारत–डेनमार्क मछली पालन परियोजना	डेनमार्क	डे. क्रोनर	8.52	0	0	–
2.	कर्नाटक जलसंभर विकास	डेनमार्क	डे. क्रोनर	46.7		0	0.373
3.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण	जापान	जापा. येन	15968		899.2	2273
4.	पश्चिमी घाट वानिकी	यू.के.	यू.के.पौंड	18.074	2.136	3.587	2.935
5.	रायपुर तापीय विद्युत केन्द्र, विस्तार	जापान	जापा.येन	23142	676.1	221.9	–
6.	कालीनदी पन बिजली परि. चरण–2	कुवैत	कुवैती दीनार	7	1.463	0.755	0.201
7.	मैसूर पेपर मिल आधुनि. और पुनर्संज्जा परियोजना	जापान	जापानी येन	2381	420.4	1183.5	515.9
8.	कर्नाटक क्षेत्र स्तरीय अस्पताल विकास	जर्मनी	ड्यूशमार्क	23	0	0.776	0.441
9.	ऊपरी कृष्णा चरण–2	आईडीए	अम. डालर	167.498	16.686	–	–
10.	ऊपरी कृष्णा चरण–3	आईबीआरडी	अम. डालर	45	3.358	3.46	–
11.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई	आईडीए	अम.डालर	92	8.997	8.134	29.119
12.	जलसंभर विकास, कर्नाटक	डेनमार्क	डेनिश क्रो.	48.8	0.329	9.792	–

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	भारत–स्विस भागीदारी जलसंभर विकास	स्वी.	भारतीय रुपए	86.248	38.531	110.9	13.7
14.	यूके/भारत, कर्नाटक जलसंभर विकास	यू.के.	यू.के.पौंड	4.488	0	0	0
15.	कर्नाटक जलसंभर विकास	जर्मन	ड्यूशमार्क	20	0	0	0.172
16.	महिला एवं युवा प्रशि. विस्तार चरण–2	डेनमार्क	डेनिश क्रो.	48.5	2.969	0.848	1.349
17.	एकीकृत ग्रामीण जल एवं सफाई, कर्नाटक	डेनमार्क	डे.क्रो.	50	0	0	0.286
18.	ग्रामीण जल एवं सफाई चरण–2, कर्नाटक	डेनमार्क	डे.क्रो.	65.5	5.121	0	3.771
19.	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम, चरण–2	डेन.	डे.क्रो.	55			0
20.	रायचूर जिला अस्पताल	ओपेक	अम.डालर	9	0.191	0.672	1.754
21.	बंगलौर जलापूर्ति	जापान	जा.येन	28452	0	239.5	668.4
22.	कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास	आईडीबी	अम.डालर	85	3.729	2.747	5.264
	केरल						
1.	केरल मछली, झींगा पालन विकास	कुवैत	कुवैती दी.	7	0.418	0.003	0
2.	केरल वर्षासिंचित खेती विकास	ओपेक	अमरीकी डा.	10	0.481	0.379	0.757
3.	उत्तरी केरल डेयरी चरण–2	स्वी.	भारतीय रु.	167.4	60	0	–
4.	नारियल कार्यक्रम	ईसी	यूरो	45	0	0	–
5.	केरल में कृषि बाजार–उर्वरक की आपूर्ति	ईसी	यूरो	18.65	0	0	0
6.	केरल बागवानी विकास	ईसी	यूरो	28.7	1.94	0	0
7.	केरल वानिकी	आईडीए	अमरीक डा.	39	–	–	3.914
8.	अट्टापाडी बंजर भूमि विकास	जापान	जापानी येन	5112	0	21.9	6.6
9.	केरल जलापूर्ति	जापान	जापनी येन	11997	–	0	0
10.	केरल लघु सिंचाई	ईसी	यूरो	11.8	1.42	0.144	0.864
11.	ग्रामीण पेय जलापूर्ति	डेनमार्क	डे.क्रो.	132.5	0	0	–
12.	यूके भारत कोचीन शहरी गरीबी उपशमन	यू.के.	यूके.पौंड	11.469	0.161	0.169	0.431
	मध्य प्रदेश						
1.	मध्य प्रदेश कृषि में महिलाएं	डेनमार्क	डेक्रो.	12.61	0.985	0	1.937
2.	मध्य प्रदेश वानिकी	आईडीए	अमरीकी डा.	58	7.089	10.467	14.445

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	भोपाल झील संरक्षण एवं प्रबन्ध	जापान	जापानी येन	7055	219.1	340.8	540.6
4.	स्वास्थ्य देखभाल चरण–II	डेनमार्क	डे.क्रो.	62.9	0	0.121	–
5.	संस्कृति अनुदान (भारत भवन, भोपाल)	जापान	जापनी येन	46	46	–	–
6.	मध्य प्रदेश रेशम कीट पालन	जापान	जापानी येन	2212	–	0	50.9
7.	राजघाट नहर सिंचाई	जापान	जापानी येन	13222	–	–	–
8.	पशुधन विकास, बस्तर	डेनमार्क	डे.क्रो.	28.3	1.971	0	0
9.	पश्चिमी म.प्र. में जलसंभर विकास	डेनमार्क	डे.क्रो.	29.2	0	0.949	0.745
10.	रेवा अस्पताल	ओपेक	अमरीकी डालर	10	0	0.409	2.267
11.	इंदौर आवास	यू.के	यू.के.पौंड	14.4	0	0.325	0
12.	ग्रामीण जलापूर्ति	जर्मनी	ड्यूशमार्क	45	0.233	0.169	–
	महाराष्ट्र						
1.	लवण भूमि सुधार	ईसी	यूरो	15.5	–	–	0
2.	महाराष्ट्र वानिकी	आईडी	अमरीकी डा.	107.82	13.701	8.507	19.456
3.	महाराष्ट्र विद्युत	आईबीआरडी	अम.डा.	337.33	61.327	62.513	42.644
4.	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत	आईबीआरडी	अ.डा.	112.253	32.698	0	0
5.	घाटघर पम्पचालित भंडारण	जापान	जापानी येन	11414	124	209.7	856.1
6.	महाराष्ट्र शहरी संयुक्त चक्रीय वि.	जर्मनी	ड्यूशमार्क	310	10.81	0.376	–
7.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, उरान	जर्मनी	ड्यूशमार्क	29.74	12.355	10.592	1.407
8.	औद्योगिक परियोजना	आईडीए	अम.डालर	5	0	0	0.405
9.	मुम्बई पत्तन न्यास	एडीबी	अम.डालर	97.8			0.8
10.	महाराष्ट्र सिंचाई	आईडीए	अम.डालर	187.752	11.151	–	–
11.	तीसरी मुम्बई जलापूर्ति	आईडीए	अम.डालर	127.075	19.674	–	–
12.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	आईडीए	अम.डालर	99.84	26.69	13.024	19.908
13.	आधारभूत वित्तपोषण के लिए अनुदान	आईबीआरडी	अम.डा.	1.5	–	–	0.26
14.	मुम्बई मल व्ययन	आईडीए	अम.डालर	22.884	17.824	0.07	–
15.	मुम्बई मल व्ययन	आईबीआरडी	अ.डा.	167	4.911	26.803	15.397
16.	महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जलआपूर्ति	यू.के.	यू.के.पौंड	16.46	2.271	1.31	0.793

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	जलसंभर महाराष्ट्र II (नाबार्ड)	जर्मनी	ड्यूशमार्क	25	–	0	0
18.	लघु सिंचाई	जर्मनी	ड्यूशमार्क	35	–	28.52	6.48
19.	लघु सिंचाई	जर्मनी	ड्यूशमार्क	45	–	–	0
20.	सहकारिता विकास हेतु जल नियंत्रण	ई.सी.	यूरो	15	1.633	4.045	1.635
21.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	अमरीकी डालर	134	–	–	3.09
22.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	आईएफएडी	अम.डा.	29.442	2.295	3.144	2.215
23.	बुनियादी स्वास्थ्य महाराष्ट्र	जर्मनी	ड्यूशमार्क	20	0	0.741	0.89
24.	आदिवासी विकास कार्यक्रम	जर्मनी	ड्यूशमार्क	28	–	–	0
25.	मुम्बई पुनर्वास और पुनःस्थापना–29399–इन	जापान	जापान येन	67	21.7	5.5	4.2
26.	मुंबई पुनर्वास और पुनः स्थापना–39300–इन	जापान	जापानी येन	16.8	–	–	–
27.	महाराष्ट्र आपातकाल भूकम्प पुननिर्माण	आईडीए	अम.डा.	216.814	68.645	44.686	23.408
28.	महाराष्ट्र आपतिक भूकंप पुनर्निर्माण	यू.के.	यू.के.पौंड	10	0	0.059	–
29.	मुंबई शहरी परियोजना–II	जापान	जापानी येन	286	104.8	87.8	73
	मणिपुर						
1.	मणिपुर रेशमकीट पालन	जापान	जापानी येन	3962	–	0	208.4
	मेघालय						
1.	उमियम पन बिजली केन्द्र नवीकरण	जापान	जापानी येन	1700	0	0	0.1
	उड़ीसा						
1.	भारत–डेनिश व्यापक जलसंभर विकास	डे.	डे.क्रो.	46.3	0.985	2.554	1.49
2.	एकीकृत पशुधन विकास	डेनिश	डे.क्रो.	19.9	0.981	1.017	1.5
3.	टीईडब्ल्यूए चरण–2 उड़ीसा	डेनमार्क	डे.क्रो.	23.69	2.657	3.183	3.096
4.	उड़ीसा सामाजिक वानिकी चरण–2	स्वी.	स्वी.क्रो.	282.5	5.359	0	–
5.	यू.के./भारत पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका	यू.के.	यू.के.पौंड	23	–	–	
6.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	आईबीआरडी	अ.डा.	350	12.11	4.279	7.481
7.	भारत उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार	यू.के.	यू.के.पौंड	42	7	–	12

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन		अम.डालर	290.9	20.019	40.767	30.076
9.	अपर कोलाब सिंचाई	जापान	जापान येन	3769	144.5	377.8	413
10.	अपर इंद्रावती सिंचाई	जापान	जापान येन	3744	529.9	565.4	547
11.	रेंगली सिंचाई	जापान	जापानी येन	7760	–	141.5	664.2
12.	लिफ्ट सिंचाई, उड़ीसा	जर्मनी	ड्यूशमार्क	55	4.955	8.45	8.996
13.	भूमिगत जल ट्रांश–2 का अन्वेषण और प्रबन्ध	आस्ट्रिया	अम.डालर	8.097	0.518	1.076	0.204
14.	उड़ीसा जनजाति विकास	आईएफएडी	अम.डालर	12.2	1.336	3	1.406
15.	उड़ीसा में लघु सिंचाई	ई.सी	यूरो	10.7	–	0.099	0.366
16.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास		अम.डालर	76.4	–	–	3.6
17.	संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम उड़ीसा चरण–I	डेनमार्क	द.क्रो.	54.8	2.124	0	0
18.	उड़ीसा परिवार कल्याण	यू.के.	यू.के.पौंड	18	1.71	0.141	–
19.	उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार, कल्याण चरण 3	यू.के.	यू.के.पौंड	1.748	–	–	0.046
20.	बहुउद्देशीय चक्रवात शरणस्थल, उड़ीसा	जर्मनी	ड्यूशमार्क	5	0.853	2.109	1.371
21.	यू.के./भारत कटक शहरी सेवा सुधार	यू.के.	यू.के.पौंड	11.49	–	0.849	0
22.	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम	नार्वे	नार्वे क्रो.	40	0	7.8	3.699
	पंजाब						
1.	पंजाब वनरोपण	जापान	जापनी येन	6193	–	63.3	567.5
2.	पंजाब सिंचाई	आईडीए	अम.डालर	145.285	29.175	16.402	21.551
3.	पंजाब जल संसाधन प्रबन्ध	जापान जर्मनी	प बं.	2.225	0.29	0.189	0.057
	राजस्थान						
1.	एडीपी राजस्थान कृषि विकास	आईडीए	अ.डा.	106	14.556	11.155	13.136
2.	पावड़ी परियोजना राजस्थान	स्वी.	भारतीय रुपया	77.84	11.5	0	6.55
3.	इंदिरा गांधी वनरोपण	जापान	जापानी येन	7869	520.4	584.5	532.5
4.	वनरोपण परि. अरावली पहाड़ पहाड़ियां	जापान	जापनी येन	8095	1267.3	1213.8	1142
5.	राजस्थान वानिकी विकास	जापान	जापानी येन	4219	602.9	866.8	878.3

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना (आईबीआरडी)	प.बं.	अमरीकी डालर	2	0	0.28	0
7.	राजस्थान कृषि, निकासी	कनाडा	क.डालर	14.988	1.345	2.5	2
8.	डूंगरपुर एकीकृत जलभूमि विकास	स्वी.	स्वी.क्रो.	80	16.842	5.517	10.592
9.	राजस्थान लघु सिंचाई	जर्मनी	ड्यूशमार्क	2.7	0.142	0.176	0.482
10.	राजस्थान लघु सिंचाई–I	जर्मनी	ड्यूशमार्क	12.3	1.118	0.308	–
11.	ईईसी सिद्धमुख और नोहर सिंचाई	ई.सी.	यूरो	45	11.61	1.349	0
12.	अनौपचारिक शिक्षा (शिक्षाकर्मी)	स्वीडन	स्वी.क्रो.	52	0	–	–
13.	शिक्षा कर्मी परि. चरण–2	स्वीडन	स्वी.क्रो.	60	33.654	9.309	161
14.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा		अम.डालर	81.9	–	–	–
15.	लोक जुम्बिश कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा	स्वी.	स्वी.क्रो.	21	–	0	–
16.	लोक जुम्बिश कार्यक्रम चरण–2	स्वी.	स्वी.क्रो.	100	19.109	30.636	31.442
17.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्तिचरण–I	जर्मनी	ड्यूशमार्क	40	1.766	10.383	7.682
18.	राजस्थान ग्रामीण जला पूर्ति चरण–I	जर्मनी	ड्यूशमार्क	95	3.362	10.369	8.677
19.	आवासीय विद्यालय परि. राजस्थान	जर्मनी	ड्यूशमार्क	18	–	0	0
	तमिलनाडु						
1.	तमिलनाडु कृषि विकास	आईडीए	अम.डालर	92.8	15.84	11.094	5.767
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	आईबीआरडी	अम.डा.	20	0	0	9.25
3.	कृषि में तमिलनाडु महिलाएं तन्वा चरण–2	डेनमार्क	दि.क्रो.	58.051	3.822	6.281	7.314
4.	व्यापक जलसंभर विकास रामानाथपुरम		–तदैव–	26.42	0	2.027	3.223
5.	व्यापक जलसंभर विकास, तिरूनलवेली		–तदैव–	68.47	2.956	9.136	4.707
6.	भेड़ विकास	ईसी	यूरो	6	0.479	0	–
7.	तमिलनाडु वनरोपण	जापान	जापा. येन	13324	0	1072	1643
8.	तमिलनाडु सामाजिक वानिकी चरण–2	स्वी.	स्वी.क्रो.	278.3	5.693	0	–
9.	एनएलसी अध्ययन विशेषज्ञ	जर्मनी	ड्यूशमार्क	1.5	0.654	0	–
10.	बेसिल ब्रिज गैस टर्बाइन–2	जापान	जा.येन	11450	639.5	577.4	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	लिग्नाइट खान और विद्युत केन्द्र का विस्तार	जर्मनी	ड्यूशमार्क	375.2	–	18.804	104.972
12.	उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत	एडीबी	अ.डा.	110.391	0.535	–7.168	–1.956
13.	द्वितीय उत्तरी मद्रास तापीय विद्युत		–तदैव–	170	9.124	7.331	7.047
14.	चेन्नई पत्तन न्यास		–तदैव–	15.2	–	–	0
15.	त.ना.लघु उद्योग विकास	जापान	जापानी येन	3198	48.6	–	–
16.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	आईडीए	अम.डा.	282.9	2.064	1.939	19.263
17.	मद्रास जलापूर्ति और सफाई	आईबीआरडी.	अ.डा.	48.259	12.545	–	–
18.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति		–तदैव–	86.5	0.939	9.713	13.265
19.	बैंक सिंचाई प्रणाली (चरण–2) तमिलनाडु	ईसी	यूरो	24.5	1.964	1.723	0.222
20.	दूसरी ता. सा. पोषाहार परि.	आईडीए	अ.डा.	72.844	13.355	4.552	–
21.	तमिलनाडु महिलाओं का विकास	आईएफएडी	अ.डा.	13.15	4.723	2.043	1.616
22.	राष्ट्रीय कोढ़ उन्मूलन चरण–2	डेनमार्क	डे.क्रो.	70	0.65	0	1.515
23.	ग्रामीण जल और सफाई, चरण–2 तमिलनाडु		–तदैव–	60	1.46	0	3.03
24.	स्वास्थ्य देखभाल परि. चरण–3, तमिलनाडु		–तदैव–	66.4	0.51	0	–
25.	स्वास्थ्य देखभाल परि. चरण–3 तमिलनाडु		–तदैव–	102.5	1.947	0	7.899
26.	पुडुकोटाई पशुधन विकास		–तदैव–	22	0	0	–
27.	पुडुकोटटाई पशुधन विकास परि, चरण–II		–तदैव–	51.48	0	0	0
28.	एकीकृत ग्रामीण सफाई और जलापूर्ति	डेनमार्क	डे.क्रोनर	35	0	1.239	–
29.	उपस्कर का सुधार	जापान	जापनी येन	667	–	652.2	9.9
30.	कच्ची सामग्रियों का आयात	जापान	जापानी येन	115.4	–	–	114.9
31.	आईसीडीएस चरण–2	स्वी.	स्वी.क्रो.	55	2.888	0	–
32.	आईसीडीएस चरण–3	स्वीडन	स्वी.क्रो.	60	12.856	16.515	18.669
33.	तमिलनाडु शहरी विकास	आइडीए	अम.डालर	255.667	38.535	25.467	–
34.	चेन्नई मल–व्ययन नवीकरण तथा कार्यकलाप सुधार	जापान	जा.येन	17098	–	214.8	80.4

1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तर प्रदेश						
1.	उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि	आईडीए	अम.डालर	194.1	–	–	0
2.	उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार	आईडीए	अम.डालर	54.7	10.503	8.076	12.227
3.	दक्षिण भागीरथी (उर्वरक की आपूर्ति) चरण–2	ईसी	यूरो	8.4	0	0	–
4.	उत्तर प्रदेश विविधिकृत कृषि	आईडीए	अम.डालर	50	–	–	5.455
5.	उत्तर प्रदेश विविधिकृत कृषि समर्थन	आईडीए	अम.डालर	79.9	–	–	0
6.	उत्तर प्रदेश में उसर भूमि सुधार–अनुदान भारत 1997–2003	नीदरलैंड	डच गिल्डर	4	–	–	0
7.	दूरघाटी एकीकृत जलसंभर प्रबंधन	ईसी	यूरो	22.5	2.369	0.853	5.154
8.	उत्तरप्रदेश में दरों का स्थिरीकरण	ईसी	यूरो	7.9	–	0	0
9.	उत्तर प्रदेश वानिकी	आईडीए	अम.डालर	52.94	–	0	7.425
10.	गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण च–1 पर्यावरण अनुदान 93	यूके	यू.के. पौंड	2.133	0.166	0.067	0.12
11.	अनपारा "ख"	जापान	जा.येन	19318	5605.9	5087.2	2233.9
12.	अनपारा "बी"	जापान	जा.येन	13224	0	–	–
13.	अनपारा "बी" चरण–V	जापान	जा.येन	17638	4722.2	2861.5	1206.9
14.	अनपारा विद्युत पारेषण–II	जापान	जा.येन	12020	700.9	3416.5	1437.2
15.	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र	पं. बंगाल	अम.डालर	2	0.135	–	0.063
16.	उर्वरक की पूर्ति (भीमताल इन्ट)	ईसी	यूरो	4.4	0	0	0
17.	उ.प्र. ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण सफाई	आईबीआरडी	अम.डालर	59.6	2.403	0.703	6.258
18.	अनुदान भारत 1995–04 बुन्देलखंड एकीकृत जल	नीदरलैंड	डच गिल्डर	13.388	1.352	0	0
19.	उत्तर प्रदेश प्राथमिकशिक्षा	आईडीए	अम.डालर	165	35.832	32.636	20.127
20.	उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा–2	आईडीए	अम.डालर	59.4	–	7.5	20.55
21.	बस्ती जिला अस्पताल	ओपेक	अम.डालर	6.5	0	1.436	0
22.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	आईडीए	अम.डालर	127.152	18.381	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
	पश्चिम बंगाल						
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी	आईडीए	अम.डालर	34	8.097	3.474	1.03
2.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	जापान	जा.येन	1525	0	113	96
3.	तीस्ता नहर एचईपी–आईडीपी–40	जापान	जा.येन	8025	210.4	467.1	441.5
4.	तीस्ता नहर एचईपी–आईडीपी72	जापान	जा.येन	6222	1620.1	1012.2	524.2
5.	बकरेश्वर तापीय विद्युत एकक–3 विस्तार	जापान	जा.येन	8659	31.1	2325.5	5283
6.	पुरूलिया पम्प भंडार	जापान	जा.येन	20520	373.7	485.5	384.1
7.	प. बंगाल संप्रेषण प्रणाली	जापान	जा.येन	11087	0	63.3	76.8
8.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत	जापान	जापानी येन	27069	4220.8	12646.3	9907.9
9.	कोलाघाट तापीय विद्युत स्टे. फ्लाई ऐश	जापान	जापानी येन	171	0		–
10.	स्टेरिलाइजेशन तथा दूध पैकिंग एनडीडीबी	फ्रांस	फ्रांक फ्रांस	147.7	0	3.94	–
11.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र परि–2	जापान	जा.येन	34151	–	4.4	11127.1
12.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र एकक–3	जापान	जापा.येन	11537	–		0
13.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र एकक–3 विस्तार	जापान	जा.येन	8659	31.1		–
14.	कलकत्ता परिवहन आधारभूत ढांचा	जापान	जा.येन	10679	0	345	81.5
15.	यूके भारत पं. बंगाल प्राथमिक शिक्षा	यूके	यूके पौंड	37.706	0	0.118	1.5
16.	कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय को सांस्कृतिक अनुदान	जापान	जापा.येन	50		0	50
17.	ग्रामीण जलापूर्ति	जर्मनी	ड्यूशमार्क	50	2.784	5.187	2.966
18.	चिकित्सा और अन्य उपकरणों की खरीद	जर्मनी	ड्यूशमार्क	60	–	–	–
19.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार	यूके	यूके पौंड	16.944	1.291	0.248	0.325
20.	प. बंगाल नगर निगम विकास टी.एफ–25472	आईबीआरडी	अम.डालर	0.927	–	–	0
21.	प. बंगाल नगर निगम विकास टी एफ–25573	आईबीआरडी	अम.डालर	0.469	–	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	पांडिचेरी						
1.	तालाब पुनर्वास परियोजना		यूरो	6.65	0	0	0
	दिल्ली						
1.	दिल्ली व्यापक द्रुतगामी परिवहन प्रणाली		जापानी येन	14760	0	0	248

बहुराज्यीय परियोजना

क्र. सं.	भाग लेने वाले राज्य	परियोजना का नाम	स्रोत	मुद्रा	ऋण/ अनुदान राशि	वर्ष 96-97 के दौरान सवितरण	वर्ष 97-98 के दौरान सवितरण	वर्ष 98-99 के दौरान सवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गुज., राज., उड़ीसा	एकीकृत जलसंभर विकास मैदान (आरएफ) 2131 इन	आईडीए	अम.डा.	55	14.53	7.645	8.34
2.	हि.प्र., जम्मू और कश्मीर., पंजाबए, हरि.	एकीकृत जलसंभर विकास पहाड़ी (आरएफ) 2100–इन	आईडीए	अम.डा.	75	8.028	7.121	11.931
3.	अ.प्र., बि., उ.प्र., प. बं.	झींगा मछली तथा मत्स्य पालन	आईडीए	अम.डा.	36.487	4.049	0	8.022
4.	अ.प्र., हरि., तमिलनाडु	कृषि और मानव संसाधन	आईडीए	अम.डा.	59.5	3.281	6.988	7.808
5.	आ.प्र.ज.क., कर्ना., त.ना., पं बंगाल	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	आईडीए	अम.डा.	134.39	6.262	4.069	–
6.	आ.प्र., त.नाडु	आ.प्र. और तमिलनाडु में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन	स्वीटरलैंड	स्वी.क्रोनर	41.055	0	0	–
7.	आ.प्र., प.बंगाल, त.नाडु, केरल	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन	स्वी.	स्वी.क्रोनर	40	4.422	2.394	–
8.	हि. प्र., कर्नाटक	भारत नार्वे पर्यावरण कार्यक्रम	नार्वे	नार्वे क्रोनर	24	–	0	3.114
9.	हरि., उ.प्र., पं.,त.ना.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	आईडीए	अम.डा.	153	28.168	41.875	36.236
10.	बि., महा., उ.प्र., राज.	राज्य सड़क	आईबीआरडी	अम.डालर	103.375	15.281	4.725	0.039

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	अ.प्र., गुज. हरि., राज., त.ना.	सड़क आधारभूत ढांचा विकास तकनीकी सहायता पीआर–4114–इन	आईबीआरडी	अम.डालर	51.5	3	6.403	8.281
12.	अ.प्र., कर्ना., त.ना.	सड़क सुधार	एडीबी	अम.डा.	172.862	19.231	18.052	2.555
13.	अ.प्र., उ.प्र., उ.,प.बं., राज., कर्ना., के.	द्वितीय सड़क परियोजना–1041–आईएनडी	एडीबी	अम.डा.	250	40.828	40.705	10.865
14.	आ.प्र.	द्वितीय पत्तन	एडीबी	अम.डा.	122.69	18.139	6.864	–
15.	बिहार, यू.पी.	पर्यटन आधारभूत विकास	जापान	जा.येन	9244	1815.5	277.4	1085.8
16.	यू.पी., राज., उ.,त.ना., पं. बंगाल	बांध सुरक्षा परियोजना (आरएफ)	आईडीए	अम.डा.	92.973	10.659	16.144	18.226
17.	अ.प्र., गुज., हरि., महा., के., उ., त.ना.	भारत में पन बिजली	आईडीए	अम.डा.	142	1.609	6.113	16.368
18.	अ.प्र., अ., हरि., हि.प्र., महा., प.बं., त.ना., पं. पांडिचेरी	तकनीकी शिक्षा–2 (आरएफ) 2223–इन	आईडीए	अम.डा.	255.734	35.356	30.046	26.907
19.	बि., गु. कर्ना., के. म.प्र., राज., उ.प्र., उं., गो., प.बं.	तकनीकी शिक्षा (आरएफ) 2130–इन	आईडीए	अम.डा.	210.735	39.476	25.742	36.114
20.	महा., त.ना.	पांचवीं और बम्बई और मद्रास जनसंख्या	आईडीए	अम.डा.	51.174	9.177	–	–
21.	अ.प्र., उ., म.प्र.	समेकित बाल विकास सेवाएं	आईडीए	अम.डा.	74.348	11.333	19.916	1.88
22.	अ., कर्ना., राज.	परिवार कल्याण	आईडीए	अम.डा.	88.6	6.646	13.942	9.714
23.	अ., गु., हरि, हि.प्र., कर्ना., के., महा., म.प्र.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा	आईडीए	अम.डा.	425.2	8.491	16.114	64.006
24.	असम, गु., हरि., ह.प्र., कर्ना. के., महा, म.प्र., उ,उ.,प्र,त.न.	टीवी नियंत्रण	आईडीए	अम.डा.	142.4	0	4.967	0
25.	बि., गु., हरि., कर्ना., म.प्र.,' उ.प्र.	ग्रामीण महिलाओं का विकास	आईडीए	अम.डा.	19.5	–	–	0
26.	अ., मणि., मेघा.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सामुदायिक संसाधन	आईएफएडी	अम.डा.	27.123	7	–	0
27.		अजन्ता अलोरा संरक्षण और पर्यटन विकास	जापान	जा.येन	37.45	644.1	441.7	503.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	मध्य.प्र., महा., राज.	पीएसएस एण्ड पीएसआई द्वारा सामाजिक विपणन	जर्मनी	ड्यूशमार्क	15	0	1.044	2.682
29.	गु., कर्ना., के., म.प्र., राज., प.बं., दिल्ली	आर्थिक विकास परियोजना भूमण्डलीय पर्यावरण	वि.बैंक	अम.डा.	20	–	0.454	1.811
30.		*जिला गरीबी निवारण*	*जापान*	*जा.येन*	*88.3*	–	*43.3*	*4.4*
31.	उड़ीसा, पं.बंगाल	ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	फ्रांस	फ्रांक फ्रांस	3.3	0	–	0

निर्यात के हिस्से में वृद्धि

2906. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागान, कृषि और संबद्ध उत्पादों, चमड़ा और चमड़े से तैयार उत्पादों; अयस्कों और खनिजों, रत्न और आभूषणों के लगातार घटते निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई नए निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि और बागान उत्पादों के निर्यात पर बल देने के लिए सरकार की कोई अग्रगामी योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आगामी वर्षों में आम के गूदे और आम उत्पादों के निर्यात को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार और वस्तु बोर्डों/निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा संबंधित उद्योगों के परामर्श से इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। विदेशी क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; मुख्य आयातक देशों और संभावनायुक्त बाजारों वाले देशों को अभिज्ञात कर लक्षित करना ताकि देश विशेष की समस्याओं का पता लगाया जा सके और मांग में वृद्धि की जा सके; अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/सेमिनारों में भाग लेने पर विशेष ध्यान दिया जाता है; क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की जा रही हैं; अलग–अलग निर्यातकों से संबंधित समस्याओं का पता लगाया जा रहा है।

जहां तक प्राकृतिक रबड़, जो एक बागान फसल है, का संबंध है, भारत परम्परागत रूप से एक निवल आयातक देश रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्यातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा मौजूदा घरेलू कीमतों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कम रहने के कारण अपर्याप्त रही हैं।

(ग) से (च) सरकार, फल जैसे आम और इसके उत्पादों समेत बागवानी एवं कृषि उत्पाद के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाती रही है।

निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं -- अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना; किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण और क्षेत्र विस्तार; श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान; विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, प्रशीतन पूर्व/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी; विदेशी बाजारों में आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना, क्रेता विक्रेता बैठकों और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह–भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना; ताजे फलों और सब्जियों तथा बागवानी उत्पादों जैसे शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर एकीकृत कार्गोसंचालन और शीत भंडार की स्थापना करना।

कोल इंडिया लि. में वजन प्रणाली

2907. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को वर्तमान वजन प्रणाली के कारण उत्पादित कोयले का वजन कम दर्शाने से लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुछ स्वार्थी एंजेसियां इस कार्य में लिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कम तोलने वाली प्रणाली को सुधारने और इसका कंम्पयूटरीकरण करने का है जिससे कि कोल इंडिया लि. के मुख्यालय में भी इसका रिकार्ड दर्ज हो; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध मे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) उत्पादन के समय भार को मापने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। तथापि उपभोक्ताओं को प्रेषण किए जाने के समय कोयले का भार मापने की एक स्थापित पद्धति है।

भार मापने की प्रणाली को कार्य–कुशल बनाने के लिए वे–ब्रिज को इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज में परिवर्तित किया/बदला जा रहा है, जिसमें प्रिंट प्राप्त करने की प्रणाली है। कोयले के सभी प्रेषणों को समाहित करने के लिए कोयला कंपनियों की इलेक्ट्रानिक प्रणाली वाले और अधिक वे–ब्रिजों की स्थापना किए जाने की योजना है।

पाकिस्तान में भारतीय टायर

2908. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय टायर की काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किसी शिष्टमंडल ने व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम के अवसरों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पाकिस्तान में भारतीय टायरों और ट्यूबों की काफी अधिक मांग है।

(ख) किसी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विशेषरूप से टायर और ट्यूब के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के अवसरों का पता लगाने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खनिज भंडार

2909. श्री रामदास आठवले : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतः आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में, खनिजों के विशाल भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त क्षेत्रों के संबंध में इन भंडारों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इन भंडारों में पाए जाने वाले खनिज कौन–कौन से हैं;

(ग) उक्त क्षेत्रों के गर्भ में छिपे खनिज भंडारों का पता चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाएंगे;

(घ) क्या सरकार द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र में खनिजों का पता लगाने के लिए कोई विशेष नीति और कार्यक्रम तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) खनिज भंडार, सामान्यतः दूरस्थ तथा पिछले स्थानों में मिलते हैं जहां आमतौर पर, जनजातियों सहित, समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रहते हैं। देश में 1.1.1996 को महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनिज भंडारों का विवरण तथा वे राज्य जहां, इनकी पहचान की गई है, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सहित, समूचे, देश में खनिजों के विकास के लिए, वर्ष 1993 में, राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की गई थी। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के मूल उद्देश्यों में से एक खनिज संपदा के गवेषण तथा पहचान कार्य को तीव्र करना है। इस नीति के तहत, (सीधे विदेशी निवेश सहित) निजी निवेश आमंत्रित करने तथा वृहद क्षेत्रों में पूर्वेक्षण कार्य करने के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित किये गए हैं। 90,142 वर्ग किमी से भी अधिक क्षेत्र वाले वृहद क्षेत्रों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस के अभी तक, 65 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा, खनन क्षेत्र में 3367 करोड़ रुपए के सीधे निवेश वाले 57 प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया है।

विवरण

(मिलियन टन में)

खनिज	भंडार	राज्य
1	2	3
1. हेमेटाइट	10052	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान।
2. मैग्नेटाइट	3408	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु।
3. मैग्नीज अयस्क	176,477	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
4. क्रोमाइट	88.351	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा तथा तमिलनाडु।
5. सीसा–जस्ता अयस्क	189.55	आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।
6. ताम्र अयस्क	431.046	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।
7. स्वर्ण अयस्क	17.696	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश।
8. हीरा	1,065,056 कैरेट	आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश।
9. टिन अयस्क	28907	मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा।
10. टंगस्टन	25.868	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल।
11. रॉक फास्फेट	146.95	गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश।
12. ऐपेटाइट	13.236	आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल।
13. एस्बेस्टोस	2.295	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
14. बॉक्साइट	2,525	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश।
15. डोलोमाइट	4,967.47	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।
16. ग्रेफाइट	3.109	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु
17. जिप्सम	239.312	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश।
18. चूना पत्थर	76,446	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दमन एवं दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश।
19. मैग्नेसाइट	233.329	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश।
20. कोयला	196,029.88	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।
21. लिग्नाइट	26,150	गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान तथा तमिलनाडु।

[अनुवाद]

कपास का आयात और निर्यात

2910. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों और 1999 में नवम्बर तक कितने कपास का आयात और निर्यात हुआ; और

(ख) देश में विशेषकर हरियाणा में किसानों को वर्ष 1999 और 2000 के दौरान बढ़िया किस्म के कपास के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के आयात और निर्यात की मात्रा निम्नानुसार है :

(170 कि.ग्रा. प्रत्येक वाली लाख गांठ में)

कपास वर्ष	आयात	निर्यात
(अक्टूबर–सित.)		
1996–97	0.30	16.82
1997–98	4.13	3.50
1998–99	7.87	0.9872
1999–2000	शून्य	शून्य
		(26.11.99 के अनुसार)

(ख) भारत सरकार प्रत्येक वर्ष कपास के निर्यात के लिए कोटे का आबंटन करती है। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन परिसंघ लिमिटेड को वर्ष 1999–2000 के चालू कपास मौसम (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान अपरिष्कृत कपास की 10,000 गांठों (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) का निर्यात कोटा आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सहकारी आपूर्ति विपणन लिमिटेड को वर्ष 1998–99 के कपास मौसम के लिए 10,000 गांठें (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) भी आबंटित की गई थीं लेकिन वास्तविक निर्यात शून्य था।

गुजरात को सहायता

2911. श्री जी. जे. जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम, "आई एफ सी", भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, "नाबार्ड" जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा गुजरात को प्रतिवर्ष दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में यह सहायता राशि बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न प्रकार से है :

(करोड़ रुपए)

संस्था	संवितरता	
	1997–98	1998–99
आई.डी.बी.आई.	3186.0	2345.4
आई.एफ.सी.आई.	1344.7	698.8
सिडबी	548.2	323.3
आई.आई.बी.आई.	131.3	256.6
एल.आई.सी.	394.6	169.8
यू.टी.आई.	44.8	142.0
जी.आई.सी.	196.3	122.4
नाबार्ड	56.9	45.2
कुल	5902.8	4103.5
अखिल भारत की तुलना में गुजरात का प्रतिशत भाग	16.9	12.0

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि गुजराज राज्य को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित की गई वित्तीय सहायता, अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है और विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई वित्तीय सहायता की तुलना में इसका स्थान दूसरा है।

कोयला उद्योग में संयुक्त द्विपक्षीय समिति

2912. श्री विकास चौधरी : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला उद्योग में कोल इंडिया लि.

के निदेशक मंडल द्वारा संयुक्त द्विपक्षीय समिति को समाप्त करने के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कोयला उद्योग संघों ने कोल इंडिया लि. के निर्णय का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा इस मामले का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 16.7.1999 को एक संकल्प पारित किया था कि कोयला विभाग को कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) को समाप्त करने तथा अनुषंगी कंपनियों के भुगतान करने की क्षमता के अनुसार अनुषंगी कंपनियों के स्तर पर मजदूरी समझौता करने से संबंधित सिफारिश की जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) जेबीसीसीआई अभी भी विद्यमान है और समझौते की कार्रवाई प्रगति पर है। जेबीसीसीआई को समाप्त करने से संबंधी अब तक कोल इंडिया लि. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्क देशों को निर्यात

2913. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्क सदस्य देशों के साथ विकास को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात में तेजी लाने हेतु नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्क देशों के साथ व्यापार की समीक्षा का ब्यौरा क्या है, तथा 1999–2000 के लिए अनुमान सहित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन (सार्क) देशों के बीच कितने व्यापार शिष्टमंडलों ने दौरा किया तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सार्क सदस्य देशों में क्षेत्रीय विकास का संवर्धन करने तथा क्षेत्र के भीतर निर्यात में वृद्धि करने के लिए सदस्य देशों द्वारा मिल–जुल कर प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों की समय–समय पर समीक्षा की जाती हैं। इस प्रकार के उपाय हैं : अंतः क्षेत्रीय व्यापार के लिए गैर–टैरिफ अवरोधों को हटाना, सीमाशुल्क प्रक्रियाओं तथा विनिमयनों से संबंधित मामलों में सहयोग करना, क्षेत्र में निवेशों का संवर्धन एवं संरक्षण, दोहरे कराधान से बचाव, मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण, व्यापार के सिलसिले में अन्तः क्षेत्रीय आवागमन को बढ़ाने के लिए वीजा की सुविधा देना तथा सार्क के तत्वावधान में व्यापार मेलों का आयोजन करना। इसके अतिरिक्त, व्यापार से जुड़े मामलों पर सार्क क्षेत्र के देशों नामतः नेपाल, श्रीलंका, बंग्लादेश और मालदीव के साथ विचार–विमर्श करने के लिए द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। दिनांक 1.8.1998 से, लगभग 2000 मदों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है यदि उनका आयात सार्क सदस्य देशों में किया जाता है।

(ग) और (घ) व्यापार से जुड़े मामलों की समीक्षा हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कुछ सार्क सदस्य देशों को भेजे गए और वहां से आए प्रतिनिधिमडलों के वर्ष–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1996-97

(i) भारत नेपाल व्यापर, भूमि आबद्ध नेपाल हेतु सुविधाओं तथा अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने में सहयोग संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए काठमांडु में दिनांक 4 जुलाई, 1996 को वाणिज्य सचिव के स्तर पर बातचीत हुई थी।

(ii) 20–22 जनवरी, 1997 को अन्य बातों के साथ–साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए कोलम्बो में भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र की बैठक का आयोजन किया गया था।

(iii) 10–11 मार्च 1997 को अन्य बातों के साथ–साथ व्यापार तथा वाणिज्य में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में भारत बंग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की पांचवीं बैठक का आयोजन किया गया था।

1997-98

द्विपक्षीय व्यापार नेपाल के लिए पारगमन सुविधाएं तथा अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने में सहयोग से संबंधित मामलों की समीक्षा हेतु 3.–31 मार्च 1998 को नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव के स्तर पर बातचीत की गयी थी।

1998-99

(i) 8–15 सितम्बर, 1998 के दौरान श्रीलंका में दूसरे सार्क

व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। इस व्यापार मेले में भारत दिवस का उद्घाटन करने के लिए वाणिज्य सचित ने कोलोम्बो का दौरा किया।

(ii) द्विपक्षीय व्यापार नेपाल के लिए पारगमन सुविधाएं तथा अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने में सहयोग से संबंधित मामलों की समीक्षा हेतु 17–20 सितम्बर, 1998 को काठमांडू में वाणिज्य सचिव के स्तर पर बातचीत की गयी थी।

(iii) भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा के लिए 10 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव के स्तर पर बातचीत की गयी थी।

(iv) भारत तथा नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार, भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल के लिए पारगमन सुविधाएं तथा अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने में सहयोग से संबंधित मामलों की समीक्षा हेतु 17–18 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव के स्तर पर बातचीत की गयी थी।

(v) 7–9 दिसम्बर, 1998 को ढाका, बंग्लादेश में वाणिज्य सचिव के स्तर पर द्विपक्षीय व्यापार समीक्षा संबंधी बातचीत की गयी थी;

(vi) 14–15 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में वित्त व्यापार और निवेश संबंधी भारत–श्रीलंका उप–आयोग के चौथे सत्र का आयोजन किया गया था।

(vii) वाणिज्य मंत्री ने भारत नेपाल पारगमन संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए 5 जनवरी,1999 को काठमांडू का दौरा किया।

(viii) वाणिज्य मंत्री ने भारतीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए 8–10 मार्च, 1998 को ढाका का दौरा किया।

ऊपर उल्लिखित व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के अतिरिक्त अंतः क्षेत्रीय व्यापार पर टैरिफों को कम करने क लिए सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के अंतर्गत सात सदस्य देशों के संबंधित अधिकारियों द्वारा बातचीत के तीन दौर आयोजित किए गए हैं।

इन उपायों के कारण सार्क देशों के साथ भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है। इसके आंकड़े नीचे दिए गए हैं–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	भारत से सार्क देशों को निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत
1996–97	5841.22	2.32
1997–98	6987.10	19.62
1998–99	7186.64	2.86

वर्ष 1999-2000 के लिए अनुमान :

नियंत्त निष्पादन, निर्यात के देश में निर्यात अधिशेष और क्षेत्र में अन्य देशों में आयात अपेक्षाओं जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तथापि पिछले वर्षों के दौरान हुई औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष 1999–2000 के लिए लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया जा सकता है तथा इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र को लगभग 7,800 करोड़ रुपये के निर्यात हो सकते हैं।

अफीम का उत्पादन

2914. श्री रामसागर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अफीम के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अफीम उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अफीम उत्पादन में कमी के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संदर्भ में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) महोदय, फसल वर्ष 1997–98 के दौरान, अफीम के उत्पादन में फसल वर्ष 1996–97 की तुलना में क्या कमी हुई थी। गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :

फसल वर्ष	70° संशक्ति वाली अफीम का उत्पाद (टनों में)
1996–97	1271
1997–98	335
1998–99	1248 (अनन्तिम)

(ग) से (ङ) फसल वर्ष 1997–98 के दौरान अफीम के उत्पादन में कमी खराब मौसम, बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण हुई थी, जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है।

राजधानी में हेरोइन बनाने की प्रयोगशाला

2915. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 दिसम्बर, 1999 के "एक्सप्रैस न्यूजलाइन में" रिवाल्ड : हेरोइन नाउ कांटेज इंडस्ट्री इन सिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने हेरोइन बनाने वाली प्रयोगशाला के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रयोगशाला के मालिक की आय और उसके द्वारा कर के भुगतान का आकलन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, चेन्नई के अधिकारियों ने 20.11.99 को बंगलौर में एक होटल से 18.830 कि.ग्रा. हेरोइन का अभिग्रहण किया। दिल्ली के सयद आबू अला नामक व्यक्ति को, जो कथित रूप से दिल्ली से हेरोइन ले गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। 29.11.99 को अनुवर्ती जांच–पड़ताल करने और उनके व्यावसायिक एवं रिहायशी परिसरों की तलाशी लेने पर 32.500 कि.ग्रा. हेरोइन और 70 लिटर एसेटिक एनहाइड्राइड तथा कुछेक अन्य रसायनों एवं उपकरणों की बरामदगी हुई। सैयद आबू अला के पुत्र एवं पत्नी सहित तीन अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अभियुक्तों की आय और सम्पत्ति का निर्धारण करने और उनके द्वारा दिए गए कर का पता लगाने के लिए वित्तीय जांच–पड़ताल आरंभ की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों का निरीक्षण

2916. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को लेखा–परीक्षकों द्वारा बैंकों का निरीक्षण करके दिए गए निष्कर्षों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही संबंधी रिपोर्टों पर बैंकों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक–वार क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत बैंकों का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के निष्कर्षों के बारे में बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ विचार–विमर्श किया जाता है। आर.बी.आई. की निरीक्षण रिपोर्ट भी निदेशक मण्डल के समक्ष रखी जाती है और बैंक, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आर.बी.आई. को भेजता है। आर.बी.आई. सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तब तक मामले की निगरानी करता रहता है जब तक कि आर.बी.आई. की संतुष्टि के अनुसार कमियां दूर नहीं हो जाती हैं। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसलिए पूछे गए अनुसार मामलों के ब्यौरों की सूची बनाना सम्भव नहीं है।

राज्यों में मूल्यवर्धित कर–(वीएटी)

2917. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में मूल्यवर्धित कर (वीएटी) के क्रियान्वयन पर सभी विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए एक सर्वोच्च स्वायत्त निकाय का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो हर राज्य किस प्रकार निर्यात और अन्तर्राज्यीय व्यापार के प्रयोजनार्थ सभी सामानों के वर्गीकरण की एकरूपता सुनिश्चित करने की अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे; और

(ग) राज्यों में मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जाने का/कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 16.11.1999 को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाए गए मुख्य–मंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 1.4.2001 से सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मूल्य वर्धित कर लागू किया जाएगा। अन्तरिम अवधि का उपयोग पूर्वापायों कम्प्यूटरीकरण सहित प्रशिक्षण तथा प्रचार के लिए किया जाएगा। इस संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

खनिज भंडारों की खोज

2918. श्री राजो सिंह : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत वर्षों के दौरान बिहार में खनिज सम्पदा की संभावना का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या सरकार परिणामों से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) राज्य में खनिजों के लिए गवेषण कर रहे हैं। इस खोज के परिणामस्वरूप, कोयले के (474 मिलियन टन) और तांबा अयस्क के (6.04 मिलियन टन) संसाधनों का पता चला है। खोज के परिणाम संतोषजनक हैं।

[अनुवाद]

नए सिल्क वर्क-बेड का विकास

2919. श्री सुरेश सम्पराव जाधव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सिल्कवर्क बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने एक ऐसे नए सिल्क वर्क–बेड का विकास किया है जो सिल्कवर्क समूहों में बीमारी के प्रसार को रोकने में रोगाणुनाशी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोगाणुनाशी के उत्पादन और विपणन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत रेशमकीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने "रेशम ज्योति" नामक एक व्यापक स्पेक्ट्रम वाली नई बेड रोगाणुनाशी प्रक्रिया का विकास किया है जो कि रेशमकीट के ग्रैसियरी, बैक्टेरियल व इन्फेक्शियस फ्लैचेरि तथा मसकर्डाइन रोगों के लिए कारगर है।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा स्थापित और देशी प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग करने में कार्यरत राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से उक्त बेड–डिसइन्फैक्टैंट का वाणिज्यिकीकरण करने की कार्रवाई शुरू की है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने इस बेड–डिसइन्फैक्टैंट का उत्पादन शुरू करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड की ओर से मैसर्स दुर्गा बायाटैक, बंगलौर के साथ एक करार किया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दस वर्षों की अवधि के लिए गैर–विशिष्ट आधार पर छः लाख रुपए के एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करने पर इस फर्म को लाइसेंस दिया जा रहा है। जनवरी, 2000 में इसका उत्पादन शुरू होने की आशा है।

थ्रेट फ्रॉम रीज़नल ट्रेड पैक्ट्स

2920. श्री जी. एस. बसवराज : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1999 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "थ्रेट फ्रॉम रीज़नल ट्रेड पैक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षिक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई भारतीय निर्यातकों ने शिकायतें की हैं कि पश्चिम देशों में संरक्षणवाद एक बढ़ता हुआ खतरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डब्ल्यू टी ओ के सभी सदस्यों को डब्ल्यू टी ओ के विभिन्न करारों के अंतर्गत उनके द्वारा की गई वचनबद्धताओं के दायरे में अपने घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की अनुमति है। यदि ऐसा समझा जाता है कि किसी सदस्य की कार्रवाई या नीति से संबद्ध सदस्य के दायित्वों का उल्लंघन होता है अथवा घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है तो डब्ल्यू टी ओ का विवाद निपटान तंत्र उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था करता है। पश्चिमी

बाजारों में संरक्षणवाद के बारे में भारतीय निर्यातकों से शिकायत प्राप्त होने पर सरकार ने द्विपक्षीय आधार पर संबद्ध देशों के साथ मामला उठाया है। अभी तक, भारत ने विवाद निपटान निकाय (डी एस बी) में नौ मामले उठाये हैं। ये सभी मामले भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की अनुमति देने से इन्कार करने से संबंधित हैं। इसमें शामिल देश/क्षेत्र हैं– यूरोपीय संघ (तीन मामले), यू एस ए (तीन मामले), पोलैंड (एक मामला), तुर्की (एक मामला) और दक्षिण अफ्रीका (एक मामला)। चार मामलों में, डी एस बी ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया है, एक को समाप्त कर दिया गया है, एक को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया है जबकि तीन मामले चल रहे हैं।

नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण

2921. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड से केवल संकर नस्ल के पशुओं का ही वित्तपोषण किया जाता है और देसी नस्ल के पशुओं (गाय और बैल) के वित्तपोषण की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नाबार्ड ने देसी नस्ल के पशुओं के वित्तपोषण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राष्ट्र में कृषि एवं इससे सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) एवं वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देता है। नाबार्ड से पुनर्वित प्राप्त करने के लिए पशुपालन महत्त्व वाले क्षेत्र का एक कार्यकलाप है। नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र पशुओं की कोटि नीचे दी गई है :

वित्तपोषण के लिए पशु स्थापित नस्ल (डिस्क्रिप्ट) अर्थात पहचाने योग्य नल्स का होना चाहिए जिसमें मुर्राह, सुरती, मेहसाना, धारवाड़ी, नागपुरी, भदवाड़ी अथवा ऐसी कोई स्थापित स्थानीय नस्ल अथवा स्थापित स्थानीय नस्ल को अपेक्षाकृत अच्छे नस्ल के सांड के साथ संकरण करके प्राप्त उन्नयित कोटि वाली भैंसे शामिल हैं। गाय के साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, राठी, गिर, ओंगोल, देवनी अथवा समुन्नत विदेशी सांड से संकर नस्ल की हो सकती हैं।

बैंक शाखाओं का बन्द होना

2922. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत–सी शाखाएं बन्द कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, आन्ध्रा बैंक से उपलब्ध जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्रों में स्थित दो बैंक शाखाओं को बन्द कर दिया गया था क्योंकि उन्हें अर्थक्षम नहीं पाया गया था।

यू. टी. आई. की परिसम्पत्तियों का निवल मूल्य

2923. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपनी परिसम्पत्तियों के निवल मूल्य में परिवर्तन किया था;

(ख). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परिवर्तन द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के छोटे निवेशकों की किस तरह सहायता किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लाभ छोटे निवेशकों तक नहीं पहुंच रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि यू.टी. आई. "निवेशक" अनुकूल तंत्र अपनाएं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा और नए निवेशकों को उनके निवेशों का वास्तविक बाजार मूल्य वसूल करने में समर्थ बनाने के लिए यू.टी.आई. ने अपनी 20 इक्विटी योजनाओं, जो 29 नवम्बर, 1999 से सतत् आधार पर बिक्री और/अथवा पुनः क्रय के लिए उपलब्ध हैं, के लिए पारम्परिक निवल परिसम्पत्ति मूल्य से भावी निवल परिसम्पत्ति मूल्य में परिवर्तन कर लिया है। नई प्रणाली के अन्तर्गत; यूनिटों की बिक्री अथवा

पुनः–क्रयः आवेदनपत्र स्वीकार करने की तारीख को निवल परिसम्पत्ति मूल्य के आधार पर प्रभावी होता है। यह क्रिया अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुरूप है और इस प्रकार इसे सभी निवेशकों अर्थात् मौजूदा, इससे बाहर निकलने वाले और भावी, को लाभ देने के लिए शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रत्येक यू.टी.आई योजना के अन्तर्गत सभी लाभ प्रचालन की लागत निकालकर, संबंधित योजनाओं के निवेशकों को दे दिए जाते हैं।

रेशम उद्योग के विकास के लिये व्यापक योजना

2924. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रेशम शहतूत और टसर रेशम कीड़ों के विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना/व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान आज तक राज्य–वार उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक हुई प्रगति का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री थिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) नौंवी योजना में अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी के अंतरण, राज्यों को बीज समर्थन और सहायता द्वारा शहतूती अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन 6000 हजार टन और गैर–शहतूती रेशम का उत्पादन 540 टन तक बढ़ाने की परिकल्पना है। सातवीं योजना से चल रही पूर्वांचल रेशम उत्पादन परियोजना और पूर्वोत्तर कार्य योजना के अतिरिक्त भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से नौंवी योजना के दौरान 36 उत्प्रेरक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश और मणिपुर के राज्यों ने क्रमशः तसर और शहतूती रेशम उत्पादन के सम्बन्ध में विदेश आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ), जापान की वित्तीय सहायता से परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त यू. एन. डी. पी. की सहायता से फाईबर और हस्तशिल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर–शहतूती क्षेत्र में विकास कार्यक्रम क्रियान्वियत किये जा रहे हैं। भारत सरकार ने राज्यों के सहयोग से नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 89.27 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 36 उत्प्रेरक विकास योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने समस्त 36 उत्प्रेरक विकास योजनाओं की पेशकश की है और उन्हें अनुरोध किया है कि पूर्व अनुमान और प्रस्ताव भेजें। मध्य प्रदेश सरकार ने 429.54 लाख रुपए के कुल परिव्यय की 21 योजनाओं का प्रस्ताव किया है जिसका क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सितम्बर, 1999 तक 90 लाख रु. की राशि जारी की है।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 124.79 लाख रुपए के कुल परिव्यय वाली प्रस्तावित 10 उत्प्रेरक योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सितम्बर, 1999 तक 41.46 लाख रुपए की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के 7 तसर रेशम का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों के लिए एककीकृत ट्रोपीकल तसर विकास परियोजना तैयार की जा रही है।

(ग) वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 (सितम्बर 1999 तक) के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जारी की गई निधियों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अपरिष्कृत रेशम उत्पादन वर्ष 1996–97 में 14126 एम.टी. से बढ़कर वर्ष 1998–99 के अन्त तक 15444 एम.टी. हो गया। इस उपलब्धि के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

उपर्युक्त विकासात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड कुछ संयुक्त परियोजनाएं क्रियान्वियत कर रहा है (जो कि आठवीं योजना से जारी हैं)। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सितम्बर, 1999 तक जारी/खर्च की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

लाख रुपये

क्र.सं.	संयुक्त परियोजनाएं	1999–2000 (सितम्बर, 1999 तक) कुल रिलीज
1.	पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन के विकास की परियोजना (पूर्वांचल परियोजना)	0
2.	पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन विकास के लिए कार्य योजना।	0
3.	मध्य प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उपजाये जाने वाले तसर कोषों का विकास	0.00
	संयुक्त परियोजनाओं की कुल राशि	0.00

विवरण-I

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा रिलीज किये गये निधि			
		1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
(क)	**परंपरागत राज्य**				
1.	कर्नाटक	19.63	13.88	119.95	67.18
2.	तमिलनाडु	13.12	1.19	137.92	21.00
3.	जम्मू एवं कश्मीर	0.72	11.56	67.36	6.96
4.	आंध्र प्रदेश	5.41	0.14	91.22	44.82
5.	पश्चिम बंगाल	2.44	0.37	64.74	1.14
	उपयोग–क	41.32	27.14	481.19	141.10
(ख)	**गैर परंपरागत राज्य**				
6.	महाराष्ट्र	5.47	9.19	32.08	0.19
7.	मध्य प्रदेश	3.09	1.90	77.03	10.95
8.	उड़ीसा	4.04	2.16	75.54	3.95
9.	बिहार	2.58	0.39	7.49	1.62
10.	उत्तर प्रदेश	64.45	4.63	24.68	1.22
11.	केरल	0.16	0.18	8.18	0.33
12.	गुजरात	0.13	–	2.67	0.12
13.	पंजाब	0	–	0.58	–
14.	हरियाणा	0.57	–	0.75	–
15.	हिमाचल प्रदेश	0	–	1.05	–
16.	राजस्थान	0.09	0.14	3.24	–
17.	सिक्किम	0	–	2.72	–
	उपयोग–ख	80.58	18.59	236.01	18.38
(ग)	**पूर्वोत्तर राज्य**				
18.	असम	92.48	6.31	62.41	3.87
19.	अरुणाचल प्रदेश	24.98	–	2.91	–
20.	मणिपुर	17.63	0.31	0.17	–
21.	मेघालय	90.00	–	3.62	0.27
22.	मिजोरम	12.20	–	54.42	5.01
23.	नागालैंड	8.95	0.40	13.16	–
24.	त्रिपुरा	47.81	–	4.88	2.41
	उपयोग	293.55	7.02	141.57	11.56
	कुल योग क+ख+ग	415.45	52.75	858.77	171.04

विवरण-II

नौंवीं योजना (1997–98 से 2001–2002) के दौरान सी एस बी द्वारा क्रियान्वित की जा रही उत्प्रेरक विकासात्मक योजना 1997–98 से 1999–2000 (सितं. 99 तक) से योजनावार और राज्यवार वास्तविक उपलब्धियां)

क्र.सं.	योजना/ परियोजना कार्यक्रम का नाम	परंपरागत राज्य (5 #)					पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर गैर-परंपरागत राज्य 12 (#)												पूर्वोत्तर राज्य (7 #)							कुल
		कर्नाटक	तमिलनाडु	ज. एवं क.	आन्ध्र प्रदेश	पं. बंगाल	महाराष्ट्र	म.प्र.	उड़ीसा	बिहार	उ.प्र.	केरल	गुजरात	पंजाब	हरियाणा	हि.प्र.	राजस्थान	सिक्किम	असम	अ. प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैण्ड	त्रिपुरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	उद्योग को उत्प्रेरक विकासात्मक सहायता																									
1.	मल्टी एंड रीलिंग एककों के प्रयोग को बढ़ाकर कच्चे रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना	*					*				*															*
	वास्तविक (एककों की सं.)	53	18	6	8		10	1			13															109
2.	हथकरघा रेशम प्रसंस्करण के लिए साझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना वास्तविक (एककों की सं.)	1	3		3			1	1										1							10
3.	उद्यम विकास कार्यक्रम वास्तविक (प्रशिक्षण कार्यक्रम की सं.)	14	4	1	4	3			1			1							2		1					30
4.	कोटि के रेशम के उत्पादन के लिए कृषि केन्द्रों का सृजन वास्तविक (एककों की सं.)	2		2							2															6
5.	रेशम क्षेत्र के लिए गुणवत्ता वृद्धि के लिए सहायता वास्तविक (एच एम आई एककों की सं.)																									

* 1996-97 के दौरान स्थापित किये गये 49 एकक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6.	रीलिंग इकाइयों को सहायता वास्तविक (1) कार्यशील पूंजी सहायता (इकाइयों की संख्या)	1		4					28		–															5 +28
	(2) प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि (कच्चे रेशम की मात्रा-मे.ट.)			39					1		30															70
7.	रीलिंग क्षेत्र में विकास आधुनिकीकरण का प्रदर्शन वास्तविक (ओवन्स की सं.)																									
8.	विभागीय ओवन्स के द्वारा संचालन संस्थान प्रौद्योगिकी की संस्थापना वास्तविक (ओवन्स की सं.)	300	20			280																				600
9.	उपचारात्मक प्रयोग विकास परियोजनाएं वास्तविक (परियोजनाओं की सं.)							5	4																	9
10.	रेशम कीटपालन परिवारों पर परियोजना के लिए आईएसडीपी को सहायता वास्तविक (परियोजनाओं की सं.)						1																			1
11.	राज्यों को उत्प्रेरक विकासात्मक सहायता																									
	[illegible]																									
12.	राज्यों में उन्नत [illegible] बीज का सृजन वास्तविक (डीएफएल/[illegible] की मात्रा-लाख सं.)	7.14	1.35	–	4.50	0.18	0.90	3.99	1.20	0.39		1.50	1.20					0.80		0.50			1.20		0.12	24.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13.	नये शहतूती रेशम उत्पादकों को आंशिक टूलस का फार्म ट्रेनिंग तथा आपूर्ति वास्तविक (टूल किट्स की सं.)		600	1000	1000	354	1809		1000			550						80					1100		266	7759
14.	गैर परम्परागत राज्यों में बीज तथा रीलिंग में मौजूदा राज्य/पैरास्टेटल/सहकारी आधार-संरचना के उपकरण उन्नयन के लिए सहायता वास्तविक (एककों की सं.)							5															10		1	16
15.	टपकन सिंचाई के माध्यम से संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकीय का संवर्धन वास्तविक (हेक्टेयर)	225	220		200																					645
16.	राज्यों को मास्टर रीलर सहायता वास्तविक (मास्टर रीलर्स की सं.)							3	1	1		2											1			8
17.	शहतूत के लिए फसल बीमा सहायता वास्तविक (लाख डी एफ एल एस)																									
वन्य						0.70																				0.70
18.	बीज गुणन आधार-संरचना के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता वास्तविक (एककों की संख्या)								1																	1
19.	ट्रॉपिकल तसर के लिए उन्नत रीलिंग/स्पिनिंग के उन्नयन तथा लोकप्रियता के लिए अभिकरणों (एनजीओ/सहकारी समिति) को सहायता वास्तविक (युनिटों की सं.)				2	52	10	126	82	46	9															**327

**इसके अतिरिक्त, 1999-2000 के दौरान 69 एककों के लिए प्राप्त मांग सूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20.	प्रचार के लिए चल्लू बीज सहायता वास्तविक (लाख की एक एक एवं)					1.20																				1.20
एरी																										
21.	आर्थिक पूल की आपूर्ति एवं प्रशिक्षण सहित एरी मूल बीज में व्यक्तिगत पीसारोपण का प्रदर्शन वास्तविक (सभी एकड़ इकाई की सं.)																		392	30		102	142	96		762
22.	बीज पुनः बाल-संरचना के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता वास्तविक (केन्द्रों/चाकी पालकों की सं.)																		3				2	1		6
23.	उन्नत एरी चिकित्सा उपकरणों के उन्नयन एवं प्रचार के लिए अभिकरणों (एनजीओ/सहकारी समिति) को सहायता वास्तविक (उपकरणों की सं.)																		98		2					100
मूगा																										
24.	मूल खाद्य पौधों की वृद्धि वास्तविक-(एकड़)																		679	100	50	134	75	50		1084
25.	मूल संस्कृति अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण एवं आर्थिक ट्रूल देना वास्तविक (ट्रूल किट्स की सं.)																					57				57
26.	बीज पुनः आधारसंरचना के उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता वास्तविक (इकाई की सं.)																		6				2	1		9
27.	कोटि के मूल बीज के उत्पादन के लिए निजी चाकी पालकों का समुन्नयन के लिए राज्यों को सहायता वास्तविक (चाकी पालकों की सं.)																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	28. मूगा के लिए उन्नत रीलिंग/स्पिनिंग उपकरणों के प्रचार के लिए अभिकरणों (एनजीओ/सहकारी समिति) को सहायता वास्तविक (उपकरणों की सं.)																		101	5		4				110
	29. मूगा के लिए फसल बीमा सहायता वास्तविक (लाख डीएफएलएस–मांग निर्भरता)																									
	30. कोटि के संक्रमण उत्पन्न करने वाली सामग्रियों की आपूर्ति को संवर्धन करने हेतु सहायता वास्तविक (किसानों की सं.)			34540		80000		13500	11000																	139040
	संचालन																									
	31. गैर–परंपरागत राज्यों में पुष्पता से संबंधित कोकून क्रय प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता वास्तविक (कोकून–एकड़)							350	471																	821
	32. पुष्पता से संबंधित यार्न क्रय प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता वास्तविक (मात्रा के योग्य नहीं)																									
	33. राज्यों द्वारा अपनाये गये प्रदर्शनात्मक प्रकार के रीलिंग पूर्व उत्पादकता उन्नत उपायों के लिए सहायता वास्तविक (सामग्रियों की संख्या)	200		3600	20	50		110		18	150 [illegible]							उपकरण					100			4230 +18 [illegible]
	34. अनुसंधान, परामर्श सेवाओं और संगोष्ठियों के लिए सहायता वास्तविक (मात्रा के योग्य नहीं)																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35.	डाटा बेस विकास के लिए सहायता वास्तविक (मात्रा के योग्य नहीं)																									
36.	क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तार और प्रचार सामग्री की तैयारी के लिए सहायता वास्तविक (मात्रा के योग्य नहीं)																									
37.	उत्पाद विकास, विविधीकरण तथा क्षेत्र आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए सहायता वास्तविक (परियोजनाओं की सं.)							1	1														5			7
	संयुक्त परियोजनाएं **																									
1.	पूर्वी उ.प्र. (पूर्वांचल परियोजना) में रेशम उत्पादन के विकास के लिए परियोजना वास्तविक (हैक्ट-एकड़)										1051															1051
2.	पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन विकास के लिए कार्य योजना वास्तविक (हैक्ट-एकड़)																		792	331	341	-	302	270	435	2471

अल्युमुनियम संयंत्र "पाट्स" का नुकसान

2925. श्री भर्तृहरि महताब : क्या खान और खनिज मंत्री अंगुल, उड़ीसा स्थित नाल्को में पाट्स को नुकसान के बारे में 23 जुलाई, 1998 तथा 3 दिसम्बर, 1998 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 5346 और 191 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या इस नुकसान और क्षति के लिये किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार भविष्य में किसी दुर्घटना को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) नालको के अंगुल स्थित एल्यूमिनियम प्रगालक के लिए उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप स्थिति सामान्य हो गई है। संकट से पूर्व प्रचालनाधीन पाट्स की संख्या 430 थी संकट के दौरान यह संख्या घटकर 238 पाट्स रह गई और अब (30.11.1999) की स्थिति के अनुसार) यह संख्या बढ़कर 455 हो गई है।

(ख) और (ग) कंपनी के तीन कार्यपालक निदेशकों में प्रबंधकीय योग्यता और नेतृत्व सम्बंधी गुणों का अभाव पाया गया था। इसके कारण पाट्स लाइनों में समस्या उत्पन्न हुई और परिमाणस्वरूप कम उत्पादन हुआ। इनमें से दो कार्यपालक निदेशक, जिनमें तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल था, को 58 वर्ष की आयु पर, सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं। तीसरे कार्यपालक निदेशक को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है।

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कंपनी स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रचालन पैरामीटरों की कड़ी निगरानी की जाती है और सरकार द्वारा समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

आस्ट्रेलिया के साथ समझौता

2926. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने हाल में फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के साथ भारत के व्यापार में आगे कहां तक और सुधार हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (बी. आई. पी. ए.) पर 26-2-99 को हस्ताक्षर किए गए।

(ख) जर्मनी और फ्रांस के साथ बी. आई.पी.ए. पर क्रमशः 10-7-95 और 2-9-97 को हस्ताक्षर किए गए।

(ग) आस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के संबंध में व्यापार संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

देश	1997-98		1998-99		1999-2000 (अप्रैल-अगस्त) (अमरीकी मिलियन डॉलर)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
आस्ट्रेलिया	438.27	1485.56	389.79	1493.08	166.30	465.47
फ्रांस	759.66	797.74	842.51	726.311	353.23	235.83
जर्मन संघीय गणराज्य	1925.30	2528.84	1884.61	2138.73	735.02	692.73

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

2927. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मंगलौर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में मंगलौर में दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमोदन मांगा था। योजना के अनुसार, किसी राज्य के दूसरे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना पर केवल तभी विचार किया जा सकता है, जब पहले की स्थापना की जा चुकी हो और वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा हो। इस शर्त के अधीन, वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क से संबंधित अंतर–मंत्रालयीय संचालन समिति ने सैद्धान्तिक रूप से मंगलौर में दूसरे पार्क की स्थापना के प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया है, लेकिन इस बारे में कोई वित्तीय वचनबद्धता नहीं की गई है।

सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को सहायता

2928. श्री टी. गोविन्दन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र की बुनाई मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की है। तथपि, भारत ने सहकारी क्षेत्र की बुनाई मिलों सहित वस्त्र और पटसन उद्योग के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऐसे संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में प्रभार योग्य ब्याज में पांच प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पंचायती संस्थाओं हेतु धनराशि जारी करना

2929. श्री आर.एल.जालप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से पंचायती संस्थाओं हेतु 100 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) दसवें वित्त आयोग ने कर्नाटक की पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 221.77 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। 110.88 करोड़ रुपए राज्य सरकार को पहले ही जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने शेष 110.89 करोड़ रुपए की राशि जारी किए जाने के लिए अनुरोध किया है। इस संबंध में निर्धारित दिशा–निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद ही उपरोक्त राशि राज्य सरकार को जारी की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2930. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को वास्तविक मूल्यों से कम मूल्यों पर विनिवेश किए जाने पर सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिसके लिए सी.ए.जी. ने सरकार की आलोचना की है; और

(घ) सरकार द्वारा ब्रिटिश गैस, टैमपलटन, एनरॉन तथा फाइडेलिटी जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सौदा करने के क्या कारण हैं, जिन्होंने ग्लोबल जी.डी.आर. के माध्यम से जी.ए.आई.एल. की 20 प्रतिशत इक्विटी खरीदी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट सं. 14 में यह बताया था कि बंडलों में शेयरों की बिक्री के लिए अपनाई गई प्रणाली "बहुत अच्छे/अच्छे" सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को "औसत" सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ जोड़ दिए जाने के परिणामस्वरूप उनकी मूल्य वसूली को कम कर देती थी। रिपोर्ट में इरकॉन, एच.एम.टी. एच.सी.एल., आर.सी.एफ.एल., एन.एफ.एल., एच.पी.एफ., सी.एम.सी. और डी.सीएल. जैसे सरकारी क्षेत्र के आठ उपक्रमों के मामले निर्दिष्ट किए गए हैं जिनमें औसत वसूली प्रारक्षित मूल्य से कम थी।

(घ) गेल जी.डी.आर. की कीमत निर्धारण बही–निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। इस प्रक्रिया का अनिवार्यतः अर्थ है बाजार चालित कीमत अर्थात् वह कीमत जो निवेशक एक दिए गए समय पर किसी विशिष्ट शेयर के लिए अदा करने के लिए तैयार होते हैं। जी.डी.आर.बाजारों के लिए निर्गम कीमत का निर्णय करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। गेल जी.डी.आर. निर्गम के दौरान 78 निवेश कंपनियों (भारतीय और विदेशी दोनों) ने जी.डी.आर. खरीदे। ब्रिटिश गैस, टैम्प्लटन, एनरॉन आदि जैसी इन निवेश कंपनियों की जी.आर.डी. पेशकश लेन देन से अनुपस्थिति का अर्थ होता–अपेक्षाकृत कमजोर बही/जी.डी.आर. पेशकश में भागीदार बनने से इन कारपोरेटों को

अन्यथा मना करना भी इन्हें द्वितीयक बाजार में उन्हीं शेयरों का अर्जित करने से रोक न पाता।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में हथकरघा क्षेत्र

2931. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू–कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हस्तशिल्प बोर्ड और हथकरघा बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इन क्षेत्रों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ और कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान हस्तशिल्प एवं हथकरघा के संवर्धन एवं विकास के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य को क्रमशः 144.43 लाख, 410.22 एवं 120.14 लाख रुपये रिलीज किए गए।

(ख) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड एवं अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड परामर्शदात्री निकाय है तथा इनसे सम्बंधित भ्रष्टाचार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक का प्रवेश

2932. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने किसी विदेशी हिस्सेदार के साथ बीमा व्यापार में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने सरकार को भारतीय स्टेट बैंक में अपने हिस्से की राशि को 51 प्रतिशत से कम करने और इक्विटी को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने के बारे में भी इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन जुटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने बीमा कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश करने की अपनी मंशा जाहिर की थी। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने विधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुषंगी के माध्यम से जीवन बीमा तथा पेंशन संबंधी कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश के लिए संभावित भागीदार बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक में भारत सरकार की इक्विटी नहीं है भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की 59.73 प्रतिशत इक्विटी है। विद्यमान सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की इक्विटी 55 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती है। अतः भारतीय स्टेट बैंक उस स्तर तक अधिक पूंजी जुटा सकता है जहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता न्यूनतम सांविधिक स्तर पर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग–निर्देशों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक पूंजी की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांड जारी करके भी टियर II पूंजी जुटा सकता है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार, बैंक की पूंजी को तत्काल बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास फिलहाल कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

50 शीर्ष आयकर दाता

2933. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान इस वर्ष आज तक की स्थितिनुसार सर्वाधिक उत्पाद शुल्क और आयकर देने वाली सर्वोच्च कंपनियों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन 50 कंपनियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सबसे अधिक उत्पाद शुल्क/आयकर बकाया है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्रवार कंपनियों की सूची क्या है जो उपरोक्त कर देने की स्थिति में नहीं हैं और जो काली सूची में हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) महोदय, निर्धारण वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर की सर्वाधिक राशि देने वाली शीर्षस्थ 50 कंपनियों/व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) जिनके प्रति आयकर की सर्वाधिक राशि बकाया है उन

50 कंपनियों/व्यक्तियों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है। उन 50 प्रमुख कंपनियों के नाम जिनके प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है विवरण IV में दिए गए हैं।

(ग) आयकर और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के द्वारा कंपनियों का ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया है।

विवरण-I

50 शीर्षस्थ कंपनियों/व्यक्ति जिन्होंने वर्ष 1997–98 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर की सर्वाधिक राशि का भुगतान किया है

(रुपये करोड़ों में) (रुपये करोड़ों में)

	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		आयकर	
क्रम सं.	नाम	अदा की गई राशि	नाम	अदा की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आई.टी.सी. बंगलौर	1418.90	एल.आई.सी. ऑफ इं.	520.82
2.	आई.ओ.सी. वड़ोदरा	749.54	स्टेट बैंक ऑफ इं. मुम्बई	1139.89
3.	मारूति उद्योग लि. गुड़गांव	690.10	एम.टी.एन.एल.लि. नई दिल्ली	469.77
4.	रिलायन्य इण्डस्ट्रीज लि.	659.10	ओ.एन.जी.सी.लि.	540.77
5.	सेल बी.एस. सिटी जमशेदपुर	590.70	टाटा आयरन एण्ड स्टील लि.	74.76
6.	कोचीन रिफाइनरी लि.	542.25	आई.डी.बी.आई. मुम्बई	396.19
7.	आई.टी.सी. लि. मेरठ	530.04	भेल नई दिल्ली	364.85
8.	आई.टी.सी. लि. मुंगेर	519.17	हिन्दुस्तान पेट्रो. कं. लि.	716.52
9.	टिस्को लि. जमशेदपुर	490.24	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि.	337.58
10.	सेल बी.एस.पी. भिलाई	471.00	विदेश संचार निगम लि.	402.37
11.	गाडफ्रे फिलीप्स (इं.) लि.	396.00	इंडियन आयल कार्पो. लि.	367.39
12.	वी.एस.टी. इण्ड. लि.	386.10	मारूति उद्योग लि. नई दि.	297.77
13.	हिन्दु.पेट्रो.कार्पो. लि.	383.95	साऊथ ईस्टर्न कोल फी. लि.	251.02
14.	बी.पी.सी. लि.रिफा.डि.	374.42	भारत पेट्रो.कार्पो.लि.	244.00
15.	आई.ओ.सी. मथुरा रिफा.	369.88	टैल्को मुम्बई	245.11
16.	आई.टी.सी. लि. कलकत्ता	349.08	बजाज ऑटो लि. मुम्बई	242.19
17.	राष्ट्रीय इस्पात नि.लि.	302.80	गैस अथॉरिटी ऑफ इं. लि.	206.72
18.	रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि.	298.83	हिन्दुस्तान लीवर.लि.	183.02
19.	आई.पी.सी.एल. लि. रायगढ़	298.41	इनग्रेसोलैण्ड (आई) लि. मुम्बई	16.84

1	2	3	4	5
20	ऑयल इंडिया लि., शिलांग	277.97	वेस्टर्न कोल फील्डस लि.	178.83
21.	आई.पी.सी.एल. बड़ोदरा	260.45	आई.टी.सी. लि. कलकत्ता	137.00
22.	आई.ओ.सी. लि. साबरमती	259.00	सिटी बैंक मुम्बई	141.00
23.	बी.पी.सी.एल. सेवरी मुम्बई	236.36	केनरा बैंक बंगलौर	178.37
24.	एच.पी.सी.एल. मुम्बई	223.95	टाटा इलै. कं. मुम्बई	131.43
25.	टैल्को पिम्परी	223.21	हिन्डाल्को इण्ड. लि. मुम्बई	122.98
26.	आई.ओ.सी. हल्दिया कलकत्ता	217.70	जी.आई.सी. ऑफ इं. मुम्बई	118.13
27.	भारत पेट्रो.कार्पो. लि.	195.47	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	111.07
28.	सैल आर.एस.ई. राऊरकेला	191.17	पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली	118.39
29.	एम.एण्ड एम लि. नासिक	184.45	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	46.22
30.	एच.पी.सी.एल. (पोल) मंगलौर	178.15	एक्सल इण्ड.लि. मुम्बई	10.08
31.	एस्सार स्टील लि. सूरत	175.67	यूनियन बैंक ऑफ इं. लि. मुम्बई	99.36
32.	आई.ओ.सी. लि. अम्बाला कै.	170.45	बैंक ऑफ अमरीका	127.58
33.	एच.पी.सी.एल. मुम्बई	170.00	टाटा पावर कं. लि. मुम्बई	74.27
34.	ओ.एन.जी.सी. शिवसागर, शिलांग	167.53	हांगकांग एण्ड शघाई बैंक लि.	111.17
35.	बजाज ऑटो लि. औरंगाबाद	164.12	कार्पोरेशन बैंक मंगलौर	82.79
36.	आई.टी.सी.लि. गाजियाबाद	159.98	ए.एन.जेड. ग्रिण्डलेज बैंक नई दिल्ली	115.11
37.	इंडियन ऑयल कार्पो. लि. मद्रास	159.28	आई.एफ.सी.आई. लि. नई दि.	104.75
38.	इंडियन ऑयल कार्पो. लि. जालन्धर	158.75	ड्यूश बैंक ए.जी. मुम्बई	121.70
39.	क्रेन एनर्जी प्रा. लि. विजाग	154.32	एस.बी.ओ.पी. पाटियाला	78.63
40.	दुर्गापुर स्टील प्लान्ट दुर्गापुर	153.33	इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पो. अहमदाबाद	97.61
41.	हिन्दुस्तान मोटर लि., कलकत्ता	145.85	एन.टी.पी.सी. नई दिल्ली	86.83
42.	आई.ओ.सी. लि. बिजवासन दि.	145.76	बैनेट एण्ड कोलमैनएण्ड कं. लि.	77.08
43.	जी.टी.सी. इण्ड. लि. मुम्बई	143.94	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	127.12
44.	ग्रेसिम इण्ड. लि. इंदौर	141.58	नेशनल एल्युमिनियम कं.	65.55
45.	हिन्डालको इण्ड. लि.	133.71	ऑयल इंडिया लि. शिलांग	117.79
46.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	126.38	न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कं. लि.	151.57

1	2	3	4	5
47.	बजाज ऑटो लि. पुणे	124.53	पावर फायनान्स का. न. दि.	98.80
48.	आई.ओ.सी. बरौनी पटना	124.48	एच.डी.एफ.सी. लि. मुम्बई	50.50
49.	एशिया टोबैको कं. चेन्नई	122.33	कोलगेटपामोलिव (ई.) लि. मु.	61.41
50.	लक्ष्मी टोबैको भिलाई	120,66	बैंक ऑफ बड़ौदा मुम्बई	95.33

विवरण-II

50 शीर्षस्थ कंपनियों/व्यक्ति जिन्होंने वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर की सर्वाधिक राशि का भुगतान किया है

(रुपये करोड़ों में) (रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		आयकर	
	नाम	अदा की की राशि	नाम	अदा की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आई.टी.सी. बंगलौर	1641.30	नार्दन कोल फील्ड लि.	305.49
2.	मारूति उद्योग लि.	1192.50	एल.आई.सी. इंडिया	637.79
3.	रिलायंस इण्ड. लि.	1000.60	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1197.79
4.	आई.ओ.सी. वड़ोदरा	749.54	ओ.एल.जी.सी. देहरादून कं.	608.48
5.	आई.टी.सी. लि. (मेरठ)	626.23	एम.टी.एन.एल.	517.44
6.	कोचीन रिफाईनरीज लि.	594.10	एन.टी.पी.सी लि.	953.85
7.	सेल बी.सी. सीटी (जमशेदपुर)	590.70	भेल	396.68
8.	टिस्को लि. जमशेदपुर	490.24	मारूति उद्योग लि.	221.89
9.	सेल बी.एस.पी. भिलाई	484.40	गैस अथारिटी ऑफ इं.	340.67
10.	हिन्दुस्तान पेट्रो. कार्पो. लि.	471.06	आई.डी.बी. आई.	414.42
11.	आई.टी.सी. लि. मुंगेर	465.67	पंजाब नेशनल बैंक	268.63
12.	आई.ओ.सी. मथुरा रि.	423.17	आई.टी.सी. लि.	250.11
13.	बी.पी.सी.लि.रि.डि. माहुल	413.35	साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि.	285.00
14.	बी.एस.टी. इण्ड. लि.	407.62	वेस्टर्न कोल फील्डस लि.	235.63
15.	आई.टी.सी.लि. कलकत्ता	400.89	महानदी कोल फील्डस	220.00
16.	गाडफ्रे फिलीप्स (आई) लि.	353.29	बैंक ऑफ बड़ौदा	169.00

1	2	3	4	5
17.	भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि.	346.69	नेवेलीलिग्नाइट कार्पो. लि.	185.41
18.	आई.ओ.सी. लि. साबरमती	322.67	इंडिया इंश्योरेन्स कं. लि.	161.48
19.	बी.पी.सी.एल. ईस्ट मुम्बई	282.22	ए.एन.जेड.ग्रिंडलेज बैंक	200.84
20.	राष्ट्रीय इस्पात नि.लि.	260.74	नाल्को लि.	87.41
21.	आई.पी.सी.एल. बड़ोदरा	260.45	सिटी बैंक	189.16
22.	इंडियन ऑयल कार्पो. लि.	251.18	कार्पोरेशन बैंक	97.71
23.	आई.पी.सी.एल. लि. रायगढ़	237.90	बैंक ऑफ अमेरिका	157.82
24.	टैल्को पिम्मपरी	232.09	ड्यूश बैंक ए.जी.	126.41
25.	रिलायंस इण्ड. लि. मुम्बई	223.84	जी.आई.सी. ऑफ इं.	99.73
26.	आई.ओ.सी. हल्दिया मिदनापुर	219.84	ऑयल इं. लि.	118.29
27.	एच.पी.सी.एल. (पोल) मंगलौर	218.82	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग	119.22
28.	एच.डी.सी.एफ. (प्रा.) लि. मुर्शिदाबाद	200.55	हिन्डाल्को इं. लि.	102.50
29.	आई.ओ.सी.लि. बिजवासन	200.24	आई.सी.आई.सी.आई.लि.	75.00
30.	दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर	196.36	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	46.19
31.	आई.ओ.सी. लि. अम्बाला कैट	194.04	यूनियन बैंक ऑफ इं.	106.01
32.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	191.99	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	75.01
33.	आई.टी.सी. लि. गाजियाबाद	191.70	कोचीन रिफाइनरिज लि.	77.08
34.	बजाज ऑटो लि. औरंगाबाद	185.99	हिन्दुस्तान जिंक लि.	71.88
35.	हिन्डाल्को इण्ड. लि.	183.98	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि.	137.32
36.	एम.एण्ड एम. लि. नासिक	175.86	एस.बी.आई. त्रिवेन्द्रम	5.37
37.	आई.ओ.सी. बरौनी	168.35	केनरा बैंक बंगलौर	98.50
38.	एस्सार स्टील लि. सूरत	165.62	एम.सी.डी. एण्ड कं.	6.48
39.	जी.टी.सी. इण्ड. लि.	157.05	एन.एम.डी.सी. लि.	41.80
40.	इंडियन ऑयल कार्पो.	156.24	कन्टेनर कार्पो. ऑफ इं.	63.81
41.	बी.पी.सी.एल., बिजवासन दि.	154.74	मै. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	34.62
42.	ओ.एन.जी.सी. शिलांग	153.18	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	61.28

1	2	3	4	5
43.	भारत पेट्रो. का. लि.	151.07	एयरपोर्ट अथारिटी आ.इं.	126.30
44.	एच.पी.सी.एल. मुम्बई	150.27	गुजरात मिन.डे.कार्पो.	54.55
45.	आई.ओ.सी.कार्पो. पानीपत	140.57	सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग का. लि.	54.21
46.	सेल, आई.एस.ई. राऊरकेला	140.14	एच.डी.एफ.सी. लि.	69.49
47.	एशिया टोबैको कं. चेन्नई	136.51	बेल बंगलौर	51.77
48.	हिन्दुस्तान पेट्रो. कार्पो.	135.23	बैनेट कोलमैनएण्ड कं. लि.	51.75
49.	हीरो होण्डा मो. लि.	135.00	ग्रेसिम इं. लि.	53.03
50.	ओ.एन.जी.सी. हजीरासूरत	132.82	ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	52.03

विवरण-III

50 कम्पनियों/व्यक्तियों के नाम जिनके प्रति आयकर की सर्वाधिक राशि बकाया है

क्रम सं.	नाम	स्थिति
1	2	3
1.	हर्षद एस. मेहता	व्यक्ति*
2.	हीतेन पी. दलाल	व्यक्ति
3.	सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कारपो. लि.	कम्पनी**
4.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन	कम्पनी
5.	भूपेन्द्र सी. दलाल	व्यक्ति
6.	दी पीयरलेस जेनेरल फाइनेंस एंड इन्वे. कम्पनी लि.	कम्पनी
7.	अश्विन एस. मेहता	व्यक्ति
8.	एस. रामास्वामी	व्यक्ति
9.	ए. डी. नरोत्तम	व्यक्ति
10.	ज्योति एच. मेहता	व्यक्ति
11.	ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेल्स मैनेजमेंट लि.	कम्पनी
12.	रोलिक्स होल्डिंग लिमिटेड	कम्पनी
13.	विदेश संचार निगम लि.	कम्पनी
14.	सुधीर एस. मेहता	व्यक्ति
15.	सुरेन्द्र एम. खांदर	व्यक्ति
16.	एस्सार स्टील लि.	कम्पनी
17.	आई. डी. बी. आई.	कम्पनी
18.	जी. टी. सी. इन्डस्ट्रीज लि.	कम्पनी
19.	लार्सन एंड टर्बो लि.	कम्पनी
20.	केनरा बैंक	कम्पनी
21.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	कम्पनी
22.	कैस्केड होल्डिंग पी. लि.	कम्पनी
23.	धनराज मिल्स पी. लि.	कम्पनी
24.	शा वालेस एंड कं. लि.	कम्पनी
25.	हर्षद एस. मेहता (डब्ल्यू. टी.)	व्यक्ति
26.	केडिया केटल डेलियन इंन्डस्ट्रीज लि.	कम्पनी
27	ईस्ट वेस्ट ट्रैक्ल एंड ट्रेड लिंक्स लि.	कम्पनी
28.	इंड्रियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि.	कम्पनी
29.	टाटा सन्स लि.	कम्पनी

1	2	3
30.	गणपति कम्पाइन्स लि.	कम्पनी
31.	बजाज ऑटो लि.	कम्पनी
32.	ग्रोमोर लिजिंग एंड इनवेस्टमेंट प्रा. लि.	कम्पनी
33.	टाटा केमिकल्स लि.	कम्पनी
34.	सहारा इंडिया	कम्पनी
35.	जे. पी. गांधी	व्यक्ति
36.	निरंजन जे. शाह	व्यक्ति
37.	सबरे ग्रंप	कम्पनी
38.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	कम्पनी
39.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.	कम्पनी
40.	आई. एफ. सी. आई. लि.	कम्पनी
41.	मारूति उद्योग लि.	कम्पनी
42.	एन. ई. पी. सी. गिकॉन लि.	कम्पनी
43.	टाटा इंजिनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं. लि.	कम्पनी
44.	मेट्रोपोलिटन को. ऑफ बैंक लि.	कम्पनी
45.	प्रीमियर ऑटो इलेक्ट्रिक लि.	कम्पनी
46.	दी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लि.	कम्पनी
47.	अरविन्द मिल्स. लि.	कम्पनी
48.	पी.सी.आई. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	कम्पनी
49.	बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपो. लि.	कम्पनी
50.	सी. आर. बी. कैपिटल मार्किट कं. लि.	कम्पनी

विवरण-IV

50 प्रमुख कम्पनियों के नाम जिनके प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है

क्रम सं.	नाम
1	2
1.	आई टी सी, कलकत्ता
2.	आई टी सी, सहारनपुर
3.	आई टी सी, बंगलौर
4.	आई टी सी, मुंगेर, पटना
5.	आई टी सी, मुम्बई
6.	आई ओ सी, वड़ोदरा
7.	आई ओ सी, चेन्नई
8.	जी टी सी, वड़ोदरा
9.	जी टी सी, मुम्बई
10.	मारूती उद्योग लिमिटेड
11.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
12.	गोडफ्रेरे फिलिप्स
13.	टिस्को
14.	टेल्को
15.	बी एच ई एल
16.	एच पी सी एल
17.	आई पी सी एल
18.	ऑयल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता
19.	शॉहनाज आयुर्वेदिक
20.	सिम्पेक्स
21.	सीयट
22.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड
23.	जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड
24.	इटरनिट यूरेन्ट
25.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
26.	एस्सार स्टील
27.	भारत इलैक्ट्रानिक्स
28.	मंगलूर रिफाइंरीज एंड पैट्रो–केमिकल्स

1	2
29.	नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स
30.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड
31.	सेल, बी एस एफ, भिलाई
32.	एन.ओर सी आई एल
33.	एशिया टोबेको कं. लिमिटेड
34.	एस.टी.सी., बिकावूल
35.	भारत सीट्स
36.	गोदरेज
37.	रिलाईबुल सीगरेट्स
38.	गुडएयर इन्डस्ट्रीज
39.	रिलाइन्स इन्डस्ट्रीज
40.	हैदराबार डेक्कन, सीगरेट फैक्टरी
41.	स्वर्ण फिल्टर्स
42.	बर्न स्टैन्डर्ड
43.	हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कॉरपोरेशन लिमिटेड
44.	पेपसिको इंडिया, चेन्नई
45.	मैसर्स धर्मपाल सत्यापाल, दिल्ली–I
46.	आई ओ सी, चण्डीगढ़
47	श्रीचन्द्र टोबेको, हैदराबाद
48.	आटो प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली–II
49.	समतेल इलैक्ट्रानिक डिवाइसिस, मेरठ–I
50.	सुपर टेक्स इण्डस्ट्रीज, सूरत–II

रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार

2934. श्री किरीट सोमैया :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री रवीन्द्रकुमार पाण्डेय :

श्री चरणदास महंत :

श्री होलखोमांग हौकिप :

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

श्री विजय गोयल :

श्री प्रियरंजनदास मुंशी :

श्री रघुनाथ झा :

श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही सरकारी और निजी क्षेत्र की कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से फिलहाल बंद पड़ी मिलों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) इन मिलों के बंद होने से कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन टी सी की मिलों को मिल–वार कितना घाटा–लाभ हुआ;

(ङ) क्या सरकार ने बंद कपड़ा मिलों के पुनर्गठन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) :(क) 192 मिलें सरकारी क्षेत्र और 1487 मिलें निजी क्षेत्र में हैं जिनके अतिरिक्त 154 मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) 30.9.1999 तक की स्थिति के अनुसार सूती/मानव–निर्मित फाईबर मिलों की राज्य–वार संख्या तथा उनमें प्रभावित कामगारों की संख्या को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.टी.सी. की मिलों के लाभ/हानि को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ङ) और-(च) जहां तक एन.टी.सी. का संबंध है, एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक–वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन. टी.सी. के अर्थक्षम सहायक निगमों के साथ–साथ उनके अंतर्गत अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना पर विचार कर रही है जिसके लिए निर्धारित अवधि के भीतर निबल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी.आई.एफ.आर. के मानदण्डों को ध्यान में

रखा जा रहा है। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

जहां तक एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड और कानपुर टैक्सटाइल लिमिटेड का संबंध है, बी.आई.एफ.आर./ए.ए.आई.एफ.आर. ने उनको बंद करने के आदेश पारित कर दिए हैं और परिसमापन की प्रक्रिया उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष लंबित है।

सरकार ने रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने के लिए तथा ऐसी कंपनियों के संबंध में उठाई जाने वाली जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारी उपायों का तेजी से निर्धारण करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई.एफ.आर.) की स्थापना की है।

बंद मिलों के कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना भी स्थापित की गई है।

वर्ष 1998 में स्थापित वस्त्र नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें वस्त्र क्षेत्र की रुग्णता की समस्या का निदान निहित है तथा उनमें कुछ सिफारिशें भी की गई हैं।

विवरण-I

30.09.1999 की स्थिति अनुसार, बन्द सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्य-वार सं.

राज्य	बंद मिलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	28
असम	4
बिहार	3
गुजरात	75
हरियाणा	10
कर्नाटक	17
केरल	6
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	33
उड़ीसा	5
पंजाब	5
राजस्थान	10
तमिलनाडु	80
उत्तर प्रदेश	25
पश्चिम बंगाल	15
दिल्ली	3
पांडिचेरी	1
कुल	331

कुल 326447 कामगार इन मिलों की बंदी के कारण प्रभावित हुए हैं।

विवरण–II

विगत तीन वर्षों से एन टी सी मिलों का निवल लाभ/घाटा

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	मिलों का नाम	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4	5
	एनटीसी (डीपीआर) लि. पंजाब			
1.	दयालबाग स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	–3.63	–4.28	–5.40
2.	खरर टेक्सटाइल मिल्स	–1.46	–1.84	–3.89
3.	पानीपत वूलेन मिल्स	–3.91	–4.67	–7.30

1	2	3	4	5
4.	सूरज टैक्सटाइल्स मिल्स	−1.88	−2.24	−4.66
	राजस्थान			
5.	एडवार्ड मिल्स	−2.46	−3.46	−4.99
6.	महालक्ष्मी मिल्स	−2.05	−3.07	−4.30
7.	श्री विजय कॉटन मिल्स	−2.69	−2.90	−3.74
8.	उदयपुर कॉटन मिल्स	−1.69	−2.12	−3.81
	एनटीसी (मध्यप्रदेश) लि.			
9.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	−12.06	−13.34	−16.34
10.	बुरहनपुर तप्ती मिल्स	−7.71	−9.90	−11.00
11.	हीरा मिल्स	−8.04	−10.74	−10.02
12.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	−12.33	−13.51	−15.35
13.	कल्यानमल मिल्स	−10.26	−12.57	−13.71
14.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	−7.67	−8.65	−10.86
15.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स	−6.90	−7.83	−8.84
	एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लि.			
16.	अथर्टन मिल्स	−5.72	−8.81	−10.40
17.	बिजली कॉटन मिल्स	−1.76	−2.50	−2.66
18.	लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स	−8.72	−12.23	−13.71
19.	लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स	−5.57	−6.89	−7.33
20.	मूइर मिल्स	−12.22	−17.64	−16.30
21.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	−12.58	−15.60	−17.54
22.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स	−2.48	−2.37	−3.25
23.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	−2.78	−3.01	−4.15
24.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	−2.76	−3.17	−4.27
25.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	−14.91	−17.89	−19.72
26.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	−9.92	−11.11	−14.95

1	2	3	4	5
	एनटीसी (साउथ महाराष्ट्र) लि.			
27.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	–5.34	–8.12	–9.79
28.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	–1.21	–1.57	–2.82
29.	बरसदी टेक्सटाइल मिल्स	–0.09	–0.41	–1.33
30.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	–6.66	–8.86	–10.93
31.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स	–1.37	–3.23	–5.19
32.	धूले टेक्साटाईल मिल, धूले	–3.97	–6.08	–7.93
33.	दिग्विजय टेक्सटाईल मिल्स	–10.25	–14.13	–16.86
34.	एलिफिस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	–6.54	–9.09	–10.08
35.	फिनले मिल्स	–6.16	–10.34	–13.73
36.	गोल्ड मोहर मिल्स	–4.64	–8.59	–9.76
37.	जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स	–9.82	–11.80	–13.92
38.	मुम्बई टेक्सटाइल मिल्स मुंबई	–8.90	–10.32	–13.07
39.	नांदेड़ टेक्सटाइल मिल्स	–4.01	–5.99	–7.28
40.	न्यू सिटी ऑफ बंबई मेन्युफ्रेक्चरिंग मिल्स	–4.68	–7.97	–11.55
41.	न्यू हिंद टेक्सटाइल मिल्स	–10.41	–11.86	–13.26
42.	पोद्दार प्रोसेसर्स	–5.06	–7.35	–6.71
43.	श्री मधुसूदन मिल्स	–4.72	–5.78	–7.01
एनटीसी (महाराष्ट्र नार्थ) लि.				
44.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 1	–11.93	–18.20	–19.48
45.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 2	–9.04	–10.70	–13.45
46 एवं 47.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स 3 और 4	–14.42	–15.29	–21.07
48.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 5	–6.51	–8.44	–10.94
49.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स डायवर्क्स	–6.03	–7.55	–8.66
50.	जाम मेन्यू. मिल्स	–5.27	–7.02	–9.16
51, 52 और 53.	कोहिनूर मिल्स नं. 1, 2 और 3	–18.07	–22.91	–13.51

1	2	3	4	5
54.	पोद्दार मिल्स	-5.58	-8.91	-12.96
55.	मोडल मिल्स	-12.77	-15.58	-18.44
56.	आर.बी.बी.ए मिल्स	-3.36	-5.13	-7.29
57.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	-4.26	-5.34	-6.30
58.	सवतराम रामप्रसाद मिल्स	-3.30	-3.93	-4.57
59.	श्री सीताराम मिल्स	-5.56	-7.38	-9.53
60.	टाटा मिल्स	-8.46	-12.23	-18.15
61.	विदर्भ मिल्स	-4.84	-6.72	-6.37
	एनटीसी (गुजरात) लि.			
62.	अहमदाबाद जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स	-7.64	-10.48	-12.56
63.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	-8.21	-9.88	-12.49
64.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स	-6.86	-7.33	-8.33
65.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स	-10.45	-13.14	-14.97
66.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स	-6.89	-7.83	-9.55
67.	न्यू मानेकचौक टेक्सटाइल मिल्स	-7.11	-8.59	-10.01
68.	पेटलेड टेक्सटाइल मिल्स	-3.09	-4.23	-5.10
69.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स	-2.36	-3.05	-3.49
70 एवं 71.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स 1 एवं 2	-9.38	-11.69	-15.22
72.	वीरम गम टेक्सटाइल मिल्स	-5.47	-6.61	-7.96
	एनटीसी (एपीकेकेएंड एम) लि. आंध्र प्रदेश			
73.	अदोनी कॉटन मिल्स	-1.41	-1.50	-1.44
74.	अनंतपुर कॉटन मिल्स	-2.75	-4.32	-3.77
75.	आजम जाही मिल्स	-4.08	-5.63	-7.32
76.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	-2.44	-3.25	-3.58
77.	नेता स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	-1.72	-1.72	-1.77
78.	तिरूपति कॉटन मिल्स	-2.84	-3.30	-2.99

1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
79.	एम. एस. के मिल्स	–5.78	–7.12	–9.51
80.	मिनर्वा मिल्स	–8.18	–9.10	–11.61
81.	मैसूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	–5.93	–5.63	–7.33
82.	श्री येलम्मा कॉटन मिल्स	–2.78	–3.70	–4.24
	केरल			
83.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	–2.90	–2.50	–4.43
84.	केन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स केन	–1.13	–0.76	–0.58
85.	केरला लक्ष्मी मिल्स	–2.69	–2.19	–3.09
86.	पार्वती मिल्स	–4.35	–7.89	–10.25
87.	विजयमोहिनी मिल्स	–1.59	–1.72	–2.73
	पांडिचेरी			
88.	केन्नानूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, माहे	–1.76	–1.83	–1.82
	एन टी सी (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि. तमिलनाडु			
89.	बालाराम वर्मा टेक्सटाईल मिल्स	–0.57	–1.51	–2.58
90.	कम्बोडिया मिल्स	–0.05	–0.03	–3.60
91.	कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स	–0.10	–0.52	–3.49
92.	किशनवेनी टेक्सटाइल मिल्स	–1.05	–1.23	–3.00
93.	ओम पारसक्थी मिल्स	–0.37	–1.08	–2.74
94.	पंकज मिल्स	–0.37	–0.10	–2.57
95.	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	0.03	0.32	–1.37
96.	श्री रंगविलास एस.एण्ड डबल्यू मिल्स	–0.07	0.10	–2.60
97.	सोमसुन्दरम् मिल्स	–1.50	–1.64	–4.13
98.	कालीश्वरर मिल्स 'ख' यूनिट	–0.02	–0.18	–1.89
	एन.टी.सी. (प.बं.,असम,बिहार और उड़ीसा) लिमिटेड असम			
99.	ऐसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	–7.39	–6.13	–4.26

1	2	3	4	5
	बिहार			
100.	बिहार को.ओप.विवर्स स्पिनिंग मिल्स	-2.26	-3.23	-3.39
101.	गया कॉटन एण्ड जूट मिल्स	-3.64	-4.91	-5.40
	उड़ीसा			
102.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	-2.77	-5.98	-3.87
	पश्चिमी बंगाल			
103.	आरती कॉटन मिल्स	-2.56	-4.78	-3.42
104.	बंगाश्री कॉटन मिल्स	-2.26	-2.76	-3.04
105.	बंगाल फाइन एस. एण्ड डब्ल्यू मिल्स न. I	-4.32	-9.28	-6.60
106.	बंगाल फाइन एस. एण्ड डब्ल्यू मिल्स न. II	-1.79	-2.26	-1.78
107.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	-4.38	-7.31	-7.94
108.	मनिन्द्रा बी. टी. मिल्स	-3.05	-5.12	-4.94
109.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	-1.86	-2.80	-3.06
110.	लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स	-3.15	-6.18	-4.82
111.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	-5.20	-8.61	-8.12
112.	सेन्ट्रल कॉटन मिल्स	-5.59	-9.97	-10.55
113.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	-4.68	-6.93	-8.16
114.	सोदेपुर कॉटन मिल्स	-1.68	-3.07	-2.66
	एन.टी.सी. (धारक कम्पनी)			
	पांडिचेरी			
115.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	-5.21	-7.33	-6.98
116.	श्री भारती मिल्स	-4.88	-8.89	-6.95
	कोयम्बटूर			
117.	श्री शारदा मिल्स	-1.42	-4.21	-6.41
118.	कोयम्बटूर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स	-6.40	-13.17	-12.48
119.	कालीश्वरर मिल्स 'क' यूनिट	-4.97	-6.52	-9.08

कपास का आयात/निर्यात

2935. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 के दौरान देश–वार कितनी मात्रा में कपास का निर्यात हुआ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में कपास का आयात हुआ और इसका मूल्य कितना था ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कपास मौसम 1998–99 (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान अपरिष्कृत कपास के निर्यात के देश–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

देश	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य (करोड़ रु. में)
जापान	6210.56	28.77
फ्रांस	1711.66	7.33
जर्मनी	1033.07	4.54
यू.के.	612.68	2.42
नेपाल	623.45	2.32
कनाडा	129.32	0.63
वियतनाम	96.53	0.40
इटली	71.58	0.33
पाकिस्तान	25.00	0.10
बांग्लादेश	316.41	205.77
इंडोनेशिया	150.71	0.63
सिंगापुर	60.01	0.43

(ग) वर्ष	आयातित मात्रा (170 कि.ग्रा. प्रत्येक वाली लाख गांठ में)	सी.आई.एफ. मूल्य लाख रु.
1998–99	7.87	89545.60

ऋण-सेवा भुगतान

2936. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वर्षों से ऋण–सेवा भुगतान बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन ऋण–सेवा भुगतानों और बाहरी पावतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के जरिए जारी की गई राशि का ऋण–सेवा भुगतानों के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन प्रयोजनार्थ विनिवेश के जरिए जारी की जाने वाली राशि का प्रतिशत क्या है;

(च) पी. एस. यू. में विनिवेश के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है; और

(छ) इस प्रकार प्राप्त की गई राशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) ऋण की वापसी–अदायगी, उन पर ब्याज की अदायगी और विदेशी प्राप्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

	वर्ष 1996–97	वर्ष 1997–98	वर्ष 1998–99 संशोधित अनुमान
ऋण की वापसी अदायगी	222525	391979	429497
ब्याज की अदायगी	59478	65637	77248
विदेशी प्राप्तियां	9535	7859	8485

(ग) से (ङ) और (छ) विनिवेश के माध्यम से वसूल किया गया धन भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है जिसमें से विभिन्न प्रयोजनों के लिए संवितरण प्रतिवर्ष संसद द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

(घ) विनिवेश के प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 1999–2000 के वित्त मंत्री द्वारा किए गए अपने बजट भाषण के पैरा 40 और 41 में स्पष्ट किए गए थे।

निवेशकों के हितों की रक्षा

2937. श्री शीसराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियां अपने नामों में कम्प्यूटर टैग जोड़ कर अपने नाम बदल रही हैं तथा निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा किन कदमों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या बाजार में यह एक अन्य प्रकार का घोटाला हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) विगत समय में कम्पनी कार्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ कंपनियों, जिनकी मुख्य गतिविधि कम्प्यूटर साफ्टवेयर नहीं थी तथा जो निधिकरण की गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त रही हैं, ने यह निर्दिष्ट करने के लिए कि मानो वे कम्प्यूटर साफ्टवेयर के कारोबार में हैं, अपने नाम बदल लिए हैं। इस उद्देश्य से कि कुछ कम्पनियों द्वारा अपनाई गई नीति से निवेशक भ्रम में न पड़ें, कम्पनी रजिस्ट्रारों को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के माध्यम से सलाह दी गई है कि भविष्य में वे साफ्टवेयर कारोबार दर्शाने के लिए कम्पनियों का नाम परिवर्तन तभी अनुमेय करें यदि उनकी आय (उनके लेखापरीक्षित लेखों अथवा किसी सनद लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखों से यथा दर्शित) का एक बड़ा भाग साफ्टवेयर कारोबार से प्राप्त होता हो। यदि यह सिद्ध न हो तो ऐसा नाम परिवर्तन अनुमेय नहीं किया जाना चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके निवेशकों को व्यापार में सचेत रहने की सलाह देकर सतर्क कर दिया है, स्टॉक एक्सचेंजों की ऐसी कम्पनियों के शेयरों संबंधी व्यापार तथा अन्य घटनाक्रमों का सन्निकट अनुवीक्षण करने के लिए कहा है, ऐसी कम्पनियों के लिए त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट में साफ्टवेयर गतिविधि का निष्पादन तथा परिणाम पृथक दर्शाना अनिवार्य कर दिया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभप्रदत्ता का 3 वर्ष के ट्रैक रिकार्ड की अपेक्षा के रूप में ऐसी कंपनियों द्वारा पब्लिक/राइट्स इश्युओं के लिए प्रवेश मानदंड और अधिक कडे कर दिए हैं।

नाबार्ड के माध्यम से निवेश

2938. श्री कृष्णमराजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उड़ीसा के कटक, जयपुर, जियागत सिंहपुर और केन्द्रपाड़ा क्षेत्रों और आन्ध्र प्रदेश में जिले-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) नाबार्ड के किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना निवेश किया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में अपना निवेश बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन-सी नीतियां तैयार की जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वह केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त के माध्यम से अल्पावधि ऋण और सभी बैंकों को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराता है। आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों और उड़ीसा के चार जिलों में वर्ष 1999-2000 (10 दिसम्बर, 1999 तक) के दौरान उपलब्ध कराई गई ऐसी पुनर्वित्त सहायता के ब्यौर संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। नाबार्ड राज्य सरकारों को ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत भी ऋण उपलब्ध कराता है। आरआईडीएफ-I से V के अंतर्गत मंजूर और संवितरित संघयी ऋणों के ब्यौरे संलग्न वितरण-II में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने वर्ष 1998-99 के दौरान, प्राकृतिक आपदा के कारण अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश में राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 271.21 करोड़ रुपए की मध्यावधि ऋण सीमाएं उपलब्ध कराई हैं। उड़ीसा में एससीबी को इसी प्रकार की मंजूर की गई मध्यावधि ऋण सीमाएं वर्ष 1997-98 के दौरान 28.10 करोड़ रुपए और 1998-99 के दौरान 8.58 करोड़ रुपए थीं। जहां तक आर आर बी का संबंध है, उड़ीसा में 1997-98 के दौरान मध्यावधि परिवर्तन सीमाओं के रूप में 17 लाख रुपए मंजूर किए गए।

(ग) नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निवेशऋण (दीर्घावधि ऋण) के संबंध में मुख्य नीतिगत उपाए किए हैं जिनमें पुनर्वित की मात्रा में अर्ध्वगामी संशोधन, बैंकों को एकल उधारकर्ता/इकाई को उधार देने के लिए 10 लाख रुपए के स्वत: पुनर्वित्त की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करना, किसी क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि करने के लिए लघु सिंचाई कार्यकलापों के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त पर ब्याज दर का युक्तिकरण करना, पंचायत राज संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों को उधार देने जैसे नए कार्यकलापों को कवर करने हेतु आरआईडीएफ के क्षेत्र को बढ़ाना आदि सम्मिलित हैं।

विवरण-I

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के विभिन्न जिलों में वर्ष 1999–2000 (10 दिसम्बर, 1999 तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त सहायता के विवरण।

(लाख रुपये)

जिले का नाम	अल्पावधि पुनर्वित्त (एससीबी) – 1999–2000 के दौरान मंजूर की गई कुल सीमा	अल्पावधि पुनर्वित्त (आरआरबी) – 1999–2000 के दौरान मंजूर की गई सीमा	वर्ष 1999–2000 (10 दिसम्बर, 1999 तक) के दौरान सभी बैंकों के लिए संवितरित निवेश ऋण पुनर्वित्त
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
अदीलाबाद	3034.37	1230.00	508.54
अनन्तपुर	7498.14	1992.00	1105.79
चित्तुर	4311.04	1497.00	1904.00
कोड़प्पा	1750.00	3983.00***	632.98
इलुरू	11075.00	–	–
गुन्टूर	11951.30	1658.00	839.26
हैदराबाद	1684.23	–	–
काकीनाडा	14009.57	–	–
करीमनगर	4499.11	700.00	535.11
खम्मम	–	–	266.89
कृष्णा	14764	780.00	831.82
कुरनूल	3192.37	–	611.83
महबूबनगर	2338.90	1248.00	815.10
मेडक	3265.44	244.00	562.39
नालगोंडा	5883.45	1850.00*	1690.35
नेल्लोर	1742.62	1780.00**	949.98
निजामाबाद	5835.00	810.00	850.56
प्रकाशम	5742.82	–	451.22
श्रीकाकुलम	1650.43	2900.00*****	169.30

1	2	3	4
विशाखापत्तनम	5055.27	–	243.22
विजयनागरम	2108.01	–	95.63
वारंगल	3741.87	825.00	1579.13
रंगारेड्डी	–	255.00	873.60
पूर्वी गोदावरी	–	–	933.19
पश्चिमी गोदावरी	–	970.00****	794.31
गीरीजन सहकारी निगम	280.00	–	–
	उड़ीसा		
कटक	–	–	433.53
जैपुर	–	–	133.26
जगतसिंहपुर	6307.30@	210.00	237.29
केन्द्रपाड़ा	–	–	170.08

आंकड़े संबंधित हैं :

* खम्मम और नालगोंडा जिले

** नेल्लोर और प्रकाशम जिलों का भाग

*** कड़प्पा, कुरनूल और प्रकाशम जिलों का भाग

**** पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले

***** श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम जिले

@ सभी चार जिलों के संबंध में बंकी सीसीबी और कटक सीसीबी को मंजूर की गई सीमा।

विवरण-II

ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) (10 दिसम्बर, 1999 तक) के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा मंजूर और संवितरित राशि।

(लाख रुपए)

जिले का नाम	आरआईडीएफ I से V के अन्तर्गत मंजूरी	आरआईडीएफ I से V के अन्तर्गत संवितरण
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
अदीलाबाद	11367.66	7368.92
अनन्तपुर	7767.61	3726.82
चित्तुर	7366.41	2221.67
कड़प्पा	5034.57	2774.72
इलूरू	–	–
गुन्टूर	6257.78	2294.00
हैदराबाद	–	–
काकीनाडा	–	–
करीमनगर	2573.16	1353.53

1	2	3
खम्माम	6858.82	4204.33
कृष्णा	5861.37	1977.04
कुरनुल	5225.71	2326.75
महबूब नगर	7633.53	3800.95
मेडक	2898.51	1041.31
नालगोंडा	4106.05	2003.12
नेल्लोर	2449.47	1281.22
निजामाबाद	4954.17	3665.42
प्रकाशम	7662.95	3437.04
श्रीकाकुलम	6919.16	2894.13
विशाखापत्तनम	4088.97	1302.25
विजयानाग्राम	7171.40	4779.33
वारागंल	3097.06	1348.20
रंगारेड्डी	2502.95	937.04
पूर्वी गोदावरी	8748.78	4085.93
पश्चिमी गोदावरी	5167.95	2556.43
जी सी सी		
योग	1257014.04	61380.15
	उड़ीसा	
कटक	3345.27	2127.53
जैपुर	1151.73	547.06
जगतसिंहपुर	2560.99	1468.01
केन्द्रपाड़ा	2733.52	1059.27

एन. टी. सी. मिलों में वी.आर.एस. योजनाएं

2939. श्री नरेश पुगलिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) की मुख्य विशेषताऐं क्या हैं;

(ख) देश में एन.टी.सी. मिलों में इस समय कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को शामिल करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) एन.टी.सी. में लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(1) सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए डेढ़ महीने की परिलब्धियों (वेतन+डी. ए./वी.डी.ए. और आई.आर. जहां कहीं भी स्वीकार्य हो) अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान जिसे सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि से पूर्व सेवा के शेष महीनों से गुणा की गई राशि, में से जो भी कम हो, का भुगतान।

(2) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी अथवा कर्मचारियों पर लागू ग्रेच्युटी योजना।

(3) नियमानुसार संचित अर्जित अवकाश/विशेष अवकाश के बराबर नकद राशि।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार भविष्य निधि खाते में देय अधिशेष।

(ख) कारपोरेट कार्यालयों और फुटकर विपणन प्रभागों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर 30.9.1999 तक की स्थिति के अनुसार एन.टी.सी. की मिलों में 86432 कर्मचारी हैं।

(ग) प्रत्येक वर्ष एन.टी.सी. के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की जा रही है। इस योजना के आरंभ होने से लेकर इस वर्ष अभी तक एन.टी.सी. को 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई तथा 31.10.1999 तक 60583 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का लाभ उठाया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पैकेज पर निर्भर करेगी।

टेक्सटाइल यार्न का निर्यात

2940. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "टेक्सटाइल यार्न" के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातोन्मुख कपास कताई इकाइयों को और अधिक प्रोत्साहन देने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सूती धागे का प्रतिवर्ष राज्य–वार कितना निर्यात हुआ और चालू वर्ष के दौरान कितने निर्यात का अनुमान है;

(घ) अगले तीन वर्षों के लिए निर्यात अनुमान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में कताई मिलों के संवर्धन, पुनरुद्धार और पुनर्गठन हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने घरेलू कपास दशा के स्रोत पर बिना किसी प्रतिबंध अथवा काउंट प्रतिबंध के बिना सूती यार्न का निर्यात करने के लिए नए शत प्रतिशत निर्यातान्मुख एककों/निर्यात संवर्धन क्षेत्र के एककों को रियायत देने का निर्णय लिया है। इसको ध्यान में रखते हुए सूती यार्न का निर्माण तथा निर्यात करने वाले शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात संवर्धन क्षेत्र के एकक जो कि काउंट प्रतिबंधों के अधीन हैं; को 1 से 40 काउंट समूह मे सूती यार्न का निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, अब उन्हें यार्न विनिर्माण की प्रक्रिया में होने वाले उनके कपास अपशिष्ट का निर्यात करने की भी अनुमति है।

(ग) निर्यात के आंकड़े राज्य–वार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए सूती यार्न की कुल मात्रा निम्नानुसार थी :

वर्ष	मात्रा मिलियन कि.ग्रा. में
1996	403.81
1997	514.47
1998	473.09

चालू वर्ष अर्थात् 1999 के लिए सूती यार्न के निर्यात के अनुमानित आंकड़े लगभग 535 मिलियन कि.ग्रा. है।

(घ) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय अलग–अलग वर्ष के आधार पर सूती यार्न के निर्यात की नीति की घोषणा करती है।

(ङ) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है जो कि 1.4.1999 से 31.3.2004 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत निधियां जुटाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह एक मुक्त योजना है जो कि उद्योग के बैंक योग्य तथा तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यावहारिक प्रस्तावों में निधियों का प्रयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत नोडिए एजेंसियों, आई.डी.बी.आई., सिडबी और आई.एफ.सी.आई/सहयोजित संस्थानों द्वारा उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को उनके निजी स्रोतों से योजना के अनुरूप परियोजनाओं के लिए ऋण देने की व्यवस्था है। यह योजना सामान्यतः उद्योग के लिए बनाई गई है न कि विशिष्ट रूप से किसी विशेष राज्य के लिए। कताई एकक योजना की शर्तों के अनुसार अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए जिसमें कैप्टिव शक्ति उत्पादन बहिस्राव निरूपण संयंत्र, जल निरूपण संयंत्र, आसूचना प्रौद्योगिकी सुविधा आदि जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, का लाभ उठा सकते हैं जिससे उत्पादन प्रक्रियाओं तथा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना सुकर हो सकता है।

स्वर्ण जमा योजना

2941. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक स्वर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि का सोना छड़ों, बिस्कुटों और आभूषणों के रूप में संग्रहण किया गया है;

(ख) योजना के संचालन और प्रचार–प्रसार की प्रणाली तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस वर्ष योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) स्वर्ण जमा योजना, जिसे सरकार द्वारा 14 सितम्बर, 1999 को अधिसूचित किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए गए नामित बैंकों द्वारा प्रचालित की गई है और भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए खुली है। स्वर्ण छड़ों, सिक्कों और स्वर्ण आभूषणों के रूप में दिया जा सकता है। योजना के अन्तर्गत जारी किए प्रमाण पत्र पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा अन्तरणीय है। जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज आयकर से छूट प्राप्त है। स्वर्ण में वृद्धि पूंजी–लाभ–कर से छूट प्राप्त है और जमा धनकर से मुक्त है। स्वर्ण जमा योजना के अन्तर्गत छड़ों, बिस्कुटों और आभूषणों के रूप में 14–12–1999 तक जमा किए गए स्वर्ण की मात्रा 425 कि.ग्रा. है।

(ग) यह एक नई योजना है और अब तक की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2942. श्री दिन्शा पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राजकीय योजनाओं की बहुत बड़ी धनराशि के वैयक्तिक खाता लेखा में स्थानांतरण की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जहां तक राज्य योजना स्कीमों का संबंध है, वैयक्तिक खाता लेखा में निधियों का स्थानांतरण, यदि कोई हो तो इसे संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य विधायिका को प्रस्तुत अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। इन पर लोक लेखा समिति और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा विचार–विमर्श और विस्तृत रूप से जांच की जाती है। ये समितियां अपनी रिपोर्ट राज्य विधायिका को प्रस्तुत करती हैं।

जहां तक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों का संबंध है, निधियों के इस प्रकार के स्थानांतरण को केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। केन्द्रीय लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर संसद की लोक लेखा समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाता है। वैयक्तिक खाता लेखा में निधियों के अंतरण के इक्का–दुक्का उदाहरण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और उनकी छानबीन संबंधित मंत्रालयों द्वारा की जानी चाहिए, जिन्हें बाद में लोक–लेखा समिति को स्थिति में सुधार के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराना चाहिए।

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोल लिंकेज

2943. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कोथागुडम और विजयवाड़ा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में खान ब्लाक आबंटित कर दीर्घावधि कोल लिंकेज के प्रबंध हेतु या राज्य में विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने हेतु आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए गोपालप्रसाद पश्चिमी खान ब्लाक को यथास्थिति बनाये रखने पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर कब तक विचार किये जाने की संभावना है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोठागुडम टीपीएस चरण–VI (2 × 250 मे. वा.) और विजयवाड़ा टीपीएस चरण–IV (1 × 500 मे. वा.) को नवंबर, 1998 में महानदी कोलफील्ड् लि. से प्रत्येक के लिए 2.04 मि. ट. प्रति वर्ष के दीर्घावधि कोयले के संयोजन प्रदान किए गए हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (1999 का संख्यांक 1) (वाणिज्यिक) का प्रतिवेदन–लेखाओं की पुनरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 852/99]

(दो) 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (1999 का संख्यांक 2) (वाणिज्यिक) का प्रतिवेदन–लेखाओं पर टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 853/99]

(तीन) 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (1999 का संख्यांक 3) (वाणिज्यिक) का प्रतिवेदन–संव्यवहार लेखा परीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 854/99]

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 855/99]

(ख) (एक) भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 856/99]

(ग) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, वर्धवान के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, वर्धमान का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 857/99]

(घ) (एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, चेन्नई के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन चेन्नई का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 858/99]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मार्च, 1998 को हुए वर्ष के लिए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (वाणिज्यिक) (1999 का संख्यांक 4) के प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 859/99]

(3) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय के वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 860/99]

(4) भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और खान विभाग के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 861/99]

(5) नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 862/99]

(6) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर नागपुर के

वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 863/99]

(7) (एक) नेशनल इन्सटीट्यूट आफ रौक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इन्सटीट्यूट आफ रौक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 864/99]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवर्सीफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवर्सीफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 865/99]

(3) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 866/99]

(5) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च ऐसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च ऐसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 867/99]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) बर्डस् जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्डस् जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखपरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 868/99]

(9) (एक) जूट मैन्यूफैक्चरर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चरर्स डेवलेपमेंट काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 869/99]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : डॉ. बल्लभभाई कथीरिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 870/99]

(ख) (एक) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 871/99]

(ग) (एक) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 872/99]

(घ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गये। देखिये संख्या एल. टी. 873/99]

(ङ) (एक) नेशनल बाइसकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बाइसकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 874/99]

(च) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 875/99]

(छ) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 876/99]

(ज) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 877/99]

(झ) (एक) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1997–98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 878/99]

(ञ) (एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) की (क), (ज) और (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 879/99]

(3) एच.एम.टी. लिमिटेड और उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 880/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1999 जो 22 अक्टूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 1999 जो 17 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 778(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 787(अ) जो 26 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चाय पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 881/99]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सीमा शुल्क (व्यवस्थापन मामले) नियम, 1999 जो 22 अक्टूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा–शुल्क (अपील) (संशोधन) नियम, 1999 जो 18 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 777(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 882/99]

(3) 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(एक) मिजोरम रूरल बैंक, आइजल

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 883/99]

(दो) बर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्धमान

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 884/99]

(तीन) कामराज रूरल बैंक, सौपोर

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 885/99]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 886/99]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 887/99]

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 888/99]

(ग) (एक) ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 889/99]

(घ) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 890/99]

(6) (एक) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 891/99]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 892/99]

(3) (एक) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 893/99]

(5) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 894/99]

(6) (एक) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 895/99]

(8) (एक) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शैलाक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 896/99]

(9) (एक) इंडियन काउंसिल आफ आर्बीट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ, आर्बीट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 897/99]

(10) (एक) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 898/99]

(11) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण), अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचेनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) कच्चा मांस निर्यात (चील्ड/फ्रोजन) (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1999 जो 9 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 572(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कच्चा मांस निर्यात (चील्ड/फ्रोजन) (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1999 जो 15 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 899/99]

(12) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 की धारा 9 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 573(अ) जो 9 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि कच्चे मांस (चील्ड/फ्रोजन) के सभी निर्यातक संलग्न प्रारुप में यह घोषणा करेंगे कि मांस के लिए उस पशु का वध कहां किया गया है।

(दो) का.आ. 584(अ) जो 15 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 573(अ) को विखंडित करना है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 900/99]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : डॉ. रमण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक के वर्ष 1998–99 के सत्ताईसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 901/99]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 902/99]

(ख) (एक) नार्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1998–99 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण–महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 903/99]

(ग) (एक) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 904/99]

(घ) (एक) हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 905/99]

(2) नेशनल हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 1999–2000 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 906/99]

(3) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 907/99]

(4) (एक) सिंथैटिक एंड रेयोन टैक्सटाइल्स प्रोमोशन कौंसिल, मुंबई के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक लेखे।

(दो) सिंथैटिक एंड रियोन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 908/99]

(5) (एक) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 909/99]

(6) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 910/99]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 911/99]

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कर्नाटक के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कर्नाटक का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 912/99]

(ग) (एक) सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, काठगोदाम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, काठगोदाम का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 913/99]

(2) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, धनबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान परिवार पेंशन और कोयला खान निक्षेप संबद्ध बीमा योजना, धनबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 914/99]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक सामान्य (संशोधन), विनियम, 1999 जो 6 नवम्बर 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 45 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 915/99]

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि चालू सत्र की शेष सत्रावधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999 पर आगे विचार और पारित करना।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।
4. राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1999

(ख) व्यापार चिन्ह विधेयक, 1999

(ग) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) विधेयक, 1999

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 1999

(ख) डिजाइन विधेयक, 1999

(ग) संविधान (86वां संशोधन) विधेयक, 1999

(घ) संविधान (87वां संशोधन) विधेयक, 1999

6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।

7. विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन उस पर विचार और पारित करना।

8. मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।

9. पेटेन्ट्स विधेयक, 1999

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ ? मैं सरकार से इस बारे में जानना चाहूंगा। सरकार ने इस बात का पक्का वायदा किया था कि वह महिला आरक्षण विधेयक पेश करेगी। लेकिन विधेयक को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महिला आरक्षण विधेयक के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री पी. एच. पांडियन : महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में विधेयक इस सत्र में पुरःस्थापित होना था। संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। इस सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले प्रधान मंत्री ने भी यह पक्का वायदा किया था कि यह विधेयक इस बार पेश किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि चालू सत्रावधि में केवल चार दिन ही शेष बचे हैं। नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह केवल निवेदन है, श्री पांडियन, आप जो निवेदन चाहते हैं, कर सकते हैं। यह कोई चर्चा नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कुछ देशों में तो महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। यहां, श्री प्रमोद महाजन ने पढ़कर बताया कि अगले सप्ताह अनेक विधेयक विचारार्थ और पारित करने हेतु लिए जाएंगे। लेकिन इस विधेयक को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। अ.भा.अ.द्र.मु.क. ने तमिलनाडु के लोगों को इस संबंध में दृढ़वचन दिया है तथा इसकी नेता पुरातची तालैवी को भी, जब वह भाजपा के साथ गठबंधन में थी, इसके बारे में दृढ़ आश्वासन दिया गया था। विधेयक पेश किया जाना चाहिए। पीठाध्यक्ष सरकार को विधेयक पेश करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। अन्य विधेयकों को पारित करने का क्या फायदा है ? हमें डिजाइन विधेयक की चिंता नहीं है, हमें विवाह विधि (संशोधन) विधेयक या किसी अन्य विधेयक की चिन्ता नहीं है .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये केवल निवेदन है। कृपया अपनी सीटों पर बैठिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर बैठिए।

श्री पी. एच. पांडियन : महिलाओं की 50 प्रतिशत आबादी मतदाता है। हम सभी को महिलाओं के मत मिलते हैं। सभी पार्टियां उनके मत प्राप्त करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने एक मामला उठाया है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री पी.एच. पांडियन : इस विधेयक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह सब क्या है ? आप एक नया दृष्टान्त सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे आपका तर्क समझ में नहीं आता है। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो आपने उन्हें बोलने

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं दिया। क्या यह उचित तरीका है ? श्री पांडियन, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया इस बात को समझें कि आप भी सभापति तालिका में हैं।

श्री प्रमोद महाजन : क्या आप भाषण देना चाहते हैं ? आप राज्य विधान सभा में अध्यक्ष थे। मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। आपको भी इसे सुनना पड़ेगा।

महोदय, महिला आरक्षण विधेयक सदस्यों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री पी. एच. पांडियन : क्या मंत्री द्वारा सदन के सदस्यों को इस तरह गुमराह किया जाना चाहिए ? यह बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, तो आप उन्हें बोलने नहीं देते। यह ठीक नहीं है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : विधेयक हमें नहीं परिचालित किया गया है। .... *(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : विधेयक पारित किया जाना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी के उत्तर को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : सरकार महिला आरक्षण विधेयक को इसी सत्र में पेश करना चाहती है और हम इसे पेश करेंगे .... *(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए .... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मंत्री ने अपने शब्दों का चयन कर लिया है। वह इसके लिए अधिकृत हैं और उन्होंने अपने शब्दों का चयन कर लिया है। उन्होंने कहा है, सरकार "चाहती है"। इस सत्रावधि में केवल चार दिन शेष बचे हैं .... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैंने कहा है "चाहती है" और हम विधेयक इसी सत्र में पेश कर देंगे .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह अपना निवेदन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि इसे अंतिम दिन पेश किया जाता है तो यह पारित करने के लिए नहीं होगा। क्या वह पारित करने के लिए होगा ?.... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैंने कहा कि हम इस सत्रावधि में विधेयक प्रस्तुत कर देंगे .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह के निवेदन को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए :

(एक) खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव से देश के आधा करोड़ से भी अधिक खुदरा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों को उनकी खुदरा दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है तो इससे हमारे खुदरा और छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए एक गहन चर्चा की आवश्यकता है।

(दो) जातिवाद समाज का सबसे बड़ा पाप है और हम जातीय हिंसा को बढ़ाकर अगली सहस्राब्दि में प्रवेश नहीं कर सकते। इस सामाजिक अपराध पर चर्चा की जानी चाहिए और जातिवाद के विरुद्ध चौतरफा लड़ाई लड़नी होगी।

डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम) : मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किए जाएं :

सम्बंधित संसद सदस्य की अध्यक्षता में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से स्वीकृत परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के मामले में उचित कार्रवाई करने और सम्बंधित कर्मचारियों को इस तरह के विलम्ब के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाए जाने की शक्तियों सहित एक निगरानी समिति गठित करने की तत्काल आवश्यकता है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है 2 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय से महिलाओं के ऊपर अत्याचार तेजी से और निरन्तर बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों एक तिब्बती लड़की को राम निवास बाग, जयपुर से कुछ असामाजिक तत्त्व सरकारी गाड़ी के अंदर बैठाकर उड़ाकर ले गए और उस महिला के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करके और बलात्कार करके छोड़ दिया। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रावत, आपका क्या निवेदन है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रावत, यह 'शून्य काल' नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। अब, श्रीविलास मुत्तेमवार अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत का भाग न समझा जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' नहीं है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए :

1. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का गम्भीर संकट और पेयजल सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता है; और

2. देश में बढ़ती रेल दुर्घटनाएं परिणामस्वरूप मानव–जीवन की भारी हानि और इसलिए निकट भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तौर–तरीके सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने की आवश्यकता।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (धोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो निम्नलिखित विषयों को रखने हेतु निवेदन की सूचना देता हूं :

1. माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन है कि देश में शिक्षित–अशिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने हेतु कार्य योजना तैयार की जाये।

2. माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का लाभ कतिपय पिछड़े वर्गों के अगड़े हिस्से के लोग उठा रहे हैं इसलिए वास्तविक पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके लिए पिछड़े वर्गों को दो उपवर्गों यथा पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग में विभाजित करने के विषय को चर्चा के लिए रखा जाये।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :

सरकार द्वारा विकास के लिए योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और की भी जा रही हैं किन्तु उनका लाभ अभी तक यथेष्ठ लोगों को नहीं मिल पा रहा है इसलिए आज जरूरत है कि देश के प्रशासनिक ढांचे सहित उसके कार्य करने की पद्धति में व्यापक सुधार किया जाये।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रशासन के ढांचे के साथ–साथ उसके कार्य करने के ढंग में व्यापक सुधार हेतु अविलम्ब कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए :–

1. मुम्बई रेलवे विकास निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंधनिदेशक की नियुक्ति करने और एम.एस.टी.पी.–2 के क्रियान्वयन के लिए इसका कार्यकरण शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाना; और

2. राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा एड्स रोग का पता लगाने; उसके निवारण के लिए कदम उठाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम पर चर्चा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए :

1. विदेशी प्रिंट मीडिया द्वारा निवेश की अनुमति देने के लिए सरकार की पहल और 1955 में लगाए गए प्रतिबंध को हटाना; और

2. राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित 15 जिलों के लिए केवल 29 करोड़ रुपए का आबंटन जो मूल धनराशि के पांच प्रतिशत से भी कम है।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाये :

दिल्ली के लगभग डेढ़ लाख उद्योग दिसम्बर 1999 के बाद बंद हो जायेंगे जिससे लगभग 12 लाख परिवार व साठ लाख लोग भुखमरी के कगार पर आ जायेंगे। दिल्ली सरकार ने जून 1999 को एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें कहा गया है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चलने वाले सभी उद्योगों को बंद कर बाहर भेज दिया जाये।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन कर इन उद्योगों को उजड़ने से बचाया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा का 'शून्यकाल' प्रारम्भ होता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी लोकसभा सचिवालय से पुष्टि करा ली है कि महिला आरक्षण विधेयक नवम्बर के लगभग तीसरे सप्ताह में परिचालित कर दिया गया है और इसे अगले सप्ताह के किसी भी उपयुक्त दिन की आपकी कार्यसूची में शामिल कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, वूमैन्स रिजर्वेशन बिल बिना जनमत संग्रह कराए हुए लोक सभा में भी नहीं लाना चाहिए। .... *(व्यवधान)* इस बिल के मामले में देश को विश्वास में लेना चाहिए। .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सबको बुलाएंगे। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक विषय, जो राष्ट्र के हित और आर्थिक व्यवस्था के संबंध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नई सदी और सहस्राब्दि के आगमन को तेरह दिन बाकी रह गए हैं। कम्प्यूटर जमत की वाई. 2 के. की समस्या सारे संसार में है। हमारे देश में भी पिछले वर्षों में यह बहुत चर्चित रही है। इसके बारे में तमाम जानकारियां विभागों द्वारा दी गई हैं। लेकिन जो हो रहा है, उससे लगता है कि इस महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में वर्तमान शासन उतना जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम विज्ञापन द्वारा जो एक अपील जारी की, वह मेरे पास है। उसकी घोषणा सदन में होनी चाहिए थी। मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री जी की इतनी महत्त्वपूर्ण अपील विज्ञापन द्वारा जारी की गई संसद द्वारा नहीं। उसमें लिखा है :

[अनुवाद]

"भारतवासियों, यह वाई 2 के, जो सभी का दुश्मन है, के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है। यह कम्प्यूटर और माइक्रोचिप समस्या से भी बढ़ कर है। यह हमारे व्यवसाय, हमारे उद्योग तथा हमारी उन आवश्यक सेवाएं जिन पर हमारा दैनिक जीवन निर्भर है, को प्रभावित कर सकता है। याद रखिए, यह एक ऐसी समय सीमा है जिसे हमें गंवाना नहीं चाहिए।"

[हिन्दी]

यह डैडलाइन 31 दिसम्बर, 1999 और उसके बाद की तिथियां हैं। शासन द्वारा इस विषय पर जो बयान आ रहे हैं, पर इस सदन में आज तक राष्ट्र के आर्थिक भविष्य के ऐसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय के संबंध में अभी तक कोई विशद बयान, कोई टिप्पणी या विवाद प्रस्तुत नहीं हुआ। यह बड़े दुःख और आश्चर्य का विषय है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस बारे में सरकार ने बहुत कमेटियां बनाई। 'उच्च–स्तरीय अधिकार प्राप्त कार्य बल वर्ष 2000 की समस्याओं का प्रभाव' इस विषय को लेकर प्लानिंग कमीशन के श्री मौन्टेक सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने एक उप–समिति नियुक्त किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : शायद वे आज इसे घोषित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

इस कमीशन ने दो महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं – पहली कि वाई. टू.के. के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। देशभर में इतने कम्प्यूटर हैं, इतना विस्तार हो रहा है, प्राइवेट, व्यक्तिगत, कम्पनियों से लेकर बैंकिंग आदि ग्यारह सैक्टर जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, उन पर

प्रभाव पड़ने वाला है। फाईनैंस और बैंकिंग, नॉन–बैंकिंग फाइनैंस कम्पनी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंश, बिजली, पावर, सिविल एविएशन, रेलवे बोर्ड, स्पेस, डिफैंस, पैट्रोलियम, कम्युनिकेशन, ये ग्यारह महत्त्वपूर्ण सैक्टर हैं जो इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, हैल्थ और दूसरे सैक्टर तो हैं ही। उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्रियों की कोई मीटिंग बुलानी चाहिए थी। मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखने वाले थे। वह चिट्ठी लिखी गई या नहीं। शायद ही दो–चार मुख्य मंत्री अपने से कुछ कर रहे हों।

बाकी अनेक मुख्यमंत्रियों ने इस सम्बन्ध में कंट्रोल रूम तक स्थापित नहीं किये हैं। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच जो बिजली के मामले में आन्तरिक सम्बन्ध हैं, वह आप जानते हैं और सदन जानता है। अब इस सम्बन्ध में देखें, बिजली सैक्टर को केवल लें तो हमारे देश में बिजली में 31708 मैगावाट पावर कैपेसिटी डिजीटल कण्ट्रोल पर चल रही है। अगर कहीं भी किसी भी राज्य में वह डिजीटल कण्ट्रोल का वाई2के कारणों से नई सदी में फेल कर गया तो कितना बड़ा संकट देश के सामने होगा, जनता के सामने होगा, उद्योग, व्यापार और दैनिक जीवन में हमारे सामने होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

इसके साथ ही साथ हमारी कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सम्बन्ध में ढंग से बातचीत यह स्पष्ट नहीं हुई है। दुनिया का विश्वास हमारे ऊपर से कम हो गया है। मैने दो रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनमें एक तो स्विस बैंक के "क्रेडिट स्विस" ने एक सर्वे किया है, उसके अनुसार भारत को वाई2के प्रिपेयर्सनैस में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने इतनी मार्मिक अपील की है, उसमें भारत को वाई 2के अवेयरनेस के बारे में आठवां स्थान दिया है। दूसरा सर्वे इस संसार में गार्टनर ग्रुप की ओर से हुआ है और इसमें हिन्दुस्तान में फेलियर रेट 50 परसेंट रखी है कि 50 परसैंट हमारी फेलियर की संभावनाएं हैं, उसने सम्भावना आधी–आधी रखी है और हमें अर्जेण्टीना, कोलम्बिया, इजिप्ट और वेनेजुएला की टक्कर में रखा है कि इतनी कम हमारी तैयारी है। इस बारे में सरकार को सदन को विश्वास दिलाना चाहिए। इस पर एक और वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की थी कि पहली जनवरी सन् 2000 के आसपास बैंकों में छुटिट्यां होनी चाहिए और पावर स्टेशंस को भी विशेष रूप से प्रबन्ध करने चाहिए।

मेरे पास तमाम आंकड़े हैं, पूरी जानकारी है, जो अब तक शासन ने कहा है, इस संबंध में, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अपर्याप्त है। यह इस शासन की असफलता का प्रमाण होगा, यदि वह इस सम्बन्ध में जो अब एक क्राइसिस कण्ट्रोल के हिसाब से 13 दिन बच गये हैं, उनके कार्य पूरा नहीं करती। एक कैबिनेट मानीटरिंग सैल हो, मंत्रिमंडल उसका गठन करे, इसकी हमें बहुत आवश्यकता है।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मैं नारायण दत्त जी का आभारी हूं कि इस महत्त्वपूर्ण विषय को उन्होंने यहां पर उठाया। अगर आपकी अनुमति हो तो भोजनावकाश के बाद सरकार की ओर से वाई2के संबंधी क्या तैयारियां हुई हैं, इसके बारे में हम वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस क्षण में इतना ही कहना चाहता हूं कि वाई 2के के में लिए हिन्दुस्तान सरकार ने और जनता ने पूरी तैयारियां की हैं। जिस प्रकार की नारायण दत्त तिवारी जी की पैनिक फैलाने वाली आशंका है, वैसी कोई स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : डेढ़ घंटे बाद स्टेटमेंट हो जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन : डेढ़ घंटे में तो प्रैस में बहुत सी बातें जा सकती हैं। इसलिए ऐसी कोई स्थिति नही है हमने वाई2के के बारे में सभी चीजों का अनुपालन किया है। और हम इससे निपटने के लिए विश्वस्त हैं।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष जी, मैं एक चिन्ताजनक स्थिति की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

21वीं सदी हमारे लिए कहीं आर्थिक संकट की सदी न हो जाये, यह चिन्ता हमारे देश के अनेक वर्गों में है। लेकिन मैं उसकी ओर ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि लोक सभा के बहुत दिनों तक सदस्य रहे, मंत्रिमंडल में कई पदों को उन्होंने सुशोभित किया, वसन्त साठे जी ने इस सवाल को बार–बार उठाया है। पिछले पांच वर्षों में उन्होंने इस पर कई बार टिप्पणी भी की है। उनका कहना है कि भारत जैसे देश में, जहां कहा जाता है कि 30 करोड़ मध्यम वर्ग के हैं, वहां केवल एक फीसदी लोग टैक्स देते हैं और नतीजा यह होता है कि सरकारी खजाने में टैक्स कम आता है और हम विदेशी मुद्रा पर, कर्ज के ऊपर निर्भर हैं। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज आंकड़ा यह है कि 40 फीसदी उस पर सूद में और उस पर खर्च करने में लग जाता है, इसलिए विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहना इस देश में सम्मान के खिलाफ, आत्मनिर्भरता के खिलाफ हमारे पुरुषार्थ के खिलाफ एक बड़ी चिन्ता है। श्री वसन्त साठे ने, जब माननीय नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे। एक पुस्तक 'टैक्स विदाउट फियर' लिखी थी। उसको मनमोहन सिंह जी ने नरसिंह राव जी को दिया था। उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। वे लगातार लिखते रहे हैं, लोगों से चर्चा करते रहे हैं। आर्थिक विषय के जानकार लोगों से उन्होंने बातचीत की, बीच–बीच में कई बार उन्होंने मुझ से भी बात की। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, कि अगर दस फीसदी लोग भी टैक्स देने लगें तो हमारी सरकार की आमदनी टैक्स से ही पांच–छः गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं, उन पर वे चर्चा चाहते हैं। जब किसी ने चर्चा नहीं की तो उदास होकर, दुखी होकर उन्होंने

कठोर निर्णय लिया है। वसंत साठे जी भारत की राजनीति को जानते हैं, अर्थ नीति का जानते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दिनों से लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने उनको निकट से देखा है। हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के वे जानकार हैं। उन्होंने दुखी होकर यह निर्णय लिया है कि अगर इस पर चर्चा नहीं हुई, विचार भी नहीं हुआ, तो 4 मार्च, 2000 से वे आमरण अनशन करेंगे। ऐसी स्थिति न पैदा हो, उसके लिए केवल यह मांग है कि सरकार के लोग और सरकार के अलावा दूसरे उनकी पार्टी के लोग भी इस विषय में कम–से–कम बातचीत करें। उस पर उन्होंने कई लोगों के विचार लिए हैं, उसका स्वागत भी किया गया है। मैं आपके जरिए सरकार से विशेषरूप से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर चर्चा करें। उनकी जो किताब है, उन्होंने सबको भेजी है। आपको भी भेजी है, प्रधानमंत्री जी को भेजी है और नेता विरोधी दल को भी भेजी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश धीरे–धीरे ऐसे जाल में फंस रहा है, जहां केवल विदेशी सहायता के ऊपर 100 करोड़ के देश को चलाना सम्भव नहीं। वह आत्मनिर्भरता की बात, वह पुरुषार्थ की बात, वह संयम की बात अब नहीं रही। इससे उनका दुखी होना स्वाभाविक है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। उन्होंने देश के निर्माण में काम किया है। ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा निर्णय लेना पड़े तो हमारे लिए दुख की बात है। अध्यक्ष महोदय, मै आपसे कहूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करें, मैं उनसे भी आपके जरिए निवेदन करता हूं कि वे प्रधानमंत्री जी से कहें और नेता विरोधी दल, दूसरे दलों के नेताओं और सोमनाथ जी सब मिलकर कम–से–कम उनकी बात सुनें, उस पर विचार करें और देखें कि उसको करना कितना सम्भव है। बजट बनाने में हमारे वित्त मंत्री जी को कठिनाई होगी। इससे उनको भी सहायता मिलेगी, मैं ऐसा समझता हूं। कठोर कदम उठाने की बात करना आसान है, साधारण कदम को उठाने की कोशिश करें तो देश कुछ आगे बढ़ सकता है।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, चन्द्रशेखर जी ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वसंत साठे जी की चिट्ठी हममें से बहुत सारे लोगों को मिली है, मुझे भी मिली है। मैं जरूर प्रधानमंत्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करूंगा। इतना ही नहीं वित्त मंत्री जी अपना बजट बनाने के पहले वसंत साठे जी से कम–से–कम व्यक्तिगत रूप से इन बातों की चर्चा कर लें, यह काम मैं वित्त मंत्री जी की ओर से भी करा दूंगा। जहां तक यहां चर्चा का सवाल है, अगले सत्र में अगर किसी नियम के अंतर्गत संसद में चर्चा होगी तो सरकार उसका स्वागत करेगी।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़) : महोदय, शुरू में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सरकार का ध्यान केरल में मछुआरा समुदाय द्वारा सामना की जा रही कठिन परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो उनकी नावों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में की गई कमी के कारण उत्पन्न हुई है। केरल के मछुआरों की हजारों नौकाएं मत्स्य–पालन और अन्य उद्देश्यों में लगी हुई हैं। इसलिए मैं सरकार से केरल के मछुआरों के मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्र शब्दों के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से बार–बार यह आश्वासन दिया कि सारे देश में सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। सर्वधर्म–समभाव की प्रेरणा को जागृत करना चाहिए। जैनियों की, हिन्दुओं की जो भावना है, उसका भी आदर करना चाहिए और किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसी में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनको हमने शुरू से ही चर्चा का आधार बनाया है और आम सहमति बनाने के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। कुछ प्रांत कई मुद्दों पर सफल भी हुए हैं।

हमारे देश में यह परम्परा है कि किसी धर्म का कोई विषय हो तो उसे आदर के साथ मानना चाहिए, उससे किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। देश में अल्पसंख्यकों को भी समझना चाहिए कि जो हिन्दू और जैन लोग हैं वे इस दृष्टिकोण से गाय को गो माता कहते हैं, उन्हें भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि रमजान शुरू हो गए हैं, दस जनवरी को ईद के दिन इसका समापन होगा और उस दिन पूरा देश ईद मनाएगा।

महोदय, एक जनवरी को दिल्ली के रेडफोर्ट में कुछ सम्मेलन होगा। सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि सब को अपनी–अपनी बात कहने का और सम्मेलन करने का अधिकार है। मेरा गृह मंत्री जी से सिर्फ इतना ही आग्रह है कि रमजान के समय और ईद के पहले जो सम्मेलन रेडफोर्ट में एक तारीख को गौवध निषेध और कुछ चर्चा के लिए होगा, उसके बारे में हम लोगों की ओर से और सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्रयास उन लोगों को समझाने के लिए होना चाहिए ताकि रमजान से लेकर ईद तक देश का वातावरण खराब न हो और अल्पसंख्यकों के दिल में भी कोई डर पैदा न हो। जब कि इस इश्यू के बारे में हम किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का देश में सद्भावना बनाए रखने के लिए आश्वासन है और गृह मंत्री जी का सब को प्रोटेक्शन देने के लिए आश्वासन है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार से बात करके यह सम्मेलन ईद के बाद करते तो ठीक होता। सरकार को

रमजान के समय इस तरफ कड़ी नजर रखनी चाहिए, इतना ही मेरा आग्रह है। .... *(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : हमारे संविधान में भी इस बारे में लिखा हुआ है। जब आजादी मिली थी, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं पहला काम यह करूंगा कि देश में गो हत्या बंद की जाए। आज महात्मा गांधी जी और कांस्टीट्यूशन की बात का इस तरह से कहना, हमारे देश में इतने सारे महापुरुष हुए, गो हत्या बंद करने की बात करने से यह कहना कि यह देश का वातावरण बिगाड़ देगा, मैं समझता हूं कि इस बात को यहां कहने से ही वातावरण बिगड़ता है। गो हत्या बंद करने की बात कहना, इसको रोकना, क्या यह देश के अंदर वैमनस्य पैदा करता है? महात्मागांधी जी ने भी इस बात को कहा। .... *(व्यवधान)* इस तरह की बात यहां नहीं करनी चाहिए। .... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने ऐसा नहीं कहा था। मेरी हिन्दी थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वह किसी के अधिकार और संविधान के खिलाफ नहीं कहा। .... *(व्यवधान)* जो लोग डर रहे हैं, उनके लिए मैंने कहा है। .... *(व्यवधान)* मैंने टाइमिंग के बारे में कहा कि इस पर ध्यान देना चाहिए। .... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : वे समझते हैं कि यह किसी के खिलाफ है, वे किसी के खिलाफ नहीं है। एक साधारण कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसे तूल देंगे, हाईलाइट करेंगे कि लोगों के मन में उसके बारे में चर्चा हो तो यह अच्छी बात नहीं होगी। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लगभग 52 सदस्यों ने सूचना दी है चूंकि आज इस सप्ताह का अंतिम दिन है, इसलिए कृपया बैठ जाइए।

श्री सिंह देव, आपने इस विषय पर दस बजे के पहले कोई सूचना नहीं दी है।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं पिछले पांच दिनों से सूचना दे रहा हूं। आज मैंने कोई सूचना नहीं दी है लेकिन कल मैंने दी थी।

महोदय, पिछले 35 वर्षों से भारत की लगभग साढ़े तीन करोड़ जनता जो उड़ीसा और आपके प्रदेश के श्रीकाकुलम के साथ-साथ मिदनापुर जिले में रहती है, मौसम संबंधी विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं जैसे खाद्य सामग्री से अभाव से पीड़ित रहे हैं जैसाकि श्री बसुदेव आचार्य ने उल्लेख किया है कि वर्ष 1965 से लेकर पश्चिम बंगाल के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित रहे हैं ये जिले सूखा, दुर्भिक्ष, भुखमरी, बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि सदन को अपनी समुचित बुद्धिमता का उपयोग करना चाहिए क्योंकि भारत सरकार, योजना आयोग और वित्त आयोग उड़ीसा जैसे राज्यों और आंध्र प्रदेश के एजेंसी क्षेत्र के हिस्सों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर लाने और उसकी अवनति को रोकने में असफल रहे हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जो योजना आयोग, या वित्त आयोग या संशोधित सूत्रों या पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अपनाई गई है, वे इस अवनति को रोकने में असफल रही हैं। वहां क्षेत्रीय विषमता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महाचक्रवात के कारण हुआ है लेकिन यह 35 वर्षों की तबाही अथवा बर्बादी का परिणाम है जिसने राज्य को संसाधनों को जुटाने की क्षमता ने नष्ट किया है।

विशेषकर उड़ीसा में 58 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनमें से 22 प्रतिशत जनजातीय है और 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं। इस समय महाचक्रवात के बाद सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस प्रकार विशेषकर उड़ीसा के इन क्षेत्रों को एक विशेष श्रेणी का दर्जा अवश्य दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान में नहीं है और हमारा राज्य सातवीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। यह हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में भी नहीं है।

इस प्रकार इस मामले में कुछ विशेष विचार किया जाना चाहिए। मैं संसद से अपनी समुचित बुद्धिमता का उपयोग अपील करने की करता हूं क्योंकि योजना आयोग, भारत सरकार और वित्त आयोग इस मामले में असफल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सभी को बुलाऊंगा।

मेजर जनरल (सेनानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अध्यक्ष जी, मैं सेना से संबंधित एक अति महत्त्व की समस्या आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता हूं। सैनिकों के सेना में रहने और सेवा-निवृत होने के बाद उनको कैंटीन की सुविधा प्राप्त होती है। यह सेना के नियमों में है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सेना में सेवारत और सेना से सेवा-निवृत दोनों तरह के लोग भारी संख्या में रहते हैं। हर घर में एक या दो जवान तो हैं ही। कहीं-कहीं पर तो पूरा गांव का गांव ही सेना में है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सुविधा उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है। उनको अपने गांव से काफी दूर इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जाना पड़ता है, जिससे पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होते हैं। पूरे जिले में यह सुविधा एक या दो जगह है। मैं बार-बार

यह आग्रह करता आया हूं कि यह सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। अगर वहां पर स्थाई कैंटीन नहीं खुल सकती है तो मोबाइल कैंटीन खोलने की कृपा करें। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के सैनिकों की जो मौलिक सुविधा है उसको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मोबाइल कैंटीन खोलने की व्यवस्था करायें।

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव में एक कोओपरेटिव चीनी मिल लगी। अभी उसे लगे साल भी नहीं हुआ था कि बंद हो गयी। अब उत्तर प्रदेश की सरकार उसको बेचना चाहती है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि वह चीनी मिल न बेचे और उसको कोओपरेटिव सैक्टर में ही चलाया जाये।

श्री ब्रह्मनन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्त्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार इस पर अपनी ओर से एक बयान भी दे। कई अखबारों में 13 दिसम्बर को आया है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है जो कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, कि 1992 में 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और केन्द्रीय सरकार, केन्द्रशासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि उन्हें पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। लेकिन वह पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, सभी राज्य सरकारें नहीं कर सकी हैं।

केन्द्र सरकार ने अभी तक इसे नहीं किया है। कुछ राज्य जैसे बिहार है, वहां मुंगेरी लाले कमीशन ने पिछड़े वर्ग में दो भाग किए थे। उसके आधार पर बिहार में अति पिछड़ों को राज्य सरकार की सेवाओं में 15 परसैंट आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में मिल रहा है लेकिन केन्द्र सरकार अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अभी तक सामाजिक और आर्थिक आधार पर क्रीमी लेअर की पहचान नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह काम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य सदस्य भी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना चाहते हैं। कृपया समझने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मनन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए तैयार है या नहीं? आज अति पिछड़ों की आबादी 32 से 34 करोड़ है। पिछड़ों के नाम से जो आरक्षण है, उसका लाभ दबंग पिछड़ी जाति के लोग नहीं उठा रहे हैं। .... *(व्यवधान)* मैं यहां रहता हूं या नहीं रहता हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। यह पूरे देश का सवाल है। 32 परसैंट लोगों का सवाल है। केरल में एक अधिनियम बना था। उसमें कहा गया था कि क्रीमी लेअर केरल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया था। केन्द्र सरकार उसे लागू करेगी या नहीं? संसदीय कार्य मंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, उनकी हर राज्य में पहचान होनी चाहिए।

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसद और सरकार का ध्यान कपास की खेती की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। .... *(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मनन्द मंडल : अभी हाल ही में बयान दिया और उसके पहले भी बयान दिया था कि जाटों को पिछड़े वर्ग में लिया जाए। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया उन्हें न भड़काएं। श्री मंडल कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मनन्द मंडल : मैं। केरल हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मंडल, मैंने श्री उत्तमराव ढिकले का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले महाराष्ट्र के किसानों ने एक रैली निकाली और उसमें कपास के दाम निर्धारित करने की मांग की। आप सबको मालूम है कि महाराष्ट्र में एकाधिकार योजना है। इसके अनुसार महाराष्ट्र के किसान राज्य के बाहर अपना कपास नहीं दे सकते। इसको लेकर महाराष्ट्र के सभी किसान चिंतित हैं। वहां ग्राहक नहीं हैं। मुझे यहां किसान की दर्द भरी कहानी बताते हुए शर्म आती है। महाराष्ट्र में किनवट और खामगांव नाम के गांव हैं। उस गांव के किसान अपना कपास लेकर मार्किट में गए। वे वहां लगातार सात–आठ दिन बैठे रहे लेकिन उन्हें ग्राहक नहीं मिले। इसमें एक किसान चल बसा।

उसने जान छोड़ दी और कपास मार्किट में वैसी की वैसी रह गई। इसलिये मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को डायरेक्शन्स दी जाये कि किसानों को कपास के लिए अच्छे भाव दे। दूसरी बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हम कपास आयात करते हैं, चीनी आयात करते हैं, सब्जियां आयात करते हैं, सब कुछ आयात करते हैं जिसका एक एग्ज़ाम्पल मैं अनार का देना चाहता हूं कि यह अफगानिस्तान से आता है .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मि. बब्बन राजभर।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितना मिलता है? केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ दाम है लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है . . . .*(व्यवधान)* कपास का दाम महाराष्ट्र राज्य की भूतपूर्व शिवसेना–भा.ज.पा. सरकार ने 2300 रुपये दिया था। यह दाम मिलने के लिए केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को आदेश दे।

अध्यक्ष महोदय : मि. बब्बन राजभर।

श्री मोहन रावले : महाराष्ट्र सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। कई किसानों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को आदेश दे। किसानों को भाव नहीं मिला है। भाव भी तय हुआ था। सोयाबीन का दाम 554 रुपये तय हुआ था। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री उत्तमराव ढिकले : महोदय मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है। आप फिर सभा की कार्यवाही में व्यवधान पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप फिर सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। क्या सोच रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : किसानों ने वहां मोर्चा निकाला है। .... *(व्यवधान)* कॉटन मंत्री बैठे हुये हैं। .... *(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी विश्व पर्यटकों का केन्द्र है। यह न केवल हिन्दू धर्म का केन्द्र है बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनुयायियों का भी विश्व का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय–काशी हिन्दू यूनिवर्सिटी में पांच यूनिवर्सिटीज इसके अंदर हैं। यहां से कालीन व्यवसाय, रेशम तथा साड़ी का व्यवसाय विदेशों से किया जाता है। पर्यटक यहां पर बड़ी संख्या में आते हैं। यहां के खिलौने और कृत्रिम मोती विदेशों में जाते हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वाराणसी में अन्तराष्ट्रीय हवाई पट्टी बनाने की आवश्यकता है और सरकार जल्दी से जल्दी हवाई पट्टी बनाने का कार्य करे।

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, जैसा तिवारी जी ने बताया कि हम 13 दिन के बाद नये मिलिनियम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस मिलिनियम में रोशनी के साथ पहुंचे या अंधेरे के साथ, यह बात मैं इस सदन में आज उठाना चाहता हूं।

पिछले हफ्ते हमारे हरियाणा प्रदेश के जातली गांव में तथाकथित नीची जाति के लड़के का तथाकथित उच्च जाति की लड़की के साथ मुहब्बत करने की वजह से लड़की का सात माह पूर्व उसके परिवार के लोगों ने कत्ल कर दिया था और सात महीने के बाद पिछले हफ्ते तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने, जो कुछ दिन पहले तक हरियाणा के बहुत प्रभावशाली मंत्री रहे हैं, के रिश्तेदारों ने मिलकर उस परिवार पर हमला करके लड़के के परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी क्योंकि उसने तथाकथित उच्च जाति की लड़की के साथ मुहब्बत की थी। इस अंधेरे दिमाग के साथ कैसे हम अगली मिलिनियम में जायेंगे ? यह जातिवाद की बर्बरता है। यह दक्षिण अफ्रीका की अपार्थाइड की तरह की बर्बरता है। यह असभ्यता है। जब तक यह बर्बरता और जातिवाद खत्म नहीं होगा, हिन्दुस्तान सभ्यता के साथ अगले मिलिनियम में नहीं जा सकता है? यह सभ्यता पर कलंक है। इस बर्बरतापूर्ण दिमाग को दूर करने की लड़ाई बहुत जरूरी है। जो घटना घटी है, एक एम.एल.ए. के रिलेटिव ने चार लोगों का खून कर दिया।

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों पर हो रहे घोर अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं।

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 1997 में कुल 621 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगा था जिसकी लिखित परीक्षा नवम्बर–दिसम्बर 1997 में हुई थी तथा अप्रैल–मई 1998 में साक्षात्कार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में 621 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए जिसमें पिछड़ा वर्ग के कुल 215 सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय से सिफारिश की थी। इनमें 49 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में, 166 उम्मीदवार आरक्षण श्रेणी के थे। लेकिन केन्द्र सरकार (कार्मिक

मंत्रालय) ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करके अन्य पिछड़ा वर्ग के 47 उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया और सेवा में लेने से वंचित कर दिया है। जबकि भारत सरकार के राजपत्र के मुताबिक सामान्य योग्यता स्तर पर चुने गए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जा सकता। इस तरह नियमों का उल्लंघन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के 47 उम्मीदवारों को अखिल भारतीय सेवा से वंचित कर देने का केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय का फैसला संविधान की खुली अवहेलना है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में सदन को जानकारी दे तथा सभी 47 अन्य पिछड़े वर्ग के शेष पास उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करे तथा दोषी अधिकारी को दंडित करने की कार्रवाई करे। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : अध्यक्ष महोदय, केरल में हजारों काजू श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा 1993 में आरंभ की गई भविष्य निधि पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्यवश इस योजना के अंतर्गत केवल 1993 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है। किन्तु 1993 से पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ दिया जाए जिससे कि उन्हें लाभ मिलने में विलंब न हो और न ही वो इससे वंचित हों।

महोदय, सेवानिवृत होने तक अधिकांश श्रमिक कई रोगों के शिकार हो जाते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बगैर जीने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद वे अपना जीवन निर्वाह करने योग्य नहीं रहते हैं। इन दुर्भाग्यशाली श्रमिकों द्वारा एक अन्य समस्या का सामना किया जा रहा है वह यह है कि भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का वितरण केवल कैनरा बैंक द्वारा किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि पेंशन का भुगतान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया जाए।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : मैंने एक प्रिविलेज नोटिस दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ ? ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह 'जीरो आवर' है।

(व्यवधान)

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं। 15 दिन से नोटिस दे रहा हूं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, किसी समाचार पत्र द्वारा राष्ट्र की सेवा में अपनी सेवा के 75वें वर्ष में प्रवेश करना हमेशा गौरव की बात है। देश के एक अग्रणी दैनिक समाचार पत्र 'द हिंदुस्तान टाइम्स' ने अपने प्रकाशन के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी सभा की ओर से इस समाचारपत्र की प्रबंधन, कर्मचारियों, श्रमिकों तथा पत्रकारों को इसके लिए बधाई देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि 'द हिंदुस्तान टाइम्स' अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रतिबद्धता को जारी रखेगा।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप अध्यक्षपीठ की तरफ से एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : हम भी इससे सहमत हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने आपको उनके साथ शामिल कर सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार के दोहरे मानदंडों के कारण न्याय प्रक्रिया इसकी शिकार होती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में निगर सिनेमा के निकट 17 मुस्लिम व्यक्तियों के नरसंहार के संबंध में आठ दोषियों के विरुद्ध मामले दायर किए गए थे, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत आपत्तिजनक तरीके से इन सभी मामलों को वापिस ले लिया है। यह विधि के नियमों का उल्लंघन है। यह एक प्रकार का हमला है तथा शर्मनाक कृत्य है; यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर हमला है। मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 मुस्लिमों की हत्या के अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा वापिस लिए जाने की कार्यवाही वास्तव में उन सांप्रदायिक तत्त्वों, जो देश के सांप्रदायिक वातावरण और शांति को भंग कर देना चाहते हैं के लिए एक प्रोत्साहन के समान है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध

करता हूं ताकि न्याय प्रक्रिया दोहरे मानदंड का शिकार न हो और इन मामलों को पुनः चलाया जा सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, 1960 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी 20 लाख थी। देश के कोने–कोने से लाखों लोग रोजगार कमाने के लिए दिल्ली में आए। वे लोग आलीशान बस्तियों में अपने मकान नहीं ले सकते थे, इसलिए यहां के गांव वालों ने सस्ती जमीन उन्हें दे थी, जिसके कारण यहां आनऔथॉराइज्ड कालोनियां बन गईं। आज लगभग दो हजार अनऔथराइज्ड कॉलोनियां दिल्ली में हैं, जिनमें बीस लाख लोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं। चूंकि उन कालोनियों को पास नहीं किया गया है इन कालोनियों को पास करने के लिए गत भाजपा सरकार ने 1071 कालोनियों को पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजा था, जहां संयुक्त मोर्चा सरकार थी, कांग्रेस ने जिसका समर्थन किया था, लेकिन उसमें स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन कालोनियों को तुरंत पास किया जाए, ताकि वहां नागरिक सुविधाएं जुटाई जा सकें और वे लोग भी अच्छा जीवन जी सकें। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें कुछ दखल दें और हमें बतायें ये कालोनियां बहुत जल्दी पास की जायेंगी, ताकि 20 लाख लोगों का जीवन सुधर सके।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भी इसका समर्थन करते हैं।

श्री विजय गोयल : सर, मैं लगातार तीन दिनों से नोटिस दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी को बुला रहे हैं।

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली) : आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं खास तौर से चेयर का आभार मानना चाहता हूं, मैं आपका आभार मानना चाहता हूं। जिस प्रकार मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाये गये, उस बारे में मुझे चेयर से जो प्रोटेक्शन मिला है, आपसे जो संरक्षण मिला है, उसके लिए मैं आपका आभार मानना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार मानना चाहता हूं, जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देलकर आपने किसी अन्य मामले के संबंध में नोटिस दिया था किंतु अब आप दूसरा मामला उठा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आपको केवल उसी विषय पर बोलना पड़ेगा जिसकी आपने सूचना दी है। अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. देलकर : सर, मैं दो मिनट में आभार मानकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उसके बारे में जांच हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूं, जहां से मुझे न्याय मिलने का आश्वासन मिला है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा।

श्री मोहन एस. देलकर : सर, मैं माननीय सदस्यों का आभार मानना चाहता हूं जहां से मुझे सपोर्ट मिला। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानना चाहता हूं साथ ही साथ सारे सदस्यों का भी आभार मानना चाहता हूं जिनसे मुझे सपोर्ट मिली, प्रोटेक्शन मिला। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें विजिलेंन्स इंक्वायरी हो, पूरी तरह से इंक्वायरी हो .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीप्रकाश जायसवाल।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कानपुर की एक ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, पिछले 40 वर्षों से कानपुर के घाटों से गंगा नदी धीरे–धीरे करके दूर चली गई। 40 वर्षों से हमारे कानपुर शहर की जनता की डिमांड के आधार पर 30 वर्षों बाद कानपुर की यह मांग पूरी हुई ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, अब बहुत व्यवधान हो चुका है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप बैठ जाइये, प्लीज, यह क्या है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, गंगा घाटों को छोड़कर चली गई। कानपुर शहर की जनता की 20 वर्ष पुरानी मांग थी, 20 वर्षों के बाद कानपुर की यह मांग पूरी हुई। हमारे सौभाग्य की बात है कि पं. नारायण दत्त तिवारी यहां बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। उसमें केन्द्रीय सरकार का भी योगदान होना था। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से की भी स्वीकृति प्रदान कर दी और कानपुर में गंगा–बैराज का काम शुरू हुआ, लेकिन पिछले तीन वर्षों से कानपुर के गंगा–बैराज का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप्प पड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, गंगा बैराज का कानपुर के विकास और कानपुर के अस्तित्व से बड़ा गहरा तालमेल है। जब तक गंगा बैराज का निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा, जब तक कानपुर में गंगा बैराज नहीं बनेगा तब तक कानपुर की जनता को शुद्ध पेयजल की सप्लाई शुरू नहीं की जा सकती, जब तक कानपुर का गंगा बैराज नहीं बनेगा तब तक कानपुर की विद्युत की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि कानपुर शहर की इस सबसे ज्वलन्त और जनहित की समस्या की ओर आप केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षिक करें और गंगा बैराज के निर्माण का कार्य जो पिछले दो वर्षों से रुका हुआ है, उसका तुरंत शुरू कराएं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.14 बजे

लोक सभा की बैठक भोजनावकाश के बाद दो बजकर चौदह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री प्रमोद महाजन वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 2.14½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कम्प्यूटर और कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों में "वाई 2 के" की समस्या तथा देश में इसके लिए तैयारी

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, वाई 2 के (वर्ष 2000) समस्या वर्ष 1998 तथा 1999 से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है। यह समस्या कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों से संबंधित है। समूचे उद्योग जगत में वर्ष लिखने के लिए चार अंकों के बजाए केवल दो अंकों का प्रयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, 1996 के स्थान पर केवल 96 लिख जाता है)। यह प्रथा 1960 से लेकर 1980 तक चलती रही जिससे डिस्क तथा मोमोरी में कम स्थान की आवश्यकता हो क्योंकि उस समय ये साधन अपेक्षाकृत रूप से महंगे होते थे।

जब इन दो अंकों का प्रयोग जारी रहेगा तब प्रणाली वर्ष 2000 को 1900 और वर्ष 2001 तथा 2002 को क्रमशः 1901 तथा 1902 समझेगी। आरक्षण प्रणाली, टिकट जारी करने की प्रणाली, बैंकिंक प्रचालन और बीमा जैसे तिथि पर चलने वाले अनुप्रयोगों में इस प्रकार की अशुद्ध गणना गम्भीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। वाई2के समस्या सर्वव्यापी है क्योंकि यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचार उप–प्रणालियों तथा अंतःस्थापित प्रणाली वाली सभी अंकीय प्रणालियों को प्रभावित करती हैं।

सरकार ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियों और संगठनों के वाई2के समस्या और इसके लिए तैयारियां करने के उद्देश्य से आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के बारे में सचेत कर दिया है। जागरूकता अभियान में समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन, रेडियो में विज्ञापन देने के साथ–साथ डाक भेजकर जानकारी देना भी शामिल है, जिनके माध्यम से वाई2के समस्या के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। वाई2के समस्या के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए एक सरलीकरण डेस्क तथा वेबसाइट का सृजन किया गया है।

सरकार द्वारा दिया गया एक महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन यह है कि विद्यमान कम्प्यूटर प्रणालियों को वर्ष 1999–2000 के लिए पूरी तरह अथवा विशिष्ट रूप से वाई2के अनुरूपी बनाने के लिए यदि कोई खर्च किया गया है तो व्यवसाय के लाभ की गणना करते समय उसकी कटौती की जाएगी। सरकार ने सभी मंत्रालयों विभागों तथा एजेंसियों को अपने बजट का तीन प्रतिशत तक व्यय वाई–2-के की तैयारी पर करने की अनुमति दी है। सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है

सभी कम्पनियों द्वारा अपनी त्रैमासिक तथा वार्षिक रिपोर्टों में वाई2के की तैयारी के बारे में उठाए गए कदमों की स्थिति अवश्य बताई जाए।

सचिवों की समिति भी ग्यारह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात बैंकिंग एवं वित्त, बीमा, दूरसंचार, विद्युत, नागर विमानन रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बन्दरगाह, अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा तथा रक्षा में वाई2के की तैयारी की स्थिति की समीक्षा कर रही है। समग्र स्थिति यह है कि इन क्षेत्रों द्वारा उच्च स्तरीय वाई2के तैयारियां हासिल कर ली गई हैं और तृतीय पार्टी परीक्षा भी की गई है। आकस्मिक योजना तैयार है। प्राथमिकता वाले दो क्षेत्रों अर्थात नागर विमानन तथा विद्युत की समीक्षा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) तथा विश्व बैंक के माध्यम से विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा की गई है। इन विशेषज्ञों ने परीक्षा पूरी कर ली है उनकी रिपोर्ट के मसौदे में इन दो क्षेत्रों में वाई2के की तैयारियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से समतुल्य के रूप में प्रमाणित किया है।

भारत सरकार ने वाई2के समस्या के प्रभाव का प्रबंध करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था जिसमें सरकार, उद्योग संघों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों, रेलवे, रक्षा सेवाओं, उपयोगिता एवं अन्य सार्वजनिक सेवा संगठनों से प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1999 में प्रस्तुत कर दी जिसका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया गया। कार्यदल राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में वाई2के की तैयारियों पर हुई प्रगति की निगरानी भी कर रही है।

वाई2के की तैयारियों के इस नाजुक चरण पर राज्य सरकारों को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र में जनता के साथ सीधे सम्पर्क होता है जिनका क्षेत्राधिकार राज्य सरकारों के अन्तर्गत है। प्रधान मंत्री जी ने सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजकर वाई2के की तैयारियां करने और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के बारे में सलाह दिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के मुख्यालय में एक राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष का गठन कर रहा है। वे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के क्षेत्रीय नियंत्रण कक्षों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखेंगे और उनके साथ मिलकर समन्वित रूप से कार्य करेंगे और यह कक्ष 28 दिसम्बर, 1999 से 3 जनवरी, 2000 तक कार्य करेगा। सभी राज्य सरकारों को भी अपने–अपने राज्य की राजधानियों में तथा जिला मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ताकि वे जानकारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकें।

मैं इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने सभी क्षेत्रों में वाई2के की तैयारियों के लिए कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रखा है ताकि जनता को इस मानव निर्मित समस्या के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हम घनिष्ट रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सभी संबंधित क्षेत्र अपनी–अपनी तैयारियों की निरन्तर निगरानी, जांच एवं पुनःजांच कर रहे हैं ताकि नई सहस्राब्दि में हम निर्विघ्न रूप से कदम रख सकें।

अपराह्न 2.20 बजे

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन विधेयक)*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : महोदय, श्री यशवंत सिन्हा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1989 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.21 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकार की विनिवेश नीति

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा अब जारी रहेगी। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, आज नियम 193 के अंतर्गत "सरकार की विनिवेश नीति" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करते समय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस समस्या के आर्थिक और मानवीय पहलुओं पर विचार किया जाए। बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, यदि विनिवेश और सरकारी

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग दो, खण्ड–दो दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

क्षेत्र की इकाइयों को बन्द किया जाएगा, तो विभिन्न सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में नियुक्त कर्मचारियों जिनकी संख्या के बारे में मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने उनका उल्लेख किया है, के लिए सही में एक चुनौती होगी और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और बेरोजगारी की समस्या न केवल गम्भीर होगी अपितु वह बरदाश्त की सभी सीमाओं को पार कर जायेगी।

रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं ? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा रुग्णता के बुनियादी कारणों की जांच की गई थी और मैं उक्त समिति का सदस्य था और उस समिति ने कुछेक कारणों का पता लगाया था। ये कारण थे–क्षमता का कम उपयोग, उपस्करों का जल्दी–जल्दी खराब होना, संयंत्र पुराने होना, बिजली में कटौती, औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या और प्रतिस्पर्धा की कमी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति की पिछली रिपोर्ट में निवारक कार्रवाई करने के लिए कुछ प्रस्तावों जैसे कि नई प्रौद्योगिकी को लागू करना, बजटीय सहायता और प्रबन्ध तंत्र को युक्तिसंगत बनाना आदि, का उल्लेख किया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विनिवेश संबंधी प्रस्तावों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में परम प्राथमिकता देते हुए उन पर विचार करे और अपने विचारों की घोषणा करे। हम महसूस करते हैं कि सरकार इस संबंध में पूर्णरूप से असमंजस में है और अपने विचारों को व्यक्त करने में निष्काम हो गई है। विनिवेश नीति के संबंध में उसका मत क्या है ?

मैं माननीय नए मंत्री को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि उनमें प्रतिभा है, उनमें सोचने की शक्ति और दूरदर्शिता तथा प्रबन्धन कार्यक्षमता है। मुझे विश्वास है कि इन सभी योग्यताओं के होते, वे इस मामले पर विस्तार से विचार करेंगे और उन समस्याओं, जिनका उल्लेख यहां पर बहुत विस्तार से किया गया है, पर गौर करेंगे।

विनिवेश आयोग का गठन 23.08.1996 को किया गया था। इस आयोग ने अपनी बारहवीं रिपोर्ट पेश की थी लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें हम भी शामिल हैं, ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है और आयोग की रिपोर्ट धूल चाट रही है। उक्त आयोग ने अपनी तीन वर्ष की लम्बी अवधि के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी लेकिन उस रिपोर्ट की स्थिति क्या है ? रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर कितना विचार किया जा रहा है ? उन पर क्या विचार व्यक्त किए जा रहे हैं ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इन सिफारिशों को मान रही है अथवा नहीं ? कुछ सकारात्मक घोषणाएं और कुछ सकारात्मक विचार इस सभा के सम्मुख रखे गए हैं।

हम पश्चिम बंगाल राज्य में कुछेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में भी चिन्तित हैं। माननीय मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने माननीय प्रधानमंत्री से इस संबंध में अनुरोध किया और माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने की घोषणा करने से पूर्व कुछ वैकल्पिक पुनरुद्धार पैकेजों के बारे में विचार किया जाएगा। ऐसे कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं – माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन (एम.ए.एम.सी) नेशनल बाइसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.बी.सी.आई.एल) साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत आप्थलमिक् ग्लास लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, वेलियार्ड इंडिया लिमिटेड, चर्मशोधन और जूता निगम लिमिटेड (टेएफको) – हांलाकि यह लखनऊ में स्थित है जो माननीय प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी है और भारतीय पुनर्वास उद्योग निगम।

माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि जहां तक इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, इन्हें बन्द करने की घोषणा करने से पहले विचाराधीन रखा जाएगा। माननीय मंत्री श्री प्रमोद महाजन ने भी ब्रिग्रेड परेड ग्रांउड में आयोजित रैली में केन्द्र सरकार की ओर से स्पट शब्दों में यह आश्वासन दिया कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रस्ताव के बारे में हमें जानकारी दी है, उस पर मंत्रिमण्डल की बैठक में विचार किया जाएगा। हमें इस बात की जांच करनी है की क्या यह सही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मकारों के देनदारी को चुकाने हेतु 517 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और उनका पुनर्वास करने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यदि 300 करोड़ रुपए आबंटित किए जाते हैं तो वे उसके बारे में पुनः विचार कर सकते हैं। सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर तेजी से विचार कर रही है।

पी.ई.एस.बी की स्थापना 30.8.1974 को की गई थी। पी.ई.एस. बी. में वरिष्ठ स्तर के पदों पर उन सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जो किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक रह चुके हैं। हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने की बजाए, वह प्रबन्धन के क्षेत्र में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करें। यदि प्रबन्धन में कर्मकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है तो हमें दृढ़ विश्वास है कि उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी और अच्छा वातावरण पैदा होगा। प्रबन्धन को प्रबन्धकीय तरीके से चलाया जाए न कि केवल नौकरशाही से। हमारे देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : उन्हें नवरत्न कहा जाता है। कुछेक

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि बी.एच.ई.एल, एस.ए.आई.एल, एन. टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., आई.टी.आई, आई.ओ.सी., वी.एस.एन.एल., एन.एफ.एल, आर.पी.एफ., इंडियन एयरलाइंस, जी.ए.आई.एल आदि सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे हैं। इन उपक्रमों ने अपनी धाक और विश्वसनीयता सिद्ध कर दी है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है–श्री बसुदेव आचार्य एक दिन बता रहे थे कि इनकी संख्या 246 है।

सभापति महोदय : श्री सुंदीप बंद्योपाध्याय कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैंने अभी बोलना शुरू किया है। कृपया मुझे पांच मिनट का समय और दें।

इनमें से ग्यारह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के 97 उपक्रम लाभ कमा रहे है। इन्हें "मिनी रत्न" कहा जाता हैं और 108 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को महत्त्वपूर्ण खरीदारों को बेचने का प्रस्ताव किया गया है। महत्त्वपूर्ण बिक्री का क्या अर्थ है ? क्या यह सच है कि महत्त्वपूर्ण बिक्री का अर्थ व्यापक सरकारी हिस्सेदारी को एक ही खरीदार को बिक्री करना है, जो 60 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का मालिक बन जाएगा ? यदि यह सच है तो महत्त्वपूर्ण खरीदार धीरे–धीरे स्वतः ही कंपनी का प्रमुख हिस्सेदार बन जाएगा। इसलिए सरकार को जो कहना है उसे स्पष्ट रूप से कहे।

सरकारी क्षेत्र आधुनिकीकरण कोष तत्काल स्थापित किया जाना चाहिए। इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन में सहायता मिलेगी। इस कोष की भूमिका क्या होगी, हम जानना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी स्थायी सम्मेलन ने पुनर्गठन आयोग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है। यह आयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी एक समग्र रणनीति तैयार करेगा तथा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए इनकी बिक्री की परवाह नहीं करेगा।

हम विनिवेश का पूर्णः विरोध करते हैं। शुरू से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा, अपने मंत्रालय के कार्य में व्यस्त होने के कारण समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे थे। जब एक पृथक मंत्रालय की घोषणा की गई थी हमें पक्का यकीन था कि श्री अरूण जेटली जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से समस्याओं पर गौर करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो वह त्रिपक्षीय बैठक भी बुलाएंगे, यूनियनों को विश्वास में लेंगे या उनके साथ विचार–विमर्श करेंगे जो वास्तव में अच्छे सुझाव देने में सक्षम हैं। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने रुग्ण इकाइयों के पुनर्गठन, इकाइयों के आधुनिकीकरण या रुग्ण इकाइयों को अर्थक्षम बनाए जाने के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया था। इस प्रकार की रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। सरकार को पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि अन्य सामाजिक समस्यायें भी उत्पन्न हो सकती हैं। हमारा विचार है कि इन विनिवेश प्रस्तावों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। देश के कामगार वर्ग को राहत प्रदान किए जाने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन डिस–इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी विनिवेश नीति पर फादर ऑफ व हाउस, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी द्वारा बहस छेड़ी गयी है और उस नीति पर बहस करते हुए यह जानकारी मिली कि इस पर एक अलग विभाग कर दिया गया है फिर एक और अलग विभाग किया गया इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उसके श्री प्रमोद महाजन संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री बनाये गये हैं। श्री अरूण जेटली, जो जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन के एक मेधावी छात्र नेता थे और जो मशहूर वकील भी हैं, को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन देश भर में अफवाह यह है कि प्रधान मंत्री जी अपने नजदीकी लोगों को जूसी विभाग देते हैं। अब पता नहीं उन्होंने यह देश को बढ़ाने वाला काम किया है या नहीं।

अपराह्न 2.35 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इलैक्शन पर जो खर्चा होता है, उसमें पैसा जमा करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। ऐसी बड़ी गर्म अफवाह है। यह हमारे घनिष्ठ मित्र हैं और जयप्रकाश आन्दोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। जब देश के गांवों खास तौर से गरीब मजदूर वर्ग का सवाल आता है तो हमें मुस्तैद होना पड़ता है। डबल्यू. टी.ओ. और उदारीकारण की नीति के चलने के बाद इस बात की क्यों छानबीन नहीं होती है कि क्या इससे कुछ सुधार हुआ है या नुकसान हुआ है ? स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले आज भटक रहे हैं। डिसइन्वैस्टमेंट पॉलिसी बनाने के बाद एक कमीशन बना। जब से पब्लिक अंडरटेकिंग्स आई देश में मिक्सड इकॉनोमी आई। उस समय से यह साजिश चल रही है कि किसी न किसी तरह पब्लिक सैक्टर को खराब किया जाए और प्राइवेट सैक्टर का बोलबाला हो जाए। हालांकि सभी लोग यह कबूल करते हैं कि पब्लिक सैक्टर की बढ़ोतरी से देश को ज्यादा लाभ हुआ है। प्राइवेट सैक्टर की बढ़ोतरी से मल्टीनेशनल आएंगे और अरबपति और खरबपति हो जाएंगे। हमारे देश में गरीबी, गैर बराबरी और बेरोजगारी

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

की समस्या है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने एक से एक महारथ हासिल किया। उनकी देश की इकॉनोमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इससे कई लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ कारणों से उनकी हालत खराब होती चली गई और वे सिक हो गई। यह चिंता का विषय है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है रुग्ण उद्योगों के शेयर सरकार बेचने की कोशिश करे। जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स मजबूत हैं और प्रॉफिट में हैं, सरकार उनके शेयर क्यों बेचना चाहती है ? रामकृष्ण कमेटी के चेयरमैन ने भी कहा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है ? हम सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं। गेल का शेयर 127 रूपए में बेचना था लेकिन उसे 70 रुपए में क्यों बेच दिया ? इसमें 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आप देश को बेच रहे हैं या शेयर बेच रहे हैं ? ...*(व्यवधान)* हम मंत्री जी से इसका जवाब चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस पर पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बड़े–बड़े अफसरों ने बहस की और सभी ने कहा कि सरकार इसमें ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। इससे देश को 85 परसैंट नुकसान हुआ है। इसमें केवल 15 परसैंट का ही फायदा सरकार को हुआ। सरकार विनिवेश की नीति को चौपट राह पर ले जा रही है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। हम इनकी पालिसी का विरोध करते हैं। इसके लिए संसद की एक जांच कमेटी बहाल होनी चाहिए। देश भर में इसे लेकर बड़ा भारी संदेह है। यह अपने व्यवहार और नीति के मुताबिक जो शेयर बेच रहे हैं उससे देश का नुकसान हो रहा है। अपने देश को समझ लो यारो जैसे हो कोई बड़ी दुकान, अपने–अपने हिस्से को सब बेच रहे है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप प्लीज चेयर से कोआपरेट करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस प्रकार शेयर बेचने से हमारे मन में बड़ा भारी संदेह है। इसकी जांच संसद की कमेटी से होनी चाहिए। आचार्य जी ने जो सवाल उठाया है कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। यह बहुत अनुचित बात है, मैंने नियम 193 के तहत इस चर्चा में भाग लेने हेतु सूचना दी है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी दलों के नेताओं से इस पर बात की है। हमें नियम 193 के तहत इस चर्चा को तीन बजे तक समाप्त करना है, हमें गैर सरकारी सदस्यों की कार्यसूची को भी लेना है, इसलिए कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया आज अध्यक्षपीठ को सहयोग दें। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्या महत्त्वपूर्ण है कि यह तीन दिन तक जारी रहे ? मैं आप सब से सहयोग के लिए अपील कर रहा हूं। आठ से अधिक सदस्यों ने इस विषय पर बोला है। अतः मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया आज सहयोग करें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : अध्यक्ष महोदय, आज और कल अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किए गए कुछ बहुमूल्य विचारों पर उत्तर देने हेतु मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

विनिवेश नीति पर मुख्यतः दो तरह के तर्क दिए गए हैं। पहला, विनिवेश नीति की आवश्यकता के संबंध में तथा दूसरा इसको क्रियान्वित किए जाने की विधि, यदि कोई है, के बारे में है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आठ वर्ष पश्चात् तीन सरकारों द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने के बाद इस तरह की नीति की आवश्यकता पर प्रश्न उठाए जा रहें हैं। इस नीति को 1998 में नहीं बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने पर विचार 1991–92 में आरंभ हो गया था वास्तव में औद्योगिक नीति वक्तव्य तथा 1991 के बजट भाषण में डॉ. मनमोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था:

> " चुनिंदा उद्यमों के मामले में इन उद्यमों में सरकार की साम्यता पूंजी के एक हिस्से का चुनिन्दा विनिवेश किया जाएगा जिससे कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन हेतु अतिरिक्त बाजार अनुशासन प्रदान किया जा सके।"

यह प्रक्रिया 1991 में आरंभ हो गई थी। कल, जब श्री दासमुंशी सरकार पर सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का आरोप लगा रहे थे, मैं, आपके माध्यम से उन्हें केवल यह याद दिलाना चाहता था जो वित्त मंत्री ने 1991 में इस संबंध में अपने बजट भाषण में कहा था, वह श्री दासमुंशी के ही दल से हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 में अपने बजट भाषण में कहा था :

> "हमारे गणराज्य के संस्थापकों के लिए विकास की नीति में सरकारी क्षेत्र एक ऐसा महत्त्वपूर्ण अंग था, जो गतिशील, आधुनिक, प्रतियोगी और पर्याप्त अधिशेषों के सृजन में सक्षम होगा। सरकारी क्षेत्र ने हमारी औद्योगिक अर्थ–व्यवस्था के

विविधिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन अनेक कमियां भी रही हैं। विशेषकर, सरकारी क्षेत्र व्यापक स्तर पर आंतरिक अधिशेषों का सृजन नहीं कर पाया है, इसलिए इस कठिन स्थिति में सरकारी क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है, ताकि इस विकास का एक साधन बनाया जा सके, न कि बिना पर्याप्त प्रतिफल के यह राष्ट्रीय बचतों का शोषक बनता रहे। इसे काफी हद तक स्वीकार किया गया है, लेकिन कथनी और करनी में अभी भी अन्तर है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के निवेशों के पोर्टफोलियो की समीक्षा की जाएगी जिससे कि सरकारी क्षेत्र भविष्य में आपका कामकाज, देश के लिए महत्त्वपूर्ण, अर्थव्यवस्था के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाले व आधाभूत ढांचे के लिए अनिवार्य क्षेत्रों तक ही सीमित कर सके। संसाधन जुटाने, जनता की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से पारम्परिक निधियों में तथा सरकारी क्षेत्र की निवेश संस्थाओं तथा इसके साथ ही इन फर्मों के कर्मचारियों को, चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के 20 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी दी जाएगी।"

वास्तव में, यदि मैं कहूं तो तत्कालीन वित्त मंत्री का कहना यह था कि यह वास्तव में राजकोषीय घाटा कम करने के लिए नहीं है। राष्ट्रीय बचत का एक हिस्सा सरकारी क्षेत्र में खप जाता है और कभी-कभी इससे राजकोषीय घाटा होता है। यह तर्क 1991 में दिया गया था ... *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : 18,000 करोड़ रुपये का क्या हुआ ?

श्री अरूण जेटली : मैं 18,000 करोड़ रुपये पर भी आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितनी रकम सरकारी क्षेत्र में वापस दी गई है। मैं आपको पूरे आंकड़े दूंगा।

वर्ष 1996 में जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी, तब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया था।

आज हमारे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि वे सिद्धांत रूप से विनिवेश के खिलाफ हैं, लेकिन सी. एम.पी ने नहीं कहा कि वह विनिवेश के विरुद्ध हैं। 1996 में सी.एम. पी. में यह उल्लेख था–जिस पर वामपंथी दलों की भी सहमति थी कि बुनियादी ढांचे से भिन्न क्षेत्रों तथा गैर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्र की सहभागिता कम करने के विषय पर सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी, मगर श्रमिकों तथा कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा या उन्हें बनाए रखने या पुनः तैनात किए जाने के अवसर दिए जाएंगें।

वर्ष 1991 से 1996 तक की अवधि के दौरान क्या हुआ ? श्री दासमुंशी ने हमसे पूछा " आप हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम के शेयरों को क्यों बेच रहे हैं ?" मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 1996 से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम के एक भी शेयर बेचा नहीं गया है। मगर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब इसके शेयर निश्चय ही बेचे गए थे। सबसे पहले शेयर 1991 में बेचे गये थे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उस दल ने विनिवेश लागू किया था। उन्होंने हमसे यह भी पूछा "आप नवरत्नों के शेयर क्या बेच रहे हैं" ?

1991–92 से जब डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो भेल, भारत पेट्रोलियम, दि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण गेल, एम.टी.एन.एल. इंडियन ऑयल और ओ.एन.जी.सी. के शेयर बेचे गये थे ... *(व्यवधान)*

इसी कारण वे उठकर पूछते हैं कि 'नवरत्नों' के शेयर क्यों बेचे गए, भारत पेट्रोलियम और दि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के शेयर क्यों बेचे जा रहे हैं। 1998 से इन कंपनियों का एक भी शेयर नहीं बेचा गया है। लेकिन यह उस समय अवश्य बेचा गया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी।

महोदय, कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि पार्टी की एक बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री की उनकी आर्थिक नीतियों के कारण आलोचना की गई। मुझे नहीं मालूम है कि क्या सदन में ऐसा कहना उनके अन्तर दलीय वाद–विवाद का ही विस्तार था। ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी स्वयं सत्ता में थी तभी यह विनिवेश किया गया। 'नवरत्नों' के शेयर क्यों बेचे गये, इस के बारे में भी यही तर्क दिया गया। किन्तु जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी, तब भी इंडियन ऑयल के शेयरों के विनिवेश से संबंधित वी. एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम उसमें विरोध में थे।

श्री अरूण जेटली : मुझे दुःख है, उस सरकार में श्री इन्द्रजीत गुप्त एक वरिष्ठ मंत्री थे। वी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. का वास्तविक विनिवेश तब हुआ जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी। उस सरकार में आप सक्रिय सहयोगी सदस्य और भागीदार थे। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि सिद्धान्त रूप से वह विनिवेश के विरुद्ध हैं। उसी सरकार और उसी कैबिनेट ने इसके विनिवेश का निर्णय किया था।

[श्री अरूण जेटली]

भारतीय तेल निगम के शेयरों के बारे में आपने कहा कि इसका विनिवेश कभी नहीं होना चाहिए। सिद्धान्त रूप में भारतीय तेल निगम के विनिवेश का निर्णय उस समय लिया गया था जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछा गया है। दुबारा यह पूछा गया कि विनिवेश से प्राप्त राशि का क्या किया जा रहा है और क्या इसे किसी सामाजिक क्षेत्र में लगाया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : किसी ने इसका ब्यौरा नहीं दिया।

श्री अरूण जेटली : ठीक है, मैं आपको ब्यौरा देने की कोशिश करूंगा। आंकड़ों से स्वतः यह स्पष्ट होगा कि विनिवेश से प्राप्त धन राशि का कितना उपयोग हो रहा है। भारत के सरकारी क्षेत्र में सरकारी इक्विटी के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। वित्तीय संस्थाओं के सभी ऋणों और उनकी रक्षित पूंजी को मिलाकर यह राशि 2,04,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। यह विशाल राष्ट्रीय संसाधन सरकारी क्षेत्र में अटका पड़ा है। मुझे ज्ञात है कि उनमें से कुछ ने बढ़िया काम किया है। वर्ष 1991–92 से विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। उस अवधि के आंकड़े में अभी दूंगा।

अनुदानों के जरिये सरकारी क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता करीब 35,000 करोड़ रूपये की रही है और सरकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिये हर तरह की कुल सहायता 61,968 करोड़ रुपए की रही है।

सरकार और विभिन्न अन्य संस्थाओं ने सरकारी क्षेत्र में 61,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का पुनर्निवेश किया है। अतः बजट घाटे को पूरा करने के लिये विनिवेश करने का तर्क सही नहीं है और मुझे डॉ. मनमोहन सिंह के इस तर्क पर विश्वास करना होगा कि कई बार सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय बचत को डकार जाते हैं क्योंकि सरकार ने इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के शेयरों को बेचकर केवल 18,288 करोड़ की राशि ही प्राप्त की है।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट के लिये मौका दें तो मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा।

महोदय, माननीय मंत्री ने सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई या उसमें निवेश की गई कुल राशि के बारे में बात की है। हम जानना यह चाहते हैं कि 18,288 करोड़ रुपए. की राशि में से कितनी राशि आपने सरकारी क्षेत्र को मजबूत और अर्थक्षम बनाने के लिये दी है ?

श्री अरूण जेटली : महोदय, श्री बसुदेव आचार्य के हस्तक्षेप लिए मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जाती है। अतः 30 नवम्बर 1999 की तिथि के अनुसार इन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त 18,288 करोड़ रुपए की राशि भारत की संचित निधि में जमा हुई। भारत की संचित निधि में जमा 18,288 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले 35,000 करोड़ रुपए राशि निकाली गई ... *(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : लाभ कितना हुआ ?

श्री अरूण जेटली : महोदय, मैं इस प्रश्न के लिये भी पुनः आभारी हूं। 90,000 करोड़ रुपए से लेकर 95,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और वहां लगे सरकारी संस्थागत वित्त की तुलना में इन आठ से लेकर नौ वर्षों की अवधि के दौरान कुल 9971 करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस समूचे राष्ट्रीय संसाधन पर 9 वर्षों की अवधि में मिला कुल लाभांश बहुत ही कम है। नौ वर्षों में साधारण ब्याज पर धन तिगुना हो जाता है। लेकिन 2 लाख करोड़ के ऋण और शेयर के रूप में किए गए इस निवेश से कुल 9971 करोड़ रुपये का ही लाभांश प्राप्त हुआ है। शेयरों की बिक्री से कुल 18,000 करोड़ रुपए के लगभग राशि प्राप्त हुई है। सरकारी क्षेत्र को चलाते रहने और उन्हें मजबूत बनाने के लिये विभिन्न सरकारी एजेंसियों को दी गयी कुल सहायता 61,000 करोड़ रुपये की है।

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है कि यह धन सामाजिक क्षेत्र में खर्च क्यों नहीं होता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विनिवेश से प्राप्त राशि से अधिक धन सार्वजनिक क्षेत्र पर ही खर्च किया गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि समूची राशि भारत की संचित निधि में चली जाती है और वर्ष 1991–92 में समूचे सामाजिक क्षेत्र के लिये 8,175 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था। पिछले वर्ष संचित निधि में जमा इसकी कुल राशि अनुमानित आकड़े से कम 29570 करोड़ रुपए की थी और इस वर्ष अनुमान 32380 करोड़ रुपए का है जो 1991–92 के आंकड़ों का 400 प्रतिशत है। इसलिये यह कहना कि यह राशि बजट घाटे को पूरा करने के लिये प्रयुक्त हो रही है, ठीक नहीं है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र को चलते रहने के लिये लाभांश और शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि से अधिक का पुनर्निवेश किया जाता है और सामाजिक क्षेत्र पर भी उससे अधिक खर्च किया गया है।

अतः जहां तक विनिवेश के औचित्य का प्रश्न है तो 1991 में शुरू की गयी और संयुक्त मोर्चा तथा वर्तमान सरकार की अवधि में विकसित विचारधारा बहुत ही स्पष्ट है और वह यह है कि सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन का एक बड़ा हिस्सा अटका पड़ा है। यह कहना भ्रांतिपूर्ण है कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति का परिसमापन किया जा रहा है।

वास्तव में एक व्याख्या यह भी थी कि नवगठित विभाग वास्तव में एक आधिकारिक परिसमापन है। मैं तो यह कहूंगा कि यह तर्क आकर्षक या प्रथम दृष्ट्या भले ही सही प्रतीत हो पर यह आधारहीन है क्योंकि इस देश की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का पुनरुद्धार करना है तो उन्हें आधुनिकीकरण, निवेश और धन की आवश्यकता है। आज यदि निजी क्षेत्र इन उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु यह सब लाने की स्थिति में हैं, तो कोई कंपनी परिसमाप्त होने नहीं जा रही है। सरकार अपने कुछ शेयर एक निजी कंपनी को बेच रही है। कंपनियां या निगम बंद नहीं होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि स्वामित्व का विस्तार हो, अधिक पूंजी लायी जाये, व्यावसायिक प्रबंधन लाया जाये। यदि कोई 1000 करोड़ रुपये खर्च करके सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर खरीदता है तो यह खर्च वह कंपनी को बंद करने के लिये नहीं कर रहा है। उसका उद्देश्य कंपनी का पुनरुद्धार, उसका आधुनिकीकरण हो, उसे व्यावसायिक और लाभप्रद बनाना होगा। 1991 में शुरू किये, गये विनिवेश के पीछे यही विचार था। ऐसा होने के बाद पुराने उपक्रम में कर्मचारियों के हितों की आर्थिक सुरक्षा होगी बजाय इसके कि सार्वजनिक क्षेत्र को संसाधनों के अभाव में अपने बलबूतों पर मुश्किलों का सामना करने की अनुमति दी जाये। वाद–विवाद के दौरान कई सवाल उठाए गए हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त का सवाल था कि राज्य सभा में वित्त मंत्री के भाषण में साफ तौर पर परस्पर–विरोध की झलक मिलती है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि वे इसे 1998 के अपने बजट भाषण से उद्धृत कर रहे थे। राज्य सभा में कार्यवाही का मुद्रित पाठ इस प्रकार है:

" सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उद्यमों पर शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है, उस स्थिति में उन पर सरकार अधिसंख्य शेयर होल्डिंग को आगे भी बनाए रखेगी"

यह बजट भाषण से लिया गया एक उद्धरण है जिसे स्वयं भाषण में ही गलत ढंग से उद्धृत किया गया है। इसके मूल शब्द इस प्रकार थे :

"सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यंत महत्त्व वाले उद्यमों में सरकार उसमें अधिसंख्य शेयर होल्डिंग को निरंतर बनाए रखेगी।"

अक्षरशः यह वही बात है जिसे वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कही थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्य मामलों में क्या होगा ? इन्होंने 26 प्रतिशत के बारे में कुछ कहा था।

श्री अरूण जेटली : अन्य विषयों के मामले में वित्त मंत्री का भाषण बहुत ही स्पष्ट था। मैं इसे पढ़ता हूं :

"अन्य मामलों में सरकार ने आमतौर पर यही–निर्णय किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयर होल्डिंग घटकर 26 प्रतिशत तक की होगी।"

समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि एक प्रश्न उठाया गया था। प्रश्न था. "सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव है ?" इस प्रश्न का जवाब है, "हां।" सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को पुनर्जीवित करने के 42 प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं। इनमें से 19 को निपटाया जा चुका है जबकि 23 प्रस्ताव विचारार्थ लंबित पड़े हुए हैं।

एक प्रश्न है जो कई सदस्यों द्वारा उठाया गया था। वह यह कि "विनिवेश आयोग को क्यों समाप्त कर दिया गया ?" इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि विनिवेश आयोग का गठन 23 अगस्त, 1996 में किया गया था। यह तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। नियमानुसार यह अवधि अगस्त 1999 में समाप्त हो जाती, किन्तु इस अवधि को 30 नवम्बर, 1999 तक बढ़ादी गई। तत्पश्चात् यह अवधि 1999 में समाप्त हो चुकी है। अब फिर से एक नए आयोग का गठन किया जाएगा। प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक नए आयोग का गठन किया जाएगा।

श्री दासमुंशी की ओर से एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सुझाव आया है। "सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री के मामले में क्यों नहीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से लेखा परीक्षण कराया जाता ?," मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ठीक 1991–92 से यानी जब से यह प्रयोग शुरू किया गया तब से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से नियमित और निरंतर लेखा–परीक्षण कराया जाता रहा है। इस संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध हैं। जाहिर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध है तो लेखा–परीक्षण आगे भी चलता रहेगा।

एक और सवाल भी उठाया गया था कि एक नए विभाग की आवश्यकता और उसकी वांछनीयता क्यों है। इसे कई सदस्यों द्वारा उठाया गया है। पहले भी कई मामलों में ये विनिवेश प्रक्रियाएं ठप्प पड़ी हुई थीं क्योंकि कई एजेंसियां सरकार के साथ संलग्न थीं। इसलिए केवल विनिवेश प्रक्रिया के संचालन के लिए अब एक केन्द्रक मंत्रालय बनाया गया है। पहले यह लोक उद्यम, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय विभाग था और ये सब के सब इस विशेष कार्य में संलग्न रहते थे। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि एक नया विभाग बनाया गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं इस विभाग में कुछ ही दिनों से हूं। हम भरसक प्रयत्न करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जो भी विनिवेश प्रक्रिया हो वह सर्वाधिक

[श्री अरूण जेटली]

जनहित में हो औ प्रत्येक कारोबार की लागत के अनुसार अधिकतम धन उगाही का प्रयास किया जाएगा। सभी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता होगी। यह सही है कि दूसरे सदन में श्री प्रणव मुखर्जी ने कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिन पर हम लोग विचार कर रहे हैं; यहां तक कि इस प्रक्रिया को क्रमबद्ध करने पर भी; और हर तरह की संभावनाओं में श्रमिकों के हितों का भरसक ध्यान रखा जाएगा।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से संबंधिक प्रश्न पहले ही उठाए जा चुके हैं। इस पर यहां चर्चा की जा चुकी है और उत्तर दिए जा चुके हैं। अब और आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : जब दर इतनी कम थी तो इसे बेचा ही क्यों गया ? कल का यह प्रश्न था।

श्री अरूण जेटली : हालांकि इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी.डी.आर (ग्लोबल डिपोजिट रिसीट) इश्यू के माध्यम से शेयरों को बेचने की प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया 1996 में शुरू की गई थी। यह एक पारदर्शी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लेखा निर्माण प्रक्रिया है जिसके द्वारा उस जीडीआर इश्यू में विनिवेश होता है। लेखा निर्माण की यह वही पारदर्शी प्रक्रिया है जिसका अनुपालन भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में भी हाल–फिलहाल किया गया था। कीमतें गिरेंगी या कीमतें बढ़ेंगी निश्चय ही यह एक अलग बात है जो संभव भी है। सरकार ने एक समय इसे 110 रुपये की दर से नहीं बेचने का निश्चय किया था क्योंकि कोई नहीं....

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को अलग–अलग सलाह दिए गए थे।

श्री अरूण जेटली : बाजार के उतार–चढ़ाव पर किसी का वश नहीं चलता। उदाहरण के लिए, जब कीमतें 120 रुपये और 110 रुपये थी तो क्या सरकार उस समय इसे बेचने की बुद्धिमानी दिखा सकती थी। उस वर्ष फरवरी में घरेलू बाजार में इसकी कीमत 60 रुपये थी और अब जी.डी.आर. इश्यू के बाद भी शेयरों की कीमत बेची गई दर से काफी कम है। बाजार भाव को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जिस प्रक्रिया को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में अपनाया गया था वह भी एक लेखा निर्माण प्रक्रिया ही है जिसे 1996 में शुरू की गई थी और इसका निरंतर अनुपालन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, केवल एक या दो स्पष्टीकरण। माननीय मंत्री महोदय पहले उन्हें नोट कर लें और तब उनका उत्तर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : माननीय मंत्री महोदय ने विनिवेश विभाग को नकारात्मक नाम दिया। इसे "निवेश नियोजन विभाग" नाम देना चाहिए था। मैं माननीय मंत्री महोदय से नकारात्मक नाम न देने का आग्रह करता हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : अगर माननीय सदस्य को लगता है कि विनिवेश एक ऐसा क्षद्म शब्द है जो कम्पनियों को बंद करने की ओर इशारा करता है तो माननीय सदस्य को ऐसा न समझकर इसे हमारे रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों के पुनरुद्धार का एक प्रयास समझना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हालांकि विनिवेश आयोग ने बहुत ही स्पष्ट रूप से विनिवेश कोष की स्थापना की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक यह कोष केवल कागजों में है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि विनिवेश कोष में कितनी राशि इकट्ठी की गई है। उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इस बारे में उपलब्ध कराये गए कुल धन के बारे में सामान्य उत्तर दिया। यद्यपि बजटीय सहायता में 32 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन इन आठ वर्षों में विनिवेश के कारण बढ़े हुए प्रतिशत के बारे उन्होंने कुछ नहीं कहा। साथ ही, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि में से कितना धन उपलब्ध कराया गया–इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य आप पहले ही इस वाद–विवाद में बोल चुके हैं।

श्री ए.सी.जोस (त्रिचूर) : महोदय, माननीय मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के बारे में पहले ही इशारा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय लिए जा चुके हैं और कुछ लंबित पड़े हुए हैं। लेकिन, मुश्किल वित्तीय लेन–देन के संबंध में है क्योंकि एक या दो सालों से चर्चा चल रही है और तब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बन्द हो जाते हैं। फैक्ट (एफ.ए.सी.टी) केरल का मामला पिछले दो सालों से लंबित है और अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में शीघ्र निर्णय लेंगे और जिन उपक्रमों का पुनरुद्धार हो सकता है उनका किसी प्रकार पुनरुद्धार करेंगे ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : सर्वप्रथम मुझे खेद है कि 'गेल' शेयरों को बेचने के बारे में संबंधित मंत्री के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण मांगना पड़ रहा है।

प्रिय मित्र श्री अरूण जेटली ने कुछ टिप्पणियां कीं, मैं उन्हीं के आधार पर कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। अपने संक्षिप्त बयान में उन्होंने कहा कि एक समय 'गेल' के शेयरों के मूल्य खाते में 110

रुपए से 115 रुपए दर्शाए गए थे। तत्कालीन सरकार ने उस समय शायद इसलिए विनिवेश नहीं किया क्योंकि मर्चेन्ट बैंक ने तत्कालीन सरकार को बताया कि यह सही मूल्य नहीं है। मैं समझता हूं कि उस समय मर्चेन्ट बैंक ने 120 रुपए न्यूनतम मूल्य सुझाया था। वस्तुतः मर्चेन्ट बैंक ने उस समय कहा था (जैसा कि मुझे बताया गया है), बशर्ते मंत्री महोदय इसकी पुष्टि करें, कि 'गेल' के शेयर का वास्तविक मूल्य 150 रुपए है। यह उस समय की बात है जब हमारे स्टॉक मार्किट का संवेदी सूचकांक 3,600 पर था। इस समय यह 4,600 के आसपास है। उस समय डाउजन्स 5000 के आसपास था जो अब 10,000 को भी पार कर गया है। तीसरे, उस समय गैस की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें आज से बहुत कम थीं। अतः 'गेल' के शेयर का वास्तविक मूल्य 150 रुपए से काफी अधिक होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में आप सस्ते में शेयर बेचने के लिए आतुर हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह शेयरों की सस्ते में बिक्री है अथवा उनकी संतोषजनक बिक्री हैं, क्या आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। वस्तुतः मेरा नाम पार्टी के वक्ताओं में था परन्तु हमारे कुछ लोगों ने न बोलने का निर्णय लिया। मुझे केवल एक स्पष्टीकरण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया संक्षेप में बात करें क्योंकि हमें गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य पर भी चर्चा करनी है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : ठीक है, महोदय। आई.पी.सी.एल. गुजरात में है। तीनों मजदूर संगठनों, इंटक, ऐटक और बी.एम.एस. ने इसके विनिवेश के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ (एसोसिएशन) ने भी आई.पी.सी.एल. में विनिवेश के बारे में कुछ शंकाएं जताई हैं। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार सरकार विनिवेश का मन बना चुकी है। फिलहाल इसमें 13,000 कर्मचारी हैं, आई पी सी एल 1969 में बनी थी। वर्ष 1971–72 से लागू आरक्षण नीति के फलस्वरूप 2500 अनु. जाति और अनु. जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्हें डर है कि 30 प्रतिशत से अधिक निजी शेयर धारिता होते ही आरक्षण नीति समाप्त कर दी जाएगी। आई.पी.सी.एल में सरकार की मौजूदा शेयरधारिता 59 प्रतिशत है। यदि आप 31 प्रतिशत शेयरधारिता निजी क्षेत्र को दे देंगे तो यह निजी क्षेत्र में ही आ जाएगी। इसलिए उन्हें आशंका है कि आरक्षण नीति बन्द हो जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजातियों के कर्मचारियों का क्या होगा ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आई.पी.सी.एल. ही नहीं किसी भी सरकारी उपक्रम के विनिवेश के बावजूद आरक्षण नीति आनिवार्यता जारी रहने का आश्वासन देने को तैयार है ? कर्मचारी एसोसिएसंस ही नहीं, उन भू स्वामियों ने भी अपील की है जिन्होंने इन लोगों को जमीनें दी हुई हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने जो कहा है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तो आप स्वयं को उनके साथ मानें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी–अभी बताया कि ऐसे मामलों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। मैं यह नहीं कह रहा, मैं तो बल्कि यह कह रहा हूं कि आयोग की यह विशेष सिफारिश है कि शेयर बेचते समय अविलम्ब मामला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ उठाया जाए और उनकी टिप्पणी के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी की जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 'गेल' के मामले में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। यही प्रश्न मैंने कल भी किया था।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : माननीय मंत्री अपनी टिप्पणियां करते हुए एक ही बात पर जोर देते रहे कि विनिवेश 1991 से ही शुरू हो गया था और कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा सरकारों ने इसे जारी रखा। हालांकि, संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लियां बल्कि, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है : कि "विनिवेश संबंधी आपकी क्या नीति है ?" क्योंकि 12वीं लोकसभा की सरकार ही वस्तुतः 13वीं लोकसभा में भी है और इसके शासन के राष्ट्रीय एजेंडे में कहा गया था :

> "सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी।" तथापि, " भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा" के सिद्धान्त पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 'स्वदेशी' का आग्रह रहेगा।"

यही मेरा प्रश्न है।

अब आपने रोजगार का ख्याल रखने की बात कही। समय की कमी के कारण मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मासिटीकल्स लिमिटेड, हैदराबाद का उदाहरण देना चाहूंगा।

हमें प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार कर्मचारियों को अभी तक दो माह का वेतन नहीं मिला है। इस तरह यह सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रही है। यह जन प्रतिधित्व है। ... *(व्यवधान)* प्रश्न यह है : नवगठित विनिवेश विभाग, जो मेरे हिसाब से सरकारी क्षेत्र

[प्रो. ए. के. प्रेमाजम]

को समाप्त कर रहा है, नष्ट कर रहा है, इस मुद्दे को किस प्रकार सुलझाएगा अर्थात् कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे करेगा ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया, सदन को सूचित करें कि आप नीति की घोषणा कब कर रहे हैं।

श्री अरूण जेटली : महोदय, श्री दासमुंशी ने जो मुद्दा उठाया है यही मुद्दा सबसे बाद में उठाया गया है; विनिवेश के संबंध में सरकार द्वारा लागू नीति पिछले दो बजटों में स्पष्ट की गई थी। जो नीति है, उसे मैं वित्त मंत्री के 1998–99 के बजट भाषण से उद्धृत करता हूं :

> "सरकार ने सामान्यता एक निर्णय लिया है कि सरकारी उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता 26 प्रतिशत की जाएगी।"
>
> "सामरिक महत्त्व के सरकारी उद्यमों में सरकार की प्रमुख शेयरधारिता बनी रहेगी।"
>
> "सभी मामलों में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।"

1999–2000 के बजट में भी इसकी पुनः पुष्टि की गई थी। मैं उद्धृत करता हूं :

> "सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रति सरकार की नीति सामरिक महत्त्व की इकाइयों को सुदृढ़ करने और अ–सामरिक इकाइयों का धीरे–धीरे विनिवेश या उचित मूल्य पर बेचकर निजीकरण करने और कमजोर इकाइयों का अर्थक्षम बनाने के लिए पुनर्वास नीति तैयार करने के प्रति निर्णायक रूप से समर्पित रहेगी।"

विनिवेश कोष की स्थापना के संबंध में प्रश्न उठाया गया था कि सरकार का क्या प्रस्ताव है और किस प्रकार के कोष का सुझाव दिया गया है।

इस कोष का सुझाव संयुक्त मोर्चा सरकार के समय दिया गया था। लेकिन, आज तक यह कोष नहीं बन पाया है। वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए स्पष्ट कर दिया है और मैं उनके वक्तव्य की पुष्टि करता हूं। उन्होंने कहा, "हम विनिवेश कोष के वास्तविक गठन के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लेने जा रहे हैं जिसमें आय का दस प्रतिशत जमा किया जाएगा" ... *(व्यवधान)*।

श्री बसुदेव आचार्य : आठ वर्ष बाद।

श्री अरूण जेटली : असल में, इसका सुझाव 1996 में दिया गया था। आप कह रहे हैं कि आठ वर्ष बाद ... *(व्यवधान)*। वर्ष 1991 में यह गठित नहीं हुआ और 1996 से इसका गठन नहीं हुआ। ... *(व्यवधान)*।

श्री बसुदेव आचार्य : विनिवेश कोष की स्थानपना 1996 में हुई थी। इसमें आपने कितनी पूंजी जमा की है ?

श्री अरूण जेटली : अतः वर्ष 1996–97 में इसे स्थापित नहीं किया गया। मैं सिर्फ वित्त मंत्री की बात को दोहरा रहा हूं कि हम इस कोष को स्थापित करने के लिए कदम उठा रहे हैं जिसमें आय दस प्रतिशत जमा होगा।

एक प्रश्न उठाया गया था कि पुनर्गठन प्रक्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। जब तक बाजार की दशा में परिवर्तन होगा, स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। वस्तुतः इसी कारण से, इस मामले में निर्णय करने के लिए एक नोडल एजेन्सी का सृजन किया गया है।

जहां तक भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का संबंध है, श्री एस. जयपाल रेड्डी ने यह प्रश्न उठाया है। यद्यपि ऐसा ही प्रश्न एक पिछली बहस में भी उठाया गया था। मेरे वरिष्ठ सहकर्मी श्री राम नाईक पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं। आपका सारा तर्क एक मूलभूत तथ्य का नजर–अन्दाज कर रहा है कि शेयर बाजार में चाहे वह घरेलू हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, शेयरों का मूल्य कभी एक जैसा नहीं रहता। इस वजह से कि इनके मूल्य कभी समान नहीं रहते, कोई भी बाजार पर नियन्त्रण नहीं रख सका है और भविष्य में इनका मूल्य क्या होगा इसकी भी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सका है। मुख्यतः बेचने का निर्णय करने के बाद जब आप इन मामलों में निर्णय लेने में विलंब करते हैं और जब आप वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं तो मूल्य और भी कम हो सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। आपको न केवल मूल्यों के कम हो जाने से नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि उन दो से तीन वर्षों के दौरान उस अवसर के खोने के कारण भी नुकसान उठाना पड़ता है।

अतः जिस मूल्य पर इसे बेचा गया वह प्रचलित मूल्य के लगभग बराबर था। घरेलू मूल्य आंशिक रूप से ज्यादा थे क्योंकि घरेलू बाजार का आकार ही छोटा था। घरेलू बाजार में इसे खरीद पाने की क्षमता नहीं थी। इसलिए, मूल्य चाहे 78 रुपये ही रहा होगा परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उसका मूल्य 70 रुपये था। इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बाजार की शक्तियों के कुचले जाने की स्थिति स्पष्ट होती है क्योंकि बिक्री के बाद भी, यह मूल्य डॉलर की दर पर उस मूल्य से कम रहा है जिस पर यह बेचा गया था। आई.पी.सी.एल. के संबंध में ... *(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यही मानदंड ओ.एन.जी.सी. के मामले में भी अपनाया जाना चाहिए था।

श्री अरूण जेटली : प्रत्येक बिक्री का निर्णय उसके गुणा दोष है के आधार पर करना होगा।

श्री एस. जयपास रेड्डी : कौन निर्णय करेगा ?... *(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : महोदय, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड

श्री अरूण जेटली : महोदय, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मामले में, सलाह विपरीत थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई निर्णय लेने के बाद, आप उससे पीछे हट जाएं। इंडियन ऑयल का मामला लें। वर्ष 1996–97 में, विनिवेश का निर्णय लिया गया था। लेकिन बाजार की स्थितियों के कारण उसे रोक लिया गया। बाजार की विक्षोभकारी स्थितियों के कारण, आप एक खास समय तक इसे रोक सकते हैं ... *(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं अपने मित्र की बात को बीच में रोकना नहीं चाहता। हम सभी यह कहना चाह रहे हैं कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मामले में भी, इसकी अनुमति दी जानी चाहिए थी आपको रोकना चाहिए था ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया आप मंत्री जी की बात में व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री अरूण जेटली : महोदय, मुझे यह स्पष्ट करने दें कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वही मूल्य था जिस पर इसे खरीदा गया था।

दो प्रश्न और उठाये गये हैं। आई.पी.सी.एल. के मामले में, मामला अब भी प्रक्रिया के अधीन है। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पिछली बहस के दौरान जो प्रश्न उठाये गये थे उन सभी पर उस समय विचार किया जायेगा जब सरकार इस खास मामले में निर्णय लेगी।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में भी सुझाव दिये गये हैं। पहले, एक अलग संदर्भ में बात कही गयी थी। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मामले पर दुबारा दृष्टि डालने और इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं ? ... *(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली : महोदय, इस मामले पर पहले भी एक खास तरीके से कार्रवाई की जाती रही है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड सौदा सहित प्रत्येक सौदे के संबंध में इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति कोई मामला उठाना चाहता है, उस खास मामले के लिए नयी प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सकता।

मैं यह सुझाव दूंगा कि हमारे प्रयास पारदर्शी होंगे और अत्युत्तम प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आई.पी.सी.एल. के बारे में जवाब नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली : मैंने कहा है कि मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है और इसीलिए आई.पी.सी.एल. के संबंध में जो सुझाव दिये गये हैं, अंतिम निर्णय लेते समय हम उन्हें ध्यान में रखेंगे। हमारा प्रयत्न अधिकतम लाभ प्राप्त करना, सर्वाधिक जनहित और भविष्य में होने वाले लेन–देन में सबसे अधिक पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करने का रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदित्य नाथ जी, अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप सदन की समिति द्वारा जांच की मांग को स्वीकार करेंगे ? ...*(व्यवधान)* सदन की समिति द्वारा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड मामले की जांच की मांग को आप क्यों नहीं स्वीकार करते ? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मंत्री जी इस बात से क्यों भयभीत हैं ? ...*(व्यवधान)* महोदय, चूंकि मंत्री जी इस मांग के प्रति सहमत नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 3.18 बजे

(इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी हमारी मांग से सहमत नहीं हैं, अतः हम विरोध में सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.18½ बजे

(इस समय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 3.19 बजे

(इस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, विरोध स्वरूप हम अपनी पार्टी अन्ना द्रमुक की ओर से सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 3.19 बजे

(इस समय श्री पी.एच. पांडियन तथा कुछ अन्य सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

प्रो.ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, क्या मैं मंत्री जी का उत्तर प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हूं ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

प्रो.ए.के. प्रेमाजम : महोदय, विरोध स्वरूप मैं भी बहिर्गमन कर रही हूं।

अपराह्न 3.19 बजे

गोवध प्रतिषेध विधेयक*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

" गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री जी.एम. बनातवाला ने इस आधार पर विधेयक का विरोध करने की सूचना दी है कि विधेयक उस विधान की संकल्पना करता है जो सदन की विधायी क्षमता से बाहर है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो यह माना जाना चाहिए कि पूर्व मुद्दों पर मैंने पहले ही विरोध किया होता तथा सदन से बर्हिगमन किया होता।

महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मांगी गई अनुमति का विरोध करता हूं।

मैं यह स्पष्ट करता हूं कि विधेयक सिर्फ गौ संबंधी नहीं है। इसमें सांड़ बैल, मैंस और ऐसे अन्य जानवर सहित सभी गौवंश शामिल हैं। इस तरह का पूर्ण प्रतिबन्ध तो उच्चतम न्यायालय द्वारा भी असंवैधानिक ठहराया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 1996 में हसमतउल्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिए गए अपने निर्णय में मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही विधेयक को खारिज़ कर दिया था। अतएव आज जो विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए हमारे सामने है वह असंवैधानिक है तथा संविधान के शक्ति–बाह्य है।

मेरे पास एक दूसरा महत्त्वपूर्ण मामला है और वह यह है कि विधेयक विधान निर्माण की दृष्टि से इस सदन की क्षमता से बाहर है। इस सदन के पास इस मुद्दे पर विधान निर्माण की क्षमता नहीं है। इस मुद्दे का संबंध कृषि और पशु–पालन संगठन से है। यह विषय केन्द्र सूची में नहीं है, यह समवर्ती सूची में भी नहीं है लेकिन विधेयक की विषय–वस्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–दो में है। यह पूर्णरूपेण राज्यों के अधिकार–क्षेत्र में है। यह केन्द्र के अधिकार–क्षेत्र में नहीं आता है और इसलिए इस तरह का विधान अधिनियम करना पूर्णतः इस सदन की क्षमता के बाहर है।

मैं आपको याद दिलाता हूं कि 1 मई, 1954 को भारत के महान्यायवादी को इस सदन में बुलाया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। महान्यायवादी उस सदन में आए तथा उन्होंने इस मत की संपुष्टि की और सदन को सलाह दी की यह विषय पूरी तरह से राज्यों के अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह केन्द्र सूची के अंतर्गत नहीं आता है; यह समवर्ती सूची में भी नहीं आता है और इसलिए इस विषय पर सदन विधान निर्माण के लिए सक्षम नहीं है।

यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि आपको स्वयं विधेयक पुरःस्थापित नहीं करने देना चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1 मई, 1954 को इस सदन में स्वयं भारत के महान्यायवादी आए थे और इस विषय पर अपनी सलाह दी थी। मामला यहां है, सदन के समक्ष उनका सम्पूर्ण तर्क, कि यह विषय वस्तु इस सदन की क्षमता के बाहर है, लोक सभा की कार्यवाही में उपलब्ध है। मैं 1 मई, 1954 की कार्यवाही का उल्लेख कर रहा हूं।

इसलिए मैं समझता हूं कि विधेयक न केवल असंवैधानिक है अपितु यह इस सदन की विधान निर्माण क्षमता से भी बाहर है।

महोदय, विधान निर्माण क्षमता का निर्णय इस बारे में कर लिया गया था। मेरे दृष्टिकोण की संपुष्टि पहले ही की जा चुकी है। मेरा दृष्टिकोण वही है जो महान्यायवादी का था और उन्होंने अपनी राय स्वयं इसी सदन में व्यक्त की थी।

मैं आपका ध्यान नियम 294 के खंड 1 के उप–खंड (घ) की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। उसे पढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति बिल्कुल न दी जाए तथा इस सदन की विधान निर्माण क्षमता से बाहर घोषित किया जाए। महोदय, यदि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं नियम 294, खंड 1 के उप–खंड (घ) को पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है :

यह गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति से है :–

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग–दो, खंड–2, दिनांक 17-12-99 में प्रकाशित

"गैर–सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक की जांच करना जिसका सभा में इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है जो सभा की विधायिनी सक्षमता से परे है और अध्यक्ष ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझे।"

आपत्ति को 'ऊपरी दृष्टि' तर्कसंगत मानना होगा।

यहां तक कि महान्यायवादी इस सदन में आए थे और उन्होंने कहा था कि मामला इस सदन की विधान निर्माण क्षमता के बाहर है। इसलिए यह बड़ी अजीब सी बात है कि सदस्यगण पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व काल में महान्यायवादी द्वारा इस सदन में व्यक्त की गई राय के विरुद्ध अपनी बात पर अड़े हैं।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विधेयक को बिल्कुल असंगत करार दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वह ऐसे विधेयक पर न अड़ें जो इस सदन की विधान निर्माण क्षमता के बाहर है। महोदय, यदि वह भी नहीं मानते हैं तो मुझे इस सभा से अपील करनी होगी कि वह इस विधेयक को पूर्णतया खारिज कर दे। यह असंवैधानिक है तथा सदन की विधान निर्माण क्षमता के बाहर है। यदि वह भी इसे स्वीकार नहीं करती है तो यह मामला जांच के लिए, मैंने जो नियम उद्धृत किए हैं उसके अंतर्गत, गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंधी समिति के पास जाने दीजिए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, माननीय सदस्य ने नियम 294 उद्धधृत किया है।

सदन के भीतर पिछली सभी लोक सभाओं में, पहले भी ऐसा हुआ है कि जब तक समिति नहीं गठित कर दी जाती है तब तक सभी विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति होती है, चाहे वह संविधान (संशोधन) विधेयक हो या कोई अन्य विधेयक। पिछले शुक्रवार को मेरे विधेयक पर भी आपत्ति की गई थी और सदन ने इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति दी थी। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि नियम 294 के संबंध में उठाया गया प्रश्न उचित है। इसलिए उनके द्वारा की गई आपत्ति को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ।

श्री खारबेल स्वाइंन : महोदय, मुझे एक बात कहनी है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मैं इस विधेयक के पक्ष में हूं। इसलिए, मुझे उनके प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जाए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। इसे विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य उत्तर दे सकता है।

योगी आदित्यनाथ।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, वह उत्तर दे सकते हैं ... *(व्यवधान)* मेरे पास उनकी आपत्ति के उत्तर में एक बहुत ही सटीक तर्क है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री स्वाइं, कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि यह विधेयक के पुरःस्थापन की अवस्था है।

योगी आदित्यनाथ।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष जी, गाय भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रमुख आधार रही है। अपनी सरलता और उपयोगिता के कारण गोवंश की महत्ता प्रायः सभी सभ्य देशों में न्यूनाधिक रूप से विद्यमान है। भारत जैसे धर्म–परायण और कृषि प्रधान देश में इसकी महत्ता जन्य और जन्मभूमि के समान लोकवंदनीय रही है। इस सभी को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 48 में यह व्यवस्था की थी कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली में शिफ्ट करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़े और दूधारू पशुओं की नस्लों में सुधार लाने का प्रयास करेगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, वह विधेयक के गुण दोष की बात कर रहे हैं। हम अभी विधेयक के गुण–दोष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। श्री बनातवाला ने तकनीकी सवाल उठाये हैं और उन्हें उनका उत्तर देना चाहिए न कि विधेयक के गुणदोष बताने चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, श्री बनातवाला ने कुछ तकनीकी सवाल उबाए हैं। इसीलिए वह उनका उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : पहले मैं भूमिका रख रहा हूं। गायों, बछड़ों और अन्य दूधारू पशुओं की नस्लों के सरंक्षण और सुधार, तथा उनका वध निषेध करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले 52 वर्षों में देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं का अनादर करते हुए, उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाते हुए ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, आज श्री बनातवाला द्वारा उठाई गई आपत्तियों को उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। इस देश में तुष्टीकरण की नीति पर चलकर बराबर इस देश में गो–हत्या होती रही है। इस सदन में इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। संविधान के भाग चार में उल्लिखित राज्य के नीति–निर्देशक तत्त्वों के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया कानून इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा कि वह सरकार द्वारा 14वीं, 19वीं और 21वीं धाराओं में दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करता है। अतः यदि कोई भी कानून बनता है जिसके द्वारा गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू अथवा कृषि उपयोगी पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगता हैं, तो प्रदत्त अधिकारों के प्रतिबंध के नाम पर उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार 42वें संशोधन के आलोक में गोवंश वध वंचित विधेयक कोई भी माकूल कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है तथापि सरकार अभी तक कोई अभीष्ट रूप से विचार करने वाला कानून नहीं बना पाई है।

क्योंकि विभिन्न कारणों से ऐसा करने का कोई साहस जुटा नहीं पाया। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ जी, कृपया समझने की कोशिश करें कि यह सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में ही है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अतः आवश्यक है कि इस महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकरण के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, मुझे श्री बनातवाला द्वारा उठाए गए बिंदु पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब नहीं दे सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री खारबेल स्वाइं : यह उत्तर देने का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री खारबेल स्वाइं : कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री स्वाइं कृपया समझने की कोशिश करें कि प्रक्रिया यह नहीं है।

श्री खारबेल स्वाइं : उन्होंने कहा है कि यह इस सभा की विधायी क्षमता से परे है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं आप इस आपत्ति का उत्तर देने हेतु सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं कृपया बैठ जायें। आपको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खारबेल स्वाइं : संयुक्त मोर्चा की सरकार के कार्यकाल के दौरान इस विधेयक पर चर्चा हुई थी हालांकि विधेयक पारित नहीं किया जा सका था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध कर रहा हूं। आपको कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्षपीठ इसका निर्णय नहीं लेता है कि कोई विधेयक संवैधानिक रूप से विधायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है अथवा नहीं । सभा किसी विधेयक के संविधान के अधिकारातीत होने के विशिष्ट प्रश्न पर भी कोई निर्णय नहीं लेती है। जहां तक विधेयको का गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति को भेजे जाने का प्रश्न है तो यह समिति अभी गठित ही नहीं की गई है। पिछली लोक सभा में कम–से–कम छः अवसरों पर इसी विषय पर विधेयक पुरःस्थापित किए गए थे। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मैं सभा के समक्ष यह प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 44 आदि का लोप)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि यह विधेयक संविधान के अधिकारातीत है। विधेयक में सरकार द्वारा सामान्य नागरिक संहिता बनाए जाने की बात की गई है जिससे हमारे समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों की स्वीय विधि तथा धार्मिक नियम समाप्त हो जायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं, ईसाइयों, हमारे सभी जनजातीय व्यक्तियों तथा विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों जिनकी अपनी–अपनी स्वीय विधियां हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 25 तथा 26 के द्वारा इन्हें अपनी–अपनी स्वीय विधियों की प्रथाओं का पालन करने का अधिकार पदत्त किया गया है, के अधिकार समाप्त हो जायेंगे।

इसके साथ–साथ यह विधेयक नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 क में किए गए उपबंध का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया है कि :

> "नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में संसद का कोई अधिनियम इन पर लागू नहीं होगा।"

हमने इस सभा में अनुच्छेद 871 'क' में उल्लिखित कतिपय परिस्थितियों पर अपनी मंजूरी क्यों दी। इसका कारण वहां हो रहा विद्रोह था तथा उनके सामाजिक और रूढ़िजन्य विधियों का संरक्षण किया जाना उनकी मांगों में से एक था। हमारे संविधान में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान संशोधन किया गया था। हमारे संविधान में संशोधन किया गया तथा नागालैंड और मिजोरम को यह आश्वासन दिया गया कि हम उनके रूढ़िजन्य नियमों, धार्मिक नियमों तथा रूढ़िजन्य प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तदनुसार, संविधान में इसी प्रकार का संशोधन किया गया।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 371 (छ) में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है।

अतः हम पाते हैं कि समान नागरिक संहिता की अवधारणा विघटनकारी है जिसमें हमारे समाज के सभी वर्गों, चाहे वे मुस्लिम, ईसाई जनजातीय वर्ग नागा अथवा मिजो वर्ग इत्यादि के हों, में असंतोष पैदा करेगा। हमारे संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को उनकी स्वीय विधियों, सामाजिक तथा रूढ़िजन्य प्रथाओं तथा विधियों के संरक्षण हेतु समान रूप से अधिकार प्रदान किया गया है।

अतः महोदय, मैं कहूंगा कि इस विधेयक जिसका स्वरूप विघटनकारी है तथा जिससे हमारे समाज में केवल तनाव उत्पन्न होगा, को पूरी तरह से वापिस ले लिया जाए। यह भारत के संविधान की दृष्टि से असंवैधानिक तथा अधिकारातीत भी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदित्यनाथ, कृपया।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : इसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कार्यसूची से भी निकाल दिया गया है ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आप गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी इसी प्रकार कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह सभ्य समाज का नियम है और जिस प्रकार से विभिन्न संप्रदायों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से व्यवहार में जो समाज की सबसे छोटी इकाई है, उस पर भी लागू होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय–समय पर इस देश में हर नागरिक के लिये एक सामान्य आचार संहिता बनाने के लिये सरकार से आग्रह किया था लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक देश की एकात्मकता और अखंडता के लिये जो महती आवश्यकता है, उसमें राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण पिछली सरकारों ने इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया जबकि संविधान की धारा 44....

[अनुवाद]

श्री जी.एम.बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, यदि वे इस विधेयक के गुणों–अवगुणों पर बोल सकते हैं, तो मैं भी इसके गुणों–अवगुणों पर बोल सकता हूं ... *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : उन्हें अपना उत्तर देने दें ...*(व्यवधान)* आपने भी समान नागरिक संहिता के बारे में तकनीकी मुददा उठाया है .. *(व्यवधान)* और उच्चतम न्यायालय का निर्णय ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : मैंने विधेयक के गुण–दोषों पर चर्चा नहीं की है ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : अतः आपके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर उत्तर देने का श्री आदित्यनाथ को पूरा अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : यह सही है कि नागालैंड और मिजोरम राज्यों के संबंध में संविधान संशोधन किये गए हैं ...*(व्यवधान)* लेकिन किसी भी धर्म या किसी भी अन्य राज्य के संबंध में कोई संविधान संशोधन नहीं किए गए हैं ...*(व्यवधान)* तब आप इसे असंवैधानिक कैसे कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : हम विधेयक के गुण–दोषों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक भी इस विधेयक से सहमत नहीं होंगे। वे इसका विरोध करेंगे ... *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, यह सदन सर्वोच्च है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी जानते हैं कि यह सदन सर्वोच्च है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, यदि कोई यह सोचता है कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और तब सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय करेगा कि यह संवैधानिक है या नहीं ...*(व्यवधान)* हम यहां इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 44 में यह बात स्पष्ट है कि भारत के समस्त राज्य नागरिक क्षेत्र में एक समान आचार संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और आज उसी बात को लेते हुये मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में जब हम देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं तो इस देश में निश्चित रूप से हर नागरिक पर इस देश का संविधान समान रूप से लागू हो। फिर सब विवाह संबंधों के लिये इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि जब हिन्दुओं ने, बौद्धों ने, जैनियों ने और सिक्खों ने राष्ट्रीय एकता के लिये अपनी भावनाओं का परित्याग किया है, तब क्यों नहीं दूसरे सम्प्रदाय, जो अपने आपको इस देश का नागरिक मानते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आदित्यनाथ, कृपया समझिए कि यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : तब क्यों नहीं समान आचार संहिता लाना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, केवल अमरीका ही नहीं, मुस्लिम राष्ट्रों– चाहे पाकिस्तान हो, यमन हो, सऊदी अरब हो या टर्की हो, सबने अपने देश में समान आचार संहिता बनाई है। इसलिये मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर विचार हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव पर मत विभाजन होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

जो इसके पक्ष में हैं, वे कृपया 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : "हां"

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विरोध में हैं वे कृपया "नहीं" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : "नहीं"

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से "हां" कहने वाले अधिक हैं। "हां" कहने वाले जीत गए।

कुछ माननीय सदस्य : "नहीं" कहने वाले जीते हैं।

श्री जी.एम.बनातवाला : हम मत–विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे दुबारा रखूंगा। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आपको पता होना चाहिए कि सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के.एच. मुनियप्पा जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो चुकी हैं। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना पड़ेगा कि चूंकि सदस्यों को अभी तक विभाजन संख्या आबंटित नहीं की गई है अतः स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग द्वारा मतदान संभव नहीं हो पाएगा। नियम 367 ए ए के अन्तर्गत पर्चियां बांटकर मत विभाजन नहीं किया जाएगा।

सदस्यों को मतदान करने हेतु उनके आसन पर 'हां'/'ना' की पर्चियां दी जाएंगी। पर्चियों के एक तरफ हरे रंग से हिन्दी और अंग्रेजी में 'हां' छपा है और दूसरी तरफ लाल रंग से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायों में 'ना' है।

सदस्य उन पर्चियों पर निर्धारित स्थान पर अपनी पसंद का वोट देने के लिए हस्ताक्षर करें और अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, संसदीय क्षेत्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और तिथि लिखें। जो सदस्य मतदान में भाग न लेने के इच्छुक हैं वे 'भाग न लेने वाली पर्ची' मांग सकते हैं। अपना मत चिन्हित करने के तुरंत बाद प्रत्येक सदस्य के पास एक मतदान लिपिक आएगा। प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह अपनी पर्ची उस लिपिक को सौंप दे जिससे कि वह उन्हें संबंधित अधिकारी को सौंप सके। सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल एक ही पर्ची भरें।

सदस्यों से निवेदन है कि जब तक मतदान लिपिक उनसे पर्चियां न ले ले तब तब वे अपना स्थान न छोड़ें।

अब मैं यह प्रस्ताव सभा में मत विभाजन के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 2 **अपराह्न 3.50 बजे**

पक्ष में

1. आदित्यनाथ योगी
2. उरांव, श्री जुएल
3. एलानगोवन, श्री पी.डी.
4. कस्वां, श्री राम सिंह
5. कुमार, श्री अरुण
6. कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
7. खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
8. गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
9. गढ़वी, श्री पी.एस.
10. गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव
11. गावीत, श्री रामदास रुपला
12. गिलुवा, श्री लक्ष्मण
13. गीते, श्री अनंत गंगाराम
14. गुप्त, प्रो. चमन लाल
15. चौधरी, श्री हरिभाई
16. जगमोहन, श्री
17. जटिया, डॉ. सत्यनारायण
18. जयशीलन, डॉ. ए.डी.के.
19. जाधव, श्री सुरेश रामराव
20. जावीया, श्री जी.जे.
21. तोमर, डॉ. रमेशचंद
22. देलकर, श्री मोहन एस.
23. देव, श्री बिक्रम केशरी
24. परस्ते, श्री दलपत सिंह
25. पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार
26. बैस, श्री रमेश
27. भगत, प्रो. दुखा
28. भार्गव, श्री गिरधारी लाल
29. महाजन, श्री वाई.जी.
30. मूर्ति, श्री ए.के.
31. राधाकृष्णन, श्री पोन
32. रामशकल, श्री
33. राव, श्री सी.एच. विद्यासागर
34. राव, प्रो. रासासिंह
35. रावत, श्री प्रदीप
36. रावले, श्री मोहन
37. विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
38. वुक्कला, डॉ. राजेश्वरम्मा
39. वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
40. वेत्रिसेलवन, श्री बी.
41. शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त
42. शशि कुमार, श्री

43. शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनी राम
44. साहू, श्री अनादि
45. सिंह देव, श्रीमति संगीता कुमारी
46. सिंह, चौधरी तेजवीर
47. सोमैया, श्री किरीट
48. स्वाइं, श्री खारबेल

विपक्ष में

1. आठवले, श्री राम दास
2. कुमारासामी, श्री पी.
3. कृष्णन, डॉ. सी.
4. खां, श्री मनसूर अली
5. गोविन्दन, श्री टी.
6. गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी
7. घाटोवार, श्री पवन सिंह
8. चिन्नासामी, श्री एम.
9. चेन्नितला, श्री रमेश
10. जार्ज, श्री के. फ्रांसिस
11. जालप्पा, श्री आर.एल.
12. जोस, श्री ए.सी.
13. थामस, श्री पी.सी.
14. दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
15. देव, श्री संतोष मोहन
16. पटेल, श्री धर्म राज
17. पांडियन, श्री पी.एच.
18. पाटिल, श्री आर.एस.
19. पाटील, श्री उत्तमराव
20. पासवान, श्री सुकदेव
21. प्रेमाजम, प्रो. ए.के.
22. फारूक, श्री एम.ओ.एच.
23. बनातवाला, श्री जी.एम.
24. बुन्देला, श्री सुजानसिंह
25. मलयसामी, श्री के.
26. महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
27. मुत्तेमवार, श्री विलास
28. मुनियप्पा, श्री के.एच.
29. मोल्लाह, श्री हन्नान
30. यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
31. राधाकृष्णन, श्री वरकला
32. रेड्डी, श्री एन.जनार्दन
33. रेड्डी, श्री एस. जयपाल
34. रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द
35. वैको, श्री
36. व्यास, डॉ. गिरिजा
37. शिंदे, श्री सुशील कुमार
38. सनदी, प्रो. आई जी.
39. सरोजा, डॉ. वी.
40. सिंधिया, श्री माधवराव
41. सिंह, श्रीमती कान्ति
42. सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद
43. सिंह देव, श्री के.पी.
44. सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.
45. सेल्वागनपति, श्री टी.एम.
46. हान्दिक, श्री विजय

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 48

विपक्ष में : 46

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : इसके बाद वे धर्मनिरपेक्षता पर बात नहीं कर सकेंगे ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, क्या बाद में हमें सूचना पट पर वोटिंग का सार्वजनिक रिकॉर्ड मिलेगा ? हम इसे प्राप्त करना चाहेंगे ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि एक उत्कृष्ट सांसद, माननीय श्री एस. जयपाल रेड्डी आज कुछ ज्यादा सक्रिय हैं।

(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी) : वे अत्यधिक सक्रिय हैं।

अपराह्न 3.57 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 1 का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 3–योगी आदित्यनाथ।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 4 और 5 –

श्री वीर सिंह महतो : यहां मौजूद नहीं हैं। मद संख्या 6–श्री रमेश चेन्नितला।

अपराह्न 3.58 बजे

गर्म मसाला और नकदी फसल कीमत आयोग विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गर्म मसालों और अन्य नकदी फसलों के लिए सरकार को लाभकारी कीमतों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ एक आयोग का गठन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि गर्म मसालों और अन्य नकदी फसलों के लिए सरकार को लाभकारी कीमतों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ एक आयोग का गठन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.59 बजे

श्री रमेश चेन्नितला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.59 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(दसवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक *
(धारा 2 आदि का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.0½ बजे

संविधान संशोधन विधेयक *
(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.01 बजे

अनिवार्य मतदान विधेयक *

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में अनिवार्य मतदान करने और इससे संबंधित मामलों को उपबंध करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में अनिवार्य मतदान करने और इससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.01½ बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक *
(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.02 बजे

राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड विधेयक *

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बालकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.02½ बजे

युवा कल्याण विधेयक *

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.03 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(नये अनुच्छेद 44क का अन्तःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री पी.सी.थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.सी. थामस : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.03¼ बजे

रबड़ उत्पादक (संरक्षण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री पी.सी.थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पाबंदी लगाने वाले और रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पाबंदी लगाने वाले और रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.सी. थामस : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.03 ½ बजे

गंदी बस्ती क्षेत्र तथा झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र उन्मूलन विधेयक *

[अनुवाद]

श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र तथा गंदी बस्ती क्षेत्रों का उन्मूलन और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

"कि झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र तथा गंदी बस्ती क्षेत्रों का उन्मूलन और तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस.विवकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.04½ बजे

रोजगार का उपबंध विधेयक *

[अनुवाद]

श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक परिवार के कम–से–कम एक वयस्क सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु साधनों और संसाधनों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्येक परिवार के कम–से–कम एक वयस्क सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु साधनों और संसाधनों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.04½ बजे

विशेष शैक्षणिक सुविधाएं

(गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) *

[अनुवाद]

श्री वाई.एस.विवकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस.विवकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05 बजे

भारत की विदेशी सहायता निधि विधेयक *

[अनुवाद]

श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी सहायता के उपयोग को विनियमित करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी सहायता के उपयोग को विनियमित करने और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05¼ बजे

अनिवार्य मतदान विधेयक *

[अनुवाद]

श्री पी.सी.थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी निर्वाचनों में मतदान को अनिवार्य बनाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी निर्वाचनों में मतदान को अनिवार्य बनाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.सी. थामस : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05½ बजे

संविधान संशोधन विधेयक *
(अनुच्छेद 85 का संशोधन)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.06 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(नए अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. वी. सरोजा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 4.02½ बजे

जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक *

[अनुवाद]

डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों द्वारा छोटे परिवार के सन्नियम के सम्प्रवर्तन और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों द्वारा छोटे परिवार के सन्नियम के सम्प्रवर्तन और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. वी. सरोजा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक *
(नई धाराओं 26 'क' और 26 'ख' का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1951 और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05½ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 51क का संशोधन)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.08 बजे

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक *
(अनसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.08½ बजे

बाढ़ नियंत्रण विधेयक *

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.09 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक *

(नए अनुच्छेद 9 'क' का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.09½ बजे

अनिवार्य मतदान विधेयक *

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विधायी निकायों के निर्वाचन में मतदान अनिवार्य करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में विधायी निकायों के निर्वाचन में मतदान अनिवार्य करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.10 बजे

अंतराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक *

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के बीच नदी जल का समान वितरण करने के प्रयोजनार्थ अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यों के बीच नदी जल का समान वितरण करने के प्रयोजनार्थ अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

श्री वैको : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.10½ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक *
(अनुच्छेद 103 आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"क्या भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताय स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.11 बजे

संविधान संशोधन विधेयक *
(नए अनुच्छेद 75क आदि का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताय स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री अन्नत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.11½ बजे

वृद्ध व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान, शांति और सुरक्षा का जीवन सुनिश्चित करने, उनके कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान, शांति और सुरक्षा का जीवन सुनिश्चित करने, उनके कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने के वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.11¾ बजे

जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य बंध्यकरण द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय करने तथा छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिये प्रोत्साहनों/अनुत्साहनों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य बंध्यकरण द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय करने तथा छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिये प्रोत्साहनों/अनुत्साहनों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.12 बजे

आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलाप (निवारण) (विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री जी.एम.बनातवाला को बुलाऊं हमें विधेयक पर चर्चा करने के लिये समय निर्धारित करना है। क्या हम 2 घंटे का समय निर्धारित करें ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : हम इस बिल का विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो शुरू में हम इस पर चर्चा के लिये दो घंटे का समय निर्धारित करेंगे। बाद में देखेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधेयक है जो हजारों लोगों के नागरिक अधिकारों से संबंधित है और बहुत से लोग इस टाडा कानून से प्रभावित हुए हैं। यद्यपि यह व्यपगत हो गया है, लोग अभी भी इससे आक्रान्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, शुरू में हम केवल दो घंटे दे सकते हैं। यदि जरुरी हुआ तो विधेयक पर चर्चा का समय हम बढ़ा सकते हैं।

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आतंकवादी और विध्वंशकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 जो 23 मई 1995 को व्यपगत हो गया था, के अन्तर्गत सभी विधिक कार्यवाहियों को वापस लेने और उनके निवारण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–दो, खण्ड-2 दिनांक 17.12.99 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.13 बजे

(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

जनाब चेयरमैन साहब, सब जानते हैं कि टाडा एक्ट 23 मई, 1995 को लैप्स हो गया। लेकिन टाडा एक्ट खत्म होने के बावजूद भी सैंकड़ों मुकदमात हैं, जो बराबर चल रहे हैं। सैंकड़ों–हजारों लोग हैं जो अब भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। कानून तो खत्म हो जाए, लेकिन पेंडिंग मुकदमात के सिलसिले में लोग जेल में रहें, यह एक कंट्राडिक्ट्री बात है, एक तजाद है। कानून के खत्म होते ही जो पेंडिंग केसेज थे, इनको भी लैप्स होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि टाडा एक्ट में एक खास दफा रह गई थी। यह स्थिति अधिनियम धारा–1 की उपधारा 4 के कारण उत्पन्न हुई है। कानून के सेक्शन 1, सब–सेक्शन 4 की वजह से टाडा कानून के खत्म होने के बावजूद पेंडिंग मुकदमात चलते रहे।

वे लोग जेल की सलाखों के पीछे बंद रहे, जिनके मुकदमात पैंडिग थे। एक अजीब–सी सिचुएशन है–"कानून खत्म, मुकदमे जारी।" मालूम होता है कि आज भी हम ब्रिटिशर्स को फॉलों करते हैं। वे ऐलान करते है, दि किंग इज डेड, लांग लिव दि किंग। यहां भी ऐसे ही है। टाडा समाप्त हो गया है, फिर भी यह जारी है, यह एक अजीब सा तज़ाद है और इस तज़ाद को खत्म करने के लिए यह बिल आया है। जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि जब कानून को खत्म कर दिया गया तो फिर उस खत्म शुदा कानून के तहत जो भी मुकदमे आते हैं उन्हें भी खत्म समझा जाए और जो पैंडिंग मुकदमात में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। अगर हुकूमत समझती है कि वे कुसूरवार हैं, जरायम में मल्लवस है तो यकीनी तौर पर हमारे पास बहुत सारे कानून मौजूद हैं। इस वहशी कानून के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी। देश के सामान्य कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चल सकता है।

मुल्क के जो आम कानून है, उनके तहत उनके ऊपर मुकदमात दायर किए जा सकते थे। यह बात याद रखनी होगी कि कैसी अजीब सी सिचुएशन हमारे सामने आती है। एक तरफ टाडा कानून खत्म होता है, पहली सिचुएशन यह है कि पैंडिंग मुकदमात चल रहे हैं और दूसरी सिचुएशन यह है कि कितने इनवेस्टीगेशंस पैंडिंग हैं। पैंडिंग इनवेस्टीगेशंस को भी प्रोटेक्ट किया गया है। उनके मुताबिक जब कभी मुकदमात दायर किए जाएं तो वे भी चलते रहेंगे। फिर नित नए तरीके अख्तियार किए गए कि टाडा को जिन्दा रखा जाए। सर, मैं यहां आपकी इजाजत चाहूंगा, एन.बी.चांदे, उनकी तहरीर बिट्रेयल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी राउण्ड दि स्टेट्स इसके अंदर एक नये तरीके का इंसाफ किया गया है, इस तरीके से टाडा के खत्म होने के बावजूद भी टाडा को जारी रखने और लोगों को फंसाने का काम बराबर चलता रहा। यहां सफा नम्बर 170, एन.बी. चांदे ने कितने हवाले दिए हैं और इन हवालों में से मैं एक हवाला पेश कर रहा हूं ताकि मालूम हो कि कितने नए तरीकों से टाडा के कानून को जिन्दा रखने की कोशिश की गई।

[अनुवाद]

"अगर पुलिस किसी पर मुकदमा चलाना चाहती है, तो किसी पुरानी एफ.आई.आर. में उसका नाम जोड़ देती है चूंकि मुकदमा सूची बद्ध करके उस पर जांच की जा सकती है।"

[हिन्दी]

सैकड़ों अंडर इनवेस्टीगेशंस कहलाते थे और फिर हमारे सामने ऐसी भयानक वारदातें आईं कि जो इस ओल्ड इनवेस्टीगेशन में केसेस हैं, ओल्ड एफ.आई.आर. है उनके अंदर भी नाम बढ़ा कर उनके लिए टाडा को जिन्दा रखा गया।

सर, हमें यह समझना चाहिए कि आखिर टाडा कानून खत्म क्यों होने दिया गया। टाडा को व्यपगत क्यों होने दिया? यहां हम देखेंगे कि मुल्क भर में यह बात उठी कि टाडा का कानून, हिन्दुस्तान, जो दुनिया की सबसे बड़ी जम्हूरियत है उस जम्हूरियत के माथे पर कलंक का टीका है और वह इसलिए है क्योंकि टाडा एक ऐसा कानून है, जिसमें कोई जम्हूरियत उसूल नहीं थे। जिसमें जम्हूरियत के जितने भी हैल्दी प्रिंसिपल्स और जो सेहतमंद उसूल होते हैं, वे सारे खत्म करके रख दिए गए थे।

यह बात भी सामने आई कि टाडा का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए यह कहा गया कि ऐसा कानून जो जम्हूरी मिजाज के खिलाफ हो, ऐसा कानून जो जूरिसप्रूडेंस के सेहतमंद उसूलों के खिलाफ हो, ऐसा कानून जो एग्जिक्यूटिव्ज को इतनी पावर देता हो कि उसका गलत इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ हो, ऐसा कानून खत्म होना चाहिए। इस बात को तस्लीम किया गया और इस बात को मानते हुए 23 मई को यह कानून खत्म हुआ। जरा जुल्म तो देखिये कि कैसे–कैसे लोगों को टाडा के तहत पकड़ा गया। सर, मैं ज्यादा एग्जामपल्स देना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप सोचिये तो सही कि इस कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल जो हुआ, उसने बेगुनाहों पर कितने जुल्मो–सितम किये और जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको इस टाडा के शिकंजे से निजात मिलेगी। सर, आप देखिये कि कैसे–कैसे लोगों को इस टाडा के अंदर बंद किया गया और उनका कसूर क्या था। मामूली ड्राइवर, मजदूर, उनको बंद किया गया। कसूर क्या था कि वह किसी का मजदूरी पर सामान उठाकर चला। क्या सामान था, उस मजदूर को

[श्री जी. एम. बनातवाला]

मालूम नहीं। हमालों को, चौकीदारों को, ऑटोरिक्शा वालों को, ड्राइवर्स को, जिनको मालूम भी नहीं था कि इस आदमी के पास क्या है और किस मकसद से यह जा रहा है, उनको भी बंद किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में वर्धन इलाके में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग हैं जिनको बाद में पुलिस ने टैरेरिस्ट कहा। लेकिन केवल देखने के जुर्म में उस चरवाहे को भी टाडा में बंद कर दिया गया। मैं एक–एक मुजरिम का नम्बर भी दे सकता हूं, लेकिन मैं जस्टिस में एंटरफेयर करना नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं। एक बेचारी औरत जिसके गांव में कुछ लोग आये, जिनको वह पहचानती भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए, हम प्यासे हैं। उसने उन मुसाफिरों को पानी पिला दिया, वह भी टाडा के अदंर बंद कर दी गयी। मैं उसका नाम, नम्बर सब दे सकता हूं, मेरे रिकार्ड में हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। आप देखिये कि किस किस्म के लोगों को बंद किया गया। सारी दुनिया जानती है कि कम्युनल दायरा के तहत भी टाडा का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। जब कानून इतना मिसयुज होता हो और इस बिना पर उसको खत्म किया जाता हो तो ऐसे वहशियाना कानून के अंदर जो मुकदमे हैं उनको भी खत्म होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वे मुजरिम हैं तो हमारे पास, इस जनतांत्रिक देश में बहुत से कानून हैं जिनके तहत उन पर मुकदमे चलाये जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह टाडा और इसके अंदर बेगुनाह लोग जो सालों–साल से जेल के अंदर हैं उनको इस वहशियाना कानून से निजात दिलाई जाए.

मामलात अदालत में गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां बहुत गड़बड़ दिखायी देती है, टाडा केसिज को रिव्यू करना पड़ेगा, उसे स्टेट और सेंट्रल लेवल पर रिव्यू करो। तब हुकुमत रिव्यू करने के लिए मजबूर हुई। खास तौर पर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के हालात खराब थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हुकूमत रिव्यू करने के लिए मजबूर हुई। करतार सिंह नाम का एक मुकदमा था। रिव्यू करने में कितने केसिज गलत समझे गए ? वह एक–दो नहीं थे। समीक्षा अभी तक सन्तोषजनक नहीं है। यह रिव्यू जो अभी गैर तसल्ली बख्श थे लेकिन इस रिव्यू की वजह से 23,862 केसिज को ड्रॉप करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। हम यह फीगर्स हाउस में स्ट्रार्ड और अनस्ट्रार्ड क्वश्चन्स वगैरह से मिली हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेने की खातिर इन फीगर्स को पेश नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा कानून जिस का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ हो, सरसरी तौर पर रिव्यू किया जाए और वह अभी तसल्ली बख्श रिव्यू भी न हुआ हो और 23,862 केसिज को ड्रॉप करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि नाइंसाफी, जुल्म–ओ–सितम अपने इन्तहा को, अपने क्लाइमेक्स को पहुंच चुका था।

एक और अनस्ट्रार्ड क्वश्चन में फीगर दिया था। वह इससे कहीं थोड़ा ज्यादा था। 23,901 केसिज को ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। यह इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा कानून जो जूरिसप्रूडेंस के खिलाफ, अच्छे उसूलों के खिलाफ, जम्हूरी मिजाज के खिलाफ और जिस के अंधाधुंध इस्तेमाल का यह हाल हुआ हो, उसके अन्दर जो मुकदमात बाकी रह गए हैं, कानून के खत्म होने के साथ–साथ उन्हें भी खत्म होना चहिए।

पैंडिंग केसिज का क्या हाल है ? टाडा कोर्ट और डैजिग्नेटिड कोर्ट का क्या हाल हैं ? उनमें बहुत धीमी गति से काम होता है। सुस्त रफ्तारी, इंतिहाई तवाल्लत, तवील लम्बे तौर पर चल रहे हैं। कुछ अर्से पहले हमें कहा गया कि आज टाडा के अन्तर्गत कुल 14,446 मामले दर्ज हैं। यह पैंडिंग केसिज की बात है। इनवेस्टिगेशन कितनी पैंडिंग है ? जब हुकूमत से यह पूछा गया तो राज्य सभा में एक अनस्टार्ड क्वश्चन में हुकूमत ने यह बताया कि पैंडिंग केसिज की फीगर्स तो दे दी लेकिन पैंडिंग इनवेस्टिगेशन की अलाहिदा फीगर्स नहीं रखते। मैं रिकार्ड के हवाले से पेश कर सकता हूं कि इसका गलत इस्तेमाल किस तरह हुआ ? जेल की सलाखों के पीछे तकरीबन 1022 मुल्जमिन बंद पड़े हैं। जहनी तौर पर तबाह हो गए हैं, माली तौर पर तबाह हो गए हैं और उनकी फैमिलियां तबाह हो गई हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने चंद महीने पहले जुलाई, 1999 में कहा था :

[अनुवाद]

"प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टाडा से संबंधित मामलों पर तीव्र कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को देश भर से स्थिति पत्र उपलब्ध कराने और तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।"

[हिन्दी]

यह रिपोर्ट हिन्दुस्तान टाइम्स में 15 जुलाई, 1999 और टाइम्स ऑफ इंडिया में 16 जुलाई, 1999 को छपी। प्राइम मिनिस्टर ने यह हुक्म तो जारी किया, लेकिन क्या हुआ ? हम नहीं जानते उस पर क्या अमल हुआ ? शायद यह इलैक्शन का जमाना था और शायद यह बयान भी सिर्फ इलैक्शन के जमाने की बात थी। अभी–अभी जो इलैक्शन हुआ है, यह उसी की बात थी। जैसा मैंने कहा कि जो मुकदमात पड़े हुये हैं जिनकी तादाद 14446 है और 1022 लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं जिन पर सुस्त रफ्तारी के साथ कार्यवाही चल रही है। क्या मैं जरा इसका एग्ज़ाम्पल दूं कि कैसे अदालती कार्रवाई चल रही है। जब मुम्बई बम ब्लास्ट की बात होती है, फिर उसी केस में बाबरी मस्जिद शहादत का हवाला आता है और फिर उसके बाद टाडा केस की बात आती है। सात साल से लोग बंद पड़े हुए हैं। सात साल का अर्सा कोई कम और छोटा नहीं है। अब जरा टाडा देखिये जिसमें कुछ दफात के अंदर सज़ा पांच साल की हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिये वे लोग सात साल से जेलों के अंदर बंद पड़े हुये हैं। जहनी तौर पर तबाह दीवाने हो चुके हैं। उनकी फैमलीज बरबाद हो चुकी है। और ज्यादा क्या बताया जाये क्योंकि जो अमीर

थे, वे तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गये, मैं किन–किन का नाम लूं, यह ईवान उनके नामों को जानता है, उन्होंने तो कोर्ट से बेल ले ली लेकिन जो गरीब लोग हैं, वे इतना नहीं कर सके। नतीजे के तौर पर वे आज भी जेलों में बंद पड़े हुये हैं। ये गरीब लोग घर में इफलास रोग के शिकार हैं।

साहब, मैं आपकी तवज्जह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं ए.आई.आर. 96 एस.सी. 2953 केस की तरफ तवज्जह दिलाकर आपको याद दिलाना चाहता हूं। सात साल से जेलों में बंद टाडा के कुछ दफात के तहत 5 साल की सजा हो सकती है और वे सात साल से बंद हैं। अब यह जज कहते हैं :

[अनुवाद]

"अभियुक्तों द्वारा अपराध की अधिकतम सजा की आधी अवधि का कारावास भोग लेने के बाद उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित रखना अनुच्छेद–21 का उल्लघंन होगा"।

[हिन्दी]

यह क्या सिचुएशन मेरे सामने आ रही हैं, यह जज कहते हैं। आर्टिकल 21 का अंधाधुंध वायलेशन किया गया है। यहां इन लोगों की आजादी को इस तरह से खत्म और सर्द नहीं किया जा सकता है।

खैर, यहां शायद जमानत की बात हो रही है कि ऐसे लोगों को जमानत मिलनी चाहिए जो इस मुकदमे में जमानत के मुस्तहक हैं लेकिन हाल तो यह है कि इन बेचारों का पता तक नहीं कि वह जमानत के मुस्तहक भी हैं। गरीब हैं, गैर–तालीमयाफ्ता हैं, बकरियां चराते–चराते पकड़े गए। मुसाफिर को पानी पिलाने के जुर्म में पकड़े गए। मुसाफिर को पहचानते भी नहीं। मैं कितने ही ऐक्ज़ाम्पल्स यहां आपके सामने रखता चला जाऊं। अब क्या हम ऐसे लोगों से यह उम्मीद करें कि वे जेल की काल–कोठरी में बंद हैं, गुर्बत के मारे हैं, अनपढ़ और गैर–तालीमयाफ्ता हैं, उनको इस जज के फैसले की मालूमात भी मिल जाए। जरूरत थी कि हुकूमत ऐसे वक्त पर खुद उठती और इन नादारों के हकूक की तरफ तवज्जह दिलाती। जरूरी था कि उन लोगों को इत्तला की जाती, उनके घर वालों को इत्तला की जाती। टाडा डैसिग्नेटेड कोर्ट में ऐसे लोग जो बेल के मुस्तहक हो गए हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो मैंने आपको सुनाया, उनके नामों की लिस्ट पेश की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। ज़ालिम हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। ये बेचारे गरीब फौरी तौर पर क्या कदम उठाएं ? वकीलों के पीछे तो खुद उनका दीवाला निकल चुका है। फौरी तौर पर, इमीडियेट रिलीफ के तौर पर आज कम–से–कम इतना तो किया जा सकता है। कि जमानत के बारे में खुद हुकूमत की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। हम यह नहीं कह सकते कि ये गरीब जमानत की रकम अदा करने की भी ताकत रखते हैं या नहीं। इन गरीबों के पास कुछ नहीं है और चार्ज है कि राष्ट्र के खिलाफ युद्ध कार्रवाई में शामिल होना। लेकिन इन गरीबों के मामले जिस किस्म के मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाए हैं, अगर वह अपनी जमानत का इंतज़ाम न कर पाए तो फिर हम इस ऐवान और हुकूमत को इंसाफ के नाते सोचना पड़ेगा।

लेकिन मामला सिर्फ ज़मानत का नहीं है। मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। ज़मानत तो खैर अब मिल जानी चाहिए लेकिन मैंने कहा कि मामला इससे भी ज्यादा संगीन है। जरा देखो तो सही मौजूदा पोज़ीशन क्या है अदालती कार्यवाहियों की। अगर मुम्बई ब्लास्ट केस को ही लें तो उसमें कई किलोग्राम वज़नी चार्जशीट दाखिल की गई। कुछ गवाहों की तादाद 3000 के लगभग है। अब तक 3000 में से मुश्किल से 189 अदालत में पेश हो सके हैं सात सालों में। 3000 गवाह ऐक्ज़ामिन करने होंगे इन गरीबों के लिए। उसमें से 189 ही आ सके हैं। यह मुकदमा कब तक चलेगा ? शायद जिन्दगी और जिन्दगी के बाद या मौत के बाद भी यह मुकदमा चलेगा क्योंकि आजकल तो नयी बात है कि मरने के बाद भी मुकदमा चल सकता है, मरने के बाद चार्जशीट में भी कॉलम नंबर 2 हो या 3 हो, कहीं न कहीं नाम आ सकता है–यह आलम है। वकीलों का कहना है कि इस रफ्तार से दस बरस तो क्या बीस बरसों के अंदर भी इन मुकदमात का फैसला होने की कोई उम्मीद नहीं है। जब यह सिचुएशन हो और यह सिचुएशन किस कानून के बारे में है ? उस कानून के बारे में है जिसको पूरे देश और हुकूमत ने वहशियाना माना, जम्हूरियत के खिलाफ माना और जिसके बारे में माना कि उसका लार्ज स्केल मिसयूज हुआ है।

ऐसे हालात में और अदालत में कार्रवाई की यह हालत हो रही हो तो फिर इस ईवान को इस हाउस को सोचना होगा कि इस बिल को मंजूर करते हुए इंसाफ को कायम करना होगा। सर, जरा सोचिये तो सही खुद एक मुकदमे में ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 2957 में जज कहते हैं :

[अनुवाद]

"यह स्पष्ट है कि कुछ राज्यों में टाडा के अन्तर्गत मामलों को तेजी से निपटाने की बहुत कम उम्मीद है"।

[हिन्दी]

वह इसके लिए कारण भी देते है; खुद जजेज का यह कहना है। जरा देखिए इसी मुकदमें में यह जज और क्या कहता है हमारी ऑखें खुलनी चाहिए।

[अनुवाद]

"जब टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 8 के अनुसार टाडा मामले में विचारधीन कैदियों की रिहाई पर सख्त प्रतिबंध हो"

[श्री जी. एम. बनातवाला]

"महोदय मैं सजा की महत्ता के कारण दुहराता हूं। न्यायाधीश कहते हैं :

जब टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 8 के अनुसार टाडा मामले में विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर सख्त प्रतिबंध हो, तब यह जरूरी हो जाता है कि मुकदमा चले और ठीक समय में पूरा हो जाये"।

[हिन्दी]

यह जस्ट एंड फेयर होने के लिए जरूरी है कि रीजनेबल टाइम में खत्म करो। लेकिन हालात यह है कि कोई रीजनेबल टाइम के अंदर फैसले का सवाल आता नहीं है।

सर, जोर दिया गया है कि टाडा जैसा कानून जो कि जूरिसप्रूडेन्स के उसूलों से थोड़ा हटकर है और उसके अंदर बेल हासिल करने में इतनी कठिनाइयां रख दी गई हैं, तो कम–से–कम ऐसे मामलों के अंदर तो अदालती कार्रवाई तेज होनी चाहिए और रीजनेबल टाइम, वाजबीवक्त के अंदर फैसला आना चाहिए। लेकिन जैसा मैं इस ईवान को बतला रहा हूं कि वाजबीवक्त में फैसला आने की दूर–दूर तक कोई आशा, कोई उम्मीद नजर नहीं आती।

सर, जिस मुकदमे का मैं हवाला दे रहा हूं उसी मुकदमे के जजेज आगे कहते हैं :

[अनुवाद]

"तेजी से मुकदमा चलाने को सुनिश्चित किये बगैर निजी स्वंतत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार के लिए संगत नहीं होगा"।

[हिन्दी]

कांस्टीट्यूशन हमें अपहोल्ड करना है। हमने यहां पर कांस्टीट्यूशन के बारे में कसम खाई थी, इलफ उठाया था कि उसके मुताबिक काम होगा और यहां जब जजेज खुलकर इतनी बातें कह रहे हैं और इसके बावजूद तल्ख हकीकत से हम चश्मपोशी करते रहे तो ये बात इंसाफ के खिलाफ होती है। चेयरमैन सर, यह याद रखा जाए कि अगर कानून खुद लाकानूनीयत पर मुवनी है –अगर कानून खुद गैर कानूनी है –अगर कानून वहशियाना है, अगर कानून खुद मुंसिफाना अदालती कार्रवाई के सेहतमंद उसूलों के खिलाफ है और अगर अदालती कार्रवाई माकूल मुद्दत में पूरी नहीं हो सकती है तो फिर अवाम का ऐतमाद कानून पर से उठ जायेगा, इंतजामिया पर से उठ जायेगा, अवाम का ऐतमाद अदलिया पर से उठ जायेगा, अवाम का ऐतमाद हमारे जम्हूरी निजाम पर से उठ जायेगा। यहां तक कि हमारी जम्हूरियत पर से ही आवाम का ऐतमाद उठ जायेगा। ये अंदेशे हैं, इसके नताइज खुदा न करे भयानक साबित हो सकते हैं और इसीलिए इस ईवान को उन बातों का सीरियस नोट लेना पड़ेगा।

सर, आज इंसाफ हुकूमत की दोगली पॉलिसी का शिकार है। मैंने सुबह एक रैफरेंस में कहा था, इसका एक हवाला यहां देता जाऊं, कहा जा रहा है कि 1984 के फसादात के लिए हुकूमत नई जांच के लिए, नए कमीशन के लिए तैयार है। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन देखो तो सही कि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि 1984 के दंगो के अंदर जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर एक नया कमीशन भी बैठाना हो, तो हुकूमत कहती है हम नया कमीशन बैठाने के लिए तैयार हैं। इसी रंग की हुकूमत यू.पी. में है। 1991 में निगार सिनेमा, मेरठ–यू.पी. में 17 मुसलमानों का दिनदहाड़े कत्लेआम हुआ। सिर्फ आठ मुकद्मे दायर हुए और आज एकाएक यू.पी. की हुकूमत ने वे आठों पर से मुकदमे वापस ले लिए। यह कैसी हुकूमत है जिसमें मायनॉरिटीज की जानों की कोई वैल्यू नहीं, अकलीयत की जानों की इस जम्हूरी हुकूमत में कोई कीमत नहीं। फिरकावारान, अनासर का हौसला बुलन्द किया जा रहा है और मैसेकर, 17–17 मुसलमानों का मैसेकर, कत्लेआम दिनदहाड़े हुआ, इल्जाम लगे हुए हैं, लेकिन मुकदमे वापस लिए जाते हैं।

सर, इससे पहले महाराष्ट्र में भी केसरी हुकूमत थी। सैकड़ों दलितों पर जुल्म हुआ। जिन्होंने दलितों पर जुल्मों सितम ढहाए थे। उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमें दायर किए गए, लेकिन महाराष्ट्र की केसरी सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। ये इंसाफ के अलग–अलग मयार हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, वे पालिटिकल केसेस थे।

श्री जी.एम.बनातवाला : सर, उनको पालिटिकल केसेस कहा जा रहा है जबकि यह इम्तिहाज की बात साफ जाहिर है। मैं और भी हवाले देता, लेकिन केसेस विथड्रा कर लिए यह कह कर कि कम्युनल फिजा अच्छी हो जाएगी और मुजरिम साफ छोड़ दिए गए।

[अनुवाद]

स्वतन्त्र भारत के कानून में टाडा विधान का सबसे काला अध्याय है।

[हिन्दी]

हमारे पास तो कानून बहुत सारे हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जाता है कि टैररिस्ट का मुकाबला करना है, टैररिज्म का मुकाबला करना है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टाडा जैसे कानून के बावजूद टैररिज़म बढ़ता नहीं रहा है ? क्या टाडा टैरोरिज्म के मुकाबले कामयाब है ? गूंजता जवाब है नही। टाडा चलता रहा, टैररिज्म बढ़ता रहा। टाडा की वजह से टैरोरिज्म में कोई कमी पैदा नहीं हुई। कितने कानून आपके पास मौजूद है–टाडा मौजूद है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट मौजूद है, आर्म्ड फोर्सेस स्पैशल एक्ट मौजूद है, टैररिस्ट्स अफैक्टेड एरियाज स्पैशल

कोर्ट्स एक्ट मौजूद है, लेकिन इन सारे कानूनों की मौजूदगी के बावजूद टैररिज्म खत्म या कम नहीं हुआ, बल्कि आज और भी बढ़ता जा रहा है और टाडा के समय में भी और भी बढ़ता रहा था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी.एच. पांडियन) : श्री बनातवाला, आप कितना समय चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति जी, यह बहुत सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव चीज है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, वे विधेयक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि जो कसूरवार है, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो। यह कहने का मतलब नहीं है। टैरोरिज्म के मुकाबले के लिए पूरा एवान एक होकर खड़ा हो सकता है लेकिन उसके सही तरीके भी होने चाहिए। जो कसूरवार है, हमारे पास कवानीन की कमी मौजूद नहीं है। मुल्क के तमाम कवानीन मौजूद हैं। टैरोरिज्म का मुकाबला करना है, तो इसका मुकाबला सिर्फ कानून को वहशी से वहशी बनाकर, टैरोरिज्म के सामने स्टेट टैरोरिज्म लाकर नहीं किया जा सकता है। टैरोरिज्म का मुकाबला करना है तो सिर्फ ऐसे कानून बनाकर, जो जम्हूरियत के मिजाज के खिलाफ हो, जो जूरिसप्रूडैंस के खिलाफ हो, इस तरह से टैरोरिज्म का मुकाबला नहीं किया जा सकता बल्कि इस तरह टैरोरिज्म को और भी बढ़ावा देने की बात सामने आती है। आज सवाल ट्रिब्यूनल जस्टिस को स्ट्रैन्डन करने का नहीं है। आज सवाल है – पुलिस बल के बारे में आप क्या करने वाले हैं ? पुलिस फोर्स को माडर्न करने के लिए, पुलिस फोर्स को इम्पार्शियल बनाने के लिए पुलिस फोर्स को ज्यादा इफैक्टिव बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? सिर्फ कानून की भरमार कर देने से मामलात हल नहीं होते बल्कि इंटैलीजेंस को बेहतर बनाया जाये।

कारगिल के बारे में इंटैलीजेंस की बात हो रही थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता लेकिन इन बातों पर कोई तवज्जह नहीं है। हमारे पास पीस कीपिंग फोर्स है। पीस कीपिंग फोर्सिज का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। जो हमारी फोर्सेस हैं, उनका बेहतरीन इस्तेमाल, सही–सही इस्तेमाल, बेहतर और अच्छे इस्तेमाल जरूरी है ताकि हम टैरोरिज्म का मुकाबला कर सकें। टैरोरिज्म के खात्मे के नाम पर हुकूमत को गैर जम्हूरी इख्तियार और पावर्स देना, जो आसानी के साथ मिसयूज होते हों, जिस मिसयूज की दिल दहला देने वाली दास्तानें हमारे सामने मौजूद हैं। यह गलत ख्याल, गलत नजरिया है जो हमारे सामने आता है, हमें याद करना चाहिए। हमारा देश महान है। इसके महान होने की बुनियादें क्या है ? इसके महान होने की बुनियादें इसका सिविलाइजेशन है। इसके महान होने की बुनियादें यहां पर सही मायने में जम्हूरी तौर पर 'दी रूल ऑफ लॉ पर बनी है। सिर्फ वहशी कानून लॉ विद आर लॉ लेस तो यह इससे हमारे देश को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।

साहेब मैं जो कुछ रहा हूं, आज ट्रेजरी बैंचेस में जो बैठे हुए हैं, कल जब वे ओपोजिशन में थे तो यही बात कह रहे थे। मैं कितनों के हवाले, कितनों की स्पीचिस के हवाले आपके सामने पेश करूं। सिर्फ कैबिनेट के अंदर आपके कुलीग का हवाला दे रहा हूं जो कि कैबिनेट में मौजूद हैं, सीनियर हैं और सब उनकी रिसपैक्ट करते हैं। वे राज्य सभा में थे। नाम तो याद होगा, बहुत सीनियर कुलीग हैं–श्री जसवन्त सिंह। टाडा के सिलसिले में क्या कहते हैं श्री जसवन्त सिंह ? यह मेरा कहना नहीं बल्कि श्री जसवंत सिंह जी का कहना है। वह राज्य सभा में कह रहे थे।

[अनुवाद]

यह राज्य सभा की कार्यवाही पुस्तिका में 26 अगस्त, 1987 को कहा गया था। इसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "यदि सरकार यह सारांश प्रस्तुत करती है कि आपराधिक न्याय प्रणाली अस्त–व्यस्त हो गई थी, इस वजह से उन्हें टाडा विधेयक लाना पड़ा, तो मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं।"

आपके कुलीग यह राय रखते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं... ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : जब टाडा कानून को लागू किया गया था तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

प्रो. रासा सिंह रावत : यह सच्चाई है।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : वे पावर में थे, उस वक्त लैप्स भी हो गया। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत : अब, यह न्यायालय के विवेक पर है... *(व्यवधान)* आप इसे कैसे वापस ले सकते हैं ?

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : आज आप हालात ठीक कर दीजिए, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ... *(व्यवधान)* ये पोलीटिकल किस्म की बातें कब तक होंगी ? जेल की सलाखों के पीछे उनकी आंखे पथरा गई हैं। गरीब लोग तबाह और बर्बाद हो गए हैं। यहां सिर्फ पोलीटिकल बातें होती हों और पोलीटिकल स्कोर्स सोचा जा रहा हो, यह काबिल–ए–मज़म्मत बात है। मैं श्री जसवंत सिंह की बात कह रहा था, मैं इनके कैबिनेट कोलीग की बात अपने कोलीग्स को याद दिला रहा था।

[अनुवाद]

"यदि यह सुझाव है कि यह अध्यादेश आतंकवाद को मिटाने का उपाय है, तो मैं पुनः इससे असहमत हूं और, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।"

[हिन्दी]

उनकी पूरी तकरीर मौजूद है। इस ऐवान में हम वहां की तकरीरें यहां पेश नहीं करते। इसलिए मैं उसकी तफसील के अंदर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं हवाला दे चुका हूं। यही जसवंत सिंह जी कह रहे हैं–

[अनुवाद]

"राज्य को अपराध से निपटने के लिए असंवैधानिकता को अपनाने की वकालत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे भारतीय राज्य के कानून में सभ्यता की उत्कृष्टता की झलक होनी चाहिए, न कि निकृष्टता की।"

[हिन्दी]

मैं कितने और हवाले देता चला आता। जो आज ट्रैजरी बैंचेज पर बैठे हुए हैं। मैंने तो सिर्फ डिबेट का हवाला दिया। आज यह न समझा जाए कि मैं या यहां से कोई और टैरोरिज्म के मुकाबले के लिए पीछे हटते हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि टैरोरिज्म का मुकाबला सारा देश एक होकर करेगा। लेकिन जम्हूरी मिजाज, जम्हूरियत का कलंक का टीका लगाते हुए सामने आना, यह इन्तहाई गलत बात है।

अफसोस तो यह है कि आज भी हुकूमत सोच रही है कि टैरोरिज्म के मुकाबले के लिए एक नया कानून फिर से लाया जाए। टाडा के लैप्स होने पर भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मैं समझता हूं कि एक नया कानून वहां पर फिर तैयार हो रहा है। दरअसल टाडा की तर्ज पर एक नया कानून लाने की तैयारी हो रही है। यह एक काबिल–ए–मज़म्मत फिक्र है कि जूरिसप्रूडेंस और जम्हूरी मिजाज के खिलाफ जो कवानीन होते हैं, उनको हमारे लीगल सिस्टम का एक जज्ब ए लाइन तक इनसैपरेबल लिंक बना दिया जाए। अफसोस की बात है कि सरकार को छोटे रास्तों की आदत पड़ गयी है। सरकार की आदत हो गई है कि टैरोरिज्म के बारे में कुछ शार्ट कट लो जबकि यह शार्ट कट सैल्फ डिफीटिंग साबित होता है और टैरोरिज्म को खत्म करने के बजाए उसे रद्द–ए–अमल में और बढ़ावा देता है। आज ऐसे मालूम होता है कि गैर–मामूली इख्तियारात इसका मजा चख लेने के बाद ऐग्ज़ीक्यूटिव यही चाहती है कि सिटीज़न्स के सरों पर सवार उनके पास गैर–मामूली इख्तियारात रहें।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं इन अल्फाज के साथ अपना यह बिल इवान के सुपुर्द करना चाहता हूं। मेरी इवान से, हुकूमत से गुजारिश है कि इसे इंसानी नुक्ता–ए–नज़र से देखा जाये, टाडा को कानूनी नुक्ता–ए–नज़र से, टाडा को अक्लाखी नुक्ता–ए–नज़र से, टाडा को जम्हूरी नुक्ता–ए–नजर से, इंसानी नुक्ता–ए–नज़र से देखा जाये। कानून खत्म, मुकदमा जारी, ऐसे मुकदमें के लोग जेलों में पड़े–पड़े जितनी सजा की मुद्दत होती है, उतनी मुद्दत तक काट चुके हैं। इससे ज्यादा गैर–इंसानी सिचुएशन और सूरत–ए–हाल कहां पेश आयेगी ? आज जरूरी है कि हम इस बिल को मंजूर करें। टाडा खत्म हुआ और सही तौर पर खत्म हो। वह एक वहशियाना कानून था, जिसका इस्तेमाल हुआ है। फिर ऐसे कानून के तहत मुकदमात का चलते रहना इन्तहाई गलत और इंसाफ का गला घोंटने के बराबर है।

यह बिल मैं इवान के सुपुर्द कर रहा हूं, उनको इस बात की दावत दे रहा हूं कि गरीबों की आहों पर तवज्जह दी जाये, उनकी आहों को सुना जाये, जेल की सलाखों के पीछे जो बन्द हैं और जिनके खानदान तबाहो–बर्बाद हैं। हां, जिनको आप कसूरवार समझते हैं तो हमारे मुल्क के पास बहुत सारे कवानीन मौजूद है, उन कवानीन को इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ आप बढ़ सकते हैं। मैंने जजों की, ज्यूरिष्ट्स की रायों को भी और उनकी थिंकिंग को भी आपके सामने पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि इस नाजुक मोड़ पर यह इवान उठेगा और इंसाफ की एक और मिसाल इस बिल को मंजूर करते हुए कायम करेगा।

यकीनन टैरोरिज्म के खिलाफ हम सब मुत्तहद रहेंगे, स्टेट टैरोरिज्म लाकर नहीं, बल्कि टैरोरिज्म का मुकाबला अपने मामलात को सही रखते हुए, सही अंदाज के अन्दर किया जायेगा। इसके अन्दर कोई फर्क नहीं आने पाएगा, मुझे यकीन है कि यह एवान इस कानून को मंजूर करेगा।

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): جناب چیئرمین صاحب، سب جانتے ہیں کہ ٹاڈا ایکٹ ۲۳ر مئی ۱۹۹۵ء کو ختم ہو گیا۔ لیکن ٹاڈا ایکٹ ختم ہونے کے باوجود بھی سینکڑوں مقدمات ہیں جو برابر چل رہے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو اب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ قانون تو ختم ہو جائے، لیکن پینڈنگ مقدمات کے سلسلے میں لوگ جیل میں رہیں، یہ ایک کنٹراڈکٹری بات ہے، ایک تضاد ہے۔ قانون کے ختم ہوتے ہی جو پینڈنگ مقدمات تھے، ان کو بھی ختم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لئے کہ ٹاڈا ایکٹ میں ایک خاص دفعہ رہ گئی تھی۔ The situation came up because of sub-section 4 of section 1 of the Act. قانون کے سیکشن اسب سیکشن ۴ کی وجہ سے ٹاڈا قانون کے ختم ہونے کے باوجود پینڈنگ مقدمات چلتے رہے۔

وہ لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند رہے، جن کے مقدمات پینڈنگ تھے۔ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ "قانون ختم مقدمہ جاری۔" معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی ہم برٹیشیرس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں The King is dead, long live the king یہاں بھی ایسا ہے۔ TADA is dead, long live TADA. یہ ایک عجیب سا تضاد ہے اور اس تضاد کو ختم کرنے کے لئے یہ بل آیا ہے جس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب قانون کو ختم کر دیا گیا تو پھر اس ختم شدہ قانون کے تحت جو بھی مقدمے آتے ہیں انہیں بھی ختم سمجھا جائے اور جو پینڈنگ مقدمات میں بند ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ قصوروار ہیں، جرائم میں ملوث ہیں تو یقینی طور پر ہمارے پاس بہت سارے قانون موجود ہیں اس وحشی قانون کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں تھی Under the normal laws of the land, they can be tried.

ملک کے جو عام قانون ہیں، ان کے تحت ان کے اوپر مقدمات دائر کئے جا سکتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنی ہو گی کہ کیسی عجیب سی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے ایک طرف ٹاڈا قانون ختم ہوتا ہے، پہلی سچویشن یہ ہے کہ پینڈنگ مقدمات چل رہے ہیں اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ کتنے انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے۔ پینڈنگ انویسٹیگیشن کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جب کبھی مقدمات دائر کئے جائیں تو وہ بھی چلتے رہیں گے۔ پھر نت نئے طریقے اختیار کئے گئے کہ ٹاڈا کو زندہ رکھا جائے۔ سر میں یہاں آپ کی اجازت چاہوں گا، این۔ بی۔ چاندے، ان کی تحریر- "Betrayal of Indian democracy round th States" اس کے اندر ایک نئے طریقے کا انکشاف کیا گیا ہے، اس طریقے سے ٹاڈا کے ختم ہونے کے باوجود بھی ٹاڈا کو جاری رکھنے اور لوگوں کو پھنسانے کا کام برابر چلتا رہا۔ یہیں صفحہ نمبر ۱۷۰ این۔ بی چاندے نے کتنے حوالے دیئے ہیں اور ان حوالوں میں سے میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ کتنے نئے طریقے سے ٹاڈا کے قانون کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔

"If the police want to book someone, they tag his name to an old FIR since the case may be listed as under investigation."

سینکڑوں انڈر انویسٹیگیشن کہلاتے تھے اور پھر ہمارے سامنے ایسی بھیانک وارداتیں آئیں کہ جو اس اولڈ انویسٹیگیشن میں مقدمات ہیں، اولڈ ایف۔ آئی۔ آر ہیں ان کے اندر بھی نام بڑھا کر ان کے لئے ٹاڈا کو زندہ رکھا گیا۔

سر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر ٹاڈا قانون ختم کیوں ہونے دیا گیا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ملک بھی میں یہ بات اُٹھی کہ ٹاڈا کا قانون، ہندوستان، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اس جمہوریت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہے اور وہ اس لئے ہے کیونکہ ٹاڈا

ایک ایسا قانون ہے، جس میں سخت مند اصول ہوتے ہیں، وہ سارے ختم کر کے رکھ دیئے گئے تھے۔

یہ بات بھی سامنے آئی کہ ٹاڈا کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ کہا گیا کہ ایسا قانون جو جمہوری مزاج کے خلاف ہو، ایسا قانون جو جوریسپوڈینس کے صحت مند اصولوں کے خلاف ہو، ایسا قانون جو ایگزیکیوٹیوز کو اتنی پاور دیتا ہو کہ اس کا غلط استعمال بڑے پیمانے پر ہوا ہو، ایسا قانون ختم ہونا چاہیئے۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا اور اس بات کو مانتے ہوئے ۲۳ر مئی کو یہ قانون ختم ہوا۔ ذرا ظلم تو دیکھئے کہ کیسے کیسے لوگوں کو ٹاڈا کے تحت پکڑا گیا۔ سر میں زیادہ مثال دینا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن آپ سوچئے تو صحیح کہ اس قانون کا اندھا دھند استعمال جو ہوا، اس نے بے گناہوں پر کتنے ظلم و ستم کئے اور جو آج بھی جیل کے پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو اس ٹاڈا کے شکنجے سے نجات ملے گی۔ سر آپ دیکھئے کہ کیسے کیسے لوگوں کو اس ٹاڈا کے اندر بند کیا گیا اور ان کا قصور کیا تھا۔ معمولی ڈرائیور، مزدور، ان کو بند کیا گیا۔ قصور کیا تھا کہ وہ کسی کا مزدوری پر سامان اٹھا کر چلا۔ کیا سامان تھا، اس مزدور کو معلوم نہیں۔ چوکیداروں کو آٹو رکشہ والوں کو، ڈرائیورس کو جن کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس آدمی کے پاس کیا ہے اور کس مقصد سے جا رہا ہے ان کو بھی بند کیا گیا۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلعے میں ورد ھن علاقے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو بعد میں پولیس نے ٹیریرسٹ کہا۔ لیکن صرف دیکھنے کے جرم میں اس چرواہے کو بھی ٹاڈا میں بند کر دیا گیا۔ میں ایک ایک مجرم کا نمبر بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں جسٹس میں انٹرفیئر کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لئے نہیں دے رہا ہوں۔ ایک بیچاری عورت جس کے گاؤں میں کچھ لوگ آئے جن کو وہ پہچانتی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے ہم پیاسے ہیں۔ اس نے ان مسافروں کو پانی پلا دیا، وہ بھی ٹاڈا کے اندر بند کر دی گئی۔ میں اس کا نام نمبر سب دے سکتا ہوں، میرے ریکارڈ میں ہیں، لیکن میں دینا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھئے کہ کس قسم کے لوگوں کو بند کیا گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کمیونل باعث bias کے تحت بھی ٹاڈا کا اندھا دھند استعمال کیا گیا۔ جب قانون اتنا غلط استعمال ہوتا ہو اور اس بنا پر اس کو ختم کیا جاتا ہو تو ایسے وحشیانہ قانون کے اندر جو مقدمے ہیں ان کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں تو ہمارے پاس، اس جمہوری ملک میں بہت سے قانون ہیں جن کے تحت ان پر مقدمے چلائے جا سکتے ہیں۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ٹاڈا اور اس کے اندر بے گناہ لوگ جو سالوں سال سے جیل کے اندر ہیں ان کو اس وحشیانہ قانون سے نجات دلائی جائے۔ معاملات عدالت میں گئے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں بہت گڑبڑ دکھائی دیتی ہے، ٹاڈا مقدمات کو ریویو کرنا پڑے گا۔ اسے اسٹیٹ اور سینٹرل لیول پر ریویو کرو۔ تب حکومت ریویو کرنے کے لئے مجبور ہوئی۔ خاص طور پر مہاراشٹر، راجستھان، گجرات کے حالات خراب تھے۔ سپریم کورٹ کے آرڈرس کی وجہ سے حکومت ریویو کرنے کے لئے مجبور ہوئی۔ کرتار سنگھ نام کا ایک مقدمہ تھا۔ ریویو کرنے میں کتنے مقدمات غلط سمجھ گئے؟ وہ ایک دو نہیں تھے۔ The review is still not satisfactory یہ ریویو جو ابھی غیر تسلی بخش تھے لیکن اس ریویو کی وجہ سے ۸۶۲، ۲۳ مقدمات کو ڈراپ کرنا پڑا، ختم کرنا پڑا ہمیں یہ فگرس ہاؤس میں اسٹارٹ اور اناسٹارٹ کو شچن وغیرہ سے ملی ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لینے کی خاطر ان فیگرس کو پیش نہیں کر رہا ہوں۔ ایک ایسا قانون جس کا اندھا دھند استعمال ہوا ہو، سرسری طور پر ریویو کیا جائے اور وہ ابھی تسلی بخش ریویو بھی نہ ہوا ہو اور ۸۶۲، ۲۳ مقدمات کو ڈراپ کرنا

across the country and also to initiate steps for expeditious action."

یہ رپورٹ ہندوستان ٹائمس میں ۱۵ر جولائی ۱۹۹۹ء میں ٹائمس آف انڈیا میں ۱۶ر جولائی کو چھپی پرائم منسٹر نے یہ حکم تو جاری کیا، لیکن کیا ہوا؟ ہم نہیں جانتے اس پر کیا عمل ہوا؟ شاید یہ الیکشن کا زمانہ تھا اور شاید یہ بیان بھی صرف الیکشن کے زمانے کی بات تھی۔ ابھی ابھی جو الیکشن ہوا ہے، یہ اسی کی بات تھی۔ جیسا میں نے کہا کہ جو مقدمات پڑے ہوئے ہیں جن کی تعداد ۱۴،۴۴۶ ہے اور ۱۰۲۲ لوگ جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں جن پر سست رفتاری کے ساتھ کارروائی چل رہی ہے۔ کیا میں ذرا اس کی مثال دوں کہ کیسے عدالتی کارروائی چل رہی ہے۔ جب ممبئی بم بلاسٹ کی بات ہوتی ہے، پھر اسی کیس میں بابری مسجد شہادت کا حوالہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹاڈا کیس کی بات آتی ہے۔ سات سال سے لوگ بند پڑے ہوئے ہیں سات سال کا عرصہ کوئی کم اور چھوٹا نہیں ہے۔ اب ذرا ٹاڈا دیکھئے جسمیں کچھ دفعات کے اندر سزا پانچ سال کی ہو سکتی ہے یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھئے وہ لوگ سات سال سے جیلوں کے اندر بند پڑے ہو ہمسیں۔ ذہنی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کی فیملیز برباد ہو چکی ہیں۔ اور زیادہ کیا بتایا جائے کیونکہ جو امیر تھے، وہ تو سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، میں کن کن کا نام لوں، یہ ایوان ان کے ناموں کو جانتا ہے، انہوں نے تو کورٹ سے بیل لے لی لیکن جو غریب لوگ ہیں، وہ اتنا نہیں کر سکے۔ نتیجے کے طور پر وہ آج بھی جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں۔ غریب لوگ گھر میں افلاس روگ کے شکار ہیں۔

صاحب، میں آپ کی توجہ کورٹ کے ایک فیصلہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں AIR 96 SC 2953 کیس کیطرف توجہ دلا کر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ سالوں سال سے جیلوں میں بند ٹاڈا کے کچھ پڑے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناانصافی، ظلم و ستم اپنے انتہا کو، اپنے کلائمکس کو پہنچ چکا تھا۔

ایک اور اناسٹارٹ کوشچن میں فیگر دیا گیا تھا۔ وہ اس سے کہیں تھوڑا زیادہ تھا۔ ۹۰۱، ۲۳ مقدمات کو ڈراپ کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ یہ اسلئے ضروری ہے کہ ایک ایسا قانون جو جوریسپوڈینس کے خلاف، اچھے اصولوں کے خلاف، جمہوری مزاج کے خلاف اور جس کے اندھا دھند استعمال کا یہ حال ہوا ہو، اس کے اندر مقدمات باقی رہ گئے ہیں، قانون کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ختم ہونا چاہیے۔ پینڈنگ مقدمات باقی رہ گئے ہیں قانون کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ختم ہونا چاہیے پینڈنگ مقدمات کا کیا حال ہے؟ ٹاڈا کورٹ کا کیا حال ہے They are moving at a snail's pace? سست رفتاری، انتہائی طوالت، طویل لمبے طور پر چل رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ہمیں کہا گیا کہ آج The total number of live cases under TADA is 14,446 پینڈنگ مقدمات کی بات ہے۔ انویسٹیگیشن کتنی پینڈنگ ہیں؟ جب حکومت سے یہ پوچھا گیا تو راجیہ سبھا میں ایک اناسٹارٹ کوشچن میں حکومت نے یہ بتایا کہ پینڈنگ مقدمات کی فیگرس تو دے دی لیکن پینڈنگ انویسٹیگیشن کی علیحدہ فیگرس نہیں رکھتے۔ میں ریکارڈ کے حوالے سے پیش کر سکتا ہوں کہ اس کا غلط استعمال کس طرح ہوا؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تقریباً ۱۰۲۲ ملزمین بند پڑے ہیں۔ ذہنی طور پر تباہ ہو گئے ہیں مالی طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور ان کی فیملیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ میں پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے چند مہینے پہلے جولائی ۱۹۹۹ میں کہا تھا:

"Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had assured a speedy action on TADA-related cases. He directed the Union Home Ministry to furnish status report from

دفعات کے تحت ۵ سال کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ سات سال سے بند ہیں۔اب یہ جج کہہ رہا ہے:

After the accused persons have suffered imprisonment which is half the maximum punishment provided for th offence any further deprivation of personal liberty would be violative of ..... article 21."

یہ کیا سچویشن میرے سامنے آرہی ہے، یہ جج کہتے ہیں کہ آرٹیکل ۲۱ کا اندھا دھند وائلیشن کیا گیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی آزادی کو اس طرح سے ختم اور رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔

خیر، یہاں شاید ضمانت کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ضمانت ملنی چاہیے جو اس مقدمے میں ضمانت کے مستحق ہیں لیکن حال تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ تک نہیں کہ وہ ضمانت کے مستحق بھی ہیں۔ غریب ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہیں، بکریاں چراتے چراتے پکڑے گئے۔ مسافر کو پانی پلانے کے جرم میں پکڑے گئے۔ مسافر کو پہنچانتے بھی نہیں۔ میں کتنے ہی مثال یہاں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں۔ اب کیا ہم ایسے لوگوں سے یہ اُمید کریں کہ وہ جیل کی کالی کوٹھری میں بند ہیں، غربت کے مارے ہیں، ان پڑھ اور غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان کو اس جج کے فیصلے کی معلومات بھی مل جائے؟ ضرورت تھی کہ حکومت ایسے وقت پر خود اٹھتی اور ان ناداروں کے حقوق کی طرف توجہ دلاتی ضروری تھا کہ ان لوگوں کو اطلاع کی جاتی، ان کے گھر والوں کو اطلاع کی جاتی۔ ٹاڈا ڈیسگنمینٹ کورٹ میں ایسے لوگ جو بیل کے مستحق ہو گئے ہیں ان سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو میں نے آپ کو سنایا، ان کے ناموں کی لسٹ پیش کی جانی چاہیے تھے، لیکن نہیں کی گئی۔ ظالم حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی ہے۔ یہ بیچارے غریب فوری طور پر فوری طور پر کیا قدم اٹھائیں؟ وکیلوں کے پیچھے تو خود ان کا دیوالہ نکل چکا ہے۔ فوری طور پر، فوری ریلیف کے طور پر آج کم سے کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ ضمانت کے بارے میں خود حکومت کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غریب ضمانت کی رقم ادا کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ ان غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے اور چارج ہے waging a war against th nation لیکن ان غریبوں کے معاملے جس قسم کے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے ہیں، اگر وہ اپنی ضمانت کا انتظام نہ کر پائیں تو پھر ہمیں اس ایوان اور حکومت کو اصناف کے ناطے سوچنا پڑے گا۔ لیکن معاملہ صرف ضمانت کا نہیں ہے۔ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ضمانت تو خیر اب مل جانی چاہیے لیکن میں نے کہا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ذرا دیکھو تو سہی موجودہ پوزیشن کیا ہے عدالتی کارروائیوں کی۔ اگر ممبئی بلاسٹ کیس کو ہی لے لیں تو اس میں کئی کلوگرام وزنی چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ کل گواہوں کی تعداد ۳۰۰۰ کے لگ بھگ ہے۔ اب ۳۰۰۰ میں سے مشکل سے ۱۸۹ عدالت میں پیش ہو سکے ہیں سالوں میں ۳۰۰۰ گواہ examine کرنے ہونگے ان غریبوں کے لئے۔ اس میں سے ۱۸۹ ہی آسکے ہیں۔ یہ مقدمہ کب تک چلے گا؟ شاید زندگی اور زندگی کے بعد یا موت کے بعد بھی یہ مقدمہ چلے گا کیونکہ آج کل تو نئی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی مقدمہ چل سکتا ہے۔ مرنے کے بعد چارج شیٹ بھی کالم نمبر ۲ ہو یا ۳ ہو، کہیں نہ کہیں نام آسکتا ہے۔ یہ عالم ہے۔ وکیلوں کا کہنا ہے کہ اس رفتار سے دس برس تو کیا بیس برسوں کے اندر بھی ان مقدمات کا فیصلہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب یہ سچویشن ہو اور یہ سچویشن کس قانون کے بارے میں ہے؟ اس قانون کے بارے میں ہے جس کو پورے ملک اور حکومت نے وحشیانہ مانا، جمہوریت کے خلاف مانا اور جس کے بارے میں مانا کہ اس کا لارج اسکیل مس یوز ہوا ہے۔

ایسے حالات میں اور عدالت می ں کارروائی کی یہ حالت ہو رہی ہو تو پھر اس ایوان کو اس ہاؤس کو سوچنا ہوگا اس بل کو منظور کرتے ہوئے انصاف کو قائم کرنا ہوگا۔ سر سوچئے تو سہی خود ایک مقدمے میں AIR 1996 SC 2975 میں جج کہتے ہیں:

"It is clear that there is very prospect of a speedy tiral in cases under TADA in some of the States."

He goes on to give the reasons also خود ججیز کا یہ کہنا ہے۔ ذرا دیکھئے اس مقدمے میں جج آگے اور کہتا ہے، ہماری آنکھیں کھلنی چاہئے۔

"When the release of under-trial is severely restricted as in the TADA case by virtue of Section 20 Sub-section 8 of TADA Act."

Sir, I repreat it because of the importance of the sentences. The judge says.

"When the release of under-trial is severely restricted as in the TADA case by virtue of Section 20 sub section 8 of the TADA Act, it becomes necessary that trial does proceed and conclude within a reasonable time.

یہ جسٹ اینڈ فیئر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ریزنیبل ٹائم میں ختم کرو۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کوئی ریزنیبل ٹائم کے اندر فیصلے کا سوال آتا نہیں ہے۔

سر، زور دیا گیا ہے کہ ٹاڈا جیسا قانون جو کہ جوریسپروڈینس کے اصولوں سے ہٹ کر ہے اور اس کے اندر بیل حاصل کرنے میں اتنی مشکلات رکھ دی گئی ہیں، تو کم سے کم ایسے معاملوں کے اندر تو عدالتی کارروائی تیز ہونی چاہیے اور ریزنیبل ٹائم، واجب وقت کے اندر فیصلہ آنا چاہئے۔ لیکن جیسا میں اس ایوان کو بتلا رہا ہوں کہ واجب وقت میں فیصلہ آنے کی دور دور تک کوئی آشا، کوئی امید نہیں آتی۔

سر جس مقدمے کا میں حوالہ دے رہا ہوں اسی مقدمے میں ججیز آگے کہتے ہیں:

"Deprivation of personal liberty without ensuring speedy trial would also not be in consonance with the right guaranteed by article 21."

کانسٹی ٹیوشن ہمیں اپہولڈ کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پر کانسٹی ٹیوشن کے بارے میں قسم کھائی تھی، حلف اٹھایا تھا کہ اس کے مطابق کام ہوگا اور یہاں جب ججیز کھل کر اتنی باتیں کہہ رہے ہیں اور اس کے باوجود تلخ حقیقت سے ہم چشم پوشی کرتے رہیں تو یہ بات انصاف کے خلاف ہوتی ہے۔ چیئرمین سر، یہ یاد رکھا جائے کہ اگر قانون خود لاقونیت پر مبنی ہے If the law itself is lawless اگر قانون وحشیانہ ہے، اگر قانون خود منصفانہ عدالتی کرروائی کے صحت مند اصولوں کے خلاف ہے اور اگر عدالتی کارروائی معقول مدت میں پوری نہیں ہو سکتی ہے تو پھر عوام کا اعتماد قانون پر سے اُٹھ جائے گا، انتظامیہ پر سے اُٹھ جائے گا عوام کا اعتماد عدلیہ پر سے اُٹھ جائے گا، عوام کا اعتماد ہمارے جمہوری نظام سے اٹھ جائے گا۔ یہاں تک کہ ہماری جمہوریت پر سے ہی عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ اندیشے ہیں، اس کے نتائج خدانہ کرے بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں اور اس لئے اس ایوان کو ان باتوں کا سیریس نوٹ لینا پڑے گا۔

سر، آج انصاف حکومت کی دو غلط پالیسی کا شکار ہے۔ میں نے صبح ایک ریفرلیس میں کہا تھا، اس کا ایک حوالہ یہاں دیتا جاؤں کہا جارہا ہے کہ ۱۹۸۴ کے فسادات کے لئے حکومت نئی جانچ کے لئے نئے کمیشن کے لئے تیار ہے۔ میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن دیکھو تو سہی کہ ایک طرف یہ کہا جارہا ہے کہ ۱۹۸۴ کے دنگوں کے اندر جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے اور اگر ایک نیا کمیشن بھی بٹھانا ہو، تو حکومت کہتی ہے ہم نیا کمیشن بٹھانے کے لئے تیار ہیں۔ اسی رنگ کی حکومت یوپی میں ہے۔ ۱۹۹۱ میں نگار سینما میرٹھ

یو پی میں ۱۷ مسلمانوں کا دن دہاڑے قتل عام ہوا۔ صرف آٹھ مقدمے دائر ہوئے اور آج یکایک یو پی کی حکومت نے وہ آٹھوں پر سے مقدمے واپس لے لئے۔ یہ کیسی حکومت ہے جس میں مائنارٹیز کی جانوں کی کوئی ویلیو نہیں، اقلیت کی جانوں کی اس جمہوریت میں کوئی قیمت نہیں۔ فرقہ وارانہ عناصر کا حوصلہ بلند کیا جارہا ہے اور میسکر، ۱۷۔ ۱۷ مسلمانوں کا میسکر قتلِ عام دن دہاڑے ہوا، الزام لگے ہوئے ہیں، لیکن مقدمے واپس لئے جاتے ہیں۔

سر، اس سے پہلے مہاراشٹر میں بھی کیسری حکومت تھی۔ سینکڑوں دلتوں پر ظلم ہوا۔ جنہوں نے دلتوں پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ ان کے خلاف سینکڑوں مقدمے دائر کئے گئے۔ لیکن مہاراشٹر کی کیسری سرکار نے انہیں واپس لے لیا۔ یہ انصاف کے الگ الگ معیار ہیں۔

جناب سریش رام راؤ جادھو (پربھنی): سماجی مہودیئے وہ پولیٹیکل کیسیز تھے۔

جناب جی۔ ایم بنات والا (پوننانی): سر، ان کو پولیٹیکل کیسیز کہا جارہا ہے جب کہ یہ بات صاف ظاہر ہے۔ اور بھی حوالے دیتا، لیکن کیسیز ووڈرا کرلئے یہ کہہ کر کہ کمیونل فضا اچھی ہو جائے گی اور مجرم صاف چھوڑ دیئے گئے۔

TADA is the balckest piece of legislation in independent India's statutes

ہمارے پاس تو قانون بہت سارے ہیں۔ ان قانونوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ٹیررسٹ کا مقابلہ کرنا، ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ٹاڈا جیسے قانون کے ٹیررزم بڑھتا نہیں رہا۔ کیا ٹاڈا ٹیررزم کے مقابلے میں کامیاب ہے؟ گونجتا جواب ہے نہیں۔ ٹاڈا چلتا رہا۔ ٹیررزم بڑھتا رہا۔ ٹاڈا کی وجہ سے ٹیررزم میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی۔ کتنے قانون آپ کے پاس موجود ہیں ٹاڈا موجود ہیں، ڈسٹرب ایریا ایکٹ موجود ہے، آرمڈ فورسیز اسپیشل ایکٹ موجود ہے، ٹیررسٹ افیکٹیڈ ایریا اسپیشل کورٹس ایکٹ موجود ہے، لیکن اس سارے قانونوں کی موجودگی کے باوجود ٹیررزم ختم یا کم نہیں ہوا بلکہ آج اور بھی بڑھتا جارہا ہے اور ٹاڈا کے وقت میں بھی اور بھی بڑھ تا رہا تھا۔

MR. CHAIRMAN : Shri Banatwalla how much time do you want?

جناب جی۔ ایم بنات والا : سر، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے سینسیٹیو چیز ہے

AN HON. MEMBER: Sir he is the Mover of the bill.

MR. CHAIRMAN: Okay, pleaase continue.

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا : چیئرمین صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ جو قصوروار ہیں، ان کے خلاف کاروائی نہ ہو۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ ٹیررزم کے مقابلے کے لئے پورا ایوان ایک ہو کر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کے طریقے بھی ہونے چاہیے۔ جو قصوروار ہیں، ہمارے پاس قوانین کی کمی موجود نہیں ہے۔ ملک کے تمام قوانین موجود ہیں۔ ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا مقابلہ صرف قانون کو وحشی سے وحشی بنا کر، ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے تو صرف ایسے قانون بنا کر جو جمہوریت کے مزاج کے خلاف ہوں، جو جوریسپروڈینس کے خلاف ہوں، اس طرح سے ٹیررزم کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس طرح ٹیررزم کو اور بھی بڑھاوا دینے کی بتا سامنے آتی ہے۔ آج سوال ٹریبونل جسٹس کو اسٹرینڈن کرنے کا نہیں ہے۔ آج سوال ہے What about our police force? پولیس فورس کو ماڈرن کرنے کے لئے پولیس فورس کو ایمپارشیل بنانے کے لئے پولیس فورس کو زیادہ سے زیادہ ایفیکٹیو بنانے کے لئے

remain unconvinced."

آپ کے کولیگ یہ رائے رکھتے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں۔۔۔۔

(مداخلت)

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Congress Party was in power at the time whem TADA was introduced. .... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI P.G. PANDIYAN): No interruptions please.

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): It is the reality.

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا: وہ پاور میں تھے، اس وقت لیس بھی ہو گیا۔.....(مداخلت)

PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Now it is the discretion of the Court. ...(Interruptions) How do you withdraw it?

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): آج آپ حالات ٹھیک کر دیجئے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔..... (مداخلت) یہ پولیٹیکل قسم کی باتیں کب تک ہو گی؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ غریب لوگ تباہ اور برباد ہو گئے ہیں۔ یہاں صرف پولیٹیکل باتیں ہوتی ہوں اور پولیٹیکل اسکورس سو چا جا رہا ہو، یہ قابل مذمت بات ہے۔ میں شری جسونت سنگھ کی بات کہہ رہا تھا، میں ان کے کیبینیٹ کولیگ کی بات اپنے کولیگس کو یاد دلا رہا تھا۔

"If there is the suggestion that this Ordinance is a means of eradicating terrorism then again I disagree and differ and therefore, I oppose it."

ان کی پوری تقریر موجود ہے۔ اس ایوان میں ہم وہاں کی تقریریں یہاں پیش نہیں کرتے۔ اس لئے میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن میں حوالہ دے چکا ہوں۔ یہی جسونت سنگھ جی کہہ رہے ہیں:

"State must not advocate the adoption of unconstitu-

کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟ صرف قانون کی بھرمار کر دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ انٹیلی جنٹ کو بہتر بنایا جائے۔

کارگل کے بارے میں انٹیلی جینس کی بات ہو رہی تھی، میں اس پر جانا نہیں چاہتا لیکن ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیس کیپنگ فورس ہیں۔ جو ہماری فورسیز ہیں، ان کا بہترین استعمال، صحیح صحیح استعمال، بہتر اور اچھا استعمال ضروری ہے تاکہ ہم ٹیریرزم کا مقابلہ کر سکیں۔ ٹیریرزم کے خاتمے کے نام پر حکومت کو غیر جمہوری اختیار اور پاورس دینا، جو آسانی کے ساتھ مس یوز ہوتے ہوں، جس مس یوز کی دل دہلا دینے والی داستان ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ غلط خیال، غلط نظریہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک مہان ہے۔ اس کے مہان ہونے کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کے مہان ہونے کی بنیادیں اس کا سولائزیشن ہے۔ اس کہ مہان ہونے کی بنیادیں یہاں پر صحیح معنی میں جمہوری طور پر دی رول آف لا مبنی ہے۔ صرف وحشی قانون Law which are Law less یہ رہے تو یہ اس سے ہمارے ملک کو نقصان کو علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔

صاحب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، آج ٹریزری بینچیز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کل جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہی بات کہہ رہے تھے۔ میں کتنوں کے حوالے، کتنی کی اسپیچز کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں۔ صرف کیبینیٹ کرتے ہیں۔ وہ راجیہ سبھا میں تھے۔ نام تو یاد ہو گا، بہت سینئر کولیگ ہیں۔ شری جسونت سنگھ۔ ٹاڈا کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں شری جسونت سنگھ؟ یہ میرا کہنا نہیں بلکہ شری جسونت سنگھ جی کا کہنا ہے۔ وہ راجیہ سبھا میں کہہ رہے تھے۔

It was on 26th August, 1987 at page 403, I quote

"If the Government is putting across a thesis that because the criminal justice system stood paralysed, therefore, they had taken recourse to the TADA Bill, I

ہوں۔ میری ایوان سے حکومت سے گذارش ہے کہ اسے انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، ٹاڈا کو قانونی نقطہ نظر سے، ٹاڈا کو اخلاقی نقطہ نظر سے، ٹاڈا کو جمہوری نقطہ نظر سے انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ قانون ختم مقدمہ جاری، ایسے مقدمے کے لوگ جیلوں میں پڑے پڑے جتنی سزا کی مدت ہوتی ہے، اتنی مدت تک کاٹ چکے ہیں۔ اس سے زیادہ غیر انسانی سچویشن اور صورتِ حال کہاں پیش آئے گی؟ آج ضروری ہے کہ ہم اس بل کو منظور کریں ٹاڈا ختم ہوا اور صحیح طور پر ختم ہوا۔ وہ ایک وحشیانہ قانون تھا، جس کا اندھا استعمال ہوا ہے۔

یہ بل میں ایوان کے سپرد کر رہا ہوں، ان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کی غریبوں کی آہوں پر توجہ دی جائے۔ ان کی آہوں کو سنا جائے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو بند ہیں اور جن کے خاندان تباہ و برباد ہیں۔ ہاں جن کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں تو ہمارے ملک کے پاس بہت سارے قوانین موجود ہیں، ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف آپ بڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ججوں کی، جیوریس کی رائیوں کو بھی اور ان کی سمجھ کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ اس نازک موڑ پر یہ ایوان اُٹھے گا اور انصاف کی ایک اور مثال اس بل کو منظور کرتے ہوئے قائم کریگا۔

یقیناً ٹیریزم کے خلاف ہم سب متحد رہیں گے، اسٹیٹ ٹیریزم لاکر نہیں، بلکہ ٹیریزم کا مقابلہ اپنے معاملات کو صحیح رکھتے ہوئے صحیح انداز کے اندر کیا جائے گا۔ اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنے پائے گا مجھے یقین ہے۔ یہ ایعان اس قانون کو منظور کرے گا۔

tionality to combat crime. our Indian state must reflect in its laws the excellence of its civilization not its excrescence."

میں کتنے اور حوالے دیتا چلا آتا۔ جو آج ٹریزری بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تو صرف ڈیبیٹ کا حوالہ دیا۔ آج یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یا یہاں سے کوئی اور ٹیریزم کے مقابلے کے لئے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ٹیریزم کا مقابلہ سارا ملک ایک ہو کر کرے گا۔ لیکن جمہوری مزاج، جمہوریت پر کلنگ کا ٹیکہ لگاتے ہوئے سامنے آنا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج بھی حکومت سوچ رہی ہے کہ ٹیریزم کے مقابلے کے لئے ایک نیا قانون پھر سے لایا جائے۔ ٹاڈا کے لیپس ہونے پر بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا قانون وہاں پر پھر تیار ہو رہا ہے۔ دراصل ٹاڈا کی طرز پر ایک نیا قانون لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ ایک قابلِ مذمت فکر ہے کہ جو ریس پروڈینس اور جمہوری مزاج کے خلاف جو قوانین ہوتے ہیں، انکو ہمارے لیگل سسٹم کا ایک جزوئے لائنس انسیپ ریبل لنک بنادیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ The Government habituated to take shortcuts. سرکار کی عادت ہو گئی ہے کہ ٹیریزم کے بارے میں کچھ شارٹ کٹ لو جب کہ یہ شارٹ کٹ سیلف ڈیفی ٹنگ ثابت ہوتا ہے اور ٹیریزم کو ختم کرنے کے بجائے اس ردِ عمل میں اور بڑھاوا دیتا ہے۔ آج ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی اختیارات کا مزا چکھ لینے کے بعد ایگزیکیوٹیو یہی چاہتی ہے کی سٹی زن کے سروں پر سوار ان کے پاس غیر معمولی اختیارات رہیں۔

میں ان الفاظ کے ساتھ اپنا یہ بل ایوان کے سپرد کرنا چاہتا

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आंतकवादी और विध्वंशकरी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 जो 23 मई, 1995 को व्यपगत हो गया था, के अंतर्गत सभी विधिक कार्यवाहियों को वापस लेने और उनके निवारण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं श्री बनातवाला के प्रभावशाली भाषण की निश्चय ही प्रशंसा करना चाहूंगा जो उन्होंने साफ–सुथरी उर्दू जुबान में दिया। मैं उनके भाषण का किसी प्रकार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रूप से मैं उन खामियों को उठाना चाहूंगा जो उनके द्वारा इस महान सदन में दिये गये भाषण में थीं।

आगे कुछ कहने से पहले, मैं श्री एस.जयपाल रेड्डी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने केन्द्रीय कक्ष में अपने एक तथ्य बिना किसी तैयारी के दिये गये प्रभावशाली भाषण में शेक्सपीयर को उद्धृत किया था। यह हेमले का कथन था : "होरेशो, तुमने अपने दर्शन में जितनी चीजों के सपने देखें हैं, पृथ्वी और स्वर्ग में उससे भी कहीं अधिक चीजें हैं"। शेक्सपीयर के जमाने में जो कुछ भी सच्चाई थी वह भारत में आज सच है। क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर धर्म, सामाजिक व्यवहार और राजनीतिक विचार धाराओं में निष्ठा के साथ–साथ भारतीय शासन व्यवस्था और इस शासन–व्यवस्था के अनेक लोगों ने भारत में किसी–न–किसी प्रकार से विदेशी भूमि, विदेशी लोगों और विदेशी गतिविधियों को समझा है। यही कारण है कि इस महान सदन ने और हमारी संसद ने आम तौर पर समय–समय पर उन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ कानून बनाये जिनसे यह देश जूझ रहा था।

मैं इस महान सदन में अपने मित्रों से उस अधिनियम से रू–ब–रू होने का आग्रह करूंगा जिसमें समस्याओं से निपटने पर अधिक जोर दिया गया है और उन चीजों को बताया गया है जो देश के लिए समस्या खड़ी कर रही हैं।

यह सच है कि टाडा का यत्र–तत्र दुरुपयोग किया गया। यही कारण है कि इसे 1995 में समाप्त करने की अनुमति दी गयी। लेकिन श्री बनातवाला का सारा प्रहार धारा 1 के उपवाक्य 4 पर है जिसमें विलम्ब से समस्या को निपटाने का प्रावधान है। ऐसे प्रावधान क्यों हैं, इस पर सोचना होगा, ऐसे समय में जबकि हम राजनैतिक माहौल, कुछ लोगों के अलगाववादी दृष्टिकोण और लोगों के व्यवहार करने के तौर–तरीकों पर विचार कर रहे होते हैं।

दूसरे ही दिन, सदन ने धन–शोधन विधेयक पारित किया था। उसमें यह बात कही गयी थी कि यदि लोग धन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ करते हैं, यदि वे हत्या करते हैं, जो नकली चीजें बनाते हैं, जो देह–व्यापार करते हैं जो नशीले अथवा मन विकृत करने वाले पदार्थों के व्यापार में लिप्त हैं अथवा आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले व्यापार में लिप्त हैं–इस प्रकार से धन का शोधन करने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज कर लिया जायेगा। टाडा क्या कर रहा था ? टाडा में धन–शोधन के ही संबंध में स्पष्ट प्रावधान है। ये सभी मामले ऐसे हैं जिन्हें देखा जा सकता है।

सभापति महोदय, वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता का अंधिनियम बनाया गया था। वर्ष 1872 में साक्ष्य अधिनियम बनाया गया था, और दंड प्रक्रिया संहिता का अधिनियम बनाया गया था। ये सभी अधिनियम बहुत–से संशोधनों के बाद 1973 में प्रभावी हुए और 1974 के अधिनियम 2 बने। जिन लोगों ने उक्त अधिनियम का प्रारूप तैयार किया, उस पर अधिनियम बनाया और उसे लागू किया, उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ बिल्कुल अलग तरीके से निपटने की आवाश्यकता पड़ सकती है। कार्यकारिणी, कार्यान्वयन एजेन्सियों अथवा विभागों के लोगों को मालूम है कि समस्याओं से निपटना कितना मुश्किल है। लोगों में कतिपय व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियों को लागू करने के लिए व्यक्ति को गूढ़ार्थ समझना होता है। मैं व्यवहार संबंधी प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं न कि अपराध–व्यसन की। बार–बार अपराध करना अपराध–व्यसन है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनमें इस देश के प्रति वफादारी नहीं है जिनमें लोगों के प्रति कोई भावना नहीं है और जिनके मस्तिष्क में माननीय करुणा का दूध नहीं बहता।

वर्ष 1993 के बाम्बे धमाकों का ही मामला लें। दो सौ साठ लोग मारे गये। इसी में, निर्दोष लोग मारे गये, और ए के–47 और ए के–57 नामक लगभग 2,000 राइफलें बरामद की गईं। अन्य विस्फोटक अथवा आर.डी एक्स तो था ही। सामान्य कानूनों की सहायता से आप इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं ? भारतीय दंड संहिता का अध्याय 7 को देखें जिसमें युद्ध छेड़ने, राजद्रोह और इसी प्रकार की घटनाओं के संबंध में कुछ प्रस्ताव हैं।

आजकल, इस देश वर्तमान परिस्थिति में, धारा 121, 124 एवं अन्य संबंधित धाराएं इस अधिनियम में अति सामान्य प्रस्ताव प्रतीत होगीं। यहां मैं, श्री बनातवाला के कथन की कुछ कमियों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आशा करता हूं कि वे इस बात का बुरा न मानेंगे। उन्होंने एक चरवाहे और एक औरत का उदाहरण दिया जिन्होंने आतंकवादियों को पानी दिया था। यह अधिनियम बहुत ही स्पष्ट रहा है। भारतीय दंड संहिता की 109 से 114 तक की धाराएं दुष्प्रेरण से संबंधित अति सामान्य धाराएं हैं। लेकिन यहां, यह कहा गया है कि

[श्री अनादि साहू]

यदि आप किसी आतंकवादी की सहायता करते हैं अथवा उसे उकसाते हैं, तो वह व्यक्ति इस बात के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

क्यों ? यही समस्या से निपटने का ही प्रश्न है। समस्याओं से निपटने के लिए, मंशाएं इतना मायने नहीं रखतीं। सभापति महोदय, मेरे शब्दों पर ध्यान दें; मैं फिर दोहराता हूं, "समस्याओं से निपटने के लिए मंशाएं इतना मायने नहीं रखतीं।" यह उसी समय मायने रखती है जब एक अधिकारी कार्यवाही कर रहा होता है। यदि अभिहित न्यायालय स्थिति का जायजा लेने बैठे तो यह अनुचित लग सकता है। जब संचार माध्यम इन अधिकारियों के विरुद्ध लिखना शुरू करेंगे तो यह अनुचित लग सकता है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं जानता हूं कि समस्याओं से निपटाना कितना मुश्किल होता है जब आपको आते ही निर्णय लेना पड़ता है।

उन्होंने अन्य उदाहरण भी दिए, मैं एन एस ए का उदाहरण देता हूं। यह अभी शुरू किया है; 'मीसा' से 'एन एस ए' बना है। उस समय मैं अविभाजित कटक शहर का पुलिस अधीक्षक था और इसकी आबादी 42 लाख थी।

शहर में बहुत सी असामाजिक गतिविधियां चल रही थीं और व्यवस्था का गंभीर प्रश्न था। व्यवस्था शहर के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। मैंने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। यह मामला समीक्षा बोर्ड के समक्ष लाया गया। एक पीठासीन न्यायाधीश समीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे और उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके सदस्य थे। प्रक्रिया के अनुसार पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को समीक्षा बोर्ड के समक्ष तथ्य रखने होते हैं। मैंने समीक्षा बोर्ड के समक्ष तथ्य रखे तो अध्यक्ष महोदय तुरन्त बोले 'यह स्वीकार्य नहीं है आपने अनावश्यक रूप से हीं इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मैं उसे बरी करता हूं।' आप बहस नहीं कर सकते। मैंने भी बहस नहीं की।

चार दिन बाद ही उसी न्यायाधीश के घर के सामने दो गिरोहों के बीच उपद्रव हुआ बरी किए गए व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तलवार से मारा और रक्तरंजित तलवार लेकर न्यायाधीश के घर में घुस गया और न्यायाधीश को लगभग 45 मिनट तक आतंकित किये रखा। मुझे इसकी सूचना मिली और मैं वहां गया। मुझे पता चला कि दंगाई घर में घुसा हुआ है। हमने उसका पीछा किया लेकिन वह बच निकला। तब न्यायाधीश महोदय बोले कि उसने मुझे मार दिया होता। मैंने उनसे कहा, 'महामहिम, हां, वह आपको मार सकता था, परन्तु आपको शहर की स्थिति का पता होना चाहिए था। आप तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। आपको शहर के हालात की जानकारी नहीं है। आपने ही उसे बरी किया था।' वह बोले, 'मुझे इसका खेद है लेकिन आगे से मैं किसी को इस तरह नहीं जाने दूंगा।' अगले एक वर्ष मेरे लिए सब कुछ सही रहा और जिसे भी हिरासत में लिया गया, न्यायाधीश महोदय ने उसे जेल भेजा।

महोदय, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने जो समस्या आती है हमें उससे निपटना होता है--अब चाहे आप गड़रिये की बात करें या पानी भरने वाली महिला की। तथ्यों की संपूर्णता में देखने के बाद ही आप इस पर निर्णय कर सकते हैं कि संबंधित अधिकारी को क्या करना चाहिए था।

अब हम पूर्वोत्तर की बात करें; कश्मीर की बात करें; पंजाब की बात करें जहां आतंकवाद अभी शांत है। बिहार का उदाहरण लें। कहीं भी आप सामान्य तरीके से आपराधिक गतिविधि से नहीं निपट सकते। इसके लिए असाधारण कार्यवाही करनी पड़ती है जिसकी बाद में लोग आलोचना करते हैं। लेकिन, एक स्वस्थ समाज के लिए, देश के नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सामान्य कार्यवाही से आगे बढ़ें। हालांकि, बाध्य होने पर ही ऐसा किया जाए। आप इसे वहशियाना राज कह सकते हैं। लेकिन, समाज के लिए यह सब करना पड़ता है; इसे स्वीकार करना होगा। यदि जरूरी हो तो बड़े अपराध को रोकने के लिए छोटा अपराध करना पड़ता है। यही किया गया है। यदि हम आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा--I के खण्ड IV को हटाने की मांग करते हैं तो हम समस्याओं से नहीं निपट पाएंगे।

महोदय, जिन्हें पहले हिरासत में लिया गया था, हो सकता है उन्हें किन्हीं अलगाववादी गतिविधियों के कारण हिरासत में लिया गया हो; हो सकता है उन्हें किन्हीं बम विस्फोटों के कारण हिरासत में लिया गया हो; यह भी हो सकता है कि उन्हें राजद्रोह के कारण हिरासत में लिया गया हो या कोई भड़काऊ वक्तव्य देने के कारण हिरासत में लिया गया हो। एक बयान भी समस्या खड़ी कर सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया बयान बम से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। केवल इसी बयान के आधार पर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो किसी को क्यों परेशानी होती है। परन्तु, मुझे किसी व्यक्ति को केवल बयान देने के आधार पर हिरासत में लिया जाता है तो मेरा मानना है कि इस प्रतिष्ठित सदन को निर्णायक की भूमिका लेना उचित नहीं होगा।

महोदय, इसीलिए राज्य सभा ने 1995 में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1995 के नाम से एक और विधेयक लाने का मन बनाया था और यह 'टाडा' जैसा ही था। लेकिन कुछ नरमी बरती जाती रही है जैसे कि पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं की जा सकती, पुलिस महानिरीक्षक की अनुमति के

बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से नरमी वाला रवैया अपनाया गया है। इसे ही बनाए रखा गया है अर्थात् धनकुबेर और सत्ता के आस–पास वाले लोग आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जमानत पा सकते हैं। तेज तर्रार वकीलों और उनके आशाकारी न्यायाधीशो के रहते पैसे के दम पर कोई भी अग्रिम जमानत ले सकता है।

अब यदि टाडा मामलों पर धारा 438 लगाई जाए तो टाडा के सभी नजरबन्द खुले घूमेंगे। टाडा में अग्रिम जमानत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है और इसमें भी ऐसा ही किया गया है। आप सभी विधि निर्माता हैं। आप एक बार सोचकर देखिए कि ऐसे कड़े प्रावधान न हों तो क्या स्थिति होगी। और कड़ा प्रावधान क्या है ? वह है अभिहित न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और नए अधिनियम में मुकदमा शुरू करते समय बीच में कोई नहीं होगा; और मुझे आशा है कि यह अधिनियम लागू होगा। माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपराधिक विधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुनः लाने के लिए जोर दें। अन्यथा, रोज–रोज आने वाली अनेक समस्याओं से निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।

कश्मीर की बात करें। अभी कुछ दिन पहले सात ऐसे पुलिसकर्मी मारे गए जो उस समय किसी कार्रवाई में शामिल नहीं थे। मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं। उन सात सिपाहियों और निर्दोष लोगों का क्या हुआ जो जख्मी हुए या मारे गए ? ऐसी कार्रवाइयों में संलिप्त लोगों को जेल भेजने के कड़ा अधिनियम न हो तो जनता की रक्षा कौन करेगा ? उन्हें जीवन भर जेल में सड़ने दो। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि पांच वर्ष के कारावास का प्रावधान है परन्तु लोग सात–सात साल से जेलों में सड़ रहे हैं। उन्हें सड़ने दो। उन्होंने भी तो निर्दोष लोगों की जानें ली हैं। उन्होंने वहशियाना काम किए हैं और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कानून भी सख्त होना चाहिए।

यदि मैं शिकार हूं तो मैं गुहार करूंगा। जरा सोचिए यदि हममें से ही कोई इनका शिकार हुआ हो, या हमारा निकट संबंधी मारा गया होता या हममें से किसी को फिरौती के लिए उठा लिया गया होता, या हमारा घर जला दिया जाए, तो क्या हो ? यदि इन सब के लिए जिम्मेवार व्यक्ति चार साल के बाद जेल से बाहर आ जाता है और फिर ऐसा ही काम करे तो हमें कैसा लगेगा ? कृपया इस बारे में सोचिए।

मैं विस्तार में नहीं जा रहा। मैं माननीय सदस्य जैसा वाक्पटु नहीं हूं, मैं कह ही चुका हूं। मैंने सिर्फ वही कहा है जो आज देश की स्थिति है। दण्ड दिए गए हैं और सम्पत्तियां जब्त की गई हैं। हमें इसकी चिन्ता नहीं है, यह सब हो चुका है। नए मामले नहीं उठाए जा रहे हैं। जांच के दौरान ही दण्ड पूरा हो चुका है, लेकिन जांच अब भी जारी है। बहुत कम मामले हैं, मेरा ख्याल है कि 1999 के अन्त तक 1,026 व्यक्ति थे। अब तक बहुत सारे लोग जेल से बाहर आ चुके होंगे। कुछ ही मामलों में जांच जारी है। सम्पत्तियां जब्त करने, आदि का कोई प्रश्न नहीं है। केवल कुछ मामलों में ही जांच चल रही है और ये जांच अधिनियम की धारा 1 के खण्ड 4 के तहत होनी चाहिए।

जब तक दूसरा अधिनियम लागू नहीं होता, सरकार को पुनः आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 के रूप में अधिनियम लाने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए ताकि दूसरे रूप में टाडा लागू रहे। ऐसे बाध्यकारी तरीकों के बिना इन अलगाववादी लोगों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उच्च पदों पर आसीन हैं, धनवान है और हमेशा इस देश से अलग होने के बारे में सोचते रहते हैं। यदि मेरे घर में कोई विद्रोह करेगा तो मैं उसके कान नहीं खीचूंगा ? क्या मैं उसके किए की सजा उसे नहीं दूंगा ? शासन द्वारा कान खींचना और सजा देना यही है। इसलिए हमें इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमें इसके उद्देश्य को सही भावना के साथ स्वीकार करना चाहिए।

यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के बीच सौहार्द्र को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री बनातवाला का इशारा अप्रत्यक्ष रूप से एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों की ओर था। किंतु, टाडा में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो लोग विभिन्न समुदायों के बीच विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देने को प्रयास कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में बन्द कर दिया जाएगा ताकि जेलों से बाहर रह गए, समस्याएं खड़ी करने वाले लोगों तक उनकी पहुंच न हो सके।

अब जनरल मुशर्रफ का ही उदाहरण लिया जाए जिन्होंने जोधपुर जेल में बन्द एक अन्य कैदी से बातचीत की। हाल ही में हमने अखबारों में पढ़ा है कि उसने उस कैदी के पास कुछ संदेश भेजे। मैं उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूं। जो जोधपुर जेल में बंद है। अगर टाडा लागू होता तो शीघ्रतापूर्वक जेल अधिकारी और कई अन्य व्यक्तियों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता। कोई यह कह सकता है कि केवल एक पत्र ही भेजा गया था; केवल कुछ संवाद ही स्थापित किए गए थे : और इसलिए क्यों किसी व्यक्ति को टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाए ? श्री बनातवाला का यही तर्क है।

नहीं, यह एक कैंसर वाली स्थिति है जो इस देश में विद्यमान है। इस कैंसर को खत्म किया जाना चाहिए, और इस कैंसर को खत्म करने के लिए आप शरीर के एक अंग को काटकर हटा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किन्तु, शरीर तो अक्षुण्य रहेगा। इस पर गौर किया जाना चाहिए। उस मामूली सी घटना पर भी गौर कीजिए जहां

[श्री अनादि साहू]

जनरल मुशर्रफ जोधपुर के जेल में बंद उस व्यक्ति को अपना संदेश भेज पाने में सफल हो सका है। अगर हमारे पास टाडा के प्रावधानों से मेल खाता कोई नया कानून नहीं होगा भले ही यह कुछ हद तक लचीला ही क्यों न हो, तो मैं इस सम्माननीय सदन को आगाह करता हूं कि अगले तीन या चार वर्षों में समस्याओं से निपटना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जब तक हम उन लोगों के दिमाग में भरी आतंक की भावना पर चोट नहीं करते जो इस देश में अलगाव या साम्प्रदायिक सौहार्द्र को भंग करने की बात कर रहे हैं तब तक पुलिस बल, सेना की कितनी भी संख्या इससे निपटने मे नाकामयाब साबित होगी।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब, श्री रमेश चेन्नितला बोलेंगे। आप अपना भाषण 10 मिनट के अन्दर समाप्त करें। उसके बाद हम लोग आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, 23 मई, 1995 को टाडा समाप्त हो चुका। इस विधेयक के प्रस्तोतक माननीय श्री जी.एम. बनातवाला का आग्रह है कि टाडा जो अब समाप्त हो चुका है, के अन्तर्गत लम्बित मामले की सुनवाई वर्तमान कानूनों के तहत की जाये। महोदय, इस टाडा के अन्तर्गन तकरीबन 1200 से भी अधिक लोग विभिन्न जेलों में बन्द हैं। श्री बनातवाला इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि टाडा के अन्तर्गत किस प्रकार लोगों को उत्पीड़ित किए गए हैं और कैसे नागरिक अधिकारों का हनन किया गया है।

महोदय, टाडा के कुछ प्रावधानों की इस सम्मानी सदन में समय-समय पर कई बार आलोचना की गई है। यहां तक कि संसद के बाहर भी इसकी बड़े पैमाने पर आलोचनाएं हुई हैं। महोदय, इसने हमारे देश में स्थापित हमारे जनतांत्रिक अधिकारों और कानूनी मापदंडों का उल्लंघन किया है। जैसा कि श्री बनातवाला ने ठीक ही उल्लेख किया है कि इसकी धारा 1(4) की कठोर शब्दों में आलोचना की गई है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं।

महोदय, हमें सोचना चाहिए कि हमारे देश में टाडा कानून लाया ही क्यों गया। सामान्य परिस्थितियों में टाडा जैसे कठोर कानून संसद द्वारा बनाए ही नहीं गये होते। कोई भी सरकार ऐसे कानून बनाना नहीं चाहती। कोई भी निर्वाचित, सरकार जनतांत्रिक सरकार, सभ्य सरकार ऐसे कानून नहीं चाहती है। फिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों आई ? कुछ मामलों में मैं श्री अनादि साहू से सहमत हूं। वे उड़ीसा के पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं। वे आतंकवादी गतिविधियों के बारे में हम लागों से बेहतर जानते हैं। मैं जानता हूं कि अपने कार्यकाल में वे एक बड़े ही सक्षम पुलिस अधिकारी रहे हैं।

महोदय, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के सामने देश की एकता और अखंडता सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और हम अपने राष्ट्र में किसी भी प्रकार से राष्ट्रविरोधी-दुष्प्रचार या गतिविधियों की कतई इजाजत नहीं दे सकते। इस तरह की किसी भी कार्यवाही की आलोचना की जानी चाहिए।

इस टाडा कानून को क्यों लागू किया गया है ? इसे हमारे देश के कुछ भागों मे आतंकवादी गातिविधियों व विध्वंसकारी क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया है।

हम सभी इस बात से अवगत हैं कि कोई भी सभ्य देश इस प्रकार के कानून को पसंद नहीं करता है। किंतु, ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में भी उस समय के आतंकवादी व विध्वंसकारी-क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र भी अपने देशों में आतंकवादी गतिनिधियों के खतरे पर काबू पाने के लिए ऐसे कानून बनाये गये थे। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। आज श्री के. फ्रांसिस जार्ज को और मुझे डोडा क्षेत्र में मारे गए दो जवानों के शवों को लाने हवाई अड्डा जाना था। उन शवों को लाने के लिए हम अभी जाने ही वाले हैं। वे डोडा क्षेत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में मारे गए। ये बेचारे कम उम्र के जवान, जिनमें से एक त्रिवेन्द्रम के रहने वाले हैं और दूसरे मेरे संसदीय क्षेत्र के पठानमट्टा के रहने वाले हैं। हम उनके शवों को लाते अभी हवाई अड्डा जा रहे हैं। वे डोडा क्षेत्र में तैनात थे और आतंकवादियों से उनकी मुठमेड़ चल रही थी। वे मुठभेड़ में मारे गए और उनके शव लाए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में स्थिति पर गंभीरता से विचार करना होगा। पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है ? जब आप इन क्षेत्रों में जाएंगे जब आपकों वहां की आतंकवादी व विध्वंसकारी गतिविधियों का नजारा देखने को मिलेगा। आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जम्मू और कश्मीर में भी आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी गतिविधियां इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि प्रतिदिन लोग हताहत हो रहे हैं। इस पर काबू पाना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टाडा को फिर से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन, हमारे देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का प्रतिरोधक होना चाहिए। हमें लोगों की आजादी की सुरक्षा करनी है। निःसंदेह टाडा का दुरुपयोग किया गया है और निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर यातनायें दी जाती रही हैं। मैं राजस्थान गया था। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बीस से तीस व्यक्ति मेरे पास आये और उन्होंने बताया कि किस तरह उनके परिवारों को पुलिस द्वारा तंग किया गया और कैसे उन्हें टाडा के अन्तर्गत बंद किया गया है। मैंने उनके मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ओर से भी, हमने उन निर्धन लोगों को सहायता दी है जो टाडा के अन्तर्गत यातनायें झेल

चुके हैं। किन्तु इसके साथ ही हम आतंकवादियों को बेलगाम घूमने की इजाजत नहीं दे सकते और न ही उन्हें इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि वे जो चाहें सो करें। हम सभी पंजाब में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियों से भली–भांति अवगत है। वहां क्या स्थिति थी ? तीन या चार वर्ष पहले पंजाब में जो कुछ भी हो रहा था वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहां तक कि एक निर्वाचित सरकार भी इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती है और न ही राज्य को चला सकती है। आतंकवादी गतिविधियों का आलम यह है कि इन राज्यों में सामान्य जन–जीवन भी बहाल नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि श्री अनादि साहू ने ठीक ही कहा कि देश के विरुद्ध वक्तव्य जारी करना भी दण्डनीय है। उन लोगों पर पांबदी लगायी जानी चाहिए और राष्ट्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार पर समुचित रोक लगायी जानी चाहिए। लेकिन, इस तरह की स्थिति में जो पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में व्याप्त है, सरकार कुछ कानून बनाने के लिए बाध्य है। निर्दोष लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि श्री जी.एम. बनातवाला ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि निर्दोष लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। उन सभी लोगों के प्रति घोर अन्याय किया गया है और उन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया है।

क्या हम उन लोगों के कारनामों को न्यायोचित कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई में हुए बम विस्फोट की घटना में लिप्त थे जिसमें सैकड़ों लोगों की मौतें हुई थीं क्या हम इसे स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं ? ... *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, हम लोगों को अपराह्न 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा करनी है। वे बाद में बोलना जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : वे अपराह्न 5.47 बजे तक बोल सकते हैं। वे 17 मिनट का और समय ले सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कम–से–कम आधे घंटे का समय और चाहिए।

सभापति महोदय : हम आधे घंटे की चर्चा अपराह्न 5.47 बजे आरम्भ करेंगे और आप बाद में इसे जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने अपराह्न 3.17 बजे विलम्ब से कार्य शुरू किया, इसलिए हम इसे अपराह्न 5.47 बजे तक जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, इनको बाद में बोलने के लिए कह दीजिए। अब आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : हम छः बजे के बाद नहीं बैठ सकते। आज शुक्रवार है और हमें जाना भी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, कृपया इन्हें इसे अगले सत्र में रखने दें।

सभापति महोदय : यह सदन सहमत हो, तो अब हम आधे घंटे की चर्चा को आरम्भ कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 5.32 बजे

आधे घंटे की चर्चा

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति तथा विमानों की खरीद

[अनुवाद]

सभापित महोदय : अब सदन आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेगा। श्री किरीट सोमैया।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की वर्किंग के बारे में आधे घंटे की चर्चा पर मैं बोलने जा रहा हूं। एक सप्ताह पहले इस सदन में जो चर्चा हुई इन दोनों एयरलाइन्स की आर्थिक परिस्थिति के बारे में, उसमें महत्त्व के कुछ बिन्दु उठाए गए। उसमें सबसे पहला महत्त्व का मुद्दा यह रहा कि जब तक डोमेस्टिक ओपन स्काइ एयर पॉलिसी नहीं थी, तब तक मोनोपोली थी और उस मोनोपोली के कारण इंडियन एयरलाइन्स 1993–94 तक प्रॉफिट में थी। लेकिन एक बार जब ओपन एयर स्काइ पॉलिसी घोषित हो गई और प्राइवेट एयरलाइन्स ने हमारे यहां प्रवेश किया तो कंपीटीशन के कारण, थोड़ी इनइफेक्टिवनेस के कारण, ओवरस्टाफ के कारण और पूअर मैनेजमेंट के कारण इंडियन एयरलाइन्स का घाटा बढ़ता गया। 1993–94 में 258 करोड़ से लेकर 1995–96 में 109 करोड़ का घाटा हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि इंडियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया का जो लॉस हुआ है, उसके कारण वह सदन को बताएं।

[श्री किरीट सोमैया]

एयर इंडिया की परिस्थिति उससे अलग नहीं है। एयर इंडिया का घाटा 1995–96 से 272 करोड़ से लेकर हर साल बढ़ते–बढ़ते 1998–99 में 174 करोड़ हो गया। उसका कारण यही है कि इंडियन एयरलाइन्स की मोनोपोली थी, लेकिन बाहर के देशों में जाने के लिए बाहर की एयरलाइन्स भी यहां उपलब्ध थी और हमारी एयरलाइन्स उनसे कंपीटीशन नहीं कर पा रही थी। क्या उसमें सुधार करने का शासन प्रयत्न करेगा ?

22 हजार लोगों का स्टाफ है। मुझे तो यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि वायुदूत की सेवाएं बंद कर दी गई, उसके बदले में एलाइंस एयर शुरू की गई। वायुदूत के एक हजार कर्मचारियों को अकोमोडेट करने के लिए एलाइंस एयर का नाम दिया गया। एलाइंस एयर ने 740 कर्मचारी रखे। लेनिक 740 में से सिर्फ 40 कर्मचारी इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या वायुदूत की डेपुटेशन पर रखे। सात सौ कर्मचारी टोटली बाहर से लिये गये हैं। क्या इसके बारे में चर्चा होगी ? इसके क्या कारण हैं। मेरे सहयोगी साथी मित्र श्री राजीव जी ने उस दिन बहुत डीटेल में बताया कि सात सौ लोग कौन हैं, ये किसके रिलेटिव्ज हैं, इन्हें कौन से आधार पर कांट्रैक्ट दिया गया है, कौन से आधार पर इस प्रकार के नये–नये इम्पलायमैंट नये–नये लोगों को दिये गये हैं। एक ओर जो वायुदूत के एक हजार कर्मचारी हैं, वे ऐसे के ऐसे बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। उन्हें हम सरकारी दामाद की तरह पैसा दे रहे है, तनख्वाह दे रहे हैं और दूसरी ओर सात सौ का नया स्टाफ है। इस परिस्थिति में क्या होगा, लॉस बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं एक और परिस्थिति की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस होटल कॉरपोरेशन चलाते है। सैन्ट्रर होटल चलाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि होटल चलाने का काम सरकार कब बंद करेगी। सरकार का काम होटल चलाना नहीं है। कभी हम इस बारे में निर्णय लेंगे या नहीं। हमने कल और आज डिसइंवैस्टमैंट पॉलिसी पर चर्चा की। हम कोर सैक्टर की इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं और जो हमारे गले में फंदा पड़ा हुआ है उससे छुटकारा पाने की हम हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आज नहीं तो कभी–न–कभी हमें इस विषय पर सोचना चाहिए। होटल चलाना हमारा काम नहीं है। होटल्स भी इसी प्रकार ओवर स्टाफ हैं। उन्हें इतनी प्राइम प्रोपर्टीज सरकार से मुफ्त में फ्री ऑफ चार्ज मिलती है। उन्हें लैंड की कीमत नहीं देनी पड़ती है। जबकि प्राइवेट होटल्स फाइव स्टार से लेकर सबको उन्हें इतनी लैंड रीयल ऐस्टेट के प्राइस देने के बावजूद वे सैन्टोर एंव अन्य होटलों के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हैं। इसके बारे में विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि कोर सैक्टर में सरकार का इनवोल्वमैंट होना चाहिए। लेकिन अनेक बार यह रीजन दिया जाता है कि इंडियन एयरलाइंस के ऊपर सोशल कमिटमैंट है। उन्हें कई ऐसे रूट्स चलाने पड़ते हैं जो ग्रामीण भागों के इंटरनल पार्ट्स में पड़ते हैं। लेकिन एयर इंडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है। यदि यह इंडियन एयरलाइन्स का मामला है, तो इसे मैं समझ सकता हूं। लेकिन एयर इंडिया का क्या हुआ ? इसके लिए जो रीजन्स दिये जाते हैं, इस प्रकार के जो सभी कारण हैं, उसमें कुछ दम दिखायी नहीं देता है। वास्तव में इसके लिए केलकर कमेटी अपाइंट की गई थी। केलकर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि दो हजार करोड़ और नये डालो। यह पैसा कहां से आयेगा, कौन लायेगा, कब आयेगा, नये एयरक्राफ्ट्स कहां से आयेंगे। एक ओर हमारी सिविल एवियशन मिनिस्ट्री कहती है कि दो हजार करोड़ नये लायेंगे, एक हजार करोड़ लायेंगे, हमने केन्द्र सरकार को कहा है। दूसरी ओर से केन्द्र सरकार का दूसरा अंग फाइनेन्स मिनिस्ट्री कहती है, वे कहते हैं कि वे एक पैसा भी नहीं देंगे। क्या इस बारे में कोई क्लैरिटी आयेगी ? जो बीमार कंपनी हैं उन्हें कौन पैसा देगा, बाजार में कर्जा भी नहीं मिलेगा। अगर वह आएंगे तो उसके शेयर भी कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। एक ओर हम कहते हैं कि 364 करोड़ हमें कैपिटल बढ़ाने के लिए सैंट्रल गवर्नमैंट ने अनुमति दी है और दूसरी ओर सैंट्रल गवर्नमैंट का चौथे दिन एनाउंसमैंट फाइनैन्स मिनिस्ट्री से आता है वह कहते हैं कि वह एक भी पैसे का हिस्सा नहीं बाटेंगे। एक ओर हम कहते हैं कि इंडियन एयरलाइंस के विमान पुराने हो गये हैं। एलाइंस एयर के जो 12–14 प्लेन्स हैं, वे कहां से लिये हुए हैं, उनमें से कौन सा प्लेन कब बैठ जाता है और कौन सा प्लेन कब चलता है, पता नहीं चलता है। दूसरी ओर हम कहते हैं कि कम्पीट करे। मैं वास्तव में एक ऐसा सुझाव देना चाहता हूं कि इसकी टोटली रीप्लानिंग होनी चाहिए। आज हम जब डिसइंवैस्टमैंट के जमाने में जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्या सरकार किसी व्यावसायिक रूप से कुशल कम्पनी के साथ संयुक्त उद्यम के संबंध में नहीं सोच सकती ? क्या इसके बारे में सरकार के पास ऑफर्स आये हैं। फिर चाहे वह ब्रिटिस एयरवेज हो, ब्रिटेन की कम्पनी हो या कोई अन्य कम्पनी हो, सरकार इस बारे में खुले दिल से विचार करे, ओपन बिडिंग मंगाये और प्रोफेशनल मैनेजमैंट लाये। आज एयर में जब हम कम्पिटीशन के जमाने में जायेंगे तो हमें टोटली ओपन करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, जब हम टोटल खुला आकाश कर देंगे, उस समय एयर इंडिया के जो आज पांच रुपए मिल रहे होंगे, तो उस समय 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। आपको उचित समय चुनना है। अगर जाइंट वैंचर में काम करना है, कलैबोरेशन करना है, तो अभी करें। यदि दो–तीन साल के बाद करेंगे, तो वे बोलेंगे– क्यों ? यह तो मृत हाथी है। उस समय हमें आज से भी ज्यादा लॉस होगा। यदि आज 1200 करोड़ रुपए का एक्युमुलेटेड लॉस को सहन कर के एयर इंडिया नया

प्लान लाने की बात करती है, तो कुछ सालों के बाद तो कोई बात भी नहीं करेगा।

सभापति महोदय, एक रिप्लाई दिया गया कि क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एयर इंडिया को यह कहा था कि केवल कम–से–कम बोली लगाने वाले व्यक्ति को आज्ञा दी जानी चाहिए एयर इंडिया ने दूसरे बिडर के साथ बातचीत चालू की थी या नहीं, जवाब बहुत गोलमोल मिला कि हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आदेश मान रहे हैं।

[अनुवाद]

क्या आपने अन्य बोली लगाने वाले व्यक्ति के साथ वार्ता आरम्भ कर दी है ? आपने वार्ता क्यों आरम्भ की है ? आपने सबसे कब बोली लगाने वाले को क्यों नहीं स्वीकार किया ?

[हिन्दी]

हो सकता है कि लोएस्ट बिडर दूसरी कंपनी के प्रपोजल ज्यादा अट्रैक्टिव हों। इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स का एलाइंस होना चाहिए। इस बारे में सोचना चाहिए। जब आप अन्य देशों की तुलना करते हैं तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स चूंकि लॉस में जाती हैं इसलिए तुलना में हम पाते हैं कि प्राईवेट एयर लाइन्स बहुत मुनाफे में चल रही हैं। जैट एयरवेज जो प्राईवेट है काफी मुनाफा कमा रही है और जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस हैं जिनकी बैकिंग काफी मजबूत है, जिनको भारत सरकार सपोर्ट कर रही है उनमें लॉस है।

सर, मैं अन्त में इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की आर्थिक हैल्थ सुधारने के लिए यह आवश्यक हे कि इनको मिलाया जाए क्योंकि ये देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत बोझ है। इसलिए इनकी दशा सुधारने के लिए शासन पुनर्विचार करे, यही मेरी प्रार्थना है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया, वैसे तो दोनों हमारे देश की बहुत प्रतिष्ठापूर्ण कंपनियां रही हैं और अब इनको हमने लिमिटेड भी बना दिया है ताकि धन वगैरह जुड़ सके, लेकिन चाहे हमारे विमान पत्तन की सुविधाएं हों, उड़ानों का मामला हो, चाहे पुराने विमानों का मामला हो, उनके मैंटिनेंस और देखरेख का मामला हो या आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की भर्ती का मामला हो यानी ओवर स्टॉफ का मामला हो, अथवा पूअर मैंनेजमेंट वाली बात हो, इन सारी बातों के अंदर आज जब हम विकसित देशों से तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि विकसित देशों के विमानों और वहां पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की तुलना में हम आज भी बहुत पीछे हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अनेक प्रयास करने के बावजूद भी पिछले वर्षों में इनकी सारी सुविधा सुधारने के बावजूद भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हैं और इसके पीछे मूल कारण क्या रहे हैं ? क्या इनकी जांच करना चाहेंगे और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ओवर स्टाफिंग का है। यहां जो कामर्शियल पायलट्स हैं, लाइसेंस होल्डर्स हैं और जो इंडियन एयर लाइन्स की नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें एयर इंडिया में नौकरी प्रदान कर दी गई, यह जो बैकडोर एंट्री की गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेंगे ? इन्ही शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि नैशनल डैमोक्रेटिक एलाइंस की सरकार आई है और आज जब वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और खुला बाजार की चर्चाएं हो रही हैं, तो प्राइवेट जो उड़ान कंपनियां हैं, उनके मुकाबले हमारे यहां राष्ट्रीय महत्त्व और प्रतिष्ठा के मापदंड पूरा करने वाली इंडियन एयर लाइन्स घाटे के अंदर नहीं रहे और लाभ के लिए काम करे, इसके लिए कौन से कदम उठाना चाहेंगे ? धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, पिछले प्रश्नोत्तर काल के दौरान इस विषय को आधे घंटे की चर्चा में लाया गया है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठ गए जिन पर मंत्री जी का जवाब वांछित था।

उस दिन एलांइस एयर पर चर्चा हुई थी और माननीय मंत्री जी ने जांच बैठाकर सभी बिन्दुओं पर प्रकाश लाने का आश्वासन दिया था। हमारे मित्र किरीट सौमेया जी ने भी इस विषय में जानकारी लेनी चाही थी।

मैं इस संदर्भ में अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की गतिविधियों पर चर्चा करना चाहूंगा। साथ–साथ कुछ सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी सामने रखना चाहूंगा। इस देश में जब हम लोगों ने पब्लिक सैक्टर आर्गनाईजेशन्स की शुरुआत की थी, तो हमारा उद्देश्य था कि भारत सरकार ऐसी बड़ी–बड़ी कम्पनियों में पूंजीनिवेश करे और ये कम्पनियां आय अर्जित करके देश के उस खजाने में जमा करें और इस बिजनेस को कारगर बनायें।

एयर इंडिया की स्थापना के बाद, पिछले 47 वर्षों में 37 वर्ष एयर इंडिया प्रॉफिट करता रहा लेकिन पिछले पांच वर्ष में न जाने कौन से, किस प्रकार के निर्णय लिये गये, या यह हो सकता है कि पिछले 10, 12, 14 वर्ष के शासन में जो निर्णय लिये गये, जिससे कि उसका कॉरपस फंड था, जो उसकी कमाई थी, जो एयर इंडिया में प्रॉफिट का विषय था, वह आहिस्ते–आहिस्ते खत्म होता गया।

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

उदाहरणस्वरूप जब कैरीबियन जैट के लीज का सवाल आया, तो जब इस देश में प्रॉफिटेबल रूट्स थे, उस समय वेज लीजिंग करके बहुत सारे कैरीबियन जैट्स को इस देश में लाया गया और उसमें कोई एग्जिट क्लाज नहीं था कि अगर इस कांट्रेक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा ? जब सरकारें बदली तो उस कांट्रेक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया और एयर इंडिया जो घाटे का विषय पहले ही था, उस पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया गया।

ऐसी कई घटनाएं हैं, जो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के इतिहास में घटती रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा माहौल है जिसमें सामान्यतः सामाजिक व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होता। ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिसमें प्रशासन वर्ग और कुछ महत्त्वपूर्ण लोगों की भूमिका होती है। माननीय मंत्री जी आये हैं। इनको एयर इंडिया विरासत में मिला है जो घाटे में है। इनको विरासत में मिला है इंडियन एयरलाइन्स, जो कि विवादों में घिरा है। निश्चित रूप से जितनी संभावनायें हैं, उनके बीच में वे कार्य करने का प्रयास करेंगे।

सभापति जी, एयर इंडिया ने अपने स्टाफ की आयु सीमा 60 से घटाकर 58 साल कर दी। यह अच्छा निर्णय था। इसके पश्चात् इंडियन एयरलाइन्स में भी यह प्रस्ताव चल रहा था। मैं समझता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का ढांचा, एक तरफ बहाली में रोक लगाये, वह ठीक है लेकिन वर्षों से प्रमोशन दे-देकर ऊपर का ढांचा भारी हो गया है। जो नीचे का ढांचा है, जहां पर नट-बोल्ट, कुर्सी लगाने, सफाई करने से लेकर जो उसकी मैनटेनैस के एग्जीक्यूटिव कैडर हैं, जो कार्यकर्त्ता श्रेणी के हैं, उनकी कमी होती जा रही है। इसमें जब तक समन्वय स्थापित नहीं किया जायेगा तब तक किसी भी एयरलाइनन्स को ठीक ढंग से चलाना संभव नही होगा। इसमें विशेष बात यह रखना चाहूंगा कि इंडियन एयरलाइन्स के भीतर जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं-न-कहीं प्रूनिंग की बड़ी आवश्यकता है। मुझे पता चला कि इसमें 37 डायरेक्टर्स हैं - कोई डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेस है, उसके नीचे मात्र 40 डाक्टर हैं और साल भर में लाखों रुपये उनके वेतन पर खर्च किया जाता है। फिर पता चला कि डायरेक्टर, पब्लिक ग्रीवैंसेस और इस प्रकार के तमाम डायरेक्टर्स है - कहीं-न-कहीं पूरी व्यवस्था में कमी-न-कमी किसी व्यक्ति को औब्लाइज करने के लिए उन पदों को क्रिएट किया गया।

महोदय, जब प्राइवेट एयरलाइन्स इस देश में आयी, तो लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि कम्पीटिशन बढ़ रहा है। कम्पीटिशन बढ़ा तो दूसरी एयरलाइन्स में पाइलट्स का वेतन बढ़ा। इस वजह से वे भागे। इस तरह की जब घटना घटी तो इन लोगों ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इन्सेंटिव क्रिएट किया। जितनी तन्ख्वाह आज मिलती है, उसका दुगना हिस्सा पी.एल.आई. लेकर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में जाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप अच्छा काम करके अधिक तन्ख्वाह लें। लेकिन एक तरफ जब आपकी पूरी व्यवस्था घाटे की चल रही है, तो आप ऐसी योजनाओं को देकर, उस पे पैकेट्स को बढ़ाकर क्या आप इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ न्याय कर रहे हैं ? क्या यह उचित होगा कि जिस माहौल में आज पूरा परिवेश है, अगर आप अच्छा धन कमाते हैं, अपने कॉर्पस में अच्छा धन लाकर देते है, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को प्रॉफिट में ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों को कोई कठिनाई नहीं है कि आपको अधिक वेतन दिया जाये।

महोदय, मैं एक-दो उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। एयर इंडिया का नेट वर्क एक समय 1375 करोड़ रुपये था जो आज इरोड होते-होते 300 करोड़ रुपये हो गया। आखिर इस पूरी व्यवस्था में किसी की ऐकाउंटेबिलिटी तो होगी। मैं दो-तीन विषय आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी इस पूरे विभाग की परिस्थितियों से आहिस्ते-आहिस्ते अवगत हो रहे हैं। मैं साधारण-सी इंडियन एयरलाइंस की कहानी आपको बता दूं। आज से एक महीने पहले एक घटना घटी थी। एक पायलट ने एक जहाज को हैदराबाद में नौ घंटे तक खड़ा रखा।

अगर एक नेता किसी जहाज को रोकता है और उसमें पांच मिनट भी विलंब हो, तो जहाज में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स कहते हैं कि नेता के लिए जहाज रोक लिया लेकिन इंडियन एयरलाइन्स के पॉयलट ने हैदराबाद में एक जहाज को नौ घंटे रोके रखा और बंबई से क्रू जाकर उस जहाज को रिलीज करता है- क्या इस आजाद भारत में इस प्रकार की घटनाओं को हम ऐलाउ कर सकते हैं ? क्या इतना बड़ा जो इस तरह का प्रशासनिक अपव्यय होता है, उसे बर्दाश्त किया जा सकता है ? देश के तमाम लोग चाहते हैं कि जितनी ऐसी संस्थाएं हैं, उनकी स्थिति अच्छी और मजबूत हो।

एयरपोर्ट पर एक बड़ी अप्रिय घटना हुई जब आठ साल की एक बिटिया ऐस्केलेटर में क्रश होकर मर गई। मैं पूछना चाहूंगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वह व्यवस्था जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने उस बोल्ट को खुला छोड़ा था। इतनी दर्दनाक घटना थी। यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। पूरे विश्व के पैमाने पर लोग इस घटना को देखते होंगे, टूरिस्ट्स इस घटना को देखते होंगे, आने वाले लोग इस घटना को देखते होंगे। इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को ढूंढना होगा। इस वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना होगा, जो निजी संपत्ति को देश की संपत्ति समझकर इस देश के लिए उसे तैयार करें।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह संस्था आपके लिए नयी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि धरती से जुड़े आदमी को आसमान की जिम्मेदार सौंपी गई है लेकिन निश्चित रूप से अंग्रेजी की गिट–पिट से हटकर यह विभाग आपको मिला है। आप सदन को अपने साथ लेकर आने वाले दिनों में इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को पांच वर्षों की अवधि में देश का सबसे प्रमुख संस्थान बना देंगे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप भाषण नहीं दे सकते। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सदस्य को बता रहा हूं कि नियमों के अंतर्गत आप तथ्यों को और स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : ऐसी बात वहां है। बात यह है कि यह एक भावुकता वाला मामला है। मामला बहुत महत्त्वपूर्ण है और माननीय मंत्री जी की भी यह इच्छा है कि इस संगठन में कुछ अच्छा करना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री जी से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के मामलों में व्यक्तिगत पहल करने का और इन एयरलाइन्स की सेवाओं में सुधार लाने के लिए सदन को विश्वास में लेने का आग्रह करूंगा।

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन जी, कृपया आप अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि माननीय मंत्री अपना जवाब शाम छः बजे तक पूरा कर सकें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : पहली बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह यह है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बीच कोई तालमेल नहीं है। वे अलग–अलग भागों में संचालित हैं। उदाहरण के लिए, वे खाड़ी क्षेत्र में संचालित हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन दोनों ही इकट्ठे उड़ान भरती हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसी एक उड़ान में बहुत थोड़े यात्री होते हैं। एक विषय यह है। यदि वे उड़ान के समय के संबंध में पहले ही कुछ परामर्श कर लें, तो इससे बचा जा सकता है। यह दूसरा विषय है।

दूसरा पहलू यह है कि कुप्रबंध व्याप्त है। समय सारणी से संबंधित किसी भी सिद्धान्त का पालन नहीं किया जाता। मैं त्रिवेन्द्रम से आता हूं। यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो चौथा सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक दिन, उन्होंने बिना किसी कारण के अचानक 17 उड़ानें रद्द कर दी थीं। ये 17 उड़ानें मसकट, बहरीन, शारजाह, अबू धाबी और इसी प्रकार के अन्य शहरों की थीं। मेरी जानकारी के अनुसार वे उड़ानें यात्रियों से पूरी से भरी हुई थीं। किन्तु किसी दूसरी वजह से, जिसके बारे में मैं नहीं जानता, ये उड़ानें रद्द कर दी गईं और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे की स्थिति खराब हो गयी थी। उसके बाद जब मैंने पूछताछ की, तो उन्होंने मुझे बताया कि नुकसान हो रहा है और इसीलिए, उन्होंने उड़ानों का समय बदल दिया था। लेकिन बिना समय बदले भी उड़ान लाभदायक थी। अचानक जब इसे बदल दिया गया, तो इससे घाटा होने लगा। यह स्थिति है। इसलिए इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के बीच कुछ तालमेल और समझ अवश्य होनी चाहिए। यह स्वाभाविक ही है कि एयर इंडिया भारी घाटे पर चलता है क्योंकि वे बिना किसी उद्देश्य के उड़ान भरते हैं। उदाहरण के लिए समय–सारणी को ही लें। यह समय–सारणी यात्रा करने वाली जनता, कार्यालय जाने वाले लोगों और व्यवसायिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा असुविधाजनक है।

मैं बहुत–से ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विमान लोगों की सुविधा को ध्यान में रखे बिना ही निर्धारित उड़ानों को भरते हैं। संभवतः इसे भारी घाटे उठाने पड़ेंगे। अतः माननीय मंत्री जी से मैं इस बात की जांच करने का आग्रह करूंगा। निःसन्देह, मंत्री जी इस क्षेत्र में नये हैं। मैं उनसे सम्पूर्ण मामले का अध्ययन करने, सभी निर्धारित उड़ानों में परिवर्तन करने और इसे सुव्यवस्थित संस्था बनाने का आग्रह करूंगा। अब, कुल मिलाकर परिणाम यह है कि बहुत लम्बे समय से इस मामले में अव्यवस्था फैली हुई है। अतः माननीय मंत्री जी से मैं तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डा पर उन उड़ानों को बहाल करने का आग्रह करूंगा जो रद्द कर दी गयीं थीं और हवाई अड्डे को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए यथासंभव कार्यवाही करने का अनुरोध करूंगा। तिरुवनन्तपुरम भारत का दक्षिण का सबसे अंतिम छोर का स्थान है। सभी विदेशी कंपनियां वहां पर ठहराव की मांग कर रही हैं। लेकिन ये लोग उनको इस बात की अनुमति नहीं देते।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया से संबंधित वित्त के मामले पर विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सभी मामलों में स्वस्थ निर्णय लेंगे।

इन्हीं, शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे जिन्हें सदस्यों ने नियमों के अधीन उठाया है। केवल उन्हीं सदस्यों को अनुमति है जो नोटिस दे चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं नियमों के विरोध में नहीं जा सकता। आप किसी अन्य रूप में अपना प्रश्न रख सकते हैं। यह दुर्घटना के संदर्भ में है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। जो भी आप कह रहे हैं वह विचाराधीन मामले के संदर्भ में नहीं है। यह नियमों के विपरीत है। नोटिस दे चुके सदस्यों ने पहले ही अपने प्रश्न रख दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : महोदय, आप मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं ? जब आपने उन्हें अनुमति दे दी है, तो आप मुझे भी अनुमति क्यों नहीं दे सकते ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह एक बहुत बुरा पूर्व उदाहरण है। नियमों के अन्तर्गत, इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। मैंने उस प्रश्न की भी अनुमति नहीं दी थी। यह नियमों के विपरीत होगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री के. ए. सांगतम : मैं नार्थ ईस्ट के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं ... *(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

सभापति महोदय : न्याय करने के उद्देश्य से, मैंने इन दो प्रश्नों की अनुमति नहीं दी है। मैंने न्याय किया है। आप इस मामले को किसी अन्य अवसर पर किसी अन्य माध्यम से उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इन दो प्रश्नों को अनुमति नहीं दी गयी है। मुझे यह मामला कार्यवृत्त से नहीं निकलना चाहिए। आपको नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों के अर्न्तगत इसकी आज्ञा नहीं है। भविष्य में इसे पूर्व उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जायेगा। मैं कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता। यह नियमों के विरुद्ध है। अन्यथा, प्रत्येक विचार–विमर्श के लिए, बहस में भाग न ले चुके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्न होंगे।

(व्यवधान)

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : मैं आपकी बात समझ गया हूं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी जानकारी के लिए, मैं नियम पढ़ता हूं :

" सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न ही मतदान। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो। वे तथ्य की किसी बात के अग्रसर विशदीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछ सकेंगे। तत्पश्चात् मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा।"

आपने सूचना नहीं दी है मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सहयोग करें। दोनों सदस्यों द्वारा रखे गये प्रश्नों की मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप मंत्री जी से बाद में मिल सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति, जी, रूडी जी ने जो बच्ची की घटना वाला मामला उठाया, उसके बारे में मैंने राज्य सभा में विस्तार से बताया था। यहां मैं उसे नहीं रख सका, इसका मुझे अफसोस है। यह जो हादसा हुआ है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो सकती है, हम करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। इसके साथ ही हम मुकम्मल इंतजाम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सोमैया जी ने अपनी चर्चा में जितने सवाल उठाए हैं, उन सबका जवाब देना अभी तो कठिन है। इंडियन एयरलांइस लाभ में रही हैं। एयर इंडिया भी लगातार दुनिया की बैस्ट एयरलाइंस में मानी जाती रही है। लेकिन दो–तीन कारणों के चलते इन दोनों एयरलाइंस में कुछ दिक्कतें आईं। आपने जो कारण बताए हैं, वे अपनी जगह हैं। अंत में बोलने वाले माननीय सदस्य ने कर्मचारियों की संख्या के बारे में कहा और यह भी कहा कि हमारे एक जहाज के पीछे 700 कर्मचारी हैं, जबकि दूसरी एयरलांइस में अधिकतम 250 कर्मचारी हैं। 50 साल से जो हमारे सरकारी उपक्रम बने हुए हैं, उनके लेबर लॉज बने हुए हैं। एयर इंडिया में करीब 18000 कर्मचारी हैं। इनका तत्काल इलाज हमारे हाथ में नहीं है और तुरंत इलाज करना कठिन काम हैं। रूडी जी ने कर्मचारियों की समस्या के बारे में तो कहा ही, यह भी कहा कि अधिकारियों की भी फौज बढ़ी है। जो पिरामिड होना चाहिए, वह पैरेलल होता जा रहा है, यह भी एक समस्या है। एयर इंडिया की जो वित्तीय स्थिति है, 1996–97 में उसे 14 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1997–98 में 47 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, 1998–99 में 38 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और 1999–2000 में, इसमें आधे साल में 14.3 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, मैं सोचता हूं यह आगे भी बढ़ेगा। इंडियन एयरलाइंस में 1980 में एयरबस 320 आई, यह नौ महीने के

* कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए ग्राउंड कर दी गई थी। यह सबसे बड़ा फ्लीट है। यह फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था। उस फैसले से लगभग 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विलय का कोई प्रस्ताव है ?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आपकी बात पर आ रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए। आपको सीधे मंत्री जी से नहीं पूछना चाहिए आपको अध्यक्ष पीठ के माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : महोदय, इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ए–320 एयर बस इंडियन एयरलाइंस चला रही हैं। उसमें जो ताकत है वह इसी बस के कारण से है। मै चन्द्रशेखर जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि गल्फ में जब वार हुई तो लोग फंस गए। उन्होंने इमेंजेंसी में एक बहुत बड़ा फैसला इन बसों को चलाने का किया और निर्णय लिया कि ईराक और कुवैत में जो यात्री फंसे हुए थे, ए–320 ग्राउंड की गई थी, उन यात्रियां को बड़ी मात्रा में इसी बस से निकालने का काम किया। यह पूरी दुनिया का बड़ा जबरदस्त एयर क्राफ्ट है और हमारे इंडियन एयरलांइस को इसी फ्लीट से ज्यादा ताकत मिली हुई है। ... *(व्यवधान)* ए–300 हमारे पास नौ है, लेकिन वे बूढ़े हो गए हैं। उनकी उम्र 20 साल चार महीने है। ए–320 की संख्या 30 है। ये 30 बसें जब आप नौ महीने तक खड़ी करेंगे, इसका फ़ैसला चाहे हमारा हो या पुराना हो, मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन और कर्मचारी हैं, इन तमाम चीजों के चलते पब्लिक सैक्टर का बुरा हाल हुआ है। जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो क्या हम तैयार थे ? ... *(व्यवधान)* हमें हर तरह से प्रोटक्शन मिला हुआ था। लोगों के पास कोई चारा, कोई रास्ता नहीं था, उन्हीं को इस्तेमाल करना था। इसलिए लोग मजबूरी में इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन और कम्पीटिशन हो गया, तो चाहे ऊपर के आफिसर हों या कर्मचारी हों, उन सब की एफिशिएंसी से एक बड़ा भारी पर्दा उठ गया, उनकी पोल खुल गई। अब पर्दा जरूर उठ गया लेकिन कानून वही है, कानूनों में कोई रद्दोबदल नहीं है। हम भर्ती बंद कर सकते हैं लेकिन निकालने की स्थिति नहीं थी। अगर निकालेंगे तो जो थोड़ा–बहुत घाटा चल रहा है वह और बढ़ जाएगा। हमारे पास जो फ्लीट है वह ए–300 का नौ है, जो 20 साल पुराने हैं, ए–320 का 30 है, इसकी उम्र आठ वर्ष है, बी–377 कुल 12 हैं, जिनकी उम्र 18.4 है और डोनियर तीन हैं लेकिन इसकी उम्र भी 14. 2 वर्ष है, यानी हमारे पूरे फ्लीट की जो एवरेज है, उसकी उम्र 12. 9 वर्ष है।

महोदय, एयरबस के ग्राउंड करने से इंडियन एयरलाइंस को जो चोट पहुंची है, जो दिक्कत आई है वह इसी बात से आई है। दूसरी चीज यह है कि इसमें वायुदूत का मर्जर हो गया, जिसमें 1300 कर्मचारी थे। पहले इसका घाटा लगभग 200 करोड़ का था तथा 15 करोड़ रुपए संचित घाटा था और पर ईयर 15 करोड़ का घाटा और हो रहा था। इसके कर्मचारी 1300 थे, वे मर्ज हुए, यानी जो एक कम्पनी डूब रही थी उसका जिम्मा भी इंडियन एयरलाइंस पर पड़ा। इसको मर्ज कर दिया गया और इसे एयर एलाइंस बना दिया गया।

फिर एलाइंस एयर के बारे में जो शिकायत पिछली बार माननीय रूडी साहब ने की थी, उसके बारे में मैंने अपने मंत्रालय में पूरे कागजात, पूरी चीजों की जानकारी ली है। जैसे अभी शिकायत की गयी थी कि वायुदूत के कर्मचारी नहीं बाहर के ज्यादा कर्मचारी लिये गये। इस काम को भी देखने का काम किया गया है। माननीय किरीट सोमैया और माननीय रूडी साहब ने मामला उठाया था तो मैंने अपने मंत्रालय में जाकर सब संबंधित अधिकारियों को बुलाया। उसमें भी किसी तरह की गलती होगी तो उसको भी सुधारा जाएगा, अगर माफ करने लायक गलती नहीं होगी तो एक्शन भी लिया जायेगा।

इंडियन एयर लांइस के बारे में जैसा मैंने कहा कि हमें कुछ सोशल ऑब्लिगेशन्स भी निभाने पड़ते हैं। हम ऐसे रूट पर चलते हैं जैसे काश्मीर है, नार्थ–ईस्ट है। फिर सब सूबों की वित्तीय हालत भी एक सी नहीं है। सब सूबे ऑयल के दाम में और सेल–टैक्स में अलग–अलग है। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा सेल–टैक्स है–आप तो केरल से आते है। सूबों की वित्तीय हालत भी खराब है। ऑयल के बारे में भी हमको दिक्कत आती है।

तीसरी बात जो लोगों ने कही कि मैनेजमेंट में 37 डायरेक्टर्स है। निश्चित तौर पर इंडियन एयरलाइंस में इतने डायरेक्टर्स की जरूरत नही है। पहले दिन मीटिंग में जब हमने इतनी भीड़ देखी तो महसूस हुआ कि इतनी फौज की जरूरत नही है। उसमें क्या किया जा सकता है, उसका रास्ता भी मैं इंडियन एयरलाइंस के एमडी और विभाग से चर्चा करके निकालूंगा। नये कर्मचारी तो भर्ती नहीं हो रहे हैं लेकिन इनको भी कैसे कम किया जा सकता है, इस पर विचार होगा। इसके घाटे के बारे, में सदस्यों ने विस्तार से बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम अब घाटे के दौर से बाहर आ गये हैं और अब लाभ के दौर में हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि यह लाभ किस तरह से बढ़ता जाये।

[श्री शरद यादव]

टाइम शैडयूल्ड के बारे में भी बोला गया। दोनों ही एयरलाइंस में टाइम की बहुत प्राब्लम है। कुछ तो कम्प्लशंस के कारण है। सोशल ऑब्लिगेशन के चलते हमको जहाजों को दूर के इलाको में भी चलाना पड़ता है। ... *(व्यवधान)* मैं आपकी बात को मानता हूं कि वे वक्त पर चलें, उनकी पूरी शैड्यूलिंग हो। यह जो आपने सुझाव दिया है वह माननीय सदस्यों से सलाह-मशविरा करके और सारी चीजों को इकट्ठा करके देखने के बाद सोचा जाएगा। एयर इंडिया के घाटे का बहुत बड़ा कारण यह है कि ए-320 बस जब ग्राउंड कर दी गयी और गल्फ में इसका इस्तेमाल किया गया, उस समय इंडियन एयरलाइंस को गल्फ का भी बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया, जिससे ये लाभ में हो सके। इनका लाभ तो बढ़ा लेकिन एयर इंडिया का प्रौफिट घट गया। हालत बिगड़ी हुई है। इस हालत को सुधारने की बात है।

आपने डिस-इनवेस्टमेंट की बात कही है। अब तो एक विभाग अलग बन गया है। हमारे विभाग में उसकी चर्चा चल रही है। एयर इंडिया में स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं उसमें बाहर का कितना प्रतिशत हो, कितना न हो, मैनेजमेंट कितना हो, इस पर चर्चा जारी है। इंडियन एयरलाइंस में भी डिस-इंवेस्टमेंट किस तरह से हो। क्योंकि ये जो दोनों एयरलाइंस हैं वे भारत की सम्पत्ति हैं।

आज ये थोड़ी लड़खड़ाई है। आज दुलिया के बाजार का हमला हुआ है। हमें उस हमले का मुकाबला करना होगा। अब प्राइवेट एअरलाइन्स आ गई हैं। इससे थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन लाभ भी हुआ। लाभ यह हुआ कि हमें प्रतिस्पर्धा में खड़ा होना पड़ा। उस कम्पीटिशन में कैसे खड़े हों, इस बाबत भी गम्भीरता से सोच-विचार करना चाहिए। अभी हमें आए दो महीने हुए हैं। हम इसमें लगे हैं। संसद सत्र आने से काम थोड़ ढीला हुआ है। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। देश ने बड़ी मेहनत से इन्हें खड़ा किया है। यह कई दिनों तक प्रॉफिट में रहा लेकिन कुछ अर्से से यह घाटे में है। यह कैसे दुरुस्त हो, हमें पूरी ताकत से जोर लगाना है। कैरेबियन जैट का सवाल रूडी साहब उठा रहे थे। कैरेबियन जैट के करार को खारिज किया गया जबकि उसमें खारिज करने वाला क्लॉज भी नहीं था। आटा गीला और पानी उसमें गिर गया, वाली बात हुई। हम इस बात को पूरी तरह से पास से देख रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई खबर हो तो मुझे बताएं। कैरेबियन जैट के मामले को मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं। मुझे देखकर तकलीफ हुई। जिस दिन से एवार्ड आया है, उस दिन से मैं उसकी तरफ पूरा ध्यान दे रहा हूं। वैसे भी एयर इंडिया की हालत खराब है। कैरेबियन जैट में हमें 103 करोड़ रुपए का एवार्ड मिल गया है। हमारी कोशिश है कि इस एवार्ड को फिर से कैसे दुरुस्त करें ? ए-320 ग्राउंड कर दी गई। एक वायुदूत उसमें मर्ज कर दी गई। इंडियन एयरलाइन्स जो कि एक स्वस्थ संस्था थी वह बाद में दिक्कत में पड़ेगी, इस पर विचार-विमर्श करने का काम नहीं हुआ। भारत सरकार की वित्तीय हालत ऐसी नहीं है कि इस पर ज्यादा पैसा खर्च कर सके। यह विभाग थोड़ा नैगलैक्टिड है क्योंकि इसका वास्ता वोटों से कम है। नियंत्रण भी थोड़ा बहुत कमजोर रहा है। ग्लैमर्रस जरूर है लेकिन इस पर सरकार का बहुत ऑब्लिगेशन नहीं है। कारगिल से लेकर साइक्लोन तक इसने अच्छा काम किया।

मैं एयर इंडिया के स्वास्थ्य के बारे में कहना नहीं चाहता। वैसे वह बहुत बिगड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊं। हमने एक हजार करोड़ रुपए की मांग की है। केलकर कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक हजार करोड़ रुपया डिसइनवैस्टमैंट के लिए मिलना चाहिए जिससे हम दुनिया के किसी बाजार में जा सकें। एयर इंडिया जो कि एक पुरानी संस्था है, 1953 से है, उसका इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इतने एस्सेट्स हैं, उनका ठीक से इस्तेमाल हो, वह देश के लिए बेहतर व्यवस्था और एयरलाइन्स बन सके जिससे सभी को लाभ हो, हम इस कोशिश में लगे हैं।

श्री किरीट सोमैया : क्या भारत सरकार ने उससे इंकार कर दिया ?

श्री शरद यादव : हां, अभी भारत सरकार ने एक-दो बार इन्कार किया। हमारी कोशिश है कि बार-बार उनसे तकाजा करें। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह केवल आधे घंटे की चर्चा है। इसको पहले ही एक घंटा हो चुका है। मंत्री जी को तीन सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : दरवाजा खटखटाने का काम करना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, रिप्लाई तो मुझे देना था लेकिन समय इतना मिला है जिसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों की हालत खराब है, उसको सुधारने के लिये कई प्रयास हो रहे हैं। इंडियन एयरलाइन्स थोड़ा रिकवर कर रही है क्योंकि गल्फ का थोड़ा रूट मिला हुआ है, इससे मजबूती मिली हुई है। मैं मानता हूं कि एयर इंडिया में कुछ सुधार की जरूरत है। उसमें कर्मचारियों की भारी संख्या 18 हजार है और इंडियन एयरलाइन्स में 22 हजार है। अभी आफिसर्स के आंकड़े नहीं मिले, अगली बार जब फिगर्स मिलेंगी तो बताऊंगा कि जहाज पर कितने आफीसर्स सवार हैं। ये सब दिक्कतें हैं। माननीय सदस्यों

मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि इस काम को हम मुस्तैदी से कर रहे हैं और जो भी हो सकेगा, वक्त से ठीक प्रकार से कर लेंगे। इसके लिये री–शिड्यूलिंग कर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लीट है, उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल करेंगे, इस बारे में आप माननीय सदस्यों के साथ बैठकर जो भी सुझाव मिलेंगे, उससे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्यों ने कई बातें पूछी हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे सका लेकिन जब कभी भविष्य में वक्त मिलेगा तो जवाब देने का काम करूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना और कहना चाहूंगा कि ये दोनों पुरानी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं पुरानी ग्लोरी में आ जाये, यह इस सदन की इच्छा है, इसके लिये हमारे मंत्रालय से प्रयास हो सकेगा, हम प्रयास करेंगे कि उसमें कोई कमी नहीं आयेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 6.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 20 दिसम्बर, 1999/29 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एस० एस० — 48/3/15/99 (एस०)
280

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।